राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 14

सोमवार,

18 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

दांतारामगढ़ के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

312. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध गत चार वर्षों में कौन-कौनसी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईं तथा उन पर अब तक जांच कर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा जांच के क्या परिणाम रहे?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में हर माह फोर्टिफाइड आटा, केरोसीन एवं बी.पी.एल. परिवारों का राशन वितरित नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जनता को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध गत चार वर्षों (वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक) में प्राप्त शिकायतों एवं जांच पश्चात् दोषी पाये गये डीलरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(श्री परसादीलाल)

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में हर माह राशन कार्ड के आधार पर फोर्टिफाइड आटा ए.पी.एल. परिवारों को 'पहले आओ पहले पाओ' की प्राथमिकता के आधार पर तथा बी.पी.एल. परिवारों का राशन (केरोसीन, चीनी एवं गेहूं) उचित मूल्य दुकानों द्वारा वितरित किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली राशन सामग्री का हर माह वितरण किया जाकर आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कहीं कोई असुविधा या शिकायत की जानकारी प्राप्त होती है तो उसका तत्काल निवारण करवाया जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रश्न के भाग संख्या-एक में आपने वर्ष 2009 से 2012 तक, 24 शिकायतें होना बताया तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने उनको कारण बताओ नोटिस देकर केवल 200 रुपया और 500 रुपए वसूले जबकि एक लीटर केरोसीन जो 9 रुपए के बावजूद 40 रुपए में बेचते हैं और आप उनको नोटिस देकर उससे केवल 200 रुपए और 500 रुपए ही वसूल करते हैं। इसके साथ ही आप यह भी बताने का कष्ट करें कि यह सूची में नम्बर 12 पर आपने कहा कि प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है। तो यह आज की तारीख में, पहली बात तो यह है कि जो 12 नम्बर पर है, यह दांता का डीलर नहीं है, आपने इसको दांता का डीलर बताया है जबकि यह दांतारामगढ़ का डीलर है।

जब आपका विभाग इतना ही फर्क नहीं समझता, दांता और दांतारामगढ़ में ही फर्क नहीं समझता, यह दांतारामगढ़ का डीलर है। क्या यह बात सही है कि आपने लिखा है कि प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है लेकिन आज की तारीख में भी वही डीलर राशन वितरण कर रहा है।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना चाहूंगा कि आप बतायें कि जितनी टोटल ग्राम पंचायतें हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, आप कह रहे हैं कि हर महीने बांट रहे हैं तो पिछले दो साल में फोर्टिफाइड आटा किस-किस पंचायत में, क्या सब में बांटा गया है? बहुत सी में तो उठाया ही नहीं गया और बांटा नहीं गया। केवल यह कहना कि आप नोटिस देकर

(श्री अमराराम)

और अभी आपने केरोसीन तेल की जगह जला हुआ आयल बेचते हुए ठेठ गांव के राशन डीलर को आपके विभाग ने चेक किया और केरोसीन की जगह जला हुआ आयल मिलाकर देते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि यह कार्यवाही फौरी की गई है। इसको मैं मानता हूं कि यह कार्यवाही डी.एस.ओ. के द्वारा फौरी है। इसमें सक्षम कार्यवाही की जानी चाहिए थी। उसके लिए नए आदेश जारी करने का विभाग ने फैसला लिया है। आपने ध्यान दिलाया और यह डी.एस.ओ. स्तर की जो कार्यवाही है, उस रेट का पैसा लेकर कर लिया। अब हमने नए सिरे से व्यवस्था की है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि साधारणतया खाद्य विभाग के विरुद्ध पारित निर्णयों की प्रति विभाग के मुख्यालय को प्राप्त नहीं होती है। जिससे विभाग द्वारा विधि परीक्षण करवाया जाकर अपील रिवीजन का निर्णय लेना सम्भव नहीं हो पा रहा है अत: भविष्य में विभाग के विरुद्ध पारित निर्णयों की एक प्रति एक सप्ताह में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्यालय में प्रेषित की जाएगी, जिसका विधिक परीक्षण करवाया जाएगा। यह कार्य आयुक्त, प्रथम व विभाग में पदस्थापित उप विधि परामर्शी से करवाया जाएगा। मुख्यालय स्तर से अपील रिवीजन किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई शिकायतकर्ता या पक्ष पहले ही अपील कर देता है तो विभागीय विधि परीक्षण की अपीलीय रिवीजन कोर्ट के पीठासीन अधिकारी को विभागीय पैरोकार के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 12 नम्बर में वह राशन डीलर निरस्त कर दिया फिर भी वही वितरण कर रहा है। कलक्टर सीकर के यहां पर उन्होंने अपील की और अपील में उन्होंने 21.5.2012 तक स्टे जारी किया था पहले और अभी मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार 4 अप्रैल तक उन्होंने इस स्टे को आगे बढ़ा रखा है। हम कहेंगे कि इस तरह 90 दिन में फैसला, कलक्टर हो, डी.एस.ओ. हो, कोई भी रिवीजन जहां पर होती हो, उसको नियमानुसार 90 दिन में फैसला पारित करना होता है। कलक्टर के लेवल पर इसमें डिले हुआ है, हम इसको देखेंगे। हम कहेंगे कि इसका निर्णय जल्दी पारित करें और इसमें किसी भी तरह की विभाग की ओर से जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे और हम चाहते हैं कि आटे की जो बात

(श्री परसादीलाल)

आपने कही, आटे का मैंने पूरे वितरण का आपकी कांस्टिट्यूएंसी का मंगवाया है। मार्च, 2012 से 2013 तक हर महीने आटे का वितरण हुआ है। आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा कि किस दुकान को कितना आटा भेजा, उसको कितना दिया, महीने वाइज उसका विवरण है और जो भी आपकी शिकायत है कहीं भी, माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आटे की कोई शिकायत हो, आप मेरे को सीधा लिखें, विभाग को लिखें उसमें निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कह दिया, सारा आ गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 नम्बर की जो शिकायत है, यह अप्रैल, 2012 में उन लोगों को जिनको मरे हुए पांच-पांच साल हो गए, उनको राशन देना बताया, जांच हो गई और जांच होने के बाद डी.एस.ओ. ने निरस्त कर दिया वह राशन डीलर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने उसकी रिट पिटीशन को निरस्त कर दिया और 11 महीने से कलक्टर उसी से राशन बंटवा रहा है जो मरे हुए लोगों के नाम से ले रहा है। आप विधान सभा को कह रहे हैं कि निरस्त कर दिया, आप मुलाहिजा फरमा लें 12 नम्बर पर, यह विधान सभा को, हाउस को इस तरह से मिसलीड कर रहे हैं कि निरस्त कर दिया। कर दिया कहां? आज की तारीख में तो वह वहां पर बांट रहा है। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात और क्या होगी? ऐसा आदमी जो मरे हुए लोगों के दस्तखत करके, वहां ऊपर जाकर कराकर लाया क्या साहब? ऐसे भ्रष्टाचारी को बचाने का काम, कलक्टर हाई कोर्ट के आदेश को भी बाई पास करके, 11 महीने से उसी डीलर से राशन बंटवा रहे हैं तो यह आज तक जिस कलक्टर ने इसको रोके रखा 11 महीने तक हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, यह हाई कोर्ट का आदेश है मंत्रीजी, आप कहें तो मैं आपके सामने रख दूं। हाई कोर्ट से भी बड़ा हो गया क्या वह? जो दूसरा मैंने आपको बताया कि यह ठेठ गांव में, आज से एक महीने पहले वह तो आपकी इस लिस्ट में ही नहीं है। हजारों रुपयों का केरोसीन, गेहूं उसने ब्लैक कर दिया और आप उस पर 200 रुपए, मैं तो कह रहा हूं कि जिन्होंने यह लापरवाही की है उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? विधान सभा में भी उत्तर यदि गलत देंगे तो आपकी शिकायत से क्या बंटेगा? हाई कोर्ट को भी वे नहीं माने, विधान सभा को भी वे नहीं माने और जो गरीब के राशन को ब्लैक करके खाते रहे, दुकान आपकी खुली नहीं मिली उनको तो आपने नोटिस दे दिया तो

(श्री अमराराम)
जिन अधिकारियों ने इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की और यह गलत उत्तर, आज की तारीख में भी आपने लिखा है कि वह निरस्त कर दिया लेकिन आज भी वह जारी है। हाई कोर्ट के आदेश में भी, मरे हुए लोगों के नाम से राशन दिखा कर, ब्लैक करके खा रहा है। उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि हाई कोर्ट वाली जानकारी मुझे विभाग ने उपलब्ध नहीं करवाई है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह आप स्वीकार कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं स्वीकार कर रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप कहें तो मैं पेश कर दूं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं स्वीकार कर रहा हूं। यह आपने जो जानकारी अभी दी, हाई कोर्ट की कार्यवाही के बारे में डी.एस.ओ., सीकर ने या विभाग ने जानकारी नहीं दी। उन्होंने यह कहा है कि कलक्टर ने 12.5. को उस निरस्तीकरण के आर्डर को स्टे कर दिया और स्टे वह 4.4.2013 तक है अभी फिलहाल। आपका यह कहना सही है कि कलक्टर को 90 दिन में फैसला करना चाहिए था। जब हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया तो फिर कलक्टर को सुनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस सम्बन्ध में आज ही हम चीफ सैक्रेटरी को लिखेंगे कि कलक्टर ने किस आर्डर से उसको किया और कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, ...(व्यवधान) चीफ सैक्रेटरी को आज ही हम लिखेंगे। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बता दी सारी बात। मूल प्रश्नकर्ता पूछ चुके हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 16 अप्रैल को निरस्त किया और 26 अप्रैल को उन्होंने, कलक्टर ने स्टे कर दिया।

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही के लिए कह रहे हैं न, चीफ सैक्रेटरी को चिट्ठी लिख देंगे, बाकी अब क्या बचा?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिन्होंने यह पेनल्टी नहीं लगाई, ऐसा हाई कोर्ट का आप कहें कि आपके विभाग ने दिया नहीं, तो आप कहो तो टेबल कर दूं।

श्री अध्यक्ष: आप इनको व्यक्तिगत रूप से दे देना। इस बात को स्वीकार कर लिया इन्होंने। आपकी बात को मानकर इंक्वायरी के आर्डर का कह दिया। अब बाकी क्या बचा? इंक्वायरी होने दीजिये। अगला प्रश्न, श्री रणवीर पहलवान।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): प्रश्न संख्या 1383 है। अध्यक्ष महोदय, माफ करें, मुझसे गलती हो गयी। ट्रेनिंग दी नहीं थी, पहली बार का एम एल ए हूं। यह प्रश्न संख्या 313 है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा-केकड़ी मेगा हाइवे निर्माण प्रकरण

313. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा-केकड़ी मार्ग को मेगा हाइवे स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो इसे कब एवं क्यों निरस्त किया गया?

(2) वर्तमान में उक्त मार्ग किस तरह का स्वीकृत किया गया है तथा इस परियोजना की कुल कितनी दूरी एवं लागत है?

(3) उक्त मार्ग के निर्माण का टेण्डर कब एवं किस फर्म का स्वीकृत हुआ है तथा किस दर पर स्वीकृत किया गया है तथा कार्य पूर्ण करने की समय अवधि कब तक है?

(4) क्या उक्त मार्ग परियोजना के अन्तर्गत जयपुर के बाद स्थित तहसील मुख्यालयों यथा-फागी, मालपुरा, केकड़ी में बाई पास बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस-किस शहर के किस तरफ से? और नहीं तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जी हां। जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा-केकड़ी मार्ग परियोजना राज्य सरकार की 16 मेगा हाइवे परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति है एवं परियोजना पर कार्य प्रगति पर है।

(2) उक्त मार्ग जन-सहभागिता (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) योजना अन्तर्गत डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स आपरेट एण्ड ट्रांसफर अर्थात डी बी एफ ओ टी पद्धति पर दो लेन बी.टी. एवं सड़क के दोनों ओर हार्ड शोल्डर्स निर्माण के लिये स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना की कुल लम्बाई 212 किलोमीटर है एवं लागत राशि 282.10 करोड़ रुपये है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(3) इस मार्ग का टेण्डर फर्म मैसर्स एस पी एम एल इन्फ्रा लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में दिनांक 17.12.2009 को स्वीकृत किया गया है। डी बी एफ ओ टी पद्धति में सड़क निर्माण दर पर स्वीकृत नहीं किया जाता है। इस कार्य को पूर्ण करने की दिनांक 4.8.2013 है।

(4) इस परियोजना के मूल प्रस्ताव में केकड़ी कस्बे में बाई पास निर्माण प्रस्तावित था। तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा पांच अन्य आबादी क्षेत्रों- रेनवाल, फागी, मालपुरा, कादेड़ा में सड़क के बांयी ओर तथा शाहपुरा में सड़क के दांयी ओर बाई पास बनाया जाना प्रस्तावित है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, यह टेण्डर 17.12.2009 को छोड़ा गया था और टेण्डर की शर्त थी कि 18 माह में इस कार्य को पूरा कर दिया जायेगा। ऐसा हुआ नहीं बल्कि इसका टाइम बढ़ाते गये, बढ़ाते गये। बी ओ टी का है, बी ओ टी का जिस दिन रोड फाइनल हो जाता है, उस दिन से टोल चालू होता है और उसको 20 या 30 वर्ष के लिये दे दिया जाता है। क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जाने वाला एक राजमार्ग जयपुर से और भी है जो किशनगढ़, नसीराबाद होकर भीलवाड़ा जाता है। अगर यह राजमार्ग 18 माह में पूरा हो जाता, तो उस पर जाने वाला ट्रैफिक, जो 70-80 किलोमीटर कम पड़ता है, वह इस राजमार्ग से जाता तो उसकी टोल कम्पनी के जो पैसे थे, वह कम हो जाते, इसके कारण इस ठेकेदार को वह कम्पनी और सरकार के मंत्री महोदय को पैसे देती रही और इसके टेण्डर की डेट 18 माह बढ़ाती रही। क्या यह सही है कि 4.3.2011 के प्रश्न संख्या 2600 में आपने उत्तर दिया कि 18 माह में पूरा कर लेंगे, 2010 वाले में उत्तर दिया कि 18 माह में पूरा कर लेंगे, 7.2.2012 प्रश्न संख्या 582 में कहा कि 18 माह में पूरा कर देंगे। फिर हम हाई कोर्ट गये। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस पर कई धर्मस्थल हैं, इस रोड को अविलम्ब पूरा किया जाये। तत्काल बदली होकर दूसरे मंत्री महोदय आ गये। अब इन मंत्रीजी ने चालू कराया है, क्या यह सही है कि एस पी एम एल इन्फ्रा लिमिटेड में माननीय मुख्य मंत्रीजी का लड़का सलाहकार है? और उसकी सलाहकारी के कारण वहां से पैसे आते हैं, जिसका टाइम यह बढ़ाते रहे और 18 माह, 18 माह का अन्त नहीं बताया और आज कह रहे हैं कि 4.8.2013 तक पूरा किया जायेगा। 2009 का टेण्डर का टाइम चार बार बढ़ा दिया गया और 2013 तक कर दिया गया, जबकि शर्त थी कि 18 महीने में पूरा करके दे दिया जायेगा। मंत्री महोदय बतायें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य, जो कह रहे हैं मैं उसकी पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि यह जो सड़क स्वीकृत हुई है। भारत सरकार द्वारा निजी जन-सहभागिता पी पी पी डिजाइन, बिल्ट, फाइनेन्स, आपरेट और ट्रांसफर अर्थात डी बी एफ ओ टी पद्धति के अन्तर्गत जयपुर-भीलवाड़ा 212 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति डिपार्टमेंट आफ इकोनोमिक अफेयर भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 2006 को जारी की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग के माडल कन्सेशन एग्रीमेंट एम सी एफ को लागू करने के लिये प्रस्ताव विधि विभाग को प्रस्तुत किये व परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तकनीकी सलाहकार के द्वारा तैयार कराई गई। इस अवधि में चार माह से अधिक आर्थिक मामलात विभाग डी ई ए के निर्धारित समय सीमा लगने के कारण परियोजना की स्वीकृति हेतु पुन: भारत सरकार को 6 अप्रैल, 2009 को प्रस्तुत की गयी। भारत सरकार द्वारा एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन ई.आई. की 18वीं बैठक में दिनांक 2 जुलाई, 2009 को परियोजना की लागत रुपये 220 करोड़ पर 20 प्रतिशत वी जी एफ रुपये 44 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी। राज्य सरकार ने यह प्रोजेक्ट वी जी एफ मानते हुए डी पी आई बनाई थी। फिर इसके लिये निविदा आमंत्रित किये गये। रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन, इस प्रोजेक्ट में कौन भागीदारी कर सकता है, उस हेतु टेण्डर्स मांगे गये और 119208/2009 दिनांक 24.2.2009 द्वारा टेण्डर्स आमन्त्रित किये गये थे। क्वालिफिकेशन के लिये निविदा की दिनांक 27.2.2009 से 18.4.2009 तक की गयी। निविदाएं दिनांक 23.4.2009 को प्राप्त की गयीं। प्राप्त निविदाओं के आधार पर निवेशक फर्मों का चयन 8.5.2009 को किया गया, जिसमें निम्न पांच फर्मों का चयन हुआ, जो निम्नलिखित है- अशोक विलकान नासिक, सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि. नई दिल्ली, डी एस सी लि. नई दिल्ली, ओरियन्टल स्ट्रक्चर जी आर रवि उदयपुर। इसके बाद रिक्वेस्ट आफ फाइनेन्शियल प्रपोजल आर एफ पी हेतु 5 सफल कम्पनियों में से केवल 4 ने ही दस्तावेज क्रय किये। जिनमें है - अशोक विलकान नासिक, सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि. नई दिल्ली, डी एस सी लि. नई दिल्ली।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, इतनी लम्बी-चौड़ी कहानी की जरूरत नहीं है। किस-किसको कब-कब क्या-क्या दिया? यह बहुत छोटी-सी बात है। इसमें कोई उलझन में पड़ने का या ज्यादा समय लेने का या हो-हुल्लड़ करने का नहीं है। मैं भूख हड़ताल पर भी था। हाई कोर्ट गये। 2009

(श्री रणवीर पहलवान)

में कहा 18 महीने, फिर 18 महीने, फिर 18 महीने, इतनी मेहरबानी उस ठेकेदार पर क्यों की गयी थी? जो टोल रोड पहले बनाया गया किशनगढ़-नसीराबाद होकर जो भीलवाड़ा जाता है। इस कम्पनी को भारी घाटा होता है अगर सीधा रोड फागी-मालपुरा-केकड़ी होकर भीलवाड़ा जाता है। इनको पता था कि हमारा टाइम और बढ़ा दिया जायेगा, और बढ़ा दिया जायेगा। हमें तो 20-25 बरस के लिये यह रोड दिया गया है तो हम जितना लेट शुरू करेंगे, उतना ही इस सरकार के रहते-रहते इस कार्य को चालू कर देंगे। मंत्री महोदय और हमने साथ में उस रोड का सर्वे शुरू किया, जब पहले वाले मंत्री हटाकर आप बनाये गये, हमने रोड को खुद देखा, इन्होंने माथे पर हाथ मारा कि इसका टेण्डर तब छूटा था और आज तक इसका काम चालू नहीं हुआ। इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस रोड को चालू कर देंगे। शायद आपके आने के बाद में वह मंथली बंद हो गयी होगी और आपने सख्ती से काम लिया तो यह बन गया। हाई कोर्ट में गये, मैं 10 दिन भूख हड़ताल पर बैठा रहा। ऐसी उस ठेकेदार पर क्या मेहरबानी थी सरकार की, जिसने तीन साल में भी उस रोड पर थोड़ा सा भी काम नहीं किया। उस रोड से जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति सरकार को, मुझे और माननीय रघुजी को, सेंट्रल में हमारे दो माननीय मंत्री बैठे हैं नमोनारायणजी और सचिनजी।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरा प्रश्न यह है कि इस ठेकेदार से मिलीभगत में पैसे खाये गये हैं और इस रोड को चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण जनता को भारी दु:ख हुआ है और अब उस रोड को चालू किया है। इसमें लिख रखा है तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा पांच अन्य शहरों की आबादी रेनवाल, फागी, मालपुरा, केकड़ी के बाहर से बाई पास बनवाया जायेगा। कोई जमीन एक्वायर नहीं की गयी है। कोई वहां पर काम नहीं किया गया है। इतना असत्य बोला जा रहा है। कहां पर तो बाई पास बन रहे हैं? कब तक वह रोड चालू होगा? 2010 के प्रश्न में दे रखा है कि 18 माह में पूरा कर देंगे। 4.3.2011 के प्रश्न संख्या 2600 में उत्तर दिया कि 18 माह में पूरा कर देंगे। 7.2.2012 तारांकित प्रश्न संख्या 882 में उत्तर दिया है कि 18 माह में पूरा कर देंगे। यह 18 माह कब समाप्त होंगे अध्यक्ष महोदय? यह छोटी-सी बात है, इसमें रेल बनाने की कहां जरूरत है। यह 18 माह कब से शुरू होकर कब समाप्त होंगे? ताकि जनता सुख से उस रोड से जा सके। कब से वह

(श्री रणवीर पहलवान)

मंथली बंद होगी? यह चार प्रश्न पूछे हैं इनसे, इससे पहले वह आये नहीं इसमें, लेकिन मेरे पास तो रखे हैं ना, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने सरकार को भली-बुरी बातें कही। अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस 18 महीने की बात पूछ रहा हूं मंत्रीजी से। एक ठेले पर मुर्गी का अंडा लेने गया, कि कैसे देते हो। वह ठेले वाला बोला भाव पूछ रहा है कि मुर्गी ने दिया वह प्रक्रिया पूछ रहा है। अब मैं मुर्गी की प्रक्रिया तो पूछ नहीं रहा। सीधा-सीधा भाव पूछ रहा हूं कि अंडे का भाव, कि 18 महीने कितने दिन में पूरे होंगे? मुर्गी ने ऐसे दिया, वैसे दिया, यह बैठा, वह बैठा, इसकी जरूरत कहां रह गयी अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 18 महीने कब पूरे होंगे और वह चीज कब पूरी होगी? यह बता दो।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य को पहलवान भी कहते हैं। ये पहलवानी का दाव लगा रहे हैं और उल्टा-सीधा लगा रहे हैं। यदि मेरा उत्तर सुन लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी भले आदमी हैं। मैं आप पर बिलकुल आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरे पास चारों प्रश्न हैं, 18 माह के लिए कहा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने यह नहीं कहा कि आप आरोप लगा रहे हो। मंत्रीजी ने कहा कि पहलवान हैं इसलिए दाव लगा रहे हैं। अब जवाब आने दो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 18 माह खतम नहीं हो रहे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्षजी, मैं पूरे सदन को इसलिए जानकारी दे रहा हूं क्योंकि काफी शंकाएं इनके मन में है, वह क्लियर हो जाएं, मुझे पढ़ने दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।

इस परियोजना की कुल लागत 220 करोड़ रुपये थी जिसमें वीजीएफ के 88 करोड़ रुपये हैं। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक, मैं इनको पूरी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि सरकार ने बैंक से इनकी क्लियरेंस देर से होने की वजह से, यह प्रोजेक्ट जब मेरे समक्ष आया तब पूरी बात आयी तो इसमें जुर्माना करके पूरा नया कान्ट्रेक्ट किया है और उसके बाद जो 18 महीने की अवधि

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

थी, दुबारा जब हमारा टेंडर क्लियर हुआ उसके बाद से 18 महीने का समय लागू होगा। इसलिए यह जो कह रहे हैं कि 18 महीने, यह तो योजना 2006 से जब से आरम्भ हुई है उसके बाद, जैसा कि मैंने कहा 2009 में पहली बार इसके टेंडर काल किये और यह फर्म काम्पीटेंट थी...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नहीं साहब, गलत है। टेंडर कब खुले हैं...

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, 2006 से शुरू हो रहा है कोई लेना-देना ही नहीं है। 2006 में टेंडर हो गये तो फिर सरकार ने तीन बार उस रोड को क्यों बनाया? जब एक ठेकेदार को ठेका दे दिया तो सरकार अपने कोष से उसमें पैसा क्यों लगा रही थी? तीन बार पैसे लगे हैं, तीन बार उस रोड की पैचिंग वगैरह की गई है, वह करने की कहां जरूरत थी? ठेकेदार को कांट्रेक्ट देने के बाद राज्य सरकार उस रोड पर पैसे नहीं लगा सकती और लगाती है तो ठेकेदार से उसकी मिलीभगत थी कि रोड हम बना देंगे या आप बना देना। वह पूरे के पूरे पैसे ठेकेदार लगायेगा। राज्य सरकार हमें उत्तर देती रही कि इस पर हम पैसे नहीं लगायेंगे और इसका ठेका छोड़ दिया। वहां ठेकेदार काम ही नहीं कर रहा था। मंत्री महोदय, आपके आने के बाद ठेकेदार काम करने लगा है। उससे पहले बिलकुल काम नहीं कर रहा था। हम आपको लेकर गये थे। पूरा रोड दिखाया था। रघुजी भी यहां बैठे हुए हैं, रघुजी, आप इस बात के गवाह हैं या नहीं? आप देखो न साहब, वह हां भर रहे हैं। अगर गलत होता तो वह मना करते। वह भी इसी रोड से जाते हैं, दो-दो फुट के गड्ढे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप जवाब चाहते हैं या भाषण ही देंगे?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं यह चाहता हूं हम 18 महीने कब से शुरू करें और कब समाप्त करें? ताकि उस जनता को राहत मिले।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखिए, भरत सिंहजी के आने के बाद इस काम में बहुत प्रगति हुई। (व्यवधान) मैं इनके आने के बाद की बात कह रहा हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इनसे पहले तीन वर्ष? आप तो अभी आये हैं और +++ तो कोई सज़ा का प्रावधान होगा उन ठेकेदारों को। उनके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कह रहे हैं, निदेशक, फाइनेंस द्वारा फाइनेंशियल क्लोजर विलम्ब से किया गया था। उपरोक्त फाइनेंशियल क्लोजर में निदेशक के स्तर पर दिनांक 28.07.2011 से 11.10.2011 तक कुल 76 दिवस का विलम्ब हुआ। इसमें सरकार की तरफ से भी जो यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी थी, उसमें विलम्ब हुआ। कुछ गलती सरकार की भी रही थी। मगर इसके बाद जब उनसे वार्ता की गई तो इस फर्म के ऊपर 83 लाख 60 हजार रुपये जुर्माना किया गया और जुर्माना उनके द्वारा जमा करवाया गया।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): जुर्माना थोड़ा सा किया गया और फिर उसकी राशि बढ़ायी गई, सरकार की पार्टनरशिप है इसमें। 220 करोड़ से 282 करोड़ रुपये किये गये। जुर्माना 5 लाख और बढ़ाये 5 करोड़।

श्री अध्यक्ष: जब आप जवाब नहीं सुनो और बीच में खड़े हो जाओ तो कैसे काम चलेगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरा प्रश्न नपा तुला है कि 18 महीने कब से शुरू होकर कब खतम होंगे। कागज तो मेरे पास भी ये पड़े, कम पड़ते हैं तो ये लेकर पढ़ दो, इतनी लम्बी चौड़ी कहानी की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, केवल एक बात पर जोर है माननीय सदस्य का, कि 18 महीने कब से गिनें और कब खतम हो जाएंगे। इतना बता कर छुट्टी करो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हां, ठीक बात है साहब। हम तो खुश हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, 18 जनवरी, 2000 से सम्पादित किया गया इसका कांट्रेक्ट। यह कार्य 04 अगस्त, 2013 को पूर्ण किया जाएगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 2013 को, फिर तो विधान सभा चलेगी नहीं। खतम हो जाएगा मामला।

श्री अध्यक्ष: खतम हुई बात। अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू जिले में आपणी योजना के द्वितीय चरण में आबंटित राशि

314. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि आधारभूत विकास शुल्क के अन्तर्गत राज्य के 21 शहरों में पेयजल की दरों में वृद्धि करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि तथा इसे कब से लागू किया जायेगा?

(2) आपणी योजना के द्वितीय चरण में चूरू जिले में कितने शहरों और गांवों को लाभान्वित करने की योजना है तथा इस हेतु वर्ष 2011-12 व 2012-13 में कुल कितनी राशि आबंटित की गई?

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) जी नहीं। राज्य के इन शहरों में पेयजल की दरों में वृद्धि करने का कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है अपितु छह शहरों क्रमश: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) द्वारा पेयजल एवं सीवरेज के कराये गये आधारभूत कार्यों के संचालन एवं संधारण व्यय को वित्तीय रूप से तार्किक बनाये रखने हेतु एशियन डवलपमेन्ट बैंक से प्राप्त ऋण की शर्तों के अनुसार पानी के बिलों में सरचार्ज राशि जोड़कर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही है जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) आपणी योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत बूंगी-राजगढ़ वृहद पेयजल परियोजना से चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के 175 ग्राम एवं राजगढ़ शहर तथा झुन्झुनूं जिले की तहसील झुन्झुनूं के 13 ग्राम को तथा रतनगढ़-सुजानगढ़ वृहद पेयजल परियोजना से चूरू जिले की तहसील रतनगढ़ के 101 ग्राम तथा रतनगढ़ व राजलदेसर शहर तथा सुजानगढ़ तहसील के 155 ग्राम एवं सुजानगढ़, छापन व बीदासर को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, खण्ड-1 में आपने स्वीकार किया है कि छह शहरों में आधारभूत विकास परियोजना में जो एडीबी से ऋण लिया था उस ऋण के तहत सरचार्ज राशि वसूल कर रहे हैं। क्या यह सही है कि एडीबी से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो ऋण का करार हुआ था वह 01 दिसम्बर, 1999 को तत्कालीन सरकार के समय में हुआ था।

दूसरा जब आप यह सरचार्ज ले रहे हैं तो आधारभूत विकास परियोजना के नाम पर, तो आपने इन छह शहरों में अतिरिक्त कौन-कौन सी सुविधाएं पेयजल की दृष्टि से दी हैं? एक मैं यह पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि यूरोपियन कमीशन से 450 करोड़ रुपये तथा वित्त आयोग से 224 करोड़ रुपये की राशि का आपने इन दोनों से करार किया है कि आप शहरी क्षेत्र में पेयजल योजना के रखरखाव और संचालन का 75 परसेंट और ग्रामीण क्षेत्रों में साढ़े सैंतीस परसेंट पेयजल की दरें बढ़ायेंगे। इसके लिए आपने करार किया और आप दरें शीघ्र बढ़ाने जा रहे हैं।

क्या यह सही है कि आपने एडीबी से अन्य जिन 15 शहरों के लिए ऋण लिया है जिनमें चूरू, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़, धौलपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर और सीकर शामिल हैं, इनमें भी आपने उन्हीं शर्तों पर लोन लिया है जिन शर्तों पर छह सम्भागीय शहरों के लिए लिया है। क्या इन पर सरचार्ज लगाने की आपकी योजना है? यदि हां, तो कब तक?

मेरा आखिरी सवाल है, खण्ड 2 में आपने जिक्र किया है कि चूरू जिले में रतनगढ़, राजलदेसर, सुजानगढ़, छापर, बीदासर के 444 गांवों को लाभान्वित करने के लिए रतनगढ-राजगढ़ आपणी योजना, क्या यह सही है कि आपने बजट में इसकी घोषणा की थी? 325 करोड़ की यह योजना है। दूसरा आपने इसी खण्ड में कहा कि झुन्झुनूं और चूरू जिले की राजगढ़-बूंगी योजना 248 करोड़ रुपये की है। इसके लिए आपने घोषणा की थी कि तीन वर्ष में इस योजना को पूरा करेंगे। क्या यह सही है कि आपने जो उत्तर दिया है उसमें वर्ष 2011-12 में राजगढ़-बूंगी को जीरो बजट आबंटित किया गया? आपका उत्तर है। रतनगढ़-सुजानगढ़ को सिर्फ दो करोड़ रुपये दिए और 2012-13 में एक को 16 करोड़ और एक को 70 करोड़ रुपये यानी 86 करोड़ रुपये दिए। पूरी योजना है 573 करोड़ रुपये की और वह तीन वर्ष में पूरी करनी थी। दो वर्ष गुजर गये और सिर्फ 86 करोड़ रुपये आपने दिए हैं। उसमें भी एक रुपये का व्यय नहीं हुआ। आप इन योजनाओं को जिनकी आपने बजट के अन्दर घोषणा की है, इनको कब तक पूरा कर देंगे?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, क्या...

श्री अध्यक्ष: कोटा कहां से आ गया?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोटा-जयपुर का मामला है। कोटा-जयपुर-भीलवाड़ा में आधारभूत सुविधाओं के आधार पर..

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह योजना चूरू से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ही अनुभवी हैं। मुख्य सचेतक भी हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, आपने प्रश्न में नम्बर वन क्वेरी उठायी...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि 2007 में यह जो ए.डी.बी. से शर्तें मन्जूर हुईं और इस तरह से इसके ऊपर जो इसका रीपेमेंट होगा, यह 2007 में मन्जूर हुई और ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एग्रीमेंट भी बता दो। यह एग्रीमेंट यहां रख दूं मैं टेबल पर।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनो।

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मीटिंग हुई उसमें सम्माननीय तत्कालीन पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब, सांवरमलजी जाट साहब, प्रताप सिंहजी सिंघवी, यह मौजूद थे, यह डिसीजन हुआ था उसमें, यह मेरे पास रिकार्ड है यह।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि किस का डवलपमेंट है और किस के वक्त में काम हुआ और कौन इसके लिए रेस्पोंसिबल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई भी जनहित के कार्यक्रम प्रारम्भ होते हैं तो चाहे आपकी सरकार में हों या हमारी सरकार में हों, हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन कार्यों को पूर्ण करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो निर्णय हुआ था उसमें यह हुआ था, ए.डी.बी. से लोन लिया गया था, 250 हमारे फर्स्ट सिक्स सिटीज के लिए

(डा. जितेन्द्र सिंह)

लोन लिया गया था उसमें ए.डी.बी. से 250 मिलियन डालर लिया था और यह स्टेट से 112 मिलियन डालर था और जो 15 योजनाएं थीं उसमें 250 मिलियन डालर ए.डी.बी. से था, यह 2007 में लिया गया था, 110 स्टेट से लिया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें डिसीजन यह हुआ था कि जो भी इसमें शर्तें थीं ए.डी.बी. से लोन लेने की कि जो आपरेशन एण्ड मेंटीनेन्स चार्जेज हैं वो वसूल किये जायेंगे, जो मूल राशि है वो राज्य सरकार द्वारा भरी जायेगी। यह सिर्फ आपरेशन एण्ड मेंटीनेन्स के चार्जेज हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, हमारे जो माननीय चीफ व्हिप हैं अपोजिशन के, आपका मैं आभारी हूं कि आपने एक इतना महत्वपूर्ण पानी के बारे में स्टेटमेंट दिया कि The Third World War will be on the water. माननीय अध्यक्ष महोदय, सिटीज के डवलपमेंट के लिए पानी की भी बड़ी योजनाएं, यह सारी योजनाएं हैं, इसमें कौन सरकार, यह मूल रूप से जो इसका बिल है, जो सारा लोन है यह तो राज्य सरकार चुकायेगी और बाकी जो आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस चार्जेज हैं, यह लोगों से चार्ज करेंगे ताकि लोगों में जागरूकता हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बता दूं कि कुल आपके ड्यूरेशन में 26 करोड़ रुपये वसूल गये थे और वर्तमान चार साल में 95 करोड़, कुल 121 करोड़ रुपये आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस के वसूल गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी जनहित के प्रोग्राम्स हैं मैं तो इसके अन्दर कह रहा था, आपने तो उल्टा उस समय स्वीकृति की थी लेकिन जनहित के अन्दर यह आवश्यक है कि लोग पानी के महत्व को समझें, जो सरचार्ज है अगर वो that was the matter of the treaty. जो ए.डी.बी. से हुआ था इसलिए जनहित में यह चार्जेज लिये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले विद्वान सदस्य ने जो बात करी उसमें आपने कहा कि बूंगी-राजगढ़ आपणी योजना में फेज II, माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंगी-राजगढ़ परियोजना में 415 करोड़ रुपये उस समय टोटल इसका एस्टीमेट था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी योजना जब तक प्रारम्भ नहीं की जा सकती, हमने शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास करने से वो योजना पूरी नहीं हो सकती, हमको उसका टेण्डर आमंत्रित करना पड़ेगा, उसका हमें वर्क आर्डर देना पड़ेगा।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंगी-राजगढ़ परियोजना जो थी 27.06.2006 में 194 करोड़ रुपये की उस समय इसका उन्होंने एस्टीमेट बनाया था और इसका शिलान्यास 14.04.08 को हुआ, उसमें न तो इसके अन्दर कोई फाइनेंशियल स्वीकृति थी न वर्क आर्डर किसी ठेकेदार को दिया गया, किसी को वर्क आर्डर ही नहीं देंगे और सिर्फ शिलान्यास करके चले जायेंगे, उसके आधार पर तो नहीं बन सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें 28.04.12 में इसको रिवाइज सेंक्शन की 415 करोड़ की और 12.11.12 को वर्क आर्डर दिया और जैसा कि आपने कहा 2011-12 में जीरो खर्च हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय पैसा ही नहीं था और न वह योजना आन ग्राउण्ड थी लेकिन 2012-13 से जो प्रारम्भ हुआ उसमें हमने 16 करोड़ रुपये दिया, 14 करोड़ खर्च किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़-सुजानगढ़, जो फेज टू का ही पार्ट है, उसके बारे में आपने कहा, इसके अन्दर करीबन रतनगढ़, रतनगढ़ शहर, सुजानगढ़, 155 गांव, सुजानगढ़ सिटी, राजलदेसर, छापर, बीदासर है, इस तरह से पांच शहर 256 गांव हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 27.09.11 को इसको, हमारा वर्क आर्डर 06.07.12 को दिया और इसका शिलान्यास 23.09.12 को हुआ। करीबन दो करोड़ रुपये तो 2011-12 में दिये इस योजना में, 2012-13 में 70 करोड़ दिये जिसमें 65 करोड़ 93 लाख खर्च हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह योजनाएं कब पूर्ण होंगी, जो नम्बर टू है रतनगढ़-सुजानगढ़ यह हमारी लास्ट 2014 में कम्प्लीट होगी और यह नवम्बर, 2014 में यह आपकी कम्प्लीट होगी। यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि किसके समय में शुरू हुई किसके समय में खतम हुई, मैंने तो यह पूछा है कि आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस आपने 121 करोड़ रुपये वसूले, इनका आपने क्या किया?

दूसरा, यूरोपियन कमीशन और 13वें फाइनेन्स कमीशन के सामने जो आपने एग्रीमेंट किया है पेयजल की दरों को बढ़ाने का, उसका आपने उत्तर नहीं दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तीसरा, क्या यह सही है कि 15 शहरों में एशियन डवलपमेंट बैंक के सैकण्ड फेज में जो लोन लिया उसमें भी आप सरकार के नाम से पैसा बढ़ाओगे और आपने कहा कि 425 करोड़ की योजना है और आप खत्म कर देंगे 2014 में, तो 2013-14 में इन योजनाओं में बजटीय प्रावधान कितना-कितना किया, यह बता दो। क्योंकि अभी आपने खुद ने कहा कि 2012-13 में 16 करोड़ रुपये इसमें दिये हैं और 2011-12 में आपने जीरो दिये हैं, बूंगी-राजगढ़ में 16 करोड़ दिये हैं, रतनगढ़ में आपने 70 करोड़ दिये हैं तो आपने निश्चित तौर पर इस बार इस वर्ष फाइनेंशिल ईयर में समाप्त कर रहे हो तो इस फाइनेंशिल ईयर के बजट का प्रावधान किस हैड में और कितना-कितना किया, यह आप मुझे बता दो, क्योंकि मैं हैड देखकर आया हूं।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ का है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो छह शहरों में आपने इस योजना को लागू किया और आपने यह कहा कि जहां 15 हजार लीटर से लेकर 40 हजार लीटर तक का जिनका कन्जम्प्शन होगा उनको 25 परसेंट का अतिरिक्त भार लगेगा और जिनका 40 हजार लीटर से अधिक का उपयोग होगा उनको 35 परसेंट से होगा, क्या उदयपुर के ऐसे उपभोक्ता भी यह पैसा दे रहे हैं जो अभी तक नल की योजना से ही नहीं जुड़े हैं, उदयपुर शहर का आज भी 30 परसेंट एरिया ऐसा है, तो इन कनेक्शन से ही नहीं जुड़ा है या इन सुविधाओं से नहीं जुड़ा है और उनके बिल में यह पैसा एड होकर आ रहा है।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट की बात है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चूरू, चूरू।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे जरूरी बात है कि पानी की जरूरत किस को ज्यादा है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): शहरों में पानी है, शहरों में इतनी जरूरत नहीं, गांवों में विशेषकर खारा पानी है, उनके भयंकर समस्या है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): यही तो है आपणी योजना वाला, रतनगढ़ से जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं आप पूरक प्रश्न क्या पूछ रहे हो?

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): यही है कि पहले पानी खारे पानी वाले गांव में दिया जाए, जहां पानी नहीं है, जहां समस्या है सिर्फ शहर के अन्दर से लाइन डालने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, शहर में फिर भी काम हो रहा है पानी का। जहां गांवों के अन्दर पानी की भयंकर समस्या है, खारा पानी है उधर से योजना को शुरू किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, हां।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सेकिण्ड चरण की बात कर रहे हैं, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि प्रथम चरण का अभी मेन्टीनेंस का काम भी इन्होंने नहीं करवाया है। मेरी पंचायत समिति अलसीसर के अन्दर 86 गांव इस योजना से जुड़े हुए हैं और मात्र 13 गांवों के अन्दर पानी पहुंच रहा है। बार-बार मैंने चीफ इन्जीनियर और मंत्री महोदय से भी आग्रह किया था कि इसके मेन्टीनेंस का तो यह जो बजट है इसके अन्दर प्रावधान है क्या प्रथम चरण के मेन्टीनेंस का?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा स्पेशली आपणी योजना के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008 में जब गवर्नमेंट चेन्ज हुई उस समय करीबन 9 हजार करोड़ की लायबिलिटीज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप तो हैड बताओ। थोथी बात करने से कुछ नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कह रहे हैं 2014 में पूरा करेगा, मेरी चुनौती है बजट, कहां पैसा दिया आपने।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप कृपया सारी बात तो सुनिये, उसका भी जवाब दूंगा। नौ हजार करोड़ रुपये की लायबिलिटीज

(डा. जितेन्द्र सिंह)

छोड़कर गये और तीन हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमारा बजट है जो भारत सरकार और स्टेट गर्वनमैंट मिलाकर देती है। तो नौ हजार करोड़ हमने आनर किया। जो भी आपके प्रोगाम्स थे, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाकर गये, हमारी सरकार ने एक भी प्रोजेक्ट को डिस आनर नहीं किया और नौ हजार करोड़ सबसे पहले आपकी लायबिलिटीज कम्पलीट करी आते ही।

उसमें जो आप मांगना चाहेंगे, मैं सारी डिटेल्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। बीच में हमारे रतनगढ़ से आने वाले सदस्य का प्रश्न आ गया था, जस्ट ए मिनिट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आने दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बता रहे हैं तो यह भी बता दें ...

श्री अध्यक्ष: नहीं यह काहे को बता दें, नहीं मैं अलाउ नहीं करता। भरतपुर का मामला नहीं है, अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नही होगा, उनको जवाब देने दीजिए, बीच में खड़े हो गये। जवाब ही नहीं देने देंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि रतनगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा आपके वहां सेलिनेटेड गांव, जो प्रभावित हैं, ग्राउण्ड वाटर टेबल जिनकी है, उसमें 101 गांव जोड़े गये हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर वही गांव जोड़े गये हैं जो कि सेलिनिटी से प्रभावित हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य मण्डावा से आने वाले का भी जवाब दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मण्डावा से आने वाली माननीय सदस्य ने जो पूछा उसमें उन्होंने कहा है आपरेशनल मेंटीनेंस में आपणी योजना में एक मिनिमम उनसे चार्जेज लेने की बात थी कि मिनिमम चार्जेज ग्रामीण जमा करायेंगे। इसमें प्राब्लम तो यही रही कि बहुत जगह ग्रामीण जो उनकी एग्जिस्टिंग पाइप लाइन थी वह उसी से पानी ले रहे थे और उन्होंने उसमें पार्टीसिपेट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें बहुत सारे गांव आपके ऐसे रह गये जिन्होंने इसमें पार्टीसिपेट नहीं

(डा. जितेन्द्र सिंह)

किया। लेकिन फेज-2 में भी आप जो चाहेंगी, मैं व्यवस्था करा दूंगा और उसके अन्दर पानी की व्यवस्था करा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप दरें बढ़ा रहे हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने का आदेश दिया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

बजट के अभाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कार्य योजना

315. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं? समस्त छात्रवृत्तियों की पात्रता शर्तें और देय लाभ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए गत चार वर्ष में कितने आवेदन सरकार को प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में से कुल कितने आवेदकों को पात्र पाया गया? जिला एवं वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पात्र आवेदकों को कुल कितनी छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित था तथा कितनी छात्रवृत्ति दी गई? जिला एवं वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पात्र आवेदकों में से ऐसे कितने छात्र हैं, जिन्हें केवल बजट उपलब्ध नहीं होने अथवा देय वित्तीय वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण देय छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जा सका? छात्रवृत्ति के प्रकार, वर्ष एवं जिलावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बजट अनुपलब्धता और वित्तीय वर्ष पूर्ण हो जाने के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कारण पात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति से वंचित रह जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) प्रदेश में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। छात्रवृत्ति के नियमों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पात्र आवेदन पत्रों का विवरण जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण हेतु जिलेवार आबंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्र आवेदन पत्रों में से बजट के अभाव एवं देय वित्तीय वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया, का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक अथवा पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति वितरित किये जाने हेतु वर्ष 2013-14 से राज्य योजना मद में 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमानुसार पात्र अधिकाधिक विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल पाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक ही बात समझना चाहूंगी। आपने यह कहा अ, ब, स, दुनिया भर का इन्होंने दे दिया और जो मांगा वो दिया, सही बात है मगर मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि क्या यह सही है कि दसवीं तक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

के ओ बी सी के बच्चों में से हर पांचवां बच्चा पात्र होते हुए भी वजीफे से वंचित रहा? मैं जो बोलूं इनका यह मरे को उत्तर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में हर तीन में से दो बच्चे पात्र होते हुए भी छात्रवृत्ति से वंचित रहे। भीलवाड़ा में सवा बीस हजार, दौसा में पौने नौ हजार, धौलपुर में साढ़े नौ हजार ओ बी सी वर्ग के बच्चे पात्र होते हुए भी छात्रवृत्ति से वंचित रहे हैं। अब इन्होंने तो टेबल बनाकर दी है तो मंत्री महोदय के अधिकारियों...

श्री अध्यक्ष: आज आपने जोधपुर के बारे में नहीं पूछा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सवाल ही जोधपुर का है, जोधपुर वाली हूं। अध्यक्षजी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, न कोई पार्टी बाजी है इसमें, एक बहुत बड़ा योगदान का मामला है और सरकार होते हुए भी नहीं दे रही है इस बात की तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए, प्रश्न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या यह भी सही है कि दसवीं के आगे पढ़ने वाले ओ बी सी के बच्चों में हर चौथा बालक पात्र होते हुए भी वजीफे से वंचित रह रहा है?

अजमेर में एक तरफ 1599 बच्चे वजीफे से वंचित रहे...

श्री अध्यक्ष: कितने बच्चे?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): 1499 सारी कोई गलती हो जाए तो। दस लाख का इनके पास बजट बचा हुआ है वह बजट क्यों नहीं काम में लिया। एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और एक तरफ जो बजट है उसको काम में नहीं लें। यह बात सही है मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं मगर मैं इनसे ज्यादा गुण्योडी हूं। इतना हिसाब किताब सब कर सकती हूं, है तो नहीं क्यूं बता रहे हैं?

भरतपुर के अन्दर बताऊं आपको 607 बच्चे वजीफे से वंचित रह गये, परन्तु बजट में से 46 लाख रुपये खर्च नहीं किये गये। मैंने इनकी टेबल का विश्लेषण किया है, रात को 12 बजे जोधपुर से आयी हूं और बैठकर दो बजे मेरे पी ए और हमने तय किया एक-एक लाइन। चूरू में 1076 बच्चे वजीफे से वंचित रह गये परन्तु बजट में 28 लाख रुपये की राशि खर्च नहीं की जा सकी। अब आप देख लो। सवाई माधोपुर में 125 बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रहे परन्तु बजट में 55 लाख रुपये खर्च नहीं किये गये।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बोल तो दूं, नहीं तो ऐसे ही जवाब, यह तो बहुत विद्वान लोग हैं, यहां बैठे अफसर भी बहुत विद्वान हैं, मैं हूं अनपढ़ तो।

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड इनके पास है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दिलाऊं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं एक लाइन और बोल दूं।

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त हो जाएगा, जल्दी करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कोटा में 612 बच्चे वजीफे से वंचित रह गये परन्तु बजट में तीस लाख रुपये खर्च नहीं किये जा सके। हाल तो मैं इतनो ही बतायो हूं बाद में ये मंत्री महोदय जवाब दें तो मैं आगे और बताऊं, इतनी लाइन तो पूरी कर ही दूं मैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि एक तरफ तो लाखों रुपये की बजट राशि खर्च नहीं की जा सकी और दूसरी तरफ भारी संख्या में ओ बी सी वर्ग के बच्चे वजीफे से वंचित रह गये। क्या इस मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी, यदि हां, तो कब तक? मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि एक जिले में यदि बजट बच रहा हो तो उसे समय रहते हुए दूसरे जिले में खर्च किया जा सके। उद्देश्य होना चाहिए कि एक भी पात्र बच्चा वजीफे से वंचित नहीं रहे।

अजमेर, भरतपुर, चूरू, सवाई माधोपुर, टोंक यह तो मैंने अभी थोड़ा बताया है। पूरे राजस्थान का आया हुआ है, इनकी टेबल दी हुई है, मेरी टेबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी स्वयं बहुत विद्वान हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करते हुए निवेदन करता हूं कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियां संस्थाद्वार राजकीय विद्यालयों में माध्यमिक, सैकण्डरी स्कूलों में भेजी जाती हैं और वो स्कूल ही वितरित करती है। इसमें हमारा केवल फण्ड एलोकेशन होता है और उनको डिलीवर कर देते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं ऐसे मत करो आप, उत्तर सही देओ

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही पूरा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): गुमराह मत करो सदन को, जो बात है वही कहो और अधिकारियों को भी बचाओ मत, मेरी अधिकारियों से भी कोई नाराजगी नहीं, छात्रवृत्ति तो देवें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का पैटर्न यही है कि जिलेवार जो संस्थाएं हमारी हैं, जिनको हम छात्रवृत्ति देते हैं उनको बजट एलोकेट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन उनके माध्यम से होता है, संस्था में ही भुगतान होता है, वो ही बांटते हैं और 31 मार्च के बाद जो फण्ड उनका बचता है उसकी सूचना वो दे देते हैं, सरेण्डर नहीं करते हैं और यह सबसे बड़ी इसमें खामी है। आइन्दा से यह ख्याल रखा जाएगा कि वह टाइमली उस बजट एलोकेशन का उपयोग करके बाकी राशि हमें सरेण्डर कर दें क्योंकि केन्द्र सरकार का, भारत सरकार का पैसा है और कमिटेड लायबिलिटीज के तहत निर्धारित होता है, जो पैसा बचता है वह सी एस एस का पैसा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दो...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह कोई जवाब है?

श्री अध्यक्ष: जवाब ही है...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह कोई जवाब है?

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही पूरा...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जो पैसा बचता है वह उस संस्था...(व्यवधान) चला जाता है...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इन्होंने संस्थाओं को भेज दिया, इन्होंने संस्थाओं को भेज दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह देंगे वह जवाब आ गया है। आप चाहो तो इसमें से प्रश्न पूछ लें...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ों का ..(व्यवधान) करना, यह क्या तमाशा है...(व्यवधान) बात सही है तो क्यों नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर आने दीजिये उसके बाद में अगर संतुष्ट नहीं

(श्री अध्यक्ष)

हैं उस उत्तर से ...(व्यवधान) ऐसे नहीं। आप जवाब आने दीजिये पहले। आप पूरे प्रश्न का पहले जवाब देने दीजिये...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है क्या ? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है... (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मंत्री बिलकुल असत्य जवाब पेश कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न का जवाब आने दीजिये। प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं आया अभी...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। छात्रवृत्ति समय पर वितरण न हो इसके क्या कारण रहे हैं वह बताएं। क्या इनके पास में बजट अवेलेबल नहीं है या इनके यहां व्यवस्था डगमगा रही है...

श्री अध्यक्ष: आपको अलाउ किया है क्या मैंने? आपको अलाउ किया है क्या? यूं ही भाषण दे रहे हो? मंत्रीजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप जवाब दे रहे थे ना, क्या हुआ?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं पुन: अनुरोध कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पैटर्न यही है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेरे से पहले के मंत्री भी जानते होंगे और मेरे से पहले मंत्री माननीय रामकिशोर जी सैनी विराजमान हैं। पैटर्न यही है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति संस्थाओं के माध्यम से ही बांटी जाती है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होता, हम केवल बजट डिलीवर करते हैं इसके अलावा जो मेरे से...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अब आप भी ऐसे क्या कर रहे हो कि पूर्व में, यह क्या बात होती है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय या तो स्वयं इसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। जितने आपके आवेदन प्राप्त हुए उनमें से जिनको आपने पात्र माना, उन सबको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। अब आपने जो चार्ट दे रखा है 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, अगर इस सबका विश्लेषण करें तो लगभग 50 प्रतिशत छात्र, जो पात्रता रखते हैं लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली।

आपके पास जो पैसा था उस पैसे में आपके पास लाखों रुपया बचा। मैं आपको बताता हूं कुछ अगर आपके कहीं ध्यान में आता है तो यह अजमेर जिला है। इसमें मैं केवल उत्तर मैट्रिक का फिगर ही बता रहा हूं आपको कि पात्र बच्चे 2942, उनमें से आपने जिन बच्चों को दिया वह 1740, इसी का 2011-12 में 3075 बालक पात्र थे, आपने जिनको दिया वह 1499 हैं। भीलवाड़ा में जो पात्र थे 2010-11 में वह 4740 थे आपने स्कालरशिप दी 2821, 2011-12 में 5555 बच्चे पात्रता रखते थे जिन्होंने एप्लाई किया उसमें से आपने दी 3171, ऐसे ही सभी जिलों की है लगभग जो पात्रता रखते थे और जो फिगर दिये उनके आधार पर आपके पास पैसा होते हुए भी आप उन बच्चों को नहीं दे पाये। एक तो इसका स्पष्टीकरण करें कि यह कहां और किस कारण से चूक हुई?

दूसरा आपने एस टी, एस सी में पात्रता का दो लाख और ढाई लाख कर लिया, ओ बी सी में आज भी आपने एक लाख रखा हुआ है, इसका क्या कारण रहा है ? जब आपने अल्पसंख्यक की पात्रता को भी दो लाख-ढाई लाख बढ़ा दिया तो ओ बी सी में ऐसे कौन से लखपति हैं जिन बच्चों को यह नहीं मिलना चाहिये? आपने उनकी पात्रता का एक लाख ही फिगर रखा, क्या सरकार उसको भी उनके समान ही आय की सीमा को बढ़ाना चाहती है ?

जिन अधिकारियों ने भी यह जो पात्र बालक थे और आपके पास पैसा था उसके बाद भी लगातार 4 साल से उन बच्चों को पैसे नहीं मिले इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने यह जिक्र किया कि ओ बी सी में छात्रवृत्ति का जो पैमाना है जिसमें आय सीमा एक लाख ही निर्धारित है जबकि एस टी, एस सी में दो लाख रुपये निर्धारित है...(व्यवधान) मेरे पास

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

नहीं है। पूर्व में ओ बी सी का 44,500 रुपये साल में आय का मापदण्ड था। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र दिनांक 1.7.2011 द्वारा दरें संशोधित की गयीं तथा वार्षिक आय सीमा भी एक लाख रुपये की गयी है।

मैं निवेदन करता हूं कि योजना के दिशा-निर्देश सारे भारत सरकार द्वारा संचालित हैं जिसकी मैंने प्रति भी संलग्न की माननीय सदस्य महोदय को।

अब जो यह आय सीमा बढ़ाने का आप अनुरोध कर रहे हैं वह भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप होगा। हम आपके अनुरोध और हम सबकी भावना को भारत सरकार को भेजेंगे ताकि एस टी, एस सी की आय सीमा के अनुरूप यह राशि बन सके।

बाकी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में हमारा भुगतान बराबर हो रहा है। मैं आपको वर्षवार निवेदन करना चाहता हूं, आपने जिलेवार पूछा है। उसकी पात्रता के बारे में निवेदन है कि बजट की सीमितता के कारण हमने उसकी पात्रताएं निर्धारित की हैं। जिसमें पहली प्राथमिकता उसकी है कि बी पी एल परिवार का विद्यार्थी हो। दूसरा वह नि:शक्त, विधवा, तलाकशुदा प्रायोरिटी हमारी यह रहेगी। तलाकशुदा हो, तलाकशुदा महिला के पुत्र-पुत्रियां हों, विधवा महिला हो, विधवा के पुत्र-पुत्रियां हों। इस तरह से प्रायोरिटी...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। जवाब पूरा आने दीजिये...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आने दें सरकार का। जवाब पूरा आने दीजिये...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। जवाब पूरा होने के बाद आप पूछ लीजिये। पूरा जवाब ही नहीं आया...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या आपने मंत्री महोदय, ...(व्यवधान) यह कुछ उलझ रहे हैं, यह सोच रहे हैं वह पात्रता कम और ज्यादा हो गयी, ऐसा नहीं है। जो जिला अधिकारी आपका एफीशियेंट था उसने उन सबको पात्रता दी और उनको सारा पेमेण्ट भी किया इसीलिये पूछ रहे हैं आपको। कई ऐसे जिले हैं जिनमें जैसलमेर, जालौर, मतलब हंडरेड परसेंट जितने बच्चों की एप्लीकेशंस थीं उतने बच्चों की उन्होंने पूर्ति कर दी। अलवर, बांसवाड़ा का जो डी ई ओ है, केवल 145 बच्चे बाकी रह गये। मतलब इस सारी लिस्ट को जब देखते हैं तो कई जिला अधिकारी आपके ऐसे हैं जिन्होंने जितनी एप्लीकेशंस आयीं या जितनी पात्रता रखते थे 80-90 परसेंट बच्चों को उन्होंने स्कालरशिप दे दी। कुछ आपके जिला अधिकारी ऐसे थे जो 25-30-50 के बीच में पात्रता रखने वालों को ही पेमेण्ट कर पाये। उनके स्वयं के जिले में बचत लाखों रुपये रह गयी उसके बाद भी 4 साल 2009-10, 2010-11, 2011-12, बराबर वह पैसे का पेमेण्ट नहीं कर पाये। उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके पास पैसा होते हुए भी उन बच्चों को पेमेण्ट नहीं हुआ उसके लिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की समिति के आधार पर बजट की जो सीमा है उसके अनुरूप हम यह भुगतान करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि पहले 2008-09 में 9 करोड़ का बजट था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दें...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह समझ लीजिये कि 2011-12 में हमारे पास 20 करोड़ बजट था उसको बढ़ाकर हमने 2012-13 में 30 करोड़ किया...(व्यवधान) 2012-13 में 68 करोड़ किया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बजट का 95 तक उपयोग किया गया है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) 2013-14 में बजट...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया। ओ बी सी के समस्त पात्र बच्चों को भुगतान करने की पहल की गयी है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उनकी जानकारी प्राप्त करके, रिपोर्ट प्राप्त करके जिन अधिकारियों ने ओ बी सी के बजट का सदुपयोग नहीं किया है पिछले वर्षों में जिस तरह से यह

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

अन्तर आया है, उसकी जानकारी प्राप्त करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली जिले के चयनित बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड

316. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के किस-किस गांव में किस-किस चयनित परिवार को मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना में आवास की स्वीकृति तो जारी की गयी परन्तु आबादी भूमि में भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण आवास निर्माण शुरू नहीं हो सका? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उन चयनित परिवारों को जिनका आबादी भूमि में पट्टाशुदा भूखण्ड नहीं है, उन्हें नि:शुल्क भूखण्ड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो किन-किन कारणों से?

(12.00 बजे)

पंचायती राज मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) पंचायत समिति, रोहट में कुल स्वीकृत 1337 आवासों में से मात्र 9 आवास अप्रारम्भ रहे, इनमें से ग्राम पंचायत चोटिला के ग्राम बाण्डाई के 2 आवास भूखण्ड के अभाव में प्रारम्भ नहीं हो सके हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सम्बन्धित 2 चयनित परिवारों के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण वे सरकारी भूमि में आवास निर्माण करना चाहते थे परन्तु राजकीय भूमि पर आवास अनुमति नहीं है। सम्बन्धित व्यक्तियों ने अब ग्राम पंचायत में आबादी भूमि में भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो पंचायत में प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा मात्र एक ही प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय, जिन-जिन बीपीएल परिवारों के आबादी क्षेत्र में भूखण्ड नहीं हैं या स्वयं की खातेदारी भूमि नहीं है, क्या सरकार उनको भी मुख्य मंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने या इंदिरा आवास योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नि:शुल्क भूखण्ड देगी या नहीं देगी? इसका आप जवाब दे दो।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (पंचायत राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन परिवारों के पास भूखण्ड नहीं हैं, ऐसे परिवारों को पंचायत के पास में नि:शुल्क भू-आबंटन करने का और उनको देने का प्रावधान है। मैं आप सबको जानकारी देना चाहूंगा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में करीबन सवा 3 लाख लोगों को हमने भू-आबंटन किया है, वह अब तक का रिकार्ड है। माननीय सदस्य, इनका 5 मार्च को पंचायत की बैठक में अनुमोदन हो चुका है और बहुत जल्दी ही इनको भू-आबंटन कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त, प्रश्न काल समाप्त ...(व्यवधान) मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है ...(व्यवधान) आसन पांवों पर है माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत मांढण, तहसील नीमराणा को सभी मापदंड पूरा करने के उपरान्त उप तहसील का दर्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री हरिसिंह रावत एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राजकीय महाविद्यालय भीम में कामर्स एवं विज्ञान संकाय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं पर अत्याचार की बढ़ती संख्या से महिलाओं में बढ़ते हुए आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर स्थित जवाहर लाल नेहरु चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाने की घोषणा के उपरान्त भी उक्त अधिनियम नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा के छावनी इलाके में कम्प्यूटर में संदिग्ध विस्फोट से हुई दो किशोरों की मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

8. श्री अमराराम एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान पथ परिवहन निगम के सीएमडी द्वारा अनैतिक तरीके से नियुक्तियां करने, बसों की खरीद एवं ई-टिकटिंग के कान्ट्रेक्ट में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले में दुबारा ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से रबी की फसल को हुए नुकसान का विशेष मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, जिला अलवर के लगभग सभी श्मशानों एवं कब्रिस्तानों में हुए अतिक्रमणों को नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमराराम, श्री अनिल जैन एवं श्री ज्ञानदेव आहूजा को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में आधार कार्ड बनाने में जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की कच्ची बस्तियों के नियमन की विसंगति को दूर कर पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।

4. श्री सुखराम नेतड़िया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की गोचर भूमि पर झौंपड़ियां बनाकर रह रहे गरीब एवं अशिक्षित परिवारों को बेदखल नहीं करने के सम्बन्ध में।

5. डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से तहसील बहरोड़ के ग्राम गूंती की कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी हक नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

6. श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के तीर्थराज हल्देश्वर एवं सिवाना के ऐतिहासिक दुर्ग को पर्यटन स्थल घोषित कर विकास करने के सम्बन्ध में।

7. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्करगढ़ को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।

8. श्री अब्दुल सगीर खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर का बी.पी.एल.सर्वे पुन: कराकर वास्तविक लोगों के नाम जोड़ने के सम्बन्ध में।

9. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से राज्य के राजकीय विद्यालयों को प्रदान की जा रही एस.एफ.जी. राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्य की ओर से चम्बल धौलपुर-भरतपुर परियोजना से कुम्हेर एवं सेवर के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

11. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में डाक्टर्स की अत्यधिक कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री महावीर प्रसाद जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को आज पढ़ा हुआ माना जा रहा है क्योंकि काफी माननीय सदस्यों को बोलना है, इसलिए इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

(श्री अध्यक्ष)

श्री अमराराम।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा कारित कथित अनियमितताएं

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में बड़े-बड़े लोग तो अपनी निजी कारों से चलते हैं, लेकिन आम जनता राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करती है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज 65 साल के बाद भी राजस्थान पथ परिवहन निगम की सेवाएं नहीं हैं, सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर तक उसकी सेवाओं से जोड़ा जाये, जिससे राजस्थान का आम आदमी राजस्थान पथ परिवहन निगम की सेवाओं का लाभ उठा सके।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन पिछले तीन सालों से राजस्थान पथ परिवहन निगम को वहां के सीएमडी चूना लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा सीएमडी पहले कभी नहीं आया। राजस्थान पथ परिवहन निगम को जिस तरह से लूट का केन्द्र बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आरएएस की भर्ती होती है, आरपीएस की भर्ती होती है, सब तरह के गजिटेड अफसरों की भर्ती होती है। राजस्थान के परिवहन निगम में भी चयन बोर्ड बना हुआ है। इन तीन सालों से पहले भी चाहे वह ड्राइवर, कंडक्टरों की भर्ती हो, चाहे अधिकारियों की भर्ती हो, राजस्थान परिवहन निगम के बोर्ड द्वारा हमेशा भर्तियां होती रही हैं लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार या अनियमितताओं का आरोप राजस्थान पथ परिवहन निगम पर नहीं लगा।

राजस्थान पथ परिवहन निगम देश के अन्य निगमों से बहुत मजबूत स्थिति में, अग्रणीय स्थिति में है। लेकिन जिस तरह से परिवहन निगम को चूना लगाने का काम किया जा रहा है, रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्ती का काम है, आरएएस की भर्ती राजस्थान में होगी लेकिन परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती दिल्ली जाकर होगी क्योंकि वह एम.डी. साहब की नजदीकी कम्पनी है। ना केवल भर्ती दिल्ली में होगी बल्कि जिसका

(श्री अमराराम)

भ्रष्टाचार हुआ, जिन्होंने मैरिट में स्थान प्राप्त किया उनको नियुक्तियां नहीं दी गयीं। लाखों रुपयो लेकर, करोड़ों का घोटाला करके, इसको केवल बिजनस बनाकर लोगों को नियुक्तियां दी गयीं जो कि कट आफ मार्क्स से भी नीचे थे। जिसके कारण राजस्थान उच्च न्यायालय में एक हजार से ज्यादा लिटिगेशन हुए।

अध्यक्ष महोदय, जो लोग हाई कोर्ट गये, उनको हाई कोर्ट ने बुलाया, जितने भी हाई कोर्ट में गये उन एक-एक प्रार्थी को नियुक्तियां दी हैं। उसके बाद जब यह आरटीआई से लिया गया, दूसरों के नम्बर ज्यादा होते हुए उनको नियुक्तियां नहीं दी गयीं, उनसे नीचे वालों को दे दी गयीं, उसके बाद वह हाई कोर्ट गये। मैं समझता हूं कि इसमें 100 से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां दी गयी हैं। इनको नियुक्तियां दे दी गयीं और उसके बाद जो लोग गये उनको यह कहकर के मना किया जाता रहा है कि पोस्टें जो 500 के करीब विज्ञप्ति से निकाली थीं, उनको भर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का भ्रष्टाचार इन नियुक्तियों में हुआ है, इनके अधिकारियों की नियुक्ति में हुआ है। आज भी हमारे पड़ौसी राज्य हरियाणा का पूर्व मुख्य मंत्री और उनका पुत्र नियुक्तियों में घोटाले के कारण जेल के अन्दर हैं। राजस्थान की सरकार अगर पारदर्शिता चाहती है तो इन सीएमडी को वहां से निलम्बित करके इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, जिन लोगों ने भी राजस्थान के परिवहन निगम को करोड़ों का चूना लगाकर अपनी जेब भरकर, जो योग्यता रखते हैं उनकी भर्ती नहीं करके, अयोग्य लोगों को भरने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान पथ परिवहन निगम, जनता का निगम है, जनता के पैसे से बना है। राजस्थान में वोल्वो और मर्सीडिज का बीमा कराया जाता है। बीमा करने के लिए जितनी भी मोटर्स का बीमा करने वाली कंपनियां हैं उनको इनवाइट करते हैं और जो कम से कम राशि में बीमा करता उससे बीमा करवाते तो बात समझ में आती। यह अक्षय मेहता कौन है, सीएमडी के उनके साथ क्या सम्बन्ध हैं और क्या लेन-देन है? राजस्थान पथ परिवहन निगम की वोल्वो और मर्सीडिज का बीमा किया जाता है और बीमा में कम दर नहीं, अक्षय मेहता को एजेंट का, कि यह जिस कम्पनी से करा रहे हैं, आप इनको कमीशन दीजिये। यह केवल परिवहन निगम को चूना लगाने का काम है।

(श्री अमराराम)

अध्यक्ष महोदय, परिवहन निगम में नियुक्तियां हों, वोल्वो और मर्सीडिज का बीमा किया जाये तो उसके लिए भी एक कमीशन एजेंट अपनी तरफ से नियुक्त करने का काम करते हैं। मंत्रीजी बता दें कि क्या इन सीएमडी से पहले भी, जब बसों का इंश्योरेंस कराया गया है तो क्या ऐसे एजेंट नियुक्त किये गये हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, लो फ्लोर बस के साथ में एग्रीमेंट किया गया, एग्रीमेंट में पहले साल दो डिपो, सांगानेर आगार और विद्याधरनगर आगार डिपो, उनको चलाने के लिए, संचालन के लिए एग्रीमेंट किया गया। हर डिपो को 5 लाख रुपये और इनके संचालन के लिए टायर, डीजल इनमें जितना खर्च होता है उसका 10 प्रतिशत और जितनी टोटल लो फ्लोर की इन्कम होगी उसका 3 प्रतिशत का एग्रीमेंट किया गया कि वह राजस्थान परिवहन निगम इसका उपयोग करने के लिए। 6 महीने बाद परिवहन निगम को चूना लगाया जाता है, 10 प्रतिशत भी नहीं मिलेगा, 3 प्रतिशत टोटल इन्कम का भी नहीं होगा तो मतलब किस तरह से इस परिवहन निगम को चूना लगाने में सीएमडी लगे हुए हैं क्योंकि परिवहन निगम को चूना लगाना उनका धर्म बन गया, उनकी जेब करोड़ों रुपये भर कर योग्य लोगों को छोड़कर अयोग्य लोगों को करोड़ों रुपये लेकर नियुक्ति देने का, केवल इसी में लगे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में जितने भी निजी आपरेटर हैं उनसे राजस्थान तमाम जो लम्बी दूरी की बसें थी, सीकर से अहमदाबाद, सीकर से उदयपुर, तमाम राजस्थान के 45-48 डिपो में जितनी भी लम्बी दूरी की बसें थीं, प्राइवेट आपरेटरों से मिलकर उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन तमाम लम्बे रूटों की गाड़ियों को बन्द करके परिवहन निगम को चूना लगाया और निजी आपरेटरों को फायदा पहुंचाया।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि खेतड़ी से रावतभाटा, उदयपुरसिटी-देहली, शिड्यूल बन्द कर दिया गया। दिल्ली वाया सीकर, भरतपुर, टोंक, जितने भी राजस्थान के डिपो हैं, एक डिपो नहीं छोड़ा। सीकर से अहमदाबाद बस चलती थी, अब सीकर से अहमदाबाद बस बन्द करके कह दिया कि ब्यावर से अहमदाबाद चलेगी। सीकर का आदमी अहमदाबाद जाने के लिए पहले एक बस से ब्यावर जायेगा, वह ब्यावर काहे

(श्री अमराराम)

को जायेगा, वहां से चलने वाली प्राइवेट बस में जायेगा। इसमें कितना हिस्सा-पांती उनका है, क्यों न आज किया जाय? माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हालत आज सीकर में छठी फेल चीफ मैनेजर ...(व्यवधान) एक मिनट, मलिंगा साहब।

1995 में फर्जी डाक्यूमेंट के आधार पर जिस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया गया उसको यही चीफ मैनेजर लगाते हैं और जब विधान सभा में सवाल उठता है तो उसको चीफ मैनेजर से हटाते हैं और उनको लाभ पहुंचाने के लिए योग्यता में शिथिलता देने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी का उनके साथ क्या सम्बन्ध है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): वापस फरमायें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान परिवहन निगम का एक कर्मचारी जो फर्जी डाक्यूमेंट के आधार पर परिवहन निगम में नियुक्ति प्राप्त करता है, जो छठी फेल है, 1995 में इसके खिलाफ शिकायत हुई, जांच हुई। क्या कोई भी व्यक्ति जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी पास की हो, किसी भी विश्वविद्यालय से बीएससी या बीए पास किया अगर ओरिजनल खो गया तो क्या उसका डुप्लीकेट नहीं मिल सकता? 1995 से लेकर आज तक जब-जब इसको टर्मिनेट कर दिया गया तो वापस मिलीभगत करके इनको वापस ज्वाइन करा लिया गया फिर इनको चीफ मैनेजर दिल्ली, जयपुर डिपो, सीकर, जहां-जहां भी किया, जो छठी फेल आदमी है उसने बीए और एमए पास लोगों का फैसला करके सैकड़ों लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जो छठी फेल है, उसने आज तक सैकण्डरी और सीनियर पास का सर्टिफिकेट, मंत्रीजी बता दें, छठी फेल आदमी एमए पास का फैसला कर रहा है। मैंने मंत्रीजी को फोन करके कहा था, मंत्रीजी यह आपका विभाग छठी फेल चीफ मैनेजर सैकड़ों लोगों की नौकरी को कुर्बान कर चुका लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उसको शह देने का काम किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो यह सब, जिस स्कूल में वह पढ़ा है, वह मैं आपको दे सकता हूं। आपका सीएमडी उसको बचाने के लिए लगातार प्रयास करता है, उसको बचाने के लिए योग्यताएं कम की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि यह कह दो फिर छठी फेल नहीं अनपढ़ भी चीफ मैनेजर बनाकर राजस्थान परिवहन निगम को चूना लगाने का काम करेगा। (व्यवधान) है ही छठी फेल, छठी में बैठा और पास नहीं हुआ।

श्री पेमाराम (धोद): छठी फेल?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या होगी कि वह नियुक्तियों में घोटाला करे और वह परिवहन निगम के साथ प्राइवेट आपरेटरों से मिलकर राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात करे, रोडवेज को चूना लगाये, रोडवेज में ऐसे अधिकारियों को प्रोटक्ट करे जो फर्जी नियुक्ति के बाद भी आज तक परिवहन निगम में नौकरी कर रहे हैं। आप तो मंत्रीजी बता दें, मैं नहीं समझता कि सीएमडी के और उस छठी फेल के क्या सम्बन्ध हैं। घरेलू सम्बन्ध है, यह मैं नहीं कहना चाहता, आप क्यों बचाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: आपको पता है क्या, क्या सम्बन्ध हैं?

श्री पेमाराम (धोद): हां।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैंने मंत्रीजी को बताया है।

श्री पेमाराम (धोद): जगजाहिर है, छठी फेल, +++ इसलिए उसको बचाये रखा है। एक ही कारण है, +++ से और राजस्थान की सरकार, राजस्थान की सरकार उस सीएमडी को इसलिए बचाना चाह रही है, यह हालत है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से एक ही निवेदन है कि आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो तुरन्त इस सीएमडी को यहां से हटा करके क्योंकि जिसकी जांच फर्जी मान ली गई और परिवहन निगम के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मान ली और वह सीएमडी कह रहा है उसके नीचे का साधारण कर्मचारी उसकी फिर जांच करेगा, इसका मकसद क्या है? जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सीनियर आईएएस ने जांच करके कह दिया कि यह बिलकुल फर्जी नियुक्ति है उसके बाद में अगर सीएमडी कहता है कि मेरा अदना सा अधिकारी उसमें फिर जांच करेगा तो इसका मतलब साफ है इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी घोषणा करें कि ऐसा सीएमडी जो राजस्थान की जनता को चूना लगाकर प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, हिस्सा पांती करके अपनी जेब भरने का, फर्जी नियुक्तियां करता है, यह हटाने लायक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी लोग गये कोर्ट में, मंत्रीजी बता दें, कोर्ट ने कहा कि इन सबको नियुक्ति दो, उसके बाद गये उनको भी कहा कि नियुक्ति दी जाये क्योंकि इनसे कम अंक वाले नियुक्त हुए हैं पैसे देकर। तो मेरा निवेदन है कि उच्च स्तरीय जांच वहां से उसको हटाकर, निलम्बित करके

(श्री अमराराम)

निष्पक्ष जांच की जाये, फर्जी डिग्री से जितने भी लोगों को वहां छठी फेल आदमी ने एम और बीए पास लोगों को नौकरी से निकाला उसकी पुन: जांच की जाये। उसको क्या हक है कि एमए पास का छठी फेल निर्णय कर रहा है, निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाये। कमीशन में जिस तरह से इन्श्योरेंस के कमीशन एजेण्ट मेहता को बैठाया जाता है, निश्चित रूप से आप कार्यवाही करेंगे और राजस्थान की जनता को राहत देने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अपनी बात कहें इससे पहले मैं एक निवेदन छोटा सा करना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चित चीफ मैनेजर है, 1995 में जांच के बाद जिसको टर्मिनेट किया गया।

श्री अध्यक्ष: हो गई बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के एग्जामिनेशन में यह सारा मामला आया था। कमेटी ने सिफारिश की, हमने अध्यक्ष महोदय, आपसे गुहार की कि छठी फेल आदमी अगर एक बार निर्णय के बाद, जांच के बाद अगर इसको हटाया गया, कोर्ट के आदेश से वापस आ गया तो कोर्ट में कार्यवाही सक्षम अधिकारी ने क्यों नहीं की? दूसरा सवाल मंत्री महोदय, यह भी है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस में चर्चा होने के बाद भी उसका बाल बांका नहीं होता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और चार-चार बार आपने किराया बढ़ाया और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चित चीफ मैनेजर के बारे में...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो बाद में खड़ा करेंगे पहले तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक-दो बार नहीं, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि तीन बार इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में चर्चा हुई और चर्चा होकर यह कहा गया कि इसके खिलाफ कार्यवाही करो तो भी मंत्री महोदय, क्या सुरखाब के पर आए हैं उसमें? क्यों नहीं कार्यवाही करते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप? एक तरफ आपने राजस्थान की जनता पर इन चार सालों में चार बार किराया बढ़ाया है, 28 फीसदी किराया बढ़ा कर राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया है और दूसरी तरफ आप इस तरह के भ्रष्ट को बचाना चाहते हो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, मतलब मुख्य मंत्री के आदेश भी नहीं चलते। यह मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय से 7.6.2011 को माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों के जवाब के क्रम में उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त निम्न पत्र आपके विभाग से सम्बन्धित हैं, जो मूल ही संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही कर भिजवाये जा रहे हैं। 7.6.2011 और आज है 2013 तो राजस्थान के मुख्य मंत्री की ही नहीं चलती तो फिर कौन शासन चला रहा है?

श्री अध्यक्ष: एमडी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): छठी फेल एमडी, मंत्रीजी, आपके पास नहीं हो तो मुख्य मंत्रीजी की चिट्ठी मैं दे दूं आपको?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं खुद ही आपकी सेवा में हाजिर हूं, अभी सारी बात आ जाएगी। आप बिराजिए। यहां जो भी होगा, आसन की आज्ञा से होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, माननीय मंत्रीजी निश्चित रूप से मृदुभाषी भी हैं, मंत्रीजी का सीएमडी पर कंट्रोल नहीं है, यह हम नहीं कह रहे हैं। यह अगर सारी बात रखें तो सदन के बाकी विधायक भी इन सीएमडी से परेशान हैं अध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर मामला है कि इसके ऊपर सरकार को, मंत्री जी को कार्यवाही करनी चाहिए। सदन के अन्दर बार-बार यह मामला उठ रहा है और अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही मामला हुआ लोकतंत्र के अन्दर अपनी यूनियन चलाने का हक है, चाहे सीटू हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे एटक हो लेकिन आपके सीएमडी जो यूनियन चला रहे हैं, उनके जितने लीडर हैं, उनसे, अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं और केवल जिले से ही नहीं, जयपुर से ही नहीं, ठेठ बिलकुल डिपो के ऊपर इनकी आंखें टिकी हुई हैं। अनूपगढ़ से अमृतसर बसें चलती थीं, अनूपगढ़ से चलकर बसें जयपुर तक आती थीं, मगर

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सारा का सारा निजीकरण किया, बड़े-बड़े पूंजीपतियों से सीधा सम्पर्क है, हमारा आरोप है और आप यह देखिए कि कितनी बसें बंद करके जहां लोगों का आवागमन था, मतलब गरीब आदमी के लिए राजस्थान परिवहन निगम की बसें जो हमारे पड़ोसी राज्यों से ज्यादा बेहतरीन चलती हैं, मगर जब से सीएमडी आए हैं, तब से पूरा का पूरा रोडवेज का भट्ठा बैठा दिया गया है और मंत्रीजी का इनके ऊपर अंकुश नहीं चल रहा है, मंत्रीजी का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सभापति महोदय, ऐसा ही मामला मैंने मंत्रीजी को दिया था। हमारे एक सीटू के कर्मचारी जिसका वहीं के चीफ मेनेजर ने स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया हुआ है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर पर डिस्कस करने लगे हैं, माननीय सदस्य ट्रांसफर डिस्कस कर रहे हैं, विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने खुद सीएमडी को फोन किया है, मेरे सामने इन्होंने बात की है। हमारे यहां जो कर्मचारी आपके लिए लड़ते हैं, रोडवेज को बचाने के लिए लड़ते हैं, उन कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज हुए कि इन्होंने प्राइवेट बसों के खिलाफ बगावत की है और आपके एक मात्र लैटर पर, एक नहीं दो-दो बार हमारे अनूपगढ़ में जो महेन्द्र सिंह बूटर, यूडीसी हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, अनूपगढ़ से उठा कर फालना लगा दिया और आपके कहने के बाद में वापस अनूपगढ़ आया है और फिर आपके सीएमडी ने पिछले 4-5 महीने पहले उठाकर उनको सरदारशहर लगा दिया। एक-एक कर्मचारी की लिस्ट इनके पास है और उनके ऊपर यह हफ्ता वसूली करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपके माध्यम से मांग है कि यह सारा सदन इस बात से परेशान है, सारे एमएलए और यहां तक कि मंत्रीजी भी परेशान हैं इसलिए सीएमडी को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए, राजस्थान रोडवेज को बचाया जाए, यह गरीब का साधन है और जब तक यह सीएमडी रहेंगे, यह रोडवेज का भट्ठा बैठा देंगे पूरा का पूरा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिए, जवाब दे रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्थगन के माध्यम से जो विषय उठाया और आपने अपनी ओर से रोडवेज की गड़बड़ियों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया सदन का, मैं उस

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

विषय में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2009-10 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 2375 कार्मिकों की भर्ती की घोषणा की गई थी। इस क्रम में इस भर्ती को किये जाने के लिए निगम द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर यह भर्ती किये जाने का निवेदन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निगम मण्डलों से भर्ती सम्बन्धी कार्य उनके कार्य क्षेत्र से बाहर होना बताते हुए भर्ती करने में अपनी असमर्थता जाहिर की गई, तत्पश्चात् निगम द्वारा आल इण्डिया स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एसोशिएशन, नई दिल्ली को भर्ती किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया, किन्तु उनके द्वारा भी सूचित किया गया कि उनके द्वारा भी भर्ती सम्बन्धी कार्य नहीं किया जाता है। तत्पश्चात् 18.2.2010 में भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में बोर्ड ने 14/242/10 में प्रस्ताव प्रेषित किया। भर्ती सम्बन्धी कार्य निजी भर्ती एजेंसी के माध्यम से पूर्ण करवाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया एवं चालक, परिचालक पद पर भर्ती की पात्रता में भी संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें परिचालक पद की योग्यता व चालक हैवी लाइसेंस की पात्रता एवं चालक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता आठवीं के स्थान पर सैकण्डरी उत्तीर्ण, परिचालक लाइसैंस की पात्रता भी सम्मिलित की गई।

तदुपरांत 793 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया व प्रकाशित करने के बाद उक्त पदों पर संशोधित पात्रतानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। 30.4.2010 को अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद जिसके क्रम में निजी भर्ती एजेंसी के ईओआई के माध्यम से टू-बिड-सिस्टम में प्रस्ताव आमंत्रित किया गया तथा न्यूनतम दरदाता एजेंसी का दिनांक 17.8.2010 को चयन किया जाकर निजी भर्ती एजेंसी से 12.10.2010 को अनुबंधित किया गया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रथम विषय माननीय सदस्य ने उठाया, उसके क्रम में निवेदन करना चाहता हूं कि भर्ती की प्रक्रिया तय किये जाने के सम्बन्ध में यह प्रयास किये गये। इस बात से अलग हटते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसे विषयों को भी जो माननीय सदस्य ने उठाया, मैं उन पर बिन्दुवार प्रयास करूंगा, आपकी इजाजत से सदन को और उनकी भावनाओं को ...(व्यवधान) आप विराज जाइए माननीय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पहले भी कभी आरपीएससी से हुआ है क्या?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सदस्य ने जो विषय उठाये हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बोर्ड बना हुआ है निगम में जो इस भर्ती के पहले ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा ...(व्यवधान) आपने जो विषय उठाये, मैंने उन विषयों को बिन्दुवार नोट भी किया है, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इतना धीरज तो रखें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी यह बता दें कि इससे पहले भी आरपीएससी से भर्ती हुई है क्या? कंडक्टर, ड्राइवर की पहले भी आरपीएससी से भर्ती हुई है क्या? राजस्थान परिवहन निगम की भर्ती करने के लिए बोर्ड बना हुआ है, उससे पहले आज तक होता आया है तो फिर प्राइवेट कम्पनी से कराने का मतलब क्या था? आरपीएससी को रिक्विजिशन भेजने का मतलब क्या था? ड्राइवर, कडक्टर की कभी आज तक हुई है भर्ती आरपीएससी से?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): यह बात तो आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए न।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप बताओ विज्ञापन हुआ, यह बताओ कि इससे पहले हुआ था क्या ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): यहां तथ्यों से अवगत होना चाहेंगे क्या आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह आल इण्डिया ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन कह रहे हो, इसकी रिक्विजिशन भेजी दिल्ली में, यह कौन सा कारपोरेशन है आल इण्डिया ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन? पहली बार सुन रहे हैं, राजस्थान में भर्ती हो और दिल्ली के अन्दर एक आल इण्डिया ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन से सम्पर्क किया कि वह भर्ती कर लें। क्यों मजाक कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ): यह ज्यादा नम्बर वाले रह गये, कम नम्बर वालों को इन्होंने नियुक्ति दे दी, यह आप कहो तो लिस्ट दे दूं, यह कैसे हुआ, यह किस आधार पर हुआ? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंत्रीजी, कहिए आप अपने एमडी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

से, उनकी कालोनी है यह, आपको लेकर डूब रहे हैं, मंत्रीजी बोलना नहीं है, यह आपको लेकर, आपके डिपार्टमेंट को लेकर डूब रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, अलवर में भी एक ऐसे चीफ मैनेजर को लगाया गया था जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के मामले थे (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सवाल भी आप खड़ा करो, आप थोड़ा संयम बरतिये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, अलवर में भी एक ऐसे चीफ मैनेजर को लगाया गया था जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के मामले थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसको पकड़ा था और उस आदमी को दोष रहित हुए मंजीत सिंहजी जो यहां सीएमडी हैं, इन्होंने उस आदमी को अलवर में पदस्थापित किया। क्या कारण था ऐसे व्यक्ति को वहां पदस्थापित करने का जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के मुकदमे लगे हुए थे? उस आदमी को दोषरहित हुए बिना अलवर में पदस्थापित करने का क्या कारण था?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात आती है वर्तमान सीएमडी की, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य ने भर्ती से अपनी बात को प्रारम्भ किया है तो यह भर्ती प्रक्रिया जब प्रारम्भ हुई थी तब तत्कालीन सीएमडी पी.के. देव थे, उनके द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया। इसके साथ-साथ पारदर्शिता बरतते हुए इस भर्ती की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसमें जो कोई भी पात्र थे, जिन्होंने आवेदन किये, जो परीक्षा में बैठे, जो अभ्यर्थी थे और जिनका सलैक्शन नहीं हो पाया उन्होंने इसके लिए अदालत में, जो कि उनका अधिकार है, अपना पक्ष रखा। अदालत से समयानुसार जो कोई भी निर्देश जारी किए गए उन निर्देशों की पालना की गई और उस पालना को किया जाना और आज भी माननीय न्यायालय के दिए गए आदेश को मानना जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और उसका निर्वहन करने में रोडवेज और राज्य सरकार हर समय तत्पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय से जो चाहा गया उसके अनुरूप कार्य किया गया। तीसरा विषय आपने यहां पर लो-फ्लोर बसों के संचालन के बारे में उठाया...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... आप मान चुके हैं कि अदालत से निर्देश दिये गये...(व्यवधान) इससे यह साबित हो गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): .... आप अपने अधिकारी को .... (व्यवधान) पूरे राजस्थान में आपके सीएमडी ने भट्टा बिठा दिया है रोडवेज का। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जेसीटीएस और आरएसआरटीसी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, दोनों गवर्नमेंट के उसी के द्वारा ..... (व्यवधान) की जा रही है। एक विषय जो आपने बस के बारे में उठाया उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ये फर्जी नियुक्तियां भी पी.के. देव के वक्त हुई हैं क्या? ये जो पैसे लेकर नियुक्तियां हुईं...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जहां तक बात आपने अगली लम्बी दूरी की बस के बारे में फरमाई तो लम्बी दूरी की बसों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उन बसों को बन्द नहीं किया बल्कि उनका रूट प्रेस्क्राइब किया गया है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियुक्तियों के बारे में अवैध माना है न्यायालय ने उसके बाद भी उन नियुक्तियों को वैध कर रहे हैं तो अध्यक्ष महोदय, न्याय किससे मांगोगे? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जो उदाहरणस्वरूप अपनी बात फरमाई तो ब्यावर से मेरठ चलने वाली बस है इसको ब्यावर से जयपुर और जयपुर से मेरठ किया गया क्योंकि रोडवेज की जो स्थिति है यह स्थिति ठीक नहीं थी। रोडवेज की व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि आमजन को यातायात का एक सुगम साधन उपलब्ध हो और रियायती यात्रा का किराया लगे। इस बात को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पहल करते हुए रोडवेज को आर्थिक संकट से उबारने के क्रम में जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जो प्रावधान किए गए वो इस सदन के माध्यम से ही पेश किए गए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस घाटे को कम करने के लिए.... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आप तो उस सीएमडी को हटाने का इरादा रखते हो या नहीं रखते हो? मंत्रीजी, आप अधिकारियों के दबाव में हैं.... (व्यवधान) आप इनको हटाकर अपनी जांच बिठाओ और जांच में जो

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

तथ्य आयेगा वो देख लेंगे। ये सारे के सारे माननीय सदस्यों की, हमारी शिकायत आपके विभाग से है, आपके सीएमडी से है, आपके सीएमडी ने पूरे राजस्थान में भट्टा बिठा रखा है, आप अपने सीएमडी को बचाने का प्रयास कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इस प्रकार के रूट प्रेस्क्राइब किए गए हैं। (व्यवधान) जहां तक एक विषय उठाया गया भर्ती का। उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान) भगवान सिंह नाम के व्यक्ति की भर्ती के बारे में कहा गया...(व्यवधान) उस कार्मिक की नौकरी को लेकर, उसकी योग्यता को लेकर, उसकी पदोन्नति को लेकर..... (व्यवधान) उसकी तारीख 29.3.2013 को है और माननीय न्यायालय द्वारा जो भी फैसला किया जाएगा उस फैसले का पालन किया जाएगा यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आपके सीएमडी के ऊपर तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, जब तक आप अपने सीएमडी को नहीं हटाओगे... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ठेके पर दे रखा है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जहां तक ऐसी कोई बात आती है तो पारदर्शिता प्राथमिकता है, पारदर्शिता को अपनाते हुए समय-समय पर जांच कराई गई.... (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सीएमडी को हटाइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ऐसे भ्रष्ट और बेइमान जो हैं, (व्यवधान) यह जो पैसे लेकर नियुक्तियां की हैं, जिस तरह से रोडवेज को चूना प्राइवेट बस आपरेटर्स से मिलकर लगाया है, अगर मंत्रीजी, ...(व्यवधान) बचाने का काम करोगे तो... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरा सदन इसके भ्रष्टाचार से चकित है क्यों नहीं इस सीएमडी को हटाया जाता और उसमें भी मंत्री उसको बचाने का करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष खड़े हुए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग की चर्चा इस सदन में पहले भी हुई और आज भी हुई। आपके उत्तर में कहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह नहीं आया कि सारा सदन जिस बात को कह रहा है, उसके कारण सैकड़ों अनियमितताएं वहां हो रही हैं और आप अपना जवाब इस सदन में भी अगर संतोषप्रद देकर इस पर कार्यवाही नहीं कर सकते हो तो फिर यह सदन, आप और हम सब यहां यह गीत किसलिए गा रहे हैं और इन गीत का क्या अर्थ निकलेगा? सात करोड़ जनता हमारे पर हंसेगी कि सदन में इतना महत्वपूर्ण विषय इतने माननीय सदस्यों ने इतनी बार उठा दिया हो और मुख्य मंत्री के पत्र जाने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, अगर डिपार्टमेंट के सामने पंगु है तो ऐसी पंगु सरकार का हम विरोध करके सदन से बहिर्गमन करते हैं। क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप जानकारी अगर चाहें तो यह बात रिकार्ड में है.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या निकाला? हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ... यह थोड़े ही होता है, पूरा रिकार्ड है। आप शालीनता की सीमा में बात करिये। जो बात रिकार्ड में है वो रिकार्ड में है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतने बड़े सदन में यह है... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अदालत से ऊपर आप नहीं हैं, अदालत से ऊपर हम भी नहीं हैं। अदालत के निर्देशों की पालना में 29.3.2013 को जो निर्णय आयेगा उस निर्णय की पालना की जाएगी। (व्यवधान) उसके बावजूद भी आप जांच मांग रहे हैं, न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हो तब तक यह सम्भव नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान के मुख्य मंत्री का भी नहीं मान रहे हैं। इस जवाब के विरोध में हमारे साथी वैल में इस बात के लिए धरना दे रहे हैं। सरकार पारदर्शी हो वरना हम वैल में धरना देते हैं।

(माननीय सदस्य श्री अमराराम (दांतारामगढ़), श्री पेमाराम (धोद), श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) एवं श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) का सदन कूप में धरना)

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बाबूलाल नाम के आदमी को चार वर्ष से मृत घोषित कर रखा है, हाई कोर्ट भी कह रहा है कि वो जिंदा है मगर डिपार्टमेंट नहीं मान रहा है। जिंदे आदमी को डिपार्टमेंट मृत बता रहा है।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ की सब डिपो इकाई को बंद कर दिया गया है बल्कि उल्टा गलत उत्तर भी दिया गया है कि कार्य संचालन राजगढ़ से किया जा रहा है। मंत्री महोदय, बार-बार अनुनय-विनय करने के बावजूद भी नहीं किया गया। (व्यवधान)

(12.38 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: आप कैसे मान रहे हो कि चार ही हैं? मेरे तो पांच हैं। आपके भी पांच हैं। माननीय श्री अनिल जैन।

झालावाड़ जिले में रबी की फसल को दुबारा हुए नुकसान का विशेष मुआवजा

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में खानपुर विधान सभा क्षेत्र में बकानी उप तहसील के किसान आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। दो दिन पूर्व भारी ओलावृष्टि, तूफान और तेज बारिश होने से बकानी उप तहसील के 175 गांवों में भारी तबाही मची है, किसान सड़क पर आ गया है, किसान के सामने अपनी आजीविका की समस्या खड़ी है। पूर्व में भी ओलावृष्टि से क्षेत्र में 70-80 प्रतिशत नुकसान दर्ज हुआ है और सरकार की ओर से किसानों को कुछ भी सहायता नहीं मिली। सरकार द्वारा मुआवजा देना तो अतिश्योक्ति होगा क्योंकि जिस तरह से सरकार ने 6-8 हजार रुपये की घोषणा पर-हैक्टेयर की की है तो यह मुआवजा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इसको हम केवल सरकारी सहायता कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि झालवाड़ जिले के किसानों से राम ही रूठ गया है। पहले बुवाई के समय महंगे खाद और बीज ने मारा, फिर रात को कड़ाके की ठण्ड में बिजली ने मारा, फिर फरवरी-मार्च माह में ओलावृष्टि व अति मावठ ने मारा। अब रही-सही कसर ऊपर वाले ने दुबारा दिनांक 16.3.2013 को आलोवृष्टि, मावठ और तेज तूफान से कर दी है। इस बार मेरे विधान सभा क्षेत्र के समस्त गांवों में तेज हवाओं के साथ मावठ और ओलावृष्टि हुई है जिससे समस्त गांवों की फसलों में शत-

(श्री अनिल जैन)

प्रतिशत खराबा हुआ है। इस वक्त मेरे क्षेत्र के किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है, किसान अपना सिर पकड़कर रो रहा है। उसमें तो अब इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि वह सरकार से मुआवजे की मांग करने हेतु दो-दो हाथ कर सके। इस ओलावृष्टि और मावठ से खेत में कटी हुई धनिया और सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धनिया काला पड़ने से उसके आधे दाम रह जायेंगे। सरसों की खड़ी फसल की फलियां सूख गई हैं, वे खेत में तड़क जायेंगी जिससे आधी फसल भी हाथ नहीं लगेगी। खेत-खलिहान में कटे हुए चने खेत तथा बाहरी नमी के कारण दुबारा उग जायेंगे जिससे चने की फसल बरबाद हो गई है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, खड़े-खड़े बात नहीं करें।

श्री अनिल जैन (खानपुर): ...सरकार तो घड़ियाली आंसू बहाती है। पिछली बार सरकार द्वारा अधिकतम दो हैक्टेयर तक केवल 3,000 से 6,000 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से पैकेज भी घोषित किया गया जो गरीब किसानों का मखौल उड़ाते हुए किसानों के घाव पर मरहम लगाने के बजाय उनके घावों को कुरेदा है। सरकार ने फसलों का आधा खराबा माना था, अब बची-खुची आधी फसल पर फिर कुदरत ने कहर ढा दिया। ऐसे में अब सरकार फसलों का कितना खराबा मानेगी, सरकार फिर वही...

श्री उपाध्यक्ष: यह 295 नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, आप मौखिक बात करो, पढ़कर नहीं।

श्री अनिल जैन (खानपुर): ...दो-तीन हजार रुपये की घोषणा करके किसानों के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश करेगी लेकिन वह किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। पूर्व में भी जो खराबा हुआ, उसकी किसानों को अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। बकानी और खानपुर क्षेत्र में पूर्व में जो ओलावृष्टि हुई, 70-80 प्रतिशत खराबा हुआ, उसको 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से कम बता दिया गया है। इससे किसानों को कोई सहायता नहीं मिल सकी। अब जो 16 तारीख को ओलावृष्टि हुई है, उसमें तो बकानी उप तहसील में 175 गांव हैं, पूरे के पूरे उन 175 गांवों में तबाही मच चुकी है, किसानों की फसलें खतम हो चुकी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि दो-तीन दिन के अन्दर ही उनका सर्वे करवाकर रिपोर्ट मंगवाई जाये और किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाये...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अनिल जैन (खानपुर): ...बीमा कम्पनियों को बाध्य किया जाये कि मार्च के महीने में बारिश हुई है। बीमा कम्पनियों के मापदण्ड में इसको लाकर, बीमा कम्पनियों को बाध्य करके किसानों को बीमा दिलवाया जाये क्योंकि बीमा कम्पनियां भी सरकार द्वारा संचालित हैं। केसीसी से किसानों का प्रीमियम कटता है, सहकारी समितियों से किसानों का प्रीमियम कटता है, इसलिए आज जब किसान सड़क पर आ गये, किसान चार वर्ष तक भी खड़े नहीं हो पायेंगे, आज इस स्थिति में किसान खड़ा है, उसकी तैयार फसल खतम हो चुकी है, ऐसे समय में सरकार को...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजिये। माननीय सदस्या चन्द्रकांताजी।

श्री अनिल जैन (खानपुर): ...बीमा कम्पनियों को बाध्य करके उनका बीमा दिलवाया जाना चाहिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से इसमें कुछ तो वक्तव्य दिलवाया जाये कि कितने दिन में उनको मुआवजा मिल जायेगा और उनके मुआवजे की कोई राशि बढ़ाई जायेगी। इसको मुआवजा कहना गलत है उपाध्यक्ष महोदय। आप भी किसान हैं उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला है, बीमा राशि दिलवाई जाये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: खतम करें माननीय सदस्य। ये आप ही की बात कर रहे हैं।

श्री अनिल जैन (खानपुर): बीमा के लिए उनसे कुछ वक्तव्य दिलवाया जाये। यह बहुत नाजुक मामला है, किसानों का मामला है उपाध्यक्ष महोदय। ऐसे मामले में मंत्रीजी से कुछ वक्तव्य दिलवाया जाये। आप देखिये, वहां की क्या हालत है झालावाड़ के किसानों की, खानपुर विधान सभा क्षेत्र के बकानी क्षेत्र के किसानों की।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन पूर्व शनिवार को हुई ओलावृष्टि की वजह से पूरे हाड़ौती में जिस तरह का कहर किसानों के ऊपर बरपा गया है, मुझे लगता है, किसानों को जो आंसू इस बारिश ने दिये हैं, पूरे घर में मायूसी का माहौल है। शनिवार को मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चाहे तेलेखेड़ी गांव हो, चाहे सुकेत का हिस्सा हो, चाहे उंडवा हो, तेलेखेड़ी गांव में तो 100-100 ग्राम के ओले गिरे

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हैं। ये खुद मैंने वहां पर जाकर देखा उपाध्यक्ष महोदय, किसान जब बीज मांगे, उसे बीज नहीं मिले, किसान जब खाद मांगे तो उसे खाद नहीं मिली, किसान जब बिजली मांगे तो उसे बिजली नहीं मिली लेकिन जो फसल किसान ने इतनी मेहनत करके तैयार की, जो फसल कटी हुई उसके घर में पड़ी थी चाहे धनिये की हो, चाहे गेहूं की हो...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में, संक्षेप में।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...उस पूरी फसल पर इस बारिश की वजह से, ओले की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ है और धनिये की फसल, रामगंजमण्डी विधान सभा का धनिया पूरे विश्व में विख्यात है, उस कटे हुए धनिये का उस बारिश की वजह से पूरा कलर चेंज हो चुका है और उसका जबरदस्त किसान को नुकसान हुआ है। धनिये की जो फसल खेतों में उगी हुई थी, वह पूरी आड़ी पड़ चुकी है, उसका पूरा बीज खिर चुका है, जो सरसों की फसल थी, उसकी पूरी फलियां फट चुकी हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूरा सर्वे करवाकर...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...किसानों को उनका मुआवजा दिलाया जाये। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय सदस्यों ने जो ओलावृष्टि का मुद्दा यहां उठाया है, हम सम्बन्धित जिला कलक्टर्स से इस बारे में जानकारी मंगायेंगे और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मानदण्ड के अनुसार उचित कदम उठायेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगी एक मिनट, पिछली बार भी जब ओलावृष्टि हुई थी...

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेवजी आहूजा। नहीं, अब इसमें क्वेश्चन नहीं होते।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): नहीं, नहीं, मेरा निवेदन है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेवजी आहूजा। केवल ज्ञानदेव आहूजाजी का अंकित होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अनिल जैन (खानपुर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ज्ञानदेवजी आहूजा।

रामगढ़ (अलवर) के श्मशानों एवं कब्रिस्तानों में अतिक्रमण व उनकी गैर-बेदखली

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरे राजस्थान में और हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में श्मशान और कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है। पहले तो स्थिति यह थी कि लोग कब्रिस्तान के पास...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंगलारामजी, विराजकर बात करो। पीछे सीट पर बैठकर बात करें। सीट है पीछे बैठ जाइये, बगल में बैठ जाइये। खड़े-खड़े नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...श्मशान के पास जाने से घबराते थे लेकिन समय बदला, कलयुग आया तो लोगों को श्मशान और कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जा करके, मकान बनाकर, खेती करने में भी अब कोई शर्म नहीं आ रही, उनको डर नहीं लगता।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो पांच थे, तीन कैसे रह गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और हर जगह के आंकड़े मेरे पास नहीं है, इसलिए उन आंकड़ों को, उन गांवों को नहीं बोलूंगा लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बहाला में श्मशान और कब्रिस्तान, दोनों पर अवैध कब्जा हो रहा है। ग्राम पंचायत अलावड़ा में आधे श्मशान पर लगभग कब्जा हो चुका है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सैदमपुर और सैदमपुर के तीन गांवों में श्मशानों पर और दो जगह कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जा हुआ है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बाम्बोली और ग्राम पंचायत जातपुर में भी श्मशान की 75 प्रतिशत जमीनों पर कब्जा हुआ है। लोग अवैध कब्जा कर चुके हैं। सलारपुर में कब्रिस्तान पर और चौरट इस्मरार और चौरट पहाड़ पंचायत में श्मशान और कब्रिस्तान, दोनों जगहों पर कब्जा हो चुका है। भैंसड़ावत में श्मशान का 80 प्रतिशत अवैध रूप से कब्जा लोग कर चुके हैं, वहां मकान और जमीन में खेती कर रहे हैं। पिपरोली, डोली में कब्रिस्तानों पर कब्जा हुआ है। इसी प्रकार से ग्राम साहडोली और उसके

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बासों में कब्रिस्तान पर और एकमात्र श्मशान पर भी अवैध रूप से कब्जे हुए हैं। ग्राम पंचायत ऊंटवाल और ऊंटवाल के तीन गांवों में नाकचपुर और बैरावास में, यहां पर भी श्मशान और कब्रिस्तान पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। लोग एसडीएम और तहसीलदार साहब को लिखकर देते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर को लिखते हैं, मुख्य मंत्रीजी को लिखते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही।

ग्राम पंचायत खूंटेटा और ग्राम पंचायत नीकट में खोराकरमाली, यहां खूंटेटा में श्मशान पर कब्जा हुआ है। मुकन्दबास में श्मशान पर कब्जा हुआ है, 10 बार वहां के ग्रामवासी एसडीएम और तहसीलदार को लिखकर दे चुके हैं, लेकिन वहां श्मशान पर लगातार कब्जा हो रहा है। दोहली गांव में श्मशान और कब्रिस्तान दोनों पर भारी अवैध कब्जा हुआ है। इसी प्रकार से ग्राम खिलौरा के श्मशान पर भी अवैध रूप से कब्जे हुए हैं। बार-बार लिखने के बाद भी सरकार की और प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ग्राम मस्ताबाद में भी इसी प्रकार से श्मशान पर कब्जा है। ग्राम केसरोली, चौमां, तिलवाड़ और चीड़वा, चीड़वा के पांच गांव हैं, पांचों गांवों में लगातार कब्जे हुए हैं। बार-बार लिखने और मेरे कहने के बाद भी प्रशासन और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ग्राम सुनेड़ा, ग्राम रसगण, दोंगड़ी, दोंगड़ी बास, झारेडा, इन गांवों की सूचना मेरे पास में है। इनके अलावा और भी कुछ गांव हैं जहां पर लगातार कब्रिस्तान और श्मशानों पर अवैध कब्जा हो रहा है या जमीन पर खेती की जा रही है या मकान बनाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है, विषय बहुत गम्भीर है। अगर मरने के बाद भी जनता को और हम लोगों को शांति नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? इसलिए सदन के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पंचायती राज मंत्री, रेवेन्यू मंत्री और सरकार व माननीय मुख्य मंत्रीजी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह अवैध कब्जे हटाये जायें, श्मशान और कब्रिस्तानों को मुक्त किया जाय। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये। माननीय श्री पेमारामजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर जिले में स्वीकृत सड़कों तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का कार्य

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने सीकर जिले में जो टूटी हुई सड़कें हैं उनका, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सबजेक्ट इसलिए लेकर आना पड़ रहा है कि एक तरफ जो सड़कें गारंटी पीरियड में हैं यदि वह सड़कें टूट जाती हैं तो जो ठेकेदार बनाता है उसकी गारंटी है वह पेच का काम करता है, पेच निकालने का काम करता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोसल से सिंगरावट तक की सड़क है गारंटी पीरियड की है, पचास दफा मैंने लिख-लिख कर दे दिया, विभाग के अधिकारी कान तक नहीं हिलाते और ठेकेदार उस सड़क की तरफ नहीं देखता, परिणाम यह है कि सीकर से जो जोधपुर जाने वाला मार्ग है वहां लोसल से लेकर सिंगरावट के बीच में एक-एक फीट के गहरे खड्डे हैं। यही नहीं, मेरे पड़ौस में दांतारामगढ़, दूधवा से कांटिया और कांटिया से बाजियावास गारंटी पीरियड की सड़कें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यही हालत नहीं है, गारंटी पीरियड की सड़कें पूरे जिले में मैं लिस्ट पढ़ूंगा, बहुत लम्बी है। मेरा निवेदन है कि विभाग को, मंत्रीजी को चाहिए कि गारंटी पीरियड की जो टूटी हुई सड़कें हैं उनके लिए अधिकारियों को निर्देशन दे कि या तो वह ठेकेदार से पूरी करवायें वरना उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें क्योंकि अधिकारी जो हैं वे उनसे मिले हुए हैं इसलिए अधिकारी उन ठेकदारों को कुछ कहते नहीं हैं और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जब हम चुनाव जीत करके आये थे यहां पर हर विधायक को साढ़े सात किलोमीटर सड़क मिली थी धार्मिक स्थल को जोड़ने की, आज भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जिले में, धार्मिक स्थल की जो सबसे पहले सन 2009 में मुख्य मंत्रीजी ने तमाम राज्य के दो सौ विधायकों को दी थी, हमारे जिले में वह सड़कें भी आज की तारीख तक पूरी नहीं कर पाये और न इनके अधिकारियों ने उस ठेकेदार को मिलकर न तो कोई उस पर पैनल्टी लगाई और न ठेकेदार को कहीं ब्लैकलिस्टेड करने का काम किया, उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ रहा है कि आज बीएसआर इनकी बढ़ती जा रही है और ठेकेदार काम करने से मुकरता जा रहा है। मैं समझता हूं, आप टोकेंगे नहीं, मेरी फरियाद है, मैंने मंत्रीजी को भी दो दफा लिखकर दे दिया....

श्री उपाध्यक्ष: कितनी देर? कितनी देर नहीं रोकें, आपकी रिक्वेस्ट है।

श्री पेमाराम (धोद): आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। अब यह फरियाद आपके पास ही लेकर आया हूं मैं तो। मैं तो यही चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत देर हो गई, देखिए, पता नहीं चल रहा है आपको, आप अच्छे वक्ता हो, बोलते जा रहे हो।

श्री पेमाराम (धोद): किसको कहें साहब। आप बताओ किसको कहें। तो मेरा निवेदन है कि जो सड़कें बननी चाहिए थी, समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्यवाही करें और उन ठेकेदारों को बचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी काम करें। इसी के साथ उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सड़कें ऐसी हैं जैसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, मेरे इलाके में है खूड़ी से लेकर दादिया तक, सारी की सारी टूटी हुई है। जिला सड़कें टूटी हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री पेमाराम (धोद): ग्रामीण सड़कें टूटी हुई हैं। एक-एक की मैं लिस्ट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो नान पेचेबल है, जिनके पेच नहीं निकाले जा सकते उनकी अविलम्ब सूची मंगा करके उन सड़कों को तुरन्त ही ठीक करवाया जाय तो मैं समझता हूं बेहतर होगा और इसी के साथ पुन: यह जो गारंटी पीरियड की सड़कें हैं उन ठेकेदारों से सही करवायें और जो...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री कैलाशचन्दजी भंसाली (अनुपस्थित) माननीय श्री फूलचन्दजी भिण्डा । (अनुपस्थित)

श्री पेमाराम (धोद): धार्मिक स्थल की सड़कें आज तक नहीं बनाई हैं उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्यवाही करें और ब्लैकलिस्टेड घोषित करने का काम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओम बिरला। (अनुपस्थित) माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्षजी, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

सूचना

संविदा वैद्यों की वर्ष 2002 के पश्चात् भी सेवा का नियमितीकरण नहीं

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, अगर किसी को इसमें मानवीय दृष्टि से कुछ लगता हो और कुछ करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो आपकी इच्छा सर्वोपरि है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष 2002 में जब आपकी सरकार थी तब 378 वैद्यों को हमने संविदा के आधार पर नौकरी पर लगाया था। अभी अपन 2013 में हैं, ग्यारह वर्ष हो गये और उस समय भी राज्य स्तरीय जो कमेटी बनी थी उसके आधार पर 2002 में इनको नौकरी पर लगाया। उसके बाद ग्रामीण कैडर के 2008 में आपने विधिवत एक कमेटी गठित करके इंटरव्यू कराये। इंटरव्यू कराये श्री अजीत कुमार सिंघवी तत्कालीन अध्यक्ष, वर्तमान में विभागीय, फिर कनकप्रसाद, तत्कालीन आयुर्वेद निदेशक, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, सदस्य सचिव, चयन समिति, शासन सचिव कार्मिक विभाग, सदस्य, इन लोगों की कमेटी बना करके दोबारा इनका 2008 में विधिवत चयन हुआ और चयन होने के बाद यह लोग काम कर रहे हैं, और उस समय से ही काम कर रहे हैं। पुन: साक्षात्कार के लिए इनको 2012 में फिर कहा गया कि दोबारा फिर साक्षात्कार होंगे। इन्होंने 2012 में फिर अपना साक्षात्कार दिया और उसमें भी इनका चयन हो गया लेकिन अब आश्चर्य आप इसको देखिये, सदन के माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका बच्चा हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, उसके मन की पीड़ा को समझना चाहिए। लगभग, तत्कालीन निदेशक इनका जो सारा रिकार्ड था वह सारा रिकार्ड ही गायब हो गया और रिकार्ड गायब हो जाने के कारण से इनका जो नियमितीकरण होना है वह ....

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये साहब, माननीय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इनका सलेक्शन हुआ उसका रिकार्ड ही गायब हो गया और उस रिकार्ड गायब हो जाने के कारण से इन लोगों का जो नियमितीकरण होना था वह नहीं हो पाया। उसके कारण तत्कालीन निदेशक के.सी. व्यास के खिलाफ दो वर्ष पूर्व ही एफआईआर दर्ज करवाई गई। राज्यपाल महोदय के द्वारा भी इसको चार्जशीट देकर नामजद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आरोपी साबित किया एवं माननीय न्यायालय ने भी उपरोक्त प्रकरण में आपराधिक कृत्य माना गया। इतनी तीन बड़ी अथारिटी ने इस रिकार्ड के गायब होने के बारे में अपनी सारी टिप्पणी कर दी लेकिन आज दिन तक रिकार्ड नहीं मिलने के कारण यह 378 आयुर्वेद के जो वैद्यों का सलैक्शन हुआ वह आज भी उसी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं जब पहली बार इनका सलैक्शन हुआ सोलह हजार समथिंग पर, उसमें न किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी हुई, न इनका स्थायीकरण हुआ, न विधिवत नौकरी आज की तारीख में यह कर रहे हैं। उसके कारण से उनको जिस प्रकार से मन में ग्लानि और नफरत हुई है, आज वह यहां सड़क पर आये हैं, सड़क पर आये नहीं हैं, आने के पहले भी 16 तारीख को मुख्य मंत्रीजी से, राज्यपाल से, जितने भी जन प्रतिनिधि हैं उन सबके पास उन्होंने कहा हमको इच्छा मृत्यु के लिए स्वीकृति दे दो, अब हमें ग्यारह साल अपने सारे प्रयत्न कर लेने के बाद भी अगर विभाग रिकार्ड नहीं ढूंढ सकता है और रिकार्ड गुम होने के कारण से जो एफआईआर 2012 जनवरी में दर्ज हो गई उस एफआईआर के बाद में भी किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो अच्छा यही है कि अब हमको जीने का अधिकार नहीं है। उनकी मांग क्या है, बड़ा सुन करके, पढ़ करके बहुत अफसोस होता है, रिकार्ड सरकारी अफसर ने गायब किया उसमें हमारा क्या दोष है, उनका क्या दोष है, जो रिकार्ड आपके आफिस से और आपके द्वारा जिस तरह से सलैक्शन हुआ उसमें रिकार्ड संधारण की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारा कोई दोष नहीं। एक ही पद के लिए तीन बार परीक्षा हुई और फिर भी न्याय हमको नहीं मिला। एक-एक बार नहीं, तीन-तीन बार सलैक्शन में जो सलैक्ट हो गये, जिस तरह की हाइएस्ट कमेटी बनकर आपने उनका सलैक्शन कर लिया, चार प्रकरण लम्बित हैं, क्या हम जीवन भर फिक्स मानदेय पर ही कार्य करेंगे। कसूर साक्षात्कार कमेटी का है, हमें सज़ा क्यों दे रहे हो। कानून की सज़ा दोषियों को, निर्दोष को क्यों दे रहे हो? चयन सम्बन्धी रिकार्ड शासन सचिवालय से गायब है, यह गायब को ढूंढने का काम किसका है? मैं सोचता हूं कि इतनी सब कार्यवाही और यह सारी की सारी आन पेपर, रिकार्ड पर सब कुछ है, आज वह आकर के यहां बाहर अपनी इच्छा मृत्यु आपसे मांग रहे हैं। मैं सोचता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को भी इस बारे में और सरकार को भी संवेदनशील होकर के अगर आपके यहां सलैक्शन हुआ उसका रिकार्ड कोई दूसरा, तो उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दोषी वह कैसे हो सकते हैं, उसको अपना नियमित वेतनमान मिलना चाहिए उसकी नौकरी का। ऐसा का ऐसा ही, बाकी लोग भी आये हैं, छठा वेतन आयोग आपने मैडिकल के डाक्टर को दे दिया क्योंकि वह सामूहिक, संगठित हैं, हड़ताल कर देते हैं, आपका बायकाट कर देते हैं, हास्पिटल को जाम कर देते हैं और यह ईमानदारी से अपना काम करते हैं, चाहे वह होम्योपैथी हों, चाहे यूनानी हों, चाहे वह आयुर्वेदिक हों, उनको आपने छठा वेतन आयोग नहीं देकर जबकि हमेशा जब कभी वेतन आयोग लगता है तो इस मेडिकल लाइन में काम करने वाले जितने भी ब्रांचेज हैं उनको एक साथ सलैक्शन ग्रेड दी जाती है, वही ग्रेड दी

(13.00 बजे)

जाती है। तो मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर अगर मंत्री तो कोई है नहीं, मैंने भी आपको जानकारी के लिए उठाया पर मैं यह जरूर चाहूंगा कि कोई भी सरकार जो जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को सुन रहा है, यह आयुर्वेद के जो 378 लोग विभिन्न प्रकार से, तीन प्रकार से चयन होकर सलैक्ट हो गये, उनका नियमित वेतन किया और उनका नियमितीकरण किया जाए। आप में से कोई जाकर जो सम्बन्धित मंत्री है उसे निवेदन करें और मैं आसन से भी निवेदन करता हूं कि आप भी इसमें इन्टरवीन करें। अगर सब प्रकार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिलता है तो फिर वह किस जगह जाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष: दूसरों को भी बुला देते हैं। माननीय डा. दिगम्बर सिंहजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब 65 हजार ऐसे लोग थे...

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, सारी बात तो कह गये हैं, सारी बात कह चुके हैं, सभी तथ्य माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बता दिये हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक बात मैं निवेदन करता हूं कि सन् 2000 से यह कान्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं। ग्रामीण चिकित्सा परिचर्या नियम, 2008 के तहत इनको नियमित करने की कार्यवाही की गई। मेडिकल में डाक्टर्स हो गये, नर्सिंग स्टाफ हो गया, पैरा मेडिकल स्टाफ हो गया, पैराटीचर्स हो गये, लैब टैक्निशियंस हो गये, आयुर्वेद विभाग में भी उसी पैटर्न पर इनको नियमित करने की कार्यवाही की गई। अफसोस की बात यह है कि 378 यह

(डा. दिगम्बर सिंह)

जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं इनकी जो मैरिट लिस्ट कोर्ट ने मांगी। कोर्ट में किसी ने दावा किया और उस अपील में जब कोर्ट ने रिकार्ड मांगा तो विभाग से, सचिवालय से रिकार्ड गायब था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सतर्कता आयुक्त पद पर आसीन हैं, वह उस समय प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद हुआ करते थे और उसके डायरेक्टर इनके खिलाफ एफआईआर तक लाज हुई। उस एफआईआर का भी आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है। यह 378 के 378 चिकित्सक आज इच्छा मृत्यु मांगने के लिए बाहर आंदोलन कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक वर्ग के साथ जितनी अनीति हो रही है, इस पर हम लोगों को कोई-न-कोई तो इन्टरवीन करना चाहिए। सरकार को इन्टरवीन करना चाहिए और इनको नियमित वेतन श्रृंखला में लाना चाहिए। अगर रिकार्ड का संधारण नहीं हुआ, रिकार्ड किसी ने जान-बूझकर के गायब किया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इनके साथ कुठाराघात हुआ है, यह चिकित्सक आज भी 16800 रुपये पर सन् 2000 से नौकरी कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बजट भाषण के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेडिकल में नर्सिंग स्टाफ के लिए एक हजार रुपये भत्ते की घोषणा की है और इसमें आयुर्वेद विभाग को फिर भूल गये। आयुर्वेद भी चिकित्सा की बहुत अच्छी पद्धति है, इस पद्धति को मरने नहीं दिया जाना चाहिए। इनको भी वह एक हजार रुपये का मैस भत्ता, जो एलोपैथिक में अलाऊ किया है, वह अलाऊ करना चाहिए। आज इसको लेकर के भी करीब 4 हजार आयुर्वेद के नर्सेज बाहर धरने पर हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में तो मेरे ख्याल से सारी बैंचेज खाली पड़ी हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को थोड़ा सावचेत करें और इन लोगों को अपना हक दिलाने का प्रयास करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा ही है और मैं भी इस विषय से जुड़ा हुआ हूं।

यह एक ऐसी पद्धति है जो शून्य खर्च आधारित हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा अंग है। इतना भारी प्रैशर पड़ रहा है हमारे हास्पिटल्स पर, डाक्टर्स की भर्ती इतनी हो नहीं पाती है। इसका रास्ता

(श्री देवी सिंह भाटी)

निकालने का एक माध्यम है और उनको भी अगर हम डिसकरेज करते हैं, समय पर नहीं सुनते हैं, आप देखिए, शांतिपूर्वक वह अपनी बात कहने आये हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। जब यह लाठी चलेगी, गोली चलेगी, कानून की व्यवस्था सारी बिगड़ेगी तब जाकर के हम सुनवाई करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लें। इसमें सरकार की ओर से कोई उत्तर आना चाहिए। अगर उनकी बात जायज है, समय पर सुनी जानी चाहिए, वह नहीं सुनी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे आने वाला समय हमें नजर आ रहा है कि एलोपैथी के ऊपर निरन्तर भार पड़ रहा है और जो यह हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है...

श्री उपाध्यक्ष: इस पर दो माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जो हमारी पुरातन व्यवस्था है उसको हम भुला रहे हैं यह बहुत बड़ा घाटा है। मैं क्लेम करता हूं कि किसी के भी कोई गड़बड़ है एक मिनट से, एक ही दिन में मैं ज्यादातर बीमारियों का इलाज कर देता हूं और फूल प्रूफ जिसका कोई साइड़ इफैक्ट नहीं होता है। ऐसी चिकित्सा पद्धति को हम भुलाये जा रहे हैं। वह जो सेवा में लगे हुए हैं उनकी सेवाओं के ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें संगठन नहीं है, उनका संगठित गिरोह नहीं है। अगर कोई संगठित होता तो निश्चित तौर पर उसकी दिशा बनती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर इन्टरवीन करेंगे तो कोई रास्ता बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। अभी करते हैं, माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदाचार्य, देवीसिंहजी भाटी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर 4 हजार आयुर्वेद चिकित्सक हैं। वो अपनी बात को लेकर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा खटखटाने आये हैं। उनकी मांग सिर्फ यही है कि एलोपैथिक डाक्टर्स के बारे में जब आपने समयबद्ध पदोन्नति की घोषणा कर दी, समयबद्ध पदोन्नति दे दी तो इन आयुर्वेद चिकित्सकों को भी समयबद्ध पदोन्नति क्यों नहीं दी जाए? इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने वह मंजर देखा होगा जब एलोपैथिक चिकित्सक हड़ताल पर गये। लोग कितने काल-कलवित होते चले गये। उस समय भी सरकार ने अगर लड़खड़ाती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
चिकित्सा सेवाओं को बचाने के लिए, संभालने के लिए अगर किसी को काम पर लगाया तो वह आयुर्वेद चिकित्सकों को लगाया है, यूनानी चिकित्सकों को लगाया है और यह 80 फीसदी से ज्यादा लोग ग्रामीण में सेवाएं दे रहे हैं। आज पूरा विश्व हमारी सबसे प्राचीनतम जो हमारी आयुर्वेद पद्धति है उस पर शोध कर रहा है और हमारे यहां सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी पद्धति जिसका कोई साइड़ इफैक्ट नहीं, जो शून्य अर्थव्यवस्था आधारित हो, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तो बिलकुल खुद संताप में है। यह पहली बार है, शून्यकाल के अन्दर सरकार का कोई मंत्री उपस्थित नहीं रहे और आप जैसा व्यक्ति आसन पर विराजमान हो। यह कौन से मर्ज की दवा है?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मंत्री लोग बैठे हैं। अब आप विराजिए।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मंत्री बैठे हुए हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं। सात-सात, आठ-आठ मंत्री बैठे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर कोई मंत्री हैं तो कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करुंगा कि सरकार की तरफ से उत्तर में आप खड़े हो जाओ और बाहर जो खड़े हैं हजारों की संख्या में, उनकी बात सुनो और आयुर्वेद चिकित्सा जो लुप्त हो रही है उसको बचाओ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजकुमारजी रिणवां। आप संक्षेप में बतायें।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): भारतीय चिकित्सा पद्धति का सम्मान करें। इस पद्धति का सारा विश्व सम्मान कर रहा है। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, एक चकोस्लिवाकिया की डाक्टर बैठी थी मेरे पास में, वह बता रही थी कि मैं आयुर्वेद के योग के ऊपर लैक्चर लेने जा रही हूं। जब सारा दुनिया हिन्दुस्तान की तरफ देख रहा है। जहां भी देखो, दुनिया में कहीं भी जाओ, हर्बल शब्द मिलेगा आपको हर प्रोडक्ट पर। इतना उसका चार्म हो रहा है, इतना सम्मान हो रहा है और हम ही अपनी पद्धति को मार रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है आपसे कि उनको भी बराबर सम्मान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आप विराजिए। आप इसी पर बोलेंगे गंगानगरजी? नई बात कोई हो तो बताइए आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी पद्धति है जिसको मेरे खयाल में पूरा वर्ल्ड जानता है। पूरी दुनिया में आज जो आयुर्वेद सफल हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार उस मामले में बिलकुल चुप है। 4 हजार डाक्टर, हम तो उनको डाक्टर ही कहेंगे, जो वैद्य आज हमारे दरवाजे पर बैठे हुए हैं और यहां सरकार उनकी बात सुनना नहीं चाहती। जैसा वकीलों के साथ हुआ, अगर उसी तरह का हश्र करना चाहते हैं। आयुर्वेद पद्धति ऐसी पद्धति है जिसका युगों-युगों तक सारी दुनिया में पता है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बोले ही नहीं, तो समाप्त क्या करें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको तो वैसे ही अधिकार दिया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे पास बड़े अनुभव हैं। कोच्ची में पूरे वर्ल्ड की एक कान्फ्रेंस हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद से बड़ी पद्धति कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ऐलोपैथी की जितनी भी मेडिसिन तैयार होती हैं वह आयुर्वेद के माध्यम से तैयार होती हैं। इसमें आपका चाइना आगे जा रहा है, जापान आगे जा रहा है लेकिन हमारा यह भारत जिसकी यह पद्धति है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से यह निवेदन है सरकार गम्भीर होकर के उन लोगों को सुने और उनकी बात सुनकर के उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री प्रतापसिंहजी खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के 4 हजार आयुर्वेद चिकित्सक आये हुए हैं और सबसे बड़ी डिमाण्ड एक ही है कि केन्द्र में एलोपैथी के और आयुर्वेद के जो डाक्टर्स हैं उनके वेतन और भत्ते एक समान हैं। जब केन्द्र सरकार ने आयुर्वेद डाक्टर्स और एलोपैथी के डाक्टर्स में कोई भेदभाव नहीं कर रखा है, यहां पर मैं यह मानता हूं कि कोई टैक्नीकल प्राबलम नहीं आई इसके बावजूद यह किस कारण से रूका मैं यह नहीं कह सकता लेकिन इसको हम बेवजह इश्यू बना रहे हैं। इसको हमें तुरन्त प्रभाव से लागू करना चाहिए। जब केन्द्र सरकार लागू कर चुकी है एलौपेथी और आयुर्वेद को बराबर माना जाता है, हमारे संविधान में भी दोनों को बराबर माना जाता है। राज्य सरकार में अधिकारियों की गलती

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

से कोई त्रुटि हो गई है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ...(व्यवधान) उपाध्यक्षजी, बोलने तो दीजिए, कोई ट्रेन थोड़े ही छूट रही है, कोई बात तो पूरी होने दिया करो, आप तो पहले ही। ऐसा क्या हो रहा है, कौनसा विषय आ रहा है? बाहर लोग खड़े हैं। उपाध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है कि चार हजार डाक्टर्स हैं जो बाहर खड़े हैं और वह प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सरकार का एमएलए हूं और सत्ता पक्ष की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि हमारा यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम डाक्टर्स में भेदभाव कर रहे हैं। जब डाक्टर्स की स्ट्राइक हुई थी तब भी आयुर्वेद डाक्टर्स ने पूरी स्ट्राइक में आगे बढ़कर सब जगह, जो हमारे अस्पताल हैं वहां बहुत बड़ी तादाद में सेवाएं दी थीं। केन्द्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, वह एक ही तरह की नीति है कि कहीं भेदभाव नहीं हो। उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिए निवेदन करूंगा कि यहां मंत्रीजी तो नहीं हैं लेकिन डा. जितेन्द्र सिंहजी मंत्री बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको सरकार के पक्ष की तरफ से बोलने की ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं सरकार की तरफ से ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सरकार से जवाब दिलाना चाहिए, यह बड़ा गम्भीर इश्यू है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए, उनकी सुनिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप जवाब तो दिलवाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब नया सबजैक्ट लेना चाहते हैं, आप क्यों डायल्यूट कर रहे हो ...(व्यवधान) वो क्या होगा, बता देंगे। उनको बोलने दीजिए, प्रतापसिंह जी को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रतापसिंह जी जवाब दे देंगे ...(व्यवधान) हमें मंजूर है, प्रतापसिंहजी जवाब दे दें सरकार की तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते हो कि नया सबजैक्ट लिया जाए, उनको बोलने दो। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष का इश्यू नहीं है। इसमें हम सब सदन के सदस्य यह चाहते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद डाक्टर्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी जो डिमांड है, बराबर वेतन भत्ते मिलें, वह मिलने चाहिए और आयुर्वेद डाक्टर्स का सम्मान किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, कुछ बोलना चाहते हैं आप?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान के आयुर्वेद डाक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राव राजेन्द्र सिंह सदस्य, विधान सभा प्रदेश के परमाणु विद्युत केन्द्रों से पर्यावरण एवं जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार जो प्रयास कर रही है ...(व्यवधान) कम से कम इन डाक्टर्स की तरफ ध्यान देकर ...(व्यवधान) कम से कम मंत्रीजी से जवाब दिलाएं, इस मामले में। (व्यवधान) महत्वपूर्ण इश्यू है।

श्री उपाध्यक्ष: नियमों को जानते हैं ...(व्यवधान) माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बाहर लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप नियमों को जानते हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी यह कह दे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पर्ची है। बात कर ली। आप चैम्बर में बात कर लेना, यहां नहीं। (व्यवधान) हर चीज सदन में डिसाइड नहीं होती, आप विराजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या डिसाइड नहीं होती ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी। आफिस में बात कर लेना, इसमें आ गया, अंकित है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आफिस में क्या बात करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंहजी का भी गम्भीर है, आप विराजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान) केवल राव राजेन्द्र सिंहजी का अंकित होगा। केवल राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए, केवल आपका ही अंकित होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रदेश के परमाणु विद्युत केन्द्रों से पर्यावरण एवं जनजीवन पर दुष्प्रभाव

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ...(व्यवधान) प्रदेश के परमाणु विद्युत केन्द्रों से पर्यावरण एवं जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम बिरलाजी, आप जिम्मेदार सदस्य हैं। (व्यवधान)

आप विराजिए, आप विराजिए। आपसे निवेदन करता हूं, उम्मीद करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप कहां गए थे, खाना खाना गये थे, पानी पीने गये थे, अनुपस्थिति लिखी हुई है, आप रिकार्ड देखिये। सदन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश मत कीजिए, मैंने पहले भी निवेदन किया ...(व्यवधान) आप शांत रहिये। जिम्मेदारी समझकर आया करो सदन में। आपको पता है सबजैक्ट कब आएगा, कितनी मिनट में आएगा, कब आएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप ऊंचा बोलकर सदन को इस तरह से नहीं कर सकते हो। आसन को नहीं कर सकते हो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जब मैंने निवेदन कर दिया, निकल गया वह सबजैक्ट।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य ने 131 के माध्यम से जो प्रश्न किए हैं, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस विषय में पूर्व में भी दो-तीन बार चर्चा हो चुकी है फिर भी उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से, आपने जो प्रश्न किए हैं 131 के माध्यम से, उसकी मैं रिप्लाई दे रहा हूं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता माही बासंवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, एनपीसीआईएल, मुम्बई की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में परमाणु विद्युत केन्द्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एमओयू एवं एटेमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बाडी की अनुमति के बाद पर्यावरण तथा सुरक्षा के हरेक पहलू को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एनवायरमेंट एंड फोरेस्ट डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट आफ इण्डिया, एंड एटेमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बाडी के, उनके वहां से क्लियरेंस के बाद ही यह स्थापित किए जा सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप अमेरिका में 1 लाख मेगावाट, फ्रांस में 62 हजार मेगावाट, जापान में 46 हजार मेगावाट विद्युत परमाणु बिजली घर से होती है जबकि भारत में 47 और 80 मेगावाट विद्युत अभी तक परमाणु बिजली घर से पैदा हो रही है। अत: हमारे यहां और भी परमाणु बिजली घर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है। अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों में बिजली पर्याप्त मात्रा में है। अब जब उनके परमाणु बिजली घर पुराने हो रहे

(डा. जितेन्द्र सिंह)

हैं तो वह नये बिजली घर बनाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। रावतभाटा में परमाणु विद्युत केन्द्र अपनी क्षमता से कम मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा था, अत: उसकी क्षमता लम्बे समय तक चलने की बाकी थी, परमाणु विद्युत केन्द्र को लंबे समय तक चलाने की अनुमति एईआरबी से प्राप्त कर ली। परमाणु विद्युत केन्द्र को 20 साल के उपरान्त भी चलाया जा रहा है, इसके लिए एईआरबी की अपेक्षा के अनुसार परमाणु विद्युत केन्द्र को अपग्रेड किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो कूलिंग सिस्टम था उसको अपग्रेड किया गया और 1973 के बाद कनाडा ने फ्यूल देना बंद कर दिया था जैसा कि सर्वविदित है, उसकी वजह से इस पर जनरेशन कम हुआ और इसकी जो लाइफ है 20 ईयर की उसको एक्सटेंड करने के लिए इसके माडल में चेंज किया गया है। यूनिट में, आरएपीपी नम्बर टू, आरएपीपी नम्बर वन आलरेडी बंद कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले में विद्युत उत्पादन करने हेतु जो परमाणु विद्युत केन्द्र लगाया जा रहा है वह पहले से ही रावतभाटा और खोखरापार गुजरात में लगाया जा रहा है। उससे पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एटेमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बाडी से अनुमति प्राप्त है। बांसवाड़ा साइड के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यह सभी उपयुक्त अध्ययन जारी है, एमओईएफ और एईआरबी से अनुमति लेने के लिए आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में प्लान्ट लगाया जा रहा है उसी सेम पैटर्न पर खोखरापार गुजरात में आलरैडी लगाया जा रहा है उसके आधार पर आलरेडी एनओसी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पर्यावरण विभाग में दे दी है और जो हमारा ट्रोम्बे का है हमारा, उन्होंने भी दे दी है क्लीयरेंस। इसके साथ ही भारत सरकार की अनुमति के बाद बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम धारा-4 के अन्तर्गत जारी की गई। भूमि अधिग्रहण एमओईएफ और एईआरबी द्वारा प्रस्तावित कुछ अध्ययन के लिए आवश्यक है परमाणु बिजली, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा परमाणु, इनका रिएक्टर है यह सारा कंसील एक टाम होता है तो एक्टिविटी इज इनसाइड का जो कमीशन होता है, यूरेनियम का हो, वो एक्साइड अंडर ए टाम बाहर उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर लीक नहीं होता और जैसा कि इविन इन अदर प्लान्टस, जो हमारे सौलर के हैं, हमारे थर्मल के हैं। थर्मल में एक्सीक्यूशन आफ कार्बनडाइआक्साइड होता है, एस टू एस ओ

(डा. जितेन्द्र सिंह)

फोर होता है वह इसमें नहीं होता। बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट केएलसी के द्वारा अनुमोदित नेशनल पावर पालिसी के तहत लगाया जा रहा है। यहां की जनता से लगातार सम्पर्क कर उनकी शंकाओं को दूर किया जा रहा है। दूसरी जगह परमाणु विद्युत केन्द्र पहले से ही स्थापित है ऐसे स्थानों पर भी उनको इनके बारे में अवगत कराया जा रहा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्मानीय मंत्री महोदय, मैं दो चीज आपसे निवेदन करना चाहूंगा। 131 के माध्यम से मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे हैं और बिलकुल स्पष्ट प्रश्न है। आरएपीपी की वस्तुस्थिति क्या रही, आरएपीपी को हमने 1973 में कमीशन कर दिया। 1973 में कमीशन करने के बाद आपको यह मालूम है कि कनाडा बेस हमारा यह हैवी प्रेशरराइज हैवी रिएक्टर था उससे हमारा 1974 के पोकरण वन के परमाणु विस्फोट के बाद में हमारा इकोनोमिक सैंक्शन के बाद में हमारा उनसे सर्विस कान्टेक्ट खतम हो गया। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपने यह बात फरमाई कि कार्बनडाई आक्साइड के एमीशंस को रिड्यूज कर में कार्बन फुट प्रिंटस को रिड्यूज करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी उसका एक मात्र आपके हिसाब से सब्स्टीट्यूट है।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं रिन्युएबल एनर्जी उसका सब्स्टीट्यूट क्यों नहीं है? पहली बात तो यह रिन्युएबल एनर्जी इसका सब्स्टीट्यूट क्यों नहीं है।

दूसरा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोट करना चाहता हूं। आपके एटेमिक एनर्जी के उस वक्त के डाक्टर पार्थसारथी, सैक्रेटरी आफ दी इंडियन एटेमिक एनर्जी ''...admitted that the plant has suffered...'' यह आर.ए.पी.पी. के उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं हुकुम आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं It is a question of how we need to take the state into the power sector. एनर्जी क्राइसिस है, यह बात मैं मानता हूं लेकिन energy crisis at the cost of human health. हम कभी भी यह बात बरदाश्त नहीं कर सकते, जब हमारे पास में अल्टरनेटिव एनर्जीज अवेलेबल हैं। मैं आपको यह बात तब कोट कर रहा हूं, जब आर.ए.पी.पी. का रेडिएशन हुआ है और सैक्रेटरी पार्थसारथी के उन शब्दों को मैं वैसे के वैसे ही पढ़ रहा हूं। ''In an interview, Dr. Parthsarathy, Secretary of the Indian Atomic Energy Regulatory Board, admitted that the plant has suffered a series of problems and was shut down 250 times in its first 10 years of operation.'' दस साल में ढाई सौ बार बंद हुआ। ''...among its

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

other problems, one of the units was shut down for three years because of a hairline leak…” अब यह लीक क्या हो रहा है। Your RAPP is based on titanium. ट्राइटेनियम, एक ऐसा पदार्थ है जो छोटे से छोटे पोरस मैटेरियल से भी सिपिंग कर जाता है। जब यह सीलिंग कर जाता है और रेडिएशन होता है तो आपके वहां जल स्रोत को इसने रेडियेट कर दिया, इसने कंटेमिनेट कर दिया।

मैं यह बात इसलिये कर रहा हूं, और आपको भी मालूम है, उस दशक में, बी.बी.सी. का एक चैनल-4 है, उस चैनल-4 ने उन चार गांवों का सर्वे किया था। जो आप रावतभाटा के नाम से पुकारते हैं, एक्चुअली यह रावतभाटा नहीं है। इसमें आपके चार ऐसे विलेजेज आते हैं जिसमें यह पूरा का पूरा इसका प्रदूषण फैलता है, चाहे विण्ड का डाइरेक्शन किधर भी हो। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं क्या इस रावतभाटा के स्टेटस के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की रेगुलेटरी बाडीज ने प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं कीं। क्या वहां कोटा दक्षिण शहर से आने वाले एम.एल.ए. के नेतृत्व में, सम्मानीय ओमजी बिड़ला के नेतृत्व में, बांसवाड़ा में जो आप परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं, उससे पूर्व रावतभाटा के संयंत्र के सम्बन्ध में जो कुछ भी वहां एक्सीडेंट्स हुए, एक एक्सीडेंट तो आपका 2012 में ही हुआ। आपको यह भी ध्यान है कि आपका जो सेफ्टी रैगुलेटर आया है वह सेफ्टी रैगुलेटर तो अब इसलिये आया है कि जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया की यूरेनियम इम्पोर्ट करने के बाद में सिविल लाइबिलिटिज के तहत आपका एग्रीमेंट हुआ और आपका करार हुआ। इसलिये आर.ए.पी.पी. को इंस्पेक्ट कराना अनिवार्य था। लेकिन अनिवार्य करने के बाद में इंस्पेक्शन आपने क्या कराया, आपने यूनिट चार और पांच को इंस्पैक्ट कराया। आपने यूनिट छह को इंस्पेक्ट नहीं कराया जहां हेयर-लाइन फ्रेक्चर हुआ था। हेयर-लाइन फ्रेक्चर हुआ था तो रेडिएशन किस प्रकार का हुआ था। रेडिएशन उस प्रकार का हुआ था कि tritanum seeped into the water base. वाटर में ट्राइटेनियम अगर सीप होगा तो पशुधन को भी नुकसान होगा, पीने वाले को भी नुकसान होगा, कृषि को भी नुकसान होगा। हम अभी इस बात को नहीं देख रहे, दूसरा मैंने आपसे यह पूछा था कि रावतभाटा के अलावा आप कोटा में न्यूक्लीयर वेयरहाउस काम्प्लैक्स भी बना रहे हैं। अब आप अगर न्यूक्लीयर वेयरहाउस काम्प्लैक्स और बना रहे हैं, मतलब वेयर हाउस बना रहे हैं, आप वहां भण्डारण भी करेंगे। It is something like refinery. जो हम लगाने जा रहे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हैं। रिफाइनरी में जब क्रूड मिलता है तो जब तक रिफाइन नहीं होता तब तक उसमें डीजल, पैट्रोल या और किसी प्रकार का पैट्रोलियम पदार्थ नहीं निकल सकता है। आप उस यूरेनियम को इम्पोर्ट करेंगे। यूरेनियम को इम्पोर्ट करके उसको यहां आप री-यूजेबल साइकल के तहत फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं। I want you as a Doctor, I do not want you to reply as an Energy Minister. You may have a biased opinion on that. एक डाक्टर की हैसियत से मैं आपको पूछना चाहता हूं। राजस्थान का इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। हमारे पास में वैकल्पिक स्रोत हैं। जब हम सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं, विण्ड को बढ़ावा दे रहे हैं तब हम एक और न्यूक्लियर प्लाण्ट क्यों लगा रहे हैं। एक न्यूक्लीयर प्लाण्ट लगा हुआ था, रावतभाटा का, आर.ए.पी.पी. में यूनिट एक से लेकर आठ तक आ रही हैं। आप पहला चरण देखिये। सिर्फ 19 प्रतिशत उसने आपको बिजली दी है। जितनी उसकी क्षमता थी, यूनिट-एक ने सिर्फ 19 प्रतिशत पर वर्क किया है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। आप संक्षिप्त कर देंगे तो मेहरबानी होगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये पूछना चाहता हूं कि इसमें साफ लिखा है, जब आपके सैंक्शन लगी ना ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि अब यह काफी लम्बा समय हो गया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, जब आपके सैंक्शन लगी ना तो कनाडा की जो टैक्नोलोजी थी वह इण्टरनेशनल सेफ्टी नार्म्स से उन्होंने इस चीज की आपको सिर्फ प्राइमरी टैक्नोलाजी दी थी। उन्होंने अपने 17 प्लाण्ट में सेफ्टी नार्म्स को ही अपग्रेड किया। आपके यहां अपग्रेड नहीं हो पाया क्योंकि आपके पास में सर्विस काण्ट्रेक्ट नहीं था। फिर क्या कारण था जिस पद्धति पर आपका आर.ए.पी.पी. लगा हुआ है उसी कनाडा ने 17 प्लाण्ट में से अपने 10 प्लाण्ट बंद कर दिये। आप यू.एस. की बात कर रहे हैं। आप यह बताइये कि चेर्नोबिल के बाद यू.एस.ए. ने कितने न्यूक्लियर प्लाण्ट लगाये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, फ्रांस की वाइस-चांसलर ने यह कहा है कि फ्रांस 2022 तक जितने उनके न्यूक्लीयर प्लाण्ट हैं, सबको बंद कर देगा। जब सबको बंद करने की बात डवलप्ड कण्ट्रीज कर रहे हैं तो आप यह बात इसमें क्यों फरमा रहे हैं।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा गोर्बाच्योव की वाणी के अन्दर, गोर्बाच्योव ने कहा है जो आज की तारीख में आपके चेयरमैन हैं ग्रीन क्रास इण्टरनेशनल के, माइकल गोर्बाच्योव को सब जानते हैं, यू.एस.एस.आर. के प्रेसीडेण्ट रहे हुए हैं Gorbachev also said that nuclear power does not add up economically.... मैं अब आपको दो चीजें और निवेदन कर रहा हूं। यह आपको इकोनोमिकली भी वायबल नहीं है। आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आपको न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर कितने रुपये में मिलेगी। पहले तो आप मुझे यह बताइये कि जैतपुरा में जिस टैक्नोलोजी से न्यूक्लियर प्लाण्ट लग रहा है, क्या उसी टैक्नोलोजी से आपका बांसवाड़ा में लगेगा, या बांसवाड़ा में आप खोखरापार वाली टैक्नोलोजी को लगाएंगे। जैतपुरा में आप यूरोपियन हैवी वाटर प्रेशर, हैवी वाटर का लगाएंगे। अगर यूरोपियन टैक्नोलोजी से लग रहा है तो कहां ऐसा रिएक्टर आज तक लग चुका है जिसकी कमीशनिंग के बाद में यह पता लग पाया हो कि वह रिएक्टर किस प्रकार का है। अभी सिर्फ एक है जो फिनलैण्ड में लगने वाला है, जिस टैक्नोलोजी पर आधारित हम जैतपुरा में लगाना चाह रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि जो अभी एक्सपरीमेंटल स्टेज पर है, आखिर बांसवाड़ा की जनता और राजस्थान की जनता को आप एक्सपरीमेंटल स्टेज की टैक्नोलोजी को लगाने के लिये क्यों बाध्य कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं यह पूछना चाहता हूं, गोर्बाच्योव ने यह कहा है कि ''He is also reverted to have said that an increase in share of nuclear energy in the country's energy mixed beyond what is casual based on domestic programme is desirable to minimize stress on global fuels sources from local, regional and global environmental consultation, no such thing that we see is economical. It is more for every Dollar spent.. इन्होंने कहा है ''It has also been increased in share of nuclear energy in the country's beyond what is possible base on domestic programme minimize stress on nuclear energy.." चेर्नोबिल का एक्सीडेंट आप क्या, मुझे तो यह बताइये मेरी गाड़ी के अन्दर सारे इन्स्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, एयर बैग खुलेगा, रियर कैमरा है लेकिन मुझे कोई यह कह दे कि यह सब कुछ होगा लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। आप न्यूक्लियर टैक्नोलोजी में यह कह रहे हैं हमने सेफ्टी मेजर्स पूरे कर रखे हैं। सेफ्टी मेजर्स के आधार पर हम सारी बात करेंगे। लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट होगा, राजस्थान का ¾ भाग या तो मानव रक्तरंजित हो जाएगा और रक्त-रक्त होकर मृत्यु हो जाएगी, या प्रदूषण इतना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जबरदस्त फैलेगा कि एक जनरेशन नहीं, पांच जनरेशन तक करेगा। अगर आप चाहो तो कोफी अन्नान का वह स्टेटमेंट मैं पढ़ दूं जो चेर्नोबिल के बाद, चेर्नोबिल की पांचवीं एनेवर्सरी पर उन्होंने यू.एन. में दिया था। उन्होंने कहा था हम सब चेर्नोबिल को भूलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राव राजेन्द्रसिंहजी, स्पष्टीकरण ही तो मांगना है। आप तो स्पीच देने लग गये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं स्पीच नहीं दे रहा हूं, आदरणीय। अगर आप एक मिनट, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इतना लम्बा, यह पहले भी तो डिस्कसन हुआ है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, पहले सिर्फ पर्ची के माध्यम से मैंने ध्यान आकर्षित किया।

श्री उपाध्यक्ष: हां। इसलिये एक दफा जो आ जाता है ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरा विषय वास्तव में राजस्थान के हित का नहीं हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका विषय जनहित का है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप यह मानते हैं कि जो मैं यह बात कर रहा हूं वह मिथ्या है और आप यह मानते हैं कि मैं आपको मिसलीड कर रहा हूं, आप मुझे फरमा दें, मैं बैठ जाउंगा।

मैं इतना जानना चाहता हूं कि जहां हमारे पास में सोलर एनर्जी है, विण्ड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, हम सोलर में भी थर्मल बेस्ड एनर्जी कर सकते हैं, वहां जनता को, इस राजस्थान को सिर्फ एक हजार मेगावाट बिजली मिलेगी आपको इस न्यूक्लियर प्लाण्ट से, 2800 में से सिर्फ 50 प्रतिशत मिलेगी, 1400 मेगावाट बिजली मिलेगी। यह बिजली 12 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी, जैतपुरा में जो प्लाण्ट लग रहा है उसकी इकोनोमिक्स यह बात कहती है, 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद कर आखिर आप कौनसी बात करना चाहते हैं। आपने कार्बन डाइआक्साइड की बात की, एक डालर अगर आपका न्यूक्लीयर एनर्जी पर खर्च होता है तो पांच डालर कार्बन डाइआक्साइड का एमीशन होता है। यूरेनियम को आप ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। यूरेनियम को आप रिसाइकल भी करेंगे। जितनी भी इनकी प्रोसेस है, सारी हाइड्रो कार्बन बेस्ड हैं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उनका अगर पोल्यूशन होगा, उस कार्बन थ्रेड बिल्ट को आप कैसे पूरा करेंगे। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं I want you, not as a Minister for Power, but as a Minister with a Doctors degree that this is an adversely reflect to the health of the public of Rajasthan or it is in favour of public of Rajasthan. आप मुझे जवाब दिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, डाक्टर साहब, उनका भी नाम इसमें आया है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

श्री उपाध्यक्ष: इसी पर बोल रहे हो न आप?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां।

श्री उपाध्यक्ष: आपका ध्यानाकर्षण था वह आया नहीं लेकिन चूंकि, मुझे ध्यान है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अब बोलने दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप तो हर बात का पहले ही निर्णय निकाल लेते हो, मैंने कहा कि वह इसमें नहीं आया फिर भी आपको इजाजत है। इसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है न?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्वेश्चन नहीं, स्पष्टीकरण।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री राव साहब ने इसकी सुरक्षा और भविष्य के खतरों के बारे में जानकारी दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रावतभाटा आपने भी देखा है। रावतभाटा एटेमिक पावर प्रोजेक्ट का, एक ही स्थान पर पहले पांच यूनिट थीं फिर छह हुईं अब सात और आठ यूनिट वहां पर लग रही हैं। उसके साथ-साथ न्यूक्लियर फ्यूल काम्प्लैक्स भी बनाया जा रहा है। जिसका पूरे देश में, प्रदेश की सरकारों ने वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल काम्प्लैक्स बनाने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसके बाद भी राज्य सरकार ने अनापत्ति पत्र देकर, वहां पर एक और संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय केन्द्र सरकार का है लेकिन राज्य

(श्री ओम बिरला)

सरकार की बहुत महती जिम्मेदारी बनती है और मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप रावतभाटा एटेमिक पावर प्रोजेक्ट का भौतिक स्थल देखोगे तो आपके सारे नियम यह कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए ए ई आर बी कोड के अनुसार आपको सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रावतभाटा में चले जाइये, वहां से आधा किलोमीटर दूर ही गांव बसे हुए हैं। आदिवासी लोग बसे हुए हैं। उन आदिवासी गांवों के लिए और उसकी सराउंडिंग स्टेट, जो पूरा इलाका है रेडिएशन फैलने का और कितने किलोमीटर तक रेडिएशन जा सकता है उसका, 16 किलोमीटर तक रेडिएशन का प्रभाव पड़ सकता है। उसके पैराफेरी के सारे गांवों की हालात आप अगर देखोगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी एक रिपोर्ट दो वैज्ञानिकों ने सदन में भी रखी थी। रावतभाटा इलाके के अन्दर भगवान न चाहे कि जापान जैसी कोई घटना हो लेकिन किसी घटना से मना भी नहीं किया जा सकता है। आप अगर केन्द्र सरकार को अनुमति भी दे रहे हैं तो कम से कम इस सुरक्षा कोड के इंतजामों के साथ वहां पर कनेक्टिविटी सड़कें, लोगों को कनेक्टिविटी पीने का पानी, अस्पताल, फायर यंत्र और जो रावतभाटा का एटेमिक पावर प्रोजेक्ट बना था उसके साथ ही राणा प्रताप सागर बांध बना था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जाकर वहां पर एक टीम का गठन करके देख ले कि जो पानी वहां पर निकल रहा है, जो गांव का व्यक्ति वहां पर पानी पी रहा है, कई रिपोर्टस हैं कि उनकी पीढ़ियां अपंग होंगी, विकलांग होंगी और उन अपंग पीढ़ियों को तैयार करने का काम हमारी सरकार कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एटेमिक पावर प्रोजेक्ट की कालोनी का आदमी तो पानी पी रहा है उस प्लांट से तीन किलोमीटर दूर, अलग से पाइप लाइन डालकर और वह गांव का आदिवासी पानी पी रहा है उस प्लांट के इस साइड दो किलोमीटर दूर पर पाइप लाइन डालकर। इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद वहां पर जाकर आया था। खुद देखकर आया था। पूरे गांव के ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरलाजी, आपकी बात तो सही है पर आप सजेशन दीजिए कि यह-यह होना चाहिए। जैसे राव साहब ने दिया वैसा ही आप साथ ही साथ सजेशन दें कि सरकार यह करे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस

(श्री ओम बिरला)

तरीके से तमिलनाडु के अन्दर वहां के लोगों ने आन्दोलन किया। कुंडापुरम के अन्दर इसी तरीके का, केवल वहां पर तीन यूनिट लग रही हैं और तीन यूनिट लगने के कारण तमिलनाडु की सरकार ने, वहां के लोगों ने, जनता ने आंदोलन किया और सरकार ने वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं दीं वे मूलभूत सुविधाएं इस एटेमिक पावर प्रोजेक्ट के पास, पैराफेरी के पास रहने वाले गांव के लोगों को भी मिलनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी पांच बातें हैं। वहां पर कनेक्टिविटी सड़कें होनी चाहिए, कभी कोई घटना हो जाए तो लोगों को निकलने की सुविधा होनी चाहिए, वहां अस्पताल होना चाहिए ताकि हम चिकित्सा व्यवस्था कर सकें। समय-समय पर गांव के लोगों का मेडिकल चैक-अप होना चाहिए और जिस तरीके की दुर्घटनाएं 2012 में भी हुईं, उसके पहले भी हुईं, उनकी जान की सुरक्षा का इंतजाम अभी भी एटेमिक पावर प्रोजेक्ट में नहीं है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस गांव का बेरोजगार नौजवान जिसको वहां पर रोजगार नहीं मिलता, जहां पर उसको चरित्र प्रमाण पत्र के नाम पर भी ठगा जाता है। इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी कम्पनियां आती हैं, एक तरफ तो उजाला नजर आता है और एक तरफ वह आदिवासी गंदा पानी पीता है, अंधेरे में रहता है, उनके खेत खराब हो गए हैं, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है। ऐसे एटेमिक पावर प्रोजेक्ट को लाने का क्या लाभ जिसमें जनता को सुविधा नहीं मिलती हो। असुरक्षा के रूप में रावतभाटा, कोटा ही नहीं, आस-पास के लोग भी असुरक्षा के अंदेशे के अन्दर जी रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने भी पहल की है। वहां के लोगों ने आंदोलन किया। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री वहां पर गईं। साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए का पैकेज वहां पर लेकर आईं, इन तमाम सुविधाओं का। एटेमिक पावर प्रोजेक्ट के पैराफेरी के 16 गांवों के हजारों लोग आज उस असुरक्षा के अंदेशे में जी रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी एक टीम बनाए और जो-जो सुविधाएं वहां पर न्यूक्लियर काम्प्लैक्स और उसके उत्पादन का दो प्रतिशत विकास का पैसा जो खर्च होना चाहिए वह विकास का पैसा वहां की समितियों के माध्यम से खर्च हो और राज्य सरकार केन्द्र में जाकर उस न्यूक्लियर फ्यूल काम्प्लैक्स

(श्री ओम बिरला)

को बनाने से पहले उन तमाम सुविधाओं को, राज्य सरकार केन्द्र से पैसा लेकर आए ताकि वहां के आम जन को हम सुरक्षित रख सकें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए प्लीज। धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आम जन को वहां पर राहत मिल सके नहीं तो आने वाला खतरा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, अब आप विराजिए। अब आप गुस्से में मत आओ। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सबसे बड़ा खतरा दुनिया का होगा तो वह रावतभाटा में होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, बिरलाजी, आज आप गुस्से में नहीं बोले तो पूरा टाइम मिला न। आपके गुस्से को देखकर घबरा जाता है आसन भी। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) नेता, प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रेडिएशन वाला जो मामला है, जिस क्षेत्र में आप यह पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो वह आदिवासी एरिया है। न उन्हें रेडिएशन समझ में आता है और न कुछ भी समझ में आता है, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मनुष्य तो मनुष्य है चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, वे वहां पर रहते हैं। मनुष्य रहते हैं न, जीव रहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन वहां के लोगों के मन में एक भय जरूर क्रिएट हो गया और भय इतना जबरदस्त क्रिएट हो गया, इसके बारे में चाहे जापान हो या बाकी और जगह हो, लगातार इस बात की न्यूज आ रही है और लगातार अख़बार में इस विषय पर बार-बार आ रहा है कि रेडिएशन होता है, रेडिएशन होता है। उसके कारण से एक, दो, तीन, चार प्रोजेक्ट एक साथ उसी ट्राइबल एरिया में हम लगाकर वहां के लोगों को इस बात के लिए उद्वेलित कर रहे हैं यानी, कि हम उनकी जान पर खेल कर राजस्थान की सारी बला को उसके ऊपर टालने का जो प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि इस बारे में, इस रेडिएशन के बारे में जो भी एक्सपर्ट टीम हो, उसका पहले ठीक प्रकार से एनालिसिस कर लें। ऐसा नहीं हो कि हम पावर प्रोजेक्ट का सारा का सारा वज़न उस क्षेत्र में डाल दें जिससे उनकी जमीन भी जाएगी, उनका सारा धंधा भी जाएगा, वह बेघरबार भी होंगे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और उसके बाद भी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हानि होगी। एक्सपर्ट टीम ठीक प्रकार से इसकी बने और इसके बारे में पुख्ता जब तक हमारा इंतजाम नहीं हो जाए, हम वहां इस प्रकार का नहीं डालें, नहीं तो जन विरोध को फेस करना पड़ेगा और वहां का जब जन विरोध खड़ा हो जाएगा तो आप और आपकी सारी सरकार भी अगर कोशिश कर ले तब भी कुछ नहीं कर सकेगी यह मैं आपको बहुत पहले ही सचेत कर रहा हूं। वह मजबूरी आप मत लाना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कोई कहना है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल लीडर आफ द अपोजीशन और शाहपुरा और कोटा साउथ से आने वाले आनरेबल मैम्बर्स ने जो क्वेरीज की हैं।

श्री उपाध्यक्ष: शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तथ्यात्मक बताया, उसको भी थोड़ा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं दोनों का कम्बाइंड रिप्लाई दे रहा हूं सर। जिस तरह का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रेडियेशन के नोर्म्स हैं, एक कामन फीचर में मेडिकल कालेज में रेडियोलोजी डिपार्टमेंट है। उसमें एक्स-रे से जो रेडियेशन निकलता है, जो लैब-टैक्निशियन है, या डाक्टर रिलेटेड है रेडियोलोजी से they have got a strip on their chest. उसमें वह टाइमली रिकार्ड होता रहता है, उसका मैनेज होता रहता है so I do not find as a Doctor कि इतने सालों में कम से कम एक्स-रे का रोटंजन के टाइम से आविष्कार हुआ। हार्डली मैं कह सकता हूं कुछ को न्यूक्यूलिया में हुआ होगा Nobody was suffered from it. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, radiation is everywhere. आप यह टेरेलीन का शर्ट पहने हुए हैं it causes a radiation. यह इसके फ्रिक्शन हैं it causes a radiation. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोटल जो वर्ल्ड स्टैण्डर्ड है रेडियेशन का that is one thousand micro severity is safe. एक हजार सीवियरिटी अगर रेडियेशन है, यह वर्ल्ड स्टैण्डर्ड है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, it is safe for everybody while it is in RAPP it is 36 micro severity. तो इसीलिये यह सेफर रेंज है और कामन भी। कामन रूप में डे-टू-डे में अल्ट्रावायलेट एक्टिविटीज होती है, यह होती हैं, so this radiation is everywhere.

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह सेफ है और इसमें जो चिन्ता प्रकट

(डा. जितेन्द्र सिंह)

की है कोटा साउथ से आने वाले माननीय सदस्य ने और लीडर आफ अपोजिशन ने भी, वहां का पूरा एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐसे नहीं दे देती है। उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका और इन्होंने तो आज से 60-60 साल पहले इनके शुरू किये हुए हैं। यह जो जनरेशन था यह सारा न्यूक्लियर से, यह सारा उस वक्त इनका किया हुआ है। अगर वहां पर इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जातीं 50 साल में, तो वह तो बहुत ज्यादा कांशियस है एनवायरनमेंट के लिये सबसे ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है there is perforation in the ozone layer. This is and there stop even your thermal plants also. यह फ्रिज है इसमें से भी एस्केलेशन आफ दी गैस हो रहा है, एयर कंडीशंनस में से भी हो रहा है causing perforation in the ozone layer. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा है कि शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने we should speech on renewable energy. उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूंगा ki Rajasthan is the premier in the world अकेले जैसलमेर के पास इतनी पावर है कि तीन लाख मेगावाट सोलर एनर्जी पूरे कंट्री को दे सकता है। कोई जरूरत नहीं किसी भी कारखाने की। जैसलमेर के पास इतना बड़ा हमारे पास concentration of the survey hai माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आलरेडी हम नम्बर वन हैं सोलर में। जैसाकि आपने कहा what we are doing. मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जवाहर सोलर मिशन में 2013 में टार्गेट था 1100 मेगावाट का we have achieved 1000 MW out of that. और 2020 में जो जवाहर लाल सोलर मिशन में उन्होंने टार्गेट रखा है 20 हजार मेगावाट का, उसमें उपाध्यक्ष महोदय we are claiming कि हम 15 हजार मेगावाट बिजली राजस्थान को सोलर से पैदा करेंगे। हमारे 850 इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने सारा किया है। विंड से भी 400 मेगावाट से 2500 मेगावाट कर रहे हैं। विंड से भी हम करेंगे 400 मेगावाट। यह क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने रिप्लाई इसलिये दी कि हम कोंटेम्परेरी इस पर सोच रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने चिन्ता प्रकट की, इसके बारे में माननीय लीडर आफ अपोजिशन ने भी यह जो बांसवाड़ा में हो रहा है आलरेडी, माननीय लीडर आफ अपोजिशन को मैं कहना चाहूंगा कि already every year 2500 samples are collected. वहां पर रेत में, वहां की ग्रास में, वहां के फूड पार्टीकल्स में और 2500 जो सैम्पल्स हैं, इनका ट्राम्बे में सारा परीक्षण होता है और उसमें कितनी क्वांटिटी है रेडियेशन की, यह उसके अन्दर माप

(डा. जितेन्द्र सिंह)

होता है So it is not dangerous जितना हम सोच रहे हैं। उसका रीजन है they are developed countries. सारा तो मौज ले ली परसों तक उन्होंने।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अमेरिका तो एक लाख मेगावाट कर रहा है, हमारे पूरे इंडिया में 4600 मेगावाट है टोटली न्यूकिलर से, so it is a long way to go. उसके पहले हम हमारी व्यवस्था कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो उसमें, आफकोर्स जैसे तमिलनाडु में भी आब्जेक्शंस हुए हैं, लेकिन उनको लोगों को समझाने की जरूरत है। लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो एक्सीडेंट हैं सोलर में, उपाध्यक्ष महोदय, एक्सीडेंट में जैसा नेस्त्रोदोमस ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है। अभी यू एस ए एयरक्राफ्ट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 साल पहले चार परमाणु बमों को लेकर जा रहा था, वह स्पेन पर क्रेश हो गया, चारों परमाणु बम स्पेन में गिर गये। कोई एक्स्प्लायट नहीं हुआ, क्योंकि ट्रिंगरिंग नहीं हुआ। So accident can happen at every place. और जापान में, क्योंकि सीस्मिक जोन है, वहां पर भूकम्प आता है और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जहां यह लग रहे हैं, वहां भूकम्प जोन नहीं है और स्पेशली यह दुर्घटनाएं वहां होती हैं, जहां भूकम्प जोन हों। फिर भी बहुत है और हमने अल्टरनेट हमारी व्यवस्था कर रखी है, लोगों को समझा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लीडर आफ अपोजिशन एवं शाहपुरा से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य को यही कहना है कि हमें इसको भयावह स्थिति न मानते हुए कंसीडरेबली लेना चाहिये। राजस्थान इसमें आगे प्रगति करेगा। थैंक्यू।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह बात सही है तो 12 नवम्बर, 2012 को पार्लियामेंट में सी ए जी की एक रिपोर्ट क्यों रखी गयी? मैं बता दूं The CAG report on Atomic Energy Regulatory Board, tabled in Parliament on August 22, 2012 आपने एटोमिक एनर्जी रेगुलेटिंग बोर्ड की बात कही है न बांसवाड़ा के लिये। उन्होंने क्या कमेंट किया है "The functions of monitoring of radiological exposure as well as responsibility of radiological surveillance of Nuclear Power Plants lay with the operators of NPP. Consequently, AERB, Atomic Energy Renewable Board, has no direct role in conducting independent assessments and monitoring to ensure radiological protection of workers despite being the nuclear regulator of India." आपका सीएजी खुद आपकी बात को तो डिफीट कर रहा है, फिर आप राजस्थान की जनता को ए आर बी के बारे में क्यों बता रहे हो? यह 2012 की रिपोर्ट है, अगर यह सीएजी की रिपोर्ट

(श्री राव राजेन्द्र)

गलत है तो मेरा कथन गलत है। कम से कम एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी का गठन आप करिये। चाहे आपकी अध्यक्षता में हो जाये मंत्री महोदय। ले जाइये लेजिस्लेटर्स को और वहां के लोगों से मिलवाइये। उनके स्वास्थ्य के हालात दिखाइये और फिर आप बैठकर तय करिये। आप लगाना चाहते हैं और राजस्थान का भला है तो हम भी आपका इसमें साथ देंगे। लेकिन पहले इसके एक-एक कण को आपको फिल्टर करना पड़ेगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं आपको इस बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि डिफेंस की सारी व्यवस्थाएं प्रोटक्शन की करके करेंगे। राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को परमाणु के रेडियेशन से कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे, थैंक्यू।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उससे जयपुर को पानी पिलाना चाहते हैं, भीलवाड़ा को पिलाना चाहते हैं और उसकी सुरक्षा की कोई गारण्टी नहीं है। 12 रुपये में बिजली देना चाहते हैं। यह कौन से राजस्थान का विकास करना चाहते हैं? भोपाल गैस कांड में आज तक क्या दिया भारत की जनता को? लोग पैसा कमाकर चले गये भोपाल गैस कांड में, क्या मिला? अगर वहां विस्फोट हो गया तो पूरा का पूरा राजस्थान बरबाद हो जायेगा। सारा पानी उधर से आता है।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्किल डवलपमेंट योजनान्तर्गत प्रशिक्षण में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री कालीचरण सराफ।

राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्किल डवलपमेंट योजनान्तर्गत प्रशिक्षण में कथित अनियमितताएं

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्किल डवलपमेंट योजनान्तर्गत प्रशिक्षण में कथित

(श्री कालीचरण सराफ)

अनियमितताओं के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय न्याय अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यात्मक प्रतिवेदन। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को प्रशिक्षण एवं रोजगार मुहैया कराने हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत निगम द्वारा गुणात्मक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2010-11 में निजी कम्पनी टैली साल्यूशन्स प्रा. लि. कोई प्रशिक्षण कार्य नहीं दिया गया। वर्ष 2011-12 में प्रदेश के 15 जिलों के 6000 युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिये जाने के लिये दिनांक 18.10.2011 को टैली साल्यूशन्स प्रा. लि. एवं निगम के मध्य करार पत्र निष्पादित हुआ। कम्पनी के साफ्टवेयर में एकाधिकार प्राप्त स्वामित्व वाली कम्पनी से इस करार पत्र के आधार पर प्रशिक्षण का कार्य करवाया गया। इस कार्य हेतु पृथक से कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 में 9000 युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु दिनांक 30.8.2012 को करार हुआ किन्तु टैली कम्पनी द्वारा दिनांक 14.2.2013 को प्रशिक्षण दिये जाने की असहमति निगम को प्रेषित करने से कोई प्रशिक्षण कार्य नहीं किया गया। टैली साल्यूशन्स प्रा. लि. द्वारा अनुबन्ध की शर्त 4(5) के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर प्रशिक्षण कार्य किया गया। फर्म ने जयपुर जिले के 22 प्रशिक्षण केन्द्रों एवं 9 प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्ध शर्त के अनुसार ही प्रशिक्षण का कार्य निष्पादित किया।

इस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका 25 जनवरी, 2013) में प्रकाशित शिकायतों के कारण मेरे द्वारा दिनांक 04.02.2013 को समस्त जिला कलक्टर एवं समस्त परियोजना प्रबन्धकों को विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे गये हैं जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। जिला बूंदी में टैली द्वारा वर्ष 2011 में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। प्रशिक्षण हेतु टैली को आबंटित जिलों में भी बूंदी जिला शामिल नहीं है। जिन केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य निष्पादित

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

किया गया उनमें परियोजना प्रबन्धकों द्वारा केन्द्रों की प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट, द्वितीय निरीक्षण रिपोर्ट व अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार आवश्यक सत्यापन व निरीक्षण किए जाने के उपरान्त ही राशि का अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया। आबंटित 15 जिलों के परियोजना प्रबन्धकों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने वाले केन्द्रों के सम्बन्ध में केवल परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति निगम, जयपुर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्रबन्ध निदेशक, निगम से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 24.01.2013 को चाहने पर निगम द्वारा तथ्यों को अस्वीकार किया गया। निगम का मानना है कि टैली सौल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्य अनुभवहीन फर्मों और संस्थाओं को सौंप दिया गया व जयपुर जिले की संस्थाओं को काम सबलैट कर करोड़ों रुपये उठा लिए गये, पूर्णतः असत्य है। सभी पात्र प्रशिक्षणार्थियों को अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार अकाउन्ट पेई चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा 500 रुपये प्रति माह की दर से 3 माह तक (प्रशिक्षण अवधि) कुल 1500 रुपये स्टाइपण्ड का भुगतान किया गया। टैली कम्पनी को निगम द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक के खाता संख्या 3011139738 जरिये आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया गया। प्रशिक्षण किट, स्टाइपण्ड, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षणार्थी के प्लेसमेंट का परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रमाणीकरण निगम द्वारा सुनिश्चित किया गया। छात्रों के फर्जी हस्ताक्षर से नकद राशि उठा ली गई, सही नहीं है। भुगतान परियोजना प्रबन्धक के प्रमाणीकरण के पश्चात् ही अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या 5(4) के अनुसार किया गया।

राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा कौशल विकास का प्रशिक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में निगम द्वारा बनाई गई दक्षता विकास प्रशिक्षण योजना एवं इस हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार हार्डिकान लिमिटेड को प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण देने हेतु दिनांक 07.06.2012 को अधिकृत किया गया। हार्डिकान लिमिटेड भारत सरकार की वित्तीय संस्थाओं का संयुक्त उपक्रम है। फर्म द्वारा समस्त 33 जिलों के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार के कुल 28 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों को निगम द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के मार्गदर्शन एवं अनुमोदन उपरान्त पाठ्यक्रमों का संचालन परियोजना प्रबन्धकों द्वारा प्रारम्भिक तौर पर प्रारम्भ किया गया।

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

प्रशिक्षणार्थियों का चयन स्थानीय समाचार पत्रों में सम्बन्धित फर्म द्वारा विज्ञापन एवं परियोजना प्रबन्धक स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्राप्त आवेदन पत्रों की फर्म एवं परियोजना प्रबन्धक के साक्षात्कार उपरान्त प्रशिक्षण कार्य का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुमोदन उपरान्त किया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धकों को निगम द्वारा जारी निर्देशों में इस बिन्दु का भी शामिल किया गया है कि कम से कम 50 प्रतिशत प्लेसमेंट होने के बाद ही सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जाएगा। परियोजना प्रबन्धक, राजसमंद द्वारा 88 प्रशिक्षणार्थियों को 90 प्रतिशत के लिए 7.11 लाख रुपये का दिनांक 05.02.2013 को भुगतान किया गया है। जिला राजसमंद में प्रशिक्षण एवं उसके भुगतान की प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट निगम मुख्यालय द्वारा परियोजना प्रबन्धक से चाही गई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही पूर्ण विवरण सहित माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दिया जावेगा। प्रशिक्षण हेतु निर्धारित निर्देशों के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षण ले रहे छात्रों का नियमानुसार निरीक्षण चयन व सत्यापन का दायित्व परियोजना प्रबन्धकों का है और समस्त परियोजना प्रबन्धकों को यह निर्देशित किया गया है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम का सम्पादन जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए सुनिश्चित करावें। तथ्यात्मक सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सोच रहा था कि यह बड़ी संवेदनशील सरकार है और हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं इसलिए ये सही-सही बात यहां पर कहेंगे। मुझे तकलीफ है इस बात की कि इन्होंने इतना लम्बा-चौड़ा जो जवाब दिया, यह बिलकुल गलत, तथ्यों से परे और सदन को गुमराह और भ्रमित करने वाला जवाब है।

माननीय मंत्री महोदय, टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के साथ जो अनुबन्ध किया गया उसके अनुसार प्रशिक्षण का काम सबलेट करने का कोई प्रावधान नहीं था। मैं पूछना चाहूंगा कि जयपुर जिले में जो कम्पनियां गली कूंचियों में चलती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी दस संस्थाओं को काम सबलेट किया। उनका कोई फिजिकल वेरीफिकेशन भी नहीं किया गया। एमओयू के अनुसार एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को 500 रुपये

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रतिमाह, प्रशिक्षण एवं किट की राशि में अकाउन्ट पेई बैंक खाते में जमा करानी थी। आपने जवाब में कहा है कि अकाउन्ट में जमा करवाई है, बिलकुल गलत है। एक का भी पैसा अकाउन्ट में जमा नहीं करवाया गया। एमओयू के अनुसार प्रत्येक जिले के परियोजना प्रबन्धक के प्रमाणीकरण के बाद ही भुगतान किया जाना था। मैं पूछना चाहूंगा कि निगम के एमडी के द्वारा सीधे ही प्रमाणित कर करोड़ों रुपयों का भुगतान क्यों कर दिया गया? परियोजना प्रबन्धक से कोई प्रमाणीकरण क्यों नहीं करवाया गया?

अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं:-

क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने यानी आपने इस पूरे प्रकरण की जांच हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कोई यू ओ नोट लिखा? यदि हां, तो उस नोट में क्या लिखा और क्या मांग की गई? कृपया बतायें।

दूसरा, क्या यह भी सही है कि क्या इस योजना का अनुमोदन आपसे नहीं करवाया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद श्री लाल चन्दजी कटारिया ने इस प्रकार घोटाला हुआ है, इस बाबत् कोई पत्र आपको लिखा? यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा और उस पर क्या कार्यवाही हुई?

क्या यह भी सही है कि आपने इस घोटाले की जानकारी होने पर मुख्य सचिव को, निगम के एमडी को हटाकर किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को लगाये जाने के लिए लिखा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण मांगने की कोई सीमा तो होगी?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं सारी बात बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप हमेशा बैठे-बैठे ही बोल देते हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं खड़ा होकर बोल देता हूं। इनके द्वारा स्पेसीफिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष: सीमा की बात कह रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने कोई भाषण नहीं दिया। मैं तो स्पेसीफिक ही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं आपके माध्यम से और भी पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आपके अनुरोध पर कार्मिक विभाग ने 19 अक्टूबर, 2012 को आदेश प्रसारित कर एमडी का स्थानान्तरण खादी बोर्ड में कर दिया और उन्होंने वहां ज्वाइन भी कर लिया। इसके बावजूद भी अभी तक वह निगम के एमडी के पद पर कार्यरत है। किसके आदेश से और क्यों?

क्या यह भी सही है कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म को 6000 बच्चों को प्रशिक्षण दिये जाने के बाद आधे बच्चे यानी 3000 बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था और उसके बाद ही भुगतान किया जाना था? (व्यवधान) मंत्रीजी, सुनिए इधर ध्यान से, क्या यह भी सही है कि एक भी बच्चे को रोजगार प्रदान नहीं किया गया और आनन-फानन में अपनी चहेती फर्म को एमडी ने छह करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया?

क्या यह भी सही है कि इस पूरे प्रकरण में हुए घोटाले की जानकारी तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक एस एन शर्मा ने कलक्टर को लिखकर एसीडी से जांच करवाने की अनुशंसा की? क्या यह भी सही है कि परियोजना प्रबन्धक ने, प्रिंसीपल सैक्रेटरी, फाइनेंस को भी इस प्रकरण की जांच हेतु लिखा?

क्या यह भी सही है माननीय मंत्री महोदय, कि पत्र लिखने के बाद जांच करना तो दूर उस परियोजना अधिकारी को एपीओ कर दिया? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

मैंने जो बातें पूछी हैं, पहले आप इनका जवाब दें फिर मैं आगे पूछूंगा। सही-सही बोलना।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): डकैत कौन है, नाम बताओ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सही-सही बोलना।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप जानते हो, मैं सही बोलूंगा। आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण के सांसद माननीय लाल चन्द कटारियाजी ने 05 अक्टूबर, 2012 को मुझे पत्र लिखा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या लिखा उसमें?

श्री उपाध्यक्ष: यह तो मंत्रीजी के ऊपर है। आपकी बात स्वीकार कर ली। इससे ज्यादा क्या हो सकता है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उन्होंने यह लिखा है कि हार्डिकोन संस्था द्वारा जो काम हो रहा है, यह अनभिज्ञ संस्था को दे दिया गया है। इसमें कई अनियमितताओं जैसी शिकायत उन्होंने की थी। मैंने इसको गम्भीरता से लिया। इसी तरह से एक एनजीओ के कुछ सदस्यों ने मुझे 14.08.2012 को, हालांकि यह करार 2011-12 का है, करार की डेट मैंने आपको निवेदन कर दी, करार 18.10.2011 को हुआ था, मेरे मंत्री बनने से पहले के करार हैं ये, ...(व्यवधान) कोई बात नहीं करार की बात हो रही है, उस एनजीओ की शिकायत को भी मैंने गम्भीर माना और मुख्य सचिव को मैंने इसकी जांच करने के लिए लिखा।

(14.00 बजे)

जांच रिपोर्ट विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भी मेरे पास आयी थी, उससे मैं संतुष्ट नहीं रहा तो मैंने उसको पुन: जांच करने के लिए भेजा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने तो मुख्य मंत्रीजी को यू.ओ. नोट लिखा कि नहीं? लिखा तो उसमें क्या लिखा? या मैं पढ़कर सुनाऊं? मेरे पास है वो कागज। इन्होंने लिखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इन्होंने लिखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हां, बताओ, बताओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान) आपका मामला दूसरा है।

श्री अजय सिंह (डेगाना): यह कह रहे हैं बताओ आप। आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, वो कह रहे हैं कि आप बता दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो बता रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप बता दो।

इन्होंने लिखा, मुख्य मंत्रीजी को जो यू.ओ. नोट लिखा- मैं आपका ध्यान राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्यकलाप की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर स्किल डवलपमेंट प्रशिक्षण हेतु टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ करार कर वर्ष 2011-12 में राजस्थान के 15 जिलों में 6 हजार लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी रुपये 10 हजार का अनियमित भुगतान के माध्यम से लगभग 6 करोड़ रुपये का संस्था टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य आपके ध्यान में ला रहा हूं कि टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण को सबलेट किया गया है। यह कि सबलेट संस्था का किसी भी जिले में फिजिकल वैरीफिकेशन नहीं किया गया है।

यह कि एम.ओ.यू. के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को 500 रुपये प्रति माह प्रशिक्षण एवं किट की राशि बैंक खाते में एकाउंट पेई मुहैया करानी थी, जो कहीं भी प्रमाणित नहीं होता एवं गम्भीर जांच का विषय है।

मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी को लिख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन वो कोई मना कर रहे हैं क्या, आप पूरा पढ़ रहे हो इसको।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें तो कह दिया एकाउंट पेई चैक से पेमेंट हुआ, कोई भी फिजिकल वैरीफिकेशन करके पेमेंट किया गया और यह जो यू.ओ. नोट इन्होंने लिखा है, यानी विधान सभा को गुमराह करेंगे, भ्रमित करेंगे, गलत जानकारी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: किसने लिखा यह यू.ओ. नोट?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह मुख्य मंत्रीजी को लिखा है यू.ओ. नोट।

श्री उपाध्यक्ष: वो तो कह रहे हैं मैंने लिखा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, लिखा है तो मैं यह ही पढ़ कर सुना रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी को तो इन्होंने क्या लिखा और यहां जवाब क्या दे रहे हैं।

जिले के परियोजना प्रबंधक के प्रमाणीकरण के पश्चात् भुगतान किया जाना था जो प्रबन्ध निदेशक के द्वारा केन्द्रीयकृत कर सीधे ही प्रमाणित किया एवं भुगतान कर राज्य सरकार को हानि पहुंचायी गयी है। आपने लिखा।

(श्री कालीचरण सराफ)

इसी प्रकार राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, स्किल डवलपमेंट इन डिफरेंट पैलेस कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रैस मेकिंग, ड्यूटी कल्चर, कम्प्यूटर आपरेटर, रिसेप्शनिस्ट एक्सट्रा राज्य सरकार के बाहर की हार्डीकोन लिमिटेड संस्था को प्रशिक्षण हेतु अधिकृत किया गया। इस प्रकार लगभग आठ करोड़ रुपये का राज्य सरकार को हानि पहुंचाने का मामला ध्यान में आया है।

हार्डीकोन संस्था द्वारा किराये की संस्थाओं को सबलेट कर कार्य कराया जा रहा है जिनका राजस्थान में न कोई अस्तित्व है और न ही किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण केन्द्र विद्यमान है और न इस संस्था को राजस्थान में किसी प्रकार की ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरणजी, आप तारीख बता दीजिए। ऐसे नहीं, तारीख बता दो, वो स्वीकार कर रहे हैं यू.ओ. नोट...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, विधान सभा के सामने तथ्य आने चाहिए। (व्यवधान) विधान सभा में इन्होंने जवाब दिया है। (व्यवधान) विधान सभा में जवाब दिया है वो गलत दिया है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): स्वीकार करने से क्या होता है, दोषी कौन है, दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, यह बताओ न। स्वीकार करने से क्या होता है? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नौकरी नहीं लग पाये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, इन्होंने जो मुख्य मंत्री को यू.ओ. नोट लिखा है उसकी बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्वीकार कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, जवाब जो विधान सभा में दिया है वो गलत दिया है। मैं यह कह रहा हूं।

इसी प्रकार से यह कि संस्था के प्रशिक्षण हेतु केवल कागजी आंकड़े रखे हैं। प्रशिक्षण हेतु कोई ढांचा नहीं है। यह कि संस्था द्वारा किराये की संस्थाओं से कार्य करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थी हेतु चयन

(श्री कालीचरण सराफ)

किसके द्वारा, कब किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। सभी जिलों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में छात्र लाभार्थी का फिजिकल वैरीफिकेशन नहीं किया गया है। यह आपने लिखा है।

राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं को दक्षता विकास प्रशिक्षण में हार्डीकोन हरियाणा टेली बैंगलोर संस्था का कोई प्रशिक्षण अनुभव नहीं होने तथा इस सम्बन्ध में बड़ा घोटाला होने के सम्बन्ध में लालचन्द कटारिया, माननीय सांसद द्वारा 5 अक्टूबर, 2012 को मुझे पत्र प्रेषित करने पर मैंने प्रबन्ध निदेशक का कार्य शीघ्र ही किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को प्रदान किये जाने हेतु मुख्य सचिव को लिखा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरण जी, यह तो बहुत ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कार्मिक विभाग ने 19.10.2012 को आदेश प्रसारित कर दिया, श्री यज्ञमित्र सिंह देव का अन्यत्र स्थानान्तरण भी हो गया पर उन्होंने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया लेकिन श्री देव द्वारा आज दिनांक तक अतिरिक्त मुख्य सचिव के मौखिक आदेशानुसार पद का निरन्तर कार्य सम्पादित किया जा रहा है, यह नियम विरुद्ध है।

यह सब बातें इन्होंने मुख्य मंत्रीजी को लिखी हैं और यहां जो जवाब दिया है वो बिलकुल गलत, भ्रामक और तथ्यों से परे है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि आपने जो जवाब यहां दिया है वो सही है या मुख्य मंत्रीजी को जो लिखा है, वो सही है। जरा यह बता दो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एस.सी. एस.टी. का मामला है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एस.सी., एस.टी. के साथ अन्याय यह संवेदनशील सरकार ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंत्रीजी, आप दोषियों के खिलाफ क्या कर रहे हो, यह भी बताना जो आपने गलती की इसके बाबत।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो डी.ओ. लैटर लिखा है, अभी इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सुनिये बात को।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसकी पूरी प्रक्रिया, इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट अभी आयी नहीं। 01.02.2013 को मैंने पत्र लिखा है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 05.02.2013 को त्वरित कार्यवाही करके वित्त विभाग के अंकेक्षण विभाग से विशेष जांच कराने के लिए, इस पूरे प्रकरण की जांच स्पेशल आडिट के लिए वित्त विभाग को ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यू.ओ. नोट लिखने में प्रक्रिया का क्या मतलब? आपने लैटर लिखा है, आपने कहा है कि अनियमितता हुई है, आपने लिखा है कि वैरीफिकेशन के बिना पेमेंट कर दिया, आपने लिखा है कि कोई भी शर्तों की अनुपालना नहीं की गयी। अब इसमें प्रक्रिया क्या होगी?

और आपने यह भी लिखा लास्ट में- गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं एवं युवकों को प्रशिक्षण से वंचित रखे जाने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से विशेष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही ...(व्यवधान) निर्देश प्रदान कर अनुग्रहित करें ताकि आमजन में सरकार का विश्वास कायम रह सके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप यह तो मानो कि मेरी निष्ठा में कोई ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपकी बहुत सदाशयता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका व्यक्तिगत नहीं है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो ...(व्यवधान) जांच होने के बाद में अगर कोई गड़बड़ हुई है तो दोषी जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जायेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यही निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष: आ गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या कहा आपने?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उस एम.डी. का क्या बिगड़ा, कहां है वो? (व्यवधान) उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या बात हुई?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कार्यवाही की जायेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हैं?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कार्यवाही करायी जायेगी निश्चित तौर पर। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ए.सी.बी. से जांच कराओ, अधिकारी को बर्खास्त करो। (व्यवधान) इसकी निष्पक्ष जांच कराओ।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): एम.डी. करा रहा है सारे के सारे काम को ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हर बात पर नहीं बोलते हैं। बात सुनिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम.डी. तत्कालीन को मैं आज ही कार्य मुक्त करने का निवेदन करना चाहता हूं, आज ही निर्देश प्रदान कर दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो जांच कराइये ए.सी.बी. से। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): फाइनेंस डिपार्टमेंट की जांच चल रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री परसादीलालजी मीणा, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त) (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या-1) सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय परसादीलालजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का (राज्य वित्त) वर्ष 2011-12

(वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या-1)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त) (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री परसादीलाल मीणा, जल अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11, एवं राजस्थान राज्य जैव विविधता, अधिनियम, 2002 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय परसादीलालजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11

(1) जल अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11, एवं

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12

(2) राजस्थान राज्य जैव विविधता, अधिनियम, 2002 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

डा. गोपाल जोशी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। डा. गोपाल जोशी।

याचिका

बीकानेर में ड्राइपोर्ट गोचर भूमि के स्थान पर अन्य राजकीय भूमि पर बनाना

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीकानेर में स्वीकृत ड्राइपोर्ट गोचर भूमि में नहीं बनाकर अन्य राजकीय भूमि पर बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

(श्री शिवजीराम मीणा)

जहाजपुर की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रोपा एवं

पारोली का क्रमोन्नयन

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रोपा एवं पारोली को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने बाबत, एवं

नागदी नदी की जल प्रदूषण से मुक्ति

(2(जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाली नागदी नदी में गत कई वर्षो से वर्षा के अभाव में कंटीली झाड़ियों एवं गंदगी के कारण हो रहे जल प्रदूषण से मुक्त करवाने बाबत।

विधायी कार्य

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित)

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री ओम बिरला, श्री पेमाराम, श्री अमराराम, श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. दिगम्बर सिंह, श्री गुलाबचन्द कटारिया विधेयक को जनमत जानने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013, जब उच्च शिक्षा पर चिन्ता हो रही थी तब उस समय भी पूरा सदन चिन्तित था और उस समय चेयर पर बैठे सभापति भी इस बात से चिन्तित थे कि जो राजस्थान उच्च शिक्षा में अपने मानक स्थापित रखता था, देश में माना जाता था कि उच्च शिक्षा के अन्दर राजस्थान अपने मानक और मूल्यों के आधार पर उच्च

(श्री ओम बिरला)

क्वालिटी की शिक्षा देता है और उस शिक्षा के माध्यम से हम देश-विदेश में नौजवान तैयार करते हैं। जो इस देश में भी नेतृत्व करते हैं और देश के बाहर भी नेतृत्व करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आज 22 सरकारी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं और तैंतीस निजी विश्वविद्यालय के रूप में हम उच्च शिक्षा राजस्थान के अन्दर विद्यार्थियों को दे रहे हैं। उदयपुर से आने वाले माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी यह चिन्ता जाहिर की कि यह बात सही है कि राजस्थान में तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के विधेयक के लिए और स्थापना के लिए यह विश्वविद्यालय विधेयक की स्थापना की थी।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से निजी विश्वविद्यालय बन रहे हैं और निजी विश्वविद्यालय बनते समय चिन्ता व्यक्त की जा रही थी कि इन विश्वविद्यालयों को संचालित करने वाले जो इसके चेयर पर्सन हैं, वह चेयर पर्सन राजस्थान में उच्च शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा, अच्छे संस्कार की शिक्षा इस उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय नहीं लाए। बाकी धन के आधार पर, शैक्षणिक नगरी के रूप में पुनीत कृत्य होता था, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी गांव से लेकर शहर तक पूंजीपति जब विद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्थापित करता था तो इस उद्देश्य से करता था कि मेरे गांव का बेटा-बेटी इस अन्धेरे में से निकलकर उजाले की ओर जाएगा, शिक्षा के नये केन्द्र खुलेंगे।

इसलिए सरकारी विद्यालयों से ज्यादा इस राजस्थान के अन्दर सेठों साहूकारों के द्वारा निजी विद्यालय खोले जाते थे। लेकिन आज जिस तरीके से राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं और हमारी सबकी चिन्ता थी कि यह निजी विद्यालय उद्योगपतियों के द्वारा खोले जा रहे हैं, जो संशोधन सरकार लाई है इस संशोधन के माध्यम से प्रमाणित हो जाता है, साबित हो जाता है कि चेयर पर्सन की अवधि पांच वर्ष से ज्यादा बढ़ाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से प्रमाणित होता है कि विश्वविद्यालय चलाने वाले लोग अच्छे विचारों से विश्वविद्यालय नहीं चला रहे हैं। वह करोड़पति सेठ, पूंजीपति सेठ इस विद्या नगरी को औद्योगिक बनाना चाहता है, धनोपार्जन करना चाहता है, राजस्थान के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय

(श्री ओम बिरला)

करना चाहता है। इस कारण आज जो तैंतीस विश्वविद्यालय खुले हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उन विश्वविद्यालयों की हालत देखो। वहां पर जिस तरीके के कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके के अध्यापक, प्रोफेसर भर्ती किये जा रहे हैं, न इन्फ्रास्ट्रक्चर है, न अनुभवी वी सी है, न अनुभवी प्रोफेसर है। केवल धन कमाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय चलाना, नये-नये पाठ्यक्रम खोलना, पाठ्यक्रम के अनुभव के प्रोफेसर नहीं और उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से जिन नौजवानों को हम तैयार कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, डिग्रियां तो जरूर बांटी जा सकती हैं, उन डिग्रियों को लेकर हमारा नौजवान तो घूम सकता है लेकिन जो शिक्षा उसको देनी चाहिए वह शिक्षा उसको इस निजी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगी।

हम सब इस बात पर चिन्तित हैं कि इन तैंतीस विश्वविद्यालयों पर सरकार, एक मानीटरिंग कमेटी बनाई जाए, जिसकी बार-बार पूरा सदन यह बात करता है, इस मानीटरिंग कमेटी में यह देखा जाए कि जो विश्वविद्यालय नये कोर्सेज शुरू करने जा रहा है क्या उन कोर्सेज के अनुभवी प्रोफेसर हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर है, लैब है, लाइब्रेरी है। जो तमाम सुविधाएं एक विश्वविद्यालय के मानक मापदण्डों में होनी चाहिए, क्या वह उस विश्वविद्यालय में मानक के अनुसार है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन इस बात के लिए चिन्तित है कि राजस्थान को डिग्रियां बांटने वाला प्रदेश मत बनाओ। इस राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय हुआ करता था, जब एक विश्वविद्यालय हुआ करता था तो भी हम गुणवत्ता की शिक्षा देते थे, अच्छी शिक्षा देते थे, अभावों के बाद भी अच्छी शिक्षा देते थे। लेकिन आज जिस तरीके से निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सबकी, सदन की यही चिन्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमारा एक और तर्क है कि जिस तरीके से निजी मेडिकल यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, जिस तरीके से निजी मेडिकल यूनिवर्सिटीज को परमिशन दी जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र और राज्य में सरकार एक दल की हो सकती है और दल के आधार पर उदयपुर में हो, जयपुर में हो जिस तरीके की मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, जब हम सरकारी मेडिकल कालेजों के अन्दर मान्यता प्राप्त करने के लिए मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के उन मानकों को पूरा नहीं कर सकते, एक मेडिकल

(श्री ओम बिरला)

कालेज की मान्यता के लिए जब मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की टीम आती है तो तत्कालीन रूप से एक प्रोफेसर उनके सम्बन्धित स्टाफ से एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में शिफ्ट करके हम मान्यता चला रहे हैं उस समय क्या हम उच्च मापदण्डों के आधार पर इस राजस्थान के अन्दर मेडिकल यूनिवर्सिटीज जिसमें सरकार का नियन्त्रण नहीं, जिस पर केन्द्र सरकार का नियन्त्रण नहीं, क्या उन मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो चिकित्सक निकलेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक नगरी वाला विद्यार्थी हो सकता है उसकी विद्या के आधार पर वह संस्कार विहिन बन सकता है लेकिन जिस तरीके का मेडिकल यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी निकलेगा वह मानव जीवन के साथ बहुत अंधकार होगा...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा...

श्री उपाध्यक्ष: अब धन्यवाद तो ले लीजिये ना आप...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसलिये जब सरकार चिंतित नहीं हो। सरकार चाहे खुद मानती हो, सरकार के सदस्य और माननीय सभापति मानते हों लेकिन मानने के बाद भी सरकार उन मानकों को, उन मानिटरिंग कमेटी को नहीं बना सके, सरकार विश्वविद्यालय के उन मानकों को स्थापित करने के लिये, मेडिकल यूनिवर्सिटी के मानकों को स्थापित करने के लिये नियन्त्रण नहीं कर सके तो लानत है ऐसी सरकार पर। जो जनहित की सरकार है। ऐसे अधिकार विहीन सरकार हो जायेगी तो राजस्थान का आने वाला विद्यार्थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी का डाक्टर जिन्दगी के साथ भी खिलवाड़ करेगा और राजस्थान की उच्च शिक्षा के मानक लगातार गिरते रहेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद बिरलाजी। बहुत-बहुत...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह हम सबकी चिन्ता का विषय है इसलिये जो निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरला साहब, आप बहुत गम्भीरता से बोल रहे हो। आपको पता है कितनी देर बोल चुके आप ?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में कह रहा हूं मैं। सरकारी विश्वविद्यालय में हम धारा 12 के अन्दर जो

(श्री ओम बिरला)

संशोधन ला रहे हैं, पहले ही सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत खराब है। हम रोज नये विश्वविद्यालय खोल देते हैं। न बजट है, न भूमि है, न प्रोफेसर हैं, न अध्यापक हैं। फिर उन वी सीज पर जिस तरीके से सरकार +++ सरकार यह बिल ला रही है...

श्री उपाध्यक्ष: यह इस तरह का शब्द नहीं। +++ शब्द निकाल दिया जाये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरा दावा है राजस्थान के विश्वविद्यालयों को आप पंगु बना दोगे। बजट नहीं, प्रोफेसर नहीं, अध्यापक नहीं, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जिस तरीके से इन 4 साल के अन्दर पंगु बन चुकी हैं, तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों को स्ट्रैंथन करना चाहिये। बजट आबंटित करना चाहिये। अच्छे प्रोफेसर भरने चाहिये ताकि हम सरकारी विश्वविद्यालयों को अच्छा बना सकें।

कोटा के विश्वविद्यालय में संघटक कालेज बना सकें और उस विश्वविद्यालय के व्यापक स्वरूप को बना सकें, मेरा यही निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री पेमारामजी। थोड़े संक्षेप में, क्योंकि आज बिजनस बहुत है। मैं तो सभी माननीय सदस्यों से कहता हूं, अकेले आप से नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा बिजनस आ गया...

श्री पेमाराम (धोद): यह राजस्थान में कानून बनने जा रहा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ सात-सात बिल लेकर आ जाएं तो फिर हम बोलेंगे तो सही...

श्री उपाध्यक्ष: आप बी ए सी के मैम्बर हैं। आप बी ए सी के मैम्बर हो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सात-सात यूनिवर्सिटीज के बिल, हम यहां कानून बनाने के लिये आये हैं उपाध्यक्ष महोदय। यह कानून बनाने की संस्था है, यह बजट पास करने की संस्था थोड़े ही है...

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, कानून बना रहे हो...

श्री उपाध्यक्ष: आप ही चाहते हो कि बिजनस आगे बढ़ाया जाये। मैं तो आप ही के निर्देश पर सोच रहा हूं। देखिये उनका निर्देश भी माना जायेगा ना, चीफ व्हिप हैं।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं बोलूंगा, आप घोषणा कर दो कि यह जो हम कानून लेकर आये हैं उस पर आप सीधे ही दस्तखत कर दो। काहे को बोलेंगे हम ? काहे को बोलेंगे ?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार अधिकार विहीन और मैम्बर भी अधिकार विहिन...

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ शिक्षा की नगरी में और उच्च शिक्षा में...

श्री उपाध्यक्ष: सरकार तो अपन मजबूत हैं तो सरकार मजबूत है। क्यों चिन्ता करते हो आप। भाषा संयत रखो लेकिन गवर्नर का नाम आइन्दा मत लेना कभी। आज तो डिलीट हो गया है।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार निजी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिये जो बिल लायी है, वाकई में गम्भीरता से तो सरकार को यह सोचना चाहिये कि किस तरह से उच्च शिक्षा का बंटाढार करने का काम किया है क्योंकि निजी विश्वविद्यालय का कानून बनाकर, बिल लाकर, लूट का अड्डा बनाकर छूट देने के लिये यह कानून लाये हैं। कायदा तो यह होता कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिये राजस्थान की सरकार अपने बजट का दस परसेण्ट हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती और राजस्थान के बेटे-बेटियों की उच्च शिक्षा गुणवत्ता वाली होती। रोजगारोन्मुख होती। लेकिन यह करने के बजाय एक यह बिल पेश करके राजस्थान प्रान्त ही एक बचा हुआ ऐसा प्रान्त था जिसमें एक साथ निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता देकर उनको लूट-खसोट करने की पूरी छूट देने का जो बिल लायी है राजस्थान की सरकार, मैं समझता हूं कि इससे आने वाले टाइम में राजस्थान में शिक्षा एक व्यापार की दुकान बन जायेगी। जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बेटा-बेटी डिग्री खरीदकर लायेंगे। समझदारी यह बनती है कि इस तरह से बिल लाकर यह सरकार आजाद भारत में जहां जिम्मेदारी तो सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कुछ ऐसे सब्जैक्ट हैं जिन पर सरकार को अपने बजट का हिस्सा खर्च करके अपने प्रान्त को बचाना चाहिये, अपने प्रान्त को आगे बढ़ाना चाहिये। मगर अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिये सरकार ने एक ही काम किया कि जिसकी जेब में पैसा है वह आओ और सरकार से मान्यता लेकर दुकान खोलने का काम करो। वह उच्च शिक्षा के नाम पर अपनी दुकान खोलेंगे। यही हो रहा है।

(श्री पेमाराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस है एक कालेज हमारे सीकर में है। अभी कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं कहूंगा तो आप कहेंगे उत्तेजना फैलाने... (व्यवधान) परसों वहां सीकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का जनता ने घेराव किया है। निजी विश्वविद्यालयों की यही देन है। मैं समझता हूं कि इससे सरकार का नियन्त्रण हट जायेगा और जो निजी विश्वविद्यालय खोलेगा, निजी कालेज खोलेंगे उनकी मनमर्जी ज्यादा तौर पर चलेगी...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पेमारामजी, आपने यह तो कहा ही नहीं कि इस पर कण्ट्रोल क्या है इस सरकार का प्रभावी?

श्री पेमाराम (धोद): मेरे से बची हुई कोई बात है वह आप कह देना। जो मुझे कहना है...

श्री उपाध्यक्ष: आसन चाहता है जो बात आप भूलवश नहीं कह पा रहे हैं उसको भी बोल दो...

श्री पेमाराम (धोद): नहीं, मुझे याद है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी आपकी बात बड़े दत्त चित्त होकर सुन रहे हैं। उनकी इतनी नहीं सुनी थी बिरलाजी की। आपकी तो बड़े दत्त-चित्त होकर, देखो, सुनो। दोनों कान खोल रखे हैं। दोनों कान।

श्री पेमाराम (धोद): दोनों कान? उपाध्यक्ष महोदय, तब तो यह इतने-इतने बिल एक साथ, यदि दत्त-चित्त होकर सुनते तो इतने बिल, क्योंकि इन निजी विश्वविद्यालयों में न ही तो गरीब का बेटा पढ़ पायेगा। न ही हमारे सामाजिक ढांचे के मुताबिक जो रिजर्वेशन मिलता है, वह मिल पायेगा। इनके अध्यापकों की हालत यह है कि वहां भी इनके अधिकारियों-कर्मचारियों का भयंकर रूप से शोषण, अभी देख रहे हैं भयंकर शोषण है। सरकारी कोई नियन्त्रण नहीं है और सरकार अपना पिंड छुड़ाना चाह रही है। मेरी राय यह है कि यह बिल लाने के बजाय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान की सरकार अपने बजट का दस परसेण्ट हिस्सा शिक्षा पर खर्च करे। निजी विश्वविद्यालयों पर नियन्त्रण के लिये सरकारी स्तर पर एक कमेटी बनाये, न कि बिल बनाकर उनको लूटने के लिये छूट दे। यदि लूटने के लिये छूट दे देंगे तो आने वाले 2-5-7 साल बाद शिक्षा के ढांचे का बुरी तरह से बंटाधार हो जायेगा इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं सरकार अपने अधीन बनाने के लिये कोई नियन्त्रण कमेटी बनायेगी। इस तरह का

(श्री पेमाराम)

बिल पेश करके उनको लूटने की छूट नहीं देगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अमराराम (अनुपस्थित)। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 इसमें सरकार अधिनियम की धारा 12(1) में संशोधन लेकर आयी है और यह संशोधन इस मकसद से लेकर आयी है कि निजी विश्वविद्यालय एक-दो नहीं, यह 33 जो अब तक निजी क्षेत्र में खुले हैं उन सबमें इस संशोधन के माध्यम से जो स्पोंसर्ड बाडी है जो सरकार की सहमति से चेयर पर्सन नियुक्त करती है, पूर्व में 12(1) के अन्दर यह प्रावधान था कि वह 5 साल के नियुक्त होगा।

अब सरकार ना जाने किसके दबाव में यह संशोधन लेकर आयी है कि यह स्पोंसर्ड बाडी अगर चेयर पर्सन की नियुक्ति करेगी तो 5 साल के बाद भी उसकी नियुक्ति कर सकेगी। यानि परपीचुअल पावर लेकर सरकार इन निजी विश्वविद्यालयों में आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रगति प्रतिवेदन को जो सरकार ने हमें मुहैया कराया था, उसे पढ़ा था। राज्य में सरकार की तरफ से वित्त पोषित कुल 23 विश्वविद्यालय हैं, जिनको हम सरकारी क्षेत्र में कह सकते हैं और निजी क्षेत्र में 33 विश्वविद्यालय हैं। 1373 महाविद्यालय खुले हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आने लगे आपको न जाने क्या लगा कि हम कुकुरमुत्तों की तरह निजी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा पर घोषणा करते चले जायें। इन निजी विश्वविद्यालयों को रियायती दरों पर जमीनें लुटाते चले जायें। यह निजी विश्वविद्यालय कागजों की परिधि से बाहर नहीं निकलें। आपको न जाने कौनसा समर्थन मिल जायेगा?

मंत्री महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके खुद के इलाके में आपने राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय जिसके संशोधन का बिल आप लेकर आये हैं इसी में, आपने खोला मत्स्य विश्वविद्यालय, 2012 में ब्रज विश्वविद्यालय, शेखावाटी विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता, जनसंचार विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दैनिक न्याय विश्वविद्यालय, डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय और स्पोर्टस विश्वविद्यालय, झुंझुनूं जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रस्तावित है। जिनके नाम मैंने गिने हैं, यह सारे विश्वविद्यालय 2012 में खुले। एक तो बजट की घोषणा, जिसकी चर्चा सदन में हुई थी स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय झुंझुनूं, जो पहले पीपीपी मोड़ पर था, अब आपने घोषणा की है कि आप सरकारी क्षेत्र में खोलेंगे। उसके लिए कितना बजट प्रावधान है। मैंने बजट के कागजों को खंगालने की कोशिश की तो मुझे कहीं फूटी कौड़ी दिखाई नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 2012 के अन्दर यह विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। क्या आप कह सकते हो कि इन विश्वविद्यालयों को खोलने से पहले इनके एक्ट का अनुमोदन जो आपने हमसे करवाया, उस एक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, यूजीसी के मापदंड के अनुसार खोलने की बात हुई, क्या एक भी विश्वविद्यालय इन 33 विश्वविद्यालयों में से यूजीसी के मापदंडों को पूरा करता है? अगर एक भी विश्वविद्यालय करता है तो आप मुझे बतायें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 3 जनवरी, 2009 को उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए एक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की थी, आपने सब कमेटी बनाई। मैं धौद से आने वाले माननीय सदस्य की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जिन्होंने कहा कि इन सारे निजी विश्वविद्यालयों में निजी दुकानें खुल गयीं। इनके नियंत्रण के लिए कोई न कोई नियामक बाडी होनी चाहिए। आपने वह सब कमेटी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बनाई। आज तक वह रेगुलेटरी कमीशन की बाडी के लिए जो रिकमंडेशन थी, वह लेकर आप क्यों बैठे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हालात क्या हैं? आज विश्व के 200 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में देश के एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। 63 वर्ष की आजादी के बाद जब हिन्दुस्तान में इस बात की आहट हो कि विदेशी विश्वविद्यालय यहां खुलेंगे तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ हो नहीं सकती। शिक्षा का विकास शिक्षा का व्यापार बन गया। शिक्षा के बाजार सजने लग गये। आपकी आज इन निजी विश्वविद्यालयों पर कोई मानिटरिंग बाडी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल महोदय ने कुलपति कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। वाइस चांसलर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में उन्होंने खुद ने कहा कि राजस्थान के अन्दर उच्च शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। आज हमारी हालत क्या है। हम इस देश के अन्दर उच्च शिक्षा की दृष्टि से पांच फिसड्डी राज्यों में शामिल हो गये हैं।

उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी ने मापदंड बना रखा है ग्रेडिंग का, नेशनल असेसमेंट एंड एकेमिडिशन कौंसिल जिसको नेक्क कहते हैं, वह गुणात्मक दृष्टि से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग देती है। मंत्रीजी, आप उत्तर दें तो बतायें कि अपने राजस्थान के अन्दर 55 विश्वविद्यालय हैं निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में, 1552 महाविद्यालय हैं, नेक्क की ग्रेडिंग जिसकी मान्यता 5 वर्ष के लिए होती है, उस ग्रेडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में? उसमें रिसर्च का स्तर कैसा है? उसके अन्दर अध्यापन की गुणवत्ता कैसी है? उसकी फैकल्टी कैसी है? उसमें पेपर पब्लिकेशन कैसा है? इन बात पर वह ग्रेडिंग देते हैं। हमें शर्म आती है कि 2012-13 में नेक्क ने हमारे जितने विश्वविद्यालय मैंने गिने हैं, टोटल करोगे तो 1552 महाविद्यालय और 55 विश्वविद्यालय, जिनमें से सिर्फ 93 को ग्रेडिंग देने के लायक समझा और बाकी के लिए कहा कि यह किसी तरह मापदंडों पर खरे उतरते ही नहीं हैं। हालत क्या है?

आपने इंडियन हायर एजुकेशन दी कल्ट प्लांट बिहाइंड, उस पेपर को जरूर पढ़ा होगा। अप्रोच पेपर है। उसके अन्दर यह लिखा कि हमारा ग्रोस इनवाल्वमेंट रेश्यो राजस्थान का देश में सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से चौथा स्थान है 9.6, यानि 100 बच्चे निकलते हैं तो उसमें से 9.6 फीसदी बच्चे उच्च शिक्षा में महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां आपके प्रमुख शासन सचिव बैठे होंगे, काफी अच्छे अधिकारियों में गिने जाते हैं। उन्होंने आयोजना बोर्ड की कार्यशाला में क्या बयान दे दिया। उन्होंने चित्रण कर दिया आपकी सारी उच्च शिक्षा का, उन्होने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा अनियमित, अनैतिक व्यवस्था तक पहुंच रही है और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट है। यह हालत है आपकी उच्च शिक्षा की और आप बिल लेकर आये हैं एक साथ सात विश्वविद्यालयों के।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो बिल लेकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आये हैं, उन विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालयों का स्टिंग आपरेशन हुआ था 2011 में। हिन्दुस्तान के सारे न्यूज चैनलों में वह विश्वविद्यालय किस तरह से पीएचडी की डिग्री को बेच रहे हैं। वह विश्वविद्यालय किस तरह से विश्वविद्यालयों के नाम पर काला धब्बा बन गये। पूरे देश ने स्टिंग प्रोग्राम को टीवी चैनलों के माध्यम से देखा। उसमें आक्षेप यह लगाया कि जिन विश्वविद्यालयों का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिनको आप इस बिल के अन्दर और अनियमित अधिकार देना चाहते हो, उनकी ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूं। उसमें आक्षेप यह लगाया कि यह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्रजी, आपसे अर्ज कर रहा हूं, बात तो सुनिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, पूरा देश जानता है कि आपकी कृपा मेरे ऊपर है। पूरा देश जानता है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन जानता है कि नहीं। मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि आप तो बहुत गम्भीरता से, संक्षेप में बहुत ज्यादा कह जाते हो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं यह निवेदन कर रहा था कि आक्षेप यह था कि यूजीसी के मापदंड पूरे नहीं हो रहे हैं। एआईसीटीई के मापदंड पूरे नहीं हो रहे। एनसीटी के मापदंड पूरे नहीं हो रहे। इन सब के आधार पर मंत्री महोदय आपने 5.10.2011 को आपके पत्र क्रमांक प.3-28 शिक्षा 4, 2011 इसके अन्तर्गत आपने जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी के अध्यक्ष बनाये सी.एम. खटीक, जोइंट डायरेक्टर, श्रीमती निर्मला गोदिका, डिप्टी डायरेक्टर, धीरेन्द्र देवश्री, व्याख्याता और राजेन्द्र गुप्ता, उप विधि परामर्शदात्री निदेशालय, जयपुर और जांच रिपोर्ट आपके पास आयी, दो जांच आपने की एक 5.10.2011 को की और एक 15.06.2011 को। जांच रिपोर्ट आपके यहां सुशोभित हो रही है 2.08.2012 को।

उस जांच रिपोर्ट की मोटी-मोटी बात मैं निवेदन कर दूं। उन 4 निजी विश्वविद्यालयों के लिए निवेदन कर दूं। उसमें यह लिखा, 2009 में यूजीसी ने मापदंडों के अन्दर एक तब्दील की थी, एक नया रेगुलेशन दिया, एक नया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परिपत्र जारी किया कि जो भी विद्यार्थी पीएचडी, शोध सम्बन्धी पाठ्यक्रम देना चाहता है, उसके लिए उन्होंने कोई मापदंड निर्धारित किये। उन्होंने कहा कि पीएचडी और एम फिल के लिए पहले प्रवेश परीक्षा होगी। मैं असत्य बोल रहा हूं तो बता दो। उन्होंने कहा कि फिर 6 महीने का निर्धारित कोर्स होगा। उसके उपरान्त अंतिम परीक्षा होगी और फिर पीएचडी का रजिस्ट्रेशन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह 4 विश्वविद्यालय जिनमें निम्स है, भगवन्त विश्वविद्यालय है, उनमें जो जांच रिपोर्ट कह रही है, यह जांच रिपोर्ट मैं टेबल कर दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जांच रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य अंश आपको बता रहा हूं, जांच रिपोर्ट कह रही है कि आठवीं कक्षा स्तर के प्रश्न पूछकर यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रवेश परीक्षा का मखौल उड़ाया गया। यूजीसी द्वारा निर्धारित 6 माह के कोर्स को मात्र 10-20 दिन में पूरा कर लिया। एक है आपका विश्वविद्यालय जिसका आप लेकर आये हो, झाबरमल टिबरेवाल निजी विश्वविद्यालय, उसके अन्दर जांच रिपोर्ट क्या कह रही है, उसमें शिक्षकों की संख्या है 52, छात्रों की संख्या है 300 और पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या है 2878 और इसके गाइड 2015 हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार होगा कि जब पीएचडी की डिग्री बांटने के लिए बिना किसी आधार के, पैसा लेकर, इस जांच रिपोर्ट में कहा है कि 70-70 हजार रुपये आपसे फीस रखी और उस गाइड से भी यह तय करा दिया कि वह पावर प्रजेंटेशन देगा।

उस आधार पर थिसिस भी वहीं लिखेगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मखौल क्या होगा और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन का जो अप्रोच पेपर है उसमें आया है कि एक विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन पास करता है उसका सिर्फ एक प्रतिशत विद्यार्थी पीएचडी तक पहुंचता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही नहीं यह जो भगवन्त विश्वविद्यालय है, अब जिन शिक्षकों को आपने गाइड के तौर पर, वही जांच रिपोर्ट कह रही है, वह सारे के सारे 40 हजार से 60 हजार रुपये लेकर गारण्टी से, पीएचडी कराने की उन्होंने गारण्टी ली। यह जो जांच हुई इसमें यह पांच विश्वविद्यालय हैं, इसमें सिंघानिया विश्वविद्यालय भी है जिसकी चर्चा इन दिनों में चल रही है, इन्होंने गोचर भूमि में अपना विश्वविद्यालय खोल लिया, प्रशासन ने जाकर गोचर भूमि से खाली करवाया,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक कोर्स करवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से, मैं स्पेसिफिक आरोप लगा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में जरूर कहें, सिंघानिया विश्वविद्यालय कह रहा है, 6 महीने के लिए एयरक्राफ्ट मैंटेनिंग इन्जीनियरिंग कोर्स, यह इन्होंने प्रारम्भ करा रखा है। पूरे देश के लोग यह सोचते हैं कि एयरक्राफ्ट मैंटेनिंग इन्जीनियरिंग कोर्स कहां मिलता है, उनको नौकरी मिलेगी लेकिन आपकी यह जो संस्था है वह डीजीसीए है भारत सरकार की, वह कह रही है कि हमें मालूम नहीं है, मान्यता प्राप्त है।

निम्स विश्वविद्यालय, आपका चहेता है, मुझे मालूम है, निम्स विश्वविद्यालय मंत्री महोदय एक ही सब्जैक्ट पर, यह जांच रिपोर्ट कह रही है पांच-पांच छात्रों को उसी सब्जैक्ट में पीएचडी कराकर पीएचडी देने का काम किया। आपके इस निम्स विश्वविद्यालय को डिस्टेंस एजुकेशन में यूजीसी ने पीएचडी और एमफिल पर रोक लगा रखी है पर इस विश्वविद्यालय ने पीएचडी करवाई है। गाइड तो नेपाल में बैठा है, छात्र कोयम्बटूर में बैठा है और पीएचडी की डिग्री करा दी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप विश्वविद्यालय के नाम पर किस तरह की अनियमितता करने वालों को छूट देने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भगवन्त विश्वविद्यालय, इसके बारे में आपको मालूम है कि एक छात्रा ने शिकायत की, स्पोंसर्ड बोर्ड के चेयरमैन की शिकायत, छात्रा ने अपने उत्पीड़न की शिकायत की और उसके बाद भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की। यह विश्वविद्यालय बीटेक फैकल्टी एआईसीटी के मापदण्डों के अनुसार अपने यूनिवर्सिटी कैम्पस में इन्होंने तीन महाविद्यालय और खोल रखे हैं उसी कैम्पस में। एक कैम्पस में, विश्वविद्यालय के कैम्पस में तीन और महाविद्यालय खुल जायें जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज से एफिलिटेड हो जायें, यानी एक ही भवन को बताकर उसी भवन में विश्वविद्यालय खोलने की बात करो, उन्हीं भवनों में महाविद्यालय संचालित करो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है?

इसी तरह से स्पेसिफिक विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय ने चार महाविद्यालय खोल रखे हैं, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के अन्दर और छत्तीसगढ़ के मामले में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि जिस राज्य के अन्दर निजी विश्वविद्यालय खुलें उस राज्य के अन्दर निजी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्वविद्यालय के एक-एक एक्ट पारित हों विधान सभा के सदन में, उस एक्ट के अनुसार वह विश्वविद्यालय काम करे इसके लिए सुनिश्चित करें।

आज राजस्थान में 33 विश्वविद्यालय खुले हैं, एक विश्वविद्यालय अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मानदण्डों को पूरा करता हो तो आप कहो मैं तैयार हूं। स्पोंसर्ड बोर्ड के नाम पर, चेयरपर्सन के नाम पर लाल बत्ती लगाये घूम रहे हैं मतलब आप शिक्षा में निजी क्षेत्र को लाकर शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हो, गरीबों से दूर कर रहे हो। शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर जो मखौल हुआ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...।

श्री उपाध्यक्ष: लाल बत्ती का तो अधिकार दे रखा है उनको गवर्नमेंट ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबने लगा रखी है, कुलाधिपति, कुलपति...

श्री उपाध्यक्ष: वह लगाने का अधिकार है या नहीं यह असली बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने सही कहा, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति एक शब्द को पकड़ लेता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे ही सीखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं यह सारे के सारे धन्ना सेठ अपने आपको कुलाधिपति और कुलपति की डिग्री लेकर, कुलपति बनकर लाल बत्ती के अन्दर घूम रहे हैं, यह व्यवसायीकरण हो रहा है शिक्षा का।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह विधेयक का सब्जैक्ट नहीं है, यह तो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस का काम है, गलत है तो अपना काम है क्या यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ठीक है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस पर आता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 33 विश्वविद्यालयों को आप असीमित शक्तियां देना चाहते हैं, इनके स्पोंसर्ड बोर्ड को कहते हैं कि आप जिस किसी को चेयरपर्सन बनाओगे वह पर्पीचुअल होगा, एक बड़े धन्ना सेठ ने विश्वविद्यालय खोल लिया और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हो? आपने राजस्थान में जमीन लुटाने की बात कही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात खतम कर रहा हूं, आपने पूर्ववर्ती सरकार पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जमीन घोटाले के बहुत आरोप लगाये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह मनीपाल यूनिवर्सिटी, इसको 33 हैक्टेयर जमीन दी आपने 27.7.2012 को डीएलसी की 40 प्रतिशत रेट पर, इसी मनीपाल यूनिवर्सिटी को फिर 66 हैक्टेयर दे रहे हो उसी डीएलसी की 40 प्रतिशत रेट पर, इसी मनीपाल फाउण्डेशन को फिर 55 हैक्टेयर जमीन दे रहे हो और कुल मिलाकर इस मनीपाल यूनिवर्सिटी को आपने 154 हैक्टेयर जमीन दहमीकलां, सांगानेर में दे दी। यह अरबों रुपयों की जमीन और एक इन्च में काम नहीं हो रहा वहां विश्वविद्यालय का। इसी तरह से महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय को आपने 30 एकड़ जमीन दे दी, यह मुंडियासर, तहसील जयपुर में इसमें डीएलसी रेट पर आपने दी, 20 प्रतिशत एक्स्ट्रा लगाकर, 24.7.2012 को। बियानी शिक्षा समिति को 40 बीघा कालवाड़ रोड पर दे दी। जमीन लुटाने का काम कर रहे हैं आप। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी वह जानकारी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीन लुटाने के लिए जैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है राजस्थान के धन्ना सेठों के साथ मिलकर मंत्री महोदय राज में बैठकर इस तरह का काम कर रहे हो। दूसरों के ऊपर पत्थर फैंकने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिये। जमीन की लूट में कौन-कौन इन्वाल्व हैं? निजी विश्वविद्यालय के नाम पर जिस तरह राजस्थान के आम अवाम की जमीन से लूट हो रही है मैं समझता हूं कि आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, आपका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जायेगा। आप जिस तरह से जमीन लुटा रहे हैं, एक तरफ आप डिग्री बांटने के लिए, पैसे लेकर डिग्री बांटने के लिए निजी विश्वविद्यालय खोलने की छूट दे रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप वापस लोगों का जनमत जानने के लिए प्रचारित करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंह। आपका टाइम इन्होंने नहीं लिया क्या? माननीय राजेन्द्रसिंहजी ने नहीं लिया? अच्छा। माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंहजी, आपकी सारी बात तो यह बता गये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह सारे कागज मेरे ले आये और खुद ही बोल दिया, सारे के सारे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो जमीन के अलाटमेंट की बात करनी थी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सदस्य, पेमारामजी, आपने कहा था मंत्री महोदय दोनों कान खोलकर बात सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो उनका सब्जैक्ट भी कर दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर का, क्या करें, अब बोल नहीं सकता।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपने यह ध्यान नहीं दिया, मंत्रीगण कान की मशीन तो साथ लेकर ही नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो कहने लगे, मैं बड़ाई करता हूं आपकी इसलिए चूक हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई बात नहीं, अगर मशीन साथ में नहीं लाये तो, मुझे बताओ, अभी जाकर ले आता हूं। इसमें कोई बात नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मशीन है कि नहीं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्री सब मशीन लगाते हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कानों में डालकर आते हैं नहीं सुनने के लिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि शिक्षा और चिकित्सा, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी बेसिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है परन्तु केवल सरकार के भरोसे हम शिक्षा के स्तर तक पहुंचा पायें और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे पायें, यह भी सम्भव नहीं है इसलिए प्राइवेट सैक्टर को इन्वाल्व इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के फील्ड में आये और एक गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारे बच्चों को दें इस उद्देश्य से प्राइवेट सैक्टर में इन यूनिवर्सिटीज, कालेजेज और स्कूलों को लेकर आये। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो बिलकुल उल्टा रहा है। आप अगर पुराने समय की बातें सोचने लग जायें, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो यही आपका राजस्थान विश्वविद्यालय जो हिन्दुस्तान के अन्दर गिनी-चुनी यूनिवर्सिटीज में नाम हुआ करता था, लोग बाहर से पढ़ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर आया करते थे। एक रेपूटेशन थी, आप जैसे लोग वहां अध्ययनरत होते, राजेन्द्रजी जैसे लोग...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारे जैसे मेधावी छात्र।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप जैसे मेधावी छात्र वहां पढ़ते थे, परन्तु देखते-देखते, सामने प्रतापजी विराजे हैं, पर जैसे-जैसे समय गुजरा हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता बढ़नी चाहिए थी वह शिक्षा का स्तर हमारा

(डा. दिगम्बर सिंह)

लगातार नीचे चलता चला गया और जितना प्राइवेट सैक्टर इन्वाल्व हुआ, प्राइवेट सेक्टर के अन्दर एक कामर्शियलाइजेशन इस विभाग का हो गया।

मानीनीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खिलाफ हम नहीं हैं परन्तु यूनिवर्सिटीज अगर एक दुकान खोलकर बैठ जाये और डिग्रियां बांटने लग जाये जैसे अभी-अभी माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा इस सम्बन्ध में रखी है। आज हालत यह है कि पीएचडी की डिग्री अगर लेनी है, आप रजिस्ट्रेशन करवा जाइये, रजिस्ट्रेशन कराकर आप कहीं भी चले जायें, आपका टाइम पूरा हो जाये, आप अपनी डिग्री ले जायें।

क्या यही उद्देश्य था हमारा, मैं तो यह मानता हूं कि स्कूल के समय से बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और जब सैकण्डरी एजुकेशन में आते थे मिडिल से, साइंस में वही बच्चे जाते थे, जो इंटेलीजेंट होते थे, उनसे थोड़ी कम परसेंटेज वाले लोग तो आर्टस में आते थे, जो इंटेलीजेंट बच्चे होते थे, साइंस, मेथेमेटिक्स या बायलोजी में, उनमें से होशियार बच्चे तो डाक्टर बन जाते थे, इंजीनियरिंग में चले जाते थे और बाकी जो बचे हुए बच्चे होते थे, चाहे वह आर्टस में, चाहे कामर्स में, वह बी.काम, एम.ए, बी.ए. करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, इसमें काम्पीटिशन पास करके आते थे। आज वही इंजीनियर्स जिनका लोहा दुनिया में हमारे यहां के इंजीनियर्स का लोग मानते हैं, आज हम क्या एजुकेशन इंजीनियरिंग की दे रहे हैं, यह आपने सोचा कभी? आज स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि एसटीसी में एडमिशन नहीं मिलता, एसटीसी में जिस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, वह बच्चा इंजीनियरिंग करके पास हो जाएगा और उस डिग्री को लेकर चारों तरफ घूमता रहेगा कि मैंने बी.टैक कर लिया। क्या हम यही क्वालिटी पैदा करना चाह रहे हैं? ऐसे मिस्त्री बिना ट्रेनिंग के जो कमाने लगते हैं, आज हमारे इंजीनियर्स की भी स्थिति वही करना चाहते हैं? हम लोगों ने आज इतने इंजीनियरिंग कालेज खोल दिये, कुकुरमुत्ता की तरह और उनकी सीट्स बढ़ नहीं रही, उसके बाद भी लगातार सरकार खोले जा रही है। वही हालत इन यूनिवर्सिटीज की है। 33 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सैक्टर में आपने सही कहा, जहां डिग्री बिक रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, निम्स यूनिवर्सिटी की तो मेरे सामने की स्थिति है जिसका माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य ने जिक्र किया, उसमें केवल एक-एक जगह 3-3 बच्चों को नहीं लिया, एडमिशन नहीं कराया, बल्कि बच्चों का शोषण भी यूनिवर्सिटी में हर तरह से आज वहां पर हो रहा है। अगर आप

(डा. दिगम्बर सिंह)

चाहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर के अन्दर यूनिवर्सिटी आएं, मैं भी चाहता हूं कि आएं पर एक स्टैण्डर्ड के साथ आएं और गवर्नमेंट के कंट्रोल के साथ रहनी चाहिए, इनको बिलकुल कंट्रोल फ्री हमको नहीं करना चाहिए, तो केवल यह बात सही कही थी, मैंने भी देखा लाल बत्ती में राजस्थान हाउस में रूके हुए कुलाधिपति, पता नहीं उन्होंने क्या-क्या लिख रखे हैं अपने बोर्ड बड़े-बड़े गाड़ियों के ऊपर, तो केवल अगर पैसों के ऊपर यह सब होने लगा तो शिक्षा का स्तर तो, उपाध्यक्ष महोदय, नीचे जाएगा और गर्त में जाएगा और हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अपने काम्पीटिशन की। आज क्या इस प्रोडक्शन की, जो हम बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे एजुकेशन में, क्या उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर हम काम्पीटिशन कर पाएंगे। यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए, इसको पास नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय और सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय जो निजी विश्वविद्यालय चलाने वाले लोग हैं, इनकी हर ख्वाहिश को अगर पूरा करना हमने अपना धर्म समझ लिया है कि उनकी मांग को मानना ही हम सब जन प्रतिनिधियों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है तो आप पालना करिए। पर इसके परिणाम जिस हालात में पहुंचे उस पर भी विचार करना आवश्यक समझता हूं। निजी विश्वविद्यालय खोलो, शिक्षा का स्तर बढ़े, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, हमारे बच्चे कहीं भी जाएं तो वहां उनका मान और सम्मान, उनकी एजुकेशन का हो, यह तो हर व्यक्ति चाहता है, राजस्थान का व्यक्ति चाहता है लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि जो कानून हमने 2012 में जिस विश्वविद्यालय को बनाकर अपन ने इस सदन में पास किया, उनको भी थोड़े ही दिन में यह अहसास हो गया कि कानून में कहीं रोक है, हमारा जिंदगी भर का आधिपत्य कैसे कायम रहे, मतलब, यह आधिपत्य 2012 में हमको पता नहीं था लेकिन 2013 में हमको यह पता हो गया कि इन धन्ना सेठों को इनकी मर्जी के अनुसार जिंदगी भर का अधिकार इनको सुपुर्द कर दो ताकि ये विश्वविद्यालय को जैसा चाहें, वैसा चलाएं, जिस ढंग से शिक्षा का बंटाधार करें तो न तो सरकार का इस पर कोई कंट्रोल रहे, न यूजीसी का कोई कंट्रोल माने, केवल हम अपने पूर्वजों की पूंजी के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आधार पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति बन कर एक बार जिंदगी में बैठ जाएं तो जब तक भगवान उनको ऊपर नहीं बुलाएगा तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। हंसने की बात नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मंत्री महोदय, चाहे आप किसी के दबाव में इस लोकतंत्र की जिस ढंग से दुर्गति होती जा रही है, वह बहुत महंगा पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आप ओर मैं यहां एमएलए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक्स हो जाएंगे या क्या यह सही है कि हो जाएंगे लेकिन जो परिस्थितियां आगे आकर खड़ी होंगी न, वह आपको और हमको सब को कोसेंगी कि हमने किस दबाव में आकर कानून का मखौल बनाने का काम किया है। मैं सोचता हूं जो कानून हमने 2012 में बनाया, उसको 2012 में संशोधन करने की जरूरत पड़ जाए तो लोग हमारी बुद्धि पर हंसेंगे नहीं, तरस नहीं खाएंगे और वास्तव में शब्द किस प्रकार के लिख रहे हैं कि यह जो राजस्थान निजी विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक, 2013, अब इसको आप लिख रहे हो कि राजस्थान के स्वपोषित विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम में विद्यमान धारा 12(1) को चेयरपर्सन व उसके पद पर पुन: नियुक्ति को निर्बंधित करता है, रोकता है कि दुबारा नियुक्ति उसकी नहीं होगी। यह अपन ने कानून पास किया, 2012 में संशोधित करने की मांग की गई थी, किसके द्वारा, सेठों के द्वारा, सेठ के द्वारा मांग की गई कि आपने जो 5 साल का अधिकार हमको दिया, यह हमको जिंदगी भर का अधिकार दे दो, आप जेसे अच्छे लोग बैठे हों, हमारी बात मानकर लगाइए ठप्पा ताकि हम और हमारी औलाद जिंदगी भर तक इस विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता बनकर के इस शिक्षा के व्यापार में धंधेबाज बन जाएं, यानि किस तरह से शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। उनकी मांग पर, आपको यह कैसी है, आप अपने विश्वविद्यालय के लिए अपने कुलपतियों को तो जिंदगी भर का पट्टा नहीं दे सकते हो, उनको तो तीन साल का ही कार्यकाल मिलता है, क्योंकि वह अक्ल से कम होते हैं और यह जो चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने दो दिन किताब नहीं पढ़ी होगी लेकिन एक बार उसके चेयरपर्सन बन गये, दो करोड़ रुपये जमा करा दिये, हमारे फण्ड में डाल दिये और यह बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी इसलिए उनको जिंदगी भर का पट्टा हम देने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कभी यह रिकार्ड पर पड़ा रहेगा और इस रिकार्ड पर जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी तो लगेगा कि हम इस लोकतंत्र के प्रहरी बड़े-बड़े सेठों को किस तरह से झुक करके सलाम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करते हैं और इनकी हर मनोकामना को पूरी करना अपना धर्म समझकर इस लोकतंत्र का जो मखौल बना रहे हैं और उसके कारण से आपने देखा होगा, संशोधित करने की मांग की गई थी क्योंकि मात्र 5 बरस में विश्वविद्यालय का शैक्षित रूप से सशक्त संस्था के रूप में निर्माण नहीं किया जा सकता, 5 साल सशक्त करना विश्वविद्यालय के लिए कम पड़ता है और हमारे यहां कुलपति को तीन साल का कार्यकाल मिलता है, वह सशक्त से भी सशक्त कर देता है। इतने साल में अपने विश्वविद्यालय चला लिये। माजरी जैसा व्यक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति रह गया और मोहन सिंहजी मेहता जैसे व्यक्ति भी रह गये, तीन वर्ष में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय का कायाकल्प कर दिया। इन बड़े-बड़े धन्ना सेठों के लिए पांच साल का कार्यकाल छोटा पड़ता है इसलिए इसको कब तक, देखिए, इसमें शब्दों का प्रयोग करो, आप जो लाओगे, वह तो आप पास करोगे लेकिन अपने किये पर पछताओगे। यह मैं रिकार्ड पर दर्ज करवा रहा हूं और आने वाली पीढ़ी इस बात को पूछेगी क्योंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी, कब, नवम्बर में क्योंकि राजस्थान की विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिसके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था, मतलब, यह अध्यादेश निकालना आवश्यक हो गया था, अगर पांच साल से वह जिंदगीभर का पट्टा विधान सभा के समय में आकर के मिल जाता ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कमेंट नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तो प्रदेश को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो जाती। मैं यह सोचता हूं कि जिस प्रकार और यह आवश्यक हो गया था इसलिए उन्होंने 12 नवम्बर, 2012 को राजस्थान निजी विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन अध्यादेश, 2012, 2012 के अध्यादेश संख्या 12 प्रख्यापित किया जाए, जो राजस्थान राजपत्र के असाधारण भाग चार के में .....

श्री उपाध्यक्ष: यह तो सेट लैंग्वेज है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मतलब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमको इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने के लिए भी अध्यादेश जारी करना पड़े।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(15.00 बजे)

अगर वास्तव में अध्यादेश की कोई आवश्यकता लगती, समझ में आती, कोई पहाड़ टूट जाएगा, कोई धरती फट जाएगी, अगर एक दिन में चेयरपर्सन को चेयरपर्सन नहीं बनाया तो इसकी जागीरी चली जाएगी, यह सोचकर अमेंडमेंट लाकर शिक्षा का मखौल बना रहे हैं। ये जो 33 विश्वविद्यालय हैं इन 33 में से 2-4 का तो मैं नहीं कह सकता जो शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर विद्यार्थियों का भला कर रहे हैं, बाकी इन सब दुकानदारों ने जिस ढंग से शोषण किया है वह ठीक नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती अगर इन विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ छात्र इतना टेलेंटेड बनकर जाता कि वह हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया में कहीं भी जाता तो कम से कम अपना और राजस्थान का नाम कमाता। हमारे विश्वविद्यालय तो भले ही 3-4 थे लेकिन हमारे विश्वविद्यालय से निकले हुए बच्चे दुनिया के जिस किसी भी देश में आज दिन तक गये हैं तो उन्होंने अपनी बुद्धि और प्रखरता का आज भी लोहा मनवा रखा है और इसीलिए ओबामा को कहना पड़ रहा है कि तुम पढ़ो नहीं तो हिन्दुस्तानी लोग यहां आ जाएंगे। यह शिक्षा का स्तर था। राजस्थान के हमारे डाक्टर जहां-जहां भी दुनिया में जाकर सेवायें दे रहे हैं वहां उनका नम्बर एक है। यानी जब हमारे चार विश्वविद्यालय इस स्तर के विश्वविद्यालय के कारण से स्तर मेन्टेन कर सकते हैं वहां आप इन बड़े-बड़े सेठों को ये विश्वविद्यालय सुपुर्द कर रहे हैं। जब एक प्राइमरी स्कूल भी खुलता था तो भी कम से कम डी.ई.ओ. का इंस्पेक्शन होता था जब उसको अस्थायी मान्यता मिलती थी और स्थायी मान्यता के लिए उन सारे मापदण्डों को जब तक पूरा नहीं करता तब तक नहीं मिलती थी, प्राइवेट स्कूल जो पांचवीं का खुलता था उसको भी मान्यता नहीं मिलती थी। हमने तो इन विश्वविद्यालयों में जहां डिग्रियां मिलती हैं, पीएच.डी. होती है, आप कृपा करके इतना ही कर दें कि इन विश्वविद्यालयों के बनने के बाद इस राजस्थान में इन विश्वविद्यालयों के द्वारा कितने पीएच.डी. के छात्र निकाले। मेरी गारंटी है कि देश की आजादी से लेकर अब तक जितनी राजस्थान में पीएच.डी. नहीं कराई होंगी उससे दस गुना पीएच.डी. केवल इस थोड़े से पीरियड में कराई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मन की पीड़ा ही कह सकता हूं, होना जाना कुछ नहीं है क्योंकि परनाला तो वहीं गिरेगा जहां सरकार चाहेगी। अमेंडमेंट जैसा करना चाहेंगे वैसा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: जैसा सदन चाहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन इस अमेंडमेंट के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से आने वाला जो खतरा है उसका ध्यान कराना चाहता हूं। आज नहीं करो तो कभी पूर्व विधायक और पूर्व मिनिस्टर बनने के बाद फिर एहसास करना कि हमने जिस प्रकार के कर्म किये उसके कारण से राजस्थान की शिक्षा इन पूंजीपतियों के गिरवी रह गई है जो बच्चों को डिग्रियां बेचते हैं। हमारे यहां से निकले हुए इंजीनियरिंग कालेज के लड़के को आज की तारीख में उनके ही इंजीनियरिंग कालेज में 8 हजार और 9 हजार रुपये में नौकरी मिलती है। उस बच्चे की घुटन और दर्द को कौन महसूस करेगा? जिस प्रकार का बच्चा आज वो बना रहे हैं वो किसी भी दूसरे राज्यों में जाए तो इन विश्वविद्यालय का नाम आगे लगा रहा तो कहेंगे कि इस विश्वविद्यालय के बच्चे को यहां नौकरी नहीं मिलती है, यहां एडमिशन नहीं मिलते हैं। यह राजस्थान की स्थिति की है, कहां राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र दुनिया में किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर जब एडमिशन के लिए एप्लाई करता था तो उसको पात्रता और प्रमुखता मिलती थी लेकिन आज राजस्थान के हमारे कई विश्वविद्यालय का बच्चा कहीं भी जाता है तो उसको अयोग्य समझकर बाहर निकाल देते हैं, उसकी एप्लीकेशन को एक तरह से देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब थोड़ा समाप्त करें। समय आपको ध्यान नहीं है, बोलने वाले को ध्यान नहीं रहता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं उसी अमेंडमेंट पर कह रहा हूं जो ये ला रहे हैं। उस चेयरपर्सन को तब तक जब तक वो चाहे, जब तक आपकी मेहरबानी होती रहे। क्योंकि जब तक दूसरा नया बनकर नहीं आयेगा तब तक वो ही चलेगा और बनाने वाले ही वो हों तो वो क्यों बनाएंगे इसलिए जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो ही चेयरमैन रहेगा और वो ही सारा सिस्टम रहेगा। न यू.जी.सी. का कंट्रोल, न सरकार का कंट्रोल है और इन विश्वविद्यालयों में आपका एक नामिनी रहता है वो भी आपका डायरेक्टर और डायरेक्टर का नामिनी। इसलिए यह एक्ट बनाकर इन विश्वविद्यालयों को जो आपने अधिकार दिए हैं न वो अधिकार बहुत महंगे पड़ेंगे इस राजस्थान की शिक्षा में। इसलिए मेरा निवेदन है दयारामजी, आप मेरे जिले से आते हो, आप फिर से सोचिये। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से पढ़कर आपने अपने आपको तैयार किया है और जिस विश्वविद्यालय में आप और मैं पढ़े हैं तो जिन गुरुओं ने हमको पढ़ाया है तो कुछ तो संस्कार देकर पढ़ाया है इसलिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इन पूंजीपतियों के आगे सरेण्डर होकर, एक तरह से अपना सब ईमान गिरवी रखने की मन:स्थिति लेकर के शिक्षा का हमने जिस प्रकार से बंटाधार करने का सोचा है, मैं, इसके कारण से इसको राजस्थान की जनता को, विशेषकर शिक्षा के प्रति रूचि रखने वाले शिक्षाशास्त्रियों के पास जाने दो, इस पर बैठकर विचार करो। यह असीमित अधिकार किसी को भी चेयरपर्सन का देना किसी भी दृष्टि से राजस्थान के हित में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी, बोलेंगे?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्षजी, निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को लेकर माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, जो चिंता जाहिर की है उससे मैं सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सहमत हैं? बस इनकी एक मुख्य बात यह है कि लाइफ लोंग तो जीवन का ही प्रतिबंध हो गया, सहमत हो तो।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): लेकिन निजी विश्वविद्यालय खोलने की परिपाटी इस सदन ने ही डाली है। 2007 में हमने सैपरेट एक्ट बनाकर निजी विश्वविद्यालय खोलने की शुरूआत कर दी तो अब रोकने का मेरे पास में तरीका क्या है? जो चिंता हम आज व्यक्त कर रहे हैं वो चिंता हम निजी विश्वविद्यालय खोलना शुरू करने से पहले करते और चिंतन करके करते कि निजी विश्वविद्यालय खोलने के बाद किस तरह से हम क्या करेंगे। हमने सैपरेट एक्ट बना दिया, एक्ट बनाकर उनको अधिकार दे दिया और अधिकार देने के बाद विश्वविद्यालय अपनी डिग्रियां भी देगा, अपनी परीक्षाएं भी लेगा, अपने कोर्सेज भी शुरू करेगा, जो अधिकार उसको एक्ट है उसके अनुसार करेगा। लेकिन अब हो जाने के बाद में, उस रास्ते पर चलने के बाद किस तरह से रोका जाए, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार हम 75 विश्वविद्यालय राजस्थान में खोल सकते हैं और अभी तक हम 55 विश्वविद्यालय खोल पाये हैं। उद्योगपति या खोलने वालों को ध्यान में आता है तो एप्लाई करते हैं, जो मापदण्ड हमने यूनिवर्सिटी के लिए तय कर रखे हैं उनके अनुसार कमेटी बनाकर जांच करने के बाद में उन पर खरा उतरता है तो फिर यह खोलने का फैसला करना पड़ता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट मैं लेकर आया हूं यह अमेंडमेंट बहुत छोटा अमेंडमेंट है और निजी विश्वविद्यालयों में चेयरपर्सन का

(डा. दयाराम परमार)

पांच साल का कार्यकाल था, उनका संगठन चाहता था कि इसके कार्यकाल को बढ़ाकर दुबारा, दूसरी बार किया जाए। लेकिन दूसरी बार भी उसको नियुक्त करने से पहले उस व्यक्ति के गुणों को देखकर सरकार की सहमति से वह आदमी नियुक्त होगा। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं कि इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए इससे मैं असहमत हूं और मैं चाहूंगा कि बिल को पास करने की कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर थोड़ा बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वो स्टेज बाद में आयेगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए गए।

अनुसूची – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलना चाहते हैं? प्रतापसिंहजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी विश्वविद्यालय...

श्री उपाध्यक्ष: वे खड़े हो गये तो उनके बाद बोल लेते आप। अब तो स्टेज दूसरी आ गई है ना, इसलिए कोई तंत की बात नहीं है। गम्भीर व्यक्ति गम्भीर बात करते हैं, कोई गम्भीर बात हो तो बता दो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ठीक है, साहब।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी, आज मुझे अच्छा लगा जब मंत्रीजी खड़े हुए और मंत्रीजी ने हिम्मत दिखाकर बहुत बड़ी बात कही और वह बड़े जोश और गुस्से में थे, इस कारण मंत्रीजी के मन में उपाध्यक्षजी, यह भावना तो है कि कुछ न कुछ सुधार जरूर नजर आयेगा। मंत्रीजी, आपके इन विचारों से यह बात तो साबित होती है कि आप सच्चे आदमी हैं, इसमें भी कोई दोराय नहीं कि यूनिवर्सिटीज का मामला है और जब यूनिवर्सिटीज अच्छी होंगी तो पूरे स्टेट का विकास होगा।

उपाध्यक्षजी, इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब 2007 में इन्होंने जो परम्परा शुरु की, यदि वह परम्परा कहीं गलत है तो यह हमको किसी ने नहीं कहा कि हम परम्पराओं को निभायें। कोई गलत परम्परा डाल गया तो उन गलत परम्पराओं को सुधारने का अधिकार हमारे पास है और जो व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, उनका ऊपर वाला भी साथ नहीं देता है। वह यह कहता है कि जब मैंने तुझे अधिकार दिये, पावर दी, पावर देकर इतना बड़ा आदमी बनाया और तू मुझे यह कह रहा है कि आपने मुझे पावर तो दे दी, लेकिन ये पिछले वाले कर गये थे इसलिए मैं इस पावर को निभा रहा हूं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

एक बड़ी विडम्बना है कि इस सदन में जो मंत्री निजी विश्वविद्यालयों का विधेयक रखते हैं वह खुद जाकर निजी विश्वविद्यालयों को चैक नहीं कर सकते। यह कहीं इस एक्ट में नहीं है, उनको अधिकार ही नहीं है। आश्चर्य है, जिस सदन में विश्वविद्यालयों पर चर्चा हो रही है, जिन विश्वविद्यालयों के बारे में जवाब देने के लिए मंत्री फंसे पड़े हैं उस एक्ट में कितनी बड़ी खामी अधिकारियों ने रख दी जो बनाते अधिकारी हैं, इस सच को उनको स्वीकार करना चाहिए। ये राज में होते चाहे हम, हमें फुर्सत ही नहीं है एक्ट को पढ़ने की। हायर एजुकेशन का बिल पास हो रहा है। एक साल बाद ही संशोधन विधेयक आ रहा है और यह अपोजिशन और पक्ष का इश्यु नहीं है, स्टेट का मुद्दा है। यदि सही मुद्दे उधर से आ रहे हैं, आदरणीय कटारिया साहब और राठौड़ साहब अभी बोले, कई बार राठौड़ साहब हर चीज को मजाक में ले जाते हैं क्योंकि पांचवीं बार जीतकर आये हैं लेकिन मैं इसको मजाक में नहीं ले रहा हूं, यह इश्यु इतना जबरदस्त है कि इसमें यह बात तो तय होनी चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री एक्ट को ला रहा है, जो मंत्री उनको अधिकार दे रहा है तो उस विश्वविद्यालय में कोई प्रोब्लम होती है तो जाकर चैक करने का अधिकार भी उस मंत्री को है क्या? वह उनको बुलाकर आदेश भी दे सकता है क्या? यदि किसी यूनिवर्सिटी में कोई बड़ी प्रोब्लम हो जाये और पूरी स्टेट डेक पर लग जाये और मान लो, उस यूनिवर्सिटी में डिग्री गलत बंट जाये और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सफर कर रहे हों तो उस पर अंकुश के लिए क्या है? कुछ नहीं।

उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी को यह तय कर लेना चाहिए, सब अधिकारियों की मीटिंग बुलाइये और जितना फास्ट अधिकारियों ने निजी विश्वविद्यालयों को अधिकार देने के लिए कानून पास किया, परिपत्र तैयार किया, उतना जल्दी यदि कोई कानून इनके लिए बन रहा है, उतना जल्दी हम कानून किसी गरीब को बचाने के लिए लायें तो राजस्थान में एक संदेश भी जायेगा कि जुल्म हो गया, कहीं भी कोई भी संस्था विधायिका को चुनौती देगी कि हम उस गरीब को बचाने के लिए एक्ट लेकर आयेंगे, चाहे वह गरीब अमानीशाह नाले में मर रहा हो, चाहे गरीब और किसी मुद्दे पर मर रहा हो तो जल्दी से हम कानून के दायरे में लाकर उसको बचाने का प्रयास करेंगे। यह सोच, यह संदेश जाना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, मैं एक बात खुलकर कहना चाहूंगा। यहां पर यह बात भी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आई कि डीएलसी रेट पर इन्होंने भी जमीनें बांटी और यूनिवर्सिटीज को खूब जमीनें दीं। कम से कम यह एक्ट भी ले आओ कि जो धन्ना सेठ यूनिवर्सिटीज के नाम पर कम दरों पर जमीन मांग रहे हैं, जमीन वैसे ही कम है तो उनको कह दो भैया, माल कमा रहे हो, कम रेटों पर जमीन नहीं मिलेगी और यदि कम दरों पर जमीन ले रहे हैं तो आप सरकार के कौन से कानून में बंधे हुए हो, आप कौन से गरीब को एडमिशन दे रहे हो। आप तो बाकायदा केपिटेशन फीस ले रहे हो। आप जिसको एडमिशन दे रहे हो, मैं आज चुनौती से कह सकता हूं कि इस सदन के मुश्किल से 10 प्रतिशत एमएलए बचे होंगे, जिन्होंने निजी विश्वविद्यालय वालों से हाट-टाक नहीं की होंगी। वे आप मंत्रियों से सीधे मुंह बात नहीं करते, एमएलए से सीधे मुंह बात नहीं करते। किसी को गलतफहमी है तो खड़ा होकर कह दें कि राजस्थान का निजी विश्वविद्यालय मेरे नाम से डरता है, बता दें।

(15.15 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

आपके क्षेत्र का कोई स्टूडेंट आपके पास आकर कह दे कि कल रात को मेरी पिटाई हुई और पिटाई होने के बाद निजी विश्वविद्यालय के जो कुलपति सेठजी हैं, उनके लोगों ने बाउंसर्स से मेरी पिटाई की। पिटाई करने के बाद कहा कि तेरी जिंदगी खराब कर देंगे। वह एमएलए साहब के पास आया। एमएलए साहब क्या जायेंगे वहां पर, उसके 50 तैयार हैं। पहले आप बराबर के 50 तैयार करो तब आप वहां से निकलकर आओगे। मैं तो फिर भी चला जाऊंगा, बाकियों की सोच लो क्योंकि मैं तो यह तैयारी भी रखता हूं, मेरी इज्जत मुझे बचाना आता है लेकिन मंत्रीजी ने इतना बड़ा दर्द बयान किया है। सभापति महोदय, आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, यह कोई पक्ष-विपक्ष की जीत का मामला नहीं है। विपक्ष के कई हमारे साथी इस बात से बड़े खुश होते हैं कि यह सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार के पक्ष में हूं लेकिन मैं जनता की आवाज इस सदन में उठा रहा हूं, जो मेरी मोरल ड्यूटी है। लोग क्या सोचते हैं? लोग यह चाहते हैं कि निजी यूनिवर्सिटी खुले और एक दायरे में रहकर काम करे लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी तो नजर आनी चाहिए कि यह जो निजी यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं, यह शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए खोल रहे हैं। यह कोई धन्ना

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सेठों की कमाई की फैक्टरी नहीं हैं। यह इसलिए खोल रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इस स्टेट का स्टूडेंट यहां से पलायन नहीं करे। वह बाहर जाकर शिक्षा लेता था, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेता था, वहां से पढ़कर आता था। उसका पलायन रोकने के लिए, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हमने इन यूनिवर्सिटीज को खोला है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा, वह एक्ट भी ले आओ, जिसमें उस क्षेत्र का जन प्रतिनिधि, वह चाहे पंचायत का हो, चाहे एमएलए हो, वह चाहे एमपी हो और वहां के कुछ प्रबुद्ध लोग और कुछ अधिकारी, वहां यह हो कि वे हर तीसरे या दूसरे महीने उन बच्चों की समस्याओं को जाकर सुनें और यह चैक करें कि गवर्नमेंट के नोर्म्स के अनुसार जो-जो सुविधाएं उन्होंने गवर्नमेंट से प्राप्त कीं, क्या उन गवर्नमेंट की सुविधाओं के अनुसार, गवर्नमेंट के उन नोर्म्स को वे फोलो कर रहे हैं और यदि वह फोलो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकार हमको मिले। यह बहुत सीरियस मामला है। आप इसको भी चैक करवा लेना कि जिन अधिकारियों ने यह बिल ड्राफ्ट किया है इतनी जल्दी में, उन्होंने आपके लिए जाकर नियामक आयोग में यह भी कहा है कि उच्च शिक्षा का बंटाढार हो रहा है राजस्थान का। यदि एक बड़ा अधिकारी यह कह रहा है, राठौड़ साहब यदि यह कह रहे हैं, कितना सही है, मुझे पता नहीं। सही है क्या यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल सही, शत-प्रतिशत है। आयोजना बोर्ड में कहा। आयोजना बोर्ड में राज्य के प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा ने यह बात कही। अखबारों में साया हुआ है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यदि उच्च शिक्षा सचिव ने यह बात कही है और सदन में इतने सीनियर सदस्य यह बात कह रहे हैं तो सभापति महोदय, इस मामले में आपके जरिये मैं मंत्रीजी से कहूंगा, यह मामला चैक होना चाहिए। एक तरफ तो सरकार यह कह रही है, हर अधिकारी की मोरल ड्यूटी है कि सरकार का इकबाल बुलंद करे। एक तरफ तो वह अधिकारी कह रहे हैं कि आप इनको अधिकार दे दीजिये, एक तरफ तो निजी विश्वविद्यालय के फेवर में सारी बात लिखकर दे रहे हैं, एक तरफ सरकार के बारे में जाकर कह रहे हैं कि यहां तो बंटाधार हो रहा है। यह दोनों काम नहीं चल सकते। हमें सच बात कहनी चाहिए और जब यह बात सदन में

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आ जाये, उसके बाद तो इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको चैक करवाना चाहिए कि आखिर क्या कारण थे कि एक उच्च शिक्षा सचिव जाकर वहां पर कह रहा है कि राजस्थान में तो बंटाढार है। राजस्थान में बंटाधार है तो ऐसे अधिकारी की जांच हो कि बंटाढार है तो आप यहां बैठकर क्या कर रहे हो? फिर आप क्या राय दोगे? इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, बिल तो यहां पास हो जायेगा। मैंने उपाध्यक्षजी को पहले कहा था सभापतिजी, वह बहुत जल्दी कर रहे थे, कई बार चेयर की इच्छा होती है जल्दी जल्दी जल्दी, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है।

यह राजस्थान की विधान सभा यदि पांच दिन या पांच घंटे ज्यादा चल जाय तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दों पर तो ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा के बाद, सभापतिजी, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यदि कोई सुझाव अच्छे हों तो उन सुझावों को भी निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। मैं सभापतिजी, आपके जरिये निवेदन करूंगा मंत्रीजी से कि आप अब तैयारी कर लो, एक नया बिल इसी सत्र में लेकर आओ और उस नये बिल में निजी विश्वविद्यालयों को जिनको हमने जमीनें दीं, जिनको हमने इतने अधिकार दिये, उन पर नियंत्रण के लिए, फर्स्ट नियंत्रण फीस का कि आप कौन-कौन सी सुविधाएं दे रहे हो उन सुविधाओं के अनुसार आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते, यदि आप लें तो जिस दिन नया निजी विश्वविद्यालय आये उस दिन उसका फीस का भी पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर वह लिख कर भेजे कि मैं इतनी-इतनी फीस लूंगा और उस फीस की परमिशन सरकार दे उसके बाद निजी विश्वविद्यालय को परमिशन दो। आप उसको खुली छूट नहीं दे सकते कि आपने उसको निजी विश्वविद्यालय खोलने की छूट दे दी, अब तो वह हाथी हो गया, चाहे जितनी फीस कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है, वह राजस्थान की जनता को नहीं लूट सकता। राजस्थान के गरीब का बच्चा इन निजी यूनिवर्सिटीज के अन्दर नहीं घुस पा रहा, वह डरता है, आप किसको शिक्षा दिलाना चाहते हो, आप उस सरकार की पैरवी कर रहे हो जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह कर रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कर रही हैं। जो आरटीई लेकर आये, राइट टू एजुकेशन, जिन्होंने कहा कि गरीब का बच्चा, रिक्शा वाले का, तांगे वाले का, झोंपड़ी वाले का बच्चा खुले आम जेवियर में पढ़ेगा, विद्याश्रम, एसएमएस में पढ़ेगा, उन स्कूलों में पढ़ेगा और उनका खर्चा सरकार उठायेगी। आप यदि उस कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं मंत्रीजी, आपको यह

(श्री प्रतपसिंह खाचरियावास)

तैयारी करनी पड़ेगी, आप अपनी पार्टी की पालिसी को नहीं भूल सकते, आपको अपनी पार्टी की पालिसी को स्वीकार करना चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए। कल सेन्टर तक संदेश जाना चाहिए कि एक मंत्री जो आदिवासी क्षेत्र से चल कर आता है वह, उस मंत्री ने आगे बढ़कर यह तय कर दिया कि अब जब भी नया बिल लाऊंगा तो पहले फीस कंट्रोल की बात करूंगा। इसके साथ-साथ एक फीस कंट्रोल का सिस्टम हो, उनकी सिंडीकेट में आपके यहां का पक्ष का, विपक्ष का एमएलए वहां सिंडीकेट में बैठे जो फैसला करे कि वह मनमानी नहीं कर पायें। इसके अलावा आप जब फीस का नियंत्रण हो जाय तो आगे के लिए आप यह भी प्रतिबंधित कर दें कि जिसको खोलना है खोले, जमीन सरकार सस्ती नहीं उपलब्ध करवायेगी। आप क्या बात करते हैं, आप खुले आम कह दो कि हम जमीन दे रहे हैं फोकट में, हजारों की लाइन लग जायेगी, काफी लोगों को तो पता ही नहीं है, जमीन....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह जमीन करोड़ों रुपये की लुटाई है न, मैंने कोट किया है हाउस के अन्दर, मेरी चुनौती है कि यह जमीन धन्ना सेठों को मिलीभगत करके दी है, आरोप भी है मेरा सरकार पर।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो सभापतिजी, मैं यह कह रहा हूं कि यह जमीन चाहे उनके वक्त में दी गई, चाहे हमारे वक्त में दी गई, मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन जमीन जब उनको मिल गई तो जमीन तो हमने दे दी लेकिन फीस भी हम दे दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। यह जो आरोप लगाया गया है कि जमीन धन्ना सेठों को दी गई, और जो शिक्षा सचिव के ऊपर, इसकी पुष्टि यहां पर नहीं हो सकती हाउस में जब तक कि अख़बार की कापी को यह दें लाकर माननीय सदस्य और उसको चैक करवा लिया जाय। ऐसी जमीन के बारे में पता करवा लें कि वाकई में धन्ना सेठों को दी गई है, तभी इसके खिलाफ हम कोई बात बोलें, ऐसे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): थेंक यू, सभापति महोदय। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। (व्यवधान) एक मिनट। सूचना के अधिकार के तहत जो मुझे पत्रादि मिले हैं मैं टेबल करने की अनुमति चाहता हूं...

श्री सभापति: Please do so. Please do so.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा यह आरोप बरकरार है इस सरकार पर कि इसने जमीन लुटाई है। मैं आपकी अनुमति से दस्तखत करके देता हूं।

श्री सभापति: ठीक है, आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि यह जो जमीन की बात बीच में आई है तो इसमें जब जमीन डीएलसी रेट पर मिली तो इसका मतलब हम उनको यदि सुविधाएं दे रहे हैं तो हम यह चाहते हैं कि वह राजस्थान के स्टूडेंट्स को सुविधाएं दें, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमने जब आपको जमीन सस्ती दी है तो आप इस फीस से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, आपको यह-यह सुविधाएं इन स्टूडेंट्स को देनी पड़ेंगी और जो गरीब स्टूडेंट हैं वह इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आयेगा तो आपको उनको एडमिशन देने पड़ेंगे, हम यह शर्त उसमें लागू कर सकते हैं। यह उसी तरह का खेल हो गया जैसे प्राइवेट हास्पीटल्स के नाम पर पहले बड़े-बड़े हास्पीटल खोले, उन्होंने कहा कि हम पच्चीस परसेंट गरीब का यहां पर इलाज करेंगे, आज वह पच्चीस परसेंट छोड़कर टोटल पच्चीस का भी इलाज नहीं कर रहे और वह किसी को घुसने ही नहीं देते। आखिर इनमें अपना इंटरेस्ट क्या है। यह जो आप कापी कर रहे हैं, इस तरह के मामले पिछली सरकार में इन्होंने शुरू किये 2007 में, आज आपको ऐसी बहुत जमीन मिल जायेगी जो इन्होंने फोकट में दी है, हण्ड्रेड परसेंट, यह पैसा लेकर तो दी है, इन्होंने फ्री आफ कास्ट यूनिवर्सिटीज को जमीन दी है लेकिन आज इन्होंने या हमने....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं तो यह कहता नहीं कि हमने दी या नहीं दी, मैंने तो अब इस समय का कोट किया है, हमने दी होगी तो आप सरकार लिये बैठे हैं, जांच करवा लो। मैं इसको डिनाई नहीं करता कि किसने दी और किसने नहीं दी, पर मेरा आपकी सरकार पर आरोप है कि आपने मणिपाल यूनिवर्सिटी को एक-दो नहीं, 154 हैक्टेयर जमीन दे दी। आपने महर्षि अरविन्द भारतीय विश्वविद्यालय को 30 एकड़ जमीन दे दी। आपने बियाणी शिक्षा संस्थान को 40 बीघा जमीन दे दी। सूचना के अधिकार के तहत जो कागज प्राप्त किये हैं वह मैंने टेबल किये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, मैं उनका खंडन नहीं करता लेकिन डीएलसी रेट पर सिर्फ प्राइवेट जमीन नहीं, सिवाय चक की जमीन यहां तक कि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चरागाह की जमीन को भी तीन महीने के अन्दर-अन्दर कन्वर्ट करके, आपको भी जानकारी है, हमारे जिले में ऐसे प्राइवेट स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज हैं जिनको चरागाह की जमीन का भी दुरुपयोग किया गया है और उनको तत्कालीन कलक्टर, एसडीएम, तहसीलदार ने वहां जाकर के हाजिरी दी उस उद्योगपति के यहां, उस विश्वविद्यालय वाले के यहां जाकर के हाजिरी दी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उस आईएएस का, उस आरएएस का, उस तहसीलदार का।

श्री सभापति: ठीक है, आपकी बात नोट हो गई। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये अब आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उन्होंने वहां जाकर के जो जमीन दी और चरागाह की जमीन को भी तीन महीने के अन्दर जो कन्वर्ट नहीं हो सकती, उस जमीन को कन्वर्ट करके दिया है, यह भी आरोप है, इसी राज में है, किस राज में और किस राज में नहीं, बात यह नहीं है माननीय सदस्य, गलती हुई है उसकी जांच कराई जाय।

श्री सभापति: आपकी बात सुन ली गई माननीय सदस्य, अब कृपया विराजिये, आपकी बात नोट हो गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उसकी जांच कराई जाय, बात इतनी है।

श्री सभापति: कृपया विराजिये। कृपया विराजिये। (व्यवधान) देखिए, एक मिनट, आप विराजिये, माननीय सदस्य। देखिए, आप लोग आपस में बहस नहीं करें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दें, जहां बीच में कोई ऐसी बात होगी, उसका जवाब मंत्रीजी देंगे, आप भाषण नहीं करें। (व्यवधान) आप बैठिये, आप।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): यह तो बीजेपी के राज में भी दी गई है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसको कौन मना कर रहा है... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): मेरे यहां गोचर जमीन बीजेपी के राज में महला में दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप पाक-साफ हैं, बिलकुल, जांच कराओ।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): दी है, दोनों राजों में दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर आपने क्या किया। यह आप ही के इशारे से हुआ है, आपने क्या किया, हमने तो गुनाह किया होगा, तो लगाओ न आप...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): पक्ष में बैठ करके लुटवाओगे क्या राजस्थान को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर आपने क्या किया, आप तो गांधीवादी हो न, हम तो गुनाहगार हैं, आप गांधीवादी हो न। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये, कृपया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): विश्वविद्यालय को एक बार रिजर्व प्राइस पर या उससे कम में देने के लिए तो फिर भी सरकार का अधिकार है लेकिन एक ही विश्वविद्यालय को तीन बार डीएलसी रेट का भी चालीस प्रतिशत देकर के देने का अधिकार कानून में भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह है बात।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक बार तो उसको दी जा सकती है, उसके बाद डीएलसी से नीचे वह जा ही नहीं सकते, आपने तीनों बार इस मणिपाल यूनिवर्सिटी को डीएलसी के चालीस प्रतिशत पर दी है, सारे कानून की क्या अवहेलना हो रही है, क्या मजाक कर रहे हो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): मेरे यहां झरना पंचायत में नि:शुल्क दी है आपकी गवर्नमेंट ने...(व्यवधान) दुबारा, दुबारा। एक बार डीएलसी रेट पर देने के बाद अस्सी बीघा जमीन नि:शुल्क आबंटन करी थी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, अगर इन्होंने दी है तो आप भी दोगे क्या, इन्होंने चोरी की है तो आप भी चोरी करोगे क्या। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसको कहते हैं, एक मिनट में उछले न, एक मिनट में, मेरे यहां, मेरे यहां। हमने गुनाह किया है, सरकार लिये बैठे हो, कराओ जांच। पर आपने क्या किया!

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): तो दोनों टाइम दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, कराओ न आप, कराओ। है हिम्मत तो कराओ जांच, बात करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छा, कृपया विराजिये। अब प्रताप सिंहजी, बोलें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, आप चेयर पर बैठे हैं, आप चेयर पर बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में यह कहना कि हमने तो गुनाह किया है, मतलब यह मान लिया हमने तो गुनाह किया है, मतलब इतना बड़ा स्वीकार कर लेना, यह बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए....

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह नहीं कहा है। यह कहा है अगर गुनाह किया है तो जांच कराओ।

श्री सभापति: अंकित हो गया।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अभी-अभी कहा है। आप चैक करवा लो। अभी कहा है आपने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह नहीं कहा है कि गुनाह किया है। माननीय राजेन्द्र राठौड़ ने यह नहीं कहा कि गुनाह किया है, यह कहा है कि तुम्हारी हिम्मत है तो जांच कराओ।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वो यहीं बैठे हुए हैं वो अपना स्पष्टीकरण खुद दे देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं कह रहा हूं न मैंने सुना है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वो बोलना जानते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो यहीं मौजूद हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उन्होंने कहा कि अगर गुनाह किया है तो जांच कराओ। जांच कराइये आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अपना स्पष्टीकरण दे देंगे वो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये आसन पैरों पर है। जहां तक बात है कि गुनाह किया है, वो बोला है माननीय सदस्य ने, वो अंकित हो गया है। आप शुरू करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): वो कर क्या रहे हैं यह भी अंकित करा दें।

श्री सभापति: कृपया विराजिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): वो कर क्या रहे हैं ये अगर गुनाह कर रहे हैं तो उसकी जांच करवाओ, दोषियों को सज़ा दो।

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य की बात सुनें पहले।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैं शब्दों पर नहीं जा रहा हूं मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं यह बात कि मान लीजिये उन्होंने नि:शुल्क दी, हमने डीएलसी रेट पर दी हमने दोनों ने मिलकर जो धर्म का काम किया है उस धर्म के काम का कुछ तो हिस्सा जनता में भी जाना चाहिए। उस फीस पर तो हम कंट्रोल करें और यहां पर यह तो तय हो जाए कि अब बच्चे की फीस इससे ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि हमने सस्ती जमीन दी है उसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपको टोकना नहीं चाहता पर एक ईंट भी नहीं लगी है वहां पर, यह भी कह रहा हूं। आपने दो बार दे दी उसको पर एक ईंट नहीं लगी है।

श्री सभापति: पर आप बार-बार में टोक भी रहे हैं और टोकना भी नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जमीन दी है वहां एक ईंट नहीं लगी है विश्वविद्यालय के नाम पर लोग जमीन लेकर बैठे हैं। यह आप ही की सरकार का काम है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप दोनों जाकर उसको वापस ले लो कब्जे में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वो बीस साल पहले कहते तो ले लेते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कुछ ऐसी बातचीत तो नहीं है आपस में कि आप ये कहोगे तो ये ये कहेंगे। देखिये कृपया आप ऐसा माहौल बनाइये कि आप अपनी बात कहिये और आप टीका-टिप्पणी, अगर आपको आलोचना करनी है तो बाद में कीजिये, बीच-बीच में मत टोकिये। यह कृपया मेरा आपसे निवेदन है। आपकी आवाज भी कुछ ऐसी होती है कि मैं तो कई बार घबरा जाता हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अभी तो बेटी बाप के घर है। अगर एक ईंट नहीं लगी तो राठौड़ साहब और खाचरियावास साहब, आप दोनों चलो हम भी आपके साथ चलते हैं उसको वापस ले लो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैच फिक्सिंग है दोनों में। मैच फिक्सिंग है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)+++ का काम कर रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं मैं भी चलता हूं जमीन पर ऐसे जमीन छीनी जाएगी क्या। ये जोकरपने का काम क्यों कर रहे हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप चलोगे कि नहीं चलोगे पहले तो ये बताओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं तो नहीं चलूंगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी ज्यादा जरूरत है। हमें एक खौफनाक चेहरा चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ना-ना-ना, आप मुख्य सचेतक हो +++ का काम मत करो +++ का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आप दोनों को इजाजत नहीं है बोलें आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं जब आपने कहा तो हमारा मैच फिक्सिंग इसलिए नहीं हो सकता कि मैं तो 1988 का एनरोल्ड हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और वो 1980 में अध्यक्ष बन गये थे। ये और वो तो साथ रहे हैं। अभी मेरे राजेन्द्रजी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं लेकिन हम दोनों को साथ में खाना खाये हुए कम से कम दो-तीन साल हो गये होंगे। हो गये होंगे न? इसलिए आप.... (व्यवधान) नहीं तो रोटी खा सका हां आज भी मनै यो डर थोड़ी ना लागे है। मैंने ये जब गिरफ्तार हुए तब भी कहा था कि मुझे दुःख है उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है।

सभापतिजी, यह बात सीरियस है न तो कोई मैच फिक्सिंग है और मैं सच कह रहा हूं मुझे ये भी पता नहीं था कि आज कोई ये बिल लेकर आ रहे हैं। मेरे पास एक भी कागज आपको मिल जाए ये बिल भी मिल जाए मेरे घर पर भी, मैं तो वो आदमी हूं जो बजट की कापी भी विधूड़ीजी की गाड़ी में चली गई थी बजट पर भी वैसे ही बोला था यहां पर बजट के लिए, रघुजी को पता है।

श्री सभापति: वो भी विधूड़ीजी की गाड़ी में चली गई।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, चली गई उनकी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

गाड़ी में रख दिया था मैंने। यहीं हैं विधूड़ीजी। (व्यवधान) नहीं, विधूड़ीजी तो हमारे दोस्त हैं ही उसमें क्या है। आज सभापतिजी, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि ये बार-बार जब बीच में बोलते हैं तो मेरे को हंसी जरूर आती है लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि इन यूनिवर्सिटीज के मकड़जाल में पूरे राजस्थान का स्टूडेंट, इस देश का स्टूडेंट हमारी स्टेट में आये और डरा हुआ सहमा हुआ रहे, बार-बार अभिभावकों से कहे कि इस महीने पांच हजार रुपये बढ़ा दिये गये। हमसे पूछ कर बढ़ा रहे हैं क्या यह तो तय कर दो।

एक बात मैं सभापतिजी, आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई नियम है क्या कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जब खुलेगी तब जो फीस लगेगी उसके बाद वो कम से कम एक साल तो फीस नहीं बढ़ायेंगे ऐसा कोई नियम है क्या? है क्या मंत्रीजी? नहीं है ना? सभापतिजी, ...(व्यवधान) नहीं कह दिया उन्होंने मना कर दिया उन्होंने ऐसा नियम नहीं है। सभापतिजी, आप चेयर पर बैठे हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खुद मंत्रीजी कह रहे हैं आज यूनिवर्सिटी खुली और उसने मान लो एमसीए की फीस तय कर दी कि मैं पचपन हजार रुपये साल के लूंगा, वो दूसरे ही दिन पचपन के एक लाख दस हजार कर सकता है। कर सकता है न? ये बहुत बड़ी लूट है मतलब दूसरे ही दिन आपने उसको फीस बढ़ाने के अधिकार दे दिये। जब हम उसको पावर दे रहे हैं कि आप पांच साल नहीं आप परमानेंट वी.सी. रहिये तो हम उसको ये भी तो कहें कि आप परमानेंट एक ही फीस रखिये। आप हमको ये बता दीजिये कितने वर्ष तक आप इस फीस पर कायम रहेंगे? ये तो पूछ सकते हैं ऐसा उसमें हमारा क्या स्वार्थ है? क्या इंट्रेस्ट है? जब हमारे पास पावर ही नहीं है फीस लिमिट करने का अपने नियंत्रण में उनकी ताकत को रखने का तो फिर सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि ये इस देश के संविधान के साथ मजाक है कि जो संस्थाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उनको आप यहां पर किसलिए चर्चा में लाते हो? उनको किस बात के अधिकार हम यहां से दे रहे हैं? वो हमारे नियंत्रण में ही नहीं हैं। इस सदन के नियंत्रण में नहीं हैं। इस सदन के जरिये यदि कोई बात बाहर जाए और वो संस्थाएं माने ही नहीं तो फिर क्या मतलब रहा। आप यहां बैठकर एक आईएएस को सस्पेंड कर सकते हो, आप यहां बैठकर आईपीएस को सस्पेंड कर सकते हो, आप यहां बैठकर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हो, आप यहां बैठकर निन्दा प्रस्ताव पास कर दो तो बाहर वो लागू हो जाएगा। आप यहां

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बैठकर किसी भी एमएलए को बाहर का रास्ता दिखा सकते हो। लेकिन आप यहां बैठकर उस निजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते और उसी निजी यूनिवर्सिटी पर बार-बार चर्चा होती है। मैंने सभापतिजी, आपके जरिये मंत्रीजी का दर्द समझा और आज मंत्रीजी ने बहुत बड़ी बात कही ये पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। आप इसके कुछ तो नियंत्रण की शुरूआत करो। आज आपने 12(1) धारा में, उनको बुरा लगा, ये पता है क्या हुआ, उन निजी यूनिवर्सिटीज के वी.सीज को बुरा लगा जब उन्होंने पढ़ा कि पांच साल बाद हम वी.सी. नहीं रहेंगे। उन्होंने आईएएस आफिसर्स से बात की और मेरी गारंटी है कि उन्होंने नेताओं से बात भी नहीं की होगी। ये कोकस खड़ा हो गया है कि बड़े सैकेट्री, चीफ सैकेट्री, प्रिंसिपल सैकेट्री स्तर के अधिकारियों से बात करो। शाम को महफिल में बैठकर चर्चा की जाए उनके साथ चर्चा करके कह दिया जाए कि हम सिंघानियाजी हैं, हम डालमियाजी हैं, हम फलाने सेठ हैं सैकेट्री साहब आ रहे हैं शाम को फैसला हो रहा है। शाम को किस ढंग से फैसले होते हैं रात को 12-1, 2 बजे तक पार्टी चली उन्होंने जाकर दूसरे दिन सैक्रेटेरियट में नीचे के अधिकारियों से कह दिया एक बिल ड्राफ्ट करके लाइये, अन्दर जो 200 बैठे हैं उनका तो काम ही यही है। हम बिल बनाकर भेजेंगे वो हां या ना में चलेगा, बिल पास होकर आएगा और हम पांच साल की जगह परमानेंट वी.सी. हो जाएंगे ये पावर है हमारी। कम से कम इस विधान सभा की गरिमा को हमें बचाना पड़ेगा। ये हंसी-ठट्टे का खेल नहीं है। इस विधान सभा की गरिमा को लोक सभा की गरिमा को हमें कायम रखना होगा।

सभापतिजी, मैं आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा यदि इस बिल को ये लोग आपसे आकर मिले हों सेठ लोग आपसे आकर निवेदन किया हो और उन्होंने आपसे कई दिन तक चर्चा की हो तब तो उनका कर दो और अगर आपसे बात ही नहीं की हो और वो सैकेट्रीज के जरिये आगे आकर इस बिल को पास करवा रहे हैं तो मैं सभापतिजी, आपके जरिये निवेदन करूंगा कि इस बिल में संशोधन कीजिये। इस बिल में संशोधन करके इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इन निजी धन्नासेठों की लूट से बचाओ नहीं तो कल वो दिन दूर नहीं जब यहां का स्टूडेंट बाहर निकलेगा जैसे यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट बाहर निकलता है। हम यूनिवर्सिटी से निकलकर आए सभापतिजी, वो समाज और सरकार के बीच में बैलेंस करने वाली स्टूडेंट पावर थी आज वो कमजोर हो गई इसलिए आज हमको चिल्लाना पड़ रहा है नहीं तो वो स्टूडेंट

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पावर निकलती तो आज इस विधान सभा में बैठकर हम असीमित अधिकार उनको नहीं देते, वो स्टूडेंट पावर हमको माफ नहीं करती। आज वो स्टूडेंट पावर, ये लोग कल तक राजस्थान को बंद करवाते थे, यहां अन्दर बैठे हैं, कल तक स्टूडेंट्स की आवाज उठाते थे वो सात-आठ लोग यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज निजी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हमसे दूर नहीं है वो भी राजस्थान का विद्यार्थी है और जो बच्चा गर्ल्स और ब्वाइज वहां पर पढ़ रहे हैं, यदि आप उनको बचाना चाहते हो, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मंत्रीजी कि कैसे-कैसे शोषण इन यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। मैं इस सदन में आपको बताना नहीं चाहता। आपकी आंखें फट जाएंगी। कल राजस्थान हमको माफ नहीं करेगा उनके शोषण की बात आप भी जानते हो, उनके शोषण को रोकना चाहते हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको आगे बढ़ कर कहीं न कहीं इनको नियंत्रण में लेना होगा। नहीं तो हम मजबूर होंगे इस सदन के बाहर, हम आज व्हिप से बंधे हुए हैं, हम हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम पहले व्यक्ति होंगे, सदन के कई लोग होंगे, इन निजी यूनिवर्सिटीज की लगाम लगाने के लिए हमें फिर उसी स्टूडेंट स्टाइल में उनसे बात करनी होगी और हम उन पर लगाम लगा देंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और भरोसा करता हूं। मंत्रीजी कुछ नई शुरूआत करोगे तो राजस्थान आपको दुआ देगा और राजस्थान आपका सम्मान करेगा और भगवान भी आपका भला करेगा।

श्री सभापति: मंत्रीजी। (व्यवधान) आप बोलना चाहेंगे, हां बोलिए राव साहब।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 सदन के सामने है। यह बात सही है कि मंत्रीजी जो संशोधन लेकर आये हैं कि उनको परमानेंट, जो निजी विश्वविद्यालय हैं, अभी सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने और बाकी सदस्यों ने इस पर चर्चा की है, हमने राजस्थान में रिकार्ड बनाया है। जो स्कूल है उनमें फीस रेगुलेट करने के लिए तो आप विधेयक लेकर आए हैं लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाले, इसको मुनाफे का धंधा बनाने वाले बड़े लोग हैं जो विश्वविद्यालय लेकर आ रहे हैं। निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनका भी उतना ही शोषण हो

(श्री अमराराम)

रहा है जितना बच्चों का हो रहा है, अभिभावकों का हो रहा है। आज उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, हम जमीन दे रहे हैं। जितने भी अस्पतालों में हमने जमीनें दी हैं, जितने भी निजी विद्यालयों में राजधानी जयपुर में जमीनें दी हैं उनका सरकार ने पहले भी उत्तर दिया है कि एक भी नार्म्स को उन्होंने फोलो नहीं किया है तो हम कानून से ही उनको छूट दे रहे हैं। विद्यालय के लिए तो हम फीस का कानून लेकर आ रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं और उनके जो भी वीसी हैं उनका तो हम इतना ध्यान कर रहे हैं और जो उस निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका ध्यान करने के लिए हम तैयार नहीं हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पहले जो राजस्थान में अनुदानित शिक्षण संस्थाएं थीं उनमें फीस रेगुलेट करने के लिए, उनमें अध्ययन कराने वाले या अन्य कोई कर्मचारी थे उनके रूल्स रेगुलेशन भी राजस्थान में थे लेकिन उन सबको तो हमने सरकारी में मर्ज कर दिया। आज की तारीख में या तो सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालय है और या फिर निजी विश्वविद्यालय और निजी विद्यालय हैं, उनमें उनका संरक्षण करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और उसमें संशोधन भी करना चाहिए। निश्चित रूप से रिकार्ड राजस्थान में बनाए, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे इधर से बनाये, इधर से, राजस्थान में हमने 33 निजी विश्वविद्यालय का एक रिकार्ड बना दिया। शायद ही देश में कोई अन्य प्रांत होगा जिसमें 33 निजी विश्वविद्यालय खोल दिये हो, हम उनकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि इनको जिस तरह से किया जा रहा है, पिक एण्ड़ चूज का काम किया जा रहा है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे प्रतिष्ठित है।

सभापति महोदय, देश की आजादी के 65 साल में हमने सरकारी महाविद्यालय खोले 144 और निजी महाविद्यालय खोल दिए 1365 और आज क्या हालत हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने उन तमाम निजी महाविद्यालयों के परीक्षा सेंटर आपस में बदले और फिर पिक एण्ड़ चूज से जो प्रभावशाली थे, जिनका निरस्त हो गया था, जो नकल करवाते हुए पकड़े गये उनको तो वापस आपने उन्हीं शिक्षण संस्थान में परीक्षा कराने का दे दिया और जिनको पहली बार मिला, कभी उस कालेज में परीक्षा हुई ही नहीं, उनको आपने 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर कर दिया। जिस तरह से प्रभावशाली

(श्री अमराराम)

लोग शिक्षा का व्यवसायीकरण करके, शेखावाटी में सीकर, झुंझुनूं, चूरू में पहले जिन्होंने शिक्षण संस्थाएं खोली थीं उनका मकसद कोई पैसा कमाना नहीं था, शिक्षा का विस्तार करना था। आज जो विश्वविद्यालय खोलने के लिए आ रहा है वह तय रूप से बड़े पैसे वाला आ रहा है, कोई गरीब आदमी तो विश्वविद्यालय खोल नहीं सकता। दो करोड़ रुपए तो आप जमा करवा रहे हैं, करोड़ों की जमीन उसको दे रहे हैं और वह विश्वविद्यालय कैसे चलेगा? सिंघानिया विश्वविद्यालय जो राजस्थान की सरकार ने खोला था उसने एमएड की परीक्षा करवा ली और परीक्षा को मान्यता ही नहीं है। विद्यार्थियों के साथ यह जो निजी विश्वविद्यालय कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार का बैलेंस एण्ड चैक होना चाहिये। उन अभिभावकों की विद्यार्थियों के माध्यम से जो लूट हो रही है उस पर भी और उन शिक्षण संस्थान में चाहे वह शिक्षक हैं, चाहे कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं के लिए भी निश्चित रूप से कानून होना चाहिए। न हमारी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनके सलेक्शन में है, न उनकी सामाजिक सुरक्षा है, जिस तरह से मर्जी आए, हायर एण्ड फायर उन निजी शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। मैं समझता हूं इस पर निश्चित तौर से कानून के माध्यम से बैलेंस एण्ड चैक होना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राव।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके बिल लाने का प्रोसेस है यह बिल डेफिनेटली आप केबिनेट में वोटिंग कराते हैं, केबिनेट में एप्रूव होने के बाद में सदन में आता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बहुत से लोगों ने बहुत सी बात की, 2007 तक ले गये। 2007 में हमने पहली बार यह सुनिश्चित किया वरना 10 -10 यूनिवर्सिटी का केवल एक बिल आता था, हर यूनिवर्सिटी का अलग बिल नहीं आता था। उस वक्त की सरकार ने इस बात को व्यवस्थित किया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग बिल होगा। आपको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी हम कहते किसको हैं। महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कालेजेज और स्कूल में फर्क क्या है। यह इंस्टिट्यूशन क्यों बनाये जाते हैं। इन इंस्टिट्यूशन के बनने के पीछे कारण क्या है और वहां किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए। A university is not only an institution where you disseminate knowledge, it is not only an institution where you innovate knowledge, it is

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

also an institution where you create knowledge. आज जो चीज हम पढ रहे हैं, आज से 50 साल पहले जो हम साइंस पढ़ रहे थे अगर वही किताब हम आज पढ़ रहे होते तो आज का साइंस इर्रेलेवेंट हो जाता।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आपने ऐम और आब्जेक्ट्स में यह बात लिख दी कि पांच साल का कार्यकाल किसी भी वीसी के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एकेडमिक फाउंडेशन को खड़ा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आदरणीय, प्रजातंत्र तो यह कहता है कि पांच साल की निर्वाचित सरकार को पूरी की पूरी आमजन की परिस्थिति को बदलने तक का उसके पास पर्याप्त समय है और आप एकेडेमिक फाउंडेशन पांच साल में नहीं रख पाते। पांच साल में आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आवश्यकता कहां पड़ी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सब लोगों ने बात की कि आपने रियायती दर पर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी को जमीनें रियायती दर पर दीं? हमने 2005-06 में जयुपर में राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी बनाई थी। राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी को दो महीने पहले तक आपने भूमि आबंटित नहीं की और भूमि आबंटन के लिए जब वाइस चांसलर ने आवेदन किया तो आपने यह बात कही कि डीएलसी की पूरी की पूरी रकम लेंगे। यह तो सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ आप लोगों का रवैया है। आप बता दो आपने किया कि नहीं किया। बाकी जो आपके निजी विश्वविद्यालय हैं उनको तो आप रियायती दर पर देते हो, 50 पर्सेंट डीएलसी दर पर देते हो और यहां सरकारी विश्वविद्यालय पिछले आठ साल से भूमि के लिए बार-बार आवेदन कर रहा है, आप उसको भूमि ही नहीं दे रहे हो और 50 करोड़ की ग्रांट जो उन्होंने आपसे मांगी आपने आठ साल तक उस ग्रांट को नहीं दी सिर्फ दो महीने पहले, क्योंकि यह बात पीएसी में आ गई थी इसलिए आज आपने उनको ग्रांट दी है। हम अपने गिरहबान में झांक कर तो देखें। हम निजी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं सरकारी विश्वविद्यालय के साथ हमारा किस प्रकार का रवैया है, हम चाहते ही नहीं हैं। राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी के नीचे कौन से कालेजेज हैं, एसएमएस मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज हैं। आपके पूरे अस्पताल का ¾ हिस्सा इस यूनिवर्सिटी के नीचे है। यह यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई थी आविष्कारों के लिए, यह यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई थी शोध कार्य के लिए कि जिस प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, 10 साल

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पहले किसी ने स्वाइन फ्लू के नाम पर कोई बात की थी क्या? पांच साल पहले डेंगू जैसे किसी बात पर आपने चर्चा की थी क्या? इन चीजों का कहीं न कहीं शोध हो और यहां इनके वैक्सीन और दवाइयां निकले, यूनिवर्सिटी का यह काम है। यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ किताब से पढ़कर कोई ज्ञानवर्धन कराना नहीं है, ज्ञान को सृजित भी करना है और ज्ञान का आविष्कार भी करना है, यह विश्वविद्यालय का काम है। मंत्री महोदय, हम यह चाहते हैं कि आप पांच साल के राइडर को, क्योंकि आपका सरकारी बिल है, आप यहां से करायेंगे और तीसरी रीडिंग है, आपकी मजबूरी भी है, चाहे आपके पक्ष वाले कह दें, चाहे विपक्ष वाले कह दें। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने खुद ने अपने हाथों से जो यह यूनिवर्सिटियां खोली हैं। आपने सोच समझकर खोली होंगी चाहे किसी की भी सरकार हो, इनके साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है? सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे वह बिलकुल सही है। निजी विश्वविद्यालय वाला निजी तौर पर एक हफ्ते में अपना काम करा लेता है और यहां एक-एक दशक निकल जाता है लेकिन काम नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप कम से कम एक बात यह करके देख लें कि राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी का यह हाल क्यों हुआ। उसके बाद तो आल इंडिया इन्स्टीटयूश आफ मेडिकल साइंस जोधपुर में आप लोगों ने किया। आईआईटी आपने केडिट की, आपने बात करी, उन सबसे पहले यह सरकारी यूनिवर्सिटी खुली थी। इस यूनिवर्सिटी को अगर समय पर खोल देते, शोध कार्य हो जाता, यह सही रूप से चालू हो जाती तो आज आप कह रहे हो ना महामारी फैल रही है, स्वाइन फ्लू हमसे नहीं रुक रहा, डेंगू से लोग मर रहे हैं इन सारों का शोध कार्य चालू हो जाता। कम से कम हमको यहां बैठकर इन सारे दलों की हदों से ऊपर उठकर यह बात तो सोचनी पड़ेगी कि आखिर कौन इसका दोषी है। मंत्री महोदय, इस सदन में आप ही जवाब दे सकते हैं इसलिए आपका यह दायित्व बनता है कि जो भी दोषी व्यक्ति है, जिन्होंने सरकारी विश्वविद्यालय के समय पर अनुमति नहीं दी, समय पर जो रियायत देनी चाहिए थी नहीं दी वह विश्वविद्यालय आज काम नहीं कर पाए, कम से कम आपको कठोर कदम उठाकर उन सारे अधिकारियों को निलम्बित करना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, किसी दल के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो हम भावी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। कल को यह न हो कि कोई न कोई बैठा हुआ दीर्घा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पर यह कह दे कि a Politician only thinks about the next election. Let the House be created. Let us create any sample that we not only think of the next election but think about the next generations also. Thank you very much.

श्री सभापति: मंत्री महोदय। (व्यवधान) चर्चा समाप्त।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसे कैसे समाप्त है। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह क्या बात हुई, मैं बोलूंगा इस पर। मेरा अधिकार है बोलने का।

श्री सभापति: चलिए बोलिए। दो मिनिट।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इतने विश्वविद्यालय खुल गए। पिछले पांच वर्ष में कितनी छात्राओं ने विश्वविद्यालयों में आत्महत्या की। एक चेयर पर्सन पिछले दिनों जेल काट रहा है, यह परिस्थिति हमारे सामने नहीं है क्या? यह राजस्थान में हुआ है। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जिनको भी आशय पत्र जारी किया उनमें लिखा गया इतनी लाख किताबें होंगी, इतने कमरे होंगे, इतना फर्नीचर होगा, इसकी जांच आज तक, किसी विश्वविद्यालय की हुई है क्या। जाकर देखिये, अलवर झील में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है और पांच साल से विश्वविद्यालय चल रहा है, कौन देखेगा इस बात को। सारी छूट दे दी। आर्डिनेंस में आया है। आर्डिनेंस उनके लिए नहीं लाए, किसानों की जब फसलें जल गई। मैं आपको कहना चाहता हूं डीएलसी रेटी की, हाइवे बन रहा है दिल्ली वाला, उसमें किसानों को डीएलसी रेट किसानों की दी जा रही है वीएसआर की डीएलसी रेट नहीं दी जा रही।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप निजी विश्वविद्यालय पर बोलें केवल।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): तुलना कर रहा हूं मैं।

श्री सभापति: आप केवल निजी विश्वविद्यालय पर बोलें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): शिक्षा में आप क्या दलाली कर रहे हैं उसका निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समर्थन चाहता हूं, संरक्षण भी चाहता हूं। मैं हाइवे पर रहता हूं। सभापतिजी, किसानों को, जिनके मकान बने हुए हैं, दुकान बनी हुई है उनको पत्थरों के पैसे दे दिए

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लेकिन जमीन के पैसे एग्रीकल्चर के दिए गए हैं, एग्रीकल्चर के, और यह कहा गया कि जब आपने रजिस्ट्री कराई थी तब तो यह व्यावसायिक थी इस कारण से अब आपको एग्रीकल्चर का दिया जा रहा है। ऐसा अन्याय हुआ, बिलकुल भी शर्म नहीं आई। +++ चार साल से राजस्थान का किसान लुट रहा है। उसका एक्ट नहीं आया। एक्ट आया है तो...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय,यह +++ यह क्या भाषा है? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): चार साल से किसानों ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन में आप भी सदस्य हो। (व्यवधान) क्या बोल रहे हो आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजें, आसन पैरों पर है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, आर्डिनेंस आया है ... (व्यवधान)

आर्डिनेंस किसानों के लिए लाओ। आर्डिनेंस गरीबों के लिए लाओ। बीपीएल के लिए लाओ ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): श्रीमानजी, किन-किन के लिए आर्डिनेंस लाना पड़ेगा ...(व्यवधान) +++ यह बोल रहे हैं इस हाउस के अन्दर। .

श्री सभापति: आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं बोलूंगा, अपनी पूरी बात कहूंगा मैं।

श्री सभापति: देखिये माननीय सदस्य, आपको बिलकुल इजाजत नहीं है। बिलकुल इजाजत नहीं है। माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): और ढूंढ लो अगले चुनाव में दो-चार ऐसे बुद्धिमान। (व्यवधान)

श्री सभापति: I suppose that you have not supported them like this. देखिये माननीय सदस्य, सुनिए आप। यह बात सही है कि सब लोगों को बोलने

(श्री सभापति)

की इजाजत होगी लेकिन अभी तीन-चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आप मेरी बात सुनिये। बोल चुके हैं और आपकी 39 मांगें हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि एक-एक, दो-दो मिनिट मैंने बोलने के लिए बोला, आपने बोल दिया। एक सदस्य और, आप बैठिये, आपको इजाजत नहीं है। आपको तो इजाजत है नहीं बिल्कुल भी बोलने की। आप सिर्फ जो निजी विश्वविद्यालय का हमारा ओरबिट है उसी के अन्दर कहें because I would like to point for Hon'ble Member Rao also. He has also discussed about the Govt. Universities. We will only discuss about the Private University. बस निजी विश्वविद्यालय पर बात करें। ना आप किसी रोड की बात करें। आप कोई बात नहीं कहेंगे। अगले सदस्य बोलना चाहें तो बोलें। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप बैठिये। मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि अनुशासन, आप प्लीज बैठिये। आप एक मिनिट, बिलकुल इजाजत नहीं है, आप कृपया बैठिये। आप सदन का टाइम खराब कर रहे हैं। आप कृपया बैठिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं बोलूंगा।

श्री सभापति: आप समझा दीजिए, वरना मुझे मजबूर होना पड़ेगा। आप समझा लीजिए उनको। बिलकुल इजाजत नहीं है। आपको बिलकुल इजाजत नहीं है, आप बैठिये। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, प्रोफेसर की डिग्री इनको किसने दी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): किस भाषा का प्रयोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये, आपको इजाजत नहीं है, आप बैठिये ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनकी डिग्री देने वाले कौन हैं ... (व्यवधान) अपने आपको प्रोफेसर कहते हैं। (व्यवधान) इतनी पुरानी डिग्री वाले ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आज तक एक्ट लाए क्या किसानों का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: दो मिनिट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान निजी विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु तीन माह की अवधि के लिए परिचालित करने के सम्बन्ध में। निजी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में अभी सदन के दोनों पक्षों के कई विद्वान विधायकों ने अपनी बात यहां पर रखी। शुरूआत पूर्ववर्ती सरकार ने दी जमीन देने की और इन्होंने उसको जारी रखा। कई निजी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको तीन-तीन बार जमीन दे दी और उन विश्वविद्यालय के जो मालिक हैं, जो धन्नासेठ विश्वविद्यालय चला रहे हैं वो विधायकों की तो क्या मंत्रियों की भी नहीं सुनते। निम्स यूनिवर्सिटी का एक मामला था, किसी लड़के की फीस उन्होंने ले ली। मैं चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियांजी के पास गया था, इन्होंने दो घण्टे तक लगातार फोन किए तो निम्स यूनिवर्सिटी जो चलाती है चेयरपरसन, उसने कहा कि हमारा मंत्री से काम नहीं पड़ता, हम मंत्री से बात नहीं करते हैं। फिर हमने दूसरे हिसाब से उस काम को कराया, दूसरा हिसाब आप भी जानते हो कौनसा है हमारा। काम तो करा लिया हमने फीस वापस ले ली।

सभापति महोदय, प्रदेश में शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। एक तरफ अपन शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ निजी विश्वविद्यालयों को ऐसे खोल रहे हैं जैसे गौशालाएं राजस्थान के अन्दर खोली जा रही हैं ...(व्यवधान) हां, गौशालाओं का तो अनुदान भी बंद कर दिया। सभापति महोदय, मेरा मंत्रीजी से यही आग्रह है एक तो चेयरपरसन शब्द कहां से लाए, इस पर भी पहले बहुत बहस इस सदन में चल चुकी है। चेयरपरसन के अलावा कोई शब्द नहीं हो सकता क्या उनके लिए? चेयरपरसन पांच साल से ज्यादा रहे, आजीवन रहे और अभी पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही कि इन पर फीस का नियंत्रण कैसे रहे। निजी विश्वविद्यालय वालों की इतनी गुण्डागर्दी है कि आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और सबसे ज्यादा पहलवान बेरोजगार है इस देश के अन्दर। दस हजार में एक पहलवान रख लो आप घर में। तो बाउंसर रख लिए जगह-जगह। गुण्डागर्दी करते हैं निजी विश्वविद्यालय वाले। कोई छात्र या अभिभावक अपनी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बात कहने के लिए वापस जाता है तो पहलवानों से उसको पिटवा देते हैं। बाउंसर जैसा बता रहे थे ना। सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय का भी बड़ा नाम पूरे देश में था। हम भी इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। आज राजस्थान विश्वविद्यालय की डिग्री लेकर देश के किसी कोने में चला जाए तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि यह डिग्री सही है या फर्जी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों का इतना दबदबा था, हमने देखा था कई छात्र नेता प्रोफसरों के घरों पर बैठे रहते थे लेकिन वह पूरी डिग्री पास नहीं कर पाया आज तक, और सदन में भी चुनकर आ गये कई लोग ऐसे। सदन में एक-दो लोग तो ऐसे चुनकर आ गए जिनकी एमबीए की डिग्री भी फर्जी थी और वह दुनिया भर का छपारा, जीतकर आ गए अब क्या है, जीतकर आ गए कोई जांच तो होती नहीं है।

(16.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया निजी विश्वविद्यालय पर ही बोलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वही तो बोल रहा हूं साहब।

श्री सभापति: नहीं, आप उससे बाहर जा रहे हैं। आपको एक मिनट और है बस।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, जब हम हमारे राजस्थान में इस तरह से फर्जी डिग्री ले सकते हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि एक माननीय सदस्य एम.बी.ए. की डिग्री लेकर चुनकर आ गए तो हमारे सब के ऊपर शंका होने लगी। मैंने एम.बी.ए. नहीं किया। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप उन माननीय सदस्य का नाम बतायें जो फर्जी डिग्री लेकर आए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और वे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नाम बताओ, आपने 200 एम.एल.ए. को कठघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए नाम जरूर बताओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप तो अध्यक्ष नहीं रहे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आप नाम बता ही दो। (व्यवधान) आपको नाम बताना पड़ेगा। आपने सारे सदस्यों को ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभी कौन से, विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष रहे हैं क्या सभी सदस्य? कह रहे हो सभी सदस्य। (व्यवधान) विश्वविद्यालय में, एक मिनट, बनवारीजी बैठो, मेरी बात कहने दो। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश को चिंता है, सदन को चिंता है। सरकारी स्कूल के अन्दर कोई भी विधायक अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराना चाहता। सब चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल के अन्दर एडमिशन हो क्योंकि वहां पर पढ़ाई अच्छी होती है।

अब अपन खुद ही अगर चिंता नहीं करेंगे शिक्षा की और सदन का काम खाली इन निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने का या इनको जमीन देकर 'हां' पक्ष, जो 'हां' में हो वह 'हां' और जो 'ना' में हो वह 'ना' कहें तो क्या यही काम रह गया इस सदन का, तब तो यह कह दें कि आप लोग यहां पर नहीं आया करें, इलाके में रहकर कम से कम लोगों की बात तो सुनेंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसके अन्दर जो मेरे सुझाव हैं, एक तो चेयर-परसन की बात आई कि पाँच साल का रखा है। बीच में आपने पहले राइडर डाला था कि चेयर-परसन 33 निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम की धारा 12 की उप धारा-1 में यह उपबंध था कि चेयर-परसन निकाय द्वारा राज्य सरकार की सहमति से उस तारीख से जिस पर यह पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अब आप इसी को आगे बढ़ा रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों के अन्दर, जिस तरह से केन्द्र सरकार बिल लेकर आई है राइट टू एजुकेशन का, उसमें 25 प्रतिशत गरीब के बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूल में मिले जो राज्य सरकार से अनुदानित हैं, उसी तरह से निजी विश्वविद्यालयों में भी 25 प्रतिशत गरीब के बच्चों का, किसान के बच्चों का भी एडमिशन हो और निजी विश्वविद्यालयों में जैसा कि हमारे सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि मंत्री भी अकस्मात उसका निरीक्षण नहीं कर सकते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें बस। कोई दो मिनट नहीं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कम से कम एक ऐसा फीस का उन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण का, एक ऐसी कोई व्यवस्था प्रदेश के अन्दर बने कि निजी विश्वविद्यालय में सरकार अपना प्रतिनिधि भेज सके, उसकी जांच कर सके और यू.जी.सी. के मापदंडों पर वह चल रहा है या नहीं चल रहा है या निजी विश्वविद्यालय की आड़ में, जैसा कि अजमेर के एक विश्वविद्यालय की चर्चा पूरे राजस्थान के अन्दर हुई, विश्वविद्यालय की आड़ में छात्रों का कोई शोषण तो नहीं कर रहा है?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सभापति महोदय, शिक्षित करना भी राजस्थान को जरूरी है। हम यह भी नहीं कहते कि निजी विश्वविद्यालयों को बंद कर दो लेकिन निजी विश्वविद्यालयों की आड़ में कई भू-माफिया पनप रहे हैं। जो जमीनें निजी विश्वविद्यालयों के नाम से ले ली लेकिन जिन्होंने एक ईंट भी अभी तक नहीं लगाई। ऐसे लोगों की जांच करवाकर, इनको जमीन जो सरकार ने नि:शुल्क या डी.एल.सी. रेट पर दी है, उनकी जमीनें रद्द करें और एक बार से ज्यादा जिन निजी विश्वविद्यालयों को जमीन सरकार ने दी है उनकी भी जमीनों की पूरी कीमत राज्य सरकार वसूल करे और निजी विश्वविद्यालयों पर अंकुश और नियंत्रण राजस्थान की सरकार रखे। धन्यवाद।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों को लेकर कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है और कई अच्छे सुझाव भी दिए हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय को चैक करने का अधिकार सरकार को नहीं है। तो निजी विश्वविद्यालय के एक्ट की धारा 41 में राज्य सरकार को जांच करने का अधिकार है, धारा-42 में सूचना मांगने का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद भी निजी विश्वविद्यालय फीस नहीं बढ़ाए, डिग्रियां नहीं बेचे, उसके लिए हम एक

(डा. दयाराम परमार)

रेगुलेटरी एक्ट बनाना चाहते हैं जिससे उनको नियंत्रित कर सकें और यह एक्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत है और बहुत जल्दी ही हम इस व्यवस्था को सुधारने की कार्यवाही करेंगे और रेगुलेटरी एक्ट बना देंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह इस तरह के संशोधन विधेयक सात हैं। जितनी आपने इस पर बहस करवाई उतनी सब पर करवाएंगे तो रात के 12.00 भी बज सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये संशोधन विधेयक पारित करवाये जाएं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया गया।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित)

डा. दयाराम परमार।

विधेयक पर विचार

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन), विधेयक 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 पर चर्चा चल रही थी। हम राजस्थान विश्वविद्यालय, जो जोधपुर का ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,

(श्री ओम बिरला)

जोधपुर जो कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत बड़े भू-भाग का, रेगिस्तान से कई किलोमीटर दूर चल कर आने वाला वह नौजवान इस विश्वविद्यालय के अन्दर अध्ययन करने आता है और जिनके नाम से यह विश्वविद्यालय है, उनका प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान रहा है लेकिन माननीय सभापति महोदय, हम सरकारी विश्वविद्यालयों की ओर जाएं तो राजस्थान के अन्दर 22 सरकारी विश्वविद्यालय बना दिए गए हैं और उन विश्वविद्यालयों के अन्दर जिस तरीके से सरकार रोज नया विश्वविद्यालय खोल रही है, जैसे यह कोई प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय खोल रही है, उसी तरीके से बजट के अन्दर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर रही है। माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान की जयपुर यूनिवर्सिटी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के अन्दर जिस तरीके के प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं यह राजस्थान के शिक्षा जगत में चिंता का विषय है।

हम राजस्थान के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को जहां सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, स्वायत्त बनाना चाहते हैं लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालयों के अन्दर प्रोफेसरों की भर्ती के अन्दर अनियमितता की बात आती है तो यह हम सबके लिए चिंता का विषय है क्योंकि सदन के अन्दर इस पर बहुत गम्भीरता से चर्चा हुई है। कम से कम विश्वविद्यालयों के अन्दर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए।

जिस तरीके से सरकारी विश्वविद्यालय को व्यापक बजट, उनकी व्यापक फैकल्टी, उनके अनुसंधान और रिसर्च के लिये व्यापक उपकरण इन्तजाम करने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, आज आवश्यकता यह है कि हम इन विश्वविद्यालयों को रिसर्च विश्वविद्यालय बना सकें। इन विश्वविद्यालय में पीएच.डी. करने वाले, जो अपने-अपने विषय में होती है, सरकार उन पीएच.डीज को जो राज्य सरकार के क्रिया-कलाप ग्रामीण विकास से लेकर तमाम चीजों के लिये, जिससे जो नौजवान विद्यार्थी पीएच.डी. करता है, डाक्टर की उपाधि प्राप्त करता है, अगर उस डाक्टर की उपाधि को राज्य सरकार जिस तरीके से गुजरात के अन्दर कर रखा है, गुजरात सरकार ने जिस विषय पर पीएच.डी. कराते हैं, राज्य सरकार उस विषय को तय करती है कि इस विषय पर पीएच.डी. होनी चाहिये, वह पीएच.डी. और अनुसंधान करने के

(श्री ओम बिरला)

बाद जब पीएच.डी की थीसिस पेश होती है उसके बाद उसके आधार पर सरकार कार्य योजना बनाती है। इससे सरकार को दो बातों का लाभ होगा। एक लाभ तो यह होगा कि उन पीएच.डी. के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं की कार्यान्वयन प्रणालियों की गुणवत्ता और उनके एग्जीक्यूशन का ठीक ढंग से मापदण्ड अपना पायेगी, ताकि सरकार अपने काम को, कार्यकुशलता को भी ठीक कर सके और उस नौजवान विद्यार्थी को, जिसने उस सब्जैक्ट में पीएच.डी. की है, उसका लाभ आम जनता को मिल सके।

इसलिये माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि राज्य में सरकारी विश्वविद्यालयों को स्ट्रेन्थन करना चाहिये। इन तमाम तकनीकी और सरकारी विश्वविद्यालयों में रिसर्च होना चाहिये और उस रिसर्च का लाभ किसी न किसी तरीके से राजस्थान की सरकार और राजस्थान की आम जनता को मिल सके। इस स्ट्रेन्थ के विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता है। मेरा पुन: निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय भी मानते हैं कि तमाम विश्वविद्यालय बनाने के पहले तमाम बजट आबंटन हो, पर्याप्त पद आबंटन हो और उस विश्वविद्यालय का लाभ सरकार को मिले, जनता को मिले और उस विश्वविद्यालय के अनुसंधान और शोध के आधार पर हम राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें तो इन सरकारी विश्वविद्यालयों का लाभ होगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे आशा है, माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन लाये हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार की बिना अनुमति के पहले कुलपति नियुक्त नहीं होते थे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन यूं तो उचित है, लेकिन हमें और स्वायत्तता देने की बात करनी चाहिये। हमारा वाइस चांसलर जिसका एक ओहदा हुआ करता था, जो न तो राजनैतिक दल के आधार पर होता था, न राजनीति के आधार पर होता था। उस ओहदे को सम्मानजनक पद मिले, उस पर राजनीतिक नियन्त्रण समाप्त हो, किसी दल का नियन्त्रण समाप्त हो। इंडिपेंडेंट रूप से वाइस चांसलर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर विश्वविद्यालय को बजट का आबंटन हो और विश्वविद्यालय में रेवेन्यू इनकम सोर्सेस भी हो, जिसके माध्यम से जिस तरीके से हम निजी प्राइवेट कम्पनियों को रिसर्च के लिये, कम्प्यूटर के लिये करोड़ों रुपये देते हैं, उसकी अपेक्षा इन सरकारी विश्वविद्यालयों को दें, ताकि वह फाइनेन्शियल स्ट्रेन्थन हो और उसका लाभ सरकार को मिल सके।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक, 2013 सदन के विचारार्थ है। सभापति महोदय, यह वह विश्वविद्यालय है, जो 1962 में अस्तित्व में आया और यह उस महानायक के नाम से खोला गया, जिसने जंगे आजादी में बड़ी कुर्बानी दी और आज इस विश्वविद्यालय की जो चर्चाएं इस राजस्थान और राजस्थान के बाहर हो रही हैं, उन सारी चर्चाओं को सुनकर निश्चित तौर पर लोकनायक जयनारायण व्यासजी की आत्मा को जरूर तकलीफ हो रही होगी। यह जो संशोधन धारा 9 के खण्ड 3 और 4 से एक परन्तुक के रूप में 3 (क) के रूप में लेकर आये हैं। इसमें मुख्य रूप से कुलपति की चयन समिति के बारे में आप यह संशोधन लेकर आये हैं और उसमें लिखा है कि यू.जी.सी. के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति कुलपति चयन समिति का सदस्य होगा। कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति भी होगा और उसमें लिखा है बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, यह बोर्ड का आशय क्या है, कौनसा बोर्ड है? मंत्री महोदय, आप जरूर इसको स्पष्ट करें।

(16.14 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि आप संशोधन लेकर आये हैं, कुलपति के लिये परन्तु कहीं भी आपने यह नहीं लिखा है कि कुलपति के लिये न्यूनतम योग्यता क्या होगी? उच्च शिक्षा में उनका योगदान क्या होगा? सभापति महोदय, अगर किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के अन्दर जिस तरह की चयन समिति बनी, इस चयन समिति से साफ दृष्टिगोचर होता है कि सरकार जिसको चाहेगी, उसको कुलपति बनायेगी और यही कारण है कि आज इन विश्वविद्यालय में, विशेष तौर पर जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर जिस तरह की अनियमितता हो रही है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

सभापति महोदय, इन्हीं कुलपति महोदय, जिनकी नियुक्ति के लिये आप संशोधन लेकर आये हैं, उन्हीं के यह कारनामे रहे कि इसी विश्वविद्यालय के अन्दर जब 23, 24 और 25 जनवरी को प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी नियुक्तियों के लिये जब आवेदन निकाले गये, तो सभापति महोदय, 23 प्रोफेसर के पद के विरुद्ध 132 आवेदन आये, एसोसियेट प्रोफेसर के 56 पदों के विरुद्ध 304 आवेदन आये और असिस्टेंट प्रोफेसर के 114 पदों के विरुद्ध 4,495 अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति के लिये अपने को पात्र मानते हुए उन्होंने आवेदन दिया। इन सारे पदों में यू जी सी के मापदण्ड के अनुसार इनकी योग्यताएं निर्धारित की गयी थीं, परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि 25.1.2012, जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि थी, उस समय जो लोग उसके पात्र नहीं थे, परन्तु जिनका सम्बन्ध बड़े राजनेताओं से था या जो किसी बड़े आला नेताओं का रिश्तेदार था, अंतिम तिथि में जिस दिन उन्होंने आवेदन पत्र दिया, उस समय योग्यता वह पूरी नहीं करते थे, परन्तु उनकी योग्यता के साथ एक बात लगी हुई थी, उनके पीछे एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ का हाथ है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह ऋषभ गहलोत, जिसका चयन हुआ है, 9 महीनों बाद पीएच.डी. की डिग्री ....

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह पता करवा लो जरा, आप बोलो भले ही, परन्तु यह मैटर सब-जुडिस है और इस सदन में सभापति महोदय ने, अध्यक्ष ने उन क्वेश्चनों को इसलिये निरस्त किया कि वह सब-जुडिस है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह मामला सब-जुडिस हो सकता है पर मैं उसी परिधि में बात कर रहा हूं जो तथ्य पहले इस सदन के सामने आ गये हैं और इन सारे मामलों के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बात कहूं। इसीलिये सभापति महोदय, प्रवीण गहलोत, मनीष बढ़ेरा, जो उस समय सिर्फ एम बी ए थे, जिन्होंने नेट भी पूरी पास नहीं की थी, उनकी नियुक्ति हो गयी और किस-किस का नाम लूं मैं। मोहन जीनगर, रजनीकांत, रमेश चौहान, आशीष माथुर, मीनाक्षी बोराणा और इन सारे लोगों की नियुक्ति हो गयी और इस नियुक्ति के बाद सभापति महोदय, पहले दिन नियुक्ति करते हैं और दूसरे दिन रात को ही इनके अपाइंटमेंट लैटर जारी होते हैं और सुबह तीन बजे से पहले-पहले इनको ज्वाइन करवा लेते हैं। मतलब विश्वविद्यालय, जो जयनारायण व्यास के नाम से है, उस विश्वविद्यालय की साख को बट्टा लगाने का काम और कोई नहीं कर रहा है, उस विश्वविद्यालय की साख को बट्टा लगाने का काम उसी जोधपुर में, जिनका राजनीतिक वर्चस्व है, जो आज शीर्षस्थ कुर्सियों पर बैठे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं, वह लोग कर रहे हैं। आज कुलपति की अहर्ताओं और कुलपति की नियुक्ति के लिये अगर हम संशोधन विधेयक लेकर आयें तो हम चाहे किसी तरह के कुलपति नियुक्त कर लें, अगर कुलपति कठपुतली बन जायेगा तो विश्वविद्यालयों में अनियमितता के अलावा कुछ हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, यू जी सी ने विश्वविद्यालयों के नियम बना रखे हैं कि साक्षात्कार जब किसी भी पद का होता है तो कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, प्रोफेसर का, उसमें कम से कम 30 मिनट एक व्यक्ति के साक्षात्कार के लिये निश्चित तौर पर उनसे क्वेश्चन पूछे जायेंगे, उनका साक्षात्कार लिया जायेगा। पर यहां एक दिन के अन्दर 200-200, 300-300 लोगों का साक्षात्कार कर लिया और सभापति महोदय, यह मामला कह रहे हैं सब-जुडिस है। मेरा निवेदन है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 13.9.2012 को यह निर्णय दिया था कि जो 40 याचिकाएं थीं, उसमें उन्होंने लिखा कि यू जी सी रेग्युलेशन एक्ट 2009 के दिशा-निर्देश की पालना के अनुसार योग्यता आधारित अभ्यर्थी पीएच.डी. हो, नेट स्लेट हो सकता है, उसी को पात्र माना। पर उन सबको भी दरकिनार करने का काम इस सरकार ने किया।

तो किस प्रकार, जयनारायण व्यास के नाम से जो विश्वविद्यालय है इसमें नियुक्तियों के पीछे जो बन्दरबांट हुई है, आज पूरे देश के अन्दर चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर विश्वविद्यालय के अन्दर ऐसे अध्यापकों से अध्यापन करायेंगे, यूजीसी के द्वारा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन निर्धारित है, वही नहीं होगी तो वे अध्यापक किस तरह की शिक्षा देंगे? हम इन विश्वविद्यालयों में अपने चहेतों और रिश्तेदारों को नियुक्ति देकर अड्डा बना देंगे, हमारी मंशा यदि यह रहेगी कि विश्वविद्यालयों के अन्दर संशोधन लाकर कुलपति कठपुतली का बना दें जो कठपुतली जैसा चाहे वैसा नाच नाचे, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता।

पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, मैं समझता हूं शर्मनाक बात है। इसमें कोई और दोषी नहीं है, इसमें सीधे-सीधे यदि +++ यह सलैक्शन ठीक हुआ है। उच्च न्यायालय के अन्दर इन सब चीजों को चैलेंज कर दिया। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, संशोधन विधेयक पर इन्होंने जो अपने विचार रखे, यह मुख्य मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यह संशोधन है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, है न। हां, यही संशोधन है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप पढ़ी लिखी जमात के आदमी हो। ये संशोधन नहीं माने जा सकते सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): खण्ड 9 के अन्दर कठपुतली कुलपति को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरा आब्जेक्शन है, इसमें अगर यह अपने सुझाव देते तो समझ में आता। आरोप लगाने के लिए, विधेयक पर बहस के लिए कोई माननीय सदस्य सदन का समय जाया नहीं कर सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अभी इस सदन के अन्दर आपके दूध के दांत नहीं टूटे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके तो दांत गिर गये, मेरे तो दूध के दांत हैं आपके गिर चुके हैं और जिनके दांत गिर जाते हैं उनकी बुद्धि पर असर पड़ता है, यह समझ लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गिर चुके, कोई बात नहीं। विराजो आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): व्यक्तिगत टिप्पणियां करना बन्द कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सदन का इस चीज से कोई लेना-देना नहीं है कि किसके दूध के दांत हैं और किसके दांत गिर गये। आप हर बार टिप्पणियां करते हो। यह गलत बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विराजो। फ्लोर मेरे कब्जे में है। मैं अनुमति से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। आप विराजें। आप भी विराजो। विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आपके पास ज्ञानवर्द्धक कुछ विषय हो तो उसको जरूर आप अंकित करवायें, पर मुख्य सचेतक महोदय, कुछ काम तो आसन के पास भी छोड़ दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो संशोधन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय विधेयक के माध्यम से धारा 9 के अन्दर लेकर आये हैं, धारा 9 के अन्दर खण्ड 3 और 4 के बीच में एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नया खण्ड '3 क' इन्सर्ट करना चाहते हैं। उसके पीछे सरकार की मंशा कुलपति के पद पर अपने चहेतों को नियुक्ति देने की है और इसके अन्दर विशेष तौर पर, क्योंकि बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, कौन से बोर्ड के द्वारा नाम निर्देशित होगा? राज्य सरकार द्वारा निर्देशित व्यक्ति, अगर आप पूरी चयन समिति को पढ़ लें तो यह चयन समिति इस बात को इंगित करती है कि सरकार जिसको चाहेगी उसको कुलपति बनायेगी।

सभापति महोदय, कुलपति की योग्यता क्या रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में उसका योगदान क्या है, इसका कोई जिक्र नहीं। उसी का परिणाम रहा कि कठपुतली कुलपतियों ने इस जयनारायण विश्वविद्यालय के अन्दर जिस तरह बड़े राजनेताओं को मुख्य मंत्रीजी की शह पर नियुक्ति दी है वह शर्मनाक है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह। (अनुपस्थित) श्री पेमाराम।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह व्यवस्था आपने अभी दी नहीं है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। Any matter that was sub-judice and has been expressed in this House, will stand as deleted.

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जहां तक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के संशोधन विधेयक का सवाल है, हालांकि इससे पहले चर्चा काफी कुछ हो गयी...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 07 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 07 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 07 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जहां तक इस अधिनियम का सवाल है, यह सही है कि सरकार यह कानून इसलिए ला रही है कि वाकई इस अधिनियम में वेतन, भत्ते और कुलपति का किस तरह से होगा, एक बोर्ड होगा, राज्य सरकार का होगा। इसका मतलब सरकार जिसकी भी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से कुठाराघात करना, मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार किधर जा रही है, कहां जा रही है? शिक्षा अकेले सरकार का विषय नहीं है, यह पूरे राजस्थान की आम जनता का विषय है और आम जनता के विषय पर सरकार यदि कोई गलत फैसला लेती है तो, माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के बारे में राज्य सरकार की नीति क्या है? सरकार उच्च शिक्षा को किस रास्ते पर लेकर जाना चाह रही है? सरकार क्या चाह रही है? किस तरह की एजुकेशन देना चाह रही है। कुलपति कौन बनेगा, कठपुतली के रूप में बनेगा, सरकार इस कानून में अमेंडमेंट कर रही है कि नये पद भी सृजित किये जाएंगे, इसमें और ज्यादा करप्शन की सम्भावना रहेगी। यह शिक्षा का मामला है, शिक्षा के मसले पर कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं कि उसमें कौन प्रोफेसर होगा, कौन कुलपति होगा।

जब तक यह नहीं होगा, कुलपति की उम्र तो इन्होंने 70 साल कर दी लेकिन कुलपति कौन बनेगा? यह मैं शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। उसकी कोई योग्यता तो होगी या फिर अंगूठा छाप को बैठाना चाह रहे हो या बिलकुल बंटाधार करना चाह रहे हो? जब आपने वेतन भत्ते दे दिए, जब आपने उसकी उम्र दे दी तो आपको यह भी देना पड़ेगा कि कुलपति की क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्या होगी। अगर यह नहीं देते हो, सरकार इस पर चुप रहती है तो इसका मतलब सरकार की उच्च शिक्षा नीति वाकई में गड़बड़ है।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा का सवाल है। इतनी तावड़ में बिल लाकर राजस्थान की जनता के सामने पास करे, इससे बेहतर तो यह होगा कि इस बिल को राजस्थान की जनता के, राजस्थान के शिक्षाविदों के सामने राजस्थान में इसका प्रचार-प्रसार करके जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए। तावड़ में बिल को इस तरह से पास करके, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के पास उच्च शिक्षा की कोई नीति नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। सरकार एक चौराहे पर खड़ी है और मर्जी आये जो कर रही है। सरकार तो एक बात चाहती है कि जिसकी भी सरकार बने वह अपने चहेते लोगों को यूनिवर्सिटीज

(श्री पेमाराम)

में बड़े-बड़े ओहदों पर पहुंचाती रहे। चाहे जनता जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहती है, उनका बंटाधार हो जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि आज कानून को यहां विचार में लाये जाने की बजाय जनता में प्रचारित प्रसारित किया जाए और तीन महीने तक शिक्षाविदों के पास लोगों की राय के लिए भेजने का काम किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह जो आप नया परिवर्तन कर रहे हो कि बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित नहीं हो। सिंडीकेट ऐसे नाम का चयन करे। सिंडीकेट जो बनती है वह उसी विश्वविद्यालय या उससे जो एफिलेटेड महाविद्यालय होते हैं उनके ही प्रोफेसर या उनके ही लैक्चरर्स के द्वारा इलेक्टेड व्यक्ति होता है। मैं यह सोचता हूं कि इस प्रावधान को डालने के पीछे मंशा क्या हो सकती है कि इसमें से वह अपना चयन नहीं कर सकता है वाइस चांसलर की चयन कमेटी के लिए। इसका मतलब क्या है? मैं नहीं समझा हूं कि सिंडीकेट इससे बाहर के योग्य व्यक्ति का निर्धारण किस आधार से करेगा, किस तरीके से करेगा और उसके कारण से जिस विश्वविद्यालय के लिए हम कुलपति का चयन कर रहे हैं, कमेटी में नाम लिख रहे हैं उसमें अगर सिंडीकेट का ज्यादा से ज्यादा अनुभव और सम्बन्ध आता है तो या तो विश्वविद्यालय के स्टाफ से आता है या उसके एफिलेटेड महाविद्यालय हैं उनमें से योग्यतम व्यक्ति जो उनको लगता है, सिंडीकेट का मतलब एक व्यक्ति का है नहीं, सिंडीकेट का मतलब पूरा का पूरा वह स्ट्रक्चर है जो सारे लोगों से मिलकर बाडी बनती है विश्वविद्यालय की, वह बाडी बैठकर भी अगर अपने ही एफिलेटेड कालेज और विश्वविद्यालय में से व्यक्ति का चयन नहीं करके उससे बाहर के व्यक्ति का चयन करे।

इसका मतलब तो यह है कि उस सिंडीकेट को पंगु करके जो उसमें हैंड कर रहा है वाइस चांसलर या और भी जो लोग उसमें हैं सिंडीकेट को, वो अपनी मनमर्जी चाहे जैसा नाम निकालकर के एक और उसमें डाल दें।

मैं सोचता हूं कि अब तक अपन ने जो 50 साल निकाले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन में, अब एकदम ऐसी क्या नयी स्थिति आ गयी जिसके कारण से हमको यह रेस्ट्रिक्शन लगा, क्या यह पक्षपात हो जायेगा या वो लोग अपने में से ही किसी का चयन कर लेंगे?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इतने सालों बाद, कभी यह विषय जन चर्चा में ही नहीं उठा कि इनमें से किसी व्यक्ति का चयन करना है, बनाना नहीं है उसको, यानी चयन करने वाली कमेटी के अन्दर उस व्यक्ति को रखना है, यह मिलकर के फिर जहां से भी उनको, देश में से कहीं से भी कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसका वाइस चांसलर का पैनल बनाने के लिए वो अधिकृत है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा सोचने के पीछे सरकार का मन्तव्य क्या था?

जिस बात को आपने भी अभी कहा कि सब-जुडिस मैटर है, मुझे अभी भी बहुत दुःख है इस बात का कि यदि हमने वास्तव में फेयर सलैक्शन किया तो हमें रात में ड्यूटी ज्वाइन कराने की आवश्यकता क्या पड़ी? उन लोगों को, जिनको हमने अनियमितता, अयोग्यता से, जिनका फार्म 25.01.2012 की तारीख तक जिनकी योग्यता वैलिड ही नहीं है, कोर्ट का चाहे हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, वो फांसी नहीं लगा सकता है, हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे, जो उस तारीख को योग्यता थी वो ही तो फार्म वैलिड होंगे। यह किसी सामान्य आदमी को भी पूछें, अपन कोई टीचर का सलैक्शन करते हैं, अपन कहते हैं टैन प्लस टू होना चाहिए, एस.टी.सी. किया हुआ होना चाहिए, यह होना चाहिए, जिस दिन एप्लीकेशन मांगते हैं उस दिन वो अगर एस.टी.सी. किया हुआ नहीं है या बी.एड किया हुआ नहीं है तो वो पात्र कैसे हो सकता है, उसका फार्म रिजेक्ट होगा। उन लोगों का जो योग्यता उस दिन नहीं रखते थे उन लोगों को योग्यता अर्जित करने के बाद इन्टरव्यू के साथ जोड़ करके उनका सलैक्शन करना, चाहे हिन्दुस्तान की किसी भी कोर्ट में चले जाओ, कोई इस पर यह नहीं कह सकता है कि इसके बाद आप फार्म को वैलिड फार्म मानो।

जो गलती है वो गलती बिलकुल सामने दिख रही है और वो उन लोगों का चयन हुआ जिन्होंने उस दिन योग्यता नहीं अर्जित करने के बाद भी, कई दिनों के बाद योग्यता अर्जित की और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी योग्यता अर्जित नहीं करी। यू.जी.सी. का जो मापदण्ड है और डी.बी. ने जो कोर्ट ने फैसला दिया था 2009 में उसमें बिलकुल स्पष्ट लिखा था कि यू.जी.सी. के मापदण्डों को जो भी कवर नहीं करता है उसके आठवें सैक्शन में, उन्होंने जो फैसला लिखा उसमें आठवें बिन्दु में लिखा कि यदि यह योग्यता नहीं रखता है तो उसका फार्म उसी दिन रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अब उस रिजेक्ट को भी नहीं किया और नहीं करने के बाद आपने सलैक्शन भी किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और आपने उनको एपाइंटमेंट भी दे दिया और एपाइंटमेंट देने के बाद कोर्ट में जाकर इसको डम्प करके पटक दिया। वो इसलिए डम्प हुआ क्यों? क्योंकि वहां तो न्यायाधीश के, एक्स न्यायाधीश के बच्चे भी उसमें हैं, वाइस चांसलर और उसके जो सिंडिकेट हैं उसके लोग भी उसमें चयन हैं, उसमें राजनेताओं के बच्चे भी चयन हैं, उनमें जितने भी प्रभावशाली लोग हैं उनके बच्चे हैं। 200 सीटों में से अगर जो टापर लड़का है या जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है, जो इसमें से पहली पात्रता में रखता है उसको भी आप इग्नोर करके करोगे, आप कर सकते हो, आपके पास अधिकार है। वो बच्चा कितने दिन से आज भूख हड़ताल पर बैठा है मरने के लिए। आखिर पीड़ा तो उसको भी होती है न कि मैं योग्यता रखता हूं, मेरी जगह कोई योग्य लड़का सलैक्ट हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं पर जो योग्यता ही नहीं रखता वो व्यक्ति सलैक्ट हुआ और मेरे हक को जो मारा, मैं सोचता हूं आज दिन तक किसी यूनिवर्सिटी का सलैक्शन ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक-एक मिनट में बच्चे को अन्दर बुलाया, शकल देखी नहीं देखी और बच्चे को बाहर निकाल दिया, बुलाया और बाहर निकाल दिया। 200 लड़कों का एक दिन में इन्टरव्यू करना क्या कोई इन्टरव्यू है या केवल इन्टरव्यू की खानापूर्ती है? इस खानापूर्ती के आधार पर फिर अपने मन चाहे लोगों की लिस्ट बनाकर आपने चयन कर लिया तो मैं समझता हूं कि भले ही आप कितना ही खुश हो जाओ और आप इसमें सफल भी हो जाओ और वो बच्चे नौकरी भी करेंगे लेकिन वो जो चार हजार से, साढ़े चार हजार बच्चे इससे वंचित रह रहे हैं, उनके मन में जो पीड़ा होगी न वो पीड़ा एक दिन अन्दर ही अन्दर एक बवाल बन कर फूटेगी।

यह जो देश में विद्रोह होता है न, जो नक्सलाइट बनते हैं, जो उग्रवादी बनते हैं वो बनते नहीं हैं, बना दिये जाते हैं, मजबूरी में बना दिये जाते हैं फिर आदमी उस सीमा को लांघ करके जब चला जाता है। अगर आप घर-घर में खैरात बांटने के लिए अपन समझते हैं कि हम बहुत अच्छा, काबिल काम करें, मैं सोचता हूं कि जयनारायण व्यास का नाम इस घटना के साथ आज नहीं, आने वाले इतिहास में एक बदनामी के रूप में लिखा जायेगा। जिस पुरुष की महानता को देखकर लोग दंग रहते थे कि राजनेता भी ऐसा चरित्र का कोई व्यक्ति हो सकता है, इस कैलीबर का कोई व्यक्ति हो सकता है। जिस तरह सुखाड़ियाजी और उनके बीच में जब वोट गिरे थे और वोट गिरने में तय हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, यह लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय है, मुझे स्वीकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। जिस व्यक्ति की महानता को आज भी इतिहास याद करता है उसके नाम से जो विश्वविद्यालय बनाया, उस विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का एक ओछा हथकंडा हुआ है और इसको भी कानून की आड़ लेकर, क्योंकि न्यायालय में चला गया, अब न्यायालय में चला गया और डाल दिया, अब वो दफन होगा कि क्या होगा, क्योंकि भगवान जाने, आज न्याय यहां नहीं मिलेगा तो कहीं और जगह मिलेगा।

मैं यह कह रहा हूं कि न्यायालय के कारण से ही हरियाणा का मुख्यमंत्री और उसका लड़का आज भी जेल में है। वो केस कब हुआ होगा, परिणाम कब निकला होगा? ऐसे ही हम में से कुछ लोगों का स्थान कारागार होगा हमारे इन कर्मों के कारण से। आज नहीं, यह सच्चाई का पर्दा जिस दिन भी उठेगा न उस दिन अगर कोई दमदार व्यक्ति आया तो निश्चित रूप से इस क्रियाकर्म में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति की भी वो ही दुर्गति बनेगी जिसने इस प्रकार के कानून को तोड़कर के अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए किया।

मेरी प्रार्थना है कि यह जिस प्रकार वाइस चांसलर के चयन की जो बात की, पैनल बन गया, अब तक हमको यह था कि तीन के पैनल में से महामहिम राज्यपाल सरकार की सिफारिश से किसी भी व्यक्ति का चयन करते थे, अब आपने उसमें से लिख दिया कि इनकी सिफारिश, क्या है न परामर्श तो होगा लेकिन इस परामर्श में राज्यपाल किसी भी व्यक्ति का चयन करेगा। सामान्यत: होता यह था कि राज्य सरकार की जो मंशा थी, उस पैनल में से राज्यपाल सरकार की इच्छानुसार व्यक्ति, अब आपने इसमें जोड़ा है, फिर आपने इसमें से राज्यपाल को ऐसे अधिकार दे दिये कि वो कभी भी किसी भी वाइस चांसलर के, कुलाधिपति को यह अधिकार दे दिया कि वो कभी भी किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच करा सकता है। वो जो जांच से नहीं होगा, तो एक तरफ तो आप विश्वविद्यालय को स्वायत्तता दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आप विश्वविद्यालय को झगड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं सोचता हूं इस प्रकार के कानून और इस तरह से अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता, मुझे तो कोई ऐसी लगी नहीं क्योंकि हमारा तो फुलप्रूफ है आज दिन तक, हां, इतना जरूर करें क्योंकि हम पैसा देते हैं, हम उनको सब प्रकार के साधन देते हैं, निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय हमारे द्वारा दिये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हुए, जनता द्वारा दिये हुए धन का ठीक प्रकार से उपयोग करे। उस पर अंकुश तो जरूर होना चाहिए, उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए और हमको लगना चाहिए कि हम सरकार चला रहे हैं, तो विश्वविद्यालय के उस प्रकार की एक्टिविटीज में हम एक तरह से मेन रोल अदा कर सकें।

पर जिस ढंग से हमने इसको मोड़ने का प्रयास किया है, इसमें कोई बहुत अधिक परिवर्तन की गुंजाइश मुझे तो दिखाई नहीं देती और यह जो सलैक्शन आपने किया है, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं मन में न्याय के प्रति प्रेम हो और उन बच्चों के प्रति भी कोई दया हो जो वास्तव में मैरिटोरियस है लेकिन केवल इसलिए कि उनका कोई परिवार जन बड़ा आदमी नहीं है इसके कारण से घुट-घुट कर मरना उसके भाग्य में लिखा है तो चलो वो भी बरदाश्त करेगा।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का जो हम अमेंडमेंट लाये हैं, इसमें कुछ बातें अमेंडमेंट करके जोड़ना चाहते हैं।

पहली बात, कुलपति की नियुक्ति की कोई अधिकतम आयु एक्ट है उनमें प्रोविजन नहीं है, इसे हम 70 साल करना चाहते हैं।

दूसरी बात, कुलपति की नियुक्ति हेतु चयन समिति राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसमें एक संशोधन के माध्यम से एक प्रतिनिधि जोड़ना चाहते हैं।

तीसरी बात, वार्षिक लेखे और अंकेक्षण करा कर राज्य सरकार को प्रेषित करने का प्रावधान जोड़ा जा रहा है।

चौथी बात, जिन निर्णयों से वित्तीय प्रभाव पड़ते हैं, राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक की गयी है।

पांचवीं बात, राज्य सरकार के वर्षों की सीमा तक राज्य सरकार का और जांच के अधिकार जोड़ा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि माननीय सदस्य ने जो जनमत संग्रह के लिए प्रस्ताव रखा है उसको निरस्त किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,

(श्री सभापति)

जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2

खण्ड-2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर कोई सरकारी संशोधन हो तो करो। सभापति महोदय, कभी शून्य नहीं होता।

श्री सभापति: आपको इजाजत किसने दी? बगैर आसन की इजाजत के कोई नहीं बोलेगा, जब आसन पांवों पर है तो कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होगा।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से खण्ड-3 में...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, एक मिनट विराजें। You go through that Amendment and you are confirmed that the Amendment, then you should speak. You did not have the relevant papers in your hands. Henceforth with, I will ask the Parliamentary Affairs Minister to make it clear all the Ministers concerned who put the Bill in the House should have this paper and these things well in advance.

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, विधेयक के

(डा. दयाराम परमार)

खण्ड-3 में धारा-11 की उप धारा-1 के खण्ड-के में विद्यमान अभिव्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय के स्थान पर अभिव्यक्ति विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड– 3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 से 6 – कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई सदस्य बोलना चाहे तो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

जयनारायण विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो संशोधन आए हैं उन पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान का यह दुर्भाग्य है उच्च शिक्षा का कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह कहा कि अगर शिक्षकों की आयु आप 60 से 65 कर देते हैं तो हम आपको एड देंगे। उस एड का जो बिल है राजस्थान सरकार द्वारा भेजा हुआ वह 2006 से भेजा हुआ है और वह 299 करोड़ का बिल पड़ा है 60 से 65 करने के लिए। अब वाइस चांसलर की आयु 62 से 70 वर्ष की जा रही है, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि तीन सौ करोड़ हमें नहीं चाहिए। जिसने भी बेइमानी की, हमारे कहने से जिसने नियुक्तियां कीं, उसको सत्तर साल तक हम बैठाए रखें इस कारण से संशोधन लाया जा रहा है।

दूसरा यह कहा जा रहा है कि कालेज के बाहर का होगा। अब तक विश्वविद्यालय में वर्षों तक काम करते हुए अच्छे लोगों को वाइस चांसलर हम बनाते रहे, अब बाहर का व्यक्ति होगा यह भी मैं दुर्भाग्य मानता हूं।

इसी प्रकार से सरकार हस्तक्षेप क्यों बढ़ाना चाहती है? जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनमें तो आपने हस्तक्षेप बंद कर दिया और सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, जिनमें तीन लोग पहले से ही हैं, वाइस चांसलर महोदय हैं उनका नोमिनी है, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स का जिसको हम बम कहते हैं उसका नोमिनी है और एक कुलपति का नोमिनी है। फिर सरकार का चौथा नोमिनी किसलिए चाहिए। दो तो हैं फिर भी सरकार उसमें हस्तक्षेप बढ़ा रही है, इस कारण से ये उच्च शिक्षा का मैं दुर्भाग्य मानता हूं।

इसी प्रकार से जयनारायण विश्वविद्यालय, जो हमारे सदन के प्रथम नेता थे उनके नाम से विश्वविद्यालय चल रहा है। उसमें जिस प्रकार की नियुक्तियां हुई उसका एक कालम यहां पढ़ा गया कि जिसने पी एच डी में प्रवेश ले लिया उसको योग्य मान लिया गया। मैं सभापतिजी, निवेदन करना चाहता हूं मेरा पुत्र होता, पोता होता अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेगा तो वो योग्य हो जाएगा क्योंकि उसने एडमिशन ले लिया और लिख देगा मैं एम ए करूंगा और एम ए भी सैकिण्ड क्लास से करूंगा तो वो व्याख्याता बन सकता है। ऐसी स्थिति है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी क्लाज में यह नहीं है कि कोई आदमी एडमिशन ले लेगा तो उसको योग्य मान लिया जाएगा। वह केवल

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

योग्यता की बीच-बीच में जो शर्तें चैंज हुई हैं, पी एच डी सब्मिट हो जाती थी उसको अवसर दिया जाता था कि ड्यू टाइम में उसने पी एच डी सब्मिट कर दी इस कारण से उसको योग्य मान लिया जाए। उसका कार्य पूरा हो जाता था। लेकिन यहां संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है जवाब में कि पी एच डी में जिसने एडमिशन ले लिया उसको हमने पात्र मान लिया। कुलाधिपति के अधिकार में था, सरकार के अधिकार में था, यू जी सी के अधिकार में था, विश्वविद्यालय के किसी (bom) के उसमें था, एक भी तथ्य ऐसा मौजूद नहीं है पूरे देश भर में, 2009 में यह कह दिया गया जिनकी पी एच डी 2009 में हो गयी उन व्यक्तियों को केवल छूट मिलेगी नैट सैट में। इन्होंने तो जो जनवरी लास्ट डेट थी उसके नौ महीने बाद जिन्होंने पी एच डी जमा करायी उनको योग्य मान लिया, जिन लोगों के नैट सैट नहीं थे, इसका मतलब वह परीक्षा में बैठे ही नहीं थे, फार्म ही नहीं भरा था, नौ महीने बाद रिजल्ट लेकर आ गये, उनको योग्य मान लिया।

यह कैसी प्रक्रिया है, कैसी परम्परा है, कैसी मिसाल है? यह उच्च शिक्षा को समाप्त करने का एक षड्यन्त्र मैं मानता हूं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी को चिन्ता नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे में एक भी चयनित प्रोफेसर नहीं है, आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, चिन्ता नहीं है। वहां भी पद कैसे भरे गये प्रोफेसर के, जाति विशेष का, सिंडिकेट का अगर मैम्बर हो तो उसका चयन हो जाएगा तो नौकरशाह विश्वविद्यालय में उसका हो जाएगा, कोई जोधपुर में पोस्टेड न्यायाधिपति है उसका सलैक्शन हो जाएगा, सांसद है तो उसका हो जाएगा, राजनेता है तो उसका हो जाएगा, वाइस चांसलर का रिश्तेदार है उसका हो जाएगा।

कैसा दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय का, यह सत्तर साल इसलिए किया जा रहा है, उसमें बू आ रही है कि इनको पुरस्कृत कैसे करें जो वाइस चांसलर ने हमारे कहने से इतना बड़ा फ्राड कर दिया, यस मैन बन गया, सारे सिद्धान्त ताक में रख दिये, उनको आब्लाइज कैसे किया जाए तो उसका एक ही तरीका था कि 62 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया जाए और क्या कारण है? अब तक 1947 के बाद में 62 साल तक के वाइस चांसलर सफल रहे हैं, अब सत्तर साल करेंगे तब वाइस चांसलर होगा, यह पुरस्कृत करने और उच्च शिक्षा का भट्ठा बैठाने का विषय है। उच्च शिक्षा को बरबाद करने का, पतन करने का है, इस प्रकार का कभी नहीं होता।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

राजस्थान में 750 के लगभग तो संविदा पर हैं उनकी चिन्ता नहीं है। इसी प्रकार से जोधपुर विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, जोधपुर विश्वविद्यालय को अभी बनाया गया है क्षेत्रीय विश्वविद्यालय। पहले वो स्थानीय विश्वविद्यालय था। उसकी चिन्ता इस प्रकार की की जा रही है, अभी उसके बारे में इन्होंने कोई मापदण्ड तय नहीं किया। वहां लिखा है कांस्टिट्यूएंट कालेज होंगे उसकी भी चिन्ता इनको नहीं है। चिन्ता है 62 वर्ष से 70 वर्ष कैसे किया जाए लेकिन राजस्थान के खजाने में 299 करोड़ लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

बार-बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा है कि कोई भी स्टेट अगर पैंसठ वर्ष करेगा उच्च शिक्षा के शिक्षकों का तो उसको एड देंगे, पूरी एड देंगे, अस्सी परसेंट देंगे, अस्सी परसेंट की चिन्ता नहीं है, 299 करोड़ 1.1.2006 से वहीं पडा है अभी तक ला नहीं पाये।

इसी प्रकार से सारे राजस्थान के शिक्षकों का 40 परसेंट जो एरियर है, उसको क्यों नहीं दिया गया? उसका उत्तर माननीय सभापतिजी, शिक्षा मंत्रीजी के माध्यम से क्या आता है कि जब वहां से एड मिलेगी, एरियर मिलेगा तो 62 से 65 साल नहीं करेंगे, रिक्त रहेंगे भले ही वह पद, वह नहीं करेंगे लेकिन हमें नहीं लाना मंजूर है। एक बार पत्र ऐसा भी गया है कि हम 65 वर्ष नहीं करेंगे भले ही एड नहीं दें। क्या दुर्भाग्य है? राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों का कैसे होगा? पैसे के अभाव में, तीन सौ कऱोड़ अगर दे देते तो सीकर विश्वविद्यालय, अलवर विश्वविद्यालय, भरतपुर विश्वविद्यालय विकसित हो जाते। तीन सौ करोड़ रुपये की चिन्ता इनको नहीं है, 62 से 65 नहीं करेंगे लेकिन वाइस चांसलर के पद पर अपने पिट्ठू को, अपने किसी हितैषी को जो ओब्लाइज करता है, जो उनका यस मैन है, जो गलत काम कर सकता है उसको 70 साल तक रखेंगे।

इतना ही नहीं, एक अध्ययन करवाया जायेगा। इसमें संशोधन है कि कुलाधिपति क्या करेगा? हमने अगर कर दिया, आज हमारी सरकार है हमने कर दिया तो कुलाधिपति उसका निरीक्षण कर सकता है। उसको यह चिन्ता नहीं है कि क्या चल रहा है विश्वविद्यालयों में? 70 साल तक उसको बढ़ा देंगे तो कल इनकी सरकार बदलने वाली है। यह इस साल करके जायेंगे कि 70 साल तक वही रहेगा। आने वाला जो शिक्षा मंत्री होगा, उच्च शिक्षा मंत्री होगा,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

मुख्य मंत्री होगा, उसका कहना नहीं मानेगा। ऐसे षड्यंत्र की बू आती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको स्वीकार नहीं किया जाये। यह राजस्थान के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से कहना चाहिये बहुत बड़ी विसंगति होगी, अव्यवस्था होगी, जिस कारण से मनमानी चीज चलेगी। ऐसा निवेदन है आपसे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 संशोधित रूप में पारित किया गया।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013, श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। श्री घनश्याम तिवाड़ी...(अनुपस्थित)

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया गया... (व्यवधान)

एक मिनट मंत्री महोदय। संसदीय कार्य मंत्रीजी, हां पक्ष जीता, हां अगर धीरे आवाज में आया तो मैं...(व्यवधान) मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला। आदरणीय, घड़ी की तरफ जरूर देखें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बिलकुल, 5 मिनट में माननीय। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने इस दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया और आज भी उनका संदेश पूरी दुनिया के अन्दर है, उनके नाम से यह वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013, इस

(श्री ओम बिरला)

विश्वविद्यालय का उद्देश्य दूरदराज इलाके के अन्दर हमारा राजस्थान-भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। उस दूरदराज के व्यक्ति तक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, पत्राचार शिक्षा के माध्यम से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य संकायों के माध्यम से जो पढ़ने के लिये न विश्वविद्यालय में आ सकता है, न महाविद्यालय में आ सकता है, न विद्यालय में आ सकता है। उसके पीछे जो मकसद था वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक था और उस समय भी आवश्यकता थी। क्योंकि आज भी, आज नहीं कल आने वाले भविष्य में सारे विश्व में हो गया है तो इस हिन्दुस्तान के अन्दर भी हम कम्प्यूटर के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का अध्ययन करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, उद्देश्य बहुत अच्छा था लेकिन मुझे इसलिये कहना पड़ रहा है कि यह विश्वविद्यालय कोटा में स्थापित है और इस विश्वविद्यालय के अन्दर सरकार की तरफ से किसी तरीके का सहयोग नहीं मिलने के कारण यह विश्वविद्यालय दम तोड़ता जा रहा है। एक अच्छे उद्देश्य से बनाया गया विश्वविद्यालय जो शायद राजस्थान में नहीं पूरे देश के अन्दर उस अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचा देता, शायद आजादी के सौ साल तक हम उस विद्यार्थी के जीवन में उजाला नहीं कर सकते थे, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हम उस बच्चे को शिक्षा दे सकते थे। सरकार ने पालिसीज पर ध्यान नहीं दिया। सरकार का ध्यान इस विश्वविद्यालय पर नहीं गया जिसके कारण आज इस विश्वविद्यालय की हालत है कि आर्थिक तंगी से गुजरता यह विश्वविद्यालय जहां इसके पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये प्रोफेसर, उसके अध्यापक, उसका स्टाफ, तमाम सुविधाएं जो इस विश्वविद्यालय में होनी चाहिये, उसके अभाव में यह विश्वविद्यालय दम तोड़ता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीति यह हो कि इन विश्वविद्यालयों का उपयोग आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के तमाम विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें, जहां इस विश्वविद्यालय के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम होता है, एम बी ए होता है, बी एड होती है, ऐसे तमाम संकाय इसमें हैं जिनकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता थी वह भी इस विश्वविद्यालय में थे लेकिन आर्थिक अभाव के कारण धीरे-धीरे वह फैकल्टीज बन्द होती चली गयीं और हालत यह हो गयी कि आज वहां के कर्मचारियों और प्रोफेसर्स का वेतन चुकाना भी मुश्किल हो गया है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर सरकार चाहती है इस

(श्री ओम बिरला)

विश्वविद्यालय को स्ट्रेंथन किया जाये तो मेरा दावा है कि आज भी सरकार की नीतियां इस विश्वविद्यालय को स्ट्रेंथन कर सकती हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा इस देश के अन्दर स्किल डवलपमेंट के लिये एक हजार करोड़ रुपये का बजट आबंटन रखा गया था। इस एक हजार करोड़ से हम गांव के उस नौजवान को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उद्योग लगे हैं, जो उत्पादन के क्षेत्र लगे हैं, जो अन्य क्षेत्र लगे हैं वह स्किल डवलप करने का काम इस विश्वविद्यालय से कराया जा सकता था क्योंकि आज जिस तरह निजी विश्वविद्यालयों के अन्दर, कालेजेज के अन्दर डिग्रीज बांटी जा रही हैं उन डिग्रीज के बाद आज मैकेनिकल इंजीनियर बन जाये, आज एम बी ए कर ले, आज बड़ी-बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ले लेकिन आज काम करने वाला, कारपेट बनाने वाला, जूते बनाने वाला, छोटे से छोटा कारीगर जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है उससे ज्यादा वह कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, गुजरात ने भी इसी तर्ज पर जहां देश की सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये रखा उसी गुजरात जरा से प्रदेश ने आठ सौ करोड़ रुपये लगाकर तीन हजार तरह के स्किल्स डवलप करने का काम उन नौजवानों को किया ताकि वह नौजवान प्रशिक्षित हो जायें, शिक्षित हो जायें और प्रशिक्षित होने के बाद उनको रोजगार मिल सके।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: आप एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि मंत्री महोदय इस पर जवाब देंगे?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां।

श्री सभापति: Do you expect that from the Minister?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी महती आवश्यकता है कि इन विश्वविद्यालयों को अगर हमें फाइनेंशियली स्ट्रेन्थ करना है तो जिस तरीके से आज राजस्थान के अन्दर आरकेसीएल, राजस्थान नालेज कारपोरेशन लिमिटेड एक कम्पनी बनायी गयी। इस कम्पनी का मकसद यह था कि हम हर बच्चे को कम्प्यूटराइज करेंगे, कम्प्यूटर से शिक्षित करेंगे। उसके लिए अध्यापक रखे गये, ट्यूटर रखे गये। उसका साफ्टवेयर डवलप करने के लिए एक एमओयू किया गया। एमओयू किससे किया गया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इस बिल तक सीमित रहिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, इस बिल पर बोल रहा हूं। इस बिल से सम्बन्धित है।

श्री सभापति: This is not a debate on higher education.

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, हायर एजुकेशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एमओयू किया वह इन्होंने महाराष्ट्र नालेज कारपोरेशन से किया। राजस्थान सरकार महाराष्ट्र के इस कारपोरेशन को 30 करोड़ रुपया और इन 3 साल के अन्दर 100 करोड़ रुपया साफ्टवेयर डवलपमेंट के लिए दे रही है, वही काम अगर इस विश्वविद्यालय के माध्यम से साफ्टवेयर डवलपमेंट का कराते तो शायद यह विश्वविद्यालय फाइनेन्शियली स्ट्रेन्थन होता और उसके माध्यम से हम राजस्थान में रोजगार के नये साधन खोल देते।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप बिल में संशोधन तो ला रहे हैं, बिल में संशोधन का आपका मकसद जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि हो सकता है कि अगर आपकी सरकार ना रहे तो आप किसी न किसी तरह से राज्यपाल महोदय के माध्यम से उन विश्वविद्यालयों को नियंत्रित कर सकें। लेकिन इससे अच्छा होगा कि आप इनको फाइनेन्शियली स्ट्रेंथन करें। टैक्निकल रूप से स्ट्रेंथन करें। अपना जो भी काम सरकार कराना चाहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या अन्य स्टेट के प्राइवेट कारपोरेशंस की अपेक्षा हम साफ्टवेयर डवलप करके इस विश्वविद्यालय को फाइनेन्शियल स्ट्रेंथन कर सकें ताकि यह कोटा का खुला विश्वविद्यालय जो अच्छे मकसद के लिए बना था, वह फाइनेन्शियल रुप से दम नहीं तोड़ दे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए अपना मत देना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 सदन के विचारार्थ है। मुख्य रूप से इस विधेयक में धारा 8 (1) में कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु, सेवा शर्तों के लिए सरकार संशोधन लेकर आयी है। उसके साथ ही धारा 20 (क) के अन्दर राज्य सरकार नियंत्रण के लिए भी संशोधन लेकर आयी है। उनमें उन शर्तों का जिक्र किया है, जिनके आधार पर वित्तीय नियंत्रण इस खुले विश्वविद्यालय पर सरकार कर सके।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, वित्तीय नियंत्रण करने की बात वहां होनी चाहिए जहां सरकार कोई वित्तीय सहायता दे। मैं आपका ध्यान इसी विधेयक के प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है कि विधेयक के खण्ड 3 और 4 यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो क्रमश: प्रस्तावित धारा 8 (1)(ख) के अधीन कुलपति की अन्य परिलब्धियां और प्रस्तावित धारा 20 (2) के अधीन ऐसी तारीख जिससे पूर्व आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे, विहित करने के लिए सशक्त करेंगे। यानि अभी कोई एस्टिमेट भी नहीं है क्योंकि सरकार ने इस खुले विश्वविद्यालय को बिलकुल लावारिस छोड़ रखा है।

सभापति महोदय, इस खुले विश्वविद्यालय के पीछे जो 1987 में खुला, अवधारणा तो यह थी कि राजस्थान का वह गरीब बच्चा जिसको अपने जीवन-यापन के लिए नौकरी भी जरूरी है, जो श्रम करके अपने परिवार का लालन-पालन भी करना चाहता है लेकिन शिक्षित भी होना चाहता है। दोनों काम वह साथ-साथ कैसे करे, इसी उद्देश्य के साथ यह खोला गया था।

मंत्री महोदय, आप बताना चाहेंगे कि आज की तारीख में इस विश्वविद्यालय में कितने छात्र अध्ययनरत हैं। मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह विश्वविद्यालय कहता है कि 1 लाख 25 हजार के लगभग विद्यार्थी हमारे यहां पत्राचार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से 80 हजार वह हैं विद्यार्थी, जो आरकेसीएल, जिसका जिक्र अभी कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, उसमें मर्ज किये हुए विद्यार्थी हैं। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस खुला विश्वविद्यालय के अन्दर 10 हजार से भी कम विद्यार्थी होंगे।

सभापति महोदय, आज वक्त बदला है, कम्प्यूटर का युग आया है। ई-मेल का युग आया है। आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से पूरे देश के अन्दर आप मेडिकल की बात कर लें। कितने-कितने मेडिकल कालेजों से, आप खुद कहते हैं कि हम प्राइमरी मेडिकल हैल्थ सेंटरों पर मेडिकल कालेजों से शिक्षा पहुंचायेंगे। ऐसे समय में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस खुला विश्वविद्यालय के कितने कोर्स पिछले 3 वर्षों में बंद हो गये। एक के बाद एक कोर्स बंद होते चले गये।

सभापति महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि इस खुला विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी बीए करके निकलता है, राजस्थान के बीएड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कालेज उसको प्रवेश नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी मान्यता नहीं है। आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त कर रखी है। मेरा मंत्रीजी आपसे निवेदन है कि आप उत्तर दें तो बतायें कि इस विश्वविद्यालय में कितनी फैकल्टी चल रही हैं, क्योंकि पत्राचार में भी वह सारी अध्ययन की सामग्री तैयार करनी पड़ती है, जो विद्यार्थी को भेजनी पड़ती है। कितने कोर्स पिछले 3 वर्षों में बंद हो गये? इन सारी बातों के बारे में बतायें।

सभापति महोदय, एक तरफ यह विश्वविद्यालय वित्तीय कमी से दम तोड़ता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ इसी विश्वविद्यालय के कुलपति 45 लाख की नई गाड़ी खरीदने के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। यही नहीं, आज इस पूरे विश्वविद्यालय में जिस तरह भर्तियां हो रही हैं, कहीं कोई बैकलाग की बात नहीं है। आपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम राजस्थान में जितने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उनमें जितना भी एससी, एसटी का बैकलाग है, वह पूरा करेंगे। आप मुझे बता दें कि इस विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं, एक बैकलाग भी आपने पूरा किया है क्या?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय को आप वित्तीय सहायता देते नहीं हो, उसको नियंत्रणाधीन करने के लिए, चाहे इसमें संशोधन अभी पारित हो जायेगा, हां, ना हो जायेगी, परन्तु इसके पीछे मकसद क्या है? हम किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं? क्या यह सही नहीं है कि 1987 में जब यह खुला तो 1990 तक इस कोटा खुला विश्वविद्यालय जो भगवान महावीर के नाम से है, इसके साथ लाखों विद्यार्थी जुड़ चुके थे। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से यह विश्वविद्यालय डी-ग्रेड होता जा रहा है, उसके कारण सारे विद्यार्थी छोड़कर जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपके सामने यह विधेयक आया तो कम से कम आपको इस बात की तो जानकारी लेनी चाहिए थी कि खुला विश्वविद्यालय, कोटा जो कि भगवान महावीर के नाम से है, आज किस स्थिति में है? आज किस फाइनेन्शियल संघर्ष में यह विश्वविद्यालय है? आज इस विश्वविद्यालय में कौन-कौनसी अनियमितता हो रही हैं? आज इस विश्वविद्यालय में कौन-कौनसी फैकल्टी बंद हो गयीं? आज इस विश्वविद्यालय में किस तरह से बैकलाग के साथ खिलवाड़ किया गया है? आज इस विश्वविद्यालय में लगातार विद्यार्थियों की संख्या क्यों गिरती जा रही है? अगर यह सब आप बता देते तो निश्चित रूप से लगता कि आपकी मंशा ठीक है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि मंत्री महोदय आप अपने नाम के आगे डाक्टर लिखते हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप शिक्षाविद होंगे। लेकिन जिस आनन-फानन में आज 7 बिल लिस्टेड किये हैं और उनमें आप अगर यह बता दें कि इस विश्वविद्यालय की माली हालत क्या है? यह विश्वविद्यालय कहां खड़ा है तो हमें संतोष होता। इस विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने के लिए आप धारा 20 (क) के अन्दर और धारा 8 में जो संशोधन लेकर आये हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या है?

सभापति महोदय, आप इस विश्वविद्यालय के अन्दर कुलपति की आयु बढ़ाना चाहते हैं। यह राजस्थान की सरकार विश्वविद्यालयों की घोषणा जरूर करती है, लेकिन विश्वविद्यालय घोषित होने के पश्चात यूजीसी के मापदंड के अनुसार आप इस विश्वविद्यालय के इंस्पेक्शन की रिपोर्ट इस सदन में रख दो, आप यह बता दें कि इसका इंस्पेक्शन कब हुआ तो मैं आपकी सारी बात स्वीकार कर लूंगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित कर दें ताकि कोटा के सब लोग इसके बारे में अपनी ओपिनियन दे दें और वापिस जब सदन जुड़े तो आप इसको संशोधित रूप में प्रस्तुत कर दें।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह। श्री पेमाराम। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब क्या बोलना है। कोई मतलब तो है नहीं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री, आप उत्तर दें।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 का जो संशोधन हम लेकर आये हैं उसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुलपति की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष थी उसको बढ़ाकर 70 वर्ष कर रहे हैं और राजस्थान में जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की आयु को समान 70 वर्ष किया जा रहा है। दूसरी बात कुलाधिपतियों के निरीक्षण का अधिकार राजस्थान एवं जोधपुर विश्वविद्यालय में एक समान किया जा रहा है। तीसरी बात विश्वविद्यालयों के लेखे तैयार कर सिण्डीकेट के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार को प्रेषित करने का प्रावधान

(डा. दयाराम परमार)

जोड़ा जा रहा है। चौथी बात, राज्य सरकार के वित्तीय स्रोतों की सीमा तक राज्य सरकार का नियंत्रण सम्बन्धी अधिकार जोड़ा जा रहा है। विश्वविद्यालयों में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच कराने का अधिकार जोड़ा जा रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं दरख्वास्त करता हूं कि जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को निरस्त किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 6 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

डाक्टर दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, कोई बोलना चाहें तो उनको इजाजत है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, इस खुले विश्वविद्यालय द्वारा सुदूर राजस्थान के गांवों में रहने वाले युवकों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, उसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था लेकिन पिछले 20 वर्ष से लगातार इसकी व्यवस्थाओं में, इसके विस्तार में कमी आती जा रही है। आज मंत्री महोदय वित्तीय नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण की बात करते हैं, कभी भी सरकार ने उसकी सुध नहीं ली। इतनी पवित्र आत्मा के नाम से यह विश्वविद्यालय है और इतना पवित्र उद्देश्य, सुदूर राजस्थान में डाक से पाठ्यक्रम मिल जाये, कभी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया, इसके लैसन कब बने, 30-30 वर्ष पुराने लैसन हैं जो भेजे जाते हैं, विद्यार्थियों को कोई नई चीज नहीं मिलती, इस कारण से वह क्यों करे? इसी प्रकार से जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय बने उनको सबको प्राइवेट परीक्षा लेने का अधिकार दे दिया। जो कल्पना थी उस समय, जब मैं स्टूडेंट था राजस्थान विश्वविद्यालय में, एक विषय चला था तो तत्कालीन प्रशासनिक कमीशन के मैम्बर डाक्टर राजकृष्णन ने यह कहा था कि डाक से शिक्षा देना हमारा काम नहीं है तब यह बात आई थी कि हम एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना करके इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे और ऐसे आश्वासन के बाद वह विश्वविद्यालय बना था लेकिन आज उसकी दुर्दशा है, लगातार उसके विद्यार्थियों में कमी आ रही है, परीक्षाओं की व्यवस्था में कमी आ रही है, समय पर परीक्षाएं होती नहीं लेकिन वित्तीय नियंत्रण की बात, लेखों के नियंत्रण की बात, काहे के लेखे, जब विस्तार ही नहीं हो रहा, जब फीस ही नहीं आ रही, आपके विद्यार्थी बढ़ ही नहीं रहे, तो आप कौनसे प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण की बात करते हैं? वह गरीब विद्यार्थी जो आकर विश्वविद्यालय में पढ़ नहीं सकता, कालेज में पढ़ नहीं सकता, उनके लिए था, इस कारण से इस रूप में कोई एड दी गई क्या, पाठ्यक्रमों को अपडेट करने के लिए कोई प्रयास किया गया क्या? इनके इस प्रकार से

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

मूल्यांकन करने के लिए क्या कोई मूल्यांकन कमेटी बनी क्या, क्या सामाजिक उत्तरदायित्व की बात उसमें जोड़ी गई क्या? ऐसा कभी हुआ नहीं इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप जवाब देना चाहते हैं? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं माननीय सदस्य प्रोफेसर हैं।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): पता है, मैं भी प्रोफेसर हूं, दोनों समान हैं।

श्री सभापति: ऐसी कोई बात नहीं कही जिस पर आप?

प्रश्न यह है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित)।

डाक्टर दिगम्बर सिंह (अनुपस्थित)।

डाक्टर दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला (अनुपस्थित)।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित)।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 विचारार्थ है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक कार्य भार आंकलन के लिए 20 जुलाई, 2010 को प्रोफेसर सोमदेव कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने यह कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 50 फीसदी कक्षाएं ही मात्र लगती हैं और यह भी कहा कि स्वीकृत 900 पदों में 400 पद रिक्त पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, हम जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, क्रम 9 के खण्ड 3 और 4 में आप कुलाधिपति के अधिकार में और कुलपति द्वारा चयन समिति के सम्बन्ध में है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के अन्दर स्वयं विश्वविद्यालय के चांसलर ने एक कमेटी बनाई, उसमें यह बात उभर कर आई कि 50 फीसदी कक्षाएं ही लगती हैं और 400 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के नये वेतनमान और बड़ी-बड़ी घोषणाएं आपने की थीं। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम चड्ढा कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे। आज कितना समय निकल गया? राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक नए वेतनमान के लिए बार-बार आपको आकर कह रहे हैं और आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र से लेकर बजटीय घोषणा की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुलपति की उम्र, सेवानिवृत्ति की आयु 70 कर रहे हैं, यूजीसी, जिसका जिक्र अभी शाहपुरा से आये माननीय सदस्य कर रहे थे, उसने रिकमण्डेशन दी, उसने सारे राज्य को लिखकर दिया कि पूरे देश के अन्दर विश्वविद्यालयों के अन्दर शैक्षणिक दृष्टि से गुणात्मक कमी आ रही है और विश्वविद्यालयों के अन्दर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 वर्ष कर दी जाये। माननीय सभापति महोदय, यूपी ने कर दी, एमपी ने कर दी, पंजाब ने कर दी, केन्द्र सरकार ने कर दी, परन्तु हमारी सरकार इसको कर नहीं रही है। यूजीसी का पैसा लगभग 200 करोड़ से ज्यादा हमारा रुका पड़ा है और दूसरी तरफ यूजीसी है उसने जो मानदण्ड बना रखे हैं विश्वविद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात 1:15 हो। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर अगर इस अनुपात में आप पदों का सृजन करें तो आपको तीन हजार से ज्यादा पदों का सृजन करना पड़ेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में विचार करना चाहिए। यह संशोधन लेकर आए हो, उसके साथ आपको मंत्री महोदय, इस बात का भी भान होना चाहिए कि राजस्थान का शिक्षक जो गुरु और गोविन्द से आगे बढ़ कर है, आपके दरवाजे पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कितनी बार आ-आकर कहा उसने कि पदनाम बदल दें? आज केवल शिक्षक जिसने कि उसके पदनाम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और डाइरेक्टर जो कालेज एजुकेशन के उसमें डाइरेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में आएं। यह छोटी-छोटी बातें आपको स्वीकार करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय का यूजीसी कमीशन से प्रतिवर्ष निरीक्षण अगर आप करवाएं तो निरीक्षण की रिपोर्ट को आप देख लें तो सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी।

सभापति महोदय, यह सरकार निजी क्षेत्र के अन्दर जो विश्वविद्यालय के हालात हैं, उससे कोई छिपी हुई नहीं है। दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्र में भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर जितने पद रिक्त हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने महाराजा शेखावाटी विश्वविद्यालय, भर्तृहरि विश्वविद्यालय और भरतपुर विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, क्या यह सही नहीं है कि 17 मार्च, 2008 को तत्कालीन सरकार ने शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, भर्तृहरि, अलवर और महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर की घोषणा की थी, ओएसडी नियुक्त हुआ था, भूमि का चयन हुआ था, परन्तु चूंकि आप राजनीतिक चश्मे से सारी बातें देख रहे थे, अध्यादेश को आप रिप्लेसिंग बिल के रूप लेकर नहीं आए और उसके बाद 2012-13 में फिर घोषणा की और घोषणा करके किया क्या है? आपने उस महाराजा सूरजमल का नाम हटाया है, विश्वविद्यालय के नाम के आगे, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को ललकारने का काम किया था, जिसके बारे में पूरे देश में बात चली थी, एक फिरंगी नौ गरा, लड़ जाट के दो छोरा, ऐसा काम आपने किया है। आपने महाराजा भर्तृहरि का नाम हटाने की बात कही और इसी भर्तृहरि जो राजा से एक तरह से संत बन गये थे और आज उनका सारा सम्प्रदाय, गोरखनाथ सम्प्रदाय, इस बात के लिए आंदोलित है कि आपने महाराजा भर्तृहरि का नाम क्यों हटाया। 2012-13 में आपने 10-10 करोड़ रुपये इस विश्वविद्यालय को देने की घोषणा की थी, आपने मेरे ही एक सवाल के उत्तर में कहा कि इस वर्ष 2012-13 तक बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को 14 लाख रुपये दिये, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को 14 लाख 55 हजार रुपये दिये और शेखावाटी विश्वविद्यालय को 14 लाख 55 हजार रुपये दिये और इसमें सिर्फ यह 43 लाख रुपये जो आपने दिये, उसमें एक लाख 42 हजार रुपये व्यय हुआ। आप यह थोथी घोषणाएं करते हैं। आप सरकारी क्षेत्र के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर जहां पुराने विश्वविद्यालय का आप बंटाढार करते जा रहे हैं, वहां नये विश्वविद्यालय जो आपने खोले हैं, मैं समझता हूं जिस रफ्तार से आप इनको पैसे दे रहे हो और जिस रफ्तार से आप इस काम को अंजाम की तरफ ले जा रहे हो, आने वाले 10 वर्ष में न तो सीकर में विश्वविद्यालय खुलेगा, न भरतपुर में विश्वविद्यालय खुलेगा, न अलवर में विश्वविद्यालय खुलेगा।

इसके साथ ही, निश्चित तौर पर आप जो संशोधन लेकर आए हो, आप कुलपति की आयु 70 वर्ष कर रहे हो पर राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वह मांग, उनकी उम्र भी 60 से 65 करें, चड्ढा कमीशन की रिकमंडेशन को लागू करने की भी बात जो आपने अपने बजटीय घोषणा में की थी, आप आज उनको अमलीजामा क्यों नहीं पहनाते? आप उनके पूरे वेतनमान को पुन: निरीक्षण करने की जो मांग उनकी पुरानी है, उस पर विचार क्यों नहीं करते? आज सोमदेव कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है कि 50 फीसदी क्लास लग रही हैं और आज बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, उन पदों को भरने का काम करें तो निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय जिसने ख्यातिनाम वैज्ञानिक दिये हैं, जिसने बड़े-बड़े प्रशासनिक पदों पर लोगों को पहुंचाया है, उसका लाभ होगा वरना इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि जनमत जानने हेतु प्रसारित करें ताकि राजस्थान के अवाम को पता लग जाए कि आप इस राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह – अनुपस्थित।

श्री पेमाराम – अनुपस्थित।

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, एक तो मैं जो आप अभी सरकारी संशोधन लेकर आए थे, यह केवल जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए लाये थे या यह जो सारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, इन सब में ला रहे हैं? जैसा उसमें भी सिंडीकेट का नाम लेने से एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, इसमें आपने कहा कि उस विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कालेज के व्यक्ति का वह नाम निर्दिष्ट नहीं करें। जो संशोधन आप लाये उसमें वापस आपने जो पुरानी अपनी व्यवस्था थी कि उसी विश्वविद्यालय और उसी से एफिलिएटेड जो कालेज थे,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनका ही कोई व्यक्ति सिंडीकेट, अपने उस पैनल की जब व्यवस्था करें, वाइस चांसलर का तो उसमें उसको मिलाया तो क्या यह केवल जयनारायण व्यास के लिए ही अमेंडमेंट था या जो बाकी सारे राजकीय विश्वविद्यालय हैं क्योंकि बाकी सारे जितने भी परिवर्तन आपके हैं, एज के अन्दर भी है, महामहिम राज्यपाल को जो शक्तियां दी हैं, उसमें जो कुछ प्रशासनिक काम हैं तो केवल एक के लिए था या सब के लिए था। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए। एक तो यह है और दूसरा यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले दो वर्षों में कितनी बार विज्ञापन जारी किये, लोगों को नौकरी के लिए विभिन्न पदों की इन्होंने अपनी वेकेंसी निकाली, लोगों से एप्लीकेशन मांगी, लोगों के करोड़ों रुपये आज दिन तक लेकर बैठे हैं लेकिन उसकी तुलना में आपने अब तक कोई इंटरव्यू कराया क्या? कोई सलेक्शन हुआ है क्या और आज की तारीख में भी राजस्थान विश्वविद्यालय की विभिन्न फैकल्टीज में इतने पद खाली होते हुए भी केवल विज्ञापन जारी करके पैसे ही इकट्ठे करने का ही काम कर रहे हैं या वास्तव में उन स्थानों को भरने के लिए भी कुछ किसी प्रकार का काम कर रहे हैं!

पहला तो यह है, जो अमेंडमेंट आप लाये थे, वह केवल जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए ही लाये थे या वही अमेंडमेंट जो बाकी विश्वविद्यालय हैं, उनके लिए भी है। जैसा अभी आपने महावीर विश्वविद्यालय, कोटा पास कर दिया, उसमें नहीं था लेकिन यह राजस्थान विश्वविद्यालय इसमें आपने धारा 12 में कुलपति के सलेक्शन का जो तरीका बताया, उसमें जो 'क' है, सिंडीकेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो, आपने उससे बाहर के व्यक्ति का ही वह सिंडीकेट में या किसी का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, जो पैनल बनेगा, सलेक्शन जिसको सर्च कमेटी कहते हैं तो क्या यह वास्तव में राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी है, क्या यह उदयपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी है या मात्र केवल जयनारायण विश्वविद्यालय के लिए ही यह अमेंडमेंट है? तो इसको स्पष्ट करिए।

दूसरा इन विश्वविद्यालयों में जो रिक्त पद लम्बे समय से पड़े हुए हैं, उन रिक्त पदों को कभी भरेंगे, चाहे वहां संविदा पर लगे हुए लोग काम कर रहे हैं, उन संविदा वालों का भी जो आपने चयन किया था, वह तो आपने अपने सारे मापदण्डों के आधार पर ही उनका सलेक्शन और उनका चयन किया था लेकिन वह भी 7-7, 8-8 साल से अभी तक उसी अपनी ग्रेड में काम कर रहे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं तो क्या इस विश्वविद्यालय को स्ट्रेंथन करने के लिए जो विज्ञप्ति आपने जारी की, जिन पदों की विज्ञप्तियां जारी कीं, उनका कभी सलेक्शन होगा या केवल लोगों से धन एकत्र करने के एक रास्ते का दुरुपयोग ही यह विश्वविद्यालय कर रहा है?

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने राजस्थान विश्वविद्यालय को लेकर जो चिंता व्यक्त की है और भर्ती करने का जहां तक सवाल है, हमने विज्ञापन कर दिया लेकिन वीसी चले गये तो उनके कारण से....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, एक साल का नहीं है, पिछले 3 साल का रिकार्ड उठाकर देख लें, एक साल का हो तो समझ में आ सकता है, पिछले तीन साल में इतनी बार विज्ञापन जारी किये, इतने लोगों ने एप्लाई किया, उसमें इतना पैसा, इतनी शक्ति उसमें उनकी खर्च हुई लेकिन एक भी इंटरव्यू नहीं हो पाया।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सही है कि नहीं हो पाये हैं लेकिन अब भविष्य में जितना जल्दी हो सके, विज्ञापन करके, साक्षात्कार करके सारी जगहों को भरने की कोशिश करेंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अमेंडमेंट लाये हैं और जो नई बातें जोड़ना चाहते हैं, कुलपति सेवा की आयु निर्धारित नहीं है, इसे हम 70 वर्ष कर रहे हैं, कुलपति की चयन समिति में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जा रहा है, विश्वविद्यालय के अंकेक्षित लेखों, विश्वविद्यालय के सिंडीकेट से अनुमोदित कर राज्य सरकार को प्रेषित करने सम्बन्धी भावनाओं को जोड़ा जा रहा है। जिन कारणों से इस विश्वविद्यालय पर वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है, उन मदों पर राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक की गई है। विश्वविद्यालय के ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य सरकार के पास है और जांच कराने का अधिकार जोड़ा जा रहा है इसलिए माननीय सभापति महोदय, जनमत जानने के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह अमेंडमेंट जो 'क' वाला था जिसमें आपने सिंडिकेट को, सिंडिकेट सर्च कमेटी का एक मैम्बर जो चयन करेगा वो विदिन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कालेज आफ द यूनिवर्सिटी में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से करेगा, पहले यह था। अब आपने जो प्रस्तावित किया है उसमें यह है कि इनको छोड़कर बाकी किसी व्यक्ति का चयन इस सर्च कमेटी में करेगा और उसका आपने जयनारायण व्यास में अमेंडमेंट करके वापस पुराना जो था उसी को रखा तो क्या इसमें भी कर रहे हैं या इसमें यही बदल रहे हैं और उसमें वो हुआ है।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापतिजी, जो कर रहे हैं वो ही प्रस्ताव। (व्यवधान) एक समान ही कर रहे हैं। सभी विश्वविद्यालय का एक समान ही कर रहे हैं।

श्री सभापति: जिन माननीय सदस्यों ने बैठे-बैठे अभिव्यक्ति की है, वो अंकित नहीं होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें आप अमेंडमेंट लाये तो जब भी कोई बिल पास करेंगे, यही राजस्थान विश्वविद्यालय का करेंगे तो इसमें भी आपको सरकारी अमेंडमेंट पेश करना पड़ेगा तभी वो अमेंडेट आएगा। अभी तो जो लिखा है वो ही आएगा। आपने जो अमेंडमेंट जयनारायण व्यास के लिए वो ही अमेंडमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय भी, उदयपुर विश्वविद्यालय के लिए भी और फिर अमेंडेट जो आपका होगा वो पास होगा।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए गए।

खण्ड 4, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 4 में धारा 12 की उप धारा 1 के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो दो मिनट बोल लूं।

श्री सभापति: आप तीसरी में बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक मिनट के लिए। मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि सरकारी संशोधन जो आया है इसका बैकग्राउंड क्या है? क्यों लेकर आए हो आप सरकारी संशोधन? जरा स्पष्ट तो करें। यह सदन जानना चाहता है कि आपने अभी सरकारी संशोधन मूव कर दिया, सभापति महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय ने खड़े होकर सरकार की तरफ से एक संशोधन मूव कर दिया। यह सदन जानना चाहता है कि किन कारणों से आपको आपके खुद के द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन विधेयक में एक और संशोधन लेकर आना पडा, यह कृपया बतायें।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उसमें उसके शब्द नहीं था, उसके बीच में उसके शब्द जुडा हुआ नहीं था तो उसको जोड़कर संशोधन किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम यह जानना चाहते हैं कि संशोधन है क्या? मूल रूप से आप मुझे यह बतायें कि यह जो संशोधन है यह कौन से खण्ड में लेकर आये हो? वो खण्ड क्या कहता है? यह संशोधन क्यों लेकर आए हो? इसके पीछे आपका मकसद क्या है? यह थोड़े ही होगा कि आपको वहां से पर्ची पकड़ा दी और आपने खड़े होकर बोल दिया। आप तैयार होकर आया करो। सभापति महोदय, या तो तैयार होकर आएं, यह थोड़े ही है यह राजस्थान की विधान सभा है, कोई जौहरी बाजार का नुक्कड़ थोड़े ही है जहां आकर खड़े होकर बोलकर चले गये।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, हिन्दी अनुवाद में टंकण की त्रुटि रह गई थी इसलिए उसको सुधार करके किया है और कोई संशोधन नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किया क्यों है? उसका क्या आशय था और अब क्या आशय निकला। बताओ तो सही, ज्ञान तो बढायें।

श्री सभापति: वाद-विवाद समाप्त हुआ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 एवं 6 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 एवं 6 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 एवं 6 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई सदस्य बोलना चाहे तो उसे इजाजत है। आप बोलेंगे?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा हूं उसकी दुर्दशा पर निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान कालेज ऐसा है जहां पर यहां से 10-12 लोग ऐसे हैं जो प्रभावी ढंग से वहां पढ़े हैं, वहां जाकर देखिये कि वहां जाले लगे हुए हैं। ये वित्तीय खातों के निरीक्षण की बात कर रहे हैं, एक समय था जब वाइस चांसलर भटनागर साहब थे, सुखाड़िया साहब ने यह सूचना भेजी कि माननीय मुख्य मंत्री सुखाड़िया साहब मिलना चाहते हैं। उसके बाद में जब वो वाइस चांसलर के पास दुबारा मैसेज भेजा कि मैं खुद आ रहा हूं क्योंकि वाइस चांसलर का पद ऊंचा है। अब ये संशोधन ला रहे हैं वित्तीय प्रशासन का। इसलिए खाते-पाने लेकर के पीएच.डी. होल्डर, डी.लिट. होल्डर हमारे ग्रेजुएट नौकरशाह के सामने फाइल लेकर जाएंगे, ऐसे संशोधन लाये जा रहे हैं, यह दुर्दशा होगी इस विश्वविद्यालय की जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा हूं। मुझे इस बात को लेकर बड़ा कष्ट हो रहा है। एक बात अभी कही गई कि सभी विश्वविद्यालय में समान करेंगे तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पांच कांस्टीट्युएंट कालेज हैं, महारानी, महाराजा, कामर्स है, राजस्थान है और ला कालेज कैम्पस में है। ये पांच कांस्टीट्युएंट कालेज हैं। सभी में चाहे अजमेर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे कोटा हो या चाहे ये तीन नये बन रहे हों उनमें, किसी में भी अभी तक कांस्टीट्युएंट कालेज स्थापित नहीं किया गया जबकि वहां पर हैं। अजमेर में अलग कॉलेज है लड़कियों का जिसको जीसीए बोलते हैं, कोटा में कामर्स कालेज है, आर्टस कालेज है, ला कालेज है, लड़कियों का कालेज है इस कारण से उनको कांस्टीट्युएंट कालेज नहीं बनाया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरह जब यह कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय, सरकार की मंशा है कि जो एक्ट सदन के द्वारा पास किए गए हैं उनके अनुसार क्या कांस्टीट्युएंट कालेज बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो आपको अलवर में, भरतपुर में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां केवल प्रशासनिक बिल्डिंग बनानी है। वहां तीस एकड़ में जयश्री महारानी कालेज बना हुआ है, आर.आर. कालेज बना हुआ है, गर्ल्स जी.डी. कालेज बना हुआ है, आर्टस कालेज अलवर में बना हुआ है। इतने बड़े कालेज बने हुए हैं और सब में पी.जी. है। इतना ही नहीं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ने अब जो टिप्पणी की है, रिकमंडेशन की है उसमें तीन पद होंगे। एसोसियेट प्रोफेसर,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। मैं राजस्थान में उच्च शिक्षा का दुर्भाग्य मानता हूं, अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि व्याख्याता पद है, इस कारण से व्याख्याता पद रखेंगे।

(17.40 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

कल को यह स्थिति आयेगी, जब एक बार 1977 से लेकर 1984 तक विज्ञापन में यह लिखा जाता था कि कोई भी उम्मीदवार एडमिशन के लिए, सबसे पहले चण्डीगढ़ के विश्वविद्यालय ने लिखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का स्टूडेंट पी.जी. कक्षाओं के लिए आवेदन नहीं करे। यह स्थिति बनी थी और इन्टर्नल असेसमेंट को हमने खारिज किया था, वैसी स्थिति बन रही है। राजस्थान में एक भी चुना हुआ, जिसको चयनित कहते हैं, मैं वहां के टाइम बाउंड प्रमोशन की बात नहीं करता, ओपन सलेक्शन होता है उसमें एक भी प्रोफेसर आज तक नहीं है। 60 डिपार्टमेंट्स में एक भी प्रोफेसर नहीं है। यह दुर्गति है, इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, उस स्थिति को रोका जाना चाहिए। कोई टाइम था, जब मैं पढ़ा करता था तो सुनते थे, आई ए एस का रिजल्ट आ गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पांचवां स्थान है, चौथा स्थान है, छठा स्थान है। अब कौनसा स्थान है, मंत्रीजी, बता तो दो कि राजस्थान विश्वविद्यालय कहां स्टैण्ड करता है? स्टैण्ड कैसे करेगा, जब वाइस चांसलर के खिलाफ आप निरीक्षण की बात कर रहे हो। आप पैसों के लिए बजट रोकते हो, बजट लाते नहीं हो। इस प्रकार की स्थिति जो बनी है, इसके कारण से राजस्थान विश्वविद्यालय की और दुर्गति होने वाली है इसलिए आपके माध्यम से सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये संशोधन ला रहे हैं, 70 वर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं लेकिन वह प्राध्यापकों की, प्रोफेसर्स की उम्र 60 वर्ष है, उसको 65 वर्ष करने में क्या दिक्कत है? 300 करोड़ का बजट रुका पड़ा है, उसके कारण से सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं। उच्च शिक्षा में 40 प्रतिशत का एरियर नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो स्थितियां बनी हैं, उनको ठीक करने के लिए जरूरी है।

मैं अभी और निवेदन करूंगा, 699 पद ऐसे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, कोटा में 100 से भी कम हैं, इस प्रकार का अनबैलेंस है। तीन विश्वविद्यालय पिछले छह साल से वसुन्धराजी घोषणा करके गई थीं,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

उनके नाम बदल दिये। अब इन्होंने लाख रुपये दिये हैं। उससे तो ओएसडी का काम भी नहीं चलेगा, ये विश्वविद्यालय चालू नहीं करना चाहते। मैंने कहा, विश्वविद्यालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वहां कालेज स्थापित हैं, सभी डिपार्टमेंट पी.जी. हैं। अलवर में जाओ, भरतपुर में जाओ, सीकर में चले जाओ, बढ़िया-बढ़िया लैब बनी हुई हैं, इनको क्या करना है? इनको यह करना है, केवल प्रशासनिक करना है लेकिन इनकी नीयत में खोट है, पैसा नहीं देना चाहते। मैंने पहले भी निवेदन किया था, 30 एकड़ में जब प्राइवेट विश्वविद्यालय बन सकता है तो गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय 30 एकड़ में क्यों नहीं चल सकता? 30-30 एकड़ जमीनें हैं।

सभापति महोदय, इस कारण से मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोई भी संशोधन लायेंगे तो उसके बैकग्राउण्ड में लिखना पड़ता है कि हम क्यों ला रहे हैं? आपने आर्डिनेंस जारी किया। ऐसी कौनसी मजबूरी थी, छह महीने बाद जब विधान सभा आ रही थी तो ये किस कारण से 70 वर्ष करने के लिए आर्डिनेंस लाये? यह मेरी समझ के बाहर है। किसी व्यक्ति विशेष को लाने के लिए, संशोधन करने के लिए? इस कारण से उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, वह स्थिति कैसी है? जब भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री हुआ करते थे, राजस्थान विश्वविद्यालय का रिकार्ड था, 1990-2000 तक जो उच्च शिक्षा की विकास दर रही, वह 30 प्रतिशत थी और अब राजस्थान में उच्च शिक्षा की विकास दर छह प्रतिशत है। कितना डाउनफाल है? वन फिफ्थ रह गया। यह दुर्गति क्यों बनी है क्योंकि कोई भी बढ़िया आदमी विश्वविद्यालय में आना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता। जो अच्छे लोग हैं, वे और विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं। इस कारण से इस प्रकार की जो स्थिति बनी है राजस्थान विश्वविद्यालय की, निश्चित तौर पर आप जयपुर को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हो तो जयपुर का विश्वविद्यालय भी वर्ल्ड क्लास चाहिये। उसके बिना कैसे काम चलेगा? यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यहां क्वालिटी को डवलप नहीं किया जाये। पहले भी विश्वविद्यालय में ऐसे लोगों को प्रोफेसर लाया जाता था जो इन्टरव्यू देने नहीं आते थे, छांटकर लाते थे, एडवांस इन्क्रीमेंट देते थे। क्या पिछले 10 साल में कोई इस प्रकार की स्थिति बनी है? पिछले 20 साल में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो एमीनेंट हो और उस आधार पर लाया गया हो। यह स्थिति बनी है, इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए इसको

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

परिचालित किया जाये और विश्वविद्यालय की जो दुर्गति है और जो सरकारी नियंत्रण, बाबुओं का जो नियंत्रण किया जा रहा है, उसे रोका जाये। इतनी प्रार्थना है मेरी।

श्री सभापति: और कोई माननीय सदस्य? मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य लैक्चरर रहे हैं और बहुत विद्वान हैं और इतना विस्तार से बोलते हैं कि उसका सार समझ में नहीं आता है। आपने जो यहां पर भाषण दिया, उसका मैं क्या जवाब दूं, मेरी समझ से परे है। लेकिन आपने जो जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है, उसको निरस्त किया जाये। (व्यवधान) वह बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। वह तो पहले कर दिया।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री घनश्याम तिवाड़ी। डाक्टर दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री ओमजी बिरला। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्ववियालय (संशोधन) विधेयक, 2013 सदन के विचारार्थ है। सभापति महोदय, इस विधेयक में सैक्शन 19 और सैक्शन 36 में माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, आप अमेंडमेंट लेकर आये हैं और इसी में मैं वही बात दोहराऊंगा, कुलपति की आयु बढ़ाना, कुलपति की चयन समिति के अन्दर कुछ और लोगों को सम्मिलित करना और उसके साथ आपने लेखा और संपरीक्षा की बात कही, जिसमें आपने कहा कि विश्वविद्यालय के लेखे जिनमें उसके वार्षिक लेखे सम्मिलित हैं, नियंत्रक के पर्यवेक्षण और निर्देशन के आधार पर तैयार किये जायेंगे, जो कि निश्चित तौर पर किये जाने चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि इससे पहले लेखे जो सरकार के पास आते हैं, उन लेखों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण किसके निर्देश पर कहां होता था, वह बता दें ताकि हमारा थोड़ा ज्ञानवर्द्धन हो जाये।

दूसरा, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, अजमेर, बड़ी जोर-शोर से घोषणा हुई। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आई भी। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी चल भी रही है तो उसमें, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आने के बाद इस महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, इसमें छात्र संख्या पर कितना प्रभाव पड़ा और इस महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय का अंतिम बार यूजीसी की टीम में इंस्पेक्शन कब किया और इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने किन-किन चीजों पर आपत्ति दर्ज की? क्या यह सही है कि इनमें से बहुत-सी फैकल्टी जिनमें आपने एक प्रोफेसर, दो एसोसियेट प्रोफेसर और तीन असिस्टेंट लैक्चरर होने चाहिए, वह नहीं होने के कारण कई फैकल्टी बंद होने के कगार पर हैं और छात्र संख्या भी निरन्तर गिर रही है। इन बातों का आप उत्तर दें और मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: डाक्टर दिगम्बर सिंहजी। श्री पेमारामजी। श्री गुलाब चन्द कटारियाजी।

प्रश्न यह है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार। प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापतिजी, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 का जो संशोधन हम लाये हैं, इसमें कुलपति की आयु 65 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर 70 वर्ष कर रहे हैं। कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की सलाह से करने का प्रावधान है, इसको बदलकर राज्य सरकार के परामर्श से करने का प्रावधान किया जा रहा है...

श्री सभापति: मंत्रीजी। मंत्रीजी, कोई संशोधन हो तो आप प्रस्तुत करो। खण्ड 2 में अगर कोई संशोधन हो तो केवल वह प्रस्तुत करो आप।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): संशोधन। माननीय सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 2 में धारा 19 की उप धारा (1) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति, 'विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय' प्रतिस्थापित की जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 से 5 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नामादि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हां।

श्री सभापति: पहले आप बोलेंगे या आप बोलेंगे, दोनों तय कर लो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): पहले वासुदेवजी बोल लेंगे, फिर मैं बोल लूंगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के लिए जो संशोधन आया है, आप कुलपति की आयु तो बढ़ायें लेकिन उस विश्वविद्यालय की हालत क्या है, जरा इस पर भी कभी विचार किया क्या। आज से दो-तीन वर्ष पहले तक उस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ढाई हजार थी जो आज घट करके केवल नौ सौ तक पहुंची है, आखिर इसके पीछे कारण पता किया, वहां लैक्चरर के पद खाली हैं, वहां पर पढ़ाने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हैं, कोर्सेज बंद होते जा रहे हैं और इस प्रकार के कोर्सेज केवल आपको वाइस चांसलर भेज देता है या सूचना में आ जाता है कि यह नये कोर्सेज हैं, उसमें प्रवेश लेने वाला एक भी विद्यार्थी नहीं होता, तो विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक हो और साथ में कोर्सेज हों, अध्यापकों के, प्राध्यापकों के पद भरे जायें। हमारी भूतपूर्व मुख्य मंत्री वसुंधराजी जब केन्द्र में मंत्री थीं उन्होंने लघु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र का वहां पर श्रीगणेश किया था, उसके लिए एक करोड़ केन्द्र से दिये थे, यहां आकर के चला और आज उसकी दुर्दशा हो रही है

(श्री वासुदेव देवनानी)

और उसमें केवल वाइस चांसलर वहां पर व्यक्तिगत किसको प्रमुख बनाना, किसको नहीं बनाना, उस आड़ में ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसको विषय की कोई समझ ही नहीं है और आज वहां विद्यार्थियों की संख्या जो किसी जमाने में तीन सौ, साढे तीन सौ तक पहुंची थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या नगण्य हो गई है। सरकार से जो कुछ अनुदान जाना चाहिए, वह उसको अनुदान नहीं मिलता, तो यह जो विश्वविद्यालय की स्थिति है, केवल एक संशोधन प्रस्तुत करके हम उसकी आयु बढ़ा दें और आयु भी, इसके लिए अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा ही यदि आप यहां पर संशोधन लाते तो पांच-छह महीने में कोई उसकी हालत खराब नहीं होती, केवल यह अध्यादेश जारी करने का जो स्वभाव है सरकार का, इस पर चैक रखनी चाहिए। जो अति आवश्यक हो, अध्यादेश तो इसीलिए होता है जो तत्काल कोई समस्या हो, जिसके लिए सदन अभी नहीं बैठा हो उसमें तो आप जारी करें लेकिन उसको छोड़ करके केवल आप अध्यादेश जारी करें और आज उसको सदन में आपने प्रस्तुत किया है इसलिए मेरा इसमें कहना है कि उस विश्वविद्यालय की यदि स्थिति सुधारनी है तो वहां भी एक कांस्टीट्युएंट कालेज उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। आज गवर्नमेंट कालेज, अजमेर सबसे पुराना कालेज है उसको यदि इस विश्वविद्यालय का आप कांस्टीट्युएंट कालेज बनायेंगे, बीच में चर्चा भी एकाध बार हुई है और उसके कारण से आपको संसाधन सारे मिलेंगे, उसके बाद में विश्वविद्यालय स्ट्रेंथन होगा। आखिर विश्वविद्यालय काहे के लिए है, विश्वविद्यालय के केवल नौ सौ विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय चलाना, विभिन्न विभाग चलाना, बनाना, प्राध्यापकों के चलाना या केवल एक विश्वविद्यालय, और दूसरा कोई विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित करोगे नहीं, राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन अजमेर को उससे महरूम रखना, यह समझ में नहीं आया। बाकी ऐसा कोई सम्भाग केन्द्र नहीं है जिस पर दो, तीन, चार, पांच विश्वविद्यालय नहीं हों। इसलिए विश्वविद्यालय जो है उसकी भी दुर्दशा है, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको जनमत संग्रह के लिए करेंगे तो विश्वविद्यालय की स्थिति सबके सामने आयेगी और इसको ठीक करने के कदम उठाने के लिए आपके पास भी जानकारियां आयेंगी, नहीं तो आपको जानकारियां तो होंगी, लेकिन उस पर केवल कुंडली मारकर बैठना या चुपचाप रहना केवल एक दर्शक की तरह दर्शक दीर्घा में बैठना, उससे विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं होगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इन संशोधनों से भी किसी प्रकार का कोई विश्वविद्यालय का विकास या उत्थान होने वाला नहीं है। अत: सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसको जनमत संग्रह के लिए जारी किया जाय।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, मैं महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के जो संशोधन हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी पिछले विधेयक के संशोधन के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने बताया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं स्पष्ट तौर पर चार बातें करना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्रीजी से। राजस्थान में जो तीन प्रकार के कालेज हैं, विश्वविद्यालय के कालेज, कांस्टीट्युएंट कालेज और एफिलेटेड कालेज, क्या मंत्री महोदय राजस्थान सरकार की इच्छा है कि दोहरा मापदण्ड नहीं हो, जो एफिलेटेड कालेज हैं उनमें क्या विश्वविद्यालय की भांति तीन स्तर के पद देना चाहते हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर? एक तो यह मेरी मांग है। दूसरा मेरा यह है कि क्या अजमेर के जो तीन सरकारी कालेज हैं, जो एक्ट में प्रावधान है, क्या कांस्टीट्युएंट कालेज बनाना चाहेंगे आप? तीसरा मेरा यह है कि विश्वविद्यालय में जो स्थिति बनी है उसमें 60 वर्ष से 65 वर्ष करने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश है और राजस्थान के 300 करोड़ रुपये रूके हुए हैं, क्या उनको लाने के लिए आप प्रोफेसर की आयु 60 से 65 वर्ष करेंगे? चौथा मेरा निवेदन यह है कि विश्वविद्यालयों में गिरता हुआ जो स्तर है उसका कारण है पदों में कमी या रिक्त पदों का बाहुल्य, क्या आप समयबद्ध तरीके से अभियान चला करके जैसा कि जोधपुर में किया गया है, रातों-रात कर दिया गया, ऐसा भी करेंगे तो कुछ तो भला होगा, इस कारण से मंत्रीजी, विश्वविद्यालयों की दुर्गति मत करिये, विश्वविद्यालयों का स्तर सुधारिये और स्तर सुधारने के लिए यह जरूरी है कि आप नियंत्रण नहीं, उनको मुक्त चिंतन की छूट दीजिये। यह विश्वविद्यालय है, यह कोई सरकारी कालेज नहीं है और सरकारी विश्वविद्यालय है तो इस प्रकार का तो करिये आप।

एक उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान में चार गवर्नमेंट कालेज हैं एग्रीकल्चर के, चारों संकाय हैं, राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, पांच विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर के हैं लेकिन गवर्नमेंट का कोई पी.जी. कालेज नहीं है जिसमें पी.जी. की कक्षाएं चलती हों, उसका एकमात्र कारण है कि कोई गवर्नमेंट का सैपरेट कालेज एग्रीकल्चर का नहीं है और आईसीआर की ग्रांट नहीं मिलती, करोड़ों रुपये मिल सकते हैं, पचास किलोमीटर तक किसानों को अनुसंधान का

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लाभ मिल सकता है। इस कारण मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालयों का विस्तार करिये, नियंत्रण बढ़ा रहे हो लेकिन जो सरकारी सिस्टम है, स्थापित संगठन है, अभी है नहीं वह सामने, सवाई माधोपुर में अलग, सैपरेट बिल्डिंग है एग्रीकल्चर की, चिमनपुरा में अलग है, लेकिन उनको पी.जी. कालेज नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर नहीं बनाया जाय, इस प्रकार की स्थिति को सुधारिये। विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करने से पार नहीं पड़ेगी, उसकी मानिटरिंग करिये, समय पर ग्रांट रिलीज करिये, उनको मजबूर मत करिये कि वह आपके चक्कर लगाते रहें। मैं इस कारण से जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाय, यह मांग करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं और सुझाव दिये हैं उसको ध्यान में रखा जायेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री घनश्याम तिवाड़ीजी। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। डा. दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला। श्री घनश्याम जी तिवाड़ी। श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 सदन के विचारार्थ है, सभापति महोदय, जो विधेयक अब सदन

(18.00 बजे)

के सामने आया है, यह असल में 10 दिसम्बर, 2012 को सरकार ने जो आर्डिनेंस जारी किया उसका रिप्लेसमेंट बिल है। मैं पूछना चाहता हूं कि आर्डिनेंस जारी करने के क्या ऐसे कारण हैं? यह मेरा अधिकार भी है, जिसके कारण से आर्डिनेंस जारी करना पड़ा आपको। सभापति महोदय, इसमें मूल रूप से ''राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974'' है उसमें संशोधन लेकर आये हैं धारा-5 में और उसमें आपने चयन समिति के गठन की बात कही है। उसमें लिखा है कि इनके लिए जो चयन होगा राजस्थान विश्वविद्यालयों में अध्यापकों तथा अधिकारियों का उसमें कुलपति समिति के अध्यक्ष होंगे, कुलाधिपति का नोमिनी होगा, एक सरकार का प्रतिनिधि होगा और सिंडीकेट का एक सदस्य होगा, जो सरकार नामजद करेगी। यानी पूरा अगर हम देखें तो इस पूरी कमेटी में सारे के सारे सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे और उसके साथ ही आप जो संशोधन लेकर आये हैं कि इसमें एक नोमिनी हो कौंसिल फोर आर्किटेक्चर, इसके लिए आप संशोधन लेकर आये हैं।

(18.01 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आर्किटेक्चर आज की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर होना चाहिए। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह विषय तकनीकी विश्वविद्यालय का नहीं है? राजस्थान विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर की एक भी कहीं फैकल्टी चल रही हो तो मुझे आप बतायें। आप जो संशोधन लेकर आये हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? एक सिर्फ एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, जोधपुर में है, वहां एक आर्किटेक्चर का कोर्स चलता था। वहां न्यायालय में इसको चुनौती दी गई और चूंकि वह कौंसिल फोर आर्किटेक्चर के मापदण्ड पूरे नहीं कर रहे थे इसलिए उसको भी एक तरह से रोक दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक ओर आप अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति की बात कर रहे हो, मंत्री महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर 70 से 80 परसेंट क्लासेज जो हैं वह गैस्ट फैकल्टी के लैक्चरर ले रहे हैं। जिन्होंने पी.एच.डी. की है, वह लैक्चरर जिनको गैस्ट फैकल्टी के रूप में आपने नियुक्ति दी। आपने जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालय में गैस्ट फैकल्टी के जो लैक्चरर्स थे उनको असिसटेंट लैक्चरर के लिए पात्र मानते हुए उनकी नियुक्ति के अन्दर रास्ता प्रशस्त कर दिया तो राजस्थान विश्वविद्यालय में गैस्ट फैकल्टी के जो लैक्चरर हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया?

दूसरी तरफ राजस्थान विश्वविद्यालय की बात चलती है तो लोग यह भी पूछते हैं कि यहां के कार्यवाहक कुलपति आजकल मधुकर गुप्ता हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा केन्द्रों को ताश के पत्तों की तरह बांटना चालू कर दिया। परीक्षा केन्द्रों में जो बदलाव किया, आज राजस्थान के हज़ारों विद्यार्थियों के मन में संशय है कि उसका परीक्षा केन्द्र आज कहां घोषित हुआ और कल कहां घोषित हुआ? इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एम.एड. का पाठ्यक्रम 17 वर्ष से चल रहा है। एन.सी.टी.आई. के नियमों के अनुसार इस पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए एक प्रोफेसर होना चाहिए, एक रीडर होना चाहिए, तीन लैक्चरर होने चाहिए। जबकि आज यह सारा पाठ्यक्रम एक लैक्चरर के बल पर चल रहा है। जो विश्वविद्यालय खुद ही एन.सी.टी.आई. के नियमों की पूरी पालना नहीं कर रहा हो तो दूसरे उनसे क्या उम्मीद करेंगे।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आप संशोधन लेकर आये हैं, इससे पहले भी आप संशोधन लेकर आये थे। आप इण्डियन कौंसिल फोर एग्रीकल्चर, उसके एक नोमिनी के लिए आप संशोधन लेकर आये हैं। यह जो संशोधन लेकर आये हैं आप इसके अन्दर कौंसिल फोर आर्किटेक्चर का एक सदस्य चयन समिति में सम्मिलित करने के पीछे आपका मंतव्य क्या है? क्या आप इस आर्किटेक्चर की नई फैकल्टी खोलना चाहते हैं? क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में आज की तारीख में कोई ऐसी कोई फैकल्टी है, ऐसा कोई कोर्स चल रहा है? क्या यह सही नहीं है कि पूरे राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में सिर्फ जोधपुर में ही यह कोर्स चल रहा था और वह भी बंद हो गया है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप अध्यापकों की नियुक्ति के लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चयन संशोधन विधेयक लेकर आये हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर आपके कुलपति चले गये, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो आप कार्यवाही कर रहे थे, वह रूक गई। मैं समझता हूं कि यह कहां तक उचित बात है? आज खुद आपकी सोमदेव समिति कह रही है कि 300 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं और आज अगर यू.जी.सी. ग्रांट कमीशन के अनुसार मापदण्ड बनाये तो 3 हजार नये पदों का सृजन आपको करना पड़ेगा? आप किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर? आप क्यों संशोधन लेकर आये हो? मुझे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पीछे मंत्री महोदय बताइए कि वह कौन व्यक्ति है जिसको आप नियुक्ति देना चाहते हो? जिसके लिए एक उनका नोमिनी लेकर फिर आप संशोधन लेकर के आये हो?

मैं समझता हूं कि जिस तरह का दौर चला है राजस्थान के अन्दर चाहे जोधपुर विश्वविद्यालयों हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी कोटा हो, चाहे महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय हो, पद रिक्त पड़े हैं और पदों को भरने की जब बात आती है तो जिस तरह की बंदर-बांट हो रही है। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य है, यह राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत के साथ खिलवाड़ है और उसके साथ ही मंत्री महोदय, यू.जी.सी. ग्रांट कमीशन की टीम से अगर इनका हर वर्ष नियमानुसार आपको टीम बुलाकर के निरीक्षण कराना चाहिए ताकि पता चले कि कहां-कहां, क्या-क्या कमी है। आप निरीक्षण नहीं करवा रहे हैं इसलिए लाखों करोड़ों रुपये की हमारी ग्रांट रुकी हुई है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप कुछ उत्तर दें तो ठीक है वरना वही रटा-रटाया काम। एक कागज उधर से तैरता हुआ आएगा और आप कह देंगे कि कुलपति की उम्र जो 65 से 70 करने के लिए हम लेकर आये हैं और इसके अन्दर एक नोमिनी के रूप में हम इसको और सम्मिलित कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जब इस तरह के विधेयक आते हैं तो ओरबिट खुल जाता है। सारे विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार हमें मिलता है और आपका भी कर्तव्य है कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या स्थिति है, किस तरह की अराजकता की स्थिति है, इसके बारे में सदन को आप अवगत करायें।

मेरी यह मांग है कि इसको जनमत हेतु परिचालित करें ताकि राजस्थान के आवाम को मालूम पड़ जाए कि आपके नेतृत्व में जो आप डाक्टर शब्द भी लगा रहे हो, यह डिग्री भी कहां से आई? यह तो सोचने का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विषय है। परन्तु किस तरह की बदहाली के अन्दर विश्वविद्यालय को आपने पहुंचा दिया? इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, व्यक्तिगत तौर पर काले इतिहास के उन पन्नों में आपका नाम अंकित करेंगे। इसलिए जनमत जानने हेतु इसको परिचालित करें ताकि कुछ बचाव तो आपका हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। 6 बजकर के साढ़े 6 मिनट हुए हैं और भी बिल पड़े हैं। इजाजत हो तो बोलने वाले इसमें परिचालित कर दें, नहीं भी बोले या बोलें, जैसा उचित हो, शोर्ट में बोलें, पिन-पाइंट बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) विमुख होने से न तो हमारी कोई मंशा है, हम आपकी मंशा समझते हैं अब नहीं बोलेंगे, कोई नाराजगी की बात नहीं है। वैसे हम आपके आज्ञाकारी हैं इसलिए कह रहा हूं मैं तो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक जी, आप जैसे हम सब हो जाएं तो सदन छह बजे तक नहीं, पांच बजे ही सारा बिजनस हो जाता। मेरा तो अनुरोध है, आप बोलें, खूब बोलें लेकिन यह बात ध्यान रखें। क्योंकि घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाता है हम लोगों का, क्योंकि सदन में ऐसा अच्छा माहौल रहता है, अपनत्व का रहता है, राजस्थान के विकास का रहता है। यह सारी बातें देखते हुए मेरा अनुरोध है और आसन तो सदन की इच्छा के मुताबिक ही चलता है।

सम्माननीय डा. दिगम्बरसिंह जी। (अनुपस्थित)

सम्माननीय श्री पेमाराम जी। (अनुपस्थित)

सम्माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

मंत्रीजी। कुछ बोलना चाहें संक्षेप में हो तो, अब आप तो उच्च शिक्षा के मंत्री हो तो छोटे में बड़ी बात कर लो।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान विश्वविद्यालय को लेकर के जो भावनाएं प्रकट की हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और प्रशासनिक सुधार हम क्या कर सकते हैं, उसमें समय-समय पर सलाह मशविरा करूंगा और उसके अनुसार सुधार करने की...

श्री उपाध्यक्ष: वह नहीं बोल रहे थे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): क्योंकि आप वहां के विद्यार्थी रहे हो ना, मैं नहीं रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन हम लेकर आये हैं यह वास्तु कला का एक सदस्य जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को वास्तु कला विषय की अनुमति अखिल भारतीय वास्तु कला परिषद द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए दी गई। यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि वास्तु कला संकाय में शिक्षक पदों पर चयन हेतु अखिल भारतीय वास्तु कला परिषद का एक सदस्य होगा। तो वास्तु कला के इस संशोधन के आधार पर हम एक सदस्य उसमें संशोधन करके जोड़ने के लिए यह संशोधन लाये हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मंत्रीजी, यह बता दें कि यह जोधपुर के लिए है या पूरे राजस्थान के लिए है? इससे हमारा ज्ञानवर्धन होगा।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): पूरे राजस्थान के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान है, जोधपुर का उदाहरण दिया है ना।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): देखिए, इस संदर्भ में जोधपुर का आया कि वहां वही विषय है और वहां पहले चयन करना था

तो अखिल भारतीय वास्तु कला परिषद ने यह शर्त दी थी कि इसी आधार पर सब जगह संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: विश्वविद्यालयों।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभी विश्वविद्यालयों में।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या यह वास्तु वाला पाठ्यक्रम चल रहा है या कहीं फैकल्टी है या कोई महाविद्यालय है, इसकी जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

ना कहते हैं न मान लूं क्या हां? सी.एल. प्रेमी जी, आप थोड़ा मजबूती से बोला करें।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 व 3 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 तीन स्वीकार किये जाएं?

एक आवाज आए और तीन आवाज आई तो दो के मत से समझ लो न आप।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

ये निराशा क्यों है सदन में? मजबूती होनी चाहिए।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

आपने भी हां कह दिया, ठीक किया।

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय?

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर दो मिनट तो देवें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, हम बोलना चाहते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, ...।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): पारित हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013.

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो मिनट का समय देवें।

श्री उपाध्यक्ष: अभी दे रहे हैं।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अभी इसके बाद में बोल लेना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सुखाड़िया वाले पर लेना है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री ओम बिरला (अनुपस्थित)। श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र राठौड़ (बोलने के लिख खड़े नहीं हुए)। डा. दिगम्बर सिह (अनुपस्थित)। श्री पेमाराम (अनुपस्थित) श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मूव तो करने दो आप उनको।

विधेयक पर विचार

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला (अनुपस्थित)। श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र राठौड़ (बोलने के लिख खड़े नहीं हुए)। डा. दिगम्बर सिह (अनुपस्थित)। श्री पेमाराम (अनुपस्थित) श्री गुलाब चन्द कटारिया। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में दो-तीन बिन्दु मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं अगर कुछ सम्भव हो सकता है तो प्रयास करें। एक तो यह है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय की लगभग अधिकांश फैकल्टी, आज की तारीख में पचास परसेंट से अधिक पद खाली पड़े हैं, आज से नहीं बहुत लंबे समय से और सारे के सारे आपके गैस्ट फैकल्टी के अध्यापकों के आधार पर यह विश्वविद्यालय चल रहा है और लॉ फैकल्टी तो ऐसी है कि एक भी टीचर पूरी लॉ फैकल्टी में ऐसा नहीं है जो विधिवत चयन किया हुआ कोई अध्यापक वहां पढ़ा रहा हो। सारा का सारा विश्वविद्यालय, एक तरह से लॉ फैकल्टी जो है वो भगवान भरोसे चल रही है, गैस्ट फैकल्टी के आधार पर चल रही है या जो एडवोकेट आकर के कुछ लोग क्लासें लेते हैं उनके आधार पर चल रही है। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कर्मचारी और बाकी जो स्टाफ है आपका वो भी लगभग सब टेम्प्रेरी बेसिस पर चल रहा है। यूनिवर्सिटी का अधिकांश पार्ट इन सारे पदों से एक तरह से खाली पड़ा है और इसके कारण जो शिक्षा की गुणवत्ता जो आनी चाहिए वो उसमें आज भी नहीं आ पा रही है। कई लोग सात-आठ साल से गैस्ट फैकल्टी के टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। अब आप उनकी तकलीफ समझ सकते हैं कि जो इतने वर्ष से रेगुलर आपकी क्लासें लेकर टीचिंग कर रहे हैं और उनको भी आपने कोई मनमर्जी से नहीं रखा है, आपका एक क्राइटेरिया होता है मैरिट का उसके आधार पर उन बच्चों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का सलेक्शन करके आप उनसे काम लेते हैं। वास्तव में अगर सलेक्शन होता और वो बच्चा उस सेलेरी को प्राप्त करता तो उसके जीवन में भी कुछ चार्म होता लेकिन वो इसलिए टिका हुआ है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों कभी न कभी मुझे अवसर मिलेगा। मैं सोचता हूं कि ये एक तरह से शोषण की पराकाष्ठा है, इसका कहीं न कहीं अंत होना चाहिए।

इसी तरह से दो विश्वविद्यालयों के बीच में प्रोपर्टी का आज भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय और मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की प्रोपर्टी आज भी कुछ मिलीजुली, है उसका कोई निस्तारण हुआ नहीं है इतने वर्षों से, कहीं न कहीं किसी न किसी दिन तो निर्णय लेना ही पड़ेगा कि ये प्रोपर्टी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की है और ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की। दो लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन भविष्य के विकास के लिए यह एक ऐसा बीच का एक लेकुना रह गया जिसके कारण विश्वविद्यालय कैम्पस को जिस ढंग से डवलप करना चाहिए उसमें एक विघ्न सा आ गया। मैं सोचता हूं कि अगर सम्भव हो तो इन दो-तीन बातों पर आप विशेष रूप से ध्यान करें। वैसे तो इसमें अच्छा होता कि ये ठीक तरह से डिस्कस होता क्योंकि अब सब लोगों का दिल-दिमाग एकदम ऐसी बोरियत में आ गया कि किसी तरह से इसको निकालना है। कोई सामान्य अमेंडमेंट नहीं हैं इसमें काफी अमेंडमेंट लाये हैं आप। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में केवल वाइस चांसलर की उम्र और ये ही नहीं बढ़ाना है, तो आप कई तरह के अमेंडमेंट लाये हैं, कई निरसन भी दिये हैं आपने, निरस्त करने के लिए भी प्रोविजन इसमें लाये हैं। कुछ टीचर्स की भर्ती के बारे में भी इसमें लाये हैं। मैं तो आसन से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि कम से कम इस प्रकार के विधेयक का अगर कुछ पार्ट संशोधित किया जाता है तो इतना हर्रिअप नहीं करना चाहिए। आज अपन ने 6-6 एक दिन में पास कर दिये यह न्याय नहीं है। ठीक है आप पास करायेंगे। इस तरह से अगर करेंगे, तो न तो इसको ठीक तरह से तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये कानून जो बनता है तो उसका हरएक कोमा, फुलस्टाप भी पढ़ना पड़ता है और उसको पुराने एक्ट के साथ भी मिलाना पड़ता है कि हम क्या चेंज करें और क्या इसका असर होने वाला है। तो सच में यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम सब लोगों को जिस महत्वपूर्ण काम के लिए कानून बनाने के लिए भेजा है उस कानून बनाने में हमारी सबकी रुचि सबसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कम है। उस पर ठीक प्रकार से चर्चा हो यह सामान्यत: नहीं है और ये भी एक के बाद इतना, आप घिसे-पिटे वो ही चार शब्द हैं कि हम उम्र बढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि विश्वविद्यालय के बारे में अगर पूरा पोस्टमार्टम किया जाए, उनकी एजुकेशन से लेकर, उनकी परीक्षा से लेकर, उनके परीक्षा परिणामों से लेकर, वहां विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर, वहां के स्टाफ की समस्याओं को लेकर, प्रोपर्टी की समस्याओं को लेकर जो रिक्त पड़े हुए स्थान हैं उनके बारे में जब तक विचार नहीं करेंगे सच में विश्वविद्यालय के प्रति न्याय नहीं होगा। मेरा केवल यही है कि कम से कम प्रोपर्टी का डिस्ट्रिब्यूशन जो आपका है वो जब कभी भी कर सकें करें।

जितने भी रिक्त पद पड़े हैं उनको आप भरें। आज की तारीख में ला कालेज की फैकल्टी में अधिकृत रूप में सिंगल टीचर भी उदयपुर के ला कालेज में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब देंगे?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उदयपुर से आते हैं और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है। यह बहुत कुछ जानकारियां रखते हैं और इसीलिए आपने उस विश्वविद्यालय की स्थिति का चित्रण किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, शिक्षकों के 254 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 161 पद भरे हुए हैं, शेष 93 रिक्त हैं और 57 पदों को भरने की अनुमति विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है, अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालय द्वारा उन पदों पर नियुक्ति करना शेष है। उस सम्बन्ध में फिर तकाजा करना पड़ेगा तो विश्वविद्यालय से करेंगे और जितना जल्दी भरा जा सकता है उतना जल्दी भर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक हम लाये हैं इसमें कुलपति की आयु सब विश्वविद्यालयों में समान की जा रही है, 70 वर्ष की जा रही है। कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह के स्थान पर राज्य सरकार के परामर्श से करने का प्रावधान किया जा रहा है, कुलाधिपति के अधिकार जोधपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के समान किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंकेक्षण खाते राज्य सरकार को प्रेषित करना अनिवार्य किया गया है। जिन कार्यों से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है,

(डा. दयाराम परमार)

राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक की गई है। राज्य सरकार के कोषों की समीक्षा तक राज्य सरकार की निरीक्षण जांच का अधिकार दिया गया है। इस तरह से संशोधन करके विश्वविद्यालय को सुधारने की कार्यवाही करने का संशोधन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव है उसे निरस्त किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 3 में धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड 'क' में विद्यमान अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 6, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. दयाराम परमार प्रस्ताव करेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान जी आप इस पर कुछ बोल रहे थे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) विश्वविद्यालय पर बोलना था, दो-दो मिनट बुलवा दो साहब हमको।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर बोलना है तो बोल लो और इस पर नहीं बोलना हो तो फिर बाद में बोलना।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं इसमें 40-ख में लिखा गया है आर्डिनेंस के द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा। तो फिर यह विश्वविद्यालय है क्या,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सरकारी डिपार्टमेंट हो गये। इससे भी ब्यूरोक्रेट्स का पेट नहीं भरा, रजिस्ट्रार कौन है, आर ए एस। हरेक विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार आर ए एस है। बाबू जी बैठे हैं पीजी को कंट्रोल करते हैं, अधिकारी को कंट्रोल करते हैं बडे बाबू जी। एफ ए कौन है, राजस्थान सरकार का वित्त अधिकारी वहां हरेक विश्वविद्यालय में बैठा है, फिर आप कौनसी स्वायत्तता की बात करते हैं, कौनसा अधिकार नियंत्रणाधीन करना चाहते हैं। इन विश्वविद्यालयों को आप बरबाद मत कीजिए। कोई भी अच्छा शिक्षक नहीं आना चाहेगा, इतना ही निवेदन है। मैं निवेदन करूं सुखाड़िया विश्वविद्यालय के चार भाग हो गये, एक तो कृषि विश्वविद्यालय बन गया, एक बीकानेर विश्वविद्यालय बन गया, एक पशु विश्वविद्यालय बन गया। एक विषय था कि शिक्षकों को पेंशन मिले या उनको पीएफ मिले। दो विश्वविद्यालयों ने विकल्प दे दिया, दुबारा विकल्प दे दिया 8 साल बाद। 10-12 रिटायर्ड प्राध्यापक कोर्ट में गये और अब लिख दिया कि हम उनको भी विथड्रा कर रहे हैं, जिनका विकल्प गलती से ले लिया उनको भी विथड्रा कर रहे हैं। क्या यह विश्वविद्यालय चल रहे हैं? रिटायर्ड आदमी सडकों पर है, किस प्रकार की स्थिति है। क्या यूजीसी के नार्म्स के अनुसार यह एफीलेटेड कालेज हैं, उनमें प्रोफेसर का पद देना चाहते हैं, मंत्रीजी बता दें, इच्छा है क्या राजस्थान में। 1300 कालेज हैं और उसके अलावा 144 कालेज हैं। क्या यू जी सी के रिकमंडेशन के अनुसार प्रोफेसर का पद दिया जाएगा? सारे पद खाली पड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सुखाडिया जी वह शख्स थे जिन्होंने सारे देश में कालेज टीचर्स को 375 का ग्रेड राणावत ने दिया और वी वी जोन साहब को कहा कि मैं आपको आज सौगात दे रहा हूं, प्रत्येक कालेज के प्राध्यापक को गजिटेड आफिसर बना रहा हूं। तब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में 200 रुपये में प्राध्यापक बनता था तब 375 का ग्रेड मिलता था।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, आप विराजिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): और आज हम रो रहे हैं, आज इस रूप में प्राध्यापक रो रहा है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर पर रखा जाए, एसोसिएट प्रोफेसर पर रखा जाए, प्रोफेसर रखा जाए। क्या यू जी सी के नार्म्स को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। यह किसका नियंत्रण करना चाहते हैं पैसे देकर के ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि आज हम रो रहे हैं। यह रो रहे हैं या प्राध्यापक रो रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम जी चौधरी। केवल आपका अंकित हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। केवल आपका अंकित हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वविद्यालयों के संशोधन विधेयक पर एक निवेदन करना चाहता हूं यहां पर सभी विधायक बैठे हैं, इतने अधिकारी बैठे हैं, पूरा जयपुर और पूरा सदन इस बात को सुन रहा है। क्या विश्वविद्यालय खोल रहे हैं और क्या सुधार कर रहे हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो क्या विश्वविद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति है? क्या लेक्चरर पीरियड ले रहे हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगे हुए लेक्चरार कभी एक पीरियड भी लेते हैं क्या? बच्चों की उपस्थिति का पता नहीं। हम दुनियाभर की यूनिवर्सिटीज खोल दें, कुछ भी कर दें। हम गुनहगार होंगे, अगर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके लिये कोई कानून नहीं बना तो यह यूनिवर्सिटीज खोल दो, संशोधन कर दो, कुछ भी कर दो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए और बच्चों की उपस्थिति तय की जाए कि इतने परसेंट होने के बाद ही उनको परीक्षा देने का अधिकार होगा और व्याख्याताओं की यह जिम्मेदारी तय की जाए कि जब तक आप इतने पीरियड नहीं लेंगे या उसके ऊपर कोई ऐसी मोनेटरिंग व्यवस्था नहीं करेंगे तो इतनी यूनिवर्सिटी बनाना और उसमें संशोधन करना, कुछ भी कर लो यह राज्य के हित में नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया, आप कुछ बोलना चाहते हो ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, वैसे तो हमने सारे ही बिल पास कर दिए लेकिन अंत में आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, जिस मंशा से आपने कुलाधिपति को अधिकार दिया है वाइस चांसलर के सलेक्शन के लिए पहले राज्य सरकार की सहमति से राज्यपाल उप कुलपति का चुनाव करता था, अब आपकी राय का कोई अर्थ नहीं है। अब जो भी आपका राज्यपाल चाहेगा, आपकी राय माने या नहीं माने वह अपनी मर्जी से जिसका चयन करेगा उससे आगे कुछ नहीं कर सकोगे। राज्यपाल जिस प्रकार से आते- जाते हैं, सरकारे बदलती हैं, राज्य सरकार और राज्यपाल के विचारों में अगर मतभेद है तो सरकार जाम हो जाएगी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राज्यपाल अपनी मनमर्जी से आपको इग्नोर करके कुलपति की नियुक्ति करेगा। आपके विश्वविद्यालय की दुर्दशा होगी और आप राज चलाते हुए भी केवल दर्शक बनकर देखेंगे, यह अमेंडमेंट आप इसमें ला रहे हैं, जो खतरनाक अमेंडमेंट बनेगा, एक।

दूसरा, राज्यपाल को जिस प्रकार से दैनंदिनी के कार्यक्रमों में दखलअंदाजी का जो अधिकार इस अमेण्डमेंट के माध्यम से दे रहे हो, पहले राज्यपाल विश्वविद्यालय के किसी भी काम में सीधा इन्टरफेयर नहीं करता था लेकिन अब आप कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी मामले के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से सीधी जांच कराने का अधिकार प्रदान कर रहे हो। अब आपका कुलाधिपति सीधा ही अपने विश्वविद्यालय में जांच करने के लिए अधिकृत हो जाएगा। वह जिस व्यक्ति से भी चाहे विश्वविद्यालय की जांच का काम शुरू कर देगा। स्वायत्ता कहां गई? सरकार भी कुछ नहीं कर सकेगी।

मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने जितनी तेज गति से इस काम को किया है ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं महामहिम के दवाब में आकर पहली बार एक ऐसा खतरनाक अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिस खतरनाक अमेंडमेंट में जो भी कोई सरकार रहेगी उसके विचार और राज्यपाल के विचारों में अगर अन्तर हो गया तो सारे के सारे विश्वविद्यालय जिस हालत में पहुंचेगे उसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा और विश्वविद्यालय के दैनंदिनी के कार्य में रोज जांच पर जांच चलेगी, कमेटियां बनेगी और विश्वविद्यालय उस जांच के दायरे में रोज का रोज उलझा रहेगा। मैंने सोचा, 50-60 बरस तक यह हिन्दुस्तान चला है, इन्हीं नियमों से चला है लेकिन अब हम ऐसे नियम बनाकर जो कुछ अधिकार देने जा रहे हैं लेकिन हमारे तो किसी के पास ना सोचने समझने का समय है। हम एक टकराव को लाकर विश्वविद्यालयों को सीधा का सीधा राज्यपाल की मनमर्जी से जैसा वह चाहेगी, जैसा वो करेगी, जैसा सलेक्शन होगा, जैसा कुछ भी होगा और कहीं बापडो का सलेक्शन कर भी लिया तो एक जांच बिठा दी तो वह सलेक्शन करने वाले ही लंबे हो जाएंगे। मतलब जिस प्रकार का अधिकार दे रहे हो, अंत में इसलिए बोला कि मैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय पर बोलने के हिसाब से, अब आपने तो अपनी तरफ से मन बना लिया। तो एक बार इस ढांचे को बिगाड़ देने के बाद आज राज्यपाल आपकी बात मानता, यह अमेंडमेंट क्यों लाए आप, क्योंकि आपकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राज्यपाल थोड़ी सख्त है और उसके कारण से, +++ अब तक बना हुआ, सरकार की सहमति से वाइस चांसलर बनता था अब केवल आपसे राय लेंगे। आपकी राय को माने या न माने यह महामहिम की मर्जी पर निर्भर है।

श्री उपाध्यक्ष: महामहिम के बारे में ऐसा कोई शब्द हो, महामहिम के बारे में कोई ऐसा शब्द आया हो...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): डे टू डे आपका जो वर्किंग है, विश्वविद्यालय का डे टू डे का ...

श्री उपाध्यक्ष: महामहिम के बारे में कोई ऐसा शब्द आया हो जो डिलिट होने योग्य हो, कर दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उनको यह अधिकार मिल जाएगा, रोज नई-नई जांचें, रोज नये-नये लफड़े डाले जाएंगे और विश्वविद्यालय की स्वायत्ता का बिल्कुल एक तरह से बंटाढार हो जाएगा। इस पर शांति से विचार कर लेना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट बोलने दें साहब मुझे। यह तो हमारा अधिकार है, इस पर तो हमें बुलवाएं कम से कम। उपाध्यक्ष महोदय, आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापकों, कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित जो संशोधित विधेयक यहां लाए गए उन पर मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हुईं। पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए लोगों में बहुत क्रेज था कि मेरा महाराजा कालेज में एडमिशन हो जाए, महारानी कालेज में हो जाए, या विश्वविद्यालय के किसी डिपार्टमेंट के अन्दर या लॉ कालेज में एडमिशन हो जाए लेकिन आज वह क्रेज खतम हो गया। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापकों की कमी के कारण न तो समय पर पीरियड लगते हैं, न क्लास लगती है और आये दिन हड़ताल और आंदोलन होते रहते हैं। विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर सरकार भी अपना पूरा हस्तक्षेप रखती है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में कई दिन से वाइस चांसलर नहीं है और वाइस चांसलर का चार्ज एक आई ए एस अधिकारी को दिया हुआ है । उस आई ए एस अधिकारी ने, राजस्थान में जो निजी महाविद्यालय हैं उन निजी 700

(श्री हनुमान बेनीवाल)

महाविद्यालयों में से लगभग 368 महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र जो पिछले साल थे उनमें से 345 महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर दिए, बदल दिए और मात्र 23 महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र दिए हैं। उनमें भी लगभग 3 से 5 लाख रुपये, जिनको दिए हैं उनमें, जो मधुकर गुप्ता आई ए एस है जिसके पास कुलपति का चार्ज है, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह लगता ही नहीं कि राजस्थान विश्वविद्यालय है यहां पर। राजस्थान विश्वविद्यालय का चार्ज किसी और को दे दिया ओर वह अपनी मनमर्जी से, राजस्थान के निजी संचालक सड़कों पर आ गए, परीक्षा केन्द्र बदलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सड़क पर कालेज संचालक का विरोध, प्रदर्शन, भारी विरोध और 3 से 5 पांच लाख सेंटर यथावत रखाने के नाम पर। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का चार्ज मधुकर गुप्ता के पास है। खुली दुकान उपाध्यक्ष महोदय उसने खोल रखी है।

श्री उपाध्यक्ष: नाम नहीं लें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अगर ऐसी स्थिति इस राजस्थान के अन्दर हो और संवेदनशील सरकार की बात आप करो और विश्वविद्यालयों पर चर्चा हो और ऐसा भ्रष्टाचार, जिसके पास कुलपति का चार्ज है, कुलपति भी पूरा नहीं, कुलपति का चार्ज है उसके पास, वह व्यक्ति अगर इस तरह निजी संचालकों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत उनसे चौथ वसूली और पैसा वसूली करने के लिए कि मेरे को तीन लाख, पांच लाख रुपये दे दो तब तो मैं सेंटर यथावत रख दूं नहीं तो...

श्री उपाध्यक्ष: आप खड़े होकर बोलिए अमराराम जी, ऐसे नहीं। बोलना हो तो ख़ड़े होकर बोलें, सीट पर बैठे-बैठे नहीं। खड़े होकर बोलिए, माइक चलेगा, सब सुनेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इन विश्वविद्यालय के विधेयक, उन विधेयकों को तीन महीने के जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और इस विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार कुलपति ने निजी महाविद्यालयों के साथ किया है इसकी भी जांच की आप व्यवस्था उपाध्यक्ष महोदय दें, ऐसी उम्मीद आपसे कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, प्रभारी मंत्रीजी मैं तो गति तेज कर रहा था, रोक दी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष

(डा. दयाराम परमार)

महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने महामहिम, कुलाधिपति को जो अधिकार देने की बात है और उस पर ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए धन्यवाद। जो संशोधन पेश किया है जनमत संग्रह के लिए उसको निरस्त किया जाए और विधेयक को पारित किया जाए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जवाब दो।

श्री उपाध्यक्ष: दे दिया

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या जवाब दिया है, जो विषय आया है हाउस के सामने।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, हम 1980 से विधान सभा के सदस्य हैं, यह मसले उठते हैं, इतने महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं उसके बारे में अच्छे सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है जो नहीं जंचता वो छोड़ो पर मूल मुद्दों के ऊपर कहीं तो बहस होनी चहिए, कोई दिशा तय होनी चाहिए। क्या एक बनाकर ले आए और उसी हिसाब से स्वीकृति और पास...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, देवीसिंह जी भाटी साहब।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): 35 बरस हो गए साहब।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छी बात है, सुबह 11 बजे किया करिये। यह शिक्षाप्रद बात सुबह 11 बजे बोला करिये आप, उस समय सब सुनी जाएगी आपकी बात।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): डूबते हुए को भी तो थोड़ा कहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: 11 बजे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं तो उसके ऊपर अगर कोई सुझाव आया है तो उसका जवाब भी तो देना चाहिए उनको। यह तो वही जो कहता हूं मैं कि +++ ? क्या इसका अर्थ रह गया।

श्री उपाध्यक्ष: अपन तो अपनी जीभ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह इस प्रकार के कानून बनना बहुत गलत है। नियमों में संशोधन होना बहुत गलत है। मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

माननीय हनुमानजी बेनीवाल, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अब कहने से क्या होगा। कह दिया, अब क्या रह गया फिर।

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ कह रहे थे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा तो पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन था, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: क्या? कोई विशेष बात हो तो बोलिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विशेष है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कई ज्वलंत मुद्दे पिछली और वर्तमान सरकार के अन्दर भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, माथुर आयोग का गठन किया और माथुर आयोग भी टांय-टांय फिस्स हो गया, जांच सरकार करा नहीं पाई।

श्री उपाध्यक्ष: उत्तेजित बात मत करना।

सूचना

लोकायुक्त की अभिशंसा के विरुद्ध पुलिस अधिकारी का फील्ड में पदस्थापन

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब। वर्तमान सरकार के पास ए.सी.बी., एण्टी करप्शन ब्यूरो की जो एजेंसी है, प्रदेश में आये दिन बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मामले खुलते हैं। लेकिन ए.सी.बी. खुद चलकर ... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई विषय है क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो मेरी बात कह रहा हूं। आपको क्या आब्जेक्शन है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपको इसमें क्या दिक्कत है, कहने दीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): भले आदमी, ऐसा न करें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, ए.सी.बी. अगर किसी को सर्टिफिकेट दे कि वह भ्रष्टाचारी है, वह तो भ्रष्टाचारी है। ए.सी.बी. की नजरों के सामने कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो और ए.सी.बी. वाले उसमें आंख मूंद लें तो वह आदमी कोई ईमानदार नहीं हो जाता। राजस्थान के अन्दर नियमों में प्रावधान है कि लोकायुक्त अगर किसी पर टिप्पणी करें और लोकायुक्त किसी की जांच करें और यह लिख दें कि फलां अधिकारी के खिलाफ 16 सी.सी.ए. की चार्जशीट जारी की जाए और उसे फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए। ऐसे अधिकारी को राजस्थान के भीलवाड़ा के अन्दर ए.सी.बी. ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भीमसिंह ढीका के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रमाणिक मानकर पुलिस विभाग को उनके खिलाफ 16 सी.सी.ए. की चार्जशीट जारी करने हेतु लिखा था। इस हेतु किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति हुई और अब इस मामले में सरकार क्या कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में गृह मंत्रीजी का जवाब चाहूंगा कि 16 सी.सी. के मामले का खुद के ऊपर, जिस पर आरोप खुद जो जांच के अन्दर भ्रष्टाचारी पाया जाए, दोषी पाया जाए, ऐसा अधिकारी भ्रष्टाचार की जांच करेगा? तो फिर पूरा प्रश्नचिन्ह सरकार पर ही खड़ा हो जाता है कि किसी भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारी की जांच करने के लिये भ्रष्टाचारी को भेज दो। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, उसकी नियुक्ति किस की सिफारिश से हुई और उस आदमी को सरकार हटाएगी कि नहीं हटाएगी और उसके खिलाफ लोकायुक्त की जांच के आधार पर कार्यवाही करनी है वह सरकार क्या कार्यवाही इसके अन्दर करेगी, यह बताएं, उपाध्यक्ष महोदय। राधेश्यामजी पहले मेरी बात समझ नहीं पाये थे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ, दो मिनट कहलवायें, ऐसे कोई मजाक बन जाएगा फिर।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कर दी। सरकार नोटिस में लेगी। मंत्रीजी तक चीफ व्हिप साहब पहुंचा देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौन लेगा नोटिस में, मंत्रीजी कहां हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, मैं क्यों करुंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरकारी पक्ष तो आप ही हो। आप ही पहुंचाएंगे उनके पास। कृपया आप विराजिये। मंत्रीजी यहां नहीं हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी और आप जब भी कहते हैं, मैं विराज जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां बिलकुल। मैंने बोलने की इजाजत दी और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप विराज जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा निवेदन सुनें। कोई व्यवस्था तो इसमें दें। मैं आपको बता रहा हूं इतना महत्वपूर्ण मामला है यह कि एक 16 सी.सी.ए. की चार्जशीट जिसके खिलाफ हो और लोकायुक्त लिखे कि यह अधिकारी भ्रष्ट है। वह फील्ड के अन्दर भ्रष्टाचार की जांच करेगा। कैसे करेगा?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो जवाब दिलवायें। मैं विराजुंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वह मंत्रीजी हैं नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप व्यवस्था दे दें। बाद में दिलवा दें जवाब।

श्री उपाध्यक्ष: सरकारी पक्ष के मुख्य सचेतकजी विराजमान हैं। यह उनके नोटिस में ला देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, आप दो मिनट इसमें बता दें, साहब। हमारी बात रखो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। अब वह सब आपके सामने अर्ज कर दिया मैंने। आय-व्ययक अनुमान, वर्ष 2013-14

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मुख्य सचेतक महोदय, जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: क्या जवाब दे रहे हैं क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी को बुलवायें।

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि एवं अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। माननीय हरजीराम जी बुरड़क।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सारी बातें कहने का मतलब नहीं रह जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, आप विराजिये।

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल का सदन कूप में आगमन)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37 – कृषि की प्रस्तुति

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,71,85,29,000/- (चौदह अरब इकहत्तर करोड़ पिच्यासी लाख उन्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: अब आ गया। वैल में नहीं बोलते हैं, माननीय सदस्य। वैल में बोले हुए का कोई नोटिस नहीं लेता, कोई नोटिस नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): एक और है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: मांग सख्या 39 भी रखेंगे।

मांग संख्या 39 – पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,94,17,38,000/- (चार अरब चोरानवे करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए। (व्यवधान)

(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल-बिलकुल, मैंने कह दिया। सरकारी पक्ष को निर्देश दे दिया। मंत्रीजी आएंगे मुख्य सचेतकजी उनसे बात करेंगे। वे जब चाहेंगे, तब लेंगे। (व्यवधान) अब कह दिया मैंने। आपके सामने नोट हो रहा है। आप विराजिये, सब नोट होता है जो बोलते हैं। (व्यवधान) जो कहा, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, अगर अनुमति हो तो एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मांग संख्या 37 और 39 पर अब विचार-विमर्श प्रारम्भ हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप नीचे विराजिये। नीचे विराजिये। माननीय हनुमानजी बेनीवाल, नीचे विराजिये आप। माननीय मुख्य सचेतकजी, आप समझाइये सदस्य को। अनुशासन में रह करके बात करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दो महत्वपूर्ण मांगें, मांग संख्या 37 और 39 पर विचार-विमर्श प्रारम्भ हो रहा है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना को माननीय गृह राज्य मंत्री तक पहुंचा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब खुश, अब बात हो गयी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हनुमानजी, अब आ जाएं। आपको जवाब मिल जाएगा, आ जाएं।

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा सदन कूप से प्रस्थान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 15 माननीय सदस्यों को प्रतिपक्ष की तरफ से विचार व्यक्त करना है और घड़ी की सुइयां सात बजा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करुंगा कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह मुख्य सचेतक तो दोनों आपस में बात कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह ऐसी मांग है जिसका सम्बन्ध राजस्थान के 80 फीसदी लोगों से है। इसलिये सदन का समय कम से कम प्रात: 2 बजे तक के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव रखें, मुख्य सचेतकजी। ताकि सभी माननीय सदस्य अपनी बात रख सकें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, एक अण्डरटेकिंग

(डा. रघु शर्मा)

माननीय सचेतक महोदय अगर दे दें प्रतिपक्ष के, आपके तमाम सदस्य यहां मौजूद रहेंगे तब तो मजा आएगा। तब तो समय बढ़ता रहेगा। अब अगर इस हाउस के अन्दर मेम्बर ही पूरे नहीं हों और समय बढ़ाएं, चार आदमी बोलने वाले हों और 15 आदमी सुनने वाले, उस स्थिति में समय बढ़ाने की बात पर अपने को विचार करना चाहिए। आप ऐसी व्यवस्था कर लो, मैं प्रस्ताव करता जाउंगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से व्यवस्था कर दो। हम रात भर रुक जाएंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, व्यवस्था से आपका क्या मतलब है?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप समझते हो। आपकी और मेरी यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। (व्यवधान) जो आदमी आपकी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय, आप 33 साल से इस सदन में हो और मेरे दूध के दांत आए हुए हैं अभी, आपके दांत गिर गये। आप बताइये, व्यवस्था क्या हो सकती है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप समझते हैं इशारों में।

श्री उपाध्यक्ष: देवी सिंहजी, अब आप विराजिये। सदन की भावना जिस तरह से मेजें थपथपाईं, ऐसा मानता हूं दोनों माननीय मुख्य सचेतक महोदय को यह चर्चा सदन में करने के बजाय चैम्बर में बैठकर निर्णय करें। सदन तो चाहेगा जो भी निर्णय करेंगे, करीब-करीब उसमें सब सहमत हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा सदन में ही होती है। यह बाहर का मामला नहीं है। इन्होंने भी गलती नहीं की और हमने भी गलती नहीं की। ऐसी बातें मत कहो आप।

श्री उपाध्यक्ष: हां, फिर सदन में आएगी। आप नये सदन में आए हैं। यह चर्चा इतनी आवश्यक नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह चर्चा ही आवश्यक है कि यह सदन कब तक चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों के बीच की नहीं है। सदन का समय ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह सदन के लिये चर्चा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, बाहर वाली चर्चा हम यहां क्यों करेंगे। हम आपस में ही कर लेंगे बाहर की चर्चा। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि बाहर की बात तो बाहर ही होगी।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि सदन का समय अभी आज रात्रि 9 बजे तक के लिये बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति है, समय 9 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): 9 बजे सुबह तक?

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो 9 ही है ना? 9 बजे तक।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 9 ए.एम. है या 9 पी.एम. है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रभुलालजी सैनी। समय को देखकर मेरा अनुरोध है। आप फर्स्ट वक्ता हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद सोचिये।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आखिर आपने कृषि की ऐसी महत्वपूर्ण मांग पर, मैं तो थोड़ी देर तो यह समझ रहा था कि आप अभी हां-हूं करके चले जाओगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-37 और मांग संख्या-39 कृषि और पशुपालन पर वाद-विवाद, चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें अपने को समाहित करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। राष्ट्र के लिए इससे बड़ी विडम्बना कोई हो ही नहीं सकती कि हमारे देश का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही विरासत के रूप में वह मर जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसी कहावत है?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): कहावत है यह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेक परिस्थितियों से जूझने के बाद भी इस देश का किसान सर्दी, गर्मी, बरसात से जूझता है और जूझने के बाद वह अन्न पैदा करता है और अन्न पैदा करने के बाद देश का, प्रदेश का और परिवार का पालन-पोषण अन्नदाता के रूप में वह करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी ओलावृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी शीत तो कभी-कभी पाले से किसान की फसलें नष्ट होती हैं और फिर भी किसान की फसल बच जाती है तो बाजार में जाकर उसको फिर ठगा जाता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा इसलिए होता है कि सियासत में उनको सही उचित मूल्य दिलाने में अब तक सरकारें असफल रही हैं। मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ओने-पौने भावों पर किसान की फसलें बिकती हैं। कभी किसान की फसलें खेत में जलाई जाती हैं, कभी सड़क पर उनके उत्पादन को बिना भाव के कारण से फेंका जाता है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक कहावत के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि-

जिसके पैर न फटी बिवाईं, वह क्या जाने दर्द पराई।

यानी, किसान की पीड़ा को ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह है- जिसके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई, यूं है। स्पष्ट कर दिया मैंने। हां, वहां से ही सीखा है मैंने।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): हां, मैंने यही कहा है। उनकी पीड़ा को कोई समझना नहीं चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान का खेत कभी सूखा रहता है, कभी किसान का परिवार भूखा रहता है, किसान का बेटा कभी बेकार रहता है और किसान कभी कर्जदार रहता है। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए, समाहित करते हुए मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। 40 प्रतिशत किसानों ने खेती से मोह-भंग कर लिया, 28 प्रतिशत खेती को घाटे का सौदा मानते हैं और 8 प्रतिशत खेती को जोखिम-भरा मानते हैं। इसके बावजूद भी किसानों की इच्छा, आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को अनुदान नहीं चाहिए। किसानों को सिर्फ चाहिए तो उनको अच्छी गुणवत्ता का बीज चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का खाद चाहिए और सही समय पर उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, सिंचाई की और सिंचाई के साथ में उनको निर्बाधित बिजली मिले। यह अब किसानों की मांग इस प्रकार से धीरे-धीरे उठने लगी है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसान हाशिये पर खड़ा है। आज कोई भी चपरासी जिसको तनख्वाह छठे वेतन आयोग के बाद पन्द्रह हजार से कम नहीं मिलती है लेकिन नेशनल सर्वे आर्गेनाइजेशन के द्वारा किये गये सर्वे में एक किसान की मासिक आय 2115 रुपये से ज्यादा नहीं आती है। आप यह देखेंगे कि हर किसान चपरासी बनना चाहता है लेकिन कोई भी चपरासी किसान नहीं बनना चाहता है। किसान बनने में उसको लाभ नहीं होता। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वार्षिक योजनाएं बनती हैं, बजट हर साल आते हैं, बजट में प्रावधान किए जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि आप भी किसान हैं। यदि हम 2009-10 के बजट की बात करना चाहेंगे जब से शासन में कांग्रेस सरकार आई, 18634 करोड़ रुपए का बजट हुआ, उसमें से 4.77 प्रतिशत, मात्र 4.77 प्रतिशत कृषि सम्बन्धित सेवाओं के प्रावधान किए। मात्र 4.77 प्रतिशत। यदि हम बात करें 2010 की तो 23822 करोड़ रुपए का जो बजट था उसमें 5.66 प्रतिशत, इसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता, इनके लिए प्रोविजन किए गए और यदि हम 2011 की बात करते हैं तो 22461 करोड़ में से 3.84 प्रतिशत। यानी, हर विभाग में बजट धीरे-धीरे बढ़ता है लेकिन कृषि और कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र का बजट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे घटता जा रहा है। यदि हम बात करते हैं 2013-14, जो अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा, बजट के बारे में बड़ी चर्चाएं हुई। सबने प्रशंसा की है लेकिन 40139 करोड़ रुपए के बजट में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मदनजी प्रजापत, विराज कर बात करें। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): कृषि सेवाओं पर 5.89 प्रतिशत बजट के प्रावधान किए गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम जी.डी.पी. रेश्यो की बात करते हैं तो कृषि का जी.डी.पी. रेश्यो अभी इस साल में 18 प्रतिशत पहुंच गया। इससे पहले 22 था, उससे पहले 25 था, उससे पहले 28 था। आखिर क्या कारण है कि हमारा जी.डी.पी. रेश्यो घटता जा रहा है? सरकार को सोचना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सरकारों को कि कर्नाटक सरकार ने पहली बार 2011 के अन्दर अपना कृषि का बजट घोषित किया, 19 प्रतिशत से ज्यादा पैसा कृषि के बजट के लिए उन्होंने रखा। छत्तीसगढ़ ने दो बार, उन्होंने भी इस साल और इससे पहले साल कृषि का बजट पेश किया और अभी हाल

(श्री प्रभुलाल सैनी)

ही में मध्य प्रदेश ने भी कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध सेवाओं का अलग से बजट घोषित किया और उन्होंने यह साबित कर दिया कि वास्तव में हम किसान के हितैषी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार भी इस पर ध्यान देगी। मध्य प्रदेश में अभी जो बजट हुआ, उन्होंने उस बजट में कहा कि 1500 रुपये क्विंटल पर हम समर्थन मूल्य का गेहूं खरीदेंगे और उसके बाद 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देंगे और बिजली के बिल में, साल में दो ही बार उनसे लेंगे और 1200 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से उन्होंने तय किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक समर्थन मूल्य की बात है तो उन्होंने कहा कि एक-एक दाना मध्य प्रदेश के किसान का जो पैदा होगा, उसको सरकार समर्थन मूल्य के माध्यम से खरीदेगी। इस प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की हैं।

अभी महामहिम राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण के जवाब में भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री ने भी बजट पर कहा था कि कृषि का अलग से बजट होना चाहिए क्योंकि कृषि 75 परसेंट लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। बड़े गर्व के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में भी माननीय मंत्रीजी तो जो बैठे हुए हैं वे ठीक हैं लेकिन मैं गैलेरी में बैठे हुए अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा कि सी.आर.एफ. नार्म्स में, ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रभुलालजी, आप तो मंत्री भी रहे हैं, अधिकारियों को सम्बोधन नहीं होता न। सरकार बैठी है, आप सरकार को ही संबोधित करो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सरकार तो आपको भी ध्यान में है कि बैठी है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, यह सिस्टम है, रूल्स हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): आगे बोल रहा हूं कोई बात नहीं, मैं तो आपके माध्यम से कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, मेरे माध्यम से भी उनको नहीं कहा जाएगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सी.आर.एफ. नार्म्स की बात जब अभी हुई तो राजस्थान की विधान सभा में इन किसानों के 50 प्रतिशत से अधिक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

खराबे की बात हुई। कई बार सदन जुड़ा, कई बार चर्चाएं हुईं लेकिन आखिर में वहीं की बात वहीं कि 50 प्रतिशत से नीचे का खराबा राजस्थान की सरकार नहीं देगी। लेकिन मध्य प्रदेश में वह सरकार है जिसने 25 परसेंट से लेकर 50 परसेंट तक जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, सी.आर.एफ. में जो नुकसान हुआ है, वह 25 से लेकर 50 प्रतिशत तक किसानों का मुआवजा भी सरकार देगी तो राजस्थान सरकार को भी इस बारे में विचार करना चाहिए।

मैं अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, सारी सरकारों के बजट पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि सामाजिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने 52.7 परसेंट सामाजिक क्षेत्र में खर्च करने की बात कही है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के द्वारा यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो 1016 रुपये प्रति किसान पर सालाना खर्च करता है।

(19.00 बजे)

और हमारी सरकार का सालाना खर्च 430 रुपये है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा यदि हम बजट के बारे में देखते हैं, हम यह देखते हैं कि हमारे उत्पादन में, उत्पादकता में गिरावट क्यों हो रही है? इस पर विचार करने की जरूरत है कि जो बजट हमारा स्वीकृत किया जाता है, विधान सभा में पक्ष और विपक्ष के सभी लोग उसको पास करते हैं। पास करने के बाद जो बजट का खर्चा होता है, वह चौंकाने वाला होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2010-11 में कृषि में 1275 करोड़ के प्रोवीजन करके 67 प्रतिशत ही सरकार खर्च कर पाई है। इसी प्रकार 2011 में 962.16 यानि 59 प्रतिशत बजट का पैसा खर्च हुआ है। एक तरफ हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी तरफ हम बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर कहना चाहते हैं कि दलहन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला तो हमको मिला। हम पूछना चाहते हैं, यह तो भगवान ने बारिश कर दी, इससे आपका रकबा बढ़ गया, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया। इस साल भी कर लेते, आपको ही करना था तो इस साल भी ले लेते उत्पादन। कहां 13.13 लाख मीट्रिक टन से घटकर आपका दलहन 9 लाख पर पहुंच गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह होगा कि हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है।

मैं यहां कहना चाहूंगा, उद्यान की फसलों की आवश्यकता है। राजस्थान

(श्री प्रभुलाल सैनी)

में हार्टीकल्चर को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय बागवानी मिशन चला। पहले 22 जिलों में था, उसके बाद फिर सरकार ने अपनी तरफ से उसको बढ़ाया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की उदासीनता के चलते आज बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। वानिकी विकास कार्यों पर 2012-13 के वित्तीय प्रावधान को यदि हम देखते हैं तो 237.81 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित था और आयोजना में 2234.55 लाख और आयोजना मद से 21,546 यानि इस प्रकार 23 करोड़ 781 लाख का बजट यहां पास हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौंकाने वाले तथ्य यह हैं माह जनवरी, 2012 तक अगर हम खर्चे की बात करते हैं कि उद्यान की फसलों में कितना खर्चा हुआ तो केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 80.75 करोड़ के बजाय 31.18 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन की हम बात करते हैं तो 150 करोड़ में से मात्र 64.57 करोड़ रुपये का ही व्यय हुआ है। यदि हम इसी प्रकार राष्ट्रीय बम्बू मिशन की बात करें तो 2012-13 में, यह सारी सेंट्रल स्पोंसर्ड योजनाएं हैं, जिनका बजट खूब आता है, लेकिन उसका खर्चा सरकारें नहीं कर पाती हैं। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा बम्बू मिशन में 252.09 लाख की योजना थी, 115.97 लाख 12 जनवरी तक खर्च किये इन्होंने। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हमें जानकारी अधिकारियों के अलावा नहीं होगी, इसमें प्रोविजन 1 करोड़ 11 लाख 87 हजार था, खर्चा हुआ मात्र 4 लाख रुपये। यह है इस सरकार की सोच और फिर दूसरी तरफ कहते हैं हम तो संवेदनशील हैं, हम जवाबदेही हैं, हम पारदर्शी हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कृषि विकास योजना एक ऐसी योजना है भारत सरकार की, जिसमें जो भी स्कीम आपकी ओन गोइंग योजनाओं में नहीं है उनके बारे में सरकार विशेष योजना बनाये और उसमें पैसा खर्च करे। मैं उसके भी चौंकाने वाले आंकड़े आपको देता हूं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इनके पास राशि थी 7,603 और इन्होंने खर्च किया 6063 रुपये। जनवरी तक का इनका खर्चा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस देश का 317 लाख हैक्टेयर सूखा भू-भाग है जिसमें 61 प्रतिशत अकेला राजस्थान है। 40 प्रतिशत हिस्सा सेमी-एरिड जोन है। उसके बाद हमारे 1 करोड़ 35 लाख किसान इस राजस्थान में रहते हैं, हमें प्रयास करना चाहिये, सरकार को प्रयास करना चाहिये कि हमारी 40 प्रतिशत भूमि सेमी-एरिड है, उसको कृषि योग्य

(श्री प्रभुलाल सैनी)

कैसे बनायें और उसके लिये भारत सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन उसका खर्चा भी हमारे यहां पूरा नहीं हो पा रहा है।

अब मैं आपसे मरू विकास कार्यक्रम, डी डी पी की बात कर रहा हूं। इसके बारे में आप देखिये, यह 15 जिलों में है, 75 प्रतिशत पैसा केन्द्रीय सरकार देती है, मात्र 25 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देती है। लेकिन राज्य सरकार यह 25 प्रतिशत पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती। 2012-13 की उपलब्ध राशि को हम देखें तो इसके अन्तर्गत 82.88 करोड़ रुपये का प्रोविजन था, इन्होंने खर्च किया 14 करोड़ 40 लाख।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मरू प्रसार रोक योजना, सी डी पी 10 जिलों में चालू है और इस योजना में हम देखें तो 57 करोड़ 54 लाख का प्रोविजन है, 4 करोड़ 69 लाख रुपये ही खर्च कर पाये हैं ये लोग। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, डी पी ए पी की बात करें। यह 11 जिलों में चल रहा है। इसमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि जल संसाधन, कटाव को रोकना, वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इसमें 588.90 करोड़ रुपये के प्रोविजन थे, 133 करोड़ ही खर्च कर पाये हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे आंकड़े कागजों के हैं, यह आंकड़े कोई व्यक्तिगत नहीं है, यह आपके द्वारा दिये हुए आंकड़े हैं। इनका आंकलन करें, इनका मूल्यांकन करें। क्या सरकार जवाबदेह है, क्या हम जो काम कर रहे हैं उसके अन्तर्गत सही हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और चौंकाने वाली बात कहना चाहूंगा इनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि, मैं आपको उस तरफ लेकर जाना चाहूंगा 2008-09, जब राजस्थान में वसुन्धरा जी की सरकार थी, अनाज का जो उत्पादन था खरीफ में अनाज का उत्पादन 194 लाख मीट्रिक टन था, इनके समय में हुआ 123.60 लाख मीट्रिक टन, यानि 43.34 लाख मीट्रिक टन कम उत्पादन हुआ। उसके बाद यदि हम यह देखते हैं कि दलहन के क्षेत्र में 18 लाख 26 हजार 257 मीट्रिक टन था और 2009-10 में वह घटकर रह गया 7 लाख 409 यानि 12.38 लाख मीट्रिक टन की गिरावट हुई। यदि हम तिलहन की बात करते हैं तो 92,636 लाख मीट्रिक टन 2008-09 में प्रोडक्शन था, वह 2009-10 में जब इनकी सरकार आई, तब 44 लाख 36 हजार 297 लाख मीट्रिक टन का, यानि 8 लाख 36 हजार 639 मीट्रिक टन, इनके पैदावार कम हुई। 2012-13 में खाद्यान्न में कुल उत्पादन 178.038 लाख

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मीट्रिक टन हुआ और 2011-12 में गत 220.50 लाख मीट्रिक टन, यानी 19.10 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है आपके उत्पादन में।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। उत्पादन बढ़ाये, उत्पादकता बढ़ाये, क्योंकि हम यह देखते हैं, अब आप यह देखिये प्रशासनिक प्रतिवेदन 2012 का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। राजस्थान में 2010 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गयी है। अब हम इसके आंकड़ों को देखते हैं, इसकी परिस्थितियों को देखते हैं, इतनी कमी हुई है राजस्थान में कि आप आश्चर्य करेंगे। मैं आपके माध्यम से कुल प्रीमियम राशि जो किसानों ने जमा कराई 2010 में 303.15 करोड़, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आप तो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: घड़ी की तरफ देखने में टाइम लग जाता है मुझे।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आपके माध्यम से इसमें निर्णय करना जरूरी हो जायेगा, अभी मैं आ रहा हूं इस पर। खरीफ 2010 में कुल प्रीमियम की राशि किसानों से 303.15 करोड़ वसूल की गयी और उनको मुआवजा दिया गया 37 करोड़ रुपये, मात्र 37 करोड़ रुपये। रबी 2010-11 में 335.36 करोड़ वसूले और 228 करोड़ रुपये इन्होंने भुगतान किये। खरीफ 2011 में 431.89 करोड़ इन्होंने वसूल किये और 90 करोड़ रुपये ही दिये। इसलिये मेरा आपसे यह कहना है कि अगर हम खरीफ 2012 की बात करते हैं तो 515 करोड़ रुपये वसूल किये और 266 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस प्रकार की योजना को सरकार को स्वैच्छिक कर देना चाहिये, इसको कम्पलसरी नहीं करना चाहिये। जो भी को-आपरेटिव से ऋण लेते हैं, उन किसानों को इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिये, क्योंकि यह योजना लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 500 करोड़ से ज्यादा प्रतिवर्ष पैसा आता होगा, इस पैसे का जितना दुरुपयोग मैं कहता हूं राजस्थान में हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनियारा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय में 2008 में कृषि संकाय खोला गया। 400 लाख रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के

(श्री प्रभुलाल सैनी)

अन्तर्गत वहां पर रिसर्च अनुसंधान केन्द्र और भवन के लिये दिये गये। आधा पैसा आज भी खर्च नहीं हुआ है और बड़े दुर्भाग्य और चिन्ता की बात तो यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008 में 7 कृषि व्याख्याताओं को लगाने की अनुमति सरकार ने दी थी, 2012 तक व्याख्याता तो इन्होंने चार साल में लगा दिये, पर एक भी स्टूडेण्ट उस कालेज में नहीं है।

सात व्याख्याताओं को, एक लाख रुपये के लगभग एक व्याख्याता को तनख्वाह दी जाती है और एक भी बच्चा उस कालेज में नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड का गठन हुआ और इसमें इजरायल की तकनीक को राजस्थान में लागू करने के लिए बस्सी के डिंडोल फार्म में जैतून की खेती का काम शुरू हुआ। आप आश्चर्य करेंगे उसमें स्पेन, ब्राजील, मोरक्को, इन देशों के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां पर जैतून का उत्पादन शुरू हो गया। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जैतून की खेती को पूरे राजस्थान में बढ़ायें और इसको किसानों के खेतों तक लेकर जाएं तो इसका लाभ राजस्थान के किसान को मिल पायेगा।

मैं एक और निवेदन किसान आयोग के गठन के बारे में करना चाहूंगा। किसान आयोग का गठन 2007 में हुआ, हमारे वक्त 2007 में हम लोगों ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार आयी, 2009 में फिर इस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जून, 2012 तक किसान आयोग का कोई भी काम नहीं हुआ। इन्होंने जो अन्तरिम रिपोर्ट दी है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किसान आयोग के बारे में अन्तरिम रिपोर्ट के बारे में कब-कब और क्या-क्या निर्णय लिये? यदि नहीं किया तो किसानों के साथ इस सरकार ने छलावा क्यों किया? मैं समझता हूं सरकार द्वारा मुझे जवाब अब मिलेगा।

मैं आपसे दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है, राजस्थान जेनेटिक मोडिफाइड यानी वंशानुगत छेड़छाड़ के बारे में मैं आपसे दो मिनट मेरी बात कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जेनेटिक मोडिफाइड सीड्स के बारे में राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में बिना राज्य की अनुमति जेनेटिकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कमेटी है, जो भारत का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का उपक्रम है, उसके द्वारा राजस्थान में जेनेटिक इंजीनियरिंग

(श्री प्रभुलाल सैनी)

की रिसर्च की अनुमति दी और हमारी राजस्थान की सरकार को तीन साल तक यह पता नहीं चला, माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमेंट भी अखबारों में आया कि राजस्थान में कोई जीएम नहीं हो रहा। इससे बड़ी चिन्ता की बात क्या हो सकती है? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको तत्काल रोका। फसल को जलाया। यह तो ठीक है लेकिन तीन साल तक किसके इशारे पर उन कम्पनियों ने यहां पर रिसर्च किया जेनेटिक मोडिफाइड से? यानी सरसों में, मस्टर्ड में किसी भी जीन को, कुत्ते का जीन डाल दो, उसकी वंशानुगत शैली को बदल दो। यह फूड प्रोडक्ट के रूप में काम आती है। वीटी काटन में हो सकता है उसके रिसर्च हुए होंगे। वीटी बैंगन में चल रहा था। पूरे विश्व में इसको रोका गया है लेकिन राजस्थान की सरकार ऐसी सरकार रही जहां तीन साल तक, भरतपुर, अलवर और श्रीगंगानगर में सरसों पर अनुसंधान हो गया और सरकार को पता नहीं लगा हो, इससे ज्यादा चिन्ता की बात राजस्थान के लिए नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास एक दस्तावेज है, यह एक ऐसा दस्तावेज है इसमें लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत मोनसेन्टो कम्पनी के साथ इकरार किया, एमओयू के फार्म लिख दिया कि रिसर्च भी हमारा होगा, एक्सटेंशन, जमीन सब हमारी होगी, सारे काम हमारी तरफ से होंगे लेकिन पेटेंट कम्पनी का होगा। जब इस विषय को उठाया गया तब मुख्य मंत्रीजी ने गम्भीरता से तो लिया इसको, लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि इसमें जिस प्रकार की तीन चीजें उन्होंने ली थीं मक्का, कपास और सब्जी का यहां पर मोनसेन्टो कम्पनी रिसर्च करेगी, अपना बीज पेटेंट करेगी। पूरे देश को ठगने का काम करेगी और राजस्थान का बीज नपुंसक बीज हो जाएगा। जर्मीनेटेड सीड के रूप में काम आने वाला होगा। जब हमारा परम्परागत बीज समाप्त हो जाएगा और इनकी पद्धति से जो हमारा जर्मीनेटेड सीड पैदा हो जाएगा। यह हमारे राजस्थान में ही नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह स्टाम्प है और मैं इसको टेबिल करूंगा, यह स्टाम्प महाराष्ट्र से खरीदा गया है। महाराष्ट्र में टाइप हुआ लेकिन यह किस दिन कमिटमेंट हुआ, एमओयू में कहीं भी तारीख नहीं है। दस-दस अधिकारियों के साइन हैं इसमें। यह सरकार कम्पनियों के आगे घुटने टेक कर उनके घर जाकर दस्तखत कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष: यह डाकूमेंट आपने सूचना के अधिकार के तहत लिया है क्या या किसी दफ्तर से आया है?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): यह सूचना के अधिकार में ही लिया है। मैं इसको टेबिल करूंगा, आपकी अनुमति से ही करूंगा। यह बहुत गम्भीर विषय है, यह गम्भीर विषय इसलिए है क्योंकि इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर श्री जे सी मोहन्ती, प्रोफेसर ए के गहलोत और श्री ज्ञानाराम ऐसे आई ए एस अधिकारी हैं आठ। एक भी अधिकारी ने साइन के नीचे तारीख नहीं लगायी। यह कब बना है यह भी तारीख नहीं है, कब टाइप हुआ है यह भी नहीं है और सबसे बड़ी और चौकाने वाली बात यह है, मैं दो लाइन आपको पढ़कर बताऊं- "The contents of the MOU shall be kept confidential. Confidential information and the parties shall not make use, disclose or disseminate or in any way share any confidential information to any person without the prior written consent of the other parties." जब यह पब्लिक डाकूमेंट है तो इसको कांफिडेंशियल रखने का क्या औचित्य है?

श्री उपाध्यक्ष: गवर्नमेंट का आर्डर हो गया क्या इस पर?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, जब एम ओ यू पर साइन हो गये, कोई आदमी यह कहे कि घर में चोरी करके जेल चला गया, वह सामान ले गया क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं तो हां या न में आपसे जानकारी चाह रहा हूं सदन के लिए कि इस पर सरकार के आदेश हो गये या अधिकारियों तक ही सीमित है?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): इस एम ओ यू पर सरकार के लोगों के ही साइन हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बात को समझिए। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो फिर?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने इसको रोक तो दिया लेकिन राजस्थान को गिरवी रखने की, ऐसी स्थिति कैसे बदली इन लोगों की?

श्री उपाध्यक्ष: रोक दिया नहीं। सरकार का आर्डर तो नहीं है न? मुख्य मंत्रीजी के संयोजकत्व में सरकार होती है। आप बात को समझो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो वकील हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं वकील नहीं हूं, मैं उपाध्यक्ष हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हां या न में ही जवाब दो। इसमें कन्फ्यूजन पैदा मत करो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी अपराध का होना और कांसपेरेंसी करना, यह अपराध की नीयत में आता है। 400 बी, 471, 467 और 468 का अपराधी बन जाता है। कोई भी फाल्स डाकूमेंट, कोई भी व्यक्ति किसी के लाभ के लिए कोई भी अपराध करेगा तो...

श्री उपाध्यक्ष: फिर वही बात। फिर मुझे आप वकील बताओगे। अपराध बनता है या नहीं बनता है। अब आप शार्ट करो, समय बहुत हो गया। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अब शार्ट हो गया मेरा। अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, असली चीज तो अब आयेगी। अभी तो क्या आया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कभी-कभी तो बात करने का मौका मिलता है। आप डिस्टर्ब नहीं करें तो अच्छा रहेगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति न तो करता हूं और न मुझे विश्वास है। मैं वह बात कर रहा हूं जो फैक्ट्स कागज में हैं और सरकार के ध्यान यदि ऐसे विषय आते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को सुधार करना चाहिए इसलिए सुझाव दे रहा हूं। आप नहीं सुनना चाहते हों तो आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊं?

श्री उपाध्यक्ष: सदन सुनना चाहेगा तो मैं तो सुनना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सदन तो मना कर ही नहीं रहा है। सदन तो आराम से सुन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की राय यह है कि समय बहुत हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अभी तो मेरे को 10-15 मिनट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपको 27 मिनट हो गए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये पहले वक्ता हैं। दोनों सचेतक तय कर लें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ठीक है। अब मैं इसको शार्ट करता हूं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बहुत महत्व का विषय है। इस योजना में हमारी

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सरकार ने 2008 से एक "Establishment of the state level breeding confirmation, DNA, Finger Printing and the centre" 2008 से 2013 तक राठी, थारपारकर, गिर और काकरेज जो हमारे राजस्थान की इण्डिजिनस ब्रीड है, इसके एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए, ब्रीड कन्फर्मेशन के लिए, स्पर्म सलैक्शन के लिए और मल्टीपल आयलेशन के लिए इस योजना को पास किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल हो गये, यूनिवर्सिटी एक भी एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कर पायी। 28 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट था। इन्होंने राठी गाय पर ट्राई किया था, ये नहीं कर पाये। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसको सरकार देख ले।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में बीज के बारे में। यदि किसान की उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता हमको बनाये रखनी है तो राजस्थान में राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन का गठन हुआ है और राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन राजकीय उपक्रम है। इसका मुख्य कार्य है गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन। उच्च गुणवत्ता युक्त बीज सही समय पर किसान को मिले, प्रमाणित किस्म के बीज मिलें और बीज उत्पादन में बीज उत्पादन की प्रक्रिया, यहां कितनी जल्दी हो रही है जबकि कितना टाइम लगना चाहिए।

पहले ब्रीडल सीड होगा फिर न्यूक्लियर सीड होगा फिर फाउंडेशन सीड होगा फिर सर्टिफाइड सीड होगा, चार स्टेज से गुजरने के बाद वो बीज बनता है लेकिन राजस्थान में बीज माफिया ने, अपने कुनबे के लोगों ने मिलकर राजस्थान में मंडियों से माल खरीद-खरीद कर सीधा थैलियों में पैक कर दिया और उसका यह उदाहरण हुआ कि अभी इसी सरकार ने बाजरे के बीज की जांच करायी और जांच कराने के बाद पाया कि चूरू, नागौर और दौसा जिले में जिस प्रकार घटिया किस्म के बाजारा बीज मिले, सीड कारपोरेशन के एम.डी. को धन्यवाद देना चाहूंगा, चेयरमैन को जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया।

आप आश्चर्य करेंगे, यह मामला अकेले उसका नहीं है, हजारों ऐसे प्रकरण हैं जिनके अन्दर इस प्रकार का घोटाला हुआ। जब इन्होंने बीज खरीदा, एफ.आई.आर. दर्ज करी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज हुई अशोक नगर थाने में लेकिन उसमें किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ कम्पनी के अधिकारियों के खिलाफ। मैं कहता हूं आपकी

(श्री प्रभुलाल सैनी)

ड्यूटी बनती थी, पहले उसके जैनेटिक प्योरिटी टैस्ट हमारे अधिकारी करते हैं, पहले फिजिकल प्योरिटी को देखते हैं फिर उसके बाद जर्मिनेशन टैस्ट करते हैं, उसके बाद किसी भी बीज को खरीदा जाता है। कौन लोग इसमें शामिल हैं? जितने लोग जो परचेजिंग कमेटी में थे उन सब लोगों के मिलकर हुआ, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जितना दुरुपयोग बीज खरीद में हुआ, इन्होंने पांच-पांच दिन में करोड़ों रुपये खर्च करके अपना सारा खाता बंद कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी गोल्डन रेज योजना हम लोग उन ट्रायबल बैल्ट में चालू करेंगे, उन्होंने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही इन पांच जिलों में 39 हजार क्विंटल बीज बिना किसी टेण्डर के लैटर आफ इन्टेंट के आधार पर 99.69 पैसे पर खरीदा बिना टेण्डर के जबकि वो ही मक्का, उसी प्रकार की हाई सेल नाम की मक्का खरीदी जो न तो एप्रूव्ड वैरायटी है और न हमारी पी.ओ.पी. उसको अलाउ करती है उसके बाद भी इन्होंने किसानों को धोखा दिया और इन किसानों की उत्पादकता पर फर्क पड़ा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस मामले की भी इसमें जांच हो।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2010, बाजरा संकर बीज, जैसा अभी-अभी चला, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुन्झुनूं, जालौर, जोधपुर, नागौर, सीकर इसमें 21.26 करोड़ रुपये का बाजरे का बीज उन कम्पनियों से खरीदा जिन कम्पनियों के पास न रिसर्च था, न एक्सटेंशन था और न फील्ड थे और न उनके पास साइंटिस्ट थे और इन्होंने कह दिया कम्पनियों को कि तुम जिस भाव में भी देना चाहो, चाहे मंडियों से भर कर लाओ चाहे रिसर्च से लाओ लेकिन हमें बाजरे का बीज दो, 16 हजार क्विंटल बीज इन्होंने उन अमानत कम्पनियों से, जिन कम्पनियों ने राजस्थान के किसान को ठगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा उन बारह कम्पनियों से खरीदा। एक कम्पनी ने बाजरे का बीज 70 रुपये में दिया और दूसरी कम्पनी ने बीज 170 रुपये में दिया। कितना वेरिएशन है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपको एक बहुत...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बीज भी दो-दो फिट ऊंचा, बाजरे का एक-एक सिट्टा लगा, बरबाद कर दिया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा आपसे एक और निवेदन है। अनियमितताएं होती हैं, इतनी अनियमितता तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, आप सुनो। चारा बीज खरीदा उन्होंने, 2009-10 में खरीदा रिजका टी 9, टी 9 खरीदा 11120 रुपये किलो।

श्री उपाध्यक्ष: चारा?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): चारा बीज, रिजका, रिजका। यह बीज इन्होंने खरीदा 11120 रुपये क्विंटल में और 12850 रुपये की प्रति क्विंटल में खरीदा इन्होंने लेकिन 2010 में जो यह रिजका बीज खरीदा, सबसे पहले राजस्थान की उन कम्पनियों फर्मों जो रिजका बीज बेचती हैं उनके साथ बीज माफिया ने टाइअप किया, टाइअप करने के बाद उसको हाइजैक किया, हाइजैक करने के बाद उसको खरीदा भी नहीं और उनको पैसे दे दिये कि आप पैसे ले लो यह बीज आज से हमारा हो गया। फाइल चली, सरकार ने मना कर दिया कि पैकेज एवं प्रैक्टिस की डेट निकल चुकी है, इसका बुवाई का समय निकल गया है लेकिन फिर भी कोई न कोई भू-माफिया के प्रभाव में आकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो रिजका खरीदा उसकी रेट हो गयी 26200, 11200 से, करीब 12000 से बढ़कर इसकी रेट 24900 प्लस दो परसेंट, कमीशन एजेंट के रूप में उसको, सीड कारपोरेशन को कह दिया कि तेरा बिल काटते ही हम तो पहुंचा देंगे वहां, हम तो सीधे पंचायतों को पहुंचा देंगे, जिले को पहुंचा देंगे। कम्पनियां ताबड़तोड़ जिले में फेंकती हैं, जिले वाले पंचायत में फैंक रहे हैं और वो रिजका वहीं का वहीं पड़ा है, वो कहीं नहीं गया।

इसमें इतने बड़े घोटाले का, 14 करोड़ से ज्यादा यह इस प्रकार अनियमित भुगतान हुआ और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि जो रिजका खरीदा, चार टेण्डर दाता शामिल हुए, चारों टेण्डर दाताओं ने मिलीभगत करके एक ही रेट भर दी। बताओ, इससे बड़ा क्या पोल इस देश में होगा? चारों टेण्डर दाताओं ने एक ही रेट भर कर सबको समान वितरण आदेश दे दिया कि तू भी ले आ, तू भी ले आ, तू भी ले आ, चारों ही भाई हैं, मिलकर खाओ, डाल दो।

यानी यह सारी अनियमितताएं प्रश्न वाचक पैदा करती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके माध्यम से ऐसे प्रकरणों को आप देखें, दिखवाएं, मंत्री जी से मैं आपकी तरफ से निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप हमारे पिता तुल्य हैं लेकिन आप यह देखें कि ऐसा कौन बीज

(श्री प्रभुलाल सैनी)

माफिया है, ऐसे कौन कुनबे के लोग हैं जो आपके चारों तरफ घूम कर राजस्थान की कृषि को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये। माननीय श्री महेन्द्र जी चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर आज चर्चा हो रही है। जब भी कृषि और पशुपालन की बात आती है तो राजस्थान जिसको कृषि आधारित प्रदेश के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, आज हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और गांव और ढाणियों के अन्दर जनता निवास करती है, तो हमें उस किसान की याद आती है।

चाहे कोई भी पार्टी हो जब अपना घोषणा पत्र बनाती है, जब अपना बजट पेश करती है तो किसान की ओर देखती है। किसान की कोई जाति नहीं होती, जो खेती करता है वो किसान होता है और जब भी प्रदेश के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनी, किसान का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। वो किसान, जिसको एक अन्नदाता के रूप में जाना जाता है, जो धरती का सीना चीर कर उसमें बीज डालता है और जब तब फसल नहीं उग जाती तब तक उसका पूरा ध्यान रखता है। पूरे देश का अन्नदाता किसान कहा जाता है। चाहे कड़कती धूप हो, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, उसके अन्दर किसान खड़ा रहता है और वो भगवान से यही चाहता है कि भगवान मेरी फसल मुझे अच्छी देवे। आज उसी क्रम में हमारे प्रदेश के अन्दर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत ने, एक किसान के बेटे ने जो यह बजट पेश किया, इस बजट के अन्दर जो किसान के हित का हर रूप से ध्यान रखा, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और माननीय कृषि मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कोई सरकार रही हो उसने अपनी घोषणाओं पर अगर अमल किया है तो निश्चित रूप से जनता उसको वापस सरकार में लायी है और अगर ध्यान नहीं दिया है, खाली घोषणा पत्र और बजट के अन्दर किसान को लुभाने का प्रयास ही किया है तो जनता ने जब वक्त आया है तो उसको सबक भी सिखाया है।

इसमें किसान के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोले गये हैं, कोटा, जोबनेर,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

जोधपुर कृषि महाविद्यालय खोले गये हैं, खोलने का प्रावधान रखा गया है भीलवाड़ा, भरतपुर में, लाड़नूं में डिप्लोमा कोर्स का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में दो मेगा फूड पार्क का प्रावधान भी रखा गया है। हमारे किसान के फल और सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस, पोली हाउस और नेट हाउस का प्रावधान भी रखा गया है।

पशुपालन के अन्दर भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रत्येक तहसील में एक मोबाइल पशु यूनिट के संचालन की स्वीकृति दी गयी है। 400 पशु उप केन्द्र खोलेंगे, 200 को क्रमोन्नत किया जायेगा, 500 को 'अ' श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा।

इसके अलावा गेहूं की खरीद पर समर्थन मूल्य पर पहले जो 100 रुपये बोनस हुआ करता था, किसान के हित को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये बोनस के भुगतान की घोषणा की है, जो किसान के हित में बहुत बड़ी खुशी की बात है।

इसके अलावा बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. और अल्पसंख्यक परिवार को, गरीब के बच्चों को, गरीब को एक रुपये किलो गेहूं या बी.पी.एल. चीनी जो साढ़े तेरह रुपये किलो से दस रुपये किलो या ए.पी.एल. से आठ रुपये 60 पैसे से पांच रुपये किलो, यह सब गरीब को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जब यह चर्चा हो रही है तो उसके अन्दर मेरा जो नावां विधान सभा क्षेत्र है क्योंकि नागौर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है तो नावां के साथ कुचामन, कुचामन का प्याज पूरे देश के अन्दर फेमस है, उसके लिए मैं अपने कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भी उसी जिले से आते हैं। यहां प्याज गोदाम जहां-जहां पर भी बनाये हैं वहां किसान को बहुत फायदा मिला है। लेकिन उसके नियमों में सरलीकरण और किया जाना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस योजना का फायदा उठा सकें।

दूसरा, सरकार को प्याज का समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए और किसान से प्याज की खरीद सीधी सरकार को करनी चाहिए ताकि काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। प्याज गोदाम के साथ मैं एक और मांग करना चाहता हूं कि 25 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया जाना चाहिए जिससे किसान खाद, बीज, दवाइयां, कृषि उत्पादन का जो भी सामान है, वह उसे अन्दर रख सके।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा बनाये जाने चाहिए। मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि नावां का क्षेत्र क्षारीय हो रहा है इसलिए दलहन की फसलों का उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए इसमें भूमि सुधार की भी मांग है। राजस्थान के किसान के हित को ध्यान में रखते हुए रबी की फसल में प्याज और मेथी को समर्थन मूल्य में शामिल करना चाहिए, यह मेरी मांग है।

मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं, मौसम आधारित बीमा के साथ में स्वचालित मौसम केन्द्र जो लगे हुए हैं, ए डब्ल्यू एस, मेरे क्षेत्र शिव के अन्दर लगा हुआ है, वह काम नहीं कर रहा है, किसान को उसका फायदा नहीं मिल रहा है इसलिए उसका स्थान चेंज कर उसको चितावा, कुकनवालिया, प्रेमपुरा के अन्दर लगाया जाए। इसके अलावा मिट्टी-पानी परीक्षण प्रयोगशाला की मेरी मांग है मंत्री महोदय से, वह आपने कुचामन के अन्दर शुरू कर दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। कृषि पर्यवेक्षकों के जो पद रिक्त हैं उनको भी आप भरने की कृपा करें।

कृषि विपणन केन्द्र, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को प्लेज लोन जो अभी कुछ जगह प्रयोग किया गया है, बालोतरा, अटरू, प्रतापगढ़, मालपुरा, टोंक के अन्दर जो प्लेज लोन का पायलेट प्रोजैक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका किसान को पूरा फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ बीस हजार की लिमिट है और बीस हजार में किसान लेते हुए घबराता है। या तो इसको ज्यादा बढ़ाया जाए और पूरी इच्छाशक्ति के साथ इसको लागू करें तो राजस्थान के किसान को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सकता है। प्लेज लोन के अन्दर अपनी फसल का 75 परसेंट पैसा किसान उठा सकता है, यह नहीं होने की वजह से किसान को नुकसान होता है। किसान को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो वह कम दामों में फसल बेचने को विवश होता है क्योंकि जब वह अप्रैल, मई में गर्मी में अपनी पहली फसल तैयार करता है तो उसको शायद ही पैसों की जरूरत होती है और जब वह फसल देता है तो उसको कम पैसा मिलता है। अक्टूबर-नवम्बर में सर्दियों में जब वह अगली फसल तैयार करता है तो उसको बोने के लिए बीज, खाद, डीजल की आवश्यकता पड़ती है तो वह कम दाम के अन्दर बेचता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन है कि सेठ-साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए किसान के हित में इस प्लेज लोन की सीमा बढ़ाकर इसको सख्ती के साथ लागू करने की कृपा करें।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

ग्रामीण गोदाम, अनाज को रखने के लिए गांवों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनाये जाने की आवश्यकता है। यह नाबार्ड की प्रक्रिया से बनते हैं, लोन लिया जाता है पच्चीस परसेंट की इसमें सब्सिडी होती है। इसकी प्रक्रिया बहुत लम्बी है। बैंकों द्वारा इसमें मनमानी की जाती है इसलिए मण्डी समिति खुद किसानों की फाइलें तैयार करके इसमें अगर फायदा दें तो किसान को इसके अन्दर बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है।

ग्रीन हाउस और कोल्ड स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा बनाये जाएं ताकि किसान का मूंग, मोठ, सब्जी, नागौर की पान मेथी, जीरा, गुड़ और ड्राई फ्रूट वगैरह भी उसमें रखे जा सकते हैं।

पिछली सरकार के समय ईसबगोल के ऊपर चार परसेंट वैट बढ़ाया गया था लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ईसबगोल को वैट से मुक्त कर दिया। ईसबगोल नागौर, जालौर, सिरोही, जोधपुर और बाड़मेर साइड के अन्दर ईसबगोल की खेती ज्यादा होती है। जब किसान का ईसबगोल कृषि मण्डी में लिया जाता था, वह नहीं बेचना चाहता था, कम मूल्य मिलता था कृषि मण्डी में तो किसान को गुजरात जाना पड़ता था और गुजरात से जब किसान पैसे लेकर लौटता था तो उसको या तो लूट लिया जाता था या उसको कम दाम मिलता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि पहले यह स्थिति थी लेकिन कर मुक्त करने के बाद ज्यादा से ज्यादा फायदा किसान को इसके अन्दर मिल रहा है।

मैंने पूर्व में भी मांग की थी, नागौर का बैल पूरे वर्ल्ड के अन्दर फेमस। नागौर में बड़े-बड़े मेले भरते हैं। नागौर के अन्दर तीन साल का बछड़ा जो खेती के काम में लिया जाता है, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो क्योंकि वहां चावल की खेती होती है और चावल की खेती में नागौर के बछड़े को यहां से लोग खरीदकर ले जाते हैं फसल के लिए। लेकिन जब से यह बंद हुआ है तब से बछड़े की कीमत कम हुई है बछड़ा आवारा घूमता रहता है। इसलिए मेरी मांग है कि तीन साल के बछड़े पर लगी हुई जो रोक है इस रोक को भी हटाया जाए।

नागौर जैसे किसान प्रधान जिले में जहां बाजरा, मूंग, मोठ, ज्वार, मटर, सरसों, तिल आदि की फसलें बोई जाती हैं वहां के लिए ज्यादा से ज्यादा

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, किसान को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, इस सरकार में कृषि फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया गया है। किसान के भवनों का निर्माण किया गया है इसके अलावा किसान चिकित्सा शिविर हो, चाहे भैंस बीमा योजना हो, भेड़ व बकरी प्रजनन की योजना हो, उसके अन्दर भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे उनको पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहने का मौका मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कोई भी व्यक्ति अगर रेडीमेड धोती या साफा बांध ले तो किसान नहीं बन सकता है। किसान को बहुत तपत करनी पड़ती है। किसान का असली हक राजस्थान हो चाहे हिन्दुस्तान, जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है किसान के हित के बारे में सोचा है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर बहत्तर हजार करोड़ का कर्जा माफ, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। वह कर्जा माफ हिन्दुस्तान में भी कांग्रेस सरकार ने किया। आज बजट बनाया जाता है या कोई भी घोषणा की जाती है तो किसान की झौंपड़ी के अन्दर बैठकर की जाती है और पहले की सरकार में महल के कंगूरों के ऊपर बैठकर किसान के हित की बात की जाती थी। आज वो स्थिति नहीं है इसलिए जैसा अभी पहले वक्ता कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए बहुत कर दिया। इनका घोषणा पत्र देख लीजिए उसके अन्दर इन्होंने पहली जो दो प्राथमिकताएं जनता के सामने रखीं, उसमें इन्होंने किसान के साथ में छलावा किया। तो उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इन्होंने किसान के हित में क्या किया।

इन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा नम्बर-1 पर 175 करोड़ किसान कल्याण कोष की हम घोषणा करते हैं। दूसरे नम्बर पर 250 करोड़ का किसान सहायता कोष, यह दोनों कोष इनके कागजों के अन्दर रह गये। पूरे पांच साल में यह इन दोनों घोषणाओं को पूरा नहीं कर सके। यह इस पिछली सरकार की उपलब्धियां रही हैं तो इनको इस मामले में नहीं बोलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बात करते हैं किसान के हित की, मैं कहना चाहता हूं किसान की मेहनत का अगर मोल लगाया जाए तो किसान खुद समझ सकता है कि उसकी जितनी लागत आती है उतना ही उसको मूल्य मिलता है। किसान अगर एक बीघा में फसल करता है तो उसके

(श्री महेन्द्र चौधरी)

ढाई से तीन हजार रुपये लगता है। दो से ढाई सौ रुपये उसके बीज के लगते हैं। तीन बार पानी देने पर डेढ़ से दो हजार का खर्चा होता है और दो तरह की खाद देने पर उसके दो सौ रुपये का खर्चा होता है और निराई से लेकर कटाई तक मजदूरी होती है तो उसका पांच सौ रुपये का खर्चा होता है। अगर खड़ी फसल के ऊपर ओलों की मार पड़ जाए तो किसान के मुंह से निवाला छिन जाता है, इस प्रकार का किसान का काम होता है।

प्राकृतिक आपदा के अन्दर सरकार ने जो क्षतिग्रस्त फसल के ऊपर मुआवजे की राशि रखी है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी पिछले समय की बात कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार जाने के बाद अंग्रेजी की एक प्रमुख पत्रिका में लेख पढ़ा था। इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली। इसके अन्दर के सी सूरी ने अपने लेख में लिखा कि किस तरह परम्परागत रूप से अनाज उपलब्ध करवाने वाले किसान की भूमिका गलत नीतियों व क्रियान्वयन में ढुलमुल रवैये के कारण बी पी एल की श्रेणी में दिखने लग गया है। यह इनकी सरकार के तुरन्त बाद का लेख लिखा हुआ था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं आज अफसरशाही के अन्दर बैठे लोग यह अफसर किसान के बारे में बात करें, उससे बेहतर तो एक अनपढ़ किसान जो गांव के अन्दर रहता है। चौपाल के अन्दर, ढाणी में रहता है, वह उस बात को बहुत अच्छी तरह से कह सकता है।

इनकी पुरानी सरकार में किसान के हित की बात करने वाले, इन्होंने क्या किया इस प्रदेश के अन्दर? इस देश की सरहदें बेच दीं। जिनका इनके ऊपर आरोप लगा। देश की सीमाएं बेचने वाली पुरानी सरकार जयपुर के अन्दर लोगों को धमका-धमका कर जमीनें खरीद लीं। कम दामों में लोगों को जमीन बेचने पर विवश किया।

इसके अलावा सिंचाई के लिये कोई किसान अगर पानी मांगता था उस पर गोलियां इन्होंने चलायीं। इसके अलावा इन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया। प्राकृतिक आपदा में इनका किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं था। किसान को बिजली नहीं मिलती थी। मारवाड़ के किसान को जगह-जगह लूट लिया जाता था।

और तो और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी इनके समय में भयंकर

(श्री महेन्द्र चौधरी)

खिलवाड़ हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, जहां सीमा क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कम्पनीज द्वारा लाखों बीघा जमीन खरीद ली गयी। पिछली सरकार के शासन के अन्दर कम्पनीज ने सीमा से जीरो लाइन के मध्य की उस भूमि की भी रजिस्ट्री करा ली जहां केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति का उस सीमा के अन्दर जाना प्रतिबंधित होता है। उसकी भी इनके समय में रजिस्ट्री हुई है। यही नहीं बेची गयी इन जमीनों में बी एस एफ का बी डी पी टावर, देखरेख व चौकसी टॉवर, सेना द्वारा निर्मित पक्के बंकर्स, मुनाबाव इलाके के बी एस एफ के सम्मेलन सभागार की जमीनें भी उसमें शामिल हैं। बाड़मेर में तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहता है। इन इलाकों की जमीनों की भी उस समय में बिक्री कर ली गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पुरानी राजस्थान सरकार में जब भी किसी प्रकार का किसान आन्दोलन हुआ, जब भी किसान ने किसी प्रकार का आन्दोलन किया तो गोलियां चलीं और कोई मरा। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इनकी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार का स्टेटमेंट अखबारों में दिया, जयपुर प्रेस क्लब के अन्दर इन्होंने स्टेटमेंट दिया मुझे किसी का डर नहीं है। चुनाव हार भी जाऊंगी तो अपने घर चली जाऊंगी। इस प्रकार का स्टेटमेंट पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता को दिया है...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। बस मैं शार्ट में कर रहा हूं इस बात को क्योंकि यह बताना जरूरी है। किसान की बात, जब कृषि का मामला है, पशुपालन का मामला है इसलिये जब हम सरकार में आते हैं तो इनका जो आशय है, मैं आन डाक्यूमेंट बता रहा हूं। अगर कोई गलत हो तो कोई भी सदस्य बुलाकर कह सकता है। दिसम्बर, 2004 सीकर के अन्दर पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा किसान आन्दोलन हिस्ट्रीशीटर लोगों के हाथ में है। फिर दिसम्बर, 2004 में स्टेटमेंट आया कि श्रीगंगानगर किसान आन्दोलन राजनीति से प्रेरित है। जुलाई, 2005 में गंगानगर में स्टेटमेंट आया कि किसान आन्दोलन औचित्य हीन है। अगस्त, 2005 में अनूपगढ़ के अन्दर पूर्व मुख्य मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि किसान आन्दोलन शराब व भू-माफियाओं के हाथ में है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यह

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं। किसान जब अपनी मांग को लेकर किसी प्रकार का कोई आन्दोलन करता है तो इस प्रकार के वक्तव्य देकर जनता को भड़काने की कोशिश की गयी है।

एक हमारे मुख्य मंत्रीजी हैं जिनको आप देख सकते हैं कि सवा चार साल के शासनकाल में किस प्रकार का शासन चला है। आज मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है कांग्रेस ने हमेशा जनाधार का सम्मान किया है। अगर प्रदेश की जनता सरकार में लायी है तो उसका भी सम्मान किया है और विपक्ष में अगर बैठाया है तो उसका भी सम्मान किया है।

मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी का। जब हम लोगों ने निवेदन किया व्यक्तियों की दवा फ्री कर दी। उसके बाद जब हमने मांग की मुख्य मंत्री महोदय, जानवरों की दवाइयां भी फ्री की जायें। पशु बोलता नहीं है और आज जो किसान खेती करता है। एक आदमी बीमार हो जाता है तो कहीं पर भी जाकर ए एन एम के पास, डाक्टर के पास खुद भी जाकर दिखा सकता है लेकिन गांव के किसी किसान का पशु यदि बीमार हो जाता है, गाय, भैंस, बकरी बीमार हो जाती है तो उसको किसी साधन से लेकर जाना पड़ता है। दवाई के जितने पैसे नहीं लगते उतने साधन के लग जाते हैं। हमने मांग की दवाइयां फ्री की जाएं...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता और किसानों के हित में पशुओं की दवा भी फ्री कर दी उसके लिये भी हम माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आज इस सब्जैक्ट पर, क्योंकि पिछली बार जब मैं बोल रहा था तो आपने तुरन्त घण्टी बजा दी थी। आज आपने घण्टी नहीं बजायी, पूरा समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और यही कहना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब आप विराजिये। माननीय ज्ञानदेव आहूजा।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): यह किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

में न रहें। 2003 में भी इनका जब कहीं पर मंच टूटा था, अपशकुन हुआ था और इस बार भी इन्होंने एक स्टार्टिंग की है नयी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद मूंडवा में। वहां पर मूहर्त भाई हनुमान जी ने कर दिया। उसके बाद मुकाम के अन्दर विश्नोई समाज ने कर दिया और देव दर्शन यात्रा आपके सामने निकल रही है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय ज्ञानदेव जी। थोड़ा संक्षेप में, आप तो गम्भीर व्यक्तित्व वाले हैं, क्योंकि 9 बजे का टाइम है, तो उसी ढंग से बोलना ठीक रहेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): तो कितना बोलना है आप बता दो। मैं उतना ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: 5 मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): तैयारी तो पूरी है पर उतना ही बोलूंगा जितना आप कहोगे।

श्री उपाध्यक्ष: 5 मिनट, अनुशासन में रहे तो 7 मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 5 मिनट में काम नहीं चलेगा। 5 मिनट में भाईजी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जो चुनकर आयी इससे पहले इन्होंने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं अपने घोषणा पत्र, एजेण्डे और बाद में बजट में भी। जिला स्तर पर किसानों के लिये विश्राम गृहों का निर्माण करेंगे। फसल बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत को भारत सरकार के सहयोग से इकाई बनाने का प्रयास करेंगे। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने का प्रयास करेंगे। किसानों को प्रमाणिक खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि-इत्यादि देंगे। मैं इसको बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं। किसानों के कृषि उत्पादों के उचित मूल्य की सुनिश्चितता करेंगे। यह सब जो दिया उसका और यह भी कहा कि यह सरकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो उठकर चले गये। बाकी मंत्री महोदय नोट करेंगे। यह जो घोषणाएं की हैं किसानों के लिये यह करेंगे, किसानों के लिये वह करेंगे, बड़े-बड़े लालीपाप देकर वोट लिये। कम बहुमत में कपटपूर्ण तरीके से सरकार बनायी। अर्दलीय, निर्दलीय, पर-दलीय, पता नहीं किन-किनको जोड़कर सरकार बनायी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब इनका झूठ का पुलिन्दा है। न संवेदनशील सरकार है, न पारदर्शी सरकार है, न यह किसानों के प्रति गम्भीर है...

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज, ऐसा नहीं बोलते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों का यह कहना है 'लाख छुपाओ छुप न सकेगा यह आपका नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है यह आपका नकली, नकली चेहरा। साथ में किसानों ने यह भी कहा कि हम बड़े दमदार हैं, आपके भरोसे नहीं जीते। आपके भरोसे नहीं जीते। उन्होंने यह भी कहा साथ में कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी, सब मिला करके 'निगाहें मिला करके बदल जाने वालो हमको आपसे बहुत शिकायत भरी पड़ी है, हम अश्कों से, आंसुओं से, हम अश्कों से सारे जहां को डुबो दें मगर हमको रोने की आदत नहीं है' यह किसानों ने कहा। अब आप क्या कहेंगे? असत्य घोषणा करके आपने किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आंकड़े बहुत हैं लेकिन मैं उनमें से कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

इस वर्ष मई, 2012 तक अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में गेहूं की खरीद अत्यन्त कमजोर रही। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 4 प्रान्तों की ही तुलना मैं कर रहा हूं।। पंजाब में उत्पादन हुआ 147 लाख 73 हजार टन और उसमें से खरीदा गया 128 लाख 257 हजार टन, प्रतिशत लिया 86.64 है। हरियाणा में पैदा हुआ 118 टन, यह टनों में है और उसमें से खरीदा गया 40 लाख 52 हजार 7 सौ क्विंटल, यह रहा 73.32 प्रतिशत। मध्य प्रदेश में कुल उत्पादन हुआ 104 लाख टन उनमें से खरीदा गया 84 लाख 85 हजार 818, 81.59 प्रतिशत। राजस्थान का देखिये। बहुत चिल्लाते हैं। अभी बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे माननीय सदस्य।

राजस्थान में हुआ 51 लाख 35 हजार 848 टन और उसमें से मात्र, मात्र, अच्छी तरह नोट कर लें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 लाख 93 हजार 674 यानि कि कुल 17.44 लाख टन, आपका क्या प्रतिशत है? पंजाब का 86.64, हरियाणा का 73.32 और मध्य प्रदेश का 81.59 प्रतिशत और आपका केवल 17.44, बहुत डींग हांकते हैं, बहुत डींग मारते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा कैसे सम्भव हो सकता है? यह आंकड़ा सही है क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आंकड़ा सही है। मैं आंकड़े के लिए दावा करता हूं। मेरे दस्तखत करके टेबल करता हूं। यह आंकड़े बिलकुल सही हैं। कुल 17.44 प्रतिशत लिया गया है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

उपाध्यक्ष महोदय, 2011 में भी इसी प्रकार से गेहूं की खरीद में मध्य प्रदेश में 90 लाख 65 हजार हुआ कुल उत्पादन, उनमें से 54.88 प्रतिशत खरीदा गया। छत्तीसगढ़ में 91 लाख टन हुआ और 55 लाख टन खरीदा गया, 60.43, हरियाणा में 114 लाख 62 हजार पैदा हुआ और खरीदा गया 69.28, प्रतिशत 60.44, राजस्थान में 104 लाख 24 हजार में से 13.03 लाख टन, प्रतिशत रहा 12.50, यह है दुर्भाग्य किसानों का आपके राज में। यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खरीद केन्द्रों की संख्या, यह आंकड़े वह हैं जो अधिकृत हैं। कृषि अधिकारी बैठे हैं और आप सब माननीय सदस्य बैठे हैं। मध्य प्रदेश में 2100 खरीद केन्द्र बनाये गये। छत्तीसगढ़ में 1800 केन्द्र बनाये गये। पंजाब में 1750 केन्द्र बनाये गये। हरियाणा में 374 केन्द्र बनाये गये और राजस्थान में मात्र 318 खरीद केन्द्र बनाये गये। यह स्थिति है आपकी। खरीद के लक्ष्य भी उससे आगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 2012 की खरीद के लिए प्रारम्भिक लक्ष्य पंजाब में अब 108 लाख टन, आगे आने वाले। हरियाणा में 70 लाख टन, मध्य प्रदेश में 65 लाख टन और राजस्थान में मात्र 14 लाख टन का आंकड़ा अधिकारियों ने आपको दिया है। यह इस समय आपकी स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो किसानों को घाटा हुआ इस खरीद नहीं होने के कारण। सरकारी मूल्य पर नहीं खरीदा गया, इसके कारण जो घाटा हुआ। वह इस प्रकार से है। किसानों को अपना गेहूं खुले बाजार में बेचने से 1 अरब, 42 करोड़ 81 लाख 27 हजार 700 रुपये का घाटा हुआ, जो निम्न सारणी से प्रकट है। कोटा में 19 लाख 16 हजार 712, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1385 रुपये से कम अंतर पर 285 रुपये का नुकसान, यानी की 54 करोड़ 62 लाख 820, इसी प्रकार से बूंदी में नुकसान हुआ, खुले बाजार में बेचे गये गेहूं क्विंटल में 10 लाख 49 हजार 506 और नुकसान हुआ 285 रुपये के हिसाब से 29 करोड़ 91 लाख 9 हजार 210, अलवर में खुले बाजार में बेचा गया गेहूं 2 लाख 30 हजार 712 और नुकसान हुआ 5 करोड़ 42 लाख 17 हजार 320, इसी प्रकार से भरतपुर में, बारां में, झालावाड़ में, टौंक में टोटल मिलाकर के, मैं सबके आंकड़े पढूंगा इसमें समय लगेगा, क्योंकि मुझे और भी आपको जानकारी देनी है। कुल टोटल नुकसान हुआ 1 अरब, 42 करोड़, 81 लाख 27 हजार 700 रुपये

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

किसानों को। यह राजस्थान में नुकसान हुआ आपके रहते हुए। मक्का, उड़द, मूंग, मूंगफली इन सबका भी टोटल है, इसमें काफी समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, दीपावली का उपहार भी देना चाहते थे। आप बड़ी-बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि 100 रुपये बोनस की बजाय 150 रुपये बोनस किया है। आपने किसानों को पूरी तरह से ठगा है। किसानों को पूरी तरह से आपने बेवकूफ बनाया। राजस्थान का किसान आपके कर्मों को, आपकी सरकार को रो रहा है। यह मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आंकड़े और भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 61 प्रतिशत राजस्थान की अभी ऐसी धरती है जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। आपके 5 वर्षों में कृषि की अवनति हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: करीब 10 मिनट हो गये हैं आपको, 15 सैकण्ड बाकी हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रख देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षेप में पूरी बात करें। संक्षेप में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): संक्षेप में ही बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत अच्छा बोल रहे हो। आंकड़े हैं, सब है। पूरा सदन दत्तचित्त होकर सुन रहा है। केवल थोड़े समय की बात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गौ-वंश की क्या दुर्गति है। यह सब आंकड़े हैं, यह सब फोटोज हैं। विज्ञप्तियां हैं कि कितनी गौकशी और कितनी गौ तस्करी है।

श्री उपाध्यक्ष: महेन्द्र जी चौधरी क्या कह रहे थे, किसान तो वह हैं, यह नहीं हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): डेयरी में सिंथेटिक दूध पहुंचा है। उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी में क्या पहुंच रहा है और डेयरी के दूध को हम कैसे पी रहे हैं। यह अखबारों के आंकड़े नहीं हैं, वास्तविक आंकड़े हैं। मेरे जिले में 17 जगह सिंथेटिक दूध पकड़ा गया जो यूरिया से, खाद से और ईजी से बनता है। यह पशुपालन से सम्बन्धित जानकारी दे रहा हूं। डेयरी में दूध में कास्टिक से सफाई होती है। डेयरी के दूध में मुलतानी मिट्टी मिलाई जाती है। डेयरी के दूध में मीठा सोडा मिलाया जाता है। डेयरी के दूध में चूना मिलाया जाता है। डेयरी के दूध में सोप स्टोन मिलाया जाता है। डेयरी के दूध में साबुन का फोम

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मिलाया जाता है। यह भी आपके अखबारों में आया। यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक मीटिंग हुई। जिसमें सभी विधायकों को बुलाया गया। मैं भी उसमें उपस्थित था। बाकी सबके साथ में मेरा उनको सुझाव था कि अमेरिका में कैलीफोर्निया प्रांत में 20 से 25 हजार गौ वंश है। उससे वहां 15 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, गाय के गौ-मूत्र से। क्या भारत में ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती है? बाकी गाय के दूध, घी का उपयोग अलग है। यह कैलीफोर्निया का आपको एक उदाहरण दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन की जिस मांग संख्या 48 पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि पहले बूचड़खानों के लिए लाइसेंस होते थे। पशुपालन डाक्टर और सेनेटरी इंस्पेक्टर नगरपालिका, नगर परिषद का वह उस पर मुहर लगाता था। अब तो हमारे जिले में स्थिति यह है कि हर एक-दो किलोमीटर पर बकरे कट रहे हैं। हर एक-दो किलोमीटर पर भेड़ कट रही हैं। कोई मुहर नहीं है सेनेटरी इंस्पेक्टर की और कोई मुहर नहीं है पशुपालन डाक्टर की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक-दो किलोमीटर पर मुर्गे कट रहे हैं, बकरे और भेड़ कट रहे हैं। अब तो भैंसे और पड्डे भी सार्वजनिक रुप से कट रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ऊंट कटना भी चालू हो गये हैं। ऊंटों की तस्करी हुई, गौ की तस्करी हुई, भैंस, पड्डे की तस्करी हुई। इन बूचड़खानों का कोई लाइसेंस नहीं है। किसी तरह का नगरपालिका, नगर परिषद या निगम के द्वारा कोई लाइसेंस नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि कृषि का बजट बहुत कम रखा गया है। कृषि के बजट को हम बढ़ायें तो ही काम होने वाला है। आई डब्ल्यू एम डी योजनान्तर्गत 5860 करोड़ रुपये की परियोजना के संचालन हेतु जल ग्रहण विकास विभाग को अधिकृत किया गया है। जिसमें लगभग 60 प्रतिशत तकनीकी पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को भरने हेतु ना तो विभागीय पदोन्नति की जा रही है और ना ही भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा नियुक्त उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की कोई पदोन्नति भी नहीं की जा रही है। जिसके कारण उक्त कनिष्ठ

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अभियन्ताओं को एक ही पद पर कार्य करते हुए 15 से 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी पड़ रही है। क्या कृषि मंत्री, जो पशुपालन मंत्री भी हैं उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक करेंगे, यह भी कृपा करके नोट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ में आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी जो गेहूं के खरीद केन्द्र बनाये गये हैं, उनमें पक्षपात किया गया है। मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं गोविन्दगढ़ मंडी में होता है, बड़ौदामेव में होता है और नौगावां जो हरियाणा के बार्डर पर है।

(20.00 बजे)

कृषि का केन्द्र, खरीद का केन्द्र नहीं बनाया गया है, उसका कारण है कि पक्षपात किया गया है और नौगांवां हरियाणा के बोर्डर पर है, सारा का सारा गेहूं हरियाणा बोर्डर पर जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, कृपा करके इसको खोलें। दो मिनट लूंगा बस। इसके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में रामगढ़ में सब्जी होती है, सब्जी मण्डी का यार्ड नौगावां में हो और साथ में अगर गोविन्दगढ़ में कृषि उपज मण्डी बनाई जाये तो यह बहुत बड़ा सरकार का अहसान होगा।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक सैकण्ड साहब। मैं दो मिनट बोला, आपने एक सैकण्ड दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट तो बहुत होंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का नौगावां अनुसंधान केन्द्र, उसमें बहुत बड़े घोटाले चल रहे हैं। खाद की अवैध खरीद हुई, नकली बीज की खरीद हुई, कोई रिसर्च नहीं है, 450 बीघा जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, वहां व्यक्तिगत, प्राइवेट लोगों को ठेका दिया जाता है या प्राइवेट लोगों का उस जमीन पर कब्जा है। सरकार इसकी भी जांच कराये। इसके साथ में अंत में एक घोटाला बहुत बड़ा जो कृषि उपज मण्डी अलवर का है और हर महीने लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये का चीनी, खाण्डसारी, गुड़...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। माननीय श्री भगवान सहायजी सैनी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मण्डी से बाहर आ रहा है, उसका टैक्स

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जमा नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी भी जांच सरकार करावे और इन बातों पर ध्यान दिया जाये और कृषि उपज अनुसंधान केन्द्र खोला जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सैनीजी, थोड़ा संक्षेप में, जैसा इन्होंने कहा, यह तो बहुत लम्बा बोल लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

हुंकारों से सत्ता की नींव उजड़ जाती है,
सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाते हैं
हमारी रोके राह समय में ताव कहां? (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का भला अब तक किसान पार्टी ने किया है और किसानों का भला कांग्रेस ही कर सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार केन्द्र सरकार ने किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार किसानों का भला कर सकती है। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश में फल व सब्जी का विक्रय मण्डियों में ही करने की बाध्यता को समाप्त किया है। इससे उपभोक्ता को तो फायदा होगा ही किसान को भी फायदा होगा, वह उसको जहां चाहे बेच सकता है। अब तक जो मण्डी में माल बिकता था उस पर टैक्स लगता था, वह टैक्स भी उपभोक्ता पर पड़ता था, अब इससे उपभोक्ता पर काफी फर्क पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जायेगा। अभी हमारे पूर्व कृषि मंत्री कह रहे थे, किसानों को अनुदान नहीं चाहिये, अच्छे बीज चाहिये, अच्छे उर्वरक चाहिये, फिर चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश में 150 रुपये बोनस मिल रहा है, जब अनुदान चाहिये ही नहीं तो मध्य प्रदेश की चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी यहां? यहां अभी हमारे साथ महेन्द्र जी चौधरी, जो नावां से आते हैं, उन्होंने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा करती है, घोषणा के अलावा कोई काम किसान के लिए नहीं करती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में कोटा, जोबनेर, जयपुर, जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय और

(श्री भगवान सहाय सैनी)

भीलवाड़ा और भरतपुर में नए कृषि महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित किया है, निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्थापित होने से हमारे किसान परिवारों को काफी लाभ मिलेगा और आगे जाकर किसानों को इसमें काफी फायदा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि चौमूं भी एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए चौमूं में भी एक कृषि महाविद्यालय स्थापित किया जाए जिससे वहां के किसान परिवारों को फायदा हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खरीफ की फसल के लिए यूरिया, डीएपी, मिश्रित उर्वरक और सिंगल सुपरफास्ट का अग्रिम भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है। इसमें मेरा अनुरोध है कि इनका अग्रिम भण्डारण कर तो लिया जाता है लेकिन यह किया जाता है कहां? दूसरे स्टेट में या बहुत लम्बी दूरी पर। जब सीजन आता है, यूरिया की आवश्यकता होती है, डीएपी की आवश्यकता होती है तो बात करते हैं, कहते हैं कि कोटा में रैक उतर रहा है, भरतपुर में रैक उतर रहा है, और यहां आते-आते फसल बो दी जाती है और प्राइवेट लोगों से ज्यादा पैसे, ऊंचे पैसे, ऊंची कीमत लेकर डीएपी या यूरिया किसान लेते हैं तो मेरा अनुरोध है कि जयपुर में ब्रोड गेज ट्रेन है तो रैक भरतपुर या कोटा क्यों उतारते हैं, यह कैसी व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था जयपुर में स्टाक करवाने की की जाये तो समय पर जयपुर में उसका निष्पादन करने से वहां पहुंचाया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प सैट स्थापित करने का लक्ष्य इस बार 10 हजार किया गया है और जिसके लिए अनुदान देने हेतु 280 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरा निवेदन है कि इसको बढ़ाकर 20 हजार सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट और अनुदान राशि 560 करोड़ रुपये किया जाये जिससे किसानों को लाभ हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसका विस्तार करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कृषि पर्यवेक्षक के पदस्थापन की व्यवस्था हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूरिया और डीएपी काफी महंगा हो चुका है, डीजल भी काफी महंगा हो गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन किसानों को राहत देने के लिए जो कृषि विद्युत शुल्क है, 10 एच पी पावर की

(श्री भगवान सहाय सैनी)

मोटर तक का जो विद्युत शुल्क है उसको नि:शुल्क करके हम किसानों को राहत दे सकते हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि किसानों का 10 एच पी तक का कृषि विद्युत शुल्क है वह नि:शुल्क किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा पूर्व में राशि उपलब्ध होती थी उससे वे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनवाती थी, निर्माण करवाती थी। दो साल से यह प्रक्रिया बन्द कर दी गई है और पी डब्ल्यू डी सड़कें बना रही है। पी डब्ल्यू डी सड़क केवल नोर्म्स के अनुसार ही बनाती है। आबादी 250 से 500, पी एम जी एस वाई, वह गांव की सड़क जो किसानों के काम आती है वह सड़क नहीं बनाती है तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय कृषि मंत्रीजी और हमारे कृषि मार्केटिंग मिनिस्टर जो यहां बैठे हैं उनसे निवेदन है कि सुपर और सुपर-ए क्लास मण्डियों में पैसा उपलब्ध है, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह करोड़, उस राशि से सड़कें निर्माण करवाने का प्रावधान पुन: करवाया जाये इससे क्षेत्र की सड़कें बनाई जा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशु पालकों के कल्याण हेतु दूध पर दो रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है जो को-आपरेटिव डेयरी को दूध देंगे उसमें दो रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जायेगा। यह घोषणा स्वागत योग्य है। 10 हजार डेयरी बूथों की स्थापना करने का लक्ष्य है, इससे 10 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनके साथ में अन्य 20 हजार लोगों को भी इससे काम मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं को नि:शुल्क दवा योजना एक कल्याणकारी योजना है और दवाओं की संख्या 87 से बढ़ाकर 110 की जा रही है, और यही नहीं जो जानवर हैं उनको हास्पिटल नहीं ले जाया जा सकता, इस बात को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वेटेनरी एम्बुलेंस की घोषणा की है, जल्दी ही वह चालू की जायेगी तो निश्चित रूप से एक तहसील में एक वेटेनरी एम्बुलेंस उपलब्ध होगी तो जानवर के बीमार होने पर फोन करते ही जैसे 108 एम्बुलेंस, 104 एम्बुलेंस पहुंच जाती है, वेटेनरी एम्बुलेंस भी पहुंच जायेगी जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 200 पशु चिकित्सालय और 400 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। चौमूं तहसील पशु धन बाहुल्य क्षेत्र है मेरा पशुपालन मंत्रीजी से

(श्री भगवान सहाय सैनी)

निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर पशु उप केन्द्र व ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोले जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं किसानों के लिए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने बहुत कुछ किया है और इस बजट में भी काफी प्रावधान रखे हैं और जो सामने आ रहे हैं, अभी हमारे...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में, संक्षेप में।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): आहूजा साहब कागजों का करके, तो सामने वाले तो कागजों का करके, आंकड़े दिखाकर केवल भ्रमजाल फैलाने का काम करते हैं। किसान के हित का काम कोई करता है, कल्याण का काम कोई करता है तो वह कांग्रेस ने किया है और करती रहेगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। राधेश्याम जी, कुछ कहना चाहते हैं आप?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नाम नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य 32 हैं, 4 बोल चुके हैं, 28, माफ करना...(व्यवधान) तो बोलने दो, समय आपके नौ बजे तक का है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। पांच-पांच मिनट कोई अधिकतम ले माननीय सदस्य और आसन के ऊपर नाराजगी नहीं निकाले तो मैं आप सबकी इजाजत हो तो पांच-पांच मिनट में कोई ज्यादा देना नहीं चाहता। (व्यवधान) रोहिताश्वजी, अपन तो छोटे थे तब से जान पहचान है इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आसन पर नाराजगी तो कर सकते हैं, आसन का आदेश तो मान लेते हैं लेकिन नाराजगी जाहिर करना तो माननीय सदस्य का अधिकार होता है इसलिए मेरा अर्ज करना है कि दोनों पार्टियां नाम इतने लिखकर देती हैं वह कुछ तो ढंग से लिखे तो कम से कम अच्छा लगता है।

इसलिए मैं तो आपसे अर्ज करूंगा कि आप पांच मिनट में समाप्त कर दीजिएगा। श्री राधेश्याम जी गंगानगर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कम से कम 15 मिनट तो रखें साहब। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): साहब, पांच मिनट में तो भूमिका ही नहीं बनती है। कोई मैम्बर नहीं बोल सकता, ये तो फार्मेलिटी हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो दो बजे तक, हां पांच-पांच कर दो, हमारा मौका नहीं आया, हमें कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 37 और 39 के विषय में अपने आपको सम्मिलित करते हुए थोड़ा बहुत मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा क्योंकि आपने जैसा कहा है, पांच मिनट तो नहीं, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपकी बात का पूरा पालन करूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि वैसे तो कृषि मंत्रीजी यहां हैं नहीं, अब किसको सुनाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार बैठी है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहीं, वह तो नोट करने वाले, जिनको बोलना है और उत्तर देना है, वह यहां मौजूद नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा होता है, मैं 1980 से इस सदन का सदस्य हूं, ऐसा हमेशा होता है और हमारे दोनों तरफ के लोग ये कहते हैं किसान जो है, वह हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। भाषण देते हैं जब किसान के नाम से और हमारे लिए वह देवता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राधेश्याम जी, आपको दोनों पक्षों का कैसे ज्ञान है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं कहता हूं सारे के सारे ये किसान का नाम लेते हैं। उधर से हो चाहे इधर से हो, आप देख लो, आप जब से सुन रहे हो। इधर से भी और उधर से भी किसान के लिए कहा जा रहा है किसान के बिना भारत में कुछ है भी नहीं और हमारा तो वास्तव में गंगानगर जिले का तो कल्चर ही एग्रीकल्चर है, हम तो उनके बिना जी ही नहीं सकते, हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह रेलवे का बजट भारत सरकार पेश करती है अलग से, उसी तरह कृषि का बजट अलग से पेश होना चाहिए, कृषि के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर ऐसा विश्लेषण होना चाहिए कि पूरा प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान को एक नया मार्गदर्शन दे। जब तो हम मानेंगे कि इस सरकार ने और किसी मंत्री ने कुछ किया है। वास्तव में हम करते क्या हैं, दो साड़ियां फ्री दे दीं, कम्बल फ्री दे दिया, उससे किसान की हालत सुधरने वाली नहीं है। किसान की हालत आपने गेहूं का रेट 1350 रुपया कर दिया और 150 रुपया बोनस भी दे दिया लेकिन यह हिसाब तो लगाओ कि आपकी खाद की कीमत पहले 400 रुपये थी फिर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

600 रुपये हुई, फिर 800 हुई और फिर 1200 रुपये हो गई और आपको मजदूर पहले जो सौ रुपये में मिलता था, आज तीन सौ रुपये में भी नहीं मिल रहा है और किसान का खुद का लड़का काम करना नहीं चाहता, किसान को काम करने वाला आदमी ही नहीं मिलता, मजदूर तो गया नरेगा में, यहां की मिट्टी उठाओ और फैंको और नरेगा पाओ। यह तो मतलब नरेगा की जो हालत है, मैंने कई बार सुझाव दिया है कि नरेगा को किसान के साथ जोड़ना चाहिए। 50 परसेंट पैसा गवर्नमेंट दे और 50 परसेंट पैसा किसान दे ... (व्यवधान) आपका जब नम्बर आए, मेरे प्यारे भाई, मैंने तो थोड़ा सा बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राधेश्याम जी, आप उनसे प्रभावित मत होइए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अच्छा, अच्छा। ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: आप मजबूती से बोलिए, उनकी अनसुनी कर दीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा आप भी नहीं बोलने दोगे और ये भी नहीं बोलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वह प्रभावित करना चाहते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिला सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को रेवेन्यू देता है। 26 लाख क्विंटल का, आपने टारगेट रखा है सरकार ने खरीदने का, 20 लाख गंगानगर देता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। आप बताओ और उसके बाद हम यह कह दें कि हमने 1300, साढ़े 1300 रुपये रेट कर दिया और डेढ़ सौ रुपया जैसे कोई भीख देते हैं, आप साढ़े 1500 रुपये दे रहे हैं, मध्य प्रदेश और आप साढ़े 1500 रुपये रेट कीजिए और 200 रुपये बोनस दीजिए। क्या जरूरत है साड़ियों की और क्या जरूरत है कम्बल की? किसान को दो न, खाद बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, एक एकड़ में, एक बीघा जमीन में अगर किसान नरमा कपास बीजता है तो 4200 रुपये खर्च होते हैं और 4000 और 4500 रुपये उसका रेट है, किसान रो रहा है, कहता कुछ नहीं, अन्दर बैठकर अपने खेत से वही कोई छोटी-मोटी सब्जी लेकर, चटनी बनाकर अपना पेट भर लेता है और हम सोचते हैं किसान खुशहाल है, सारे देश में आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, कर्जा है किसान पर, बड़ा भारी, और बड़ा भारी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

पीड़ित है किसान। किसान की फसल का मुआवजा, अब सरसों की रिसर्च बात कर रहे थे, गंगानगर जिला और भरतपुर जिला, सरसों के सिरमौर अलवर, भरतपुर और गंगानगर हैं पूरे राजस्थान में, कहां रिसर्च होती है, गंगानगर में और यहां 5 क्विंटल से ज्यादा सरसों हम नहीं प्राप्त करते किसान जब कि हमारे गुजरात में 12 क्विंटल, क्यों नहीं रिसर्च करते, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं अच्छी किस्म के बीज देते, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो और आपके सामने कटोरा लेकर न खड़ा रहे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे को मालूम है, इन बातों का असर, कृषि मंत्री महोदय पधार गये हैं, कृपा है इनकी, मैं इनसे निवेदन करूंगा, मौका है, माई के लाल, फायदा उठा ले, और किसानों के लिए कर दे, बिजली फ्री, एक पैसा नहीं लगे और 8 घंटे बिजली देंगे। जब तो कोई बात होगी, ...(व्यवधान) मैंने अपने इलाके की बात ही नहीं की, आप इस तरह तो ना करो। हमारे यहां सबसे बड़ा लजब कृषि का, एक मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि हमारा कल्चर ही एग्रीकल्चर है। हमारे यहां, श्रीमान जी, एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय की बड़ी भारी समय से डिमांड है, आज तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, दूसरी तरफ खुल रहे हैं पर गंगानगर का नाम लेते ही तबीयत खराब होने लग जाती है, नब्ज बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है, विश्वविद्यालय का तो वह गंगानगर का हक है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, गंगानगर तो कृषि के लिए विख्यात है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): तो कृषि विश्वविद्यालय ही नहीं है ...(व्यवधान) जो चीज चाहिए, वह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: और वहां के विधायक सब के प्यारे विधायक हैं, पूरे सदन के।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हां, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह कैसे सम्भव हो सकता है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): किसान को उन्नत किस्म के बीज, ये बीजों का झगड़ा हमारे कृषि मंत्री के सामने आया था, इसके कैसे बीज मिलते हैं, और दो महीने तक लोगों ने वहां धरना दिया, भूख हड़ताल की, यहां

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आए, बड़े झगड़े हुए, अखबारें रंग गये, न तो कोई लेबोरेटरी है, न कोई टैस्ट करने वाला है, और न बीज की तरफ कोई ध्यान है, लुट रहा है किसान, खूब लूट रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं। टिश्यु कल्चर प्रयोगशाला गंगानगर में बनाई गई थी लेकिन एक दिन का भी उसका प्रयोग, न तो कोई प्रयोगशाला में मशीन है टैस्ट करने वाली, न कोई उसको चलाने वाला व्यक्ति है, न कोई पोस्ट है, जब कि ये कई सालों से घोषणाएं करते आ रहे हैं।

इसी तरह, मैं यह निवेदन करूं कि हमारा इलाका जिसमें किन्नू की बहुत भारी फसल होती है और किन्नू एक ऐसा अमरीका ने शोध किया है कि किन्नू का ज्यूस अगर दो महीने आप पी लोगे तो किसी किस्म की बीमारी आपको नहीं होगी, ये आपको मैं नहीं कह रहा, यह अमेरिका में शोध हुआ है। किन्नू का ज्यूस दो महीने रोज एक गिलास, ज्यादा की जरूरत नहीं है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किन्नू किसको कहते हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): किन्नू कहते हैं आपके अन्दर खून को साफ करके उसमें ऊर्जा का विस्तार करता है। किन्नू एक ऐसी चीज है।

श्री उपाध्यक्ष: माल्टा, माल्टा को किन्नू कहते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): किन्नू और माल्टा अलग-अलग चीज हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो गंगानगर बहुत रहा हूं, नई बात बता रहा हूं आपको।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहीं, आप तो सब जानते हो, आप तो जान बूझकर मजे ले रहे हो, किन्नू एक ऐसी चीज है ...(व्यवधान) किन्नू के लिए सरकार ने घोषणा की कि गंगानगर में किन्नू की मण्डी अलग चले। (व्यवधान) मिडिल कंट्री उसको ऐसे लेती हैं, एक मिनट, जो यहां सौ रुपये का मिलता है, वह वहां एक हजार रुपये का बिकता है लेकिन इस विषय पर न तो कोई मण्डी का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आंजना जी, आप बोलना चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): किन्नू वहीं से पीते न, बीमारी का, बाईपास का इलाज क्यों कराना पड़ा? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जैसा मेरे भाई आदेश करेंगे वैसा करेंगे। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे कृषि मंत्री को ध्यान रखना चाहिए कि 40 दिन की बंदी आ रही है, नहर जो बंद हो रही है तो किन्नू की फसल, किन्नू के बाग़ खत्म हो जाएंगे। किन्नू के लिए वहां ज्यूस की फैक्ट्री होनी चाहिए, प्रोसेसिंग प्लांट होने चाहिए। जब पूरी मिडल कंट्री और पूरा देश उसका चाहता है और किन्नू की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। किन्नू का छिलका भी काम आता है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। आपको 12 मिनट हो गये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं अभी आपके आदेश की पालना करूंगा। कृषि मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल आपके सामने गंगानगर में बारदाना लेट मिला, लोगों के गेहूं भीग गये, किसान रोते रहे, बड़ा भारी झगड़ा हुआ और उसके बाद गंगानगर के लिए तीन रैक आये थे जिनमें से दो रैक तो पंजाब को भेज दिये गये, एक कोटा भेज दिया गया और गंगानगर सूखा रह गया।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीय श्री मेवाराम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अगर इसी तरह के हालात रहे तो आपका टार्गेट पूरा नहीं होने वाला है। मैं एक मिनट में कर रहा हूं। श्रीगंगानगर में कृषि आधारित उद्योग एक भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मेवाराम जी, अनुपस्थित।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जबकि हमारा गंगानगर का कल्चर एग्रीकल्चर है और यह मैं पहले भी कह चुका हूं। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो बिल्कुल दो बातें ही रह गई हैं, कोई खास बात नहीं हैं। रासायनिक खाद से जो बीमारियां हो रही हैं और जो हमारी जैविक खाद बनती है उसके लिए गंगानगर में बहुत बड़ा स्कोप है, उसके लिए वहां एक बहुत बड़ा प्लांट लगना चाहिए। अगर जैविक खाद पड़ेगी तो जितनी बीमारियां फैल रही हैं उनसे हम निजात पा लेंगे और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजीव गांधी कृषक साथी योजना के बारे में कहना चाहता हूं। योजना तो है काम कहां है उसका? केवल नाम ही नाम है, काम नहीं है और अगर काम हो तो कृषि मंत्रीजी बता देंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा और जरूरी बात कहकर मैं भी बैठ जाऊंगा। कृषि मंत्रीजी, अप्रैल में सिंचाई विभाग बंदी लेने जा

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

रहा है तो सारे बाग़ उजड़ जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। सब लोग आपके घर आकर बैठ जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, समाप्त करें माननीय राधेश्याम जी। माननीय श्री रमेश जी खण्डेलवाल नीमकाथाना।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप सिंचाई मंत्री से बात करके इसको डायवर्शन देकर नहर बननी चाहिए, बंदी नहीं लेनी चाहिए। उसका डायवर्शन देकर उसका कार्य पूरा होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन की अनुदान मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये रमेश जी, केवल आपका ही अंकित हो रहा है। मैंने आपको इजाजत दी ही नहीं, आप विराजें। माननीय श्री रमेश जी खण्डेलवाल। केवल रमेश जी खण्डेलवाल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी विपक्ष के पूर्व कृषि मंत्री महोदय जिस तरीके से बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने कृषकों के लिए कुछ नहीं किया। पांच साल तक उनका बिजली का बिल न बढ़ाना और पिछली साल....

श्री उपाध्यक्ष: आपसी छींटाकशी के बजाय आप अपने क्षेत्र की बात बताओ। ये तो वो कह गये, अपने क्यों पकड़ते हैं उनको।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं वो ही बताऊंगा। पांच साल के लिए बिजली का बिल न बढ़ाना और इसी के साथ-साथ एक लाख रुपये तक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण 10500 करोड़ के लगभग जो इस सरकार ने दिया.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह गलत है, असंसदीय है। आप पुराने मैम्बर हैं गलत शब्द शायद असंसदीय होगा तो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): आप सन् 1980 से आ रहे हैं। राधेश्याम जी, आप बोल रहे थे जब हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, आप सन् 1980 से बराबर आ रहे हैं और जब हम अपनी बात कह रहे हैं तब आपको दर्द हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राधेश्याम जी, आप उनको उत्तेजित नहीं करें। (व्यवधान) आप उनको बार-बार उत्तेजित कर रहे हो। (व्यवधान) आपसे यह आशा नहीं थी। आप बहुत उत्तेजित कर रहे हो उनको।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): गंगानगर के नहर के लोगों का बिल्कुल बंद है। आप यहां रिमोट एरिया जाकर देखें जिन किसानों ने ऋण लिया है वो आप देहात में जाकर देखिये। वहां गंगानगर का पानी ज्यादा बहाकर बड़े किसानों के रूप में मान रहे हो अपने आपको।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात करिये न।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): छोटे किसान के पास जाकर देखिये कि उसने किस तरीके से इस 10500 करोड़ रुपये का फायदा उठाया। मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा कि अब मुख्य मंत्री महोदय ने डेढ़ लाख रुपये तक की सीमा बढ़ाकर 15000 करोड़ की व्यवस्था की है यह किसानों को मिलने वाला डायरेक्ट लाभ है जो अपने आप में कीर्तिमान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बोनस के रूप में पिछली बार 100 रुपये दिया गया, अबकी बार बढ़ाकर 150 रुपये दिया गया। अभी ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, राजस्थान के बजट को देखने के बाद, कल हम टी.वी. देख रहे थे तब वहां मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने 50 रुपये जो बोनस के बढ़ाये वो अनुकरणीय उदाहरण है और वो राजस्थान को देखकर बढ़ाये हैं। आप बार-बार मध्य प्रदेश और गुजरात की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों के हित में यह सरकार हमेशा काम करती रही है और जिस तरीके से किट जो बीज के और दलहन के मामले में राजस्थान ने कीर्तिमान कायम किया यह अपने आप में एक उदाहरण है हम सब के लिए। किस तरीके से पिछली बार ये लोग लम्बे समय से आंदोलन करते थे, दाल हो गई सवा सौ रुपये, सौ रुपये लेकिन राजस्थान के किसानों ने इस समस्या का सामना ही नहीं किया बल्कि एक रिकार्ड स्थापित करके दिखाया कि हम दलहन भी पैदा कर सकते हैं और उस दलहन में नेशनल लेवल पर इनाम प्राप्त हुआ है हमारी

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

सरकार को। यह अपने आपमें कीर्तिमान नहीं है क्या? मैं नीमकाथाना क्षेत्र के लिए कृषि मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि हमारे यहां डेयरी का कोई प्लांट नहीं है। हमारे पास में ही हरियाणा की सीमा है। ज्यादातर दूध यहां से हरियाणा में बिकने के लिए चला जाता है। अभी-अभी बबाई के पास में एक छोटा सा प्लांट लगाया गया है। कृषि मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मिडल क्लास के किसानों के लिए जहां डार्क जोन हो गया तो कोई व्यवस्था नहीं है अगर खेती नहीं हो पाती है। अगर मानसून मेहरबान नहीं हुआ तो आप यह मानकर चलना कि डार्कजोन में जमीन में पानी है नहीं, मिडल क्लास के किसान के पास एक ही साधन बच गया कि वो अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए दूध पर आधारित हो। दूध पर आधारित होने के लिए आपको नीमकाथाना में डेयरी प्लांट लगाना चाहिए। उस डेयरी प्लांट के साथ-साथ सारी व्यवस्थाएं हों जिसमें एक मोबाइल वैन हो, उसी के साथ पशु आहार की भी अच्छी व्यवस्था हो। पशुओं की देखरेख करने के लिए आप अपने डेयरी उद्योग को इस तरीके से विकसित कीजिए जैसा को-आपरेटिव सैक्टर में किया जाता है। अभी राधेश्याम जी बता रहे थे उसमें कोई दो राय नहीं है कि कृषि आधारित यह देश है जिसका 80 प्रतिशत आम आदमी कृषि पर आधारित है और वहां का बजट जब पेश होता है तो उसको महत्व बहुत कम दिया जाता है इसलिए इसका अलग से बजट दिया जाना चाहिए। इससे सम्बन्धित जो यूनिट्स हैं चाहे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं चाहे और कोई यूनिट्स हैं उनको इसके साथ जोड़कर इस बजट का बड़ा रूप बनाकर पेश किया जाना चाहिए। उसके लिए आम लोगों को और आम आदमी को फायदा मिलेगा।

यहां कृषि उपज मण्डी से सम्बन्धित मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो कृषि उपज मण्डी में प्रोसेसिंग यूनिट और सीड ग्रीडिंग की जो यूनिट लगाई है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे लेकिन इसके साथ-साथ हम आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे। आम किसान अपनी सीड ग्रीडिंग के साथ अगर उस प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरता है तो उसको अच्छा लाभ मिलता है, आप मेहरबानी करके रीको से आधारित जो-जो फैसेलिटी रीको ने दी है वो फैसेलिटी आप कृषि उपज मण्डी में भी आम किसान को, आम छोटे व्यापारी को यूनिट्स देने की पूरी बड़ी योजना बनाएं जिससे आम लोगों को लाभ मिले। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि सब्जी मण्डी में ले जाने की जरूरत नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

मेरी मांग रख रहा हूं और तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। वो तो हमें गालियां दे रहे थे, धक्का मार रहे थे, बार-बार सरकार को बदनाम कर रहे थे, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि सब्जी अब सब्जी मण्डी में ले जाने की जरूरत नहीं है। यह बात आप आम छोटे सब्जी उत्पादक से पूछें कि जब वो जाता था तो लेने की और देने की दोनों की दिहाड़ी बीच में काटकर, कमीशन काटकर किस तरीके से छोटे किसान को जो सब्जी पैदा करता था उसको तंग किया जाता था तो यह मुख्य मंत्री महोदय का अपने आप में सराहनीय कदम है। हमारे कृषि मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरा उनसे यह निवेदन है कि दो रुपये प्रति किलो आपने उस दूध पर बोनस तो दिया जो दूध हम डेयरी को सप्लाई करेंगे लेकिन डेयरी उद्योग को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए आप एक बड़ा कार्यक्रम बनायें। जितनी भी गौशालाएं खोली जा रही हैं, हर गांव और छोटी-छोटी ढाणियों में गौशालाएं बनाई जा रही हैं, अगर इनको रिजल्ट ओरियंटेड बनाने की कोशिश करें, जिसमें अच्छी डेयरी, अच्छी दूध देने वाली गायें शामिल करें, इसको फायदा और लाभ के ऊपर भी लाने की कोशिश करें तो यह समाज के ऊपर वज़न नहीं होगा...

श्री उपाध्यक्ष: रमेशजी, समाप्त करें। समाप्त करें आप।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ..और ये गायों को बचाने की मेहनत करने के लिए बार-बार हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपनी गायों को भी बचा पायेंगे और आगे इसकी नस्ल को दुग्ध वाली नस्ल भी बना पायेंगे।

मेरा कृषि मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, मेरा क्षेत्र नीमकाथाना डार्क जोन में आता है और उस डार्कजोन में हमारे छोटे किसानों के पास में...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। माननीय पेमारामजी (अनुपस्थित)।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ...कोई व्यवस्था नहीं है। आप मेहरबानी करके एक डेयरी प्लांट दीजिये और उसी के साथ-साथ एक मोबाइल वैन की यूनिट भी दीजिये जिससे वहां के गरीब किसानों को आपका वेटेरिनरी चिकित्सालय एक मोबाइल यूनिट के रूप में उनको सम्भाल सके और ज्यादा से ज्यादा जैसा आप आम गरीबों के हितों का ख्याल करते हो, वह कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओटारामजी देवासी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 39 और मांग संख्या 37 पर जिस तरह से पशुपालन और एग्रीकल्चर, राजस्थान के अन्दर एक बहुत ही बड़ा आय का स्रोत है किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए, उसके बारे में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि विभाग में आपने देखा होगा कि कृषि सम्बन्धी वनस्पतियों जैसे फल, सब्जी, खाद्यान्न की देशी तथा नई प्रजातियों को बचाने के लिए राज्यस्तरीय जर्म प्लाज्मा केन्द्र बनाये जायें। प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा वनस्पतियों और फसलों के देशी किस्मों को बचाने के लिए कृषि फार्म बनाये जा रहे हैं जहां उस जिले की सभी कृषि फसलों, सब्जियों व फलों का जर्म प्लाज्मा कलेक्शन जो कि हमारी भविष्य की खेती के लिए जरूरी होगा, अन्यथा भविष्य में हमारी प्रजातियां व किस्में नष्ट हो रही हैं क्योंकि जब-जब भी संकर किस्में बनी हैं, तब-तब मूल प्रजातियां नष्ट हो गई हैं तथा उस प्रजाति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है तो हमारी मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार व बाजरा भी कहीं न कहीं विलुप्त न हो जाये। इसके लिए जरूरी है कि राज्य स्तर पर जर्म प्लाज्मा कलेक्शन सेन्टर बनाये जायें तथा प्रत्येक जिला स्तर पर कृषि फार्म जहां पर जर्म प्लाज्मा कलेक्शन हो, जो भविष्य की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी जरूरी है।

महोदयजी, वेस्ट लैण्ड व बंजर भूमि का विकास किया जाये और सरकारी बीज उत्पादन फार्म बनाये जायें। सब्जियों के संकर बीज निजी कम्पनियां बहुत महंगे दाम पर बेच रही हैं तथा राज्य सरकार की कोई भी सब्जी बीज उत्पादन योजना नहीं है। वर्तमान में बीज कम्पनियां हमारे वहां सिरोही जिले में जैसे टमाटर है तो एक लाख रुपये प्रति किलो उसका बीज बिकता है। भिंडी का बीज 25,000 रुपये प्रति किलो, बैंगन का बीज 20,000 रुपये प्रति किलो, मिर्च का बीज 20,000 रुपये, लोकी का बीज 3,000 रुपये प्रति किलो, तुरई का बीज 3,000 रुपये प्रति किलो, कद्दू का बीज 3,000 रुपये प्रति किलो, खरबूजा का बीज 30,000 रुपये प्रति किलो, तरबूज का बीज 30,000 रुपये प्रति किलो और पपीता का बीज दो लाख रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारे वहां बिकता है। जब हम किसान लोग यह बीज खरीदने जाते हैं तो उनके साथ में इस तरह से व्यवहार होता है।

महोदय, राजस्थान की काचरी व टोंक के खरबूजों की पुरानी देशी

(श्री ओटाराम देवासी)

किस्म विश्व में प्रसिद्ध है। इसके संरक्षण की कोई योजना नहीं है। इसकी योजना बनाई जाये।

महोदयजी, स्थानीय स्तर पर फल सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां खोलकर उसके उत्पादन को रेलवे, सेना तथा सरकार के विभागों में मार्केटिंग की व्यवस्था की जाये तो स्थानीय किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके लिए जिला स्तर पर फल सब्जी प्रसंस्करण केन्द्र खोले जायें तथा इनकी मार्केटिंग की जाये।

महोदयजी, पाली, सिरोही और जालौर जिलों को अनार, नींबू और पपीता का जोन बनाकर विकसित किया जाये तथा इनकी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाने की योजना राज्य सरकार करे तो इन जिलों में अनार, नींबू और पपीता का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है।

महोदयजी, सिरोही में 5,000 हैक्टेयर में सौंफ उत्पादन होता है तथा उच्च गुणवत्ता की सौंफ पैदा होती है। देश में कहीं भी इतनी अच्छी गुणवत्ता की सौंफ उत्पादित नहीं होती है। सिरोही में 30 क्विंटल प्रति हैक्टेयर सौंफ का उत्पादन होता है। इसकी प्रसंस्करण इकाई सिरोही में खोली जाये तथा सरकार इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करे तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

सिरोही में 60,000 हैक्टेयर में अरंडी का उत्पादन होता है जिसकी मंडी तथा तेल निकालने की मशीनें लगवाने से राजस्थान के किसानों को फायदा होगा।

महोदयजी, आजकल प्रदेश में निजी कम्पनियों द्वारा जैविक खाद के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, इसको रोका जाये। ये कम्पनियां एक किलो गोबर व बर्मी कम्पोस्ट में 100 से 200 ग्राम डी ए पी डालकर महंगे दामों पर किसानों को बेचकर धोखे से लूट रही हैं। इन खादों का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया जाये तथा धोखा करने वाली कम्पनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जाये।

महोदयजी, मिट्टी मर्म कार्बन एक पदार्थ यानी आर्गेनिक मेंटर 0.2 से 0.3 प्रतिशत रह गया है। ऐसे ज्यादा उत्पादन वाली फसलें लेना तथा फसल अवशेषों की कम्पोस्ट खाद नहीं बनाने की वजह से हुआ है। यदि मिट्टी के आर्गेनिक मेंटर को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में जमीन से उत्पादन लेना मुश्किल हो जायेगा। अत: इसके लिए प्रत्येक किसान की

(श्री ओटाराम देवासी)

देशी खाद कम्पोस्ट और गोबर की खाद खड्ढों से बनवाने की व्यवस्था की जाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदयजी, बीटी कपास तथा अरंडी के उच्च उत्पादन, हाईब्रिड किस्मों के विकास में कृषि वैज्ञानिकों ने इसके जड़तंत्र पर ध्यान नहीं दिया। इनकी जड़ें छोटी होती हैं जिससे इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और बीमारियां ज्यादा होती हैं। अत: राज्य सरकार द्वारा...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करो थोड़ा माननीय सदस्य।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): ...जिस तरह से एक किस्म विकसित करने की योजना है, महोदयजी, राजस्थान में वर्षा बढ़ाने तथा गर्म-ठंडी हवाओं से बचाने के लिए 50 किलोमीटर चौड़ी लम्बी वन पट्टी फोरेस्ट का विकास किया जाये क्योंकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से शुरु होकर उत्तर पूर्वी राजस्थान को कवर करे...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, इनको देखना, ये कहां देख रहे हैं। (व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय, सदन इधर चल रहा है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आपका काम नहीं है। नहीं नहीं, सदन जहां भी चल रहा है मुझे मालूम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपने इनके मुख्य सचेतक को ही इन्वाल्व क्यों कर लिया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है। गम्भीर चर्चा हो रही है। यह सदन कितने दिन चले, कैसे चले, राजस्थान के लोकतंत्र को मजबूत करने पर विचार हो रहा है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप विराजिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): आबू पर्वत क्षेत्र की वनस्पतियां दिनोंदिन खतम हो रही हैं। यहां पर पहले कई प्रकार के दुर्लभ वस्तुओं के पौधे मिलते थे पर हमारी ओर से ध्यान नहीं देने तथा उसका संवर्द्धन नहीं करने की वजह से यह क्षेत्र नष्ट हो रहा है। महोदयजी, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से उनके नेतृत्व में आबू क्षेत्र में कृषि व पर्यावरण विकास बोर्ड बनाकर इसे बचाया जा सकता है।

(श्री ओटाराम देवासी)

मैं विशेष तौर से पशुपालन के बारे में सिरोही विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश पशु चिकित्सालयों में डाक्टर्स के पद खाली पड़े हैं जिनके कारण पशुपालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

महोदयजी, सिरोही विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय डोडुआ, रामपुरा व सूली और कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पशु चिकित्सालय खोलने की महती आवश्यकता है। इन ग्राम पंचायतों में पशुओं की संख्या अधिक हैं तथा पशुधन की मात्रा भी ज्यादा है। अत: राज्य सरकार से मांग करता हूं कि दोनों ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खोला जाये।

महोदयजी, सिरोही की बहुद्देश्यीय नस्ल बकरी व कांकरेज गायों के संवर्द्धन व संरक्षण करने के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कोई योजना नहीं है जिसके कारण सिरोही की बकरी व कांकरेज गायों की नस्ल विलुप्त होने के कगार पर है। महोदय, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इनके संवर्द्धन और संरक्षण हेतु कारगर योजना बनाई जाये।

महोदयजी, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में पशुपालकों के लिए बनाई पशुपालक बीमा योजना, पशुपालकों को बाड़े हेतु नि:शुल्क भूखण्ड देने की योजना, निष्क्रिय पशुपालकों को सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र देने की योजना, पशुधन बीमा योजना को वर्तमान में सरकार ने बंद कर पशुपालकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए निरन्तर उपेक्षा की है पशुधन बीमा योजना को वर्तमान सरकार ने बंद कर पशुपालकों के हितों को नजरंअदाज करते हुए निरन्तर उपेक्षा की है जिसके लिए पशुपालक वर्ग में भारी आक्रोश तथा अपने पशुधन को लेकर भारी चिंताग्रस्त है, मैं राज्य सरकार से इन सभी योजनाओं को लागू करने की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। विराजिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): प्रदेश में ऐसे पशुपालक जो अकाल के कारण अन्य राज्यों में निष्क्रमण करते हैं, विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाते हैं जिसमें जालौर और सिरोही में वर्तमान में लगभग दस हजार परिवार अपनी दो लाख....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मदन जी प्रजापत। आप विराजिये ओटाराम जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दस बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से....

श्री उपाध्यक्ष: ओटाराम जी, समाप्त करिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सिरोही जिले में वर्तमान में दस हजार परिवार अपनी दो लाख गायों के साथ हरियाणा में निष्क्रमण कर रहा है तथा यह सभी पुश्तैनी पशुपालक जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है....

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन का समय रात्रि दस बजे तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से समय दस बजे तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से जो पहचान पत्र जारी करने की, उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका हर कथन महत्वपूर्ण है लेकिन समय की पाबंदी है। माननीय मदन जी प्रजापत।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): दो मिनट, सिर्फ दो मिनट। मेरा आपसे निवेदन है कि जो पशुपालक यहां से माइग्रेशन करता है उनको अगर सरकार की तरफ से पहचान पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड जिस तरह से पहले भी सरकार ने दिये थे उस तरह से अगर उनको जारी कर दिये जायें तो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: आप ओटाराम जी, सहयोग करिये। धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 37 और 39, कृषि एवं पशुपालन के ऊपर माननीय पूर्व मंत्री और छाया मंत्रिमण्डल के भी कृषि मंत्री ने जो आज की बहस शुरूआत की और आज कृषि प्रधान देश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर और सबसे बड़ा राज्य है। कम बारिश, रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र होने के

(श्री मदन प्रजापत)

बावजूद भी आज हमें खुशी है कि दलहन के क्षेत्र में पूरे भारत में प्रथम स्थान हासिल करके भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सम्मानित किया है। इस शुभ अवसर पर मैं किसानों को धन्यवाद देता हूं कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों के कारण यह प्रथम स्थान हासिल हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं याद करता हूं भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलालजी नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी को कि इन्होंने राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर तक निर्माण करके, आज बड़ी-बड़ी बातें गंगानगर वाले करते हैं, कोई भी जिले वाले करते हैं लेकिन राजस्थान में अगर इंदिरा गांधी नहर नहीं होती तो यह किसान और राजस्थान कृषि के क्षेत्र में प्रगति नहीं करते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी कारण जैसलमेर में पीने का पानी नहीं था रेगिस्तान में, आज वहां खेती करके काश्तकार अपने आपको एक स्वर्ग महसूस करता है कि रेगिस्तान में खड़े हैं या धरती के स्वर्ग के ऊपर खड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी खुशी है कि इसी सदन में कृषि से जुड़े हुए किसान नेता माननीय कई सदस्य रहे, जो भी किसानों की पैरवी करने वाले हैं उन्होंने हमेशा किसान हित में पैरवी की, इसी कारण कृषि क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर रहा है और मैं माननीय उन मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को देता हूं कि आज उन्होंने गंगानगर से लेकर अंतिम छोर जैसलमेर

(20.43 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

तक पानी पहुंचाया, इन्हीं की बदौलत आज कृषि क्षेत्र में उत्पादन हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, और भी कई सुझाव आये लेकिन माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने चाहे 225 करोड़ के डिग्गी और अन्य निर्माण के सम्बन्ध में हो, उनके अलावा चाहे बीज के मामले में हो, चाहे यूरिया के अग्रिम भंडारण के मामले में, किसान हित में जो निर्णय लिये हैं, शायद यह इतिहास कायम किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। और भी चाहे बोनस के मामले में हो, माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार गत बजट में सौ रुपये बोनस मिलेगा, अभी मध्य प्रदेश और गुजरात के उदाहरण दे रहे थे, आपकी भी सरकार रही, आपने भी सुझाव दिये होंगे, आपकी सरकार में एक रुपया बोनस का नहीं दे सके। माननीय सभापति महोदय, हमें गर्व होता है किसान हित में

(श्री मदन प्रजापत)

जो माननीय गहलोत साहब ने फैसले लिये, इनको मैं क्रांतिकारी फैसला कह सकता हूं। चाहे नये विश्वविद्यालय, कि यहां नहीं खुला, यहां नहीं खुला, लेकिन विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, जो यह फैसला माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, राजस्थान की सरकार ने लिया है, माननीय सभापति महोदय, चाहे कोटा, जोबनेर, जोधपुर का हो, चाहे भीलवाड़ा, भरतपुर का महाविद्यालय हो, जो यह ऐतिहासिक फैसले सरकार ने लिये हैं, चाहे बूंद-बूंद के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट और 90 प्रतिशत अनुदान, सब्सिडी, चाहे सौर ऊर्जा के मामले में पम्प सैट हो, चाहे ड्रिप सिंचाई के मामले में हो, चाहे काश्तकार के हित में जो आगे भी कांग्रेस सरकार ने 73 हजार करोड़ का कर्जा माफ करके यह साबित कर दिया किसान हित में कौन फैसला ले सकता है। माननीय सभापति महोदय, किसान का बेटा आज मुख्य मंत्री है और माननीय मंत्रीजी भी खुद किसान हैं, किसान की पीड़ा, किसान के घर, मजदूर के घर जन्म लेने वाला और पीड़ा वही जान सकता है जिसने पीड़ा देखी हो।

माननीय सभापति महोदय, सामने की तरफ से बड़ी-बड़ी बातें आती हैं, पशुओं के मामले में यह है, किसान के मामले में यह है, मैंने आगे भी कहा, जिसने आज दिन तक खेत कैसा होता है, पशु कैसा होता है और खेती कैसे होती है जिसको जानकारी नहीं, सिर्फ वोटों के लिए भले ही सुझाव आये, पर माननीय सभापति महोदय, किसान की पीड़ा जो किसान के घर में जन्म लिया है, किसान नेता है, किसान का बेटा, वह जितनी पीड़ा और वास्तविकता जान सकता है। माननीय सभापति महोदय, आज डेढ़ लाख रुपये तक का ब्याज फ्री करके यह साबित कर दिया कि किसान के हित में माननीय मंत्रीजी ने और सरकार ने और माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो फैसला लिया है, चाहे दो रुपये लीटर दूध के ऊपर बोनस हो, चाहे दस हजार रुपये तक के कर्जे की लिमिट, जो 2500 करोड़ से दस हजार रुपये, चार गुना बढ़ोतरी करके 2008-09 में 2500, 2012-13 में दस हजार, और 2013-14 में पन्द्रह हजार करोड़ का लक्ष्य। माननीय सभापति महोदय, बोनस के अलावा अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना में कुछ नहीं हो रहा है, जो किसान, जो उनकी विधवा जानती है कि राजीव गांधी कृषक योजना के अन्तर्गत पचास हजार के एक लाख रुपये किये, हर मंडी का रिकार्ड उठा कर देखा जाय, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यह पूंजीपति और सम्पन्न हैं, यह लाख रुपये इनको नजर नहीं आते,

(श्री मदन प्रजापत)

इसलिए माननीय सभापति महोदय, कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। आंकड़े गवाह हैं, आज भी यह कहें तो सदन के सामने रखते हैं कि राजस्थान में किसानों की विधवा और उनके परिवार ने कितना फायदा लिया है।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है और आज जो पशु दवा के मामले में चाहे दवा फ्री करना, यह अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। गाय का ठेका लेने वाले, गाय के नाम पर वोट मांगने वाले, मैंने आगे भी कहा, जब वोट आते हैं, गऊ माता, वोट जाते हैं, आवारा पशु। माननीय सभापति महोदय, दुनिया जानती है, आज जो पशु दवा के मामले में, चाहे उप केन्द्र के मामले में यह निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लेकर साबित किया है, किसान के पशु और गाय के हित में यह क्रांतिकारी निर्णय है। माननीय सभापति महोदय, आज चिंता का विषय है, इस आधुनिक युग में चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, यह आज के युग में घाटे के दोनों धंधे हो रहे हैं और आने वाले समय में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो चिंता का विषय है कि मिलकर ऐसे निर्णय लें ताकि पशुपालक और किसान के हित में, नहीं तो आने वाले दिनों में यह घाटे के धंधे आने वाली युवा पीढ़ी बंद कर देगी। भारत कृषि प्रधान देश है अगर मोह भंग हो गया, युवा पीढ़ी ने इस कार्य में रूचि नहीं ली तो कौन अनाज पैदा करेगा, कौन पशुपालन करेगा, कहां से अनाज आयेगा, कहां से दूध आयेगा, कहां से घी आयेगा। माननीय सभापति महोदय, यह चिंता का विषय है। आज चाहे अनाज के मामले में हो, चाहे पशुपालन के मामले में हो, किसान के घर जन्म लिया, माननीय मंत्रीजी भी आज किसान हैं, चाहे कृषि विपणन मंत्री हों, चाहे कृषि मंत्री हों, इनको वास्तविक धरातल का अनुभव है और हमें इस बात की खुशी है कि वह यह पीड़ा को समझ रहे हैं और क्रांतिकारी कदम ले रहे हैं।

अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो मिनट में एक सुझाव दे रहा हूं माननीय सभापति महोदय, कि कृषि बीमा जो मौसम आधारित है वास्तविक किसान को हक, क्रोप कटी और वह भी ग्रामीण इकाई लागू होगी तभी किसान को वास्तविक हक मिल सकता है। मेरा निवेदन है किसान हित को देखते हुए यह किया जाय और या जो बीमा में करोड़ों रुपये का जो बजट होता है और बीमे की जगह बुआई और बीज इन दोनों का प्रति हैक्टेयर या

(श्री मदन प्रजापत)

बीमा मिलाकर के उनको अनुदान के रूप में दिया जाएगा तो आने वाले समय कृषि जिंदा रहेगी, नहीं तो माननीय सभापति महोदय, यह घाटे के धंधे आने वाले समय में जिंदा नहीं रह सकते। इनके अलावा गाय के, पशु के बारे में मैं सुझाव दे रहा हूं। गो-भक्त का नारा लगाकर के बड़ी-बड़ी बातें जरूर करें लेकिन माननीय सभापति महोदय, पशु कार्ड बनाकर प्रति पशुपालक परिवार कुछ भी अनुदान प्रति पशु दिया जाएगा तो यह किसान के, पशुपालक के हित में होगा। बुआई के मामले में बीज और ट्रेक्टर का जो पैसा मिलाकर के प्रति हैक्टेयर या प्रति बीघा हो, इन दोनों सुझावों पर अगर निर्णय आने वाले समय में भी लें तो माननीय सभापति महोदय, गाय भी जिंदा रहेगी और काश्तकार भी जिंदा रहेगा।

इसके अलावा मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि गौशाला के भरोसे गाय जिंदा नहीं रह सकती है। माननीय सभापति महोदय, गाय की घर में सेवा करें और जिनसे सेवा नहीं हो सकती है, जिनके घर में जगह नहीं है वह पड़ोसी काश्तकार और गांव अपन बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, हजार पन्द्रह सौ रुपये देकर उनकी मदद करें कि इस गाय पर मेरा नाम लिख ले और मेरी तरफ से मैं पन्द्रह सौ रुपये देता हूं तो हज़ारों किसान गाय की सेवा करने के लिए तैयार हैं, तभी गाय जिंदा रह सकती है। गौशाला में कई लोग ऐसे हैं जो जमीन हड़पने के लिए बवण्डर करते हैं और बड़े-बड़े लोग नाम कमाने के लिए यह करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे बकरी का लोन हो, चाहे गाय का लोन हो उनमें यह अनिवार्य होता है। मैंने कलक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि एन जी ओ से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कलक्टर साहब एन जी ओ को क्या मालूम कि बकरी क्या होती है या गाय क्या होती है? बाड़मेर हो या चाहे राजस्थान में किसान के घर जन्म लिया है, जन्म लेते ही बकरी और गाय की ट्रेनिंग जन्म से मिल जाती है, उनको ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू ही एन जी ओ से तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसान और पशुपालक के घर में जन्म लिया है उनको बकरी की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जिनके पास हजारों बकरियां हैं और उनके घर में जन्म लिया है और एन जी ओ तीन-तीन ट्रेनिंग दे रहा है और उसके बाद में पांच पचास हजार रुपये उनका लोन पास होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसान के हित

(श्री मदन प्रजापत)

और पशुपालक के हित को देखते हुए ऐसी फालतू की ट्रेनिंग बंद करवाई जाए। अभी माननीय पूर्व कृषि मंत्रीजी इस तरह तैयार होकर के आये कि सरकार बन गई है और आने वाले कृषि मंत्री का भार उनके ऊपर ही पड़ने वाला है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह जब चुनाव होंगे तो जनता फैसला करेगी। माननीय सभापति महोदय, हर बहस जो उस तरह का छाया मंत्रिमण्डल जो पेश होता है। मैंने आगे भी निवेदन किया जिन्होंने सात पीढ़ी में गाय नहीं देखी, सात पीढ़ी में बकरी नहीं देखी, सात पीढ़ी में खेत नहीं देखा वह किसान और पशुपालक की बातें करते हैं। यह एक तरह का मजाक है और किसान हित के वोट बटोरने का साधन है। किसान जागरूक है, किसान सब समझदार है और किसानों के हित के फैसले लेने वाले तमाम जो इसी सदन के सदस्य रहे हैं, उन सबको मैं याद करता हूं और नमन करता हूं कि इन्होंने जो किसान के हित के फैसले लिए हैं, आज भी किसान के बेटे हैं, कोई सदन में कमी नहीं है। आज जो किसान के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वह जमाना अब नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया और पुन: इस शुभ अवसर पर, आज काफी लेट भी चर्चा शुरू हुई। उसके बाद किसान और पशुपालन का विषय मुख्य विषय है, यह कोई मामूली नहीं है। यह कृषि प्रधान देश है और राजस्थान जो अग्रणी राज्यों में है और कम बारिश के बावजूद पुन: मैं किसानों को धन्यवाद देते हुए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोतजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चाहे दो रुपये, चाहे डेढ़ लाख तक का इलाज, चाहे डेढ़ सौ रुपये बोनस हो तमाम जो ऐतिहासिक योजनाएं लागू हैं। इसलिए मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय कृषि मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश चन्द्र मीणा।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आज कृषि की मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 पशुपालन और चिकित्सा पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कृषि मंत्रीजी का इस बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, स्वयं भी काफी अनुभवी हैं इस बारे में और किसान भी हैं, शायद कभी खेत में हल

(श्री रमेश चन्द मीणा)

भी चलाया होगा और मुख्य मंत्रीजी भी किसान के पुत्र हैं। परन्तु इस हिन्दुस्तान में 80 हजार करोड़ रुपये रासायनिक खाद के लिए सब्सिडी दी जाती है। दूसरी तरफ देखें तो अन्न की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिस तरह के प्रयास राजस्थान में करने आवश्यक हैं, गोबर की खाद को प्रोत्साहन देने के लिए तो राजस्थान में इस तरह की नीति का निर्माण आवश्यक है। जो अभी कृषि नीति आ रही है उसमें मुझे यह निवेदन करना है विशेषकर इस बात का ध्यान रखा जाए कि गोबर की खाद में किस प्रकार किसान को सहायता दी जा सकती है प्रति बीघा अथवा प्रति पशु के हिसाब से। अमरीका में ऐसा मैंने पिछले बजट में पढ़ा है कि प्रति चालीस पशुओं की यूनिट पर पांच लाख रुपये की सहायता वह देते हैं। इसी तरह से दूसरी एक और स्कीम है उनकी कि प्रति हैक्टेयर हर साल दो लाख रुपये अन्न के उत्पादन के ऊपर वह सहायता दे रहे हैं। इस तरह से अपने यहां जितनी भी स्कीम चल रही हैं राजस्थान में उन पर अगर आप थोड़ा सी नजर डालें, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं जल उपयोग की परियोजना। इसमें चार तरह की परियोजनाएं हैं सिंचाई पाइप लाइन जिसका दस हजार का लक्ष्य था और उसको केवल प्राप्त किया 29 परसेंट। डिग्गी फव्वारा स्कीम इसका पांच हजार का लक्ष्य रखा था और यह 39 परसेंट उपयोग में आया है। इसी तरह से दस हजार फार्म पोण्ड बनाने का लक्ष्य था और प्राप्त किया 5.5 परसेंट। जल हॉज बनाने का लक्ष्य यह 36.2 परसेंट लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह लक्ष्य प्राप्त पूरे राजस्थान में तो जो हुआ है वह हुआ है लेकिन क्षेत्रीय दृष्टि से जब देखते हैं करौली, सवाईमाधोपुर और दूसरे जिलों में तो व्यावहारिक हिसाब से मैंने यह पाया है कि किसानों को बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से यह भ्रष्टाचार का पोषण करने वाली स्कीम बन गई है। इसमें एक साल तो क्या हुआ? बाद में जब यहां मामला उठा तो डिस-कंटीन्यु कर दिया। लेकिन एक साल तो क्या हुआ कि किसान को खेत में खड़ा करके लोहे की तख्ती उसके सीने पर रखकर के फोटो लेते तब जाकर के उनको यह सहायता दी जाती थी। अब भी यह हाल है कि आठ करोड़ का पूरे करौली जिले का जो बजट था उसमें से दो करोड़ भी पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है। यूटिलाइज नहीं होने का मुख्यत: कारण क्या था कि जिसके पैसे आ जाते, उसको तो मंजूर कर दिया जाता है और जिसके पैसे नहीं आये उसको मंजूर नहीं किया। मेरे पड़ोस में, दूसरे हमारे गांव में और हमारे क्षेत्र में कई किसान ऐसे हैं जिनको छह-छह

(श्री रमेश चन्द मीणा)

महीने तक यह पता नहीं कि किस तरह से इस फार्म पोण्ड स्कीम का लाभ उठाना है? इन सब योजनाओं का किसान को ठीक से लाभ पहुंचे इस दृष्टि से जैसे गिरदावरी इन्टरनेट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसी तरह से किसानों के लिए ऐसा सिस्टम लागू किया जाए कि वह किसी भी नैट से अपना फार्म उसमें जमा करवा सके। जिससे कि उस फार्म का सबूत रहे, उसका ट्रेक रहे और टाइमली कैसे उसका निस्तारण किया जा सकता है कम से कम समय में और कम से कम औपचारिकताओं के साथ में।

(21.00 बजे)

यह पिछले साल में किया है जो चैक देने का सिस्टम तो चैक देने की बजाय उसको खाते में सीधे सहायता दी जानी चाहिए और इसके साथ-साथ में जल संग्रहण के पर्याप्त उपाय भी करना आवश्यक है। जल संग्रहण के उपायों में जैसे हमारे कृषि के दस जल वायबल क्षेत्र हैं उनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वर्षा अच्छी होती है उसमें जल का संग्रहण बहुत अच्छी तरह हो सकता है तो उसमें नाले, नदियों पर एनिकट बनवाया जाए और किसानों को भी एनिकट बनवाने के लिए और दूसरे तरीके से भी जैसे इजराइल में एक पद्धति है कि बोरिंग करके जो खारा पानी है उसको मीठा पानी बनाया जाता है ऊपर से जैसे वर्षा जल को अन्दर उसमें प्रविष्ट करवाकर तो वर्षा जल जब अन्दर जाएगा तो उसका भू-जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा और मीठा पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। ऐसा प्रयोग गुजरात में हुआ है। ऐसा प्रयोग स्वयं हमने व्यक्तिगत तरीके से गांव में भी किया है और वह प्रयोग काफी सफल है तो उसमें भी किस तरह से सहायता दी जा सकती है, यह भी मेरा आपसे निवेदन है।

उसके साथ-साथ गेहूं खरीद केन्द्रों में बहुत ज्यादा अनियमितताएं और घपला भी होता है इसलिए नियमित करने हेतु नादौती, टोडाभीम में कम से कम दो-दो स्थानों पर गेहूं खरीद केन्द्र इस तरह के खोले जाएं जिससे कि लगातार किसानों को राहत मिल सके और यहीं नहीं बल्कि प्रत्येक तहसील में कई-कई खोले जाने चाहिए तब किसान को वास्तविक रूप से यह सहायता मिल सकेगी नहीं तो इस तरह भ्रष्टाचार के कारण से व्यापारी सीधे किसानों से खरीदकर अपने तरीके से उनका उपयोग करते हैं। इसी तरह से जैसे पुराने फार्म पोंड हैं तीन साल से ज्यादा हो गये हैं उन पर भी सहायता उपलब्ध करवाई जाए और आसान तरीके से बिना ज्यादा औपचारिकताएं किये हुए

(श्री रमेश चन्द मीणा)

सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। फार्म पोंड के विस्तार के लिए जो वर्तमान में फार्म पोंड हैं या जिस पर शुरूआत की पांच हजार रुपये ही सहायता मिली है, अभी तो साठ हजार है पर वो साठ हजार भी पर्याप्त नहीं है। इसको बढ़ा कर ज्यादा किया जाए और हर चार साल में फार्म पोंड का नवीनीकरण करवाने के लिए सहायता दी जाए।

अब यह जो एक प्रगति प्रतिवेदन है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ नियमों का आपके समय उल्लंघन हुआ है। इसमें यह जो फोटो छपा है नियमानुसार यह फोटो नहीं आना चाहिए ऐसा है। इसमें फोटो मुख्य मंत्रीजी का और कृषि मंत्रीजी का जो पशुपालन निदेशालय है उसने छापा है तो इस बारे में बाकी प्रगति प्रतिवेदन पर कहीं फोटो नहीं मिला है और पिछले साल भी ऐसा प्रकरण ध्यान में आया था। इसकी भी आप जांच करवा लें। पशुपालन निदेशालय के आखिरी पृष्ठ पर लिखा है कि The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated. जबकि राजस्थान में थोड़ा मामला विपरीत है और हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि तीस प्रतिशत मांस का उत्पादन यहां होता है। जब जानवरों को इस तरह से और इस रूप में माना जाता रहेगा, इनके प्रति निर्दयता, मारने का और खाने का एक साधन समझा जाता रहेगा तो ये हमारे लिए कभी भी गर्व की बात नहीं हो सकती इसलिए पशुओं को किस तरह उपयोगी बनाकर और उसमें हो सकता है कोई ऐसे भी हों जैसे गाय है दूसरे भी पशु हो सकते हैं तो इसलिए इस तरह के ऐसे उपाय किये जाने चाहिए कि जिससे उपयोगी पशुओं को बचाया जा सके। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पदमाराम जी।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 पर आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं। मांग संख्या-37, कृषि एवं मांग संख्या-39 पशुपालन ये दो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, राजस्थान की आबादी की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और सब किसान पशुपालन और खेती में अपना जीवनयापन करते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा की भी इसमें व्यवस्था करते हैं और साथ-साथ रहने की भी व्यवस्था कृषि के आधार पर होती है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब किसानों का

(श्री पदमाराम)

हित देखते हुए यह घोषणा की कि हम पांच साल तक किसानों के लिए बिजली का एक पैसा भी नहीं बढ़ायेंगे। उनके साथ-साथ पिछले चार साल में किसानों को कृषि के लिए 2 लाख 46 हजार कनेक्शन देकर यह साबित कर दिया कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। मुख्य मंत्रीजी ने और कृषि मंत्री जी ने जो सिंचाई के लिए किसानों के लिए जो पाँच हजार डिग्गियां बनाने के लिए उसमें जो पचास हजार का अनुदान देने की व्यवस्था की है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनके साथ-साथ दस हजार पोंड बनाना और उसमें अनुदान देना, यह किसानों के हित की बात है। किसान सिंचाई के लिए पानी एकत्रित करके अपनी फसल के लिए समय पर पानी उपलब्ध करायेंगे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ-साथ किसानों की फसल के लिए उत्तम किस्म के बीज मिलें, अच्छी क्वालिटी की खाद समय पर मिले आने वाले समय में तीन लाख टन यूरिया, डेढ़ लाख टन डीएपी, पचास लाख टन फास्फोरस और अन्य प्रकार की खाद का स्टाक करके किसानों को समय पर अपनी खेती का खाद मिले, वो खेती में अधिक और अच्छी क्वालिटी की फसल पैदा करे और उसको उचित मूल्य मिले इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह व्यवस्था की है यह किसानों के लिए हितकारी है। इसके साथ-साथ किसानों की फसल का समय पर अच्छा मूल्य मिले और सी आर एफ नियम में शीतलहर और पाले को जोड़कर यह साबित कर दिया, पहले आपदा में शीतलहर और पाला नहीं था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और कृषि मंत्रीजी ने यह व्यवस्था कर सरकार में और माननीय राष्ट्रपति महोदय से यह बिल पास कराकर यह साबित कर दिया कि किसानों का हितैषी कोई मुख्य मंत्री है तो माननीय अशोकजी गहलोत साहब हैं। पाले और शीतलहर में जो किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी और उसका मुआवजा नहीं मिलता था। इसके साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शीतलहर, पाले और ओले में जो नुकसान होता है, नुकसान में आपने जो शर्त लागू की है पचास प्रतिशत नुकसान होगा तो ही उसके अन्दर सहायता देंगे, यह किसानों के लिए हानिकारक है। किसान जो कड़ी मेहनत करता है, अपने खून-पसीने की मेहनत करके जमीन में सर्दी में गर्मी में खड़ा रहकर फसल

(श्री पदमाराम)

पैदा करता है और आपदा आने पर यदि ओले पड़ जाते हैं, शीतलहर आ जाती है या और कई प्रकार की आपदा आने के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और वो पचास प्रतिशत नुकसान होता है तो आप उसको जो सहायता करते हैं यदि पचास प्रतिशत नुकसान में कृषि की पैदावार का आकलन करके आप उसको आप सहायता देते हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें आप सोचें। जितना प्रतिशत भी उसकी फसल का नुकसान हुआ है उसके आधार पर एक किसान को सहायता उपलब्ध करवायें तो किसान सबल होगा और किसान सबल होगा तो हर आदमी राजस्थान का प्राणी है उसके खाने के लिए अनाज की उपलब्धता पैदा करने का जो काम करता है वो किसान करता है तो इसके लिए आप सोचें। इसके साथ-साथ कृषि मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मौसम आधारित बीमा राजस्थान में जब भी लागू किया उसके बाद में राजस्थान के किसान हमेशा ही ठगे जा रहे हैं। किसान जो अपना प्रिमियम दे रहे हैं उसके बराबर भी बीमा नहीं आ रहा है। मेरा निवेदन है कि विशेष तौर से हमारा बाड़मेर जिला जो पिछड़ा जिला है, सीमावर्ती जिला है, रेगिस्तानी जिला है, वहां बालू रेत में किसान खेती करते हैं वहां मौसम आधारित कृषि बीमा के जो मापदण्ड रखे गये हैं वह उनके लिए उपयुक्त नहीं है। बाड़मेर जिले के किसानों के लिए मैं पिछले तीन साल से मेहनत कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करें, उसमें क्रोप कटिंग के आधार पर बाड़मेर जिले के किसानों को इसमें लाभ दिलाने की मेहरबानी करे। इसके लिए आपने पहले चार जिले शामिल कर रखे हैं जिसमें एक जालौर है। जालौर और बाड़मेर एकदम समान जिले हैं, मेहरबानी करते हुए बाड़मेर के किसानों का हित रखते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करें और उसमें ग्राम पंचायत को इकाई मानकर क्रोप कटिंग के आधार पर किसानों को उसके नुकसान का मुआवजा दे। मौसम आधारित कृषि बीमा योजना ऐसी योजना है सभापति महोदय, मौसम खराब होता है तो भी किसान को बीमा क्लेम नहीं मिलता है। मौसम आधारित बीमा का मतलब होता है कि मौसम खराब हो जाए, यदि बारिश हो जाती है, ओले पड जाते हैं, उत्तर-पश्चिमी हवा चालू होने के बाद भी फसलें खराब हो जाती हैं। मेहरबानी करके मौसम आधारित बीमा योजना लागू करें तो उसमें मापदण्ड चेंज करें और किसानों के हित का ध्यान रखें।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पिछले साल किसानों को बोनस देकर यह साबित किया है कि किसानों की हितैषी अगर कोई सरकार है तो वह कांग्रेस की है, किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ-साथ 100 रुपए बोनस दिया और इस बजट में घोषणा की है कि डेढ़ सौ रुपए बोनस देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि हमारे क्षेत्र में जीरा और ईसबगोल की पैदावार होती है, उसमें भी यह बोनस योजना लागू कराएं और किसानों को बोनस दें। ईसबगोल एक ऐसी फसल है जो हर दवाई में मिक्स होती है और जीरा मसालों में उपयोग में आता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जीरा और ईसबगोल में जो वैट समाप्त किया है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। परन्तु किसानों की फसल का ध्यान रखते हुए जिस तरह गेहूं में बोनस देते हैं उसी आधार पर जीरे में भी बोनस दिया जाए।

इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि ऋण में जो किसान ऋण लेंगे और जिसका समय पर चुकारा कर देंगे उसका ब्याज माफ करने की जो योजना लागू की है, यह बहुत अच्छी योजना है। इसमें किसान एक लाख रुपए का ऋण लेकर 6 महीने तक अपनी फसल की अच्छी तरह से पैदावार कर लेगा और फसल आने पर उस पैसे का चुकारा कर देगा। इसमें जो पिछली साल 10 हजार करोड़ की व्यवस्था की थी, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 हजार करोड़ की व्यवस्था की है और किसानों की साख सीमा को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये तक किया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके साथ-साथ पशुपालन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पशु की रक्षा करने के लिए, पशुपालक अपने पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल करे, दूध में दो रुपए प्रति लीटर बोनस देकर यह साबित कर दिया है कि किसानों का हितैषी कोई मुख्यमंत्री है तो वह माननीय अशोकजी गहलोत साहब हैं। हमारे सामने वाले माननीय सदस्य किसानों के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, दलितों के नाम पर राजनीति करके चुनाव के समय यह साबित करना चाहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। जब इनकी सरकार थी उस समय इन्होंने किसानों के लिए क्या योजना लागू की, किसानों के फायदे के लिए क्या किया, यह बात नहीं है। यह सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, जनता को साबित करने के लिए कि यह लोग हमारे साथ हैं, आने वाले समय में यदि हमारा राज आ

(श्री पदमाराम)

जाएगा तो हम किसानों के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं लाएंगे। परन्तु जब इनका शासन था उस समय इन्होंने कोई योजना लागू नहीं की। यह आंकड़े बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे समय में हमने यह कर दिया, हमारे समय में हमने यह कर दिया ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): यह जनता को दिखाने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए, यदि किसान की अपने खेत में काम करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसको 25 हजार से एक लाख रुपए देने की घोषणा की है और कोई अंग भंग हो जाता है तो उसको 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए देने की योजना लागू की है। यह बहुत कल्याणकारी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह अच्छा बजट पेश किया। किसानों के हितों की योजना लागू की, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रिणवां जी। (अनुपस्थित) श्री रोहिताश्व कुमार जी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आज मुझे आपने मांग संख्या 37 और 39 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने बहुत सारगर्भित सुझाव दिए। मैं भी चूंकि गांव में पैदा हुआ हूं और किसान की हालत को मैंने आंखों से देखा है मैं उसका विवरण, उसकी पीड़ा, उसका दर्द और उत्साह, इसका वर्णन मैं आपके सामने करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी राज्य का विकास और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति यह सब एक साथ हो और यह तय करे कि हमारा देश जैसे कृषि प्रधान देश है, अब हमको कृषि पर क्या सोचना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए जिससे कि 70 प्रतिशत लोग जो भारत में रहते हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, जो कृषि पर आधारित है उनका डवलपमेंट कैसे हो, हमारा जीवन कैसे आगे बढ़े, कैसे हम उन्नत किसान के रूप में आगे जाएं, कैसे हम अमरीका का मुकाबला करें, कैसे हम इजराइल का मुकाबला करें, छोटी छोटी कंट्री, दुबई जैसी कंट्री जिनमें कृषि के बारे में सोचा नहीं जा सकता था आज वहां पेड़ उगा दिए गए, वहां हरियाली आ गई।

(श्री रोहिताश कुमार)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हिन्दुस्तान और भारत में कृषि के क्षेत्र में इतनी विपुल संभावनाएं थी और हैं लेकिन सरकार के ध्यान नहीं देने पर आज हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नीचे जाता जा रहा है। हमारे किसान का ध्यान एग्रीकल्चर से हटकर, मैं तो हमारे अलवर जिले की बात कर रहा हूं, हम कृषि पर कम निर्भर कर रहे है क्योंकि कृषि में जो पैदावार होती है उसमें इतनी आमदनी नहीं होती कि घर का गुजारा चल सके, किसान अपने बच्चों को पढा सके, किसान अपने बच्चों की ब्याह-शादियां कर सके। उन्होंने एग्रीकल्चर पर जो कंसन्ट्रशन किया हुआ था उससे हटकर किसान ने दूसरे धंधे ढूंढने शुरू कर दिए। जैसे जमीन को बेचकर दुकानें बनाना, भवन बनाकर बेचना, इस तरह के व्यवसाय में हम जाने लग गये। उसका कारण है कि हमको सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है। आज बरसात नहीं होती, पानी एग्रीकल्चर में खास रॉ मैटेरियल है। जब बरसात नहीं होती तो यह सरकार को सोचना चाहिए कि हमको ड्रिपिंग सिस्टम, जैसे इजराइल में डवलप हुआ। आज पूरे अमेरिका ने कितनी लड़ाइयां लड लीं लेकिन वहां की इक्नोमी आज भी जिंदा है। दुनिया भर में अमेरिका दादागीरी करता है। लेकिन जिंदा क्यों हैं, आज भी दादागीरी क्यों है क्योंकि वहां का एग्रीकल्चर मजबूत है। उन्होंने अपनी पूरी कन्ट्री को ड्रिपिंग सिस्टम से जोड़ा हुआ है और वहां पर पानी की कमी नहीं है, उसका कारण है कि पानी बचाकर वह लोग खेती करते हैं और अच्छी पैदावार करते हैं। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन पर खर्चा कम आता है, आमदनी ज्यादा होती है। उनको आमदनी होती है तो किसान जिंदा रहता है। वहां किसान के पास खुद के हैलीकाप्टर है, किसान के पास खुद के प्लेन है लेकिन हमारे किसान के पास साइकिल नहीं है, उसका कारण है कि सरकार इग्नोर करके हमको चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम आज दुनिया की होड़ में चल रहे हैं। जयपुर में दुर्गापुरा में कृषि अनुसंधान केन्द्र है, उस कृषि अनुसंधान केन्द्र को जयपुर की मैट्रो रेल का स्टेशन बनाने जा रहे हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र को मैट्रो स्टेशन बनाने जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस अनुसंधान केन्द्र में चालीसों प्रकार के बीजों का उसमें अनुसंधान हुआ, किस प्रकार उस जमीन को, उस लेबोरेटरी को डवलप करके, धरती है, मिट्टी है उसमें अलहदा किस्म के बीज पैदा हो उसको खतम करके वहां मैट्रो बना रहे हैं और कहते हैं कि यह अनुसंधान केन्द्र दूसरी जगह जाएगा। दूसरी जगह जाकर उस लेबोरेटरी को

(श्री रोहिताश कुमार)

विकसित करने में चालीसों बरस लग जाएंगे, कोई एक-दो दिन नहीं लगते। यह क्या तरीका हुआ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आई सी ए आर, दिल्ली में कृषि अनुसंधान केन्द्र है, उसको एक्वायर करने का जब नोट बना कि दिल्ली के बीच में आई सी ए आर और इस पर विकसित कालोनियां बना दी जाएं या और कोई काम कर लिया जाए इस जमीन को यहां से हटाकर, इस आई सी ए आर को यहां से हटाया जाए। तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, वह थी किसानों की हितैषी, जब उनके नोटिस में आया तो इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, दिल्ली की बात मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने उस फाइल पर नोट लिखा नो एंड नेवर, वह थी किसानों की हितैषी। आजकल के नेता किसानों के हितैषी नहीं हैं। हां, ठीक है पैसा आ जाएगा बेच देंगे, आपस में बारगेनिंग कर लेंगे, आजकल आमदनी का जरिया आ गया। कृषि अनुसंधान केन्द्र को मैट्रो बनाना चाह रहे हो। जयपुर के हैरिटेज को आपने खतम कर दिया और हैरिटेज को खतम करके आप इंटरनेशनल सिटी बना रहे हो। क्या है, आपने देखी है इंटरनेशनल सिटी, वहां का सिविक सिस्टम? यहां की भौगोलिक स्थिति और वहां की भौगोलिक स्थिति में कितना फर्क है। नाम सुन लिया इंटरनेशनल सिटी। हम तो होड़ में चल गए, हम तो काम्पीटिशन में आ गए। आप बना लो इसको इंटरनेशनल सिटी, मल्टीस्टोरियां बन गई। लोग देखने आते हैं गुलाबी शहर और यहां मिलता है लाल, पीला, हरा शहर, यह क्या है आपका सिस्टम? एग्रीकल्चर में मैं बोलना चाह रहा था, मैं थोड़ा आगे चला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसकी ओर कन्सन्ट्रेट। आज हमारी डेमोक्रेसी में एक बड़ा रोग हो गया कि सस्ती लोकप्रियता लेने का हमने फैसला कर लिया। हर चीज में सस्ती लोकप्रियता। जब हमारा बेस खतम हो जाएगा, जब धरती नहीं रहेगी, किसान नहीं रहेंगे तो फिर हम कहां पर जाकर टिकेंगे? आप सब काम छोड़कर, हमारी जो फर्टाइल लैण्ड है, जहां कृषि उत्पादन हो सकता है उस पर ड्रिपिंग सिस्टम। आप सब्सिडी दे रहे हो, फलानी सब्सिडी, कर्ज माफ, फलां, यह सब छोड़ो आप यहां पर ड्रिपिंग सिस्टम करिये। किसान को पैदावार के इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करिये। यहां पर बिजली, आपने कमाल कर दिया, आपने कहा था कि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो बात आती है वह बिजली आती है क्योंकि पानी बहुत नीचे चला गया, हम बिजली पैदा करेंगे। कहां गई आपकी बिजली? कहां है, बिजली मंत्रीजी यहां बैठे हैं, आपने

(श्री रोहिताश कुमार)

कहा था हम 1200 मेगावाट 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक बना देंगे, कहां गई आपकी वह मेगावाट? हम पड़ौसी राज्यों को सरप्लस बिजली बेचेगे। हमारे किसान को तीन-चार घण्टे भी बिजली नहीं है। किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए रात को अंधेरे में रहना पड़ता है। आप कमाल की बात करते हो। किसान के आप हितैषी हो, किस बात के हितैषी हो? घरेलू कनेक्शन के दाम तो किसान को ज्यादा देने पड़ते हैं और आपने कह दिया कि एग्रीकल्चर में हमने पैसे नहीं बढ़ाए। यह क्या दोहरी बात है? एक जेब से यह कहते हो, दूसरी जेब से निकाल लेते हो, यह कोई नीति नहीं है, चीप पोपुरलिटी की बात है। अब चुनाव आ गए, चुनाव आ गए तो आपने तरह-तरह की घोषणा कर दी। यह घोषणाएं पिछले साल करते। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके हाथ में थी चार साल। आपने पिछले साल क्यों नहीं की, उससे पिछली बार क्यों नहीं की, ताकि धरातल पर आ जाते, आपकी नीयत साफ हो जाती, आप पर शक की सूई नहीं घूमती। आपने पहले तो किया नहीं अब भागते वक्त कर रहे हो। अब कब आपका प्लान बनेगा, कब यह धरातल पर आएगी, सस्ती लोकप्रियता में आप किसानों को मार रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह सरासर गलत है। सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अलवर में राजकीय...

श्री सभापति: समाप्त करो माननीय सदस्य।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं समापन की ओर हूं। सरस डेयरी को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां दुनिया भर की प्राइवेट डेयरियां अलवर में अमूल, महसाणा, मदर डेयरी, पारस, गोपाल जी, नारी उत्थान, अब यह सब, दूध अलवर से खरीदकर, इनके पास लाइसेंस भी है कि नहीं भगवान जाने, कुछ है कि नहीं, इसमें मिलावट करके हमारे अलवर का नाम बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली में ले जाकर दूध बेच रहे हैं। हमारे अलवर का रेट 40 रुपये और जयपुर का 43 रुपये कर दिया और यह प्राइवेट वाले 41-42 में ले लेते हैं और उनको लालच देते हैं कि हम कैश देंगे और फिर उसमें मिलावट करके सिंथेटिक दूध के नाम से, हमारी बदनामी हो रही है कि हमारा अलवर का दूध सिंथेटिक है जबकि हमारा अलवर का दूध ए ग्रेड दूध है। हरियाणा, रोहतक, नारनौल का दूध और अलवर का दूध सबसे अच्छा दूध कहलाता है उसका रेट 40, इसमें दोहरी नीति की हुई है इसमें सरकार को चाहिए इसको एक करें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सरस घी है, सब जगह एक मूल्य है। तो यह क्या कर रखा है 40 और 43, इस फर्क को आप बंद करिये, यह मेरा आपसे निवेदन है। इस सरस डेयरी का सारा भाव और इसको बेचने का सिस्टम है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए । एग्रीकल्चर, मैं आपसे कह रहा हूं आप इस पर ध्यान रखो, कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर मत लगाओ, राजस्थान के एग्रीकल्चर को सुधारो, किसान का जीवन स्तर सुधारो, किसान का प्रोडक्शन सुधारो। यह मेरा आपसे सुझाव है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपारामजी डूडी। श्री संतोष कुमार सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 कृषि और पशुपालन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार, धन्यवाद। माननीय सभापतिजी, गंगानगर खण्ड, कृषि का खण्ड, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले इसमें सम्मिलित है। दोनों जिले कृषि विकास में अग्रणी हैं। दोनों जिलों में कृषि में वृद्धि की ओर विपुल सम्भावनाएं हैं। क्षेत्र में राज्य सरकार के कुशल मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण दूरदर्शी तथा लाभकारी योजनाओं के कृषि विकास, सिंचाई, जल प्रबन्धन, उद्यानिकी की योजनाएं संचालित हो रही हैं। कृषकों की बहुत रूचि है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होने से क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। माननीय सभापतिजी, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि और किसान के उत्थान के लिए उसकी बहबूदी के लिए बहुत सी घोषणाएं की हैं। चाहे वह कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाद की व्यवस्था की है, चाहे सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए ड्रिप सिस्टम, सौर ऊर्जा, इस तरह से इन चीजों में करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय कृषि मंत्रीजी को इसके लिये साधुवाद देता हूं। इसमें खास करके बजट में चार यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और दो एग्रीकल्चर कालेजेज की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। जिसमें निश्चित तौर पर नये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट तैयार होंगे। किसान को नई तकनीक मिलेगी, नई जानकारियां मिलेंगी। मैं इस मामले में आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी हैं, बहुत बड़ा विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं स्वामी केशवानन्द एग्रीकल्चर

(श्री संतोष कुमार सहारण)

यूनिवर्सिटी, बीकानेर के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा। मैं आपके निर्देशानुसार उसमें बोर्ड आफ मैनेजमेंट का मेम्बर हूं। मेरे सम्भाग की वह यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी बनने से बहुत बड़ा विकास होगा लेकिन बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो क्षेत्र है, इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप्ड है, उसका क्षेत्र बहुत घट जाएगा और काम करने का स्कोप बहुत कम हो जाएगा। इसमें मेरा एक निवेदन था कि इसमें फतेहपुर और झुंझुनूं को शामिल रखा जाए, जब आप इसमें आदेश जारी करें। इसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव और भी है, इस घोषणा के अन्दर जो हमारी मांग थी, गंगानगर हार्टीकल्चर के हिसाब से बहुत अग्रणी है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला। मैंने हार्टीकल्चर कालेज की मांग की थी। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि गंगानगर में एक हार्टीकल्चर कालेज खोला जाए। इसके लिये माननीय वाइस चांसलर, बीकानेर यूनिवर्सिटी ने प्रपोजल भी भेज रखे हैं। मेरा भी पहले का निवेदन किया हुआ है।

मैं इसके साथ-साथ थोड़े से सुझाव और मांग, अपनी तरफ से कृषि को आगे बढ़ाने के लिये थोड़ी सी, कुछ बातें कहना चाहूंगा। इसमें कृषि से जुड़ी हुई जल-प्रबंधन की बात है। माननीय कृषि मंत्रीजी, हमारे यहां डिग्गियों में अनुदान पहले बहुत कम था, 75 हजार था, फिर आपने दो लाख किया। फिर इसके बाद में महंगाई को देखते हुए तीन लाख रुपये किया। लेकिन आज के दिन भी इतनी जबरदस्त महंगाई हो गई है कि वह तीन लाख में भी पोण्ड नहीं बन रहे हैं। अब इसमें मेरा निवेदन है कि इस सब्सिडी को बढ़वा कर चार लाख करें तो हर किसान खेत में अपनी डिग्गी को बना सकेगा और पानी का स्टोरेज कर सकेगा। कृषि के अन्दर उसको बढ़ावा मिलेगा। वह ड्रिप से, फव्वारे से अपनी खेती को आगे बढ़वा सकेगा, पैदावार बढ़ेगी। उद्यान विभाग में भी जो सामुहिक पोण्ड बनते थे, पहले 10 लाख रुपये की सब्सिडी थी। उसको घटाकर 2009-10 में साढ़े सात लाख रुपये कर दिया गया। पोण्ड बनाने की उसमें महंगाई को देखते हुए एक तो सब्सिडी को दस लाख रुपये किया जाए। किसानों की यह आम मांग है। सौर ऊर्जा, ड्रिप सिस्टम, बाग़ तथा डिग्गी एक पैकेज के रूप में श्रीगंगानगर जिले में सौर ऊर्जा की इन सब चीजों को देखते हुए, किसानों का रुझान देखते हुए पूरे प्रोजेक्ट को बनाकर उसके अन्दर सब्सिडी जारी की जाए। कृषकों के लिये यह लाभदायक सिद्ध होगा।

घुलनशील उर्वरकों में बागों में जैसे 9 हजार हमारी डिग्गियां बनी हुई

(श्री संतोष कुमार सहारण)

हैं, जहां बाग़ लगे हुए हैं, उनमें तो 10 प्रतिशत डिग्गियों में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति है। बाकी में यह घुलनशील उर्वरकों में सब्सिडी नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आम खेती के लिये इसमें 75 प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था करवाएं तो आम किसान अपनी खेती को आगे बढ़ाने में सफल हो सकें। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि खजूर की खेती में आप 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन 90 प्रतिशत के बाद में भी एक पेड़, 36500 रुपये प्रति हैक्टेयर का खर्चा आता है। मेरा निवेदन है कि इसको कम करके इतना लिया जाए कि 10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर का खर्चा आ जाए तो वह खजूर की खेती को आगे बढ़ा सकता है।

बागों के अन्दर हमारे यहां नीलगाय की बड़ी प्राब्लम रहती है। नीलगाय बहुत होती हैं। जब किन्नू का पकाव का सीजन होता है तो चोरी का भी बड़ा खतरा रहता है। तो तारबंदी के अन्दर इसकी परमीशन दी जाए, तारबंदी के अन्दर सब्सिडी का प्रावधान रखवाने का करें। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। किन्नू हमारे यहां ओरचार्डस, बागों में मुख्य उत्पादन है। तो उसके लिये मण्डी समिति, जो फल समिति है उसको किन्नू मण्डी के रूप में डवलप किया जाए। माननीय विपणन मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करुंगा कि इस पर गौर करें। पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के लिये आपने किसानों को यह कह रखा है कि अपने खेत के अन्दर वह अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, वेक्सिंग प्लाण्ट लगा सकते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को भी जैसे आपके इण्डस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें किसान जो खुद का लगाना चाहें तो इण्डस्ट्रियल एरियाज में भी उसको अलाउ किया जाए। उसमें उसको सब्सिडी दी जाए। पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे यहां घड़साना, रावला, हनुमानगढ़ में सुपर फास्फेट बनाने का जो रॉ-मैटेरियल है वह बहुत अवेलेबल है और सिंगल सुपर फास्फेट बनाने का कारखाना वहां स्थापित करवायें। आम किसान को इसकी बहुत जरुरत रहती है। किसान को सस्ते भाव पर, कम से कम हमारे वहां एक यूनिट लगेगी तो इलाके का डवलपमेंट होगा, किसान को सुपर फास्फेट मिलेगी। जिप्सम के लिये एक ही, आर.एस.एम.एम. लिमिटेड द्वारा जिप्सम सप्लाई होता है। लेकिन वह नहीं कर रहे हैं और जिप्सम की बड़ी आवश्यकता खेतों में रहती है। ट्यूबवेल्स का पानी लगता है, पी.एच. बढ़ जाता है। पैदावार लेने में दिक्कत आती है तो जिप्सम की आवश्यकता रहती है।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

हमारा निवेदन है कि उसको पी.पी.पी. मोड पर, कैसे भी करके जिप्सम सप्लाई किसान को बराबर हो, उसके लिये कोई व्यवस्था करवाएं। हरियाणा व पंजाब राज्यों की तरह कीटनाशक रसायन पर भी अपने यहां वैट हटाने की कृपा करें। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा, जोजोबा फसल पर कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान राशि बढ़वाने की कृपा करें। खरीफ एवं रबी फसलों के समर्थन मूल्य के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सेण्ट्रल मिनिस्ट्री से, या इस पर आप करें कि उसकी सपोर्ट प्राइज बढ़े। मैं इस मामले में, अभी माननीय विपणन मंत्रीजी बैठे हैं, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो डेढ सौ रुपया क्विंटल का बोनस गेहूं पर अनाउंस किया है, पिछली बार सौ रुपया था और इस बार डेढ़ सौ रुपये किया है। आप लोग बारदाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बाद में किसानों का इतना भारी रश हो जाएगा तो लोगों को परेशानी नहीं हो। माननीय मंत्री महोदय गंगानगर से पधारते हैं। उनको सारा ध्यान है। इसलिये बारदाने की पुख्ता व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो आपने इसमें गिरदावरी की पाबन्दी लगाई है, किसान जमीन ठेके पर दे देता है। ठेकेदार जो जमीन ठेके पर लेता है, वह अपने गेहूं को लेकर आता है तो उसके नाम से चैक नहीं कटता तो उसमें गिरदावरी वाला जो राइडर है उसको हटाने का मैं निवेदन करता हूं।

नरेगा, अभी बात चली थी। बात शुरू से करते आ रहे हैं कि नरेगा को कृषि से जोड़ा जाए। जब से नरेगा लागू हुआ है, कृषि में मजदूर नहीं मिल रहा। खेती के लिये मजदूर कृषि से जोड़ दिया जाए। सीमान्त कृषकों को, उनको तो जोड़ रखा है लेकिन आम किसान को जब जरुरत हो तो उसको नरेगा से मजदूर मिल जाएं। तो मेरा निवेदन है कि जैसे हमने बता दिया कि हमें इतने मजदूर चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): आधे पैसे सरकार दे, आधे पैसे हम दे दें।

श्री सभापति: मेहरबानी करके समाप्त करें आप।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): ठीक है, साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी जो बात थी, जो सुझाव थे, वह दे दिये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पवन कुमार दुग्गल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, समय कम है। इसलिये सुझाव दे दें। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39, कृषि और पशुपालन पर मैं भी अपने आपको शामिल करते हुए आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आजादी के 60-65 साल बाद सरकार ने किसान के हित में कानून बनाए। चाहे सरकार इनकी रही हो, चाहे इनकी रही हो और किसान आजादी के 60-65 साल बाद भी जहां जनता की चुनी हुई, किसान की चुनी हुई सरकार यह दावे कर रही है कि हमने किसानों के हित में बहुत अच्छे फैसले लिए मगर माननीय सभापति महोदय, आज भी अगर किसान की हालत का सर्वे किया जाए और किसान की बात को सुना जाए तो निश्चित रूप से यह कह सकेंगे कि किसान ऐसी हालत के अन्दर आ चुका है कि वह खेती करना ही नहीं चाहता। खेती को वह खुद घाटे का सौदा समझने लग गया है। किसान कर्जे में ही पैदा हो रहा है और 60 साल बाद आज भी कर्जा उस पर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम जितने भी विधायक बैठे हैं, हमारे तो जरूर पांच साल में बैंक बैलेंस बढ़ गया हो मगर मैं नहीं समझता कि पांच साल में इन्होंने कितनी अच्छी नीतियां बनाईं कि प्रदेश के किसान के अकाउंट में अगर कोई पैसा बढ़ा है तो मंत्रीजी सर्वे करवाकर देख लें, मान जाएंगे कि किसान को प्रोफिट हुआ है या नहीं हुआ।

किसान को केवल खेती से ही नहीं, देश और प्रदेश की तमाम नीतियां किसान को माननीय सभापति महोदय, प्रभावित करती हैं। देश की तमाम नीतियां किसान के ऊपर सीधा जाकर उनके परिवार को और उनकी गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज भी जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ी है उसका सीधा असर किसान के ऊपर पड़ा है। आज डीजल बढ़ाओ, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, आप डी.ए.पी., यूरिया की कीमत बढ़ाओ, असर किस पर हुआ? माननीय सभापति महोदय, किसान के ऊपर हुआ है और आज हालत यह है कि आधे से ज्यादा यानी, 70-80 फीसदी एम.एल.ए. गांवों से आते हैं और किसान की हालत है कि किसान यह कहता है कि उसका बेटा चाहे चपरासी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

लग जाए वह अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हो गया माननीय सभापति महोदय, जो किसान अपनी जमीन को अपनी मां से भी ज्यादा प्यार करता था। जिसका यह था कि यह मुझे अन्न देती है, देश-प्रदेश को जीवन देती है, उस किसान की आखिर ऐसी हालत क्यों हुई इसके बारे में कहीं न कहीं सरकार को मंथन करना होगा। एक तरफ अमरीका जैसा देश, पूंजीपति होने के बावजूद भी उसकी तमाम अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। मगर हिन्दुस्तान को अगर किसी ने बचाया है तो वह किसान ने बचाया है।

माननीय सभापति महोदय, किसान आज देश के अन्दर आत्महत्याएं कर रहा है। किसान की कितनी बुरी हालत है। किसान का अगर रिकार्ड देखें तो अधिकांश जमीन किसान की बैंकों में आज भी गिरवी पड़ी हुई है। आज भी किसान की हालत के लिए कहीं न कहीं तो सरकार को मानना पड़ेगा कि वह जिम्मेदार है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि अभी हमारे कुछ साथियों ने इस बात को गम्भीरता से रखा है कि आज भी कई चीजें ऐसी हैं, प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत जैसे ओलावृष्टि जैसी स्थिति हो जाए, जब से यह सदन चला है तो हमने लगातार इस पर सरकार से बात की है। विधान सभा में मुद्दे उठाए हैं। मगर बात वहीं की वहीं है। जिस किसान के ओलावृष्टि से नुकसान हो गया उस किसान का तो सब कुछ ही तबाह हो गया। अब आपके नियम कानून 65 साल हो गए, आप कब बदलोगे? बदलोगे भी नहीं या नहीं बदलोगे? इसके उपर कहीं कोई वक्तव्य नहीं है।

ठीक है किसान को ऋण दे दिया, ऋण माफ कर दिया। किसान को ऋण और सब्सिडी अकेले से उसकी पार नहीं पड़ेगी। उसके जीवन के अन्दर बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको सरकार को सुधारना, सरकार को उनके पक्ष में नीति बनानी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, आज भी आप यह देखिए कि किसान का ग्वार किसान के घर में पड़ा हुआ है और पिछली बार भी हमें याद है कि दो हजार, ढाई हजार में किसान का ग्वार मंडी के अन्दर आ गया। लेकिन जब वह बड़े धन्ना-सेठ और पूंजीपतियों के पास चला गया तो इसी प्रदेश के अन्दर वह 35 हजार रुपए क्विंटल में बिका है और आज भी वही हाल है। आज भी किसान का ग्वार उसके घर पर पड़ा हुआ है। सरकार की कोई नीति नहीं है। आज भी केन्द्र में कांग्रेस की ही सरकार है और प्रदेश में

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

भी कांग्रेस की सरकार है। हम तो कहते हैं कि इसको वायदा कारोबार में शामिल करो क्योंकि ग्वार ऐसी फसल है जो डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं आ सकती। गेहूं का अगर रेट बढ़ता है तो नि:संदेह आज आदमी के ऊपर उसका असर पड़ता है परन्तु ग्वार से तो गम बनता है और वह हमारे आज किसान के लिए, व्यापारी-मजदूर के लिए आज क्या काम आएगा? सरकार को चाहिए कि उसका रेट ज्यादा से ज्यादा किसान को दिलाएं ताकि किसान की माली हालत में कुछ सुधार हो सके। पड़ोसी की बात कह रहे हैं मगर आज भी यही हालत है माननीय सभापति महोदय, और आज भी मैं सदन में कह रहा हूं कि जिस दिन किसान का ग्वार बाजार के अन्दर आ गया तो उस दिन जो रेट होगा और जिस दिन वह धन्ना-सेठों के पास चला जाएगा वही ग्वार दुबारा 35 हजार रुपये क्विंटल हो जाएगा। इसके साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं आज भी किसान है वह अपनी ढाणी में, अपने गांव में, अपने खेत में बैठा हुआ है। वह इसलिए बैठा हुआ है कि खेत की रखवाली भी हो जाएगी और समय पर पानी और सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाएगा। मगर हालात क्या है कि आज भी वह अपने बेटे को बिजली के बल्ब के अन्दर नहीं पढ़ा सकता।

माननीय सभापति महोदय, यह बिजली, इनका भी कानून है और यह वही कानून है जो उनको प्रभावित कर रहा है कहीं न कहीं। आज किसान की हालत तो दिनों दिन बुरी होती जा रही है। इसके बारे में निश्चित रूप से अगर आप कोई सर्वे करें तो आपको यही आएगा कि किसान खेती छोड़ने को तैयार हो गया। अगर किसान ने खेती छोड़ दी माननीय सभापति महोदय, हमें याद है, हमने इतिहास पढ़ा है कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस समय जब उन्होंने जो लगान ज्यादा लगाया तो किसान को जब यह लगा कि इससे बढ़िया तो आत्महत्या ही है, इससे बढ़िया तो मौत ही है तो उन्होंने खेती को ठुकरा दिया और ब्रिटिश हुकूमत झुक गई थी उस वक्त भी और आज भी किसान की वही हालत हो रही है। किसान को मजबूर किया जा रहा है कि वह अपनी खेती को छोड़ दें। किसान को मजबूर किया जा रहा है कि वह अपना और कोई व्यवसाय, बिजनस करें। किसान का खेती से मोह भंग हो जाएगा, किसान खेती को छोड़ देगा और उसकी आने वाली संतान को जब यह एहसास होगा कि खेती से अपना परिवार नहीं चला सकते, खेती से अपने परिवार को, वंश को वह

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे तो दिनों दिन खेती की क्या हालत हो जाएगी! माननीय सभापति महोदय, आज एक किसान का नौजवान 20-22 साल का बेटा, खेत की तरफ मुंह नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि वह जानता है कि अगर वह खेती करेगा तो उसने अपने बाप-दादा की माली हालत को देखा है इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इसके बारे में गम्भीर आत्ममंथन करे, अच्छी नीतियां बनाएं। किसान को अगर आप बचाओगे तो आपकी पार्टी भी बचेगी, आपकी सरकार भी बचेगी और किसान को अगर नहीं बचाओगे तो दिनों दिन ऐसी हालत हो जाएगी कि एक न एक दिन किसान बागी हो जाएगा और फिर आप और हम उसको सम्भाल भी नहीं पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हमारे जिले के अन्दर कई किसान चूंकि, ट्यूबवैल के पानी से खेती करते हैं, बिजली से। कई फ्लो नहर है उसके लिए। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे जिलों के अन्दर नहर आई.जी.एन.पी. उस इलाके को सिंचित करती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज तक हमारी जितनी भी रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं तो कभी भी कृषि अधिकारी उस रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते। सिंचाई विभाग अलग मीटिंग करता है और एग्रीकल्चर विभाग अलग काम करता है। सिंचाई वालों को तो यह पता है कि पानी छोड़े या नहीं छोड़े और जो कृषि अधिकारी हैं, वे उनकी मीटिंग में कभी नहीं जाते। न ही इन्होंने ऐसा कोई नियम बना रखा है। जहां एक तरफ सरसों की बुवाई अक्टूबर में हो जानी चाहिए वह इस बार जाकर नवम्बर लास्ट में हुई थी। ऐसी हालत के अन्दर माननीय सभापति महोदय, पर्याप्त और सही समय पर बुवाई नहीं होती तो सीधा असर किसान के ऊपर पड़ता है।

अन्त में मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिले के अन्दर 2008 में लघु किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान को राज्य सरकार ने नरेगा के तहत डिग्गी दी थी कि वह अपनी डिग्गी खोद कर पानी को वहां पर इकट्ठा करे। माननीय सभापति महोदय, 2008 के बाद में 2013 चल रहा है। मात्र सात-सात, आठ-आठ बीघा जमीन थी उसकी। एक बीघा में डिग्गी खुदवा दी और दूसरे में वह मिट्टी भरी हुई पड़ी है। आज 2008 के बाद में उसकी क्या हालत है, कम से कम अगर

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

आप उस डिग्गी को नहीं बनवा सकते तो उसकी भराई के ही पैसे दे दो। हमने गलती कर ली कि आपके कहने पर डिग्गी खोदी है। सरकार जब ऐसी नीतियां रखेगी और किसान की दु:ख-पीड़ा को नहीं मानेगी तो माननीय सभापति महोदय, इसको किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता।

श्री सभापति: श्री शंकरलाल अहारी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, लास्ट में मैं अपनी बात रख रहा हूं कि अभी बारदाना, गेहूं की हमारी कटाई शुरू हो जाएगी। खूब पर्याप्त मात्रा में हमारे जिले में और हमारी तहसील में गेहूं आएगा मगर बारदाने का हमेशा अभाव रहता है और बारदाना सही समय पर, आपका अपना विभाग है वह यह बताये तो सही इनको कि इतने हैक्टेयर के अन्दर गेहूं हुआ है। जितने हैक्टेयर के अन्दर गेहूं हुआ है जितना प्रोडक्ट हुआ है, उसके हिसाब से आज एडवांस में बारदाना दो। माननीय सभापति महोदय, किसान की, उसकी फसल मण्डी में रुलती रहती है और बारदाना के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि सरकार इस पर आत्म-मंथन करे, चिंतन करे और किसान के बारे में सोचे। अगर नहीं सोचेंगे किसान के बारे, उसकी नीतियों के बारे में तो आपके केवल मात्र उनको ब्याज मुक्त करने से, ऋण मुक्त करने से किसान का भला नहीं होगा। किसान की पीड़ा को समझकर उनकी बेहतर नीतियों को बनाना होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री शंकर लाल अहारी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10 बजकर 45 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया जाए और पौने 11 बजे माननीय मंत्री महोदय से जवाब आप अभी से निश्चित कर दें।

श्री सभापति: क्या सदन का समय पौने 11 बजे तक बढ़ाया जाए?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): और इसमें जब तक मंत्रीजी का जवाब आता है। पौने 11 बजे मंत्रीजी का जवाब शुरू होगा और जब तक मांगें पारित होती हैं, तब तक के लिये समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: माननीय, पहले समय पौने 11 बजे तक बढ़ा रहे हैं या मंत्रीजी तक?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा स्पष्ट है कि कंडीशनल बढ़ाया है, पौने 11 बजे आप मंत्री महोदय को जवाब देने के लिये पुकारें और जवाब पूरा होने और डिमांड पारित होने तक आप सदन का समय बढ़ा दें।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): किसानों का मामला है, साहब।

श्री सभापति: किसानों का मामला है, 22-23 परसेंट से ज्यादा अपनी यहां सदस्य संख्या नहीं है। माननीय सदस्य, आप कह रहे हो किसान-किसान। 80 परसेंट लोग नहीं हैं, यहां हैं कितने लोग? कितने लोग बैठे हुए हैं? और कितने लोग गम्भीर होकर सुन रहे हैं? आप बात कैसी करते हो? यहां सदस्य संख्या की हालत देख लो। जब से सदन चल रहा है, कितने लोग बैठ रहे हैं। महत्वपूर्ण मांग-महत्वपूर्ण मांग है। सदन का समय पौने 11 बजे तक सभी माननीय सदस्यों के बोलने का नियत किया जाये और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय का जवाब आने तक और मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री शंकर लाल अहारी।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज वास्तव में एक महत्वपूर्ण मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको खूब-खूब धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस समय इस बजट में किसानों की भलाई और किसानों के हितों को देखते हुए कृषि क्षेत्र को काफी योजनाओं से जोड़ा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आजादी के बाद यहां एक सुई ...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, देखो आप। माननीय आप अपने सदस्यों को रोको। इतनी कम संख्या है। बार-बार आप हम पर आरोप लगाते हो कि हम सदन नहीं चलाना चाहते। यहां देखो आप, यहां पर प्रतिपक्ष नहीं है। ये बहिन जी जा रही हैं, इनको रोको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 42 हैं।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): ऐसी परिस्थितियों में आजादी के बाद जब सुई का भी कारखाना नहीं था, हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने और इनके सान्निध्य में, इनकी अगुवाई में कई ऐसे काम हुए, जो आज भी सराहनीय और प्रशंसनीय है। आपने भाखड़ा और चम्बल जैसे बांध बनाये। पानी इकट्ठा हुआ और किसानों के मन में आया पानी देखकर खेती करने का। यह सही है कि पिछड़ेपन को धीरे-धीरे आगे लाया जाता है, उसको ऊपर उठाया जाता है और विकास में धीमी गति मिल सकती है। परन्तु हमारे देश का किसान सबल हुआ, जागता हुआ और हमारी सम्माननीय इंदिरा गांधीजी ने किसानों को आगाह किया और इस देश में हरित क्रान्ति लाने का एक कदम उठाया। हम पहले खाने के लिये गेहूं अमेरिका से मंगाते थे, माइलो मंगाते थे और उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सम्माननीय प्रधान मंत्री महोदया ने किसानों को कृषि के संसाधनों से जोड़ा। कृषि क्षेत्र में किसानों को विकसित किया और विकसित करते हुए इनको चहुंमुखी विकास की ओर निरन्तर गति देते रहे और आगे बढ़ते रहे।

मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे राजस्थान ने कृषि के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने कृषकों के लिये ध्यान दिया। कृषकों को समय पर बीज दिया। कृषकों को समय पर बीज दिया और कृषकों को निरन्तर आगे उठाने के लिये आपने योजनाबद्ध तरीके से उनको जब आगाह किया तो किसान भी जागता हुआ और किसान ने रात दिन एक करके कृषि करने का कार्य आरम्भ किया। हमारे दक्षिण राजस्थान की तरफ डूंगरपुर-बांसवाड़ा, उदयपुर सम्भाग जो क्षेत्र है, यह पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे पास जोत करने की जो जमीन है, वह कम है और गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले भाग में किसानों के पास काफी अच्छी मात्रा में 500-500 बीघा जमीन है। हमारे बड़ी मुश्किल से किसी किसान के पास 100 बीघा जमीन हो सकती है, 50 बीघा जमीन हो सकती है और उस जमीन के आधार पर अपना निर्वाह करता है। कई जो उन्नत बीज हैं, मंहगे बीज हैं और जो मंहगे बीज लाकर किसान अपने खेतों में डालता है, तो मैं समझता हूं उसका जो भाव है, वह सरकार ने फिक्स किया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि समय के अनुसार जो भाव फिक्स किया, उसी से किसान ऊपर उठ सकता है। मंहगा बीज लायेगा, महंगा बेचेगा तो उसकी आर्थिक माली हालत में सुधार आयेगा।

(श्री शंकर लाल अहारी)

वर्षा जल संग्रह एवं जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने से 5 हजार डिग्गियों तथा 10 हजार फार्म पाण्ड्स के निर्माण के लिये अनुदान देने का जो प्रावधान प्रस्तावित किया है, वह सराहनीय कदम है, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि जल संग्रहण नहीं करेंगे तो आगामी समय हमारे लिये जल के हिसाब से बड़ा खतरनाक समय सिद्ध हो सकता है। इस ओर समय-समय पर कृषि क्षेत्र में काफी कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषकों को बाहर ले जाया जा रहा है। कृषकों को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाकर, हमारे वहां से तो महाराष्ट्र में ले गये किसानों को और वहां का कृषि करने का जो तरीका है, हमारे किसान सीखें तो मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के जो प्रयास हैं किसानों को ऊपर उठाने का, वास्तव में हम जितनी तारीफ कर सकें, उतना कम है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी वास्तव में विकास का एक गांधी है और इस गांधी ने इस राजस्थान प्रदेश को चहुंमुखी विकास की ओर ले जाने के लिये जो बजट प्रस्तावित किया है, वह वास्तव में तारीफे-काबिल है। वर्ष 2013-14 में किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। रबी एवं खरीफ फसलों हेतु उर्वरकों की पर्याप्त एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2013-14 में 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन डी ए पी, 50 हजार मीट्रिक टन मिश्रित उर्वरक एवं 50 हजार मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्ट का अग्रिम भण्डार किया जाना प्रस्तावित किया है। किसान को समय पर खाद मिल जाये, समय पर बीज मिल जाये तो उसकी खेती में काफी आमदनी बढ़ सकती है। समय पर जो चीज नहीं मिलती है, उस समय किसान काफी तकलीफ में हो जाता है। हमारा जो क्षेत्र है, वह वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। वहां कोई इतने बड़े-बड़े तालाब नहीं हैं, नदी-नाले नहीं हैं, जिनको हम बांधकर सिंचाई कर सकें तो वर्षा के आधार पर वहां का किसान जब वर्षा के समय में ऊपर-नीचे देखता है, बादल को देखता है, पानी बरसने की तैयारी होती है तो वह तैयारी करता है। इस हिसाब से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने समय पर पिछले बजट भाषण में आपने बताया था कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा को हाई ब्रीड मक्का दिया जायेगा। वास्तव में वह हाई ब्रीड मक्का दिया हमको और उस मक्के से काफी किसानों को लाभ मिला और वही मक्का पका। बाकी हमारे देशी मक्की वहां पिघल गयी। क्योंकि समय पर वह बीज दिया, समय पर किसानों को खाद दिया और समय पर बुवाई हुई और उस बुवाई से हम लोगों को फायदा मिला।

(श्री शंकर लाल अहारी)

(22.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मक्का का हाई ब्रिड बीज हमको गत वर्ष दिया वही बीज हमको मिलना चाहिए। किसानों को बाजार के भावों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर में एक एग्री-मार्केट इंटेलीजेंस एण्ड बिजनेस प्रमोशन सेन्टर की स्थापना करने की जो घोषणा की है, यह बहुत बड़ी घोषणा है।

फल-सब्जियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन हाउस, पाली हाउस एवं नेट हाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष में पांच करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

कृषकों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में फल एवं सब्जियों का विक्रय, मण्डी में करने की बाध्यता को समाप्त करने का काम हमारे लिए सराहनीय कदम है।

कृषि सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए विगत दो वर्षो में भर्ती का कार्य जो किया गया है, 897 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती एवं 366 सहायक कृषि अधिकारियों की भर्तियां हुई हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषि पर्यवेक्षक जो है, पंचायतवार एक-एक कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए क्योंकि आज ग्राम सेवकों की बहुत कमी है। एक ग्राम सेवक चार-चार, पांच-पांच पंचायतों को सम्भाल रहा है। कृषि के कार्यक्रम जब होते हैं तो वह ग्राम सेवक बड़ी मुश्किल से एक ही पंचायत को अटैण्ड कर पाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए।

(22.01 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वर्ष 2013-14 में 1500 कृषि पर्यवेक्षकों तथा 300 सहायक कृषि अधिकारियों के पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। डूंगरपुर जिले में सहायक निदेशक कार्यालय स्थापित किया जाएगा। यह उस आदिवासी क्षेत्र और हमारे लिए बहुत बड़ी घोषणा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप खड़े होकर बोलिए। ऐसे क्यों बोलते हो आप?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इनको 45 मिनट हो गये। फिर काहे को बैठा रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने पार्टी के लीडर से पूछिए न।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वह देते हैं सहमति। हम थोड़े ही देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप किसी से गाइड मत होइये। आप या तो आसन से गाइड होइये या पार्टी के लीडर से गाइड होइये। जरूरी नहीं है बोलना। हर बात पर बोलते हैं।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): ड्रिप सिस्टम और फव्वारा सैट पर जो अनुदान दिया जा रहा है उससे हमारे किसानों को वास्तव में काफी लाभ हुआ है। यह 90 प्रतिशत किया है। मैं तो कहता हूं कि 100 प्रतिशत करना चाहिए। आपको छूट देनी चाहिए। दस परसेंट के लिए क्या जरूरत है ताकि आम किसान उसका लाभ उठा सके।

राज्य में 10 हजार सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट स्थापित किये जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है। अभी सौर ऊर्जा के माध्यम से पांच लाख की स्कीम निकली है। उसमें कुछ हिस्सा कृषक को भरना पड़ता है। बाकी का उसको अनुदान के रूप में दिया जाता है। सौर ऊर्जा नियमित रूप से पानी निकलेगा। खेतों में सिंचाई हो सकेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार का सिस्टम लागू किया जाए जिससे कि आम आदमी, आम किसान उस संयंत्र से जुड करके अपना भरण पोषण कर सके।

श्री उपाध्यक्ष: शंकरजी, शार्ट कीजिए। संक्षिप्त करो।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): फसली ऋणों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यह उस एरिये के लिए काबिल है। एक लाख मुफ्त ब्याज योजना से जो हमको दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया है। वह जमीन के आधार पर है। यह कोई जरूरी नहीं है कि डेढ़ लाख रुपया ही मिले। उसकी जमीन ज्यादा होगी तो डेढ़ लाख रुपये मिलेगा और जमीन कम होगी तो कम मिलेगा। आपने यह जो घोषणा की है वह हमारे किसानों के लिए लाभकारी होगी क्योंकि हमारा किसान खेती के समय बिना पैसों का हो जाता था और वह सेठ साहूकारों के पास जाकर अपने गहने वहां रख देता था और उससे पैसा ऋण के रूप में लेता था। अब वह लैम्प्स और सहकारिता अभियान के माध्यम से ब्याज मुफ्त सीधा किसान को मिल रहा है। इससे बढ़ कर गरीब किसानों के लिए दूसरा काम नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें शंकरजी।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): प्रदेश के 15 जिलों में बहु-उद्देश्यीय पशु चिकित्सालय स्थापित हैं। आगामी वर्ष में शेष 18 जिलों में जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों को बहु-उद्देश्यीय में क्रमोन्नत किया जाएगा। 10 हजार डेयरी बूथों की स्थापना करना प्रस्तावित है। इससे युवकों को काफी रोजगार मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मनुष्यों के लिए तो किया, पशुओं के लिए नि:शुल्क दवा योजना लागू करें। वर्ष 2013-14 में 400 ग्राम पंचायतों में नवीन चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने का है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप 400 ग्राम पंचायतों में खोल रहे हैं, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पंचायतवार एक-एक पशु उप केन्द्र खोला जावे ताकि वहां की रोजमर्रा की आवश्यकताओं का लाभ लोग उठा सकें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। आप विराजिये। माननीय कान सिंहजी कोटड़ी।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 37 और 39 पर निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर 70 परसेंट जनसंख्या कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करती है तथा खेती ही सबसे उत्तम धन्धा माना जाता था परन्तु केन्द्र सरकार की विभेदकारी आर्थिक नीतियों के अन्दर मौसम का जोखिम, आधुनिक तकनीक का जोखिम, बाजार का जोखिम, विदेशी व्यापार का जोखिम इस प्रकार से इनमें से किसान के ऊपर यदि एक भी मार पड़ती है तो किसान इस स्थिति को उठाने के लिए सक्षम नहीं है जिसके कारण आप देखते हो हमारे देश के अन्दर हजारों किसानों की जानें चली जाती हैं। केरल और आन्ध्र प्रदेश में गत वर्ष एक हजार आदमियों की जान गई। मेरा यह निवेदन है कि आज जो किसान है, उसकी हालत सबसे नीचे पायदान पर आ गई है। हम आंकड़ों का अध्ययन करें तो आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनमें 52 परसेंट स्थान छोटे और सीमान्त किसानों का है, 46 परसेंट मजदूरों का है, 22 परसेंट दस्तकारों का है तो मेरा यह निवेदन है कि सभी सेवा क्षेत्रों के अन्दर बढ़ रहे हैं, उद्योगों के अन्दर बढ़ रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी बढ़ रही है, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ रही है परन्तु किसान की हालत कमजोर हो रही है। आज मजदूर को 170 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये मिलते हैं। किसान की औसत जोत एक हैक्टेयर है। मतलब ढाई एकड़ है और उसकी आय, अगर वह सालभर ट्यूबवैल से सिंचाई करे तो उसकी शुद्ध आय एक हजार रुपये महीने बैठती है।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

मेरा निवेदन है कि किसान की हालत के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि किसान की खेती आज घाटे का सौदा हो गया है और किसान खेती छोड़ने पर मजबूर है। मेरा यह निवेदन है कि किसान को लाभकारी मूल्य दिया जावे। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू हुई है उसके अन्तर्गत किसान की लागत का 50 परसेंट मूल्य किसान को दिया जाए। किसान की कृषि को लाभकारी बनाया जाए।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सिवाना दो भागों में विभक्त है। एक तरफ नदियां हैं और दूसरी तरफ पहाड़ है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दो वर्ष के अन्दर अच्छी बरसात हुई परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर लूणी नदी और उसकी सहायक नदी सूकड़ी चलती है परन्तु नदियों के प्रवाह क्षेत्र में अवरुद्धता आने के कारण, नदियों में पानी नहीं आने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र नदियों के किनारे आया हुआ था, आज जो रबी का क्षेत्र है वह एक बटा तीन रह गया है।

हमारा रबी क्षेत्र है वह एक फसली होता जा रहा है, मैं माननीय मंत्री जी, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बजट के अन्दर बांध के अन्दर मेज नदी का पानी, चम्बल नदी का पानी, माही नदी का पानी डालने की बात कही है, यह मारवाड़ा की मरू गंगा जो पांच जिलों के अन्दर बहती है और हमारे इस खेती पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, मेरा भी निवेदन है कि बांध की सीमा एक निश्चित की जाए और नदियों के अन्दर भी प्रति तीसरे वर्ष पानी आये ताकि हमारे क्षेत्र के किनारे पर जो लोग हैं, जो रबी का क्षेत्र है वो एक फसली हो रहा है तो पुन: वापस रबी क्षेत्र के अन्दर क्रमोन्नत हो।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो खेती से ही सम्बन्धित है, माननीय उद्योग मंत्रीजी विराजे हैं, हमारे क्षेत्र के इन-इन नदियों के अन्दर जो बालोतरा और पाली फैक्टरी का रसायन युक्त पानी पड़ता है वह भी बिना ट्रीट पानी नदियों के अन्दर नहीं आना चाहिए। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी हमारे किसान, खेती से सम्बन्धित है अगर हमारे नदियों के अन्दर अगर बजरी का खनन जे.सी.बी. से होता रहा तो नदियों के अन्दर जो थोड़ा-बहुत पानी बचा है वो भी नहीं रहेगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि नदियों के अन्दर जे.सी.बी. पर भी रोक लगायी जाए।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो मौसमी बीमा यंत्र है, मौसमी बीमा यंत्र के कारण गत वर्ष पाला और शीतलहर हुई परन्तु उस फसल का सही आंकलन नहीं हो पा रहा है, मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर यह क्राप कटिंग आधारित जो बीमा है वो लागू किया जाए ताकि हमारे किसानों को फसल का सही मुआवजा प्राप्त हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अभी 40 हजार हैक्टेयर के अन्दर जीरा है, रायड़ा है, सरसों है, ईसबगोल बोई हुई थी परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 10 परसेंट से 35 परसेंट नुकसान हुआ है जबकि आपने जो पैकेज दिया है वो 50 परसेंट पर दिया है। मेरा यह निवेदन है कि इसको हटाकर के जितना किसान के नुकसान हुआ है उस आधार पर बीमा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): दूसरा, मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी है, वहां पर भी मेरा यह निवेदन है कि वहां पर चैक डैम बनाये जाएं ताकि हमारे वहां पर भी जो पानी नीचे जा रहा है उस क्षेत्र के अन्दर भी पानी रीचार्ज हो और हमारे खेतों में, बेरों के अन्दर जो पानी नीचे जा रहा है वह ऊपर आये।

मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से डिग्गी और स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया है, मैं यह चाहता हूं कि मेरे वहां पर मटियाली जमीन है, वहां पाइप लाइन सक्सेज है, आपने 15 हजार रुपये 800 मीटर पर दिये हैं, मेरा यह निवेदन है कि आप इस पाइप लाइन के अन्दर भी अनुदान बढ़ाएं।

आप जिस तरीके से देख रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, नदियों के अन्दर भी कास्टिक गिर रहा है, इसके कारण हमारी जमीन क्षारीय हो रही है, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिप्सम का जो अनुदान है वो बढ़ाया जाए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खेतों के अन्दर जंगली जानवरों से रक्षा के लिए तारबंदी के रूप में हमारे किसानों को अनुदान दिया जाए। पारम्परिक जो सौर ऊर्जा है उसके अन्दर आपने डिग्गी के काश्तकारों को, फव्वारा वालों को, सभी काश्तकारों को जो सौर ऊर्जा पम्प है वह दिया जाए।

हमारे अरंडी रबी के अन्दर बीमा नहीं है, उस अरंडी को भी बीमा के अन्दर लिया जाए।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

हमारे समदड़ी के अन्दर कृषि अनुसंधान केन्द्र है वो बिलकुल ऐसे ही पड़ा है, जो मण्डोर के अन्डर में है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस कृषि अनुसंधान केन्द्र के अन्दर भी गतिविधियां चालू की जाए।

मैं मांग संख्या 39 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पशु संख्या की दृष्टि से सिवाना समृद्ध क्षेत्र है, मेरे इस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पशुओं की संख्या को देखते हुए एक तिहाई पशु चिकित्सा उपलब्ध है...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये, विराजिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): मैंने 9 चिकित्सालयों की मांग की थी, मात्र एक खुला है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक पंचायत के अन्दर पशु शिविर प्रारम्भ किया जाए। टीकाकरण की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे पशु पालकों को सुविधा प्राप्त हो। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री लालशंकर जी घाटिया। (व्यवधान) अच्छे वक्ता हैं यह सदन के, आज सुन लीजिए अच्छी तरह।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): पांच मिनट में क्या बोल पाऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 और 39 पर जो बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने जगह-जगह बांध बनवाये, नहरें बनवायीं और हमारे शास्त्रीजी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और अन्न उत्पादन करने में कार्यक्रम किया। उसके बाद में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीजी ने हरित क्रांति का शुभारम्भ किया और यहां पर खेतीबाड़ी के काम में किसानों ने जो भी काम किये और सरकार ने जो सहयोग दिया, उसकी मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं।

इस बजट में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत ने जो-जो भी योजना बनायी है उन योजनाओं का मैं पूरा समर्थन करता हूं और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोतजी ने कृषि

(श्री लालशंकर घाटिया)

हेतु जो किसानों को ऋण दिया जाता था उसमें जमीन के आकार पर एक लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। समय पर फसली ऋण जो भी लेना चाहे, उसे दिया जाता है और समय के अनुसार पैसा जमा कराते हैं, उसका ब्याज राजस्थान की सरकार भरेगी। यह निर्णय लिया जाकर प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा सहयोग किया।

इसी प्रकार सबसे पहले हमारे यहां पर जो किसान कहीं खेती बाड़ी करते हैं, कभी दुर्घटना में ग्रसित होते हैं, उसका बीमा मात्र 25 हजार रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने एक लाख तक का यह प्रावधान किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में किसान भाई रहते हैं उनको सहयोग दिया। मैं हमारे मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत को, कृषि मंत्रीजी को और टी.एस.पी. के हमारे मिनिस्टर मालवीयजी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि सबसे पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और बी.जे.पी. की सरकार में किसी भी प्रकार का खाद, बीज नहीं दिया जाता था और हमारे उदयपुर सम्भाग में टी.एस.पी. क्षेत्र में हमारे टी.ए.डी. मिनिस्टर के द्वारा चाहे मक्का का बीज हो, चाहे डी.ए.पी. खाद हो, चाहे यूरिया हो, चने का बीज हो, हर प्रकार का बीज दिया, किसानों को प्रोत्साहन दिया और उसने खेती बाड़ी अच्छी की। मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। इसके बाद में लगातार तीन साल में हमें हर प्रकार का बीज समय-समय पर मिलता रहा।

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे उदयपुर सम्भाग में मोनसेंटो नाम का एक बीज आया था, मक्की आयी थी वो बहुत ही अच्छी मक्की थी। डी.के.सी. 70, 74 इसकी मांग है। अधिक बरसात आने पर यह बीज खतम नहीं होता है, अच्छी पैदावार होती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे उस क्षेत्र में यह मोनसेंटो डी.के.सी. 70, 74 को दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि एक बार हमारे यहां पर एक बीज आया था जे.के.एम.एस. 175, यह बीज थोड़ा खराब था, उसमें हमारे किसानों का नुकसान हुआ है, मैं आपसे मांग करता हूं कि जो भी कम्पनी से बीज खरीदें वो बीज बहुत ही गुणवत्ता का हो, हमारे किसानों का नुकसान नहीं हो। यह मैं आपसे मांग करना चाहूंगा।

इसके बाद मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि हमारे

(श्री लालशंकर घाटिया)

डूंगरपुर में और सम्भाग में, सम्भाग में तो किसान सेवा केन्द्र बनाया गया है उसी प्रकार जिले में भी किसान सेवा केन्द्र बनाया गया है। अभी पंचायत स्तर पर भी बनाया जा रहा है और पंचायतों में भी बन रहे हैं लेकिन कहीं-कहीं बने हैं, मेरा अंदाज है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 48 पंचायतें हैं उसमें से 18 में बने हैं, बाकी में नहीं बने हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यह किसान सेवा केन्द्र हर पंचायत में बनाएं और वहां किसानों को बैठने की और पढ़ने की, सभी प्रकार की सुविधा हो। मैं यह मांग आपसे करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, विराजिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): इसके बाद में मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे वहां पर बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है वो ब्याज मुक्त होता है, इसके बारे में मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

उसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे वहां पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में पानी नहीं मिलता। लोग कुओं और बावड़ियों से पानी मटकों से लाकर लोटा-लोटा पिलाते हैं और कहीं-कहीं बोर भी करते हैं। मैं मांग करता हूं हमारे कृषि मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि पहाड़ी क्षेत्र में जो बोर हो रहे हैं, छोटे बोर हों या बड़े हों, वहां पर सिंगल फेस की मोटर लगे और सिंगल फेस की मोटर के माध्यम से उस क्षेत्र में कनेक्शन दिये जाएं और वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री सूरजभान जी घानका।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): एक मिनट। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर बी टी काटन की खेती होती है, इन लोगों ने बी टी काटन को गुजरात में ले जाकर वहां जिनिंग दी। अभी हमारे राजस्थान सरकार ने चुण्डावाड़ा में यस एग्रो करके जिनिंग लगाई है । लेकिन उसके अन्दर जो अनुदान मिलना था वो नहीं मिला है। मैं आपसे मांग करता हूं कि बहुत जल्दी उनको पैसा दिया जाए।

दूसरा, हमारे वहां पर पहाड़ी क्षेत्र में जो भी ट्रैक्टर छोटे आते हैं उसकी कीमत साढ़े तीन लाख से चार लाख रुपये है, मैं मांग करता हूं कि उस ट्रैक्टर पर कम से कम एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर पशुपालन के अन्दर हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत...

श्री उपाध्यक्ष: सूरजभान जी आप बोलिए। केवल सूरजभान जी का ही।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): ×××

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मांग संख्या-37 और 39 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारा पूरा अर्थ चक्र कृषि पर आधारित है। पहले जब अमेरिका से गेहूं मंगाया जाता था, मक्का, ज्वार मंगाई जाती थी तो हमारे प्रधान मंत्री शास्त्रीजी ने हफ्तें में एक दिन सरकारी कार्यालयों में उपवास रखा था कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। उन्होंने नारा दिया था जय जवान, जय किसान। जब 1962 के युद्ध में हमारी चीन से हार हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी हार क्यों हुई तो उन्होंने नारा दिया था कि सीमा पर जवान और देश में किसान। वहां सीमा पर प्रहरी वो हैं और किसान चींटी से लेकर सभी प्राणियों का पेट पालन करता है। तो किसान के ऊपर जितना ध्यान दिया गया, मैं तो कहता हूं किसानों के लिए अलग से बजट हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था हो, नहरें लाई जाएं। हमारा बहुत बड़ा भू-भाग खाली पडा है, अगर उसमें पानी की व्यवस्था होती है, सिंचाई होती है तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान पूरी तरह से अन्न पैदा करने में और बाहर एक्सपोर्ट करने में भी सक्षम होगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको तो नहीं बोलना है ना? ठीक है आपने इनके माध्यम से कह दिया।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): खाद के बारे में कह रहे हैं तो आजकल जो रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है जमीन में कीटनाशक पदार्थों का जो कि जहरीला अन्न पैदा करते हैं। तो इसमें मेरी यह सलाह है कि जैविक खाद और देशी गोबर की खाद को ज्यादा बढ़ावा दें।

समय पर बढ़िया बीज उपलब्ध करवाएं। पीछे देखा है अमरारामजी लाए थे ढाई फुट का बाजरे का सिट्टा, तो उससे किसान को बहुत भारी नुकसान हुआ। उसमें न पशुओं के लिए चारा हुआ, न खाने के लिए अन्न हुआ। ऐसी जो बीज कम्पनियां हैं उन पर मुकदमा तो कर दिया, एफ आई आर

(श्री सूरजभान धानका)

लाज करवा दी लेकिन उन किसानों की क्षतिपूर्ति कौन करेगा और कौन उनको चारा देगा? तो पहले ही बीज की गुणवत्ता की जांच करके खरीदें, उसका पहले डेमो देख लें।

हमारे जब सब्जियां खराब हो जाती हैं, अनाप शनाप आती हैं तो भाव डाउन हो जाता है तो उसके लिए शीत भण्डारण की आवश्यकता है। एक बार मैं जा रहा था रास्ते में फूल ही फूल बिखरे हुए थे तो मैंने कहा कि आज इतना बड़ा नेता कौन गया तो मुझे पता लगा कि अठन्नी किलो, अठन्नी किलो गैंदा के फूल, अठन्नी किलो तो उपाध्यक्ष महोदय, तुड़ाई नहीं होगी। तो इन चीजों की व्यवस्था हो कि जो हमारा किसान पैदावार करे उसका उसको उचित मूल्य मिले।

गेहूं की खरीद हुई थी, जगह जगह समस्या आ गयी, बारदाना नहीं है। जब आप लोगों को पता है कि उस टाइम खरीद करनी है तो उससे पहले बारदाने की व्यवस्था हो ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके। उनको औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है। मण्डी में भण्डारण की व्यवस्था हो।

जब किसान महंगी खेती, यह खेती महंगी हो गई, पहले गरीब की खेती बताया करते थे लेकिन आज चाहे खाद हो, बीज हो, ट्रैक्टर से जुताई हो, महंगी पड़ती है, कर्जा हो जाता है और जब खेती पकती है, अनाज निकलता है उस पर जब कर्जा होता है तो ओने पौने दामों में बेचता है। कोई ऐसी व्यवस्था हो कि उसका भण्डारण कर लिया जाए। तीन चौथाई राशि उसको दें और जब उचित मूल्य आने पर उसको।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें। मंत्रीजी का रिप्लाई होगा ना।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अभी जो ओलावृष्टि हुई है पचास परसेंट खराबा रखा है, पचास का उनचास हो गया तो क्या उसको खराबा नहीं दिया जाएगा? कम से कम पच्चीस परसेंट नुकसान होने के बाद किसान को मिलना चाहिए।

पशुपालन और चिकित्सा, इसमें पशुओं के लिए दवाई फ्री कर दी, मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। दो रुपया दूध पर भी किया उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। पशुओं के लिए जैसे गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण को हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अर्जुनलाल जी। अब आप विराजिए।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अर्जुनलाल जी, थोड़ा संक्षेप में बोलें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल मैं तो मेरी डिमांड पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नैट बात करिये, यह सभी अपने नेताओं की बड़ाई करते हैं, काम की बात नहीं करते।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): बिलकुल मेरी डिमांड पर ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नई परिपाटी डालिए आप।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): बिलकुल नई परिपाटी। पहले कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार नीच नौकरी करे लाचार, अब इसका बिलकुल उल्टा हो गया है उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती करे लाचार। इससे किसानों की जो हालत खराब हुई है तो उसके लिए जो पैंसठ साल कांग्रेस राज जो इन्होंने किया है, अभी मेरे साथी कह रहे थे सभी...

श्री उपाध्यक्ष: आज की तारीख में कांकरीट बात करिए किसानों से सम्बन्धित।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): बोलने दो साहब आप टाइम फिर मेरे को बढ़ा देना।

श्री उपाध्यक्ष: अपने क्षेत्र की, कैसा हित पाजिटिव बात करिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इसके लिये जिम्मेवार है तो कांग्रेस। दूसरा...

श्री उपाध्यक्ष: सभी पार्टीज अच्छी मानकर पाजीटिव बात करिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): तो ठीक है साहब। कृषि को केन्द्र में जैसे रेल बजट अलग से घोषित किया जाता है वैसे ही कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सरकार की तरह राजस्थान में अलग से इसका बजट घोषित किया जावे।

मौसम आधारित जो बीमा किया जा रहा है इसको क्राप कटिंग के हिसाब से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की तरह लागू किया जावे।

अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है और शायद कृषि मंत्रीजी के भी ध्यान में नहीं होगा इफ्को खाद, डी ए पी जो आ रहा है इस पर 5 परसेंट वैट 1200 रुपये जो रेट है उसके हमारे से 1260 रुपये लिये जा रहे हैं। जैसे पंजाब

(श्री अर्जुन लाल)

और हरियाणा सरकार ने उस वैट को खतम कर दिया है वैसे राजस्थान में भी 5 परसेंट वैट जो इफ्को, डी ए पी पर लग रहा है, खतम किया जावे।

पैट्रोल, डीजल तथा कृषि यन्त्रों पर जो वैट लगा रखा है उसको भी इसके साथ खतम किया जावे।

किसानों के खेतों की सुरक्षा के लिये सूअर, रोजड़े, आवारा पशुओं द्वारा जो उनकी खेती खराब की जाती है उसके लिये या तो नरेगा के तहत सुरक्षा दीवार करायी जावे, या फिर फैंसिंग के लिये अनुदान दिया जावे।

इसके अलावा जैसे मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा योजना लागू की है। पशुधन के लिये भी नि:शुल्क दवा योजना चालू की है तो फसलों के लिये काश्तकारों को दिये जाने वाले कीटनाशक को भी मुफ्त दिया जावे। उसको नि:शुल्क किया जावे।

मेरे क्षेत्र की जो मांग है सम्वत् 2069 की खरीफ फसलों में जो बाजरे का हाई ब्रिड बीज दिया गया था उसमें इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सिंचित क्षेत्र का जो बीज था वह तो दे दिया जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ और असिंचित क्षेत्र का बाजरे का मिनिकिट्स बीज था वह दे दिया हमारे सिंचित क्षेत्र में। तो हमारे जो फीट, डेढ़ फीट का सिट्टा आना चाहिये था उसकी जगह तीन-चार इंच की सिट्टी आ गयी। वहां जो डेढ़ फुट का सिट्टा आना चाहिये था वहां पर कुछ नहीं आया। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से पहले भी निवेदन कर चुका हूं और इसकी शिकायत हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी तक की है। तो इसकी जांच करवायी जाये कि यह जो बीज आया है यह किस ढंग से किस तरह से दिया गया है।

हमारे क्षेत्र के अन्दर जो रिजके का बीज अभी माननीय सदस्य प्रभुलालजी सैनी ने बताया था कि रिजके का बीज 11 हजार रुपये क्विंटल, जबकि मेरे क्षेत्र बिलाड़ा के अन्दर 5 साल के लिये जो रिजके का बीज मिलता है, 5 साल तक उसकी कटिंग चलती रहती है, उस बीज का रेट आज भी हजार रुपये किलो मिल रहा है और इन्होंने छमाही का जो बीज है, छह महीने वह रिजका चलता है उसका बीज यहां 11 हजार रुपये क्विंटल के हिसाब से 14 हजार रुपये क्विंटल तक लिया है। यह भी एक जांच का विषय है। हमारे उधर छमाही का जो बीज, उसमें क्या हुआ हमें जो फ्री बीज मिला था चारे का, रिजके का वह मिक्स कर दिया तो हमारे यहां पैदा हो रहा बीज भी खराब हो

(श्री अर्जुन लाल)

गया। 11 हजार रुपये क्विंटल के हिसाब से उसमें शामिल कर दिया तो उसकी भी एक जांच करायी जावे।

वायदा व्यापार जो फसल पैदा भी नहीं होता है और वायदा व्यापार पर उसकी कीमतें निकाली जाती हैं। उससे किसान को जबर्दस्त नुकसान हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मेरे क्षेत्र में, यहां रेवेन्यू मिनिस्टर भी विराजे हैं, मेरे क्षेत्र में राजनीतिक दुर्भावनावश अकाल होते हुए भी वहां अकाल घोषित नहीं किया गया। जब मैंने, पहली बार जो गिरदावरी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। उसकी एक कापी मेरे पास थी तीन-चार पंचायतों की। फिर मैंने जिला कलक्टर को यह बात बतायी कि जब इन्होंने मेरे क्षेत्र में 80 परसेंट खराबा घोषित कर दिया और इसको अकाल के लिये पेश कर दिया है उसके बाद पूरी विधान सभा क्षेत्र का एक भी गांव में अकाल घोषित नहीं किया। उसके बाद जब मैंने भूख हड़ताल ली, 3 दिन धरने पर लोगबाग़ वहां बैठे रहे तो आपने उनमें से 49 गांव डिक्लेयर कर दिये, बाकी गांव रोक दिये जबकि जो 49 गांव डिक्लेयर हुए हैं उनसे भी जो बचे हुए गांव हैं जो उन्होंने रोक रखे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं आपदा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वापस गिरदावरी की पुन: समीक्षा करवाकर इसको अकाल क्षेत्र घोषित करावें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मेरे क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षक और कृषि सहायक अधिकारियों की कमी के कारण...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री नगराज जी...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): साहब 5 मिनट तो मेरे को दिये हैं आपने।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री नगराज (अनुपस्थित) अब आप समाप्त करो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इसलिये जो रिक्त पद है उनको आप जल्दी से जल्दी पद भरवा कर मुझे लाभान्वित करेंगे तथा कृषि नीति का जो प्रारूप तैयार किया, कृषि नीति भी आप तैयार करवायें...

श्री उपाध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन गैसावत (अनुपस्थित) इधर तो हनुमान जी हैं फिर...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हनुमान जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तरी पश्चिमी भाग में जिसका क्षेत्रफल 61 प्रतिशत है मरूस्थलीय व अर्द्ध मरूस्थलीय है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो 39 प्रतिशत है वह उपजाऊ है। राज्य को दस जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान जी, रिकार्ड होना चाहिये शार्ट में, संक्षेप में और गम्भीर बात...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गम्भीर बात ही करता हूं हमेशा साहब मैं...

श्री उपाध्यक्ष: किसान के पक्ष की।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 37 कृषि और 39 पशुपालन एवं चिकित्सा, सबसे पहले तो लोक सभा के अन्दर भारत के कृषि मंत्री शरद पंवारजी ने कहा कि खेती से घर का गुजारा नहीं चल सकता। 16 हैक्टेयर जमीन पर गेहूं पर किसानों को एक फसल से 2527 और धान पर 2223 रुपये मिलते हैं जो कि परिवार चलाने के लिये नाकाफी हैं।

प्रदेश के अन्दर खेती को मजबूत बनाने के लिये राज्य सरकार प्रयास कर रही है लेकिन और ज्यादा प्रभावी ढंग से राज्य सरकार खेती को मजबूत करने के प्रयास करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज 4-6 महीने बाद ऐसी स्थिति प्रदेश के अन्दर आने वाली है कि किसानों ने ग्वार बहुत ज्यादा खरीद कर इकट्ठी कर ली और भाव एकदम नीचे चले गये 10 हजार पर। 80 प्रतिशत ग्वार राजस्थान के अन्दर होता है और ग्वार एक नकदी फसल है। हाल ही के वर्षों में ब्राजील, अर्जेंटीना सहित कई देश जहां तेल बहुत ज्यादा निकला, कुआ खुदाई में इसको काम में लिया जाता है। राज्य सरकार ने जोधपुर के व्यापारियों के प्रभाव में आकर ग्वार को एन सी डी एफ से बाहर कर दिया। मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ग्वार को पुन: एन सी डी एफ में शामिल करके किसानों को राहत प्रदान करें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, विगत 4 वर्षों में समर्थन मूल्य घोषित होते हैं। खरीद की बात भी होती है, खरीद के केन्द्र भी खुलते हैं। लेकिन राजस्थान के अन्दर 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादित हुआ और उसमें से 18 प्रतिशत गेहूं ही खरीदा गया। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी पैदावार मध्य प्रदेश के अन्दर हुई जिनका समर्थन मूल्य घोषित है, वह सारी की सारी मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 5-6 वर्षों पूर्व किसानों के फल, सब्जी, फूलों को सुरक्षित रखने के लिए एपिडा के द्वारा 3 पैक हाउस बनाये गये शाहपुरा, टौंक और जयपुर के अन्दर। प्रत्येक साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने थे। लेकिन अभी भी उन पैक हाउस का कोई उपयोग राजस्थान सरकार नहीं कर रही है। जितना उन पर बजट खर्च हो गया उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला मुख्यालयों पर जो किसान भवन बनाये गये, उन किसान भवनों के लिए भी देखरेख का अभाव है। ज्यादातर तो यह कह दिया कि इनको होटलों को दे दो। सरकार को किसान भवनों की देखरेख के लिए सही मानिटरिंग करनी चाहिए। माडल एक्ट मार्केटिंग का जो यूपीए सरकार लायी थी पूरे देश के अन्दर कृषि मंडी अधिनियम, 2006 के अन्दर संशोधन करके सीधी किसान से खरीद, संविदा खेती और निजी मंडियों की स्थापना की बात की थी। लेकिन सरकार पिछले 4 साल के अन्दर इस माडल एक्ट को राजस्थान में सही रुप में लागू नहीं कर पायी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त कर दें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: केसाराम जी तीन मिनट बोल लें। वह दो मिनट में क्या बोल पायेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश में शुष्क खेती, अब मेरे सुझाव तो देखें आप। औषधीय खेती, कम लागत, कम पानी, अधिक उत्पादन खेती के ठोस उपाय किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष: सही बोल रहे हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी वर्तमान में चर्चा हो रही थी। एग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर, पशुपालन पर चर्चा हो रही थी। जबकि हमको इनके

(श्री हनुमान बेनीवाल)

साथ में फ्लोरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, होलेरी कल्चर, सेरी कल्चर, अब मेरे सुझाव तो सुनो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, हर्बी कल्चर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो तो केसारामजी को बुला लूं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एयरोमेटिक पोल्ट्री, डेयरी पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय केसारामजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ ...(व्यवधान) प्रदेश के अन्दर किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 पशुपालन और चिकित्सा पर आज राजस्थान की विधान सभा में चर्चा हो रही है ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और फसलों के मुआवजे की जो घोषणा राजस्थान की सरकार ने सदन में की, उससे किसी किसान का भला नहीं होने वाला। जब तक पंचायत को इकाई मानकर 50 प्रतिशत से कम जहां फसलों में नुकसान, जहां 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत हुआ वहां पूरे साल का बिल माफ हो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। माननीय केसारामजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किसानों का पूरा राहत पैकेज सरकार घोषित करे ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट दीजिये। इस तरह हमेशा बीच में हमारी बात को रुकवा देते हैं ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आज कृषि और पशुपालन पर चर्चा हो रही है ...(व्यवधान) भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहां 75 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारे मंत्रीजी खुद किसान हैं, ऊंट से उन्होंने खेती की है पुराने जमाने में और अच्छा अनुभव है इनको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल केसारामजी का अंकित होगा ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 75 प्रतिशत जिस देश की जनता खेती करती हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जहां आज किसानों की कोई कद्र नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब केवल केसारामजी का ही अंकित होगा ...(व्यवधान) अब आप विराजिये, विराजिये ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। हनुमानजी, धन्यवाद...(व्यवधान) केसाराम जी ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह बोलते हुए बंद तो हो जायें ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका अंकित नहीं हो रहा। केसारामजी का होगा ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोल रहा हूं, बीच में बोल रहे हैं मैं क्या करूं ...(व्यवधान) मैं बैठ जाऊं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, आप विराजिये ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका अंकित नहीं हो रहा है, केसारामजी का हो रहा है केवल ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केसारामजी, आपका अंकित हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं बोल रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह बंद तो हो जायें ...(व्यवधान) किसान खेती करे उसके लिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, आपका अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गुणवत्ता का बीज, पानी ...(व्यवधान) और उर्वरक की आवश्यकता होती है ...(व्यवधान) अब कैसे बोलूं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजो। इनको दो मिनट बोलने दो ...(व्यवधान) अब आप विराजो, आप हमेशा ही ऐसा करते हो ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको समय देना भी ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, समय हो गया, 10.45 तय किया था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह तो बंद ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह तो आपका काम है सर, हमने 10.45 तय किया था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, आप विराजिये...(व्यवधान) आप विराजिये ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, आपका अंकित नहीं हो रहा है। केसाराम जी का अंकित हो रहा है ...(व्यवधान) आप विराजिये, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं आप विराजिये ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये ...(व्यवधान) केसारामजी, आपका अंकित हो रहा है। आप बोलें, नहीं तो मंत्रीजी को बुलाऊं ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, इनको सम्भालो ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी आप विराजिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। केसारामजी, कल देखेंगे। कोई बात नहीं ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या करूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब कल देखेंगे, आप विराज जाओ ...(व्यवधान) कोई बात नहीं अब मंत्रीजी का आ जाये ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। मेरे 2-3 सुझाव हैं, मैं बहुत ही जल्दी दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट, मंत्रीजी। कोई पिन पाइंट बात हो तो बता दो आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पिन पाइंट बात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई भाषण नहीं, कोई बात हो तो बताओ ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कृषि के लिए आवश्यक होता है बीजों की गुणवत्ता और बीजों की गुणवत्ता में नमूने पाये गये हैं, जांच में नमूने पाये गये हैं उनमें भी अमानक पाये गये। इसी तरह से उर्वरक और इसी तरह से अपने रसायन, जहर में भी गुणवत्ता नहीं तो खेती कैसे हो जायेगी। खाद नहीं, बीज नहीं और यह तीनों चीजें गुणवत्ता की नहीं होने पर इन्होंने खुद ने बताया है, नमूने लिये हैं और वह अमानक पाये गये तो खेती होना सम्भव नहीं है।

इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से इनको 363.09 करोड़ रुपये प्रस्तावित थे इस सरकार को, मगर इन्होंने लिये 233.35 करोड़ और वह 233 करोड़ जो लिये, इनको कम मिलने का कारण 105.61 करोड़ इनके पास गत वर्ष के अवशेष थे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इनको बड़ी चौपड़ पर बुलवायें, यह तो सुझाव थोड़ी दे रहे हैं, यह तो आरोप लगा रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अवशेष के कारण से इन्होंने इस योजना का पूरा फायदा नहीं लिया और बीकानेर जैसे कृषि विश्वविद्यालय को 2 करोड़ के एवज में शून्य परसेंट उनको रुपये दिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जिसकी वजह से यह योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। आप विराजो माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात और कहना चाह रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो फसल बीमा योजना है, यह किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, 10.45 से 10.49 हो गये। जो व्यवस्था दी गयी थी आसन की तरफ से, 10.45 पर माननीय मंत्री जी का जवाब आना था।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसमें प्रीमियम के इन्होंने वसूल किये 1947.18 लाख रुपये और बीमा पालिसी के, बीमा राशि जो इन्होंने दी है। 1045.33 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में ...(व्यवधान) डबल प्राप्त किया और उन्होंने सरकार को मुआवजे के रूप में आधा भी नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। चर्चा समाप्त।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): किसानों से जो प्रीमियम की राशि ली है उसका आधा हिस्सा भी किसानों को नहीं दिया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। (व्यवधान) हमने कटौती प्रस्ताव दिए हैं1

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): फसल बीमा की जो बात करते हैं वह किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हरजीरामजी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष विराज रहे हैं और इनसे चर्चा करने के बाद ही समय नियत किया गया है। इसके बाद आपके सदस्य आपके कण्ट्रोल में होने चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हरजीरामजी बुरड़क। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आदरणीय कटारिया साहब, आप अपने माननीय सदस्यों को अनुशासन में रखें, आपसे बात करके तय किया है टाइम।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने 250 कट मोशन दिए थे, बोलने वालों की संख्या 17 है। जिन महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं उन विचारों पर विभाग द्वारा विचार किया जायेगा, यदि वह उपयुक्त पाये गये तो सरकार उनको स्वीकार करने में हिचकिचायेगी नहीं। (व्यवधान)

जैसा कि अभी सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते समय इस बात को कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। राजस्थान भी विशेष रूप से कृषि प्रधान है तो कृषि प्रधान देश में खेती एक मुख्य धंधा है और खेती के साथ-साथ पशुपालन, यह एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि अगर पशुपालन करने वाले के पास खेती की जमीन हो, खेती नहीं करता हो तो उसका आज के जमाने में पशु पालना बड़ा मुश्किल है। आज खेती से ज्यादा इन्कम पशुपालन में है इसलिए अगर आप इन्कम देखेंगे तो राजस्थान में भी पशुओं से आय ज्यादा है खेती के बजाय। अब राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें न तो पर्याप्त पानी है, न अच्छी जमीन है, ज्यादातर धोरों की धरती है और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बरसात भी बहुत कम होती है। इस प्रकार की परिस्थिति में कृषि की आमदनी बढ़ाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि राजस्थान ने सन् 2010-11 में दलहन का ज्यादा पैदावार करके देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और उसमें जो पानी वाले प्रदेश हैं, उन सबसे कम्पीटिशन करके सर्वोच्च स्थान पर राजस्थान पहली बार पहुंचा है इसके लिए प्रदेश के काश्तकार बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं।

इसी प्रकार से वर्ष 2011-12 में भी सभी प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन राजस्थान ने बहुतायत से किया है और देश में एक स्थान प्राप्त किया है। आजादी के बाद इतने लम्बे समय तक यह सर्वोच्च सम्मान जो

(श्री हरजीराम बुरड़क)

राजस्थान को मिला है, माननीय गहलोत साहब की सरकार के टाइम में मिला है इसलिए मैं माननीय गहलोत साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात अभी माननीय सदस्य, पूर्व कृषि मंत्री महोदय जो आंकड़े दे रहे थे, वह कहां से लाये, क्या आंकड़े थे मुझे तो पता नहीं। दूसरी बात उन्होंने यह की कि जो किसान होता है वही किसान का दु:ख जानता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे से ज्यादा वह किसान हो गये। आपका जब जन्म हुआ था तब मैं खेती करता था।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): तब पानी को पू कहते थे आप।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): और 9 साल की उम्र में मैंने खेत में बैलों का हल चलाना सीखा था, शुरू किया था। सारा खेती का काम किया है। पशुपालन का काम किया है और आज भी मेरे बहुत बड़ी खेती होती है, 800 बीघा मेरे पास जमीन है, 11 ट्यूबवैल हैं तो मैं भी काश्तकार हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य आप जवाब सुनिये, जवाब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी बीच में नहीं। जवाब रिकार्ड पर आ रहा है। सारा। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): क्या हो गया?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब, चिंतित नहीं हो, उनके ऊपर सीलिंग लागू नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सीलिंग से ज्यादा है वह आपको दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: परिवार के साथ है न अलग-अलग नाम से होगी।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पर आपको मेरी कोई बात अटपटी लगे, यह मैं पहले भी कहने वाला था। मैं गांव का सीधा सादा किसान हूं। जो आप विद्वान लोग हैं वह घुमा-फिराकर अपनी बात कहना जानते हैं, वह मैं कहता नहीं। मैं तो सीधी बात कहता हूं इसलिए आपको कोई बहुत मानने वाली बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन आपकी विद्वता का यह लोहा मानते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आपने कहा कि यह बजट घट गया, मैं कह रहा हूं कि आपके पांच साल के पीरियड में कृषि पर आठ सौ अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख रुपये खर्च हुए और हमारी सरकार में चार साल में तीन हजार पांच सौ अट्ठयासी करोड़ पांच लाख रुपये खर्च हुए। आप कहां से आंकड़े लाये और कहां से बजट घटा दिया मेरी समझ में नहीं आता। यह पांच गुणा के आसपास है। (व्यवधान) इसी प्रकार से प्रगतिशील किसानों को इनाम देना है। आज पहली बार गहलोत सरकार ने इस बात को सोचा कि हर तबके के लोगों को इनाम मिलता है, आज स्टेज पर नाचने गाने वाले लोगों को तो ईनाम मिलता है और खेत में खड़ा वह किसान जो सर्दी, गर्मी, बरसात, हवा, सबको सहन करके सारे लोगों का पेट भरने का काम करता है उसको किसी ने याद नहीं किया। इतना जरूर याद करते हैं कि चुनाव सभा होती है तो किसान अन्नदाता, किसान अन्नदाता, चुनाव हो गये उसके बाद भूल गये। आज इस सरकार ने राज्य में 2009-10 से इनाम शुरू किया था और हर साल 496 किसानों को 60 लाख रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।

(23.00 बजे)

चौथा इनाम अभी तैयार है, थोड़े दिनों में वह इनाम मिलेगा लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस बात को याद नहीं किया। दूसरी बात आज राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां आए वर्ष कुछ न कुछ हिस्से में अकाल पड़ता रहता है लेकिन किसानों को मुआवजा देने की बात आज तक नहीं हुई। इस सरकार ने किसानों को 2009-10 में जो अकाल था, उसमें हमनें आदान अनुदान के नाम से 798 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया। दूसरी बात यह है कि आपदा प्रबंधन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी कि अकाल के समय काश्तकारों को इनाम मिले। अकाल के समय किसी को रोजगार देना हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, इस प्रकार की व्यवस्था थी। यह पहली बार राज्य सरकार ने प्रयत्न किया और माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया और अब इसको आपदा प्रबंधन विभाग में शामिल कर लिया गया है, यह पहले तो राजस्थान को ही मिला था और अब पूरे भारत में यह मुआवजा मिल रहा है।

दूसरी बात नवीन पदों का सृजन, नवीन पदों का सृजन आपके टाइम में 45 हुआ था पांच साल में, फिर 1134 हुए इन चार साल में, पदोन्नतियां आपने की 250 और चार साल में इस सरकार ने की 252, देश में खाद्यान्न

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की कमी के कारण जो पुराने लोग थे उन्होंने देखा होगा, सुन रहे हैं दूसरे लोग भी कि अपन अमेरिका से रद्दी गेहूं लाते थे, उनका जो रिजेक्ट किया हुआ गेहूं आता था, आज देश की प्रगति का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, राजस्थान में जैविक खेती का जो काम हो रहा है, उसमें पिछले साल मोरारका फाउण्डेशन की तरफ से जैविक दलहन के कई कंटेनर मैंने खुद ने रवाना किये। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां से आप सड़ा गला मंगाते थे, वह वापस अपने से मंगा रहे हैं और इस जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार किसानों को 8 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन स्वरूप देती है।

राज्य सरकार ने लक्ष्मणगढ़, सीकर और नागौर में बीज बीजायन केन्द्रों की स्थापना की है। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, आपने पांच साल में 20 खोली और इस सरकार ने पांच साल में 45 खोली। (व्यवधान) क्या हो गया, भाई, क्या दिक्कत हो रही है?

जनजाति उपयोजना क्षेत्र और बांसवाड़ा, डूंगरपुर में प्रत्येक किसान को 5 किलो नि:शुल्क बीज लगभग 8 लाख कृषकों को मक्का का वितरण इस साल और किया जाएगा।

चारा विकास योजना, 2013-14 में अनुमानित 9 लाख किसानों को चारा बीज के मिनिकिट दिये जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिए, आप कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अजमेर जिले में केकड़ी सहायक निदेशक विस्तार कार्यालय खोला जाएगा। राज्य में संचालित कृषि विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 171 पद सृजित किये गये, कुल 1971 पद सृजित किये गये। राज्य में कृषि उपज के वैज्ञानिक भण्डारण का आधारभूत ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से नाबार्ड के सहयोग से राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा 35 स्थानों लाडनूं, अटरू, उदयपुर, केशोरायपाटन, खानपुर, घड़साना, चित्तौड़गढ़, छबड़ा, झालरापाटन, झिराना, डबलीराठान, दूनी, पालड़ी, बांदीकुई, बांसवाड़ा, बिलाड़ा, बूंदी, भवानीमण्डी, भादरा, मण्डावरी, महुआ, मण्डावर, माण्डलगढ़, मोहनगढ़, रायसिंहपुर, रामसिंहपुर, रायसिंहनगर, रावला, रिड़मलसर, लूणकरणसर, शाहपुरा, करणपुर, विजयनगर, शीशवाली, सुमेरपुर, हिण्डौन और कुचामनसिटी पर गोदाम बनाकर वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था की जाएगी।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उद्यान विभाग में आपने 5 साल में 154.80 करोड़ रुपये खर्च किये। हमने चार साल में 1390.33 करोड़ रुपये खर्च किये। आप कह रहे थे कि बागवानी में घट गया, कहां 154 और कहां 1390 ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वह छाया हैं, आप हकीकत हो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वह छाया हैं, आप हकीकत हो।

एक माननीय सदस्य: +++

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): बागवानी में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): छाया में और हकीकत में फर्क होता है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): खजूर के गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार करने हेतु निजी जनसहभागिता के साथ ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सदस्य ने मंत्रीजी के लिए +++ शब्द काम में लिया है, इसको निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष: जो भी गलत होगा उसको व्यवस्था से निकाल देंगे, गलत नहीं होगा तो चलेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अन्तरराष्ट्रीय मानकों आधारित विश्व स्तरीय खजूर संवर्द्धन प्रयोगशला टिश्यू कल्चर लैब जोधपुर में स्थापित की गई है। इस लैब में ढाई लाख तक खजूर के पौधे प्रतिवर्ष तक उत्पादित किये जा सकेंगे।

प्रयोगशाला में खजूर का पौध उत्पादन कार्य शुरू हो चुका है और यह प्रयोगशाला अन्तरराष्ट्रीय स्तर की है।

इजरायल के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटरों की स्थापना। इस हेतु प्रजनन फलोद्यान नान्ता, कोटा पर सेंटर आफ एक्सीलेंस संतरा, ढिंढोल (बस्सी), जयपुर में सैंटर आफ एक्सीलेंस अनार, भोजका-जैसलमेर सैंटर आफ खजूर। फल-सब्जी परिवहन हेतु रेफ्रिजरेटेड वैन्स। फल-सब्जी उत्पादन बाजार तक सुरक्षित परिवहन हेतु राज्य में जयपुर जिले में 6 कृषकों को रेफ्रिजरेटेड वैन अनुदान पर उपलब्ध कराई गई है इससे कृषक जल्दी खराब होने वाले अपने फल-सब्जी उत्पाद को नियंत्रित वातावरण में खराब होने से बचा सकेंगे।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

प्रत्येक वैन की कीमत साढ़े 11 लाख रुपये है जिसमें 40 प्रतिशत अनुदान है और इस वर्ष 10 रेफ्रिजरेटेड वैन अनुदान पर और दी जाएगी। कृषकों की सब्जी का उचित मूल्य दिलवाने व उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त सब्जियों को उपलब्ध कराने हेतु 2011-12 में जयपुर जिले में सब्जी उत्पादन योजना शुरू की गई है इस योजना में 10 हजार कृषकों की कम्पनियां बनाई गई हैं और आधुनिक वैंडिंग कार्ड, रिटेल आउटलेट के माध्यम से सब्जियां शहर में विक्रय की गई हैं। इस प्रत्येक वैंडिंग की कीमत 50 हजार है और 15 हजार अनुदान है। इस साल इसमें सीकर और अलवर जिलों को भी सम्मिलित किया गया है। 2013-14 में 30 हजार हैक्टेयर में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र एवं 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे तथा 400 जल ढांचों का निर्माण होगा। वर्ष 2013-14 में 8500 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे स्थापित किए जाएंगे। 2013-14 में 1 लाख 60 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस और 84 हजार वर्ग मीटर में शैडनेट स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2013-14 में 2000 प्याज भण्डार संरचनाओं का निर्माण होगा। वर्ष 2013-14 में बजट में की गई घोषणा के अनुसार 10 हजार सौर ऊर्जा संचालित पम्पसैट लगाए जाएंगे। प्रदेश में उद्यान से सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार आगामी वर्ष में बूंदी, झुन्झुनूं, करौली और डूंगरपुर में सहायक निदेशक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कमेंट नहीं करें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पशुपालन में गत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2008 तक 835 करोड़ रुपये खर्च किए थे और इस सरकार ने चार वर्ष में 1313 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और आप बजट कम की बात कह रहे हो। आपके टाइम में नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं एक भी नहीं खोली गईं..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन का बिजनैस है, सदन में जो मंत्रीजी का रिप्लाई चल रहा है वह सुनना होगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): .... और 806 क्रमोन्नत।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आपको हिन्दी समझ में नहीं आती क्या?

श्री उपाध्यक्ष: अतिशयोक्ति में नहीं रहें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ये जबरदस्ती लकीर पीटते हैं, आप कागज दिलवा दो हमको, समझ में तो आए न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हिन्दी सबको आती है, आपको नहीं आती.... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप क्या कहना चाहते हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): विराट नगर वाले सुबह से बोल रहे हैं, किसी के आज तक समझ में नहीं आई कि वो क्या बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): राजस्थान में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 2009-10 में बजट घोषणा की गई थी। यह ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें इस वर्ष 386 नये पद सृजित किए हैं। राजस्थान एक अच्छी यूनिवर्सिटी बन रही है। मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना....

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं गम्भीरता से कह रहा हूं, आप कुछ भी कर दो, जब मंत्री उठकर अपनी बात कह रहे हैं और हमारे साथी जो छाया मंत्रिमण्डल के कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने अपनी बात शुरूआत में कही, ये सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, कल हम भी इस उम्र में आएंगे, ...(व्यवधान) आप तो अभी बैठ जाएं....

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अच्छी बात है ताली बजा रहे हैं तो, मेज बजाना गुनाह है? अच्छी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप अभी कैसे बजा रहे हैं, इस तरह से आप लोग मत करो, नहीं तो कल से 11 बजे तक नहीं चलाएं। आप गम्भीरता रखो, सीरियसली सदन को चलाएं। इतनी सी बात रखी है, दो मिनट मजाक होती है, बार-बार मजाक थोड़े ही होती है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): प्रदेश की समस्त 288 तहसीलों पर पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना। पशुपालन सम्मान समारोह का आयोजन।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया गम्भीरता रखिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): राजस्थान सरकार ने पहली बार यह

(श्री हरजीराम बुरड़क)

योजना स्वीकार की है। पहले किसानों की और अब पशुपालकों को इनाम दिया जाएगा। योजनान्तर्गत कुल 249 पशुपालकों को 45 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह पहली योजना है। प्रदेश में गौसेवा निदेशालय की स्थापना और इसके लिए 25 करोड़ का बजट।

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा समझदार बनने में अच्छा नहीं लगता न। जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आपकी इच्छा सदन में बैठने की है तो विराजिये, आपके ऊपर कम्पलशन नहीं है, कृपया सुनिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना के बेहतर संचालन हेतु राजस्थान वेटेनरी सर्विस कार्पोरेशन की स्थापना। वर्ष में 400 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र, 200 में पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को चिकित्सालय में क्रमोन्नत और 500 को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत। वर्तमान में 15 जिलों में बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय स्थापित हैं और आगामी वर्ष में शेष 18 जिलों में जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय को बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार गत सरकार के कार्यकाल में मत्स्य विभाग के ठेकों में 38.2 करोड़ रुपये की आय हुई थी जबकि वर्तमान सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में 88.0 करोड़ रुपये की आय हुई है।

आदिवासी क्षेत्रों में तीन बड़े जलाशयों जयसमन्द, माही बजाज सागर और कड़ाना बैकवाटर के मत्स्य उत्पादन का लाभ अब सिर्फ आदिवासी मछुआरों को मिलेगा। सरकार इनसे कुछ नहीं लेगी।

आदर्श मछुआ ग्राम विकास के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 105 आवासों का निर्माण अब तक कराया गया है। इस वर्ष 40 नये आवास निर्माण कराये जायेंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट घोषणाएं और उन्हीं बजट में से कुछ नई घोषणाएं आपके सामने रखी हैं। मैं विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके कटौती प्रस्तावों के उत्तर कल आपको सभी को मिल जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबूलाल जी नागर, डेयरी राज्य मंत्री।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): माननीय

(श्री बाबूलाल नागर)

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 39 पशुपालन, डेयरी के सम्बन्ध में चार माननीय सदस्यों ने कटमोशन दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो आ रहा है ना सुनने में।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोयोग): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और हमारे प्रदेश में अकाल, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि पड़ती रहती है। किसान को जब से फेमिन कोड बना है, प्रदेश में कोई न कोई जिला, तहसील अकाल से ग्रसित रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में पशुपालन ही किसानों के जीवन का एक आधार बनता है। मुझे खुशी है यह कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रदेश में करीब सात लाख पशुपालक डेयरी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन यापन का मुख्य आधार पशुपालन को बना रखा है। प्रदेश की सरकार ने लगातार डेयरी के माध्यम से प्रयास किया है कि हमारे पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन की पर्याप्त राशि मिले और इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन दो वर्षों में, पहली बार बजट में डेयरी का नाम आया है। पिछली बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 65 करोड़ रुपये डेयरी को दिये थे, जिसके माध्यम से मिल्क पाउडर प्लांट और पशु आहार संयंत्र राजस्थान में पाली और जयपुर में खोलने का निर्णय किया और इस बार तो दो रुपये किलो की दर पर राजस्थान के किसानों को अनुदान देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे करीब 150 करोड़ रुपये राजस्थान के किसानों को मिलेंगे और निश्चित रूप से पशुपालक, दुग्ध उत्पादकों को बहुत बड़ा सम्बल मिलेगा।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि प्रदेश में राजस्थान की राजधानी जयपुर में मैट्रो डेयरी की स्थापना हो और जयपुर जिले के गोविन्दगढ़ में 250 करोड़ रुपयों की लागत से मैट्रो डेयरी की स्थापना करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि जो दूध का संकलन और मिल्क पाउडर बनाया जाता है, आज भी प्रदेश में निजी डेयरियों और निजी मिल्क पाउडर संयंत्र के माध्यम से काफी इनके माध्यम से बनाया जा रहा है। जब यह मैट्रो डेयरी की स्थापना हो जायेगी, मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए बजट की भी व्यवस्था की है। उन्होंने 250 करोड़ रुपये में से 40 करोड़ रुपये मिल्क पाउडर प्लांट के लिए प्रावधान किया है और 100 करोड़ रुपयों की

(श्री बाबूलाल नागर)

भी मैट्रो डेयरी के लिए व्यवस्था हो गई है। बाकी शेष राशि है, इसके लिए भी डेयरी ने अपना प्लान बनाकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रस्तावित कर दिया है।

मैं इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, समय का मैं समझ रहा हूं। आपने चार कटमोशन मुझे दिये हैं और चारों का जवाब तीन दिन में भिजवा दिया जायेगा।

मैं यह जरूर कह सकता हूं कि पिछले चार वर्षों में लगातार प्रयास करके हमारे किसानों को अधिक से अधिक दूध के उत्पाद की राशि देने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों के 51 महीनों की मैं चर्चा करूं तो प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2008 तक, दूध खरीद दर 11.61 रुपये का औसतन पशुपालकों को दिया जा रहा था। आज इन 51 महीनों में 11.61 रुपये से बढ़कर पशुपालकों को 21.22 रुपये की दर पर भुगतान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूध संकलन यदि हम 51 महीनों का जोड़ते हैं तो पिछली सरकार के दौरान 14.38 लाख लीटर औसतन प्रतिदिन का आ रहा था, आज 17.50 लाख लीटर औसतन प्रतिदिन का दूध संकलन राजस्थान में किया जा रहा है, जो कि 22 प्रतिशत अधिक है और दूध की खरीद दर भी 83 प्रतिशत अधिक है इन चार वर्षों में।

इसी तरह दूध भुगतान के सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 51 महीनों में 2,590 करोड़ 11 लाख रुपये का राजस्थान के पशुपालकों को भुगतान किया गया और इन 51 महीनों में हमारी सरकार में 5,760 करोड़ 66 लाख रुपये, 122 प्रतिशत अधिक राजस्थान के पशुपालकों को भुगतान किया गया है।

इसी तरह मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, दूध की खरीद दर थी...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आपसी डिस्कशन नहीं। (व्यवधान) आप तो पढ़िये मंत्रीजी। केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। (व्यवधान) अब आप विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके 51 महीनों में प्रति किलो फैट का राजस्थान के किसानों को जो भुगतान किया जा

(श्री बाबूलाल नागर)

रहा था, वह 200 रुपये था और इन 51 महीनों में 202 रुपये से 377 रुपये आज राजस्थान के किसानों को फैट की दर के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: केवल बाबूलाल जी नागर।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): इसी तरह हमारे दूध की शुद्धता और किसानों और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। बल्क मिल्क कूलर, पिछली सरकार के समय राजस्थान में 237 थे और उसे बढ़ाकर चार वर्ष में 1,107 हमने राजस्थान के पशुपालकों के यहां डेयरी में लगाया है।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो सहकारी डेयरीज हैं, ग्रामीण स्तर पर उनको अपना समिति का भवन बनाना हो, दूध संकलन केन्द्र बनाना हो, मुख्य मंत्रीजी को और राजस्व मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1,500 मीटर जमीन हमारी ग्राम सहकारी समिति को नि:शुल्क देने की मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं आप सब का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मुझे इस समय बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मुरारी लालजी मीणा, तकनीकी....

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट। हां, हरजीरामजी बुरड़क। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): मेरे बोलने से जो कुछ प्वाइंट बच गये उनको मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जी, आपको इजाजत है। माननीय श्री मुरारीलाल जी मीणा, तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 जिसमें कृषि शिक्षा सम्मिलित है इसमें सारे सात कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन सबके सभी सदस्यों को जवाब भिजवा दिये जायेंगे। साथ ही चार माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बोला जिसमें पूर्व कृषि मंत्री महोदय ने एक विशेष बात उठाई थी कि इनके टाइम पर एक

(श्री मुरारीलाल मीणा)

कृषि कालेज उनियारा में खोला गया था उसको संचालित नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आईसीआर के माडल एक्ट में किसी कारण से उसको रोक दिया गया था और आपके जो दो लाख रुपये उस टाइम जमा हुए थे वह वापिस कर दिये थे। अब माननीय राज्यपाल महोदय ने उसके लिए अनुमति दे दी है और आपको उसके लिए लैटर लिख दिया गया है, एक लाख रुपये निरीक्षण फीस जमा करायें, उसकी स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, निरीक्षण फीस भी जमा हो गई और पांच लाख जो, आप तो एडमिशन कब चालू कर देंगे, यह कह रहे हैं एडमिशन कब चालू करोगे, डेट बता दीजिये, आप सरकार हो, मंत्री हो।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): जैसे ही एक लाख रुपये निरीक्षण के जमा करा देंगे...

श्री उपाध्यक्ष: जमा कर दिये, पन्द्रह दिन हो गये, वह यह कह रहे थे...

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): नहीं, एक लाख रुपये जमा नहीं हुए। पहले दो लाख रुपये जमा हुए थे।

श्री उपाध्यक्ष: मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं, आप सुनिये। एक लाख जमा हो गये और पांच लाख का बजट भी आ गया और ड्राफ्ट बनकर चला गया होगा। आप तो डेट बता दीजिये, कब आप चालू करेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): 13-14 की जो भी हमारी उसकी भर्ती...

श्री उपाध्यक्ष: 13-14 नहीं होता, डेट होती है।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): जो भी जेट की भर्ती होगी, उसमें सीट अलाटमेंट कर दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: हां, तो कर दीजिये। कब करोगे, वह यही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अगला जो भी सेशन चलेगा, 13-14 की जो भर्तियां होंगी उसमें आपकी सीटों का अलाटमेंट हो जायेगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इनको भाव चढ़ता है, विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य को। धूप लगाओ, बत्ती करो, इनके कोई परसाद चढ़ाओ। (व्यवधान) हर बात में खड़े हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कुछ। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय...

श्री उपाध्यक्ष: बत्ती तीन-चार तरह की होती है। (व्यवधान) चार तरह की बत्ती होती है, कौन सी बत्ती लगायें।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): आप बिराजो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इनको कोई बीमारी लग गई मेरे ख्याल से, बार-बार खड़े होते हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, भैंरो बाबा है, इसके आगे मत आ जाना आप। भैंरो बाबा है इसमें । (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्षजी, एक कालेज तो आपके पास नहीं है, विश्वविद्यालय आपके पास है, कालेज दूसरे के पास है। इसको ठीक कराइये, यह निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आज क्या हो रहा है आपको। आज क्या हो रहा है आपको?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): विश्वविद्यालय आपके पास है, कालेज दूसरों के पास है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): भाव आ रहा है, भाव। इनकी पूजा-पाठ कराओ।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश के अन्दर हमारे टोटल दो ....

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं निवेदन कर रहा हूं। कालेज आपके पास नहीं है, कालेज दूसरों के पास है, आपके पास विश्वविद्यालय है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): किसान का बेटा है इसलिए दर्द है इसके सीने में।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कालेज एक जगह नहीं चाहते, विश्वविद्यालय अलग रहेंगे, कालेज अलग रहेंगे, दो मंत्री होंगे क्या, एग्रीकल्चर के कालेज दूसरी जगह हैं, विश्वविद्यालय दूसरी जगह हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बोल क्या रहे हो आप, बोल क्या रहे हो, किसी के समझ में नहीं आ रहा, सुबह से बोल रहे हो आप, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साठ साल में आपका गला पंक्चर हो गया और वहां हमारे मंत्री महोदय की उम्र पता है क्या आपको। आपकी आवाज सुबह से समझ में नहीं आ रही, आप बिना बात बीच-बीच में खड़े हो रहे हो, मंत्रीजी का जवाब होने दो...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, मैं बोल रहा हूं। एक मिनट का अवसर दे दो, एक मिनट का। (व्यवधान) एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट कालेज एक मंत्री के पास और विश्वविद्यालय...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महादेय, यह कोई तरीका थोड़े ही है सदन के अन्दर जब मर्जी आये खड़े हो जायें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह विसंगति है, इसको ठीक किया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी सीमा में रहिये आप।

एक माननीय सदस्य: अजी यह मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अब बोलने तो दीजिये मुझे, विसंगति है यह।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीमा में रहिये, बैठ जाइये आप, अनुशासन बनाइयेगा। अनुशासन सीखिये इस उम्र में। माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये आप। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय संचालित हैं एक उदयपुर में और दूसरा बीकानेर में। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के अन्दर सात हमारे गवर्नमेंट कालेज संचालित हैं और छह सहबद्धता कालेज संचालित हैं। उदयपुर के अन्दर छह हमारे कालेज संचालित हैं, इसके अलावा हमारे प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं और अभी हाल ही में हमारे दस कृषि विज्ञान केन्द्र अभी और स्वीकृति मिली है जिसमें एक नया

(श्री मुरारीलाल मीणा)

जिला बना था प्रतापगढ़ में, बाकी जो प्रदेश के अन्दर बड़े जिले थे हमारे, वहां पर नौ कृषि विज्ञान केन्द्र हमारे टाइम पर ही संचालित किये गये हैं। इन सभी हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र प्लस यूनिवर्सिटी इनमें जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं क्योंकि राजस्थान में रिसर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमारे साइंटिस्ट इसमें लगे रहते हैं रिसर्च के लिए भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए और कैसे कम पानी में अच्छी उपज की जाय, कम भूमि में जैसे बता रहे थे कि यह खेती का धंधा है, यह घाटे का धंधा है इसको प्रोफिट के धंधे में कैसे बदला जाय इसके लिए हमारे साइंटिस्ट दिन-रात लगे रहते हैं।

दूसरा, जैसे ही हमारी सरकार बनी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली सरकार के अन्दर मात्र, यह इतनी चिंता कर रहे हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं, मात्र दो कालेज इन्होंने खोले थे पूरे प्रदेश के अन्दर। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बजट के अन्दर दो महाविद्यालय खोले थे और एक मत्स्य महाविद्यालय उदयपुर में खोला था और इस बजट में, आपको पता है, आपने बजट सुना था, हमारे जो दो कृषि विश्वविद्यालय थे उनकी जगह तीन कृषि विश्वविद्यालयों की घोषणा और की है, किसानों की बातों को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा दो महाविद्यालय एक भरतपुर में और एक भीलवाड़ा में, आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री महोदय कितना चिंतित हैं किसानों के लिए। उसके लिए अब बहुत अच्छे रिजल्ट निकलकर आयेंगे, अभी हमारे कृषि मंत्री ने सारी बातें बताईं कि किस तरह से कहां-कहां से बजट आ रहा है, क्या-क्या हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट जो भी हैं वह सब लगे हुए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसको दस ब्लाक में हमारे बांटा गया है पूरे क्षेत्र को, हम भाग्यशाली भी हैं इस मामले के अन्दर कि पूरा जो हमारा प्रदेश है इसमें भूभाग हमारे पास में बहुत बड़ा है लेकिन अभी इसमें काम करने की जरूरत है, पानी हमारे पास में कम है तो जैसे ही यह हमारी सारी चीजें संचालित हो जायेंगी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सभी जगह आयेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कृषि राज्य मंत्री।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के कृषि एवं कृषि विपणन विभाग की मांग संख्या-37 पर वाद-विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, मैं मेरी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। किसानों की बेहतरी

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। सरकार के प्रयासों से, किसान भाइयों के सहयोग से कृषि के क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित हुए हैं। कृषि विकास के क्षेत्र के साथ ही फसलोत्तर प्रबंधन, बेहतर विपणन व्यवस्था की आज भी आवश्यकता है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि विपणन विभाग राज्य में अपनी स्थापित 130 मण्डियों और 308 गौण मण्डियों के माध्यम से किसानों को बेहतर भाव मिले, उचित सुविधा मिले, अपनी इन मण्डियों के माध्यम से प्रयास कर रहा है, अच्छे प्लेटफार्म मिले, ऐसा प्रयास है। मुझे खुशी है कि वर्ष 2011-12 में 403 करोड़ रुपये की शुल्क के रूप में आय हुई। इस वर्ष माह फरवरी तक 445 करोड़ रुपये की मण्डी शुल्क के रूप में आय हुई जबकि इस वर्ष ज्यादातर किसानों ने बाजरे, मोठ-मूंग की बजाय, ग्वार की ज्यादा खेती की। ग्वार की अच्छी फसल भी हुई और फरवरी तक बाजार में ग्वार की आवक बहुत कम हुई। पिछले वर्ष काफी भाव ऊंचा रहा, उसी भाव की उम्मीद में लोगों ने उस फसल को रोक रखा है। मुझे आशा है कि जब वह फसल सारी बाजार में आयेगी तो काफी मण्डी शुल्क और आयेगा। यह मण्डी शुल्क जो आया है, हर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों का, हमारे कृषि उपज मण्डी समिति के अध्यक्षों का, हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि जिनके सहयोग से हर साल मण्डी शुल्क बढ़ा और मण्डियों का विकास हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी समितियों का या कृषि विपणन विभाग का काम सिर्फ शुल्क आय करना नहीं है कि मण्डी शुल्क ही अर्जित करें, उनके अलावा भी फसलोत्तर प्रबंधन की जो गतिविधियां हैं कि हमारे किसानों की फसल पैदा होने के बाद उनको कैसे बेहतर प्रबंधन दिया जाय, उसके लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। हमारे कृषक साथियों को अनुसंधान केन्द्र, प्रशिक्षण इकाइयां, उनका भी भ्रमण कराया गया। राज्य के बाहर भी उनको दौरे कराये गये कि फसलोत्तर प्रबंधन की प्रदेश के बाहर जो इकाइयां हैं वहां भी जाकर देखे कि फसल पैदा होने के बाद हम किस तरह से इसका बेहतर भाव ले सकते हैं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय-समय पर कृषक जाग्रति शिविर भी लगाये गये, जिनके माध्यम से भी किसानों को जाग्रत किया गया कि वे अपनी फ़सलों का किस तरह से अच्छा भाव ले सकते हैं। आगामी वर्ष में भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बे समय से प्रदेश का जीरा

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

गुजरात जाता था। सभी माननीय सदस्य चिंता करते थे कि हमारे प्रदेश की फसल, हमारे प्रदेश का उत्पाद गुजरात जाकर बिकता है। इसी सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा स्पाइस पार्क की जोधपुर में स्थापना की और जोधपुर में विभाग द्वारा विशिष्ट मण्डी जीरे का निर्माण हुआ। इन दोनों के बन जाने से, हालांकि स्पाइस पार्क अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन जीरे की विशिष्ट मण्डी बन जाने से जीरे में वहां लगभग 25 से 27 इसकी प्रोसेस की इकाइयां लग गई और मण्डी में जीरे का विक्रय चालू हो गया और उत्पादित भी हो गया। इससे मुझे आशा है कि वहां की लोकल मण्डी में हमारा जो जीरा आएगा, वहीं बिकेगा और ग्रेडिंग होने के बाद निर्यात भी होने लगेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा साबुत जीरे, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, मैथी, अजवायन आदि पर से जो वैट हटाया है, पहले जो दोनों प्रदेशों का गुजरात और राजस्थान का अन्तर रहता था वह अन्तर अब कम होगा और भाव एक समान होंगे। प्रोसेस इकाइयां जिस तरह से लग रही हैं उससे मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में हमारे यहां किसानों को बेहतर भाव मिलेगा और बाजार अच्छा मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी बजट भाषण में फल सब्जियों को जो मण्डी में लाकर बेचने की बाध्यता थी उसको भी समाप्त किया है। इस बाध्यता के समाप्त होने से हम सोच सकते हैं, आज हमारे पास एक फल सब्जी मुहाना मण्डी है और दूर-दूर से किसानों को यहां आकर अपनी फल सब्जी बेचनी पड़ती थी। छोटे किसानों को बहुत लम्बी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब कहीं पर भी वह, बाजार के किसी कोने में भी अपनी फल सब्जी का बेचान कर सकेंगे। इससे फल सब्जियों में उपभोक्ताओं को भी काफी राहत मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार 2010 में कृषि प्रसंस्करण एवं उद्योग, कृषि व्यवसाय नीति घोषित की थी। इसी के क्रम में विभिन्न मण्डियों में 70 भूखण्ड दिये गये। जिनमें से 34-35 इकाइयां बनकर तैयार हो गई और कुछ ने तो अपना उत्पादन भी आरम्भ कर दिया है, ग्रेडिंग प्रोसेसिंग शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में अपने कार्य को सम्पादित कर देगी, शेष में काम प्रगति पर है। यह नीति पहले 31.12.2012 तक थी, अब इसको बढ़ाकर 31.3.2014 तक किया गया है। इसमें लगने वाली जो भी इकाइयां हैं उनको 31.3.2014 तक इसका लाभ मिलेगा। मुझे आशा है कि इसमें काफी और

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

निवेश आने की सम्भावना है और इस पर जो भी छूट थी चाहे वह विद्युत भार में थी, भू-रूपान्तरण में थी जितनी भी छूट थी वह निरन्तर उन इकाइयों को भी मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा Agri-Market Intelligence and Business Promotion Centre की स्थापना की जो घोषणा की है, मुझे आशा है कि यह सेंटर बन जाने से हमारे किसानों को एक स्थान पर प्रदेश के सभी स्थानों पर जानकारियां मिलेंगी कृषि जिंसों के भाव की और अन्य काश्तकारों की जो सहायता उनको चाहिए किसी के सम्बन्ध में, इसी बाजार से, इसी सेंटर से मिलने लग जाएगी। किसान भाव देखकर यहां से अपना माल बेच सकेगा। इसी क्रम में प्रदेश के जो दस डीडी आफिस हैं, प्रदेश की पांच मण्डियां हैं उनका भी कम्प्यूटराइजेशन करने जा रहे हैं, वह भी इनके साथ जुड़ जाएंगी। इनके परिणाम जैसे अच्छे आएंगे तो प्रदेश की बाकी मण्डियों को भी इनसे जोड़ दिया जाएगा। इनके जुड़ जाने से जो हमारी संचार व्यवस्था है, जानकारियां हैं, एक केन्द्र से किसान ले लेंगे। वह जो भी जानकारी चाहेंगे यहां से मिलेगी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के मुताबिक बीकानेर और जोधपुर में फूड पार्क की जो घोषणा की गई है। फूड पार्क दोनों जगह बन जाएंगे तो एक जगह सारे कल-कारखाने जो कृषि से सम्बन्धित हैं वहां लगेंगे तो एक नया बाजार और बनेगा और इसमें कृषि की इकाइयां और लगेंगी। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर भाव मिलना शुरू हो जाएगा। राजीव गांधी कृषक साथी योजना जो 2009 से शुरू की गई थी इसमें जो राशि 50 हजार से 1 लाख रुपए की थी, उसमें माह फरवरी, 2012-13 तक 2604 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिला। लगभग इसमें 16 करोड़ रुपये खर्च हुए। आज तक 78 हजार 271 कृषकों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और करीब 57 करोड़ रुपये की राशि की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। सुपर क्लास और ए क्लास मण्डियों में जो आपणी योजना चलाई गई थी उसके बेहतर परिणाम हमारे सामने आये हैं। जब यह योजना शुरू की गई थी तो उस वक्त 15 से 18 रुपये तक टेण्डर हुए थे, तब भी हम 5 रुपये थाली के उपभोक्ता से, किसान से, पल्लेदार से लेते थे और आज 30 रुपये के टेण्डर हुए हैं। फिर भी हम उन पात्र लोगों से 5 रुपये ही लेते हैं बाकी सारा खर्चा मण्डी

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

समिति वहन करती है। आज तक साढ़े 12 लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और निरन्तर इस योजना की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, मंत्रीजी आप तो बोलिये। आप पूरी बात बताइए, सम्माननीय, डिस्टर्ब नहीं करें दस मिनट और। प्रतिपक्ष के नेता भी बोलना चाह रहे हैं।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर सभी जगह किसान भवन बनाये गये। उसके बाद मण्डियों की तरफ से, किसानों की तरफ से यह मांग आने लगी कि दूसरी मण्डियों में भी किसानों के लिए विश्राम गृह बनाये जाएं। किसानों के विश्राम गृह के साथ हमने लैबर के लिए लैबर शेड बनाने का निर्णय किया। प्रदेश की सभी सुपर क्लास मण्डियों में, ए क्लास मण्डियों में, सब में ही विश्राम गृह किसानों के लिए और लैबर शेड लैबर के लिए बना दिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी कृषक साथी योजना में एक थोड़ी सी कमी रह गई थी

बाकी सभी दुर्घटनाएं कवर हो रही थीं लेकिन कभी हम्माल का हाथ टूट जाए, पैर की हड्डी टूट जाए, हाथ की हड्डी टूट जाए तो वो इस योजना में कवर नहीं था। हड्डी टूटने पर भी इस योजना में शामिल किया जाता है और हड्डी टूटने पर उस व्यक्ति को सहायता राशि के रूप में पन्द्रह हजार रुपये दिये जाएंगे। विभिन्न श्रमिक संगठनों, हम्मालों द्वारा, मजदूरों द्वारा यह निरन्तर मांग आ रही थी कि आज के जमाने में वह सेहत नहीं रही कि हम एक क्विंटल की बोरी को उठाएं। सरकारी बारदाना जब पचास किलो का हो गया तो प्राइवेट में भी वे पचास किलो बारदाने की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि आगामी खरीफ की फसल से सौ किलो की बजाय पचास किलो बारदाना का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मण्डियों में सैकिंड फेज या उसके बाद में आबंटित किये जाने वाले भूखण्डों में जो बीस प्रतिशत कोटा महिलाओं का था, बहुत बार यह मांग आई कि विधवा महिलाओं के लिए भी इसमें कोटा दिया जाए ताकि विधवा महिला भी इसमें कोई न कोई अपना रोजगार मण्डी में बैठ कर कर सके। उस बीस प्रतिशत कोटे में से पांच प्रतिशत कोटा विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, आने वाले समय में बीस में से पांच।

श्री उपाध्यक्ष: कम से कम है वो मिनिमम। आप ज्यादा चाहते हो क्या?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): इसी तरह अचल सम्पत्ति आबंटन नीति, 2005 के अन्तर्गत सैकिंड फेज और उसके बाद जो भूखण्ड अलाट होंगे उसमें ये बड़ी मांग चल रही थी कि विकलांगों के लिए भी कोई न कोई मण्डी में दुकानों का कोटा होना चाहिए तो उसमें मैं घोषणा करता हूं कि विकलांगों के लिए भी तीन प्रतिशत कोटा पूरी दुकानें जब अलाट होंगी तब दिया जाएगा। अंत में, ...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, इन्होंने एक बात और कही है कि गांवों में पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में सर्पदंश से, उससे, तो वो भी प्रोविजो यदि सत्य बात है, प्रमाण पत्र आ जाए तो, किसान परेशान होते हैं। उसमें एक प्रोविजो है, आपका विशेष अधिकार है।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम अगर न भी हो तो अगर डाक्टर लिख देता है कि इसकी सांप के काटने से मृत्यु हुई है तो वो मान लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर कैसे लिखेगा जला देते हैं वो तो।

एक माननीय सदस्य: पंचनामे को मान लिया जाए। (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): पंचनामे को नहीं, सरकारी डाक्टर के लिखे हुए को ही माना जाएगा। पंचनामा तो कोई भी कर देगा, पंचनामे से नहीं है सरकारी डाक्टर लिख देगा कि इसके सांप के काटने से मृत्यु हुई है तो उसको मान लिया जाएगा चाहे एफ.आई.आर. हो, न हो।

श्री उपाध्यक्ष: जलाने के बाद कैसे लिखेगा, मंत्रीजी? पंचायत पर विश्वास करिये न पंचायत में, पंचायत समिति में।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अभी नीति में नहीं है। अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के 22 कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका उत्तर मैं तीन दिन के अन्दर सभी माननीय सदस्यों को पहुंचा दूंगा। तीन-चार माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव भी दिये हैं बोलकर, उन पर भी यथा सम्भव कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: उनको थोड़ा स्पष्ट कर देते।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अंत में, मैं सभी माननीय सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद। जय हिन्द।

मांग संख्या-37 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: मांग संख्या-37 कृषि।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,71,85,29,000 (चौदह अरब इकहत्तर करोड़ पिच्चासी लाख उन्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39 का पारण

मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,94,17,38,000 (चार अरब चौरानवे करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.56 बजे मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

छात्राओं को कृषि संकाय में आकर्षित करने हेतु कार्य-योजना

317. श्रीमती अनीता सिंह (नगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय/निजी कृषि महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार द्वारा शिक्षा प्रोत्साहन राशि दी जाती है? यदि हां, तो कितनी राशि प्रति वर्ष प्रति छात्रा को मिलती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के निजी कृषि महाविद्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं से जो फीस ली जाती है वह राजकीय महाविद्यालयों से काफी अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फीस में कमी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार कृषि संकाय में पढ़ने वाली छात्राओं को बढ़ावा दे रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संकाय की छात्राओं हेतु क्या-क्या योजना संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के राजकीय/निजी कृषि महाविद्यालयों में पढने वाली छात्राओं को कृषि विभाग द्वारा कृषि शिक्षा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत बी.एससी कृषि/ एम.एससी कृषि की छात्राओं को राशि रु. 10,000 एवं पी.एचडी कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रु. 15,000 प्रति वर्ष प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हा। फीस के सम्बन्ध में प्रावधान है कि सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक परिषद् के द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्न फीस ली जाती है।

(3) जी हां। कृषि विषय लेकर 10+2 में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रु. 5,000 बी.एससी कृषि एवं एम.एससी कृषि की छात्राओं को राशि रु. 10,000 तथा पी.एचडी कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रु. 15,000 प्रति वर्ष प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना संचालित है।

कोटा जिले में नवीन राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र

318. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2001 के बाद से आज तक प्रदेश की जनता के नये राशन कार्ड नहीं बनवाये हैं, जिसके कारण लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार प्रदेश की जनता को नये राशन कार्ड कब तक उपलब्ध करवा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा जिले में नये राशन कार्ड बनवाने बाबत कितने फार्म प्राप्त हुए हैं? कितने फार्म जांच के बाद निरस्त कर दिये हैं तथा कितनों को जांच के बाद सही पाया गया? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2001 में राशन कार्ड बनाये गये थे, किन्तु यह सही नहीं है कि वर्ष 2001 के बाद प्रदेश की जनता के राशनकार्ड नहीं बनाये गये है। राज्य में सामान्य श्रेणी (एपीएल) के राशन कार्ड बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए है, उनके द्वारा आवेदन करने पर राशन कार्ड निरन्तर बनाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.03.2010 की प्रति परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

प्रदेश में राशन कार्ड अभियान-2012 के तहत नवीन कम्प्यूटराइज्ड एवं डिजिटराइज्ड राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिनांक 01.06.2012 को जारी किये जा चुके हैं। जिला स्तर पर नवीन कम्प्यूटराइज्ड एवं डिजिटराइज्ड राशन कार्ड तैयार करने हेतु आवेदकों को आवेदन फार्म वितरण कर भरे हुए फार्म प्राप्त करने के पश्चात् उन फार्मो की जांच की जाकर सम्बन्धित जिले के लिए चयनित कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सी को फार्म उपलब्ध कराये जाकर आवेदन पत्र में वर्णित विवरणों की कम्प्यूटर में प्रविष्टि, निर्धारित डाटाबेस में संधारण, समस्त प्रविष्टियों की चैकिंग, प्रुफ रिडिंग, डाटा में शुद्धिकरण इत्यादि कार्य कराया जा रहा है। कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् यथाशीघ्र राशन कार्ड जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(खाद्य एवं नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री)

(2) कोटा जिले में नये राशन कार्ड बनवाने बाबत प्राप्त, जांच के बाद निरस्त एवं सही पाये गये आवेदन फार्मों का संख्या विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम नगर निगम/ पालिका/तहसील	कुल प्राप्त आवेदन फार्म	जांच के बाद निरस्त किये गये	जांच पश्चात् सही पाये गये
1.	कोटा नगर निगम	292042	--	291302
2.	नगरपालिका सांगोद	6306	--	--
3.	नगरपालिका कैथून	6750	--	--
4.	नगरपालिका रामगंजमण्डी	4792	--	--
5.	तहसील लाडपुरा	32060	--	--
6.	तहसील दीगोद	46046	--	--
7.	तहसील सांगोद	43022	--	--
8.	तहसील रामगंजमण्डी	58193	--	--
9.	तहसील पीपल्दा	51647	--	--

नोट -: नगर निगम क्षेत्र कोटा के 292042 राशन कार्ड आवेदन पत्रों की जांच के दौरान (स्क्रेनिंग) अब तक 740 आवेदन पत्र अपूर्ण पाये गये हैं, जिनकी कमी-पूर्ति की प्रक्रिया जैरकार है। शेष समस्त आवेदन पत्रों की जांच की प्रक्रिया जैरकार है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 17(19)खा.वि./विधि/2007 जयपुर, दिनांक 4.03.2010

जिला रसद अधिकारी,

समस्त,

राजस्थान।

विषय :- राशन कार्ड बनाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मामले में लेख है कि पूर्व में वर्ष 2001 से 2010 तक राशन कार्ड बनाये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में

भी पुरानी पद्धति से एपीएल राशन कार्ड बनाये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नवीन राशन कार्ड जो मुद्रित कराये गये हैं, उनका उपयोग करने के लिये एवं नये बीपीएल राशन कार्ड बनाये जाने के लिये निर्णय लिया जाना अभी विभाग में विचाराधीन है।

भवदीय

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

झालावाड़ जिले के धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने हेतु कार्य योजना

319. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में 250 तक की आबादी के कितने गांवों/ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाना शेष है तथा कितनी सड़कों पर डामरीकरण किया जाना शेष है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़े जाने की कोई योजना घोषित की गई थी? यदि हां, तो घोषणा की पालना में झालावाड़ जिले के किस-किस धार्मिक स्थलों को जोड़े जाने हेतु चयन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कौन-कौन से धार्मिक स्थल सड़क से जोड़े जा चुके हैं तथा कौन कौन से निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन हैं? वर्तमान में उनकी क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण के कई कार्य वन विभाग की अनापत्ति के अभाव में रूके हुए हैं? यदि हॉं, तो कौन-कौन से कार्य कब से? उनकी स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कोई पत्र व्यवहार किया गया था? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के उपरान्त धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा उक्त हेतु टेण्डर कब-कब आमंत्रित किये गये तथा निर्माण हेतु कार्यादेश कब-कब जारी हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 250 तक की आबादी के कुल 327 गांव ऐसे हैं जिनको डामर सड़क से जोड़े जाना शेष है। इनमें से नाबार्ड आर.आई;डी.एफ.-18 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 में 185 गांवों को, अन्य योजनाओं में 9 गांवों को डामर सड़क से जोड़े जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। शेष 133 गांवों को विश्व बैंक योजनान्तर्गत चरणवार जोड़ा जायेगा, इनमें से प्रथम चरण में 32 गांवों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। शेष रहे 101 गांवों को विश्व बैंक योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में सड़क से जोड़ा जायेगा। इस प्रकार 327 गांवों में से 226 गांवों को आगामी 6 माह में डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है:-

विधान सभा क्षेत्र	नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आईडी. एफ.-18 में स्वीकृत गांव	अन्य योजनाओं में स्वीकृत गांव	विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत फेज-1 के गांव जिनकी निविदा आमंत्रित कर ली गई हैं	कुल स्वीकृत कार्य	विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत फेज-2 के वे गांव जिनकी डीपीआर प्रगतिरत है
झालरापाटन	25	-	6	31	18
खानपुर	43	2	10	55	35
मनोहरथाना	66	1	9	76	41
डग	51	6	7	64	7
योग:-	185	9	32	226	101

(2) जी हां। झालावाड़ जिले में सड़क से जोड़े गये धार्मिक स्थलों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त धार्मिक स्थलों में से जोड़े गये निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन/प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। झालावाड़ जिले में 6 कार्य वन विभाग की आपत्ति के कारण रूके हुए हैं:-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना	कार्य रूकने की तिथि
1	भीमसागर से पातलिया पीर	मिसिंग लिंक **(RIDF-XVII)**	25.10.2011
2	सम्पर्क सड़क रटलाई झूमकी बरखेड़ा	5054-ग्रामीण सड़क प्लान	मई 2009
3	सम्पर्क सड़क नोलवा	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	28.07.2006
4	सम्पर्क सड़क कानपुरा	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	15.08.2006
5	सम्पर्क सड़क प्रेमपुरा लक्ष्मीपुरा	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	15.08.2006

जी हां। इनकी आपत्ति हेतु विभाग द्वारा पत्राचार किया गया था। वन विभाग की अनापत्ति हेतु किये गये सम्बन्धित पत्रों की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(5) उक्त योजना में चयन किये जाने के उपरान्त धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु व्यय राशि, टेण्डर आमंत्रण की तिथि एवं कार्यादेश जारी करने की तिथि आदि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद् परियोजना पर व्यय राशि

320. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चम्बल सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद परियोजना पर अब तक किस-किस वर्ष में कितना-कितना व्यय किया गया?

(2) मूलरूप से दी गई निविदा में कार्य कब तक पूरा होना था तथा निविदाकारों की समय सीमा कब-कब बढ़ाई गई एवं किन-किन कारणों से बढ़ाई गई?

(3) वर्तमान में निविदाकार को दिये गये समय के अनुसार प्रथम चरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि प्रथम तथा द्वितीय चरण का कार्य

(श्री रमेश चन्द मीणा)

समयानुसार प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो निर्धारित समय पर कार्य नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद् पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण के अन्तर्गत रुपये 235.90 करोड़ की राशि माह फरवरी, 2013 तक व्यय की जा चुकी है। उक्त परियोजना पर वर्षवार व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 23 सितम्बर, 2005 को संवेदक को मुख्य ट्रांसमिशन तंत्र विकसित करने हेतु दिये गये कार्यादेश के अनुरूप योजना का कार्य दिनांक 2 अक्टूबर, 2008 तक पूर्ण किया जाना था । कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने का मुख्य कारण इनटेक वैल के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति देरी से प्राप्त होना रहा है। चम्बल नदी में इन्टेक वैल एवं एप्रोच ब्रिज बनाने तथा पाइप लाइन डालने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2008 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुमति एवं वन विभाग द्वारा दिनांक 12.04.2010 को निर्माण स्वीकृति जारी की गई । पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही के दौरान परियोजना के अन्य कार्य (इनटेक वैल तथा अप्रोच ब्रिज के अलावा) वित्तीय उपलब्धता के अनुसार किये जाते रहे हैं । उक्त कारणों से परियोजना को पूर्ण करने की अवधि आवश्यकतानुसार दिनांक 2 अक्टूबर, 2010, 31 मार्च, 2011 एवं 31 मार्च, 2013 तक बढ़ाई गई है।

(3) वर्तमान आकलन के अनुसार प्रथम चरण की उक्त स्वीकृत परियोजना का कार्य माह दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) यद्यपि उक्त स्वीकृत परियोजना के प्रथम चरण का कार्य समयानुसार ही प्रारम्भ किया गया था परन्तु उक्त वर्णित कारणों से इसके पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है।

प्रथम चरण के शेष कार्य (सवाईमाधोपुर शहर तथा सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले के 636 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करना) तथा द्वितीय चरण के समस्त कार्य, मुख्य ट्रांसमिशन तंत्र के कार्य उपरोक्तानुसार पूर्ण होने के पश्चात् हाथ में लिये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**परियोजना पर व्यय की गई राशि (रुपये लाख में)**
1	2004-05	33.24
2	2005-06	1576.64
3	2006-07	7366.67
4	2007-08	4852.21
5	2008-09	3796.40
6	2009-10	1378.48
7	2010-11	2496.12
8	2011-12	1327.55
9	2012-13 (फरवरी, 2013 तक)	762.51
	कुल योग	23589.82

अलवर जिले हेतु देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

321. श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) देवनारायण योजना के अन्तर्गत राजस्थान में गत वर्ष में कितना बजट स्वीकृत किया गया था?

(2) जिला अलवर में देवनारायण योजना के तहत कितने प्राथमिक/उपस्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवनारायण योजना के अन्तर्गत राजस्थान में गत वर्ष में 50.74 करोड रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था।

(2) जिला अलवर में देवनारायण योजना के अन्तर्गत 86 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में जलग्रहण विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत राशि

322. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) जल ग्रहण विकास कार्यक्रम (IWMP) योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में वर्तमान में किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत है? पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तर पर किस स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं?

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास कार्यक्रम (IWMP) योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में पंचायत समितिवार/ग्राम पंचायतवार स्वीकृत क्षेत्रफल एवं गतिविधिवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु जिला परिषद में वाटरशैड सेल कम डाटा सेंटर का गठन किया जाकर आदेश क्रमांक 1713-1837 दिनांक 21.02.2013 द्वारा जिला कलक्टर को अध्यक्ष घोषित किया गया है (परिशिष्ट-ब) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बाडमेर के प्रशासनिक नियंत्रण एवं मानिटरिंग में परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशासी अभियन्ता (एक पद) सहायक परियोजना अधिकारी (एक पद) के पद स्वीकृत है, जिनमें से अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक परियोजना अधिकारी का पद रिक्त होने से कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के अधिकारी से अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई के पशु चिकित्सा केन्द्र रहित ग्राम

323. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर ''दीपा'' (नदबई) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव गादौली पहरसर, उटारदा एवं गांगरोली में पशु उप केन्द्र नहीं है? यदि हां,तो क्या सरकार उक्त गांवों में पशु उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां,तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव बरौलीरान व हन्तरा में पशु चिकित्सालय नहीं है? यदि हां,तो क्या सरकार उक्त गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई ग्राम गादौली में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत है, जबकि ग्राम पहरसर, उटारदा एवं गांगरोली में वर्तमान में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं है। पशु चिकित्सा उपकेन्द्र आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोले जाते हैं।

(2) जी हां। ग्राम हन्तरा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्वीकृत है|

पशु चिकित्सालय आवश्यकता एवं उपलब्ता अनुसार खोले जाते हैं।

बयाना (भरतपुर) में नवीन गैस एजेंसी की स्थापना

324. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बयाना कस्बे की आबादी एवं बयाना के आस पास 15 कि.मी. की दूरी के ग्रामों के लिए बयाना में मात्र एक गैस एजेंसी इण्डेन ही संचालित है?

(2) क्या यह सही है कि एक ही गैस एजेंसी संचालित होने के कारण रसोई गैस की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नई गैस एजेन्सी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बयाना के आसपास 15 कि.मी. की दूरी के ग्रामों के लिए बयाना में एक गैस एजेन्सी बयाना इण्डेन संचालित है।

(2) जी नहीं। गैस एजेन्सी द्वारा 14846 उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध करवाई जा रही है।

राज्य स्तरीय समन्वयक, भारतीय तेल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार महमदपुरा, तहसील बयाना में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के तहत नई गैस एजेन्सी खोले जाने हेतु दिनांक 18.02.2013 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

देवली-त्रिवेणी चौराहे (टोंक) सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य

325. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एम.डी.आर. 7 देवली से त्रिवेणी चौराहे तक की सड़क के सुदृढ़ीकरण

(श्री शिवजीराम मीणा)

एवं उन्नयन के कार्य की सर्वप्रथम स्वीकृति कब जारी की गई तथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. के मार्फत प्रथम बार निविदा प्रक्रिया कब प्रारम्भ कर पूर्ण की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एम.डी.आर 7 उक्त सड़क की निगम द्वारा आमंत्रित प्रथम बार की निविदा प्रक्रिया में न्यूनतम दरें कितनी प्राप्त हुई थी तथा इन दरों को स्वीकृत करने पर सड़क निर्माण के इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की जानी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त किया जाकर पुन: दूसरी बार निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने एवं पुन: निविदा आमंत्रित करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) एम.डी.आर 7 की उक्त देवली से त्रिवेणी चौराहे तक की सड़क के लिए दूसरी बार निविदा प्रक्रिया में न्यूनतम दरें कितनी प्राप्त हुई तथा इन दरों को स्वीकृत करने पर सड़क निर्माण के इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की जानी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि दूसरी बार निविदा प्रक्रिया अपनाने के कारण सरकार को उक्त कार्य पर प्रथम बार की निविदा की तुलना में अधिक राशि व्यय करनी पड़ेगी? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितनी राशि अधिक व्यय की जावेगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एम.डी.आर. 7 देवली से त्रिवेणी चौराहे तक की सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पत्रांक एफ.7(1434) सेक्शन-II/2010/डी-302 दिनांक 16.12.2010 को जारी की गई थी।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. के मार्फत प्रथम बार निविदा प्रक्रिया दिनांक 20.09.2010 से प्रारम्भ कर दिनांक 04.11.2010 को निविदाएं प्राप्त की गई थी।

(2) एम.डी.आर. 7 उक्त सड़क की निगम द्वारा आमंत्रित प्रथम बार की निविदा प्रक्रिया में न्यूनतम दर एवं इनके अनुसार व्यय की जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। प्रथम बार की निविदा निरस्त कर पुन: निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी जिसका मुख्य कारण हुडको द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं हो पाना था।

(4) एम.डी.आर. 7 की उक्त देवली से त्रिवेणी चौराहे तक की सड़क के लिए दूसरी बार की गई निविदा प्रक्रिया में न्यूनतम दरों एवं इन दरों के आधार पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। प्रथम बार की निविदाओं की तुलना में लगभग रुपये 14.92 करोड़ की राशि अधिक व्यय की जायेगी। दोबारा निविदाएं लगभग 1 वर्ष के अन्तराल के बाद आमंत्रित की गई थी, इसलिए सड़क सम्बन्धित सामग्री, लेबर एवं अन्य सामग्रियों की मूल्य वृद्धि के कारण अधिक दरें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए उपरोक्त वर्णित परस्थितियां के कारण किसी का दोष नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के अविद्युतीकृत ग्राम एवं ढाणियां

326. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों/ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2012 से जनवरी, 2013 तक फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत कितने आवेदन पत्र कब-कब प्राप्त हुए और उनमें से वर्तमान में कितने आवेदन पत्र किस कारण से लम्बित है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों/ढाणियों का संख्यावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विद्युतीकृत गांव	अविद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत ढाणियां	अविद्युतीकृत ढाणियां
1	अधी.अभि. (पवस), सांभर	88	-	507	-
2	अधी.अभि. (पवस), दूदू	33	-	58	43
कुल		121	-	565	43

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों/ढाणियों का नामवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी,2012 से जनवरी,2013 तक मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना (संशोधित) के तहत दिनांक 01 जून, 2012 से दिनांक 13 जून, 2012 तक कुल 1505 एवं दिनांक 01 नवम्बर, 12 से माह फरवरी, 13 तक कुल 365 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल 1870 प्राप्त आवेदनों में से 75 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं, 1385 आवेदक योजना में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र नहीं पाये गये तथा शेष 410 आवेदन साध्य पाये गये है जिन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। उनमें से 5 आवेदकों के मांग पत्र उनकी राशि जमा नहीं होने के कारण निरस्त कर दिये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत स्वीकृत पेंशन

327. श्री नवलकिशोर (बामनवास): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगों ने पेंशन हेतु आवेदन किया? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से सरकार द्वारा किन-किन को पेंशन स्वीकृत की गई शेष को पेंशन नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? शेष रहे व्यक्तियों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन पेंशन हेतु किये गये आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	श्रेणी	आवेदन पत्रों की संख्या
1.	वृद्धावस्था	3299
2.	विधवा	840
3.	विशेष योग्यजन	426

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) 1 दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्वीकृत किये गये पेंशनरों का नाम पतेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

आवेदन पत्रों में पाई कमियों एवं पात्रता की शर्त पूरी नहीं करने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किये गये थे। निरस्त किये गये आवेदनों की सूची कारण सहित परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में नरेगा योजनान्तर्गत अनियमितताओं की जांच

328. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (रावला) में 2008-09 के दौरान नरेगा के तहत हुए कार्य में गबन, अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य में? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार गबन के दोषी सरपंच व सचिव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा कर गबन की राशि वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 8 पीएसडी (रावला) में 2008-2009 के दौरान नरेगा के तहत हुए कार्य में कुछ अनियमितता पाई गई है, कोई गबन नही पाया गया है। जिन कार्यों में अनियमितता पाई गई है, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में कराए गए कार्यों में कोई गबन नही पाया गया है, अपितु कुछ अनियमितताएं पाई गई है। अनियमितताओं के दोषियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूल की जायेगी। प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए गए कार्मिकों द्वारा पुन: जांच कराए जाने के आग्रह पर उक्त कार्यों की पुन: जांच कराए जाने का निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा लिया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-1

कार्यों का विवरण जिन पर अनियतिताएं पायी गयी है

क्र. सं.	कार्य का नाम
1	कच्ची सड़क निर्माण मय कंसोलिडेशन हंसराज नायक के घर से सुल्तान जाट के घर तक 1850 फुट, 1 केपीडी
2	खडवन्जा सडक निर्माण हंसराज नायक के घर से सुलतान जाट के घर की ओर 1 केपीडी मौके पर निर्मित खडवन्जा 1 केपीडी
3	खडवन्जा सडक वार्ड में 2 में 1 केएसडी-बी से चुन्नीलाल के घर की ओर 1 केपीडी
4	जोहड़ खुदाई 1 केपीडी-बी
5	भूमि विकास मय वृक्षारोपण स्कूल ग्राउण्ड रा.उ.प्रा. पाठ, 1 केपीडी-बी
6	कच्ची सड़क निर्माण मय कम्पेकशन रावला बोरिया वाली रोड से 2 डीओएल तक
7	मिट्टी भर्ती रास्ता सुदृढ़ीकरण सन्ता सिंह के घर से लेकर आरसीपी डिगगी 2 डीओएल तक
8	कच्ची सड़क मय कम्पेकशन रामनारायण के घर से सन्ता सिंह के खेत तक 2 डीओएल
9	पक्का खाला पटडा 2 डीओएल
10	भूमि विकास सामुदायिक परिसर 2 डीओएल
11	कच्ची रोड 1 केपीडी रोड से राम प्रताप की ढाणी तक 8 पीएसडी-1
12	मिट्टी भर्ती वार्ड नं. 7 की गलियों में हरि सिंह ओर के घर से भगत सिंह स्कूल से होते हुए अर्जुन नाई के घर, शिव पंडित, बाहेड सिंह के घर, साईबाबा मन्दिर के घर कृष्ण राम के घर तक 8 पीएसडी-ए
13	भूमि विकास राजकीय प्रा.वि. मैदान से 8 पीएसडी-ए
14	खडवन्जा सड़क निर्माण कार्य वार्ड नम्बर 5 रोजडी रोड से रवि के घर तक व मौहल्ले में 8 पीएसडी-बी
15	कच्ची सड़क मय कम्पकेशन हुकम सिंह के घर से सुभाष के घर बन्ता सिंह, भंवर सिंह, गुरपाल सिंह, अजमेर सिंह के घर सुरजाराम के घर से विक्रम सिंह के घर तक 8 पीएसडी-बी
16	भूमि विकास मय वृक्षारोपण पार्क स्थान पर शर्मा पुस्तकालय भण्डार के सामने वार्ड नं. 10 8 पीएसडी-बी
17	कच्ची सड़क निर्माण मय कम्पेकशन अस्पताल रोड से क्रय विक्रम सहकारी समिति तक वार्ड नं. 13 8 पीएसडी-बी

क्र. सं.	कार्य का नाम
18	खडवन्जा रिसोलिंग व नाली निर्माण 8 पीएसडी-बी
19	कच्ची सड़क डाडी रोड के साइड में 8 पीएसडी-बी
20	कच्ची सड़क अनिल कडवासरा दुकान में जनता टेण्ट हाउस, मदन की दुकान से, हरिकृष्ण, बस स्टेण्ड के पीछे, मेडिकल स्टोर से मूल चन्द के घर तक 8 पीएसडी-बी
21	भूमि विकास मय वृक्षारोपण कार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय 8 पीएसडी-बी
22	भूमि विकास श्याम बाबा पार्क ग्राउण्ड वार्ड नं. 11 8 पीएसडी-बी
23	रेनवाटर हार्वेस्टिंग रिचार्जिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य रा.उ.मा.वि. रावला मण्डी 8 पीएसडी-बी

प्याज भण्डारण हेतु अनुदान

329. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को प्याज भण्डारण करने के लिए प्याज गृह निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना? क्या उक्त अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा भी दिया जाता है? यदि हां, तो राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का कितना-कितना हिस्सा होता है? विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों को केवल प्रति गृह कुल 70,000 रुपये का अनुदान दिया जाना था जिसमें से केवल 50,000 रुपये का ही भुगतान किया गया? यदि हां, तो शेष 20,000 रुपये का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं नेशनल वेजीटेबल इनिशिएटिव फॉर अरबन कल्सटर के तहत कृषकों को कम लागत प्याज भण्डारण संरचना (25 मेट्रीक टन क्षमता) निर्माण हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 50000/- प्रति इकाई अनुदान देय है। इसके साथ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, द्वारा अनुपातिक रूप से राशि रुपये 20000/- प्रति इकाई अतिरिक्त अनुदान देय है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत देय अनुदान में 85 प्रतिशत केन्द्रीयांश एवं 15 प्रतिशत राज्यांश राशि सम्मिलित है।

(कृषि मंत्री)

(2) कम लागत प्याज भण्डारण संरचना निर्माण हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं नेशनल वेजीटेबल इनिशिएटीव फॉर अरबन कल्सटर उप योजना के तहत उपलब्ध करवाये जा रहे अनुदान लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/- रुपये प्रति इकाई के अतिरिक्त राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, द्वारा योजनाओं के तहत जारी स्वीकृतियों के आधार पर 20000/- प्रति इकाई की दर से अनुपातिक रूप में अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस हेतु जिला स्तर से जारी स्वीकृतियों के अनुसार बोर्ड द्वारा अब तक 1260 प्याज भण्डारण संरचनाओं के लिये 252.00 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुदान राशि उपलब्ध करवायी है जिसे सम्बन्धित जिलों को उपलब्ध करवा दिया गया है। उपलब्ध करवायी गयी राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। साथ ही जिला स्तर से जारी स्वीकृतियों के आधार पर 95 प्याज भण्डारण संरचनाओं हेतु राशि रुपये 19.00 लाख बोर्ड से प्राप्त होना शेष है। बोर्ड से राशि प्राप्त होते ही अतिरिक्त अनुदान की शेष राशि सम्बन्धित जिलों को उपलब्ध करवायी जायेगी।

परिशिष्ट-1

(राशि लाख रुपये)

क्र.सं.	**जिला**	**प्याज भण्डारण संरचनाओं की संख्या**	**उपलब्ध राशि**
1	अजमेर	10	2.00
2	अलवर	33	6.60
3	जयपुर	736	147.20
4	सीकर	16	3.20
5	झुन्झुनूं	61	12.20
6	नागौर	392	78.40
7	जोधपुर	11	2.20
8	कोटा	1	0.20
	योग	**1260**	**252.00**

राजसमन्द जिले में किसान सम्बल योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषक

330. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) किसान सम्बल योजना में ऋण दिये जाने के क्या मानदण्ड है?

(2) राजसमन्द जिले में वर्ष 2009-10 से अब तक कितने किसानों को कितनी राशि के ऋण इस योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये एवं किस दर पर? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार किसानों को वर्तमान ब्याज दर में राहत देने का विचार रखती है?

(4) इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) किसान सम्बल योजना के अन्तर्गत बैंक की शाखा स्तर से सदस्यों को ऋण वितरण की स्थिति में अधिकतम सीमा असिंचित भूमि होने की दशा में रुपये 50,000/- व सिंचित भूमि होने की दशा में रुपये 20.00 लाख तक है और समिति स्तर से ऋण वितरण की स्थिति में अधिकतम सीमा असिंचित भूमि होने की दशा में रुपये 50,000/- सिंचित भूमि की दशा में 1.00 लाख रुपये तक है। ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण ऋणी की भूमि की डीएलसी दर के अनुसार कुल कीमत का 50 प्रतिशत तक दिया जाता है। बैंक द्वारा किसान सम्बल योजनान्तर्गत ऋण दिये जाने के मापदण्ड एवं योजना का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजसमन्द जिले में वर्ष 2009-10 से जनवरी, 2013 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., उदयपुर द्वारा किसान सम्बल योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार उपलब्ध कराये गये ऋण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र का नाम**	**वर्ष 2009 -10 से जनवरी 2013 तक किये गये ऋण वितरण का विवरण**	
		संख्या	**राशि लाखों में**
1	भीम	100	93.51
2	कुम्भलगढ़	135	121.51
3	राजसमन्द	64	65.51
4	नाथद्वारा	53	72.65
योग		**352**	**353.18**

(सहकारिता मंत्री)

राजसमन्द जिलें में योजना के प्रारम्भ की दिनांक 21.10.2010 से अन्तिम ऋणी को 11.50 प्रतिशत एवं दिनांक 01.08.2011 से अन्तिम ऋणी को 12.50 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जा रहा है।

(3) योजना के अन्तर्गत बैंक स्वयं के संसाधनों की लागत एवं बाजार दरों को दृष्टिगत रखते हुए ब्याज दर निर्धारित करते है। वर्तमान में ब्याज दर में कोई राहत उपलब्ध नहीं है।

(4) किसान सम्बल योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु ऋण ब्रोशर में योजना का विवरण देकर ब्रोशर का वितरण किया जाता है एवं ऋण पर्यवेक्षकों को एवं समिति के व्यवस्थापकों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खण्डेला के स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क कार्य

331. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तपीपल्या से कोटड़ी धायलान की तरफ जाने वाली सड़क पर कोटड़ी ग्राम की ओर एक किलोमीटर सड़क के टेण्डर हो जाने के बावजूद आज तक निर्मित नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम कोटड़ी धायलान से दादिया जाने वाली सड़क पर दादिया की ओर डेढ़ किलोमीटर सड़क भी टेण्डर होने के बावजूद अब तक निर्मित नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों सड़कों के लिये ठेकेदार को कब-कब नोटिस दिये गये एवं उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दोषी ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाकर रिस्क एण्ड कोस्ट बेसिस पर कार्य पूर्ण करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों एवं इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(5) क्या सरकार सम्बन्धित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने एवं दोषी अधिकारियों को दंडित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तपीपल्या से कोटड़ी धायलान की तरफ जाने वाली सड़क पर कोटड़ी ग्राम की ओर 1 कि.मी. नवीनीकरण का कार्य आर.आई.डी.एफ.-16 के पैकेज नम्बर-आर.जे. 29-03/5054/आर.आई.डी.एफ.-16/ रिहैबिलिटेशन प्लान/ 2010-11 की 9 सड़कों में शामिल है। संवेदक द्वारा 6 सड़कों का कार्य पूर्ण किया है, शेष 3 सड़कों का कार्य न करने के कारण अनुबन्धानुसार कार्य प्रत्याहारित कर दिया गया है, पुन: निविदाएं आमंत्रित कर शीघ्र ही कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। ग्राम कोटड़ी धायलान से दादिया जाने वाली सड़क पर दादिया की ओर स्वीकृत 1.20 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य संवेदक द्वारा नहीं किये जाने के कारण की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग संख्या-1 के उत्तर अनुसार है।

(3) उक्त दोनों सड़कों का कार्य न करने के कारण संवेदक को निम्न नोटिस जारी किये गये:-

1. अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत सीकर के पत्रांक 5417 दिनांक 28.01.2011.

2. अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नीमकाथाना के पत्रांक 6955 -57 दिनांक 09.02.2011.

3. अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नीमकाथाना के पत्रांक 1616-18 दिनांक 18.03.2011.

4. अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नीमकाथाना के पत्रांक 153-54 दिनांक 19.04.2011.

5. अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नीमकाथाना के पत्रांक 4559 -60 दिनांक 30.12.2011.

6. अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत सीकर के पत्रांक 3580 दिनांक 16.02.2012.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

7. अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नीमकाथाना के पत्रांक 3754 -57 दिनांक 06.11.2012.

8. अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत सीकर के पत्रांक 6013 दिनांक 25.01.2013.

लेकिन संवेदक द्वारा कार्य शुरू नहीं किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना द्वारा की गई अभिशंसा के अनुसार वृत कार्यालय सीकर द्वारा पत्रांक 6333 दिनांक 15.02.2013 से कार्य प्रत्याहारित किया जा चुका है। संवेदक के अन्तरिम बिलों से रुपये 1.45 लाख शास्ति आरोपित की गई थी।

(4) जी नहीं। अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 (सी) के तहत वृत कार्यालय के पत्रांक 6333 दिनांक 15.02.2013 को कार्य प्रत्याहारित किया जा चुका है, संवेदक के हर्जे-खर्चे पर शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं। सम्बन्धित संवेदक के विरुद्ध अनुबन्धानुसार कार्यवाही कर शेष कार्य संवेदक के हर्जे-खर्चे पर शीघ्र ही पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य न करने के लिये विभाग द्वारा सम्बन्धित संवेदक को अनुबन्धानुसार नोटिस जारी कर कार्यवाही की है। अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कार्य योजना

332. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश को सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये?

(2) इसकी प्रति यूनिट दर क्या होगी तथा किसको आपूर्ति की जायेगी?

(3) सौर ऊर्जा द्वारा अब तक कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है तथा वर्ष 2013-14 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं?

उत्तर

(1) प्रदेश को सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए किए गये प्रयासों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) सौर ऊर्जा से प्रति यूनिट उत्पादन की दर एवं किसको आपूर्ति की जायेगी, का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) विगत चार वर्षों में सौर ऊर्जा पर आधारित कुल 436.35 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं जनवरी, 2013 तक स्थापित कर बिजली का उत्पादन हो रहा है। वर्ष के अन्त तक स्थापित परियोजनाओं की क्षमता का विवरण निम्नानुसार है :-

स्थापित क्षमता वर्ष के अंत तक	**सौर ऊर्जा (मेगावाट)**
वर्ष 2007 तक	Nil
वर्ष 2008 तक	Nil
वर्ष 2009 तक	Nil
वर्ष 2010 तक	Nil
वर्ष 2011 तक	54.5
वर्ष 2012 तक	166.85
दि. 01.01.2013 से दि. 31.01.2013 तक	215

वर्ष 2013-14 से विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कुल 400 मेगावाट की परियोजनाओं के स्थापित होने की सम्भावना है।

उक्त परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

333. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा कालेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो किस-किस पाठ्यक्रम के लिये कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विगत चार वर्षों में अलवर जिले में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितने आवेदकों को छात्रवृत्ति दी गई?

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक कितने छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई? विद्यार्थियों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले में संचालित सरकारी/ निजी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस महाविद्यालय की? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि भौतिक सत्यापन में महाविद्यालय प्रबन्धन की ओर से कुछ कमी होने के कारण जांच अधिकारियों द्वारा उपरोक्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकी गई है? क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में पाई गई कमियों को मौके पर ही ठीक कराने के निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग व अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है, दी जा रही छात्रवृत्तियों का पाठयक्रम एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत चार वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्र एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। वर्ष 2009-10 से 31 जनवरी, 2013 तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनानतर्गत वितरित छात्रवृत्ति के आवेदकों की संख्या का विवरण कालेजवार, योजनावार परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। अलवर जिले में छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने के सम्बन्ध में विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जी हां। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में लम्बित आवेदन पत्रों के आक्षेप की पूर्ति करवाकर पात्र आवेदकों की छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी कर भुगतान करवाने बाबत विभाग के पत्रांक 20747 दिनांक 9.3.2013 द्वारा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर को निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर नाला निर्माण हेतु कार्य योजना

334. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय डेगाना कस्बे में गन्दे पानी की निकासी का एक मात्र नाला सरकारी उपेक्षा के कारण निर्माण के अभाव में कस्बेवासियों के लिये परेशानी का कारण बना हुआ है? यदि हां, तो सरकार इस नाले के निर्माण के लिये क्या योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के डेगाना कस्बे के एक मात्र गन्दे नाले के निर्माण के लिये ग्राम पंचायत झगडवास द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना वर्ष 2011-12 में राशि रुपये 26.50 लाख का निर्माण कार्य प्रस्तावित कर स्वीकृति हेतु भिजवाया गया था, किन्तु रेलवे विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त कार्य नहीं करवाया जा सका। वर्तमान में उक्त कार्य को करवाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत झगडवास द्वारा कार्य पुन: प्रस्तावित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा।

प्रदेश में पशु चिकित्सा पर व्यय राशि

335. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पशुओं को होने वाली बीमारियों जैसे खुरपका व मुंहपका रोगों के निदान के लिए सरकार ने विगत पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में मुंहपका व खुरपका रोगों से कितने पशुओं की मृत्यु हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन

(श्री अभिषेक मटोरिया)

ग्रामीणों का मुख्य धंधा है? सरकार द्वारा इनके विकास के लिए गत पांच वर्षों में क्या-क्या योजना बनायी तथा कितनी योजनाओं को लागू किया गया? कितनी योजनाएं लागू होने से रह गयीं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में खुरपका व मुंहपका रोग के निदान के लिए विगत 5 वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	व्यय की गई राशि "रुपयों में"
2007-08	67730
2008-09	98189
2009-10	81734
2010-11	249493
2011-12	706384
कुल	**12,03,530**

(2) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में खुरपका व मुंहपका रोग से वर्ष 2009-10 में 10 तथा वर्ष 2011-12 में 270 पशुओं की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(3) पश्चिम राजस्थान में भेड़ एवं बकरियों की संख्या अधिक होने के कारण वहां पशुपालकों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है।

राज्य सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में निम्नांकित योजना तैयार कर कियान्वित की गई हैं।

1. भेड़ फार्म, फतेहपुर में देशी नस्ल की भेड़ों में सुधार हेतु मगरा एवं मारवाड़ी नस्ल की भेड़ का पालन प्रारम्भ किया गया है । जिससे देशी नस्ल का सवंर्धन एवं विकास किया जा सके।

2. भेड़ फार्म, फतेहपुर में बकरी प्रजनन कार्य प्रारम्भ किया गया है जिससे सिरोही नस्ल का नस्ल सुधार, सिरोही नस्ल सवंर्धन एवं विकास कार्य किया जा सकें।

3. बकरियों में नस्ल सुधार हेतु उन्नत बकरा वितरण कार्य किया जा रहा है।

(पशुपालन मंत्री)

4. मुख्य मंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना।

5. पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना।

6. पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा पशुपालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7. बेरोजगार पशुधन सहायकों एवं पशु चिकित्सकों के माध्यम से पशुधन सेवा केन्द्रों की स्थापना।

प्रदेश में पशुपालन के विकास के लिए प्रारम्भ की गई समस्त योजनाएं वर्तमान में संचालित है।

प्रदेश में कैरोसिन/आटा वितरण हेतु राशन टिकट व्यवस्था

336. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माह मार्च, 2013 से केरोसीन वितरण राशन टिकट के आधार पर करने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा राशन टिकट वितरण के लिये क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या माह फरवरी, 2013 में यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा कितने राशन टिकट मुद्रित कराये गये हैं? जिलेवार उपभोक्ता संख्या एवं मुद्रित राशन टिकट का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार एपीएल आटे का वितरण भी इसी अनुरूप करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार एपीएल आटा हेतु राशन टिकट एक साथ वितरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश दिनांक 30.01.2013 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा केरोसीन राशन टिकिट छपवाने के लिये पूर्व में समस्त जिला रसद अधिकारियों को सहकारी मुद्रणालय से केरोसीन राशन

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

टिकट छपवाने के आदेश दिये गये थे, तथा माह फरवरी, 2013 में उक्त कार्य पूर्ण कर 01.03.2013 से पूर्व पात्र उपभोक्ताओं को वितरित करने के आदेश जारी किये गये थे, परन्तु सहकारी मुद्रणालयों द्वारा कार्य की अधिकता के कारण कूपन छापकर देने में असमर्थता व्यक्त की गयी थी इसलिये जिला स्तर पर कमेटी का गठन कर स्थानीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर दिनांक 01.03.2013 के स्थान पर दिनांक 01.04.2013 से पूर्व राशन टिकटों का वितरण कराने के लिये समस्त जिला रसद अधिकारियों को विभागीय पत्र क्रमांक एफ 30(17) खा.वि./केरो.टि./2005 दिनांक 07.02.2013 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। आदेश की प्रति परिशिष्ट -2 पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा राज्य के समस्त जिलों में कुल 15029598 केरोसीन राशन टिकिट कूपन बुकेलेट जारी किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये है। उपभोक्ता संख्या तथा मुद्रित राशन टिकट का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में एपीएल आटे का वितरण राशन टिकट के आधार पर कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) बिन्दु संख्या-4 के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद की क्षतिग्रस्त सड़कें

337. श्री नगराज (धरियावद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र धरियावद की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र धरियावद की सड़कों को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन सी? सड़कों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बान्सी धरियावद मार्ग, धरियावद पारसोला वाया माण्डवी मार्ग एवं झल्लारा (सलूम्बर) से धरियावद मार्ग किलोमीटर 45/0 से 55/0 तक का सड़क मार्ग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र धरियावद में 432.01 किमी. लम्बाई की सड़कों में से 50.50 किमी. क्षतिग्रस्त हैं। इनमें से 28.00 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण/ चौड़ाईकरण/ सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। शेष 22.50 किमी. में नवीनीकरण हेतु निविदाएं दिनांक 25.03.2013 को प्राप्त की जानी हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। बान्सी धरियावद मार्ग, धरियावद पारसोला वाया माण्डवी मार्ग एवं झल्लारा (सलूम्बर) से धरियावद मार्ग किलोमीटर 45/0 से 55/0 तक कुल 48.00 कि.मी. लम्बाई में से 5.00 कि.मी. में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण, 8.00 कि.मी. में कार्य प्रगतिरत, 7.50 कि.मी. की निवदाएं दिनांक 25.03.2013 को प्राप्त की जानी है, शेष 27.50 कि.मी. में पेच मरम्मत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगढ़ में विद्युत बिल बिलिंग कार्य में अनियमितताएं

338. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रामगढ विधान सभा क्षेत्र में बिना विद्युत कनेक्शन दिये ही बिल जारी किये गये हैं? यदि हां, तो जनवरी,2012 से वर्तमान तक ऐसे कितने प्रकरण सामने आये तथा उक्त प्रकरणों का किस प्रकार निस्तारण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बिलिंग का कार्य ठेके पर दिया गया है? यदि हां, तो बिलिंग का कार्य ठेके पर देने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं तथा ठेकेदारों के लिए क्या-क्या योग्यताएं अनिवार्य हैं? ठेके की शर्तों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्युत ठेकेदारों के द्वारा बिलिंग कार्य करने के लिए रखे गये कार्मिक इस कार्य हेतु अकुशल एवं अयोग्य है जिससे उपभोक्ताओं को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य हेतु योग्य एवं कुशल ठेकेदार लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मानवीय भूल के कारण जनवरी, 2012 से वर्तमान तक रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चार प्रकरण सामने आये हैं। इनका निस्तारण सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर निरीक्षण करवाकर शिकायत सही पाये जाने पर बिलिंग राशि का क्रेडिट सी.सी. एण्ड आर. रजिस्टर के द्वारा प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया।

(2) जी हां। यह सही है कि जयपुर डिस्काम में बिलिंग का कार्य ठेके पर दिया गया था जिसमें जयपुर शहर वृत के लिये मै0 डाटा इन्फोसिस एवं जयपुर शहर वृत के अतिरिक्त समस्त डिस्काम के लिये मै0 बैल्लारी कम्प्यूटर्स को कार्यादेश क्रमश: दिनांक 07.12.2006 एवं दिनांक 07.07.2007 को दिये गये थे।

बिलिंग का कार्य ठेके पर देने के लिये खुली निविदा जारी की गई थी जिसमें कोई भी निविदा दाता जो कि निर्धारित योग्यताएं पूरी करता था उसमें भाग ले सकता था। दिये गये कार्यादेशों की प्रतिलिपियां प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम में बिलिंग का कार्य ठेके पर दिया हुआ है। बिलिंग का कार्य ठेके पर देने हेतु समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कर निविदायें आमंत्रित की जाती है तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम न्यूनतम निविदा दाता को कार्यादेश जारी किया जाता है। पूर्व में जारी कार्यादेश हेतु ठेकदारों के लिए अनिवार्य योग्यताओं का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है। ठेके की शर्तों का विवरण बिलिंग ऐजेन्सी को जारी कार्यादेश में वर्णित है, जो प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

अजमेर निगम क्षेत्र में केवल बिल प्रिटिंग का कार्य बाहरी कम्प्यूटर एजेन्सी से कराया जाता है, दिये गये कार्यादेश की प्रति 'द' पर उपलब्ध है।

(3) ठेकेदार द्वारा लगाये गये कार्मिक निविदा शर्तों के अनुसार थे। उपभोक्ताओं की बिलिंग सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण उपखण्ड, खण्ड एवं वृत स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में नयी निविदा जारी की गई है जिसमें कार्मिकों की योग्यताओं को और सख्त किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ उप-खण्ड मुख्यालय पर बालिका छात्रावास की स्थापना

339. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय भोपालगढ़ में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार भोपालगढ़ के ग्राम सोयला (नेशनल हाइवे 65) पर छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उपखण्ड मुख्यालय भोपालगढ़ में अनुसूचित वर्ग का एक छात्रावास 45 की स्वीकृत क्षमता का संचालित है। राज्य सरकार के पास उपखण्ड मुख्यालय भोपालगढ़ में बालिका छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि प्रस्ताव प्राप्त होगा तो प्रवेश की संभाव्यता का आकलन कर तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। भोपालगढ़ तहसील मुख्यालय पर विभाग द्वारा 45 की क्षमता का राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास वर्तमान में संचालित है। भोपालगढ़ के ग्राम सोयला नेशनल हाइवे (65) पर छात्रावास खोलने बाबत कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

कुशलगढ़ में मनरेगा योजना का बकाया भुगतान

340. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र की पंचायत समिति सज्जनगढ़ व कुशलगढ़ में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का श्रम व सामग्री का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक कर दिया जायेगा?

(2) उक्त पंचायत समितियों में श्रम व सामग्री में कितना भुगतान शेष है? मद वार पंचायत वार राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का भुगतान

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

एक सतत् प्रक्रिया है। कुशलगढ़ क्षेत्र की पंचायत समिति सज्जनगढ़ व कुशलगढ़ में योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यों का श्रम भुगतान मस्टररोल प्राप्त होते ही नियमित रूप से किया जा रहा है एवं सामग्री मद का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर रिवाल्विंग फण्ड के रूप में किया जा रहा है।

(2) पंचायत समिति सज्जनगढ़ में श्रम मद का भुगतान लगभग 25.02.2013 तक किया जा चुका है एवं पंचायत समिति कुशलगढ़ में 23.02.2013 तक कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों/विभागों को उनके सामग्री बिलों की एडवांस एमआईएस फिडिंग होने एवं मांग प्रस्तुत करने पर नियमित रूप से किया जा रहा है। दिनांक 12.03.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में कृषकों को जिप्सम वितरण में अनियमितता की जांच

341. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंकशन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को कृषि भूमि हेतु जिप्सम पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो निर्धारित मानदण्ड/ प्रपत्रों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में 1 अप्रैल, 2008 से 30 दिसम्बर, 2012 तक किन-किन किसानों को कितना-कितना जिप्सम वितरित किया? अनुदान राशि, जिप्सम की मात्रा का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपनिदेशक/सहायक निदेशक द्वारा जिप्सम का इन्द्राज अपने कार्यालय के स्टॉक रजिस्ट्रर में दर्ज कर किसानों को वितरित किया जाता है? यदि हां, तो 1 अप्रैल, 2008 से 30 दिसम्बर, 2012 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त जिले में जिप्सम वितरण में अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार अनियमितताओं के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां । दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट (1) पर संलग्न है।

(2) पाली जिले में 1 अप्रैल, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक तहसीलवार वितरण किये गये जिप्सम की मात्रा, कृषकों की सूची, एवं अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं ।

(4) कार्यालय रिकार्ड के आधार पर इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर के प्राचीन जल स्रोतों से जल निकासी एवं उसका उपयोग

400. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में भूजल स्तर बढ़ने की समस्या के तात्कालिक समाधान के रूप में परम्परागत प्राचीन जल स्रोतों से निरन्तर जल निकासी की जा रही है? यदि हां, तो किन-किन जलाशयों से कितना-कितना जल निकाला जा रहा है? जलाशय वार पीएच एवं अन्य निर्णायक रसायन संघटकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जल निकासी में कुल कितना गैलन पानी अब तक निकाला गया?

(3) उक्त जल निकासी में से कितने पानी का उपयोग कहां-कहां किया गया? स्थान, उपयोग एवं जल मात्रा मय प्राप्त राजस्व का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जल निकासी में से कुल कितना गैलन पानी सीवरेज लाइन में बहा दिया गया? उक्त बहुमूल्य जल को सीवरेज में बहाने का निर्णय किस स्तर पर किया गया तथा इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर में भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु परम्परागत जल स्रोतों से वर्तमान में जल निकासी मात्रा तथा स्रोतवार पी.एच. व अन्य निर्णायक रासायनिक संघटकों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है ।

(2) जल निकासी परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ दिनांक 12 जुलाई, 2009 से दिनांक 6 मार्च, 2013 तक 483.79 करोड़ गैलन पानी निकाला जा चुका है।

(3) उक्त जल निकासी में से दिनांक 6 मार्च, 2013 तक किये पानी के उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है:-

जलापूर्ति के साथ - 206.63 करोड़ गैलन

बागवानी व अन्य - 120.42 करोड़ गैलन

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

सीवरेज व नालों में - 156.74 करोड़ गैलन

निस्तारण शेष वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है ।

(4) स्वीकृत योजनन्तर्गत विशेषज्ञों की राय के अनुसार पानी की गुणवत्ता के आधार पर अनुपयोगी 156.74 करोड़ गैलन पानी सीवरेज व नालों में निस्तारित किया गया ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली शहर एवं रोहट तहसील के नाकारा हैण्ड पम्प

401. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली शहर एवं रोहट तहसील में कुल कितने हैण्ड पम्प कितने-कितने समय से पूर्णतया नाकारा हैं?

(2) सरकार द्वारा उक्त नाकारा हैण्ड पम्पों के ढांचे कितनी अवधि में हटा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) पाली शहर में स्थापित कुल 526 हैण्ड पम्पों में से 98 हैण्ड पम्प वर्तमान में नाकारा हैं । रोहट तहसील के 19 गांवों में स्थापित कुल 96 हैण्ड पम्पों में से कोई हैण्ड पम्प वर्तमान में नाकारा नहीं है । वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) दिनांक 15 फरवरी, 2013 को कार्यादेश जारी किये जाकर उक्त नाकारा हैण्ड पम्पों को मौके से हटाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा इन हैण्डपम्पों को आगामी तीन माह में मौके से पूर्ण रूप से हटाया जाना प्रस्तावित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना का वित्तीय स्वीकृति प्रकरण

402. श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले की महत्वपूर्ण चम्बल-पांचना-

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

जगर लिफ्ट परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों व सरकार इस हेतु क्या प्रयास कर रही है?

(2) क्या यह सही है कि चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करने में पाई गई कमियों को पूरा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013-14 में जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो अभी कौन-कौनसी कमियों की पूर्ति किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित करौली जिले की चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना में मुख्यत: मानसून अवधि में चम्बल नदी में व्यर्थ बहकर जाने वाले अतिरिक्त पानी को लिफ्ट कर पांचना एवं जगर बांध को भरकर सिंचाई के उपयोग में लेना प्रस्तावित था। उक्त परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग ने वन भूमि प्रत्यावर्तन के जो प्रस्ताव वन विभाग को प्रेषित किये थे, उन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का उल्लेख करते हुए निरस्त कर दिया गया। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा उक्त परियोजना हेतु लगाये गये आक्षेपों में वन विभाग की क्लीयरेंस भी प्राप्त की जानी आवश्यक थी। इसलिये उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। हाल ही में लिये गये निर्णय अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की दृष्टि से इस परियोजना की तकनीकी संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

(2) उपरोक्तानुसार।

उपभोक्ताओं/कम्पनियों/फर्मों आदि पर बकाया राशि

403. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विभाग की बहुत बड़ी राशि उपभोक्ताओं, कम्पनियों व फर्मों आदि पर बकाया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किन-किन पर और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां । वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में भूजल अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

404. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में भूजल विभाग में अधिकारियों/ कर्मचारियों के कौन-कौनसे पद कितनी-कितनी संख्या में स्वीकृत है एवं स्वीकृत में से कितने पद रिक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भूजल विभाग के सीकर जिले में दो कार्यालय हैं जिसमें स्वीकृत, कार्यरत रिक्त पदों का विवरण निम्ननुसार हैं:-

कार्यालय सहायक अभियन्ता, भूजल विभाग, सीकर

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1. सहायक अभियन्ता	1	-	1
2. वेधन पर्यवेक्षक	1	1	-
3. कनिष्ठ लेखाकार	1	-	1
4. वेधक	1	-	1
5. कनिष्ठ लिपिक	2	2	-
6. वाहन चालक	2	1	1
7. हैल्पर	3	3	-
8. क्लीनर	1	1	-
9. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	-
योग	**14**	**10**	**4**

कार्यालय प्रभारी भूजल वैज्ञानिक, भूजल विभाग, सीकर

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1. कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक	1	1	-
2. तकनीकी सहायक भूजल	2	2	-
3. वरिष्ठ लिपिक	1	1	-
4. वाहन चालक	1	1	-

(भू-जल मंत्री)

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
5. तकनीकी वाहक	1	1	-
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	-
योग:	8	8	-

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नागौर जिले में प्रस्तावित सोलर पम्प

405. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में हाइटेक उद्यानिकी के लिए सौर ऊर्जा के सोलर पम्प लगाये गये है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कहां-कहां पर लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सोलर पम्प लगाने के लिए क्या-क्या मानदण्ड रखे गये तथा आगामी वर्ष में कितने सोलर पम्प कहां-कहां लगाया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले को वर्ष 2012-13 के दौरान 37 सौर पम्प संयंत्रों का लक्ष्य जारी किया गया। उक्त लक्ष्य के विरुद्ध 35 कृषकों की प्रशासनिक स्वीकृतियॉ जारी की जा चुकी हैं जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सोलर पम्प स्थापना के कृषक पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

आगामी वर्ष 2013-14 मे सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना अन्तर्गत राज्य में 10,000 सोलर पम्प लगाये जाने प्रस्तावित है। उक्त सोलर पम्प राज्य के सभी 33 जिलों में वास्तविक मांग तथा विगत वर्षों की उच्च उद्यानिकी गतिविधियों की अर्जित प्रगति के आधार पर लगाये जाने प्रस्तावित किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में भण्डार गृहों हेतु अनुदान

406. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में उत्पादक किसानों को भण्डार गृह बनाने हेतु विगत चार वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया? ग्राम वार, किसानवार आबंटित राशि की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) भण्डार गृह निर्माण के अनुदान हेतु कितने आवेदन किस-किस के द्वारा कहां-कहां बनाने हेतु प्रस्तुत किए गए? उनमें से कितने का निस्तारण हुआ व कितने विचाराधीन हैं? विचाराधीन आवेदनों पर स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा भण्डारगृह बनाने हेतु अनुदान की वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

बहरोड़ में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सड़कें

407. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में कुल कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़कें कहां-कहां स्वीकृत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (विश्व बैंक) प्रोजेक्ट आर.आर.पी.-II के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में एक सड़क सम्पर्क सड़क कान्हावास से डी.एच. नांगल कुल लम्बाई 1.55 कि.मी. एवं राशि रुपये 36.02 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उक्त सड़क की निविदा स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा कार्यादेश प्रक्रियाधीन है।

रायसिंहनगर के सड़क रहित राजस्व ग्राम

408. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के कई राजस्व गांव सड़क से जुडे हुए नहीं हैं? यदि हां, तो कब से? आबादीवार प्रत्येक गांव की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य किसी सड़क योजना में डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के कुल 233 राजस्व गांव प्रारम्भ से ही डामर सड़क से नहीं जुडे हुए हैं। जनगणना 2001 के आधार पर डामर सड़क से बिना जुडे आबादीवार गांवों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त गांवों में से 250 से अधिक आबादी के 62 गांव विलेज कनेक्टिविटी में स्वीकृत है व कार्य प्रगति पर है, इनके साथ 5 गांव इन्सीडेन्टल जुड़ रहे हैं। 7 गांवों के लिए वर्ल्ड बैंक के तहत निविदा आमंत्रित की गई हैं तथा 2 गांवों को वर्ल्ड बैंक योजना के अन्तर्गत जोड़ा जाना प्रस्तावित है। अत: कुल 76 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना है। 250 से कम आबादी के शेष 157 राजस्व गांवों में से 100 से अधिक आबादी के गांवों को बजट घोषणा 2013-14 अनुसार चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन के रेलवे स्टेशनों हेतु स्वीकृत सड़कें

409. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हर रेलवे स्टेशन को सड़क से

(श्री केसाराम चौधरी)

जोड़ने की घोषणा की थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के किस स्टेशन को सड़क से जोड़ा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के आउवा रेलवे स्टेशन से बादसा गांव, बांता रेलवे स्टेशन से बांता गांव, मैलाणा, भिवालिंया, धामली से बांता रेलवे स्टेशन को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन से आउवा रेलवे स्टेशन से बादसा गांव बांता रेलवे स्टेशन से बांता गांव, मैलाणा, भिवालिंया, धामली से बांता रेलवे स्टेशन को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य वर्तमान में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है।

भोपालगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कें

410. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में भोपालगढ़ से खेपाड़ा तक, भोपालगढ़ से कस्बों की ढाणी(गांव) तक रतकूडिया से सरगिया तक डामर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो सरकार इनका पुनः निर्माण/सड़क निर्माण कब तक करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में भोपालगढ़ से खेपाड़ा, भोपालगढ़ से कस्बों की ढाणी (गांव) तक, रतकूडिया से सरगिया तक कुल 49.00 किमी. की सड़कों में आंशिक क्षतिग्रस्त 21.20 किमी. में से 7.00 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत है। 13.00 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण के प्रस्ताव 13वें वित्त आयोग में विचाराधीन हैं तथा शेष 1.20 कि.मी. लम्बाई में सुधार कार्य अन्य योजनाओं में वित्तीय संसाधनानुसार शामिल किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्रं. सं.	सड़क का नाम	वर्गीकरण	कुल लम्बाई (किमी)	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी)	क्षतिग्रस्त लम्बाई यदि स्वीकृत/प्रस्तावित हो तो विवरण
1	भोपालगढ़ से खेडापा सड़क	अन्य जिला सड़क (ओडीआर-40)	25.00	20.00	7 किमी (37/0 से 39/0, 40/0 से 45/0) 13वें वित्त आयोग में नवीनीकरण हेतु स्वीकृत है। कार्य प्रगतिरत है।
2	भोपालगढ़ से कस्वां (करवासरों) की ढाणी	अन्य जिला सड़क (ओडीआर-40)	20.00	1.00	13 किमी (20/0 से 25/0, 30/0 से 37/0 एवं 39/0 से 40/0) के प्रस्ताव 13वें वित्त आयोग में विचाराधीन हैं।
3	रतकूडिया से सरगिया तक डामर सड़क	अन्य जिला सड़क (ओडीआर-57)	4.00	200 मीटर	1 किमी. आबादी क्षेत्र में से क्षतिग्रस्त है, पेच मरम्मत कर दी है जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
		योग :-	**49.00**	**21.20**	आबादी क्षेत्र क्षतिग्रस्त है, इस भाग में मरम्मत एवं जल निकासी हेतु नाली निर्माण के कार्यों को नवीन प्रस्तावों में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

सरदारशहर-रतनगढ़ मार्ग पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज

411. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत चार वर्षों में कितने आरओबी बनाने की घोषणा की गई थी? उनमें से कितने आरओबी के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं तथा कितने आरओबी निर्धारित समयावधि में नहीं बन पाये एवं कितने आरओबी के टेंडर जारी नहीं किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में सरदारशहर से रतनगढ़ मार्ग पर आरओबी बनाने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के टेण्डर जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा गत चार वर्षों में वर्ष 2011-12 के बजट में 32 आर.ओ.बी. एवं वर्ष 2012-13 के बजट में 10 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण की घोषणा की गई है।

वर्ष 2011-12 में 32 में से 28 आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं एवं 4 के कार्यादेश जारी नहीं किये गये हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष 2012-13 में 10 में से किसी का कार्यादेश जारी नहीं किया है।

उपरोक्त घोषणा में से एक आर.ओ.बी. कोटा एल.सी.-15 निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाया है।

वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. के जारी कार्यादेशों की सूची:-

यू.डी.एच.

1. अजमेर एल.सी. नं. 43 व 43/1
2. अलवर एल.सी. नं. 116
3. अलवर एल.सी. नं. 113
4. बीकानेर एल.सी. नं. 139
5. चित्तौड़गढ़ एल.सी. नं. 88बी
6. जयपुर एल.सी. नं. 228

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

7. जयपुर एल.सी. नं. 89

8. जयपुर एल.सी. नं. 233

9. जयपुर एल.सी. नं. 200

10. जोधपुर एल.सी. नं. सी-2

11. जोधपुर एल.सी. नं. 71बी

12. जोधपुर एल.सी. नं. 160

13. जोधपुर एल.सी. नं. 165

14. हिण्डोली एल.सी. नं. 201

15. कोटा एल.सी. नं. 108

16. मकराना एल.सी. नं. सी 34

17. रींगस एल.सी. नं. 108

18. सूरतगढ़ एल.सी. नं. सी 95

19. अलवर नो एल.सी.

20. सांगरिया एल.सी. नं. सी 51

21. कोटा एल.सी. नं. 15

22. बाड़मेर एल.सी. नं. 323अ

23. चौमूं एल.सी. नं. 110

24. किशनगढ़ एल.सी. नं. 32

25. नीमकाथाना एल.सी. नं. 76

सा.नि.वि. (आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से)

26. पाली एल.सी. नं. 32

27. नादोती, श्री महावीरजी एल.सी. नं. 195

28. फुलेरा जोबनेर रोड़ एल.सी. नं. 149

वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा में 4 आर.ओ.बी. के टेण्डर जारी नहीं किये गये हैं, जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

यू.डी.एच.

1. श्रीगंगानगर एल.सी. नं.121 (पूर्व में जारी निविदा निरस्त की गई थी)

2. जोधपुर एल.सी. नं. 18

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3. जोधपुर एल.सी. नं. 168

सा.नि.वि. (आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से)

4. झालावाड़ एल.सी. नं. 35

वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में 3 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की टेण्डर जारी किये गये हैं जिनकी सूची निम्नानुसार हैं:-

1. जयपुर कल्याण नगर एल.सी. नं. 83सी
2. जयपुर अर्जुन नगर एल.सी. नं. 82
3. बीकानेर एल.सी. नं. 4

वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में 7 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के टेण्डर जारी नहीं किये गये हैं, जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

1. जयपुर इन्दूली जगतपुरा एल.सी. नं. 214
2. नागौर एल.सी. नं. सी 61
3. नावां एल.सी. नं. 21
4. फालना एल.सी. नं. 81
5. बालोतरा एल.सी. नं. 293
6. मकराना एल.सी. नं. 38
7. भरतपुर एल.सी. नं. 574ए

उपरोक्त घोषणाओं के अलावा आर.यू.आई.डी.पी. के द्वारा चार आर.ओ.बी. (सवाई माधोपुर, बांरा, अलवर, चूरू) के भी कार्यादेश जारी किये गये हैं, जिनमें अलवर में आर.ओ.बी. का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं शेष तीन आर.ओ.बी. निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं, इन्हें इस वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में सरदारशहर से रतनगढ़ मार्ग पर आर.ओ.बी. की कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

खाजूवाला की क्षतिग्रस्त सड़कें

412. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में नूरसर फाटा से सत्तासर तक की

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का सुदृढ़ीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में नूरसर फांटा से सत्तासर एस.एच.-03 की लम्बाई 40.00 कि.मी. में से 10 कि.मी. लम्बाई (कि.मी. 200/0 से 210/0 तक) क्षतिग्रस्त है। सड़क के उक्त भाग का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सिरोही की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

413. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र में अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग सिरोही द्वारा किन-किन क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजे गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में सड़कों की कुल लम्बाई 654 कि.मी. में से 85.55 कि.मी. लम्बाई की आंशिक क्षतिग्रस्त सड़कों में से 6.50 कि.मी. में नवीनीकरण का कार्य 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रगतिरत है तथा प्लान में 10 कि.मी. की निविदाएं दिनांक 25.03.2013 को प्राप्त की जानी है। क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिरोही की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों का सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। सिरोही विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण/

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सुदृढ़ीकरण करने का विचार सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ बास में लम्बित कृषि कनेक्शन

414. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में किसानों के कृषि कनेक्शनों के कितने आवेदन विचाराधीन हैं? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कृषि कनेक्शनों के आवेदनों में से गत चार वर्षों में सरकार द्वारा कितने-कितने कृषि कनेक्शन स्वीकृत किये गये व कितने बकाया हैं? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त बकाया कनेक्शनों को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा व इनमें देरी के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में किसानों के कृषि कनेक्शनों हेतु 5273 आवेदन विचाराधीन हैं। वर्षवार संख्या विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	किशनगढ़ बास	कोटकासिम	खैरथल	योग
2008	142	545	23	710
2009	504	878	145	1527
2010	411	667	64	1142
2011	217	565	69	851
2012	207	682	46	935
2013 (8 मार्च तक)	49	45	14	108
योग	**1530**	**3382**	**361**	**5273**

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त विचाराधीन कृषि कनेक्शन आवेदकों में से किसी भी आवेदक को कनेक्शन जारी नहीं किया गया है। केवल 736 आवेदकों को स्वीकृत कर मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत आवेदकों की संख्या
2008-09	0
2009-10	0
2010-11	0
2011-12	0
2012-13	736
योग	**736**

(3) माह दिसम्बर, 2008 तक के सभी सामान्य श्रेणी के लम्बित आवेदकों के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं तुरन्त प्राथमिकता के तहत आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के मांग पत्र नियमानुसार जारी किये जा चुके हैं। मांग पत्र जमा होने पर संसाधनों की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं नियमानुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं। शेष लम्बित कृषि आवेदकों को आगामी वर्षों में वरीयतानुसार मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दिये जा सकेंगे। इसके लिये कोई कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी नहीं है।

राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

415. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति कब दी गई?

(2) ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया वर्तमान में किस स्तर पर चल रही है तथा इन पर कितनी लागत आएगी व इनसे क्या लाभ अपेक्षित है?

(3) ग्रिड सब-स्टेशन नगर के किस भाग में स्थापित किए जाएंगे तथा इन्हें कब तक प्रारम्भ कर दिए जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2010-11 में राजसमन्द नगर परिषद क्षेत्र में आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अन्तर्गत दो 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) स्वीकृत सब स्टेशन हेतु नगर परिषद, राजसमन्द द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। स्वीकृत योजना के अन्तर्गत दोनों सब स्टेशनों के निर्माण में 220.57 लाख रुपये अनुमानित व्यय होंगे। उक्त सब स्टेशनों के निर्माण से नगर परिषद क्षेत्र में विद्युत तंत्र सुदृढ़ तथा उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी तथा विद्युत छीजत में भी कमी आयेगी।

(3) उक्त सब स्टेशन, सनवाड/सेवाली तथा कांकरोली क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नगर परिषद द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

झालावाड़ जिले में विद्युत-कर्मियों के रिक्त पद

416. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में जयपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यालयों में किस-किस श्रेणी के कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कौन-कौन से पद रिक्त हैं? कार्यालयवार, तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) झालावाड़ जिले में रिक्त पदों से कौन-कौन से कार्य प्रभावित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार झालावाड़ जिले के उक्त कार्यालयों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में जयपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त रिक्त पदों के कारण झालावाड़ जिले में मूलतः राजस्व वसूली, विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण व विजिलेंस कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाल न्याय बोर्ड का गठन

417. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में न्याय बोर्ड का गठन कब हुआ? न्याय बोर्ड में विगत 5 वर्ष में कितने मामले दर्ज किए गए? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष कितने बालक व बालिकाएं किन-किन अपचारों के तहत पेश किये गये? गत पॉच वर्षो का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त पेश किये गये बालक/बालिकाओं पर बोर्ड द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? गत पांच वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में किशोर न्याय बोर्ड का गठन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 2186 दिनांक 18.11.2006 द्वारा किया गया है। जिला स्तर पर गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत 5 वर्षों में दर्ज किये गये मामले का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त न्याय बोर्डों के समक्ष विभिन्न अपचारों के तहत प्रस्तुत किये गये बालक बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए बालक-बालिकाओं पर बोर्ड द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आरक्षित वर्गों की सूची में संशोधन हेतु विचाराधीन प्रस्ताव

418. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार के पास रावत समाज को विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जन जाति वर्ग में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) क्या सरकार के पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष अन्य पिछडा वर्ग में शामिल जातियों की सूची में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका विवरण एवं उस पर की कार्यवाही की जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

बारां जिले में स्वीकृत नवीन छात्रावास

419. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (अन्ता-बारां) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से 15 जनवरी, 2013 तक किस-किस स्थान पर नये छात्रावास कितनी-कितनी क्षमता के स्वीकृत किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत छात्रावास कब-कब प्रारम्भ हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत छात्रावासों के भवन निमार्ण के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत कर कार्यकारी एजेन्सी किस-किस संस्था को बनाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से 15 जनवरी, 2013 तक निम्नांकित स्थानों पर नये छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं:-

क्र.स.	नाम छात्रावास	स्वीकृत क्षमता
1.	राजकीय अम्बेडकर (अनु.जाति) छात्रावास, कलमण्डा	35
2.	राजकीय देवनारायण बालक (विशेष पिछडा वर्ग) छात्रावास, बारां	50

(2) उक्त दोनों छात्रावास अभी प्रारम्भ नहीं हो सके हैं, क्योंकि राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कलमण्डा में काफी प्रयास के उपरान्त भी प्रवेश

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

के लिए बच्चे उपलब्ध नहीं हो सके हैं तथा राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, बारां के छात्रावास का राजकीय भवन निर्माणाधीन है एवं किराये का भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रावास प्रारम्भ नहीं हो सका है।

(3) उक्त स्वीकृत छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए राशि निम्नानुसार मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कलमण्डा के लिए वर्ष 2006-07 में 41.85 लाख रुपये स्वीकृत किये गये तथा 25.45 लाख रुपये व्यय कर भवन निर्मित किया जा चुका है। राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, बारां के भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को वर्ष 2011-12 में 96.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जिसके विरुद्ध जनवरी, 2013 तक 24.45 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं, भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सहाड़ा के पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा सुविधा

420. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त चिकित्सालयों में क्या मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत पशुओं को नि:शुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कहां-कहां और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के निम्नलिखित समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना क्रियाशील है।

(पशुपालन मंत्री)

प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र
1. गंगापुर 2. सहाडा 3. रायपुर	1. पोटला 2. कोशीथल 3. लाखोला 4. खाखरमाला 5. अरनिया 6. आमली 7. सरगॉव 8. झडोल 9. नाहरी 10. देवरिया 11. हमीरगढ 12. गाडरमाला 13. कारोई	1 . महेन्द्रगढ़ 2. खेराबाद	1. सोनियाणां 2. भरक 3. नाथडियास 4. मोखुन्दा 5. बोराणा 6. गलवा 7. देवली 8. गुरलां 9. तख्तपुरा 10. नान्दशा के 11. भटेवर

(2) नई पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

आसीन्द के पशु चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद

421. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या पशु पालन मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :-

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसे पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उप केन्द्र में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरस डेयरी के बूथ केन्द्रों पर बिक्री योग्य सामग्री का निरीक्षण

422. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरस डेयरी बूथ केन्द्र पर सामग्री बेचने के सम्बन्ध में सरकार के क्या दिशा निर्देश निर्धारित हैं?

(2) प्रदेश में सरस डेयरी के कितने बूथ केन्द्र संचालित हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों पर निर्धारित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तु रखने पर निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? अवहेलना करने पर सरकार द्वारा गत दो वर्षों में किन-किन केन्द्रों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डेयरी बूथों पर प्रतिबन्धित एवं हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने तथा सरस दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु आरसीडीएफ के विपणन अनुभाग से जारी दिशा निर्देशों की प्रति प्रदर्श-"क" पर उपलब्ध है ।

(2) प्रदेश में माह जनवरी, 2013 तक कुल बूथ/शॉप व अन्य बिक्री केन्द्रों की संख्या 17,139 है एवं मिल्क पालर्स की संख्या-613 है।

जिलेवार सूची प्रदर्श-"ख" पर संलग्न है ।

(3) जिला दुग्ध संघों के विपणन अनुभाग के विक्रय प्रतिनिधि/फील्ड स्टॉफ द्वारा समय-समय पर बिक्री केन्द्रों पर आकस्मिक निरीक्षण कर निर्धारित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तु न रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

बूथ/शॉप व अन्य बिक्री केन्द्रों पर गत दो वर्षों में अवहेलना की शिकायत पाये जाने पर

बाडमेर दुग्ध संघ-दो बूथों को चेतावनी देकर प्रतिबन्धित वस्तुएं हटाई गई ।

बीकानेर दुग्ध संघ-एक डेयरी बूथ निरस्त किया गया।

चित्तौड़गढ दुग्ध संघ-एक बूथ को चेतावनी पत्र जारी किया गया ।

चूरू दुग्ध संघ-सरदारशहर में एक बूथ पर पेनल्टी लगाई गई एवं भविष्य हेतु पाबन्द किया गया ।

(डेयरी राज्य मंत्री)

गंगानगर दुग्ध संघ-हनुमानगढ़ में एक बूथ का आबंटन निरस्त किया गया ।

जयपुर दुग्ध संघ-जय़पुर में 7 बूथों को नोटिस जारी किये गये इसके अतिरिक्त एक बूथ को नोटिस देते हुए आबंटन निरस्त कर दिया गया है।

जोधपुर दुग्ध संघ-ज़ोधपुर में 52 बूथों के लाइसेन्स अनियमितता के कारण निरस्त किये गये ।

नागौर दुग्ध संघ-एक बूथ का लाइसेन्स निरस्त किया गया ।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

विराट नगर के बीमा पालिसी से लाभान्वित दुग्ध उत्पादक

423. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को बीमा पॉलिसी के माध्यम से क्या-क्या रियायतें एवं सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा कराये गये बीमा पॉलिसी के तहत कितनी राशि का लाभ प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में आरसीडीएफ से सम्बद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों हेतु संचालित की जा रही बीमा योजनाओं में देय रियायतों एवं सुविधाओं का विवरण प्रदर्श-"क" पर संलग्न है ।

(2) जयपुर दुग्ध संघ द्वारा वर्ष 2009-10 से फरवरी, 2013 तक की अवधि में विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करावाये गये बीमा लाभ का विवरण निम्नानुसार है :-

1. सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना

(अ) जनक्षी बीमा योजना में प्राप्त दावे एवं छात्रवृति का विवरण :-

(डेयरी राज्य मंत्री)

क्र. सं.	सरस सुरक्षा कवच फेज	अवधि	मृत्यु दावे	प्राप्त राशि	छात्रों की संख्या	छात्रवृति राशि
1	षष्ठम	01.01.09 से 31.12.09	4	120000	777	932400
2	सप्तम	01.01.10 से 31.12.10	2	60000	2480	2976000
3	अष्ठम	01.01.11 से 31.12.11	1	30000	3036	3627000
4	नवम	(01.01.12 से 31.12.12	1	30000	प्रक्रिया में	
		कुल योग	**8**	**240000**	**6293**	**7535400**

(ब) दुर्धटना बीमा योजना में प्राप्त दावों का विवरण

क्र. सं.	दुर्धटना बीमा फेज	अवधि	दावों का प्रकार	दावा संख्या	प्राप्त राशि
1	षष्ठम	01.01.09 से 31.12.09	अपगंता	1	40000
2	सप्तम	01.01.10 से 31.12.10		0	0
3	अष्ठम	01.01.11 से 31.12.11	आग एवं पति/पत्नि मृत्यु	2	53000
4	नवम	(01.01.12 से 31.12.12		0	0
			कुल योग	**3**	**93500**

2. सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना :

क्र. सं.	सरस सामूहिक आरोग्य बीमा फेज	अवधि	पुर्नभरण दावा संख्या	प्राप्त राशि
1	चतुर्थ	15.07.09 से 14.07.10	191	1628649
2	पंचम	15.07.10 से 14.07.11	58	529812
3	षष्ठम	15.07.11 से 14.07.12	46	851704
4	सप्तम	15.07.12 से 14.07.13	10	232342
		कुल योग	**305**	**3242507**

(डेयरी राज्य मंत्री)

इस प्रकार दोनों बीमा योजनाओं में वर्ष 2009-10 से फरवरी, 2013 तक कुल रुपये 1,11,11,407 का बीमा लाभ प्राप्त हुआ है।

प्रदर्श-''क''

बीमा योजनाओं में देय रियायतों एवं सुविधाओं का विवरण

1. सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना

(अ) जनश्री बीमा योजना (वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित)

1. बीमित की प्राकृतिक मृत्यु पर रुपये-30,000/- का दावा भुगतान देय।

2. बीमित की दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थाई विकलांगता होने पर रुपये 75,000/- का दावा भुगतान देय। बीमित की आंशिक विकलांगता हो जाने पर रुपये 37,500/- तक का दावा भुगतान देय।

3. दुग्ध उत्पादक बीमित के 9 से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को प्रति विद्यार्थी रुपये 100/- माहवार छात्रवृत्ति देय।

(ब) दुर्घटना बीमा (वर्तमान में यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स के माध्यम से संचालित)

1. बीमित की दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण स्थाई विकलांगता हो जाने पर रुपये 1,00,000/- का भुगतान देय। बीमित की आंशिक विकलांगता हो जाने पर रुपये 50,000/- तक का भुगतान देय।

2. बीमित सदस्य की पत्नी/पति की दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण स्थाई विकलांगता होने पर रुपये 50,000/- का भुगतान देय। आंशिक स्थाई विकलांगता होने पर रुपये 25,000/- तक का भुगतान देय।

3. बीमित सदस्य के घरेलू, सामान की आग, विस्फोट, बाढ़, भूकम्प, बिजली गिरना, तूफान इत्यादि के कारण नुकसान की रुपये 30,000/- तक क्षतिपूर्ति। आग सिर्फ पक्के मकान में लगने पर व उसमें रखे घरेलू सामान का ही बीमा है।

4. बीमित सदस्य के घरेलू सामान का गृहवेधन/सेंधमारी/चोरी होने पर रुपये 30,000/- तक की क्षतिपूर्ति।

5. बीमित सदस्य द्वारा समिति/यूनियन से घर या बैंक तक रुपया

लाने/ले जाने के दौरान नकदी की लूट/सेंधमारी से नुकसान की रुपये 10,000/- तक की क्षतिपूर्ति।

2. सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना (वर्तमान इफ्को टोकिया जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. के माध्यम से संचालित)

बीमित सदस्य के परिवार (पत्नी/पति एवं दो बच्चों) के सदस्यों का राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में 24 घंटे से अधिक समयावधि के लिए भर्ती होने पर सामान्य बीमारियों की चिकित्सा का रुपये 1,00,000/- तक क्लेम एवं गम्भीर बीमारियों में यह राशि रुपये-2,00,000/- तक का चिकित्सा व्यय का क्लेम भुगतान देय।

गम्भीर बीमारियों की सूची

1. हृदय की मेडिकल एवं सर्जिकल चिकित्सा
2. कैन्सर
3. गुर्दे (किडनी)
4. न्यूरोलॉजिकल बीमारी/एलीमेण्ट्स
5. स्ट्रोक
6. मल्टीपल स्क्लेरोसिस
7. सिरोसिस
8. मैगनिजाइटिस
9. गुर्दे (किडनी), फेफेड, अग्नाशय एवं बोनमेरो इत्यादि अंगों का प्रत्यारोपण
10. कूल्हे, घुटने का जोइंट रिप्लेसमेण्ट (दुर्घटनावश)

बाड़मेर में उपभोक्ता होलसेल भण्डार के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रिक्त पद

424. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ता होलसेल भण्डार बाड़मेर में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं?

(2) क्या सरकार लम्बे समय से रिक्त चल रहे उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, बाड़मेर के संचालक मण्डल के अध्यक्ष का पद दिनांक 16.08.2012 से एवं उपाध्यक्ष का पद दिनांक 07.09.2012 से रिक्त है।

(2) जी हां। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 व नियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0 के संचालक मण्डल के सदस्यों के रिक्त तीन पद, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जो कि दिनांक 08.03.2013 से प्रारम्भ होकर दिनांक 22.03.2013 को पूर्ण होगा।

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की तिरूपति विहार योजना में काटे गए भूखण्ड

425. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा तिरूपति विहार के नाम से आवासीय योजना हेतु ग्राम भांकरोटा कला, जयसिंहपुरा रोड जयपुर में खसरा नंबर 1575 की भूमि खरीदी गई थी? यदि हां, कब एवं किस से तथा किस प्रकार?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि इकरारनामे के द्वारा खरीदी गई व विक्रेता द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई? यदि हां, तो इकरारनामे में व रजिस्ट्री तथा भूमि खरीदने सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासीय योजना कब तक कितने क्षेत्रफल में विकसित की गई तथा कुल कितने आवासीय एवं व्यावसायिक भू-खण्ड किस-किस व्यक्ति अथवा संस्था को आबंटित किये गये? आवासीय योजना में काटे गये/बेचे गये भू-खण्डों के आबंटियों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समिति द्वारा जयपुर जिले की तहसील सांगानेर के ग्राम भांकरोटा कला, जयसिंहपुरा रोड पर वर्ष 1997-98 में एक आवासीय योजना तिरूपति विहार के नाम से खसरा नम्बर 1575 की भूमि खरीदी जा कर

(सहकारिता मंत्री)

सृजित की थी। उपरोक्त भूमि दिनांक 16.6.1997 को श्री बाबू खाडा पुत्र श्री शिवानंद खाडा से जरिये इकरारनामा क्रय की गई थी। खरीदी गई भूमि का विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) जी हां। खसरा नं. 1575 की भूमि इकरारनामे के द्वारा खरीदी गई थी। विक्रेता से रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। इकरारनामे की प्रति परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(3) उक्त आवासीय योजना 05 बीघा 04 बिस्वा के क्षेत्रफल में सन् 1997 में विकसित की गई थी। इस आवासीय योजना में 35 आवासीय एवं 10 वाणिज्यिक भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डधारियों की सूची का विवरण परिशिष्ट-दो एवं तीन पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में मनरेगा योजना में व्याप्त अनियमितता की जांच

426. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वर्ष 2004 से 2010 तक किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने गबन के प्रकरण कौन-कौन सी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा उक्त गबन में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में 2004 से 2010 तक पाये गये गबन के प्रकरण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा उक्त गबन में दोषी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम एवं नन्दावर ग्रामों के विकास हेतु कार्य योजना

427. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या पंचायतीराज राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिसिंह रावत)

क्या सरकार भीम ग्राम को सुव्यवस्थित करने के लिये एवं ग्राम नन्दावर जहां पर सभी कॉलेज एवं अन्य सभी सरकारी कार्यालय स्थापित हैं, को मध्येनजर रखते हुए मास्टर प्लान बना कर सड़क एवं नालियां एवं रोड लाइट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2010-11 की अनुपालना में प्रत्येक गांव का विलेज मास्टर प्लान, नजरी नक्शा तैयार किया जाना है। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले 81 ग्रामों के मास्टर प्लान नगरीय विकास विभाग के माध्यम से तैयार किये जा रहे है।

द्वितीय चरण में ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांवों का मास्टर प्लान पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से तैयार किये जा रहे है। ग्राम भीम एवं नन्दावर का मास्टर प्लान विभागीय दिशा निर्देशानुसार तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से ग्रामों के तैयार विलेज मास्टर प्लान के परिपेक्ष में सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के अनुमोदन/सहमति के अनुरूप विकास कार्य करवाये जावेंगे।

पंचायत समिति जहाजपुर की प्रस्तावित पेयजल योजनाओं हेतु आमंत्रित निविदाएं

428. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा आगामी वर्ष 2013-14 में हैण्डपम्प, ट्यूबवैल पनघट इत्यादि की स्थापना के सम्बन्ध में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो निविदा सूचना की प्रति मय समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं की फोटो प्रतियों के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति जहाजपुर में हैण्डपम्प, नलकूप एवं पनघट

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(सिंगल फेस नलकूप) इत्यादि पेयजल सम्बन्धी कार्यों के निर्माण हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं का विवरण (मय समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना की छाया प्रतियों सहित) परिशिष्ट-1 से 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आदिवासी परिषद के नियम/उपनियम हेतु कार्य योजना

429. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद् एक संवैधानिक संस्था है? यदि हां, तो इसकी कार्यशैली एवं कार्य पद्धति क्या है? क्या परिषद् ने नियम उपनियमों के बारे में कोई अनुशंसा की है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय जनजाति परामर्शदात्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है। उक्त संस्था का गठन संविधान की अनुसूची 5 के अनुसार किया गया है।

परिषद की कार्यशैली एवं कार्यपद्धति राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियम, 1980 में वर्णित है जिसकी प्रति संलग्न है।

परिषद ने राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 के सम्बन्ध में निम्न अनुशंसा की है :-

क्र. स.	बैठक दिनांक	अनुशंसा
1.	21.07.2011	शांति समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष का मनोनयन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किये जाने की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई।
2.	21.07.2011	राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 के प्रस्तावित प्रारूप पर चर्चा में समिति ने इन नियमों से सम्बन्धित वर्तमान में प्रभावी नियमों में भी संशोधन की सिफारिश की।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. स.	बैठक दिनांक	अनुशंसा
3.	21.07.2011	नियम 27 (क) में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्थान पर सम्बन्धित ग्राम सभा शब्द अंकित करने की सिफारिश की गई।
4.	21.07.2011	खनिज दोहन के लिए सम्बन्धी क्षेत्र की ग्राम पंचायत की एनओसी के उपरान्त ही क्षेत्र में खनन कार्य के अधिकार दिये जाते हैं, परन्तु खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय सम्बन्धित क्षेत्र की ग्राम सभा से एनओसी नहीं ली जाती है। अत: खनन के लाइसेंस नवीनीकरण के समय भी एनओसी दी जाने की सिफारिश की गई।
5.	21.07.2011	नियम 26(**1**)(1) में राजस संघ या इस प्रयोजन के लिए गठित सहकारी समिति के आगे कोष्ठक में 'लेम्पस' शब्द अंकित किया जावे। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए गठित समिति में जिला प्रमुख का पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया जावें।
6.	21.07.2011	प्रस्तावित नियमों में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण पर कार्यवाही करने की शक्तियां पंचायत समिति को दी गई हैं। इसकी विस्तृत गाइन लाइन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की जाए। कैसे आवेदन होगा, कौन निर्णय पारित करेगा और निर्णय की पालना कैसे होगी।
7-**.**	21.07.2011	जनजाति व्यक्तियों को विभिन्न त्योहारों एवं उत्सवों पर 10 लीटर तक शराब रखने पर कोई केस नहीं बनाये जाने एवं पीसा नियम में इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की गई।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. स.	बैठक दिनांक	अनुशंषा
8.	21.07.2011	प्रस्तावित नियमों में ग्राम सभा द्वारा विवाद सुलझाना, सामुदायिक स्रोतों का प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण पर राय आदि का उल्लेख है लेकिन वर्तमान में प्रभावी इन नियमों से सम्बन्धित कानूनों जैसे सीआरपीसी, भूमि अवाप्ति कानून, आबकारी कानून आदि में संशोधन आवश्यक है ताकि पीसा नियम एवं इन नियमों में कोई विसंगति न रहे। अत: सम्बन्धित विभागों से उनके नियमों में आवश्यक संशोधन करावें।
9.	21.07.2011	राजस्थान अनुसूचित जनजाति परमर्शदात्री परिषद ने विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 को उपरोक्त संशोधन सुझावों पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जनजाति परमर्शदात्री परिषद, माननीय जनजाति मंत्री महोदय से अनुमोदन कराने की दशा में पारित किया।

(2) राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की उक्त अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही की गई।

क्र. स.	अनुशंसा	पालना
1.	शांति समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष का मनोनयन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किये जाने की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक 4.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट के अनुसार इन निर्देशों को मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक 237 दिनांक 30.01.2012 में सम्मिलित किया जा चुका है ।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. स.	अनुशंसा	पालना
2.	राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 के प्रस्तावित प्रारूप पर चर्चा में समिति ने इन नियमों से सम्बन्धित वर्तमान में प्रभावी नियमों में भी संशोधन की सिफारिश की।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग पंचायती राज जयपुर के पत्रांक 1928 दिनांक 4.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट अनुसार राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2002 को निरस्त किया जाकर उनके स्थान पर ही नये नियम राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 अधिसूचित किये गए हैं।
3.	नियम 27 (क) में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्थान पर सम्बन्धित ग्राम सभा शब्द अंकित करने की सिफारिश की गई।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 1928 दिनांक 04.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट अनुसार पीसा नियम, 2011 में यह प्रावधान कर दिया गया है।
4.	खनिज दोहन के लिए सम्बन्धी क्षेत्र की ग्राम पंचायत की एनओसी के उपरान्त ही क्षेत्र में खनन कार्य के अधिकार दिये जाते हैं, परन्तु खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय सम्बन्धित क्षेत्र की ग्राम सभा से एनओसी नहीं ली जाती है। अत: खनन के लाइसेंस नवीनीकरण के समय भी एनओसी दी जाने की सिफारिश की गई।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 1928 दिनांक 04.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट अनुसार मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक 237 दिनांक 30.01.2012 में सम्मिलित कर खनिज विभाग को निर्देशित किया जा चुका है ।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. स.	अनुशंसा	पालना
5.	नियम 26(1)(1) में राजस संघ या इस प्रयोजन के लिए गठित सहकारी समिति के आगे कोष्ठक में 'लेम्पस' शब्द अंकित किया जावे। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए गठित समिति में जिला प्रमुख का पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया जावें।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 1928 दिनांक 04.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट अनुसार "ग्राम सभा उसके क्षेत्र से समस्त गौण वन उपज के, ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समिति (ग्रा.व.सं.प्र.स.) सा राजस संघ या इस प्रयोजन के लिए गठित सहकारी समितियों के माध्यम से, संग्रहण कराने के लिए उत्तरदायी होगी" इनमें "लैम्पस" "इस प्रयोजन के लिए गठित सरकारी समितियों" की परिभाषा में आ जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए गठित समिति में जिला प्रमुख को सम्मिलित किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक 237 दिनांक 30.01.2012 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।
6.	प्रस्तावित नियमों में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण पर कार्यवाही करने की शक्तियां पंचायत समिति को दी गई हैं। इसकी विस्तृत गाइड लाइन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की जाए। कैसे आवेदन होगा, कौन निर्णय पारित करेगा और निर्णय की पालना कैसे होगी।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 1928 दिनांक 04.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट अनुसार मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक 237 दिनांक 30.01.2012 में बेदखली की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाकर, राजस्व विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. स.	अनुशंसा	पालना
7.	जनजाति व्यक्तियों को विभिन्न त्योहारों एवं उत्सवों पर 10 लीटर तक शराब रखने पर कोई केस नहीं बनाये जाने एवं पीसा नियम में इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की गई।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 1928 दिनांक 04.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट अनुसार अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम सभा को 2011, नियमों में दिया गया है । बिन्दु की पालना की जा चुकी है।
8.	प्रस्तावित नियमों में ग्राम सभा द्वारा विवाद सुलझाना, सामुदायिक स्रोतों का प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण पर राय आदि का उल्लेख है लेकिन वर्तमान में प्रभावी इन नियमों से सम्बन्धित कानूनों जैसे सीआरपीसी, भूमि अवाप्ति कानून, आबकारी कानून आदि में संशोधन आवश्यक है ताकि पीसा नियम एवं इन नियमों में कोई विसंगति न रहे। अतः सम्बन्धित विभागों से उनके नियमों में आवश्यक संशोधन करावें।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 1928 दिनांक 04.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट अनुसार पीसा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आबकारी कानून से सम्बन्धित प्रकरणों में आबकारी विभाग को एवं भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्व विभाग को, मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक 237 दिनांक 30.01.2012 द्वारा पाबन्द किया जा चुका है।
9.	राजस्थान अनुसूचित जनजाति परमर्शदात्री परिषद ने विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 को उपरोक्त संशोधन सुझावों पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जनजाति परमर्शदात्री परिषद, माननीय जनजाति मंत्री महोदय से अनुमोदन कराने की दशा में पारित किया।	शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 1928 दिनांक 04.09.2012 से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट अनुसार विभाग द्वारा माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महोदय से अनुमोदित करवाये जाने के पश्चात् ही पीसा नियम, 2011 अधिसूचित करवाये गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

वैर में खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन

430. श्री बहादुर सिंह (वैर): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2012 में विधान सभा क्षेत्र वैर में खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा उनमें से कितने स्वीकार किये गये? स्वीकृत आवेदकों को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई? निरस्त आवेदनों का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खादी बोर्ड

विधान सभा क्षेत्र वैर जिला भरतपुर में वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजनान्तर्गत 27 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिन्हें योजना के दिशा-निर्देशानुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक दिनांक 19.10.2012 में वास्ते स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी ने 12 आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया। तदोपरान्त जिनको वित्तीयन बैंक शाखाओं को वास्ते परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जिनमें से 1 आवेदक का आवेदन पत्र वित्तीयन बैंक शाखा द्वारा स्वीकृत हुआ, जिसे सहायता/मार्जिन मनी (अनुदान) बैंक द्वारा अभी तक नहीं दी गयी हैं। शेष 11 आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु वित्तीयन बैंक शाखाओं में लम्बित है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी ने साक्षात्कार में जिन उद्यमियों के 30 से कम स्कोर अंक प्राप्त हुए उन्हें निरस्त किया, जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

खादी ग्रामोदय समिति वैर, भुसावर, जिला भरतपुर से खादी विकास फण्ड योजनान्तर्गत राशि रुपये 10.00 लाख ऋण एवं वर्कशैड निर्माण हेतु रुपये 5.00 लाख सहायता के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों पर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में बोर्ड स्तर पर निर्णय उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।

खादी आयोग

वैर विधान सभा क्षेत्र का 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जो शहरी क्षेत्र में

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

इकाई स्थापित करने से सम्बन्धित होने के कारण आवेदक को वापस लौटाया गया। क्योंकि शहरी क्षेत्र में उद्योग विभाग, जिला उद्योग केन्द्र भरतपुर योजनान्तर्गत आवेदन अग्रेषित करने के लिए अधिकृत है।

<u>उद्योग विभाग</u>

वैर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिनकी सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। उक्त आवेदन पत्रों में से 2 आवेदन पत्र जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा निरस्त कर दिए गए। अस्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। शेष 8 आवेदन पत्र विभिन्न वित्तीयन बैंकों को अग्रेषित किये गये, जिनमें से 3 प्रकरणों में बैंक द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गयी है। शेष बैंकों में लम्बित 5 प्रकरणों में 2 प्रकरण बैंकों द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं, जिनके निरस्ती के कारण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी से स्वीकृत एवं बैंकों से स्वीकृत आवेदन की सूची परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मदरसा बोर्ड में उर्दू शिक्षकों का नियुक्ति प्रकरण

431. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2010 में मदरसा बोर्ड में उर्दू शिक्षा सहयोगियों एवं मदरसा कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों की भर्ती हेतु आवेदन मांगे गये थे? यदि हां, तो किस-किस पद हेतु? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मदरसा बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन विशेषज्ञ समिति द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मदरसा बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त किये गये प्रार्थियों में से किसी को हटाया गया है? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को हटाया गया, इनको हटाने के क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भर्ती में मदरसा बोर्ड द्वारा बिना आवेदन व इंटरव्यू के 104 शिक्षकों की नियुक्ति की गई? यदि हां, तो किस आदेश एवं नियम के तहत? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंजीकृत मदरसों में राजकीय स्कूली पाठ्यक्रम की शिक्षा देने हेतु संविदा के आधार पर 3500 उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं 500 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी के पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गये थे।

(2) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहन जांच तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा गठित स्क्रूटनी कमेटी द्वारा की गई थी। प्रति संलग्न परिशिष्ट-1। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों को मदरसा आबंटन से पूर्व, आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान काउन्सलिंग के दौरान उनके मूल दस्तावेजों से किया गया।

(3) जी हां। 128 प्रार्थियों को हटाया गया। मदरसा बोर्ड द्वारा गठित जांच समिति द्वारा इन्हें मुख्यत: चयन सूची में नाम नहीं होने, योग्यता में कमी और निर्धारित प्रक्रिया में अनियमितता के कारण हटाया गया। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) विस्तृत जांच के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है एवं जांच विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मदरसा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

432. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु सच्चर कमीशन व मिश्रा कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? सच्चर कमीशन व मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर त्वरित सुनवाई हेतु अलग प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्र की तर्ज पर मुसलमानों को 45 प्रतिशत आरक्षण देने व अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार के वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में कोई समिति बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो घोषणा कब की तथा घोषणानुसार अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(4) मदरसा आधुनिकीकरण के लिए सरकार को वर्ष 2011-12 व 2012-13 में केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई तथा कितनी-कितनी राशि कब-कब सरकार ने कितने-कितने मदरसों में वितरित की? तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार शैक्षणिक ऋण, छात्रवृतियां, बालिका छात्रावास, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आई.टी.आई, कोचिंग व एलाइड, स्कीम, प्रधानमंत्रीजी का नया 15 सूत्री कार्यक्रम तथा अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

मिश्रा आयोग ने अल्पसंख्यकों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये जाने की सिफारिश की है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने प्रथमत: अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन कर शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम यथा ऋण वितरण, कौशल विकास प्रशिक्षण, छात्रवृति, अनुप्रति इत्यादि बहुत से कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। बालिका शिक्षा के लिए प्रत्येक सम्भाग पर बालिका छात्रावास खोले जा रहे हैं।

सच्चर कमीशन व मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-'क' व 'ख' पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक कान्फ्रेस दिनांक 13 व 14 मार्च 2012 में राज्य के पुलिस मुख्यालय एवं जिलों के सभी थानों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आरम्भ किये जाने बाबत सिफारिश की है। इस सिफारिश को गृह विभाग में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

(3) इकरा, सम्मेलन 6 मई 2012 में उठाये गये बिन्दुओं पर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा समिति गठन किये जाने की घोषणा की गई थी। समिति गठन बाबत कार्यवाही जारी है।

(4) मदरसा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र परिवर्तित योजना एसपीक्यूईएम के तहत वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में निम्नानुसार राशि मदरसा बोर्ड को जारी की गई है:-

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि	वित्तीय वर्ष जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है	MHRD द्वारा स्वीकृत क्रमांक / दिनांक	स्वीकृत राशि लाखों में	राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक / दिनांक	मदरसों की संख्या
1.	2011-12	2010-11	No. F.8-19 / 2010-EE.19 Date 23 -02-2011	547.46	PS/PSMA/ SQPQM/ 2011-12 11950 Date 12-03-2012	220
2.	2012-13	2011-12	No. F.8-31 / 2011-EE.19 Date 11-02-2012	71.95	PS/PSMA/ SQPQM/ 2011-12 / 6919 Date 12-10-2012	21
3.		2011-12	NO. F.8-30 / 2011-EE.19 Date 01 -05-2012	392.66	PS/PSMA/ SQPQM/ 2011-12 / 6912 Date 12-10-2012	220

उपरोक्त राशियों में से 164 लाख की राशि 220 मदरसों को वितरित की जा चुकी है। सूची परिशिष्ट -'ग' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-312 का विवरण)

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	राशन डीलर का नाम मय पता तथा शिकायतकर्ता का नाम	पायी गयी अनियमितता का विवरण	दर्ज अभियोग संख्या	डीलर के विरुद्ध की गई कार्यवाही	जप्त प्रतिभूति राशि (रुपये)
1	श्री सांवरमल बिजारिणया, खाटू द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	केरोसीन की दुकान पर चारा/कुतर का संग्रहण तथा भौतिक सत्यापन में गेहूं व केरोसीन कम पाया जाना	62/2009	कारण बताओ नोटिस	500 एवं गेहूं की अन्तर राशि 1695
2	श्री रामलाल मीणा, खाटू द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	दुकान का बन्द मिलना	63/2009	कारण बताओ नोटिस	500
3	श्रीमती गीता पूनिया, खाटू द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	केरोसीन होने के बावजूद उसका वितरण देर से करने बाबत	64/2009	कारण बताओ नोटिस	200
4	श्री संतोषकुमार अग्रवल, खाटू द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	राशन सामग्री का वितरण बिना कारणवश 15 दिन रोके रखना	67/2009	कारण बताओ नोटिस	500
5	श्रीमती दीपाली चारण, रानोली द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्वयं वितरण न करके किसी अन्य व्यक्ति से वितरण करवाना	68/2009	कारण बताओ नोटिस	500
6	ग्राम सेवा सहकारी समिति, रानोली द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	भौतिक सत्यापन में गेहूं का कम मिलना	69/2009	कारण बताओ नोटिस	500
7	श्री गिरधारीलाल कुमावत, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	वितरण रजिस्टर अपडेट नहीं होने बाबत	91/2009	कारण बताओ नोटिस	500
8	श्री इन्द्रचन्द पोद्दार, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	अन्नपूर्णा लाभार्थियों को गेहूं का वितरण किस माह का किया गया, वितरण रजिस्टर में स्पष्ट नहीं है	92/2009	कारण बताओ नोटिस	500

क्र. सं.	राशन डीलर का नाम मय पता तथा शिकायतकर्ता का नाम	पायी गयी अनियमितता का विवरण	दर्ज अभियोग संख्या	डीलर के विरुद्ध की गई कार्यवाही	जप्त प्रतिभूति राशि (रुपये)
9	श्री पवनकुमार पारीक, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	मूल्य सूची बोर्ड अपडेट न होना तथा मासिक रिटर्न नहीं देना	93/2009	कारण बताओ नोटिस	200
10	श्री भींवाराम, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	माह सितम्बर, 2009 से स्वेच्छा से राशन सामग्री का उठाव करके वितरण न करना	173/2009	प्राधिकार पत्र निरस्त	-
11	श्रीमती कमला देवी, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	राशन सामग्री का वितरण स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाना तथा भौतिक सत्यापन पर केरोसीन का कम मिलना	211/2010	कारण बताओ नोटिस	500 एवं केरोसीन की अन्तर राशि 1050
12	श्रीमती मधु शर्मा, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	मृतक उपभोक्ताओं के राशनकार्डों पर राशन सामग्री वितरण करने बाबत	233/2012	प्राधिकार पत्र निरस्त	-
13	श्री भागचन्द रैगर, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	उपभोक्ता सप्ताह में केरोसीन तेल खाली करवाने बाबत	288/2012	प्राधिकार पत्र निलम्बित	-
14	श्री रामपाल मीणा, खाटू द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	दुकान का बन्द मिलना	28/12	कारण बताओ नोटिस	500
15	श्री संतोषकुमार अग्रवाल, खाटू द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	दुकान का बन्द मिलना	29/12	कारण बताओ नोटिस	500
16	श्री सांवरमल, खाटू द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	गेहूं कम पाया गया	30/12	कारण बताओ नोटिस	500

क्र. सं.	राशन डीलर का नाम मय पता तथा शिकायतकर्ता का नाम	पायी गयी अनियमितता का विवरण	दर्ज अभियोग संख्या	डीलर के विरुद्ध की गई कार्यवाही	जप्त प्रतिभूति राशि (रुपये)
17	श्रीमती माली देवी, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	प्राधिकार पत्र में दर्ज स्थान से भिन्न स्थान पर राशन सामग्री वितरण	379/12	कारण बताओ नोटिस	300
18	श्री पवनकुमार पारीक, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	गेहूं कम पाया गया	380/12	कारण बताओ नोटिस	300 गेहूं अन्तर राशि 594
19	श्री बजरंगलाल, दांता द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	प्राधिकार पत्र में दर्ज स्थान से भिन्न स्थान पर राशन सामग्री वितरण	381/12	कारण बताओ नोटिस	300
20	श्री भगवानराम रैगर, दांता द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	प्राधिकार पत्र में दर्ज स्थान से भिन्न स्थान पर राशन सामग्री वितरण	382/12	कारण बताओ नोटिस	300
21	श्री महेशकुमार मीणा, सज्जनपुरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	दुकान का बन्द मिलना	383/12	कारण बताओ नोटिस	500
22	ग्राम सेवा सहकारी समिति, खाटू द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	केरोसीन कम पाया गया	384/12	कारण बताओ नोटिस	300 केरोसीन अन्तर राशि 1095
23	श्री विष्णुवर्धन शर्मा, अणतपुराद्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित परीक्षण	केरोसीन कम पाया गया	2041/12	कारण बताओ नोटिस	300 केरोसीन अन्तर राशि 552
24	श्रीमती समुन्दर कंवर, मेई द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित निरीक्षण	केरोसीन व गेहूं कम पाया गया	2042/12	कारण बताओ नोटिस	500 केरोसीन अन्तर राशि 1380, गेहूं की अन्तर राशि 5148

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

अजमेर शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था

गत वर्षों में दोपहिया व चारपहिया वाहनों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। अजमेर शहर में भी वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। शहरवासियों के साथ-साथ, पुष्कर व ख्वाजा साहब की दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों तथा सम्भाग मुख्यालय होने से अन्य जिलों से आने वाले वाहनों के कारण अजमेर की सड़कों पर यातायात का भारी दबाव रहने लगा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर जगह-जगह ट्रेफिक जाम हो जाता है।

अजमेर शहर में स्टेशन रोड, कचहरी रोड, पृथ्वीराज मार्ग, आगरा गेट से बजरंग गढ़ मार्ग, जयपुर रोड, नया बाजार आदि ऐसे प्रमुख मार्ग है जिन पर यातायात का सबसे ज्यादा दबाव हर समय बना रहता है। शहर के ये ऐसे मार्ग हैं जो प्रमुख सरकारी कार्यालयों-कलेक्ट्रेट, नगर निगम, एसपी आफिस, डी.सी. आफिस, कोर्ट, यूआईटी, रेवेन्यू बोर्ड, प्रमुख शिक्षण संस्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड आदि को जोड़ते है साथ ही इन मार्गों पर ही प्रमुख बाजार, व्यापारिक संस्थान, व्यवसायिक काम्पलैक्स, होटलें आदि भी स्थित है, जिसके कारण इन पर दिनभर लोगों का आना-जाना लगा रहता है।

इन मार्गों पर यातायात के भारी दबाव के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी है जो कि यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। शहर में पार्किंग स्थलों का बहुत अभाव है। पार्किंग स्थलों के अभाव में सड़कों पर व दुकानों के बाहर खड़े रहने वाले वाहनों के कारण भी यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर में विभिन्न स्थानों व बाजारों जैसे-रेलवे स्टेशन परिसर, स्टेशन रोड, कचहरी रोड, नया बाजार, खाइलेण्ड मार्केट, सुभाष उद्यान के पास आदि स्थानों पर मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थलों का निर्माण कर व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।

शहर के मध्य से गुजरने वाले स्टेशन रोड़, कचहरी रोड़ व पृथ्वीराज मार्ग हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से इन मार्गों पर सर्वाधिक यातायात का दबाव रहता है। अत: इन मार्गों पर एलीवेटेड रोड़ का निर्माण करा दिया जाऐ साथ ही श्रीनगर रोड से तोपदड़ा बाइपास मार्ग को विकसित कर दिया जाऐ तो भी शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार किया जा सकता है।

शहर के सर्वाधिक व्यस्त मार्ग स्टेशन रोड़ पर रेलवे स्टेशन स्थित होने से इस मार्ग पर यातायात बहुत बाधित रहता है। यदि रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर तोपदड़ा/पालबीचला की तरफ भी प्लेटफार्म, रिजर्वेशन विन्डों, टिकिट विन्डो आदि खोलकर स्टेशन पर प्रवेश व निकलने की व्यवस्था प्रारम्भ हो जाऐ तो स्टेशन रोड की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय रेल मंत्री से भी पत्र लिखकर आग्रह किया था। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में प्रयास करे तो इसका समाधान निकल सकता है।

अत: मेरा आग्रह है कि सरकार अजमेर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर में उपर्युक्तानुसार स्थानों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण करवाने, एलीवेटेड रोड का निर्माण करवाने व बाइपास मार्ग विकसित किये जाने तथा स्टेशन के दूसरी ओर प्रवेश व निकास सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराकर शहरवासियों व अजमेर आने वाले श्रद्धालुयों, पर्यटकों व आमजन को राहत प्रदान करावे।

धन्यवाद।

प्रो. वासुदेव देवनानी

(अजमेर दक्षिण)

आधार कार्ड में हो रही अनियमितताएं

आधार कार्ड प्रत्येक नागरिक को बनाना है। पिछले वर्ष कार्ड बनाने के बाद सरकार ने बीच में करीब 6 माह काम बन्द रखा जिससे जनता में यह भ्रम हो गया कि यह आधार कार्ड बनाना बन्द हो गया, सरकार की आधार कार्ड बनाने की योजना फैल हो गई। जिसके आधार कार्ड पिछले वर्ष बने थे उनके आज तक कार्ड घर नहीं पहुंचे हैं। गलत डाटा अंकित हो गया वो कैसे ठीक होंगे पता नहीं है।

कोटा में आधार कार्ड बना रही कम्पनी ने आधार कार्ड बनाने के लिए पिछले वर्ष 200 मशीने लगाई थी परन्तु इस वर्ष नाम मात्र की मशीने लगी हैं। एक मशीन पर एक घण्टे में 4-5 आधार कार्ड बनते है एवं आधार कार्ड बनाने का समय सुबह 10 से सायं 5 बजे तक है लोग घंटों लम्बी कतार में खड़े रहते हैं। 4-5 घंटे में नम्बर आता है और नम्बर आने के बाद बुजुर्गों व बच्चों से यह कह कर आधार कार्ड बनाने से मना कर दिया जाता है कि उनकी फिंगर प्रिंट नहीं आ रही हैं बुजुर्ग महिलाओं से यह कहा जाता है कि उनकी

हाथों की लकीरें बर्तन मांजने से घिस गई है। किसानों मजदूरों से कहा जाता है काम करने से उनकी उंगुलियां घिस गई है।

वरिष्ठ नागरिकों विकलांगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है लोग गांवों कस्बों से आधार कार्ड बनवाने शहर में आते हैं भीड़ के कारण नम्बर नहीं आने एवं फिंगर प्रिंट नहीं आने के कारण आधार कार्ड बनवाये वगैर ही 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद वापस लौट जाते है। जो लोग फिंगर प्रिंट नहीं आने की वजह से वापस लौट रहे है उनके आधार कार्ड कब, कैसे, कहां, किस तरह बनेंगे कोई योजना नहीं है।

सरकार एक आधार कार्ड बनाने में लगभग 40 रुपये खर्च कर रही है जिन कम्पनियों को काम दिया दिया है वह कम्पनियां आगे इसी काम को 10-15 रुपये में सबलेट कर देती है। यह सब नियम विरुद्ध है। इससे काम की क्वालिटी में फर्क आ रहा है। अनट्रेण्ट कर्मियों को आधार कार्ड के लिए डेटा फीड करने में लगा रखा है। जिसकी वजह से डेटा गलत फीड हो रहा है और सीधे सरकार से काम लेने वाली कम्पनियां मोटी रकम कमा रही है।

अत: आपसे निवेदन है कि आधार कार्ड बनाने में सरकार का करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद भी जनता को उसका पूर्ण लाभ व सुविधा नहीं मिल पा रही है। आधार कार्ड बनाने का काम शहर के प्रत्येक वार्ड, कस्बे व ग्राम पंचायत में शुरू होना चाहिये, ताकि सरकारी धन का सद्उपयोग होते हुए जनता को उसकी सुविधा मिल सकें।

धन्यवाद।

चन्द्रकांता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

सूरसागर में कच्ची बस्तियों की नियमन विसंगति

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में कच्ची बस्तियों सहित समस्त क्षेत्र में नियमन विसंगितयों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में 125 से अधिक कच्ची बस्तियां और 16 राजस्व गांव अन्तर्गत विकसित अनेक आवासीय बस्तियां है। अत्यन्त खेद का विषय है कि राज्य सरकार के बहु प्रचारित पट्टा आबंटन अभियान के बावजूद दशकों से आबाद अनेक कच्ची बस्तिया और 16 राजस्व गांव अन्तर्गत बसी कालोनियां नियमन से वंचित रह गई हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि पट्टा वितरण चूज एण्ड पिक पद्धति से किया गया है, अपने

चहेतों और हितबद्ध लोगों को पट्टा देने की नीति और नीयत के कारण यह स्थिति आई है।

जोधपुर की सबसे प्राचीन कच्ची बस्ती संतोषपुरा-मसुरिया 50 वर्षों से आबाद है। परनतु नगर निगम की एम्पावर्ड कमेटी ने प्रस्ताव को जानबूझकर लम्बित कर रखा है, इस बस्ती को अविलम्ब नियमन किया जावे।

2. सूरसागर विधान सभा में 16 राजस्व गांव अन्तर्गत बसी बस्तियां जैसे भट्टी की बावड़ी आदि में आधी कालोनी में पट्टे दे दिये गये आधो को लम्बित रखा गया है। इससे विसंगति उत्पन्न हो गई है। आप ऐसी समस्त कालोनियों में अविलम्ब समरूपता से समस्त निवासियों को पट्टे दिलावे।

3. इसी प्रकार की स्थिति तत्कालीन यू.आई.टी. द्वारा एप्रुव्य 90बी कालोनियों की है, जहां आंशिक क्षेत्र में ही पट्टे देने से विसंगितयां उत्पन्न की गई, इन सभी का समाधान किया जावे।

4. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में 125 से अधिक कच्ची बस्तियां हैं, जहां हाल ही में अभियान लगा कर पट्टे दिये गये परन्तु इनमें केवल अपने-अपने लोगों को पट्टे देने की नीयत से कार्य होने से अनेक निवासी पट्टों से वंचित रह गये। ऐसे सभी वंचितों को समरूपता से पट्टे दिये जावे।

5. कई कच्ची बस्तियों को वन विभाग की भूमि पर बसा होना बताकर पट्टे नहीं दिये गये। ये बस्तियां पूरी तरह से विकसित हैं, जहां सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज की सुविधाएं विकसित हो गई, यहां न तो अब वन है और न ही वन विकसित किया जा सकता है। तो सरकार वन विभाग के साथ समझौता कर समान माप की भूमि और बजट वन विभाग को देकर नया वन क्षेत्र विकसित करे और वर्तमान कच्ची बस्तियों को नियमित कर पट्टे दे।

6. सूरसागर भूण्टिया बस्ती में भी समझौते की स्थिति में सरकार की उदासीनता के कारण नियमन प्रक्रिया लम्बित है। अत: सरकार रूचि लेकर भूण्टिया बस्ती का नियमन करावे।

मेरा निवेदन है कि सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में नियमन प्रक्रिया की समस्त विसंगतियों को अविलम्ब दूर कर पट्टे जारी किये जावे।

सादर

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

मेड़ता के गरीब व अशिक्षित परिवारों की बेदखली

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उन गरीब व अशिक्षित परिवारों पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि जो आज से 40-50 वर्ष पूर्व रोजी रोटी की तलाश में आसपास के इलाकों में घूमते रहते थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने रहने के लिए स्थान चुन लिया और झोंपडिया बना ली। उस वक्त वे लोग एक तरफ तो गरीबी एवं भूखमरी की मार झेल रहे थे एवं दूसरी तरफ अशिक्षा की। उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि जिस जमीन पर वे रहने जा रहे हैं तथा झोंपड़िया बनाने जा रहे हैं वहां से एक दिन सरकार उन्हें हटा देगी। यदि ऐसा होता तो वे वहां ना बसते क्योंकि उस वक्त आसपास बहुत जमीन खाली पड़ी थी। लेकिन आज जब उस खाली जमीन पर तो भू-माफिया कब्जा कर बैठे हैं तथा खली जमीन जिस पर वे कडी महेतन कर दिन रात पसीना एक कर उन्होंने अपना कच्चा पक्का मकान बनाया एवं अपने बच्चों को पढ़ाने की उम्मीद लगायी तो सरकार उन्हें नोटिस देकर कह रही हैं कि उस जगह को खाली करो यह सरकारी एवं गोचर जमीन हैं। वर्षो से जो लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे आज जब उनकी स्थिति थोड़ी बहुत सुधरने लगी है तो सरकार उनको फिर से बेघर कर उन्हें दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर कर रही हैं आज उन परिवारों में केवल एक-एक व्यक्ति नहीं बल्कि महिलाएं एवं बच्चे भी हैं। सरकार उन बच्चों के भविष्यों के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। हालांकि जो उनके घर बने हुए है वे गैर कानूनी हैं, गोचर भूमि पर बने हुए हैं पर जब तक सरकार उनके कहीं और रहने की माकूल व्यवस्था नहीं कर सकती तब तक उन्हें वहां से नहीं हटाया जायें। तथा उनके साथ सहानुभूति रखते हुए उनके रहने एवं रोजगार की उचित व्यवस्था करवाने के बाद ही उन्हें वहां से हटाने की कार्यवाही करावें।

सुखाराम नेतिड़या
(मेड़ता)

बहरोड़ में कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी हक

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गूंती तहसील बहरोड़ की अधिकांश भूमि कस्टोडियन है जिस पर खातेदारी हक नाम से नहीं मिला हुआ है। कृषक को अपनी भूमि पर नाम नहीं होने से किसान को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बिजली कनेक्शन किसान क्रेडिट कार्ड, नामान्तरण की सुविधा नहीं है जिससे जनता में भारी आक्रोश है।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त गम्भीर समस्या का समाधान करावें।

डा. जसवन्त सिंह यादव

(बहरोड़)

सिवाना के तीर्थराज हल्देश्वर व ऐतिहासिक दुर्ग का विकास

मैं राजस्थान सरकार एवं माननीय पर्यटन विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना का अधिकांश क्षेत्र अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसमें खासतौर से तहसील मुख्यालय सिवाना कस्बे के ईद-गिर्द विद्यमान छप्पन की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित, हल्देश्वर, शुक्लेश्वर, थान माता हिंगलाज, भीमगोडा व कोटे वर महादेव पंच-तीर्थों के रूप में विख्यात है। वहीं कस्बे के पहाड़ी भाग में ऐतिहासिक एवं प्राचीन गढ़ विद्यमान है। जहां दूर-दूर से पर्यटक गण दर्शनार्थ पहुंचते है। इनमें से भी करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित तीर्थराज हल्देश्वर जहां एक ओर क्षेत्र में आबू पर्वत के सदृश दर्शकों को बरबस आकर्षित करता है। वहीं यह पूर्व में अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी रहा है। यहां जोधपुर के पूर्व नरेश राव मालदेव ने शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होकर अपने बिखै (कष्ट के दिनों को) के दिनों को हल्देश्वर की पर्वत श्रृंखलाओं में ही काटा था। जबकि जोधपुर के तात्कालिक नरेश जसवंत सिंह के आकस्मिक निधन पर उनके शिशु पुत्र अजीत सिंह को इन्हीं हल्देश्वर के पहाड़ों में वीर वर दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में रखा गया था। वहीं बादशाह औरंगजेब के पोते-पोती (जो आज भी पूंगला-पूंगली के नाम से क्षेत्र में विख्यात हैं) को भी वीर-वर दुर्गादास के हवाले यहीं रखा गया था। उस जमाने में निर्मित कोट एवं परकोटा आज भी यहां सुरक्षित खड़ा है। हल्देश्वर पर एक प्राचीन शिव मंदिर विद्यमान है। जहां क्षेत्र एवं दूर-दूर से शिवभक्त हर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थ यहां पहुंचते है। अब यहां भव्य शिवमंदिर भी निर्माणाधीन है। करीब 10 किमी क दुर्गम पहाड़ी मार्ग को तय कर यहां पहुंचा जाता है। अत: इस दोहरे महत्व के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रबल आवश्यकताएं है। सिवाना का ऐतिहासिक दुर्ग जो लगभग 11वीं शतबादी में परमार शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था, यहां की पहाड़ी पर सुरक्षित खड़ा है। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे भी पर्यटन स्थल घोषित किया जा सकता है।

अत: जनमांग व जनहित, दर्शनार्थियों के हितों को देखते हुए विधान

सभा क्षेत्र सिवाना के तीर्थराज हल्देश्वर एवं सिवाना के ऐतिहासिक दुर्ग को पर्यटन स्थल घोषित कर इनका विकास करवाकर आम जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं।

कानसिंह कोटड़ी

(सिवाना)

जहाजपुर (शक्करगढ़) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शक्करगढ़ में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है जिसमें केवल एक चिकित्सा अधिकारी का पद ही स्वीकृत है जबकि इस शक्करगढ़ ग्राम पंचायत सहित करीब 10 पंचायतों के निवासियों को सुगम चिकित्सा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शक्करगढ़ चिकित्सा केन्द्र पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत होने चाहिए। वैसे काफी समय पूर्व इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत था जिसे भी कम कर दिया गया है। जिससे आसपास की पंचायतों में रहने वाले लगभग 35 हजार ग्रामीणों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज के लिए 25-30 किमी दूर तक जाना पड़ता है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की जहाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बरोदा, बाकरां, टीटोडाजागीर, बेई एवं धौड तथा भीलवाड़ा जिले की सीमा से लगती हुई बून्दी जिले की हिण्डोली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नेगड, थाणा, बसोली, ओवण एवं खेरकटा के निवासियों को इलाज के लिए निकटतम एवं सुविधाप्रद केन्द्र शक्करगढ़ ही रहता है किन्तु इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब अजा/अजजा के लोगों को नजदीकी चिकित्सा केन्द्र शक्करगढ़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं नहीं मिलने से सही इलाज के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते है।

अत: मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्करगढ़ को क्रमोन्नत किया जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

धौलपुर का पुन: बी.पी.एल. सर्वे

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई वार्डों के निवासियों के नाम शहरी बीपीएल सर्वे में नहीं आए हैं जो कि इसके हकदार हैं। जो सर्वे कराया गया जिसमें हकदार गरीब लोगों के नाम न जोड़कर ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिये गये है कि जो अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम तो बीपीएल में शामिल कर लिये गये है और जो जिंदा है उनको अपना हक लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। समाचार पत्रों में इस प्रकार के प्रकरण छापे है। बीपीएल का सर्वे पुन: कराकर वास्तविक लोगों के नाम जोड़कर उनको उनका अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है।

धौलपुर में बीपीएल धारकों के खाते बैंकों में बैंक कर्मचारियों द्वारा नहीं खोले जाने की शिकायतें भी प्रकाश में आई है, जबकि राज्य सरकार द्वारा बैंकों में बीपीएल धारकों का खाता जीरो बैलेन्स पर खोले जाने का प्रावधान है। अभी प्रशासन गांव के संग अभियान के फीड बैक से खुलासा हुआ कि गांवों में बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी करने के एवज में ठेकेदार द्वारा रुपये मांगे जाने की शिकायतें आई है।

बीपीएल परिवारों को आवास बनाने के लिए जो 55000/- रुपये की राशि दी जा रही है, उसमें गरीब के लिए घर कैसे बन सकता है। जबकि योजना के तहत 80 वर्गफीट में आवास बनना है जिसकी अगर बाजार भाव देखें तो नींव खोदने वाले कारीगर 80/- रुपये वर्गफीट की दर से खुदाई करते है उस नीवं को भरने के लिए खंडा पत्थर के भाव बढ़े हुये है एक ट्रैक्टर ट्रोली 400 खंडे होते है नींव में कम से कम 3 ट्रोली खंडे चाहिये होते है। जिसकी कीमत लगभग 12 हजार रुपये है। नींव खुदाने की मजदूरी 7 हजार रुपये से अधिक हो जाती है। इसके लिए दीवार बनाने हेतु सीमेन्ट तथा बजरी चाहिए इसके साथ ही बने हुए पत्थरों की आवश्यकता होती है। इतने काम के लिए 60 हजार रुपये की आवश्यकता है। आवास की छत डालने के लिए लगभग 15 हजार रुपये चाहिए। खिड़की दरवाजों के लिये 8 हजार रुपये की जरूरत है इस प्रकार कम से कम एक लाख रुपये में आवास बनकर तैयार होगा।

अब्दुल सगीर खां
(धौलपुर)

एस.एफ.जी. राशि की बढ़ोतरी

मैं, आपका ध्यान राजकीय विद्यालयों में आ रही कठिनाइयों की ओर ले जाना चाहूंगा कि राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में पानी, बिजली,

शोचालय सफाई, समस्त स्टेशनरी एवं विभिन्न गतिविधियों के लिए बच्चों पर होने वाला खर्च एस.एफ.जी. राशि के माध्यम से सरकार द्वारा इन विद्यालयों को प्रदान की जाती है। यह राशि वर्तमान में मात्र 12,000/- रुपये है जो कि वर्ष 2009-10 से इसी दर से प्रदान की जा रही है जबकि इसक विपरीत महंगाई में कई गुना वृद्धि हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप इतनी कम राशि से यह सारे खर्चे व अन्य गतिविधियों का संचालन बेहद कठिन है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस एस.एफ.जी. राशि को तुरन्त प्रभाव से इसी बजट में प्रावधान करके बढाया जावें। इसके साथ-साथ मिड-डे मिल में कार्यरत हैल्पर कम कूक को भी मात्र 1000/- रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम है। यह मानदेय भी कम से कम 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया जावे। महोदय, जिस प्रकार अन्य विभागों में रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए सहायक कर्मचारी उपलब्ध होते हैं, ठीक उसी प्रकार राजकीय विद्यालयों में भी सहायक कर्मचारी नियुक्त किये जावें तथा नोडल विद्यालयों में भी लिपिक का पद सृजित किया जावें।

सरकार द्वारा देय पोषाहार राशि भी इन दिनों नियमित समय पर नहीं मिल रही वहीं सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों को उनका वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा। अत: इस हेतु एक वर्ष का बजट एक मुश्त जारी किया जावें क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापकों को 4 माह में दो-दो माह के अन्तराल के बाद वेतन मिल रहा है। यह व्यवस्था अक्टूबर, 2012 से देरी से चल रही है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि सभी राजकीय विद्यालयों में उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही की जावें जिससे विद्यालयों के कामकाज सुचारू रूप से चल सकें तथा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हों।

सादर।

अभिषेक मटोरिया

(नोहर)

चम्बल धौलपुर-भरतपुर परियोजना से कुम्हेर व सेवर को पेयजल आपूर्ति

मैं आपका ध्यान नदबई क्षेत्र के उन इलाकों को चम्बल धौलपुर-

भरतपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की ओर दिलाना चाहूंगी जो सेवर एवं कुम्हेर की सीमा से सटे हुए हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के अधिकतर गांव खारे पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। जिनमें मुख्यत रौनीजा, लुहासा, गांगरौली, बहरामदा, खटौटी, गादौली, पहरसर, करही एवं हन्तरा ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं। इन इलाकों का पानी खारा हो गया है एवं जल स्तर काफी नीचे चला गया है। पेयजल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। वर्तमान में इन इलाकों को मीठा पानी उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक हो गया है।

इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि चम्बल धौलपुर-भरतपुर परियोजना के फेज प्रथम के भाग द्वितीय से कुम्हेर एवं सेवर के गांवों को पेयजल उपलबध कराया जाना है। मेरा निवेदन है कि भौगोलिक दृष्टि से नदबई क्षेत्र के उपरोक्त वर्णित इलाके जो कुम्हेर एवं सेवर के गांवों से सटे हुए हैं इन्हें भी चम्बल धौलपुर-भरतपुर परियोजना के फेज प्रथम के भाग द्वितीय में शामिल किया जाकर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा'
(नदबई)

भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में डाक्टर्स की कमी

भीलवाड़ा शहर में स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में डाक्टरों की अत्यधिक कमी के कारण से उत्पन्न विकट स्थितियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विगत 40 वर्षों से महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में लगभग 55 से 60 डाक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं। मैंने हर बजट सत्र में इस बारे में अवगत कराया था कि बहुत ही विकट स्थिति है। जिले के इस बड़े अस्पताल में डाक्टरों के रिक्त पदों से मरीजों एवं उनके रिश्तेदारों की भीड़ द्वारा डाक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं और उसके बाद कभी नर्सिंग स्टाफ व डाक्टर काम बंद कर देते हैं। उनकी पीडा व जनता का गुस्सा भी वाजिब है। इसका एक मात्र कारण सरकार की उदासीनता है जो कि 4 वर्षों में भी डाक्टरों की भर्ती नहीं कर सकी है। कई करोडों रुपयों की मशीनें खराब पड़ी होने से आम जनता को मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों में महंगी जांच कराने पर मजबूर होना पडता है। सरकार लंबे-चौड़े दावे करती है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की जा चुकी है। जबकि हकीकत यह है कि महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में अभी कुल 90 की जगह 30-32 डाक्टर ही कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ अवकाश पर चले जाते हैं, कुछ सरकारी कार्यक्रम में

चले जाते हैं तथा कुछ शहर की डिस्पेन्सरियों में लग जाते हैं। हकीकत में यहां पर औसतन 20 डाक्टर ही उपस्थित रहते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से सरकार की सारी योजनाएं विफल हो जाती है। करोड़ों रुपया महात्म गांधी अस्पताल में आया पड़ा है, लेकिन कोई काम कराने को तैयार नहीं है क्योंकि स्टाफ ही नहीं है।

मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को यथाशीघ्र भरे तथा जो मांगे मैं विगत 4 वर्षो से इस सदन के माध्यम से कर रहा हूं उस पर अमल करें। पिछले दिनों इसी महात्मा गांधी अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की कमी के चलते सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों और अन्य की मिलीभगत से यह कुकृत्य इस अस्पताल में होता था।

अत: मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी उक्त अस्पताल में लगाई जावे।

विट्ठल शंकर अवस्थी

(भीलवाड़ा)

शाहपुरा में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराये जाने बाबत

मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा के शाहपुरा में अग्निशमन वाहन नहीं है। इसकी मांग क्षेत्रवासियों में काफी लम्बे समय से की जा रही है। जिला मुख्यालय से शाहपुरा की दूरी 57 किमी है। शाहपुरा के नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 35 हजार से भी अधिक है। इस क्षेत्र के आसपास 30 किमी में करीब 160 राजस्व ग्राम एवं मजरे हैं जिनमें आये दिन छोटी मोटी आग की घटनाएं होती रहती हैं जिसमें सबसे ज्यादा फसलों के दिनों में होती है। शाहपुरा को अग्निशमन वाहन के लिये जिले पर निर्भर रहना पड़ता है। आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन की सुविधा समय पर नहीं मिलने से आये दिन आगजनी की घटनाओं में जनता में रोष व्याप्त रहता है एवं उस समय मुख्य बिन्दु इस सुविधा के अभाव पर रहता है। क्षेत्रवासियों की सोच रहती है कि काश: यह सुविधा इस क्षेत्र में होती तो यह नुकसान नहीं होता।

अत: श्रीमान् से मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध करावे।

महावीर प्रसाद जीनगर

(शाहपुरा)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

1. राजस्थान में किसानों को रबी एवं खरीफ फसलों पर होने वाले रोगों पर छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयां भी नि:शुल्क दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. राजस्थान के किसानों की उपज पर कृषि जिन्सों, मसालों व अन्य उत्पादित अनाजों पर होने वाले वायदा व्यापार को प्रतिबंधित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में संवत् 2069 खरीफ फसल हेतु राजफैड द्वारा वितरित बाजरा एवं मूंग के मिनी किट बीजों के घटिया गुणवत्ता के कारण बाजरा एवं मूंग की फसल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्रामों के जी.एस.एस. की रबी एवं खरीफ फसलों के लिये समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में बीज एवं खाद (डी.ए.पी./यूरिया/सुपर नाइट्रेट/फास्फेट) की अग्रिम अपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

5. विधान सभा क्षेत्र बायतू के पाटौदी क्षेत्र में नवीन कृषि मण्डी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बायतू में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को खेती हेतु आवश्यक उपकरण, खाद एवं बीज उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बायतू में कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र बायतू में फसलों को शीतलहर एवं अतिवृष्टि के

कारण होने वाले नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. बायतू कृषि उपज मण्डी में टीनशेड के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

10. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों को खाद, बीज एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र चौहटन की ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पद सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. प्रदेश में फसलों के बीमे का सरलीकरण एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में फव्वारा व ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिये जाने हेतु अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

14. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जीरा मण्डी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

15. विधान सभा क्षेत्र भीम में भारी बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

16. महेन्दी की फसल की कटाई हेतु आधुनिक यंत्र बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. सोजत सिटी में कृषि भवन बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

18. प्रदेश में फसल बीमे का सरलीकरण व खेतों में आगजनी से हो रहे नुकसान के लिये विशेष योजना बनाकर किसानों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. प्रदेश में आधुनिक खेती फव्वारा व ड्रिप योजना, बगीचे लगाने,

फलदार पौधे लगाने आदि को प्रोत्साहन व सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में शीतलहर व पाले से किसानों को हो रहे नुकसान हेतु इसे सी.आर.एफ. में शामिल करने व राज्य सरकार के स्तर पर योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि पर्यवेक्षक व 04 ग्राम पंचायतों पर सहायक कृषि अधिकारी का पद सृजित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

22. विधान सभा क्षेत्र अनुपगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र अनुपगढ़ में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

25. प्रदेश में उन्नत बीजों पर छोटे कृषक, सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश में 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पम्प खरीद पर 86 प्रतिशत का अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. बिना किसी कनेक्शन वाले किसान जो डीजल पम्पसैट से कृषि करने पर डीजल पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. झालावाड़ जिले में संतय प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

29. झाड़ोल एवं कोटड़ा तहसील मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

30. सीकर जिले में फव्वारा पद्वति से सिंचाई करने वाले कृषकों के वर्ष

2012-13 तक के फव्वारा अनुदान की पत्रावलियों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. किसानों को सस्ती दर पर डी.ए.पी. व यूरिया सहकारी समितियों के द्वारा समय पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. प्रदेश के किसानों को सस्ती दर पर डिजल दिलवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र धोद में प्याज पैदा करने वाले किसानों के लिये रशीदपुरा ग्राम में प्याज मण्डी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

34. प्रदेश में कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति से वापस अपने मूल विभाग में बुलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

35. विधान सभा क्षेत्र नगर के गावों में हुई ओलावृष्टि से फसल खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

36. सिरोही जिला मुख्यालय पर पांचों तहसीलों को मिलाकर एक कृषि मण्डी यार्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. प्रदेश की देशी फसलों की प्रजातियों एवं नई फसलों की प्रजाति को बचाने हेतु राज्य स्तर पर जर्म प्लाज्म व जिला स्तर पर कृषि फार्म स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

38. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के गावों में ओलावृष्टि के कारण कृषकों को आर्थिक सहायता एवं बीमा की राशि तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

39. हनुमानगढ़ में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. जिला हनुमानगढ़ में कृषि प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. राज्य में लम्बे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कृषि पर्यवेक्षकों की पदोन्नति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

42. प्रदेश में कृषि यन्त्रों पर रियायत न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

43. प्रदेश में कृषि के अन्तर्गत उद्यान लगाने वाले किसानों के पोधे नष्ट होने पर मुआवजा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

44. प्रदेश में कृषि फसली ऋणों पर ब्याज पर रियायत होते हुए भी आवश्यकता एवं मांग अनुरूप ऋण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

45. प्रदेश में कृषकों को देय दीर्घकालीन ऋणों पर रियायत न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

46. डीजल एवं रासायनिक खाद की कीमत बढ़ने से किसानों को हो रहे घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

47. पाली जिले में पिंड खजूर के पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

48. प्रदेश में किसानों की उपज को सरकार द्वारा क्रय करने के खरीद केन्द्र की दूरी ज्यादा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

49. सरदार शहर कृषि मण्डी क्षेत्र में गेहूँ खरीद के लिये सेंटर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

50. कृषि आपदाओं में सरकार द्वारा बीमित किसानों को मुआवजा राशि देने में की जाने वाली अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

51. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कृषि विभाग से सम्बन्धित विभिन्न पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

52. बहरोड़ में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. बहरोड़ के गांवों में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों पर किसानों को उचित एवं अधिकतम मुआवजा दिलाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उचित मूल्य से अधिक दामों पर खाद एवं बीज मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कृषि विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की किसानों को पूर्ण जानकारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

56. धौलपुर जिले में यूरिया/डी.ए.पी. खाद की विपणन शाखा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी एवं धौलपुर जिले में कृषि यन्त्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. धौलपुर जिले के कृषकों को राशन से खाद पर अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. धौलपुर जिले के किसानों के फसली ऋण सीमा/राशि बढ़ाने तथा ऋण माफ करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

60. किसानों को फसली ऋण की सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. कृषि यंत्रों, उपकरणो में सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. नांवा क्षेत्र में कृषक विश्राम गृह बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. किसानों के प्याज भण्डारण हेतु बनाने वाले प्याज गोदामो के अनुदान राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र नांवा में रबी की फसल का ओले गिरने से हुये खराबे का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

65. राजसमन्द में फव्वारा योजना में दी जाने वाली अनुदान राशि समय पर नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. उदयपुर कृषि मण्डी में जनजाति के कृषक जिनके द्वारा रतनजोत, करंजी एवं फुहारी की उपज को मण्डी में बिक्री करने हेतु जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

67. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में रासायनिक खाद के उपयोग से मृदा में जन स्वास्थ्य के लिये प्रतिकुल घातक तत्वों की वृद्धि रोकने के ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में किसानों को खेती की सीमा पर बाड़ के रूप में क्षेत्रीय उपयोगी वनस्पितियों के पौधे लगाने के लिये प्रेरित करने के ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों से बूंद-बूंद सिंचाई पद्दति को बढ़ावा देने के ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. प्रदेश में किसानों को बीज संकलन-उपचारण की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

72. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के किसानों को फसल खराबे का समुचित मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) :

73. प्रदेश में बागवानी को प्रोत्साहित करने में जैतून की पैदावार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. सौर ऊर्जा के डी.सी.पम्प को तीन से दस हॉर्स पॉवर तक बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

75. राजस्थान सीड कॉपोरेशन द्वारा कमीशन एजेंट के रूप में भूमिका निभाने एवं घटिया व उच्च दर पर अमानक/ घटिया बीजों को खरीद

कर किसानों को वितरित कर छलने की प्रवत्ति पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली सभी जिंसों पर (गेहूं के समान) रुपये 150 प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने व खरीद सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश में कृषि प्रस्संकरण इकाइयों के विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. टोंक जिले में उनियारा में वर्ष 2008 में खोले गये कृषि विषय में आज तक काउंसलिंग नहीं किये जाने तथा वहां नियुक्त व्याख्याताओं का अनुपयोगी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में जैतून एवं पिंड खजूर खेती को प्रोत्साहन देने हेतु चयन किये जाने के लिये जिलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

80. प्रदेश में पाला, शीतलहर व ओलावृष्टि से सब्जियां, बेर, आंवला की फसल नष्ट होने पर मुआवजा का प्रावधान करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की सभी ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

82. हनुमानगढ़ जिले के नोहर-भादरा क्षेत्रों में अनार के बाग़ लगाने से किसानों को हुये भारी नुकसान के लिये मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

83. बांसवाड़ा जिले के किसानों की फसलों में कीड़ा लगने पर दवाइयां देने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. बांसवाड़ा जिले में किसानों को डी.ए.पी. या यूरिया दिलाने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र मे प्रमाणित बीज किसानों को दिलाने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

86. काश्तकारों को खेती के चारों तरफ चार दीवारी लगाने के लिये अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

87. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के काश्तकारों को नकली एवं खराब बीज उपलब्ध कराने से शिट्टे नहीं निकलने से काश्तकारों को हुये नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. जिला झुंझुनूं में पिछले वर्ष खाद एवं बीज में सब्सिडी नहीं देने से काश्तकारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

89. जिला झुंझुनूं के काश्तकारों को अच्छी किस्म का बीज समय पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

90. कोटा सम्भाग के किसानों को उद्यानिकी नवाचारों से रू-ब-रू कराने व उक्त नवाचारों का प्रयोग हेतु प्रोत्साहन के लिये कोटा में फार्म आफ एक्सीलेंसी की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों की कृषि अथवा कृषि विपणन कार्य के दौरान मृत्यु होने पर देय सहायता राशि 1 लाख से 3 लाख रुपये तथा घायलों की सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली अन्य कृषि जिंसो पर भी गेहूं की भांति 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने तथा लहसुन को बाजार हस्तक्षेप के तहत 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. राज्य के किसानों को मौसमी मार से सुरक्षा दिलाने के लिये मौसम आधारित बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित फसलों के क्लेम राशि बढ़ाये जाने व मौसम के मापन हेतु उपकरणों की क्षमता ग्राम पंचायत स्तर तक गणना योग्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. राज्य में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों में 50 प्रतिशत से कम

खराबा वाले प्रकरणों को भी मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता तथा मुआवजे की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

95. कृषकों को कृषि कार्य के लिये डीजल पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. कृषकों को डी.ए.पी. खाद पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

97. राज्य में किसान आयोग को वित्तीय अधिकार भी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

98. प्रदेश में चार पंचायतों के बीच किसी एक स्थान पर कृषकों की समस्याएं सुनकर उनके निदान हेतु खरीफ एवं रबी की फसल हेतु चौपाल आयोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. कृषि फसलों के वेस्ट का व्यापारिक उपयोग कर व्यापार करने के तरीकों का प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

100. राज्य में फसल बीमा के मानदण्डों में सरलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में कृषि उपज मण्डी की सड़कों का पुनर्निर्माण करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

102. चूरू जिले में वर्ष 2012-13 में स्वीकृत फसली बीमा राशि का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

103. प्रदेश में किसानों के खेतों में बनने वाली डिग्गी पर सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. प्रदेश में सौर ऊर्जा के कनेक्शन, ड्रिप सिस्टम के अलावा पानी लिफ्ट करने के लिये सभी डिग्गीयों पर सौर ऊर्जा के पम्पों पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

105. कृषि मण्डी बालोतरा में फल एवं सब्जी मण्डी को शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

106. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के समेजा एवं डाबला में गौण मण्डी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कृषि डिग्गियों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

108. कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के बाद भी लम्बे समय तक वापस नहीं बुलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों के कर्मचारी/अधिकारियों को वापस भेजने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

110. प्रदेश के किसानों को समय पर उन्नत किस्म के बीज एवं खाद उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) :

111. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कृषि के उपकरण एवं डेढ़ ईंच पाइप पर अनुदान दिलांने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

112. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की ग्राम पंचायत डरखोदा व जैतपुर में कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

113. राज्य सरकार द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर दी जाने वाले उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयां आदि फसल बुवाई के समय वितरण केन्द्रों द्वारा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

114. प्रदेश में नीलगाय, सुअर व अन्य पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको रोकने के लिये खेतों में चारदीवारी, मेड़बन्दी, तारबन्दी आदि के कार्य हेतु कृषकों को अनुदान व ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. भू-जल के नीचे जाने के कारण पानी क्षारीय होने से जमीन के खारेपन के सुधार हेतु जिप्सम अनुदान में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी क्षेत्र में जमीन मटियाली होने के कारण पाइप लाइन का अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. बाड़मेर जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उप निदेशक (कृषि) का द्वितीय कार्यालय सिवाना उप खण्ड मुख्यालय पर खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

118. वन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द खेत-खलिहानों में आये दिन जंगली जानवरों जैसे सेंझडे, नीलगाय आदि द्वारा की जा रही फसल बर्बादी को रोकने हेतु किसानों को तारबन्दी के लिये अनुदान राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को देय फव्वारा सेटों के टारगेट अपूर्ण रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

120. जिला प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में खाद-बीज व दवाइयां समय पर मांग के अनुरूप डीलर्स द्वारा सप्लाई नहीं की जाकर अन्य बाहरी क्षेत्रों में ब्लेक कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

121. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सभी पंचायत मुख्यालयों पर कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आगामी खरीफ एवं रबी की फसलों के

लिये प्रमाणित बीज एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की गौण मण्डी को कृषि उपज मण्डी में क्रमौन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की गौण मण्डी कोटड़ी को कृषि उपज मण्डी में क्रमौन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

125. श्रीगंगानगर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. श्रीगंगानगर में कृषि आधारित उद्योग किन्नू वैक्सिंग प्लांट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. श्रीगंगानगर में कृषि खाद उत्पादन प्लाण्ट खोलने एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. राजीव गांधी कृषक साथी योजना का सरलीकरण करते हुए इस योजनान्तर्गत दुर्घटना बीमा क्लेम राशि हेतु राज्य बीमा विभाग के स्थान पर सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति को ही अधिकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

129. जिला नागौर में विगत तीन वर्षों से मार्च 2013 तक अनुदानित कृषि यंत्रों की खरीद में किये गये घोटालों की जांच नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. जिला नागौर में प्याज, लहसुन आदि के रख-रखाव हेतु निर्माण कराये गये स्टोरेज के लिये बनाये गये टीनशैड़ निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. नागौर जिले में मूंग, बाजरा आदि की नष्ट बीमित फसल का मुआवजा प्रति हैक्टेयर जिले में अलग-अलग दरों पर भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. वर्ष 2012 के दौरान सरकार द्वारा बीज वितरण हेतु किये गये बाजरे

की घटिया किस्म एंव ऊंची दरों पर भुगतान की उच्च स्तरीय जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

133. प्रदेश में कृषि खाद बीज पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. प्रदेश में बन्द पड़े कृषि यंत्रों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावद) :

135. धरियावद में 25 वर्ष पूर्व स्वीकृत कृषि उपज मण्डी के लिये आवाप्त की गई जमीन का आपसी सहमति से निस्तारण करा कर किसानों के हित में शीघ्र धरियावद में कृषि उपज मण्डी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

136. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के कृषकों को खाद, बीज आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. जोधपुर जिले में थारपारकर, गिरल, राठी व कामधेनू गायें 90 प्रतिशत अनुदान पर दिलवाने के सम्बन्ध में।
2. तहसील शेरगढ़ में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक सहायक, पशु धन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. पंचायत समिति बालेसर एवं पंचायत समिति शेरगढ़ के ग्रामों में नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में एवं पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

5. राजस्थान में आयोजित होने वाले पशु मेलों में आ रही गिरावट को रोकने गौवंशीय पशुधन के वध को प्रतिषेध करने एवं निर्यात रोकने में नाकाफी, प्रयासों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बिलाडा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उपलब्ध पशुओं की संख्या, प्राप्त दुग्ध की मात्रा, रोगी पशुओं की संख्या व आवश्यकतानुसार माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणानुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नये पशु चिकित्सा केन्द्र नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बिलाडा में अकाल की स्थिति, गर्म वातावरण एवं कम हरे चारे की उपलब्धता के कारण पशुओं को पशुआहार पर रु. 2/- प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

8. राजस्थान गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण हेतु प्राकृतिक गर्भाधान के लिए पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा सांड/पाडे को नि:शुल्क देकर पशु नस्ल सुधार का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र बिलाडा में पशु चिकित्सालयों/पशु उपकेन्द्रों पर पशुचिकित्सकों, पशुधन सहायकों एवं पशु सहायक चिकित्सकों के रिक्त पडे पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

10. प्रदेश के पशुओं में होने वाली मौसमी बीमारियों से पशुओं को बचाने हेतु समय-समय पर टीकाकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बायतू के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. प्रदेश में गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु गौशालाओं में पशुआहार एवं चिकित्सा सामग्री पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्राम खारापार, बागावास, रतेऊ, केसूम्बला, बडनावाजागीर में पशु उप चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. राजय में पशु चिकित्सकों, पशुधन सहायकों, जलाधारियों आदि की सीधी भर्ती कर पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

15. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सभी पशु चिकित्सालयों में रिक्त चल रहे पशु चिकित्सक एवं पशुधन सहायक के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रतिमाह पशु चिकित्सा शिविर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में झडपा, धनाऊ, बीसासर, पनोरिया, भूणिया, बामणोर बिसारणिया, बाछडाऊ, सणाऊ, मिठेकातला, जानपालिया में नये पशु चिकित्सा केन्द्र/उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश के किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

19. विधान सभा क्षेत्र बाडमेर में ग्राम पंचायत कगाऊ, बोला एवं बालेरा में पशु उप केन्द्र खोलने एवं पशु उप केन्द्र भाडखा एवं इद्राबेरी को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

20. विधान सभा क्षेत्र भीम में रिक्त चल रहे पशु चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

21. विधान सभा क्षेत्र सोजत में ऊंटों का टीकाकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलशहर) :

22. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के पंचायत मुख्यालयों में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

23. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु औषधालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

25. नीमकाथाना क्षेत्र में दुग्ध डेयरी प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

26. पशु अनुसंधान केन्द्र, डग के विकास हेतु सांड संवर्द्धन केन्द्र पुन: स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश में गौवंश संरक्षण हेतु गौशाला विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

28. प्रदेश में भेड़ व बकरियों को बेचने के लिए मण्डी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. देशी गायों को पालने तथा उसके एक वर्ष के बछडे को बेचने की अनुमति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम माण्डोता, श्यामपुरा, मुकन्दपुरा, आंतरी में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र धोद के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

32. प्रदेश में पशुधन को बढाने एवं बचाने हेतु ठोस नीति लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

33. राज्य में पशु पालन को लाभकारी बनाने के लिए आवश्यक नवीन तकनीकों से पशुपालकों को प्रशिक्षित करने विभिन्न प्रकार के मूल्य संवर्धन व हुनर विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से पशुपालन में नवाचार को बढावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये चर्चा के लिये।

34. कोटा में पशु चिकित्सा कालेज की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. राज्य में दुग्ध उत्पादक पशु पालकों को उत्पादित दूध का उचित मूल्य मिले इस हेतु प्रति फेट खरीद मूल्य बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. राज्य में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु डेयरी पशुपालन में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. कोटा के राजकीय पशु चिकित्सालय, विज्ञान नगर को एवं राजकीय पशु चिकित्सालय सिविल को भवन उपलब्ध कराने तथा पशु चिकित्सालय मोलापाडा कोटा में एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

38. विधान सभा क्षेत्र नगर के नगर कस्बे मुख्यालय पर भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

39. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के डोडुआ व रामपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

40. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र नोहर के पशु उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

42. प्रदेश में गौशालाओं का अनुदान न बढाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पिछले दो वर्षों में सैकडों दुधारू भैंसे मरने पर मुआवजा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. प्रत्येक विधन सभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश में पशु बीमा के लिए प्रिमियम राशि में सरकारी सहयोग राशि न बढाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में उप पशु-चिकित्सा केन्द्र को क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

47. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंकशन में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

48. प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

49. प्रदेश में पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चिकित्सकों की पदोन्नति के सेवा नियमों में किये जा रहे परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/अधिकारियों के बेक लॉग को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में गरीब पशु पालकों पर दो रुपये का भार डालने व पूरी दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. राजस्थान वेटनरी विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्याख्याताओं की नियुक्तियां में आरक्षण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने एवं स्टाफ नियुक्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

54. राज्य में चल रहे पशुओं के कत्ल खानों में गौवंश का कत्ल बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. राज्य में गौशालाओं को अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

56. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

57. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में पशु चिकित्सालय एवं उन्नत किस्म की गाय के संरक्षण के लिए केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम दोसोद, गादोज, गोलावास में नये पशु अस्पताल खोलने एवं कायसा के पशु अस्पताल का क्रमोन्नत करने तथा पंचायत महत्तावास में पशु अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सभी पशु अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ हास्पिटल में पशुओं के आपरेशन के लिए आधुनिक मशीनों से सुसज्जित आपरेशन थिएटर बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम जखराना बहरोड़ की बकरी की नस्ल को और उन्नत करने एवं बकरी पालन को बढावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) :

62. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में प्रत्येक पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी):

63. विधान सभा क्षेत्र बसेडी के बसेडी, सरमथुरा, नादनपुर, सलेमपुर में पशु चिकित्सालय खोलने एवं बसेडी के पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण में हो रही देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र बसेडी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने एवं आवश्यक सुविधाओं को बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. धौलपुर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. धौलपुर जिले के पशु चिकित्सालयों में पशु शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं आवश्यक दवाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में पशुओं की बीमारियों से मौत के बाद मुआवजा एवं पशुधन बीमा योजना का लाभ दिलाने तथा ऋण माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

68. प्रदेश में नागौर नस्ल में तीन वर्ष के बछड़े की बिक्री पर लगी रोक को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. राज्य की गौशालाओं को अधिक अनुदान एवं प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. राज्य सरकार द्वारा पशुओं के लिए चलाई जा रही नयी नि:शुल्क दवा

योजना का अधिक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. राज्य की अच्छी नस्ल की दुधारू गायों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

72. राजस्थान में गौशालाओं को प्रोत्साहन देने एवं नवीन गौशालाओं की स्थापना करने में सरकार द्वारा असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. राजसमन्द जिले के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं सहकर्मियों की कमी होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रतिमाह पशु चिकित्सालय शिविर लगाये जाने की घोषणा की पालना नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

75. प्रदेश में शुद्ध देशी नस्ल के गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए प्रभावी कार्ययोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रदेश में शुद्ध देशी नसल के गौवंश उपलब्धता वाले सुदुर सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश में पशु चिकित्सा के रिक्त पडे पदों को भरने और नये पद सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश में गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

79. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के सोयला में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

80. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में पशुओं की नस्ल उन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

81. खाजूवाला, दन्तोर पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

82. प्रदेश में किसानों को मछली पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अकवा कलचर पद्धति से लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में इन्डीजीनस ब्रीड कन्फर्मेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर एवं मण्टीपल ओव्यूलेशन डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट की योजनाओं पर विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

84. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सभी राजस्व ग्रामों में पशु उपकेन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

85. विधान सभा क्षेत्र नोहर-भादरा में खाली पड़े पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

86. प्रदेश में पशु पालकों को सहायता देने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कुशलगढ़ में गौशाला खोलने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. प्रदेश में पशुओं की चराई को सुरक्षित रखने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में पशुओं की दवाइयां उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

90. ग्राम पंचायत मुख्यालय किशनपुरा में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

91. झुंझुनूं जिले के ग्राम पंचायत हमीरपुर, गादोली तथा आस-पास के गांवों में पशुधन अधिक होने से पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पंचायत स्तर पर अच्छी किस्म के सांड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

93. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव गादौली, बछामदी, गांगरौली, बरौलीरान एवं हन्तरा में नवीन पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव कटारा, खेडिया ब्राहाण, झारकई एवं हन्तरा में संचालित पशु उपकेन्द्रों को राजकीय भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

95. प्रदेश में पशु चिकित्सा हेतु हफ्ते में एक बार चार-चार पंचायतों के बीच डाक्टरों के कैम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. प्रदेश में अवैतनिक पशुधन कर्मचारियों को वांछित ट्रेनिंग देकर मानदेय एवं दवाइयां दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में स्थानीय पशुपालन उद्योग को बढ़ावा देकर नव युवकों को डेयरी उद्योग लगाकर शहरों में दुग्ध विक्रय करने के लिए प्रोत्साहन करने के सम्बन्ध में चार्च के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

98. विधान सभा क्षेत्र वैर के पशु चिकित्सालयों में चल रहे रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

99. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में राजकीय पशु चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

100. राज्य के पंजीकृत गौशाला को स्थाई अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

101. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के पशु चिकित्सायों में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. प्रदेश की गायों की नस्लों को पुराने मूल स्वरूप में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

103. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पशुओं के लिये कैम्प लगाकर दवाइयां देने व टीके लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पशु उपकेन्द्र में रिक्त पडे पशुधन सहायक के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

105. प्रदेश में अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा पशुओं का इलाज करने पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में डेयरी, बकरी पालन एवं मुर्गी पालन के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने एवं राज्य सरकार से ऋण दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

107. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

108. प्रदेश में देशी गायों के नस्ल सुधार हेतु प्रत्येक जिले में नस्ल सुधार एवं संवर्धन केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं को नियमित अनुदान देने व प्रति पशु अनुदान की राशि को कम से कम 50/-रुपये तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. अजमेर के वार्ड संख्या 40 में बालुपुरा ग्राम के पशुपालकों के पशुओं के उपचार हेतु एक नया पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. अजमेर के वार्ड संख्या 39 के माधुपुरा स्थित पशु चिकित्सालय को बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. अजमेर के नया बाजार में भारी यातायात दबाव के कारण यहां स्थित बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में पशु पालकों को अपने पशुओं के उपचार हेतु लाने व ले जाने में आ रही कठिनाई के समाधान हेतु बहुउदेश्य पशु चिकित्सालय का स्थानान्तरण अन्यन्त्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

113. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बावई, आंतरदा, पीपल्या एवं माणी के भवन के निर्माण नहीं कराने व कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

114. वर्ष के दिनों में पशुओं को होने वाले खुंरपका रोग की रोकथाम के समुचित उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. पशुपालकों को डेयरियों खोलने हेतु अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र करौली के सायपुर, रघुवंशी, कोटा छाबर आदि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

117. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु संख्या के आधार पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशुओं के वेक्सीन टीके लगाने व उपचार हेतु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए एक चिकित्सा दल का गठन कर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

120. जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्रों पर रिक्त पडे हुए पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्रों में भवन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र बडी सादडी के गांव कुलभीपुरा, नकोर, पाल, बारावरदा, संगसेरा, स्तीसिंहजी का खेडा, सांगरिया, निकुंभ, नौगांवा करसाना एवं खोण्डीप में पशुचिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र बडी सादडी के गांव बडवई, रावतपुरा, फलोदड़ा, आलोद, पालोद, आडावेला, झोलर, नाडाखेड़ा, मोरवन, लक्ष्मीपुरा, खिरमालिया, पुनावली एवं झरखाना नेनीणा में नवीन पशु उपकेन्द्र खोलने की आवाश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. मृत बीमित पशुओं का मुआावजा राशि का समय पर भुगतान नहीं किये जाने व क्लेम दिये जाने की पद्धति जटिल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व) :

125. पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में पशुओं पर हो रहे अनुसंधानों को पशुपालकों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. पशु पालकों को डेयरियां खोलने हेतु अनुदान एवं ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

127. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सालय अमरवासी, वनकाखेडा एवं रोपां को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सा उपकेन्द्र टीकड़, उदलियास, टीटोड़ा जागीर एवं कांटी में नवीन उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

129. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपकेन्द्र धुंवाला एवं रेड़वास के पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. प्रदेश में गौवंश की रक्षा हेतु गौशालाओं की अनुदान की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सालयों एवं उपकेन्द्रों में रिक्त पडे पदों को प्राथमिकता से भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

132. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में ग्राम पंचायत स्तर पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र/पशुचल चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों एवं पशु सहायकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में पशु पालन को प्रोत्साहन करने के लिए पशु मेडिकेयर पालिसी लागू करने एवं पशु की मृत्यु होने पर शत प्रतिशत राशि सीधे पशुपालक को दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण करने एवं गौ संवर्धन, न्सल सुधार के लिए सांड के पालन पोषण हेतु विशेष अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

136. सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों से अब तक खोले गये पशु चिकित्सालयां एवं पशु उपकेन्द्रों में भवन निर्माण नहीं किये जाने एवं स्टाफ नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. जिला नागौर में सांड, बछडे व भैसे के रखे जाने हेतु गत 4 वर्षों में दिये गये भुगतान एवं अनुदान उठाने वालों के पास सांड, बछड़े व भैंसे होने की भौतिक जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

138. विधान सभा क्षेत्र मकराना के पशु चिकित्सालय, पशु उपकेन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पशुओं में होने वाले खुरपका व मुंहपका रोगों की रोकथाम के लिए समय पर वेक्सीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पशु केन्द्र व उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

141. विधान सभा क्षेत्र चौरासी, जिला डूंगरपुर में नये पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।